निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

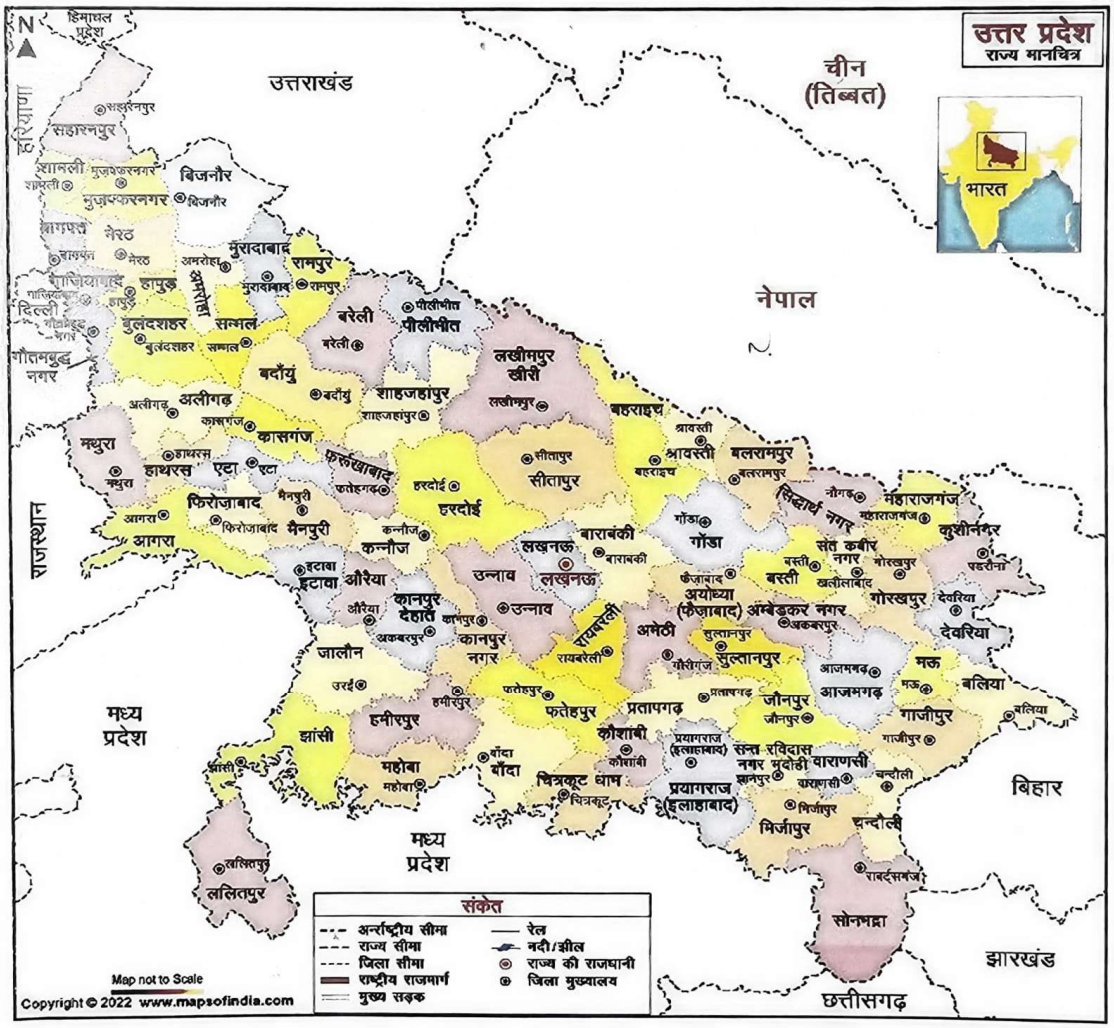

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-2

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या (भाग)
1	झाँसी मण्डल		**519-551(2)**
2	कानपुर मण्डल		**551-637(2)**
3	लखनऊ मण्डल		**638-759(2)**
4	मेरठ मण्डल		**759-886(2)**
5	मुरादाबाद मण्डल		**887-913(2)**
6	प्रयागराज मण्डल		**914-936(2)**
7	सहारनपुर मण्डल		**936-946(2)**
8	वाराणसी मण्डल		**946-991(2)**
9	विन्ध्याचल मण्डल		**991-999(2)**

जनपद-जालौन **मण्डल -: झांसी**

परिशिष्ट 1

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

जनपद का नाम: जालौन **मण्डल का नाम: झांसी**

जिला पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियॉ -2021-22

जिला पंचायत **जनपद जालौन**

1. **प्रस्तर-1** उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-1/2017- सी0ए0-400/ दस/2017- सित0-1 /2017 दि0 24 सितम्बर 2017 के अनुसार कार के लिये रू0 1000.00 तथा जीप के लिये आवंटित वाहन पर रू0 800.00 प्रतिमाह कटौती की जानी चाहिये किन्तु संस्था द्वारा अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा का आवंटित वाहन पर कोई कटौती नहीं किया गया है। इस प्रकार दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक रू. 800.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह की कटौती न कर रू0 9600.00 की संस्था को हानि पहुंचायी गयी। अतः श्री विजय प्रकाश वर्मा अपर मुख्य अधिकारी से रू0 9600.00 की वसूली मय सूद की जानी अपेक्षित है।

   मूल आपत्ति सं0-04

2. **प्रस्तर-2** - शासन द्वारा निर्माण कार्यो में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु चतुर्थ रा0वि0 आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 एवं शासनादेश्र सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायी जायेगी तथा बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो में रू0 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप से अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित की जायेगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है, साथ ही उ0प्र0 शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सं-305(1)33-सेल/2019 दिनांक 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाये तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व

में किये गये अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपनकार्यों का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

संस्था द्वारा वताया गया कि जिला पंचायत की कार्ययोजना में अधिकांश कार्य 10 लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायत के बाहर कार्य कराये गये हैं तथा जिला पंचायत द्वारा अनुरक्षण नीति 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार केवल स्वंय द्वारा निर्मित एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित संपर्क मार्गो का अनुरक्षण किया जाता है। जवकि संलग्न सूची से स्पष्ट है कि दर्शित निर्माण कार्य न तो 02 ग्राम पंचायतो को जोडने वाले है और न ही अनुरक्षण कार्य से संवंधित है। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। इस प्रकार शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ निम्न विवरणानुसार दस लाख से कम लागत की रूपया-139.58 लाख की स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर निर्माण कार्य का सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित रहा। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता तथा अध्यक्ष महोदय उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य	कार्य की लागत
1	ग्राम रतनपुरा में टान्सफार्मर से गांव (इ0ला0मा0) होते हुये शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0रोड व क्रासिंग निर्माण	4.948
2	ग्राम इटहिया में सुनील पाल के बाढा से प्रेम नारायण के कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली नि0	9.133
3	ग्राम जगनेवा में डामर रोड से विन्ध्यवासिनी देवी सं0मा0 पर सी0सी0 रोड नि0	8.711
4	ग्राम गढर में जिला पंचायत की सी0सी0 रोड से वोहदपुरा माइनर (डामर रोड) तक खडंजा नि0	7.747
5	ग्राम अकाढी में सी0सी0मार्ग (पुलिया) से शिवराम के वाढा तक सी0सी0रोड नि0	9.617
6	ग्राम जैसारीकलां में प्रेम बाबा मन्दिर (इ0ला0मा0) से आंगनवाडी केन्द्र तक सी0सी0 रोड नि0	6.941

7	ग्राम इमिलिया में सी0सी0 मार्ग (हिम्मत राम कुशवाहा के मकान) से देवी जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड नि0	8.269
8	ग्राम अकाढी में सी0सी0मार्ग सी0सी0 मार्ग से खेरा पति मन्दिर तक सी0सी0 रोड नि0	3.928
9	ग्राम उसरगांव में सी0सी0 रोड से मरघट तक खरंजा निर्माण	2.574
10	ग्राम सुनाया में उमा शंकर राजपूत के मकान (सी0सी0मार्ग) से पुलिया तक सी0सी0 रोड व नाला नि0	8.661
11	ग्राम गोपालपुरा में इ0ला0 मा0 से काली देवी माता मन्दिर तक खंडंजा नि0	4.425
12	ग्राम कुरकुरू में टान्सफार्मर (इ0ला0मा0) से मज्जिद तक सी0सी0 व नाली नि0	7.228
13	ग्राम हिडोखरा में पुलिया से इ0ला0मा0 (वृजनाथ कुशवाहा के खेत) तक खंडंजा निर्माण	6.861
14	ग्राम नावर में काली देवी मन्दिर सं0मा0 में खडंजा निर्माण	6.515
15	ग्राम करमेर में उ0प्र0 स्वास्थ्य केन्द्र (इ0ला0मा0) से डामर रोड (गोरा महारानी) तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	4.467
16	ग्राम दौनापुर में मुशी जी के मकान से पण्डितपुर नतासी मार्ग तक सं0 मार्ग खडंजा निर्माण कार्य।	6.217
17	ग्राम उसरगांव में जूनियर हाईस्कूल से रेलवे लाईन तक सं0 मार्ग खडंजा निर्माण कार्य।	6.093
18	ग्राम भरारी में सामूदायिक मिलन केन्द्र से शंकर बाबू जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	5.952
19	ग्राम उसरगांव में श्रीराम के मकान के सामने से तलईया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	3.534
20	ग्राम बारा में मंगल प्रजापति के घर के सामने नाला से काशी प्रजापति के घर से सी0सी0 रोड तक नाला नि0कार्य।	9.008
21	ग्राम क्योलारी में जिला पंचायत नाले से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य (अवशेष भाग)	1.933

22	ग्राम खरूसा में पुलिया से मरघट तक खडंजा व पुलिया निर्माण कार्य।	6.618
	योग-	139.580

मूल आपत्ति सं0-05

3. **प्रस्तर-3** जिला पंचायत जालौन द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2ग(ख) के प्रावधानों के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन/मोबाइल टावर आदि को नियंत्रित/नियमित करने हेतु तैयार की गयी उपविधि के अनुसार (शासकीय गजट में प्रकाशन तिथि 14 जून 2014 से प्रभावी) टेलीफोन/मोबाइल टावर का लाइसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रू0 5000.00 निर्धारित किया गया तथा लाइसेन्स शुल्क 31 मार्च तक जमा न करने की दशा में विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने का प्राविधान किया गया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 47 टेलीफोन/मोबाइल टावर स्थापित हैं जिनसे उपविधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाइसेन्स शुल्क वसूल नहीं किया गया है जिससे संस्था को प्रतिवर्ष रू0 2.35 लाख की हानि हो रही है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-06

4. **प्रस्तर-4** उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2ग(ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नये कारखानों, दुकान, संग्रह केन्द्र एवं अन्य व्यवसाय आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु दुकानों से प्रतिवर्ष रू0 1000.00 प्रति दुकान की दर से लाइसेन्स शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। शुल्क 31 मार्च 2022 तक न जमा करने की स्थिति में विलम्ब शुल्क के साथ वसूलने का प्राविधान किया गया है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में आवकारी से संवंधित 228 देशी, विदेशी मदिरा एंव वियर की दुकानों के कोटा/लाइसेंस के सापेक्ष संस्था द्वारा मात्र 177 देशी, विदेशी मदिरा एवं वियर की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किये गये थे इस प्रकार संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों के गंभीर प्रयास न किये जाने के कारण शेष 51 दुकानों के लाइसेंस निर्गत न किये जाने के कारण रू0- 51000 रू0- की हानि हुयी है। संस्था द्वारा वताया गया कि वसूली हेतु अवशेष 51 दुकानों के न्यायालय में वाददायर किया गया है। किन्तु पुष्टि में ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त हानि हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा कर अधिकारी व सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-07

5. **प्रस्तर-5** वर्ष 2021-22 में मृत पशु शव निस्तारण मद में संस्था को रू0 160500.00 की आय हुई है किन्तु उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 682/13-13/33-3-14(2) 184 दिनांक 10.03.1987 एवं पत्र सं0

2203/33-3-97-4313/8-95 टी.सी. लखनऊ दि. 30.05.1997 तथा शासनादेश सं0 2987/1/33-2-2005-15 वी0 14/02 दि0 17.10.2002 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु 50 प्रतिशत अंश रू0 80250.00 का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त आय की ग्राम पंचायत वार सूची बनाकर के 50 प्रतिशत राशि सम्बन्धित ग्रामपंचायत को भुगतान किया जाना चाहिये जो नहीं किया जा रहा है। उक्त हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। जिनके प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-10

6. **प्रस्तर-6** जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उप धारा 2ग (ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पम्पों से रू0 5000 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क की वसूली की जानी चाहिये। जिला पूर्ति अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रो में 43 पेट्रोल पम्प कार्यरत हैं जिसमें से मात्र 3 की वसूली की गई है, शेष 40 पेट्रोल पम्पों से कोई वसूली नहीं की जा रही है जिससे संस्था को प्रति वर्ष में रू0 200000 की क्षति हुई है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा, कर अधिकारी, एवं सम्बन्धित फील्ड स्टाफ उत्तरदायी रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
मूल आपत्ति सं0-16

7. **प्रस्तर-7** शासनादेश सं0 5837/33-2-2017-122 जी0/17 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के प्रस्तर (1) के क्रमांक 8 के अनुसार कन्टीजेन्सी/लेवर सेस कर का निर्धारण आकलित लागत में जी0एस0टी0 जोड़ने के उपरान्त प्राप्त लागत पर किया जाना है जबकि संस्था द्वारा मात्र आंकलित मूल लागत पर 1 प्रतिशत लेवर सेस का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार लेवर सेस का कम निर्धारण कर ठेकेदार को लाभान्वित किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 में सी.जी. एस.टी./एस.जी.एस.टी. 2% की दर से ठेकेदारों से रू0 3197151.00 की कटौती करके चालान द्वारा सम्बन्धित विभाग को जमा किया गया है। इस प्रकार 12% जी.एस.टी. रू0 19182906/- होता है। जिसका 1% लेवर सेस रू0 191829.00 होता है, कि हानि की गई है। संस्था द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-2 के पत्र संख्या 20691/2022 /श्रम-2 दिनांक 12.04.2022 व पंचायतीराज अनुभाग-2 के दिनांक 01.08.2022 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उक्त शासनादेश में भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। जिसके अनुसार जी0एस0टी0 छोडकर 01 प्रतिशत लेवर सैस चार्ज किया जाना सन्दर्भित हो अतः रू0- 191829/- की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से करके जमा कराया जाये। उक्त हेतु अपर मुख्य अधि0 श्री विजय प्रकाश वर्मा वी.पी.डी. एवं एकाउण्टेन्ट उत्तरदायी रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-20

8. **प्रस्तर-8** आलोच्य वर्ष में संस्था के निजी स्रोतों से आय मद में बकाया धनराशि निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है जिसकी वसूली हेतु विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये। उक्त बकाया राशि रू0 656.13

लाख की वसूली न किये जाने के कारण संस्था को हुयी क्षति हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा, कर अधिकारी एवं सम्बन्धित फील्ड कर्मचारी उत्तरदायी रहे।

क्रं0	मद	गत वर्ष का वकाया सहित डिमाण्ड	वसूली	बकाया
1.	दुकान किराया	132.85	70.51	62.34
2.	नौकाघाट	5.97	0.63	5.34
3.	तहबाजारी	966.37	390.43	575.94
4.	खाल हड्डी	5.78	1.60	4.18
5.	कृषि योग्य भूमि	9.98	8.94	1.04
6.	विभव कर	18.78	11.49	7.29
	योग-	1139.73	483.60	656.13

मूल आपत्ति सं0-15

9. **प्रस्तर-9** जिला पंचायत द्वारा निमन विघालय भूमि व भवन से प्राप्त होने वाली आय का डिमाण्ड व वसूली की कार्यवाहीं वर्ष 2014-15 व 2015-16 से नहीं किया गया है। जिससे होने वाली हानि हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं पूर्व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार तथा संवंधित कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायीं रहे। अतः उक्त पर वैधानिक कार्यवाहीं करते हुये डिमाण्ड लगाकर वसूली की कार्यवाहीं किया जाना चाहिये।

क्र.	विघालय का नाम व स्थान	वर्ष का डिमाण्ड	बकाया वर्ष	बकायेदार का नाम
01	पुराना प्रा0पा0 महाराजपुरा उचांगांव।	3000.00	2014-15	श्री शिवराज पुत्र श्री रनधीर सिंह
02	कन्या पाठशाला अमखेडा	2940.00	2014-15	श्री राम शरण दिहौलिया पुत्र श्री राम शंकर दिहौलिया
03	प्रा0 पाठ0 ईंगुई पुराना भवन	4572.00	2016-17	श्री इस्तयाक अहमद पुत्र श्री इसरार अहमद
04	पुराना कन्या पा0 भदेख	1200.00	2015-16	श्री ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री दुलीचन्द मिश्रा
05	पुराना कन्या जू0 हा0 स्कूल शेखपुर	3372.00	2014-15	श्री बाबू सिंह पुत्र श्री रामवहादुर
06	पुराना प्रा0पा0 वोहदपुरा ।	3372.00	2016-17	श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री सरजू सिंह
07	पुराना प्रा0पा0 गढर ।	5928.00	2014-15	श्री राममूरत पुत्र श्री रामलोहरे
08	पुराना प्रा0पा0 राहियां ।	3300.00	2014-15	श्री लाल सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह
09	पुराना प्रा0पा0 दौन ।	2700.00	2014-15	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गंगा सिंह
10	पुराना प्रा0पा0 विलौंहा का भवन ।	3300.00	2014-15	श्री रजपत सिंह पुत्र श्री उदल सिंह
11	पुराना कांजी हाउस वंगरा	2700.00	2014-15	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सुमेर लाल

12	पुराना प्रा0पा0 लहर कनार	1200.00	2014-15	श्री शिव कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद
13	पुराना प्रा0पा0 नैनापुर का भवन	3360.00	2014-15	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री गिरजानन्दन
14	पुराना प्रा0पा0 कुठौन्दा का भवन	4200.00	2014-15	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री रमेशचन्द्र
15	पुराना का0पा0 मुसमरिया	3000.00	2014-15	श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री सन्तराम सिंह
16	पुराना प्रा0पा0 महेवा का भवन	1200.00	2014-15	श्री सियाराम सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह
17	पुराना का0प्रा0पा0 कुठौन्दा माघौगढ।	1260.00	2014-15	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सियाराम उदैनिया
18	पुराना प्रा0पा0 इटवां का भवन	3000.00	दिसम्बर 2015 तक जमा	श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
19	पुराना प्रा0पा0 विलौंहा	3000.00	दिसम्बर 2015 तक जमा	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री वनमाली न्यासपुरा।
	योग	56604.00		

मूल आपत्ति सं0-31

10. प्रस्तर-10 जिला पंचायत जालौन के स्वामित्व वाले पौण्ड/काजी हाउस में कर्मचारियों को तैनात करने के लिये शासनादेश सं0 07/2018/2851/33-2-2018-252 जी/17 दि0 02.08.2018 के अनुसार आउट सोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी जिसके सम्बन्ध में संस्था द्वारा न्यूनतम सर्विस चार्ज के आधार पर दयाल सिक्योरिटी सर्विस राजेन्द्र नगर, उरई से अनुबंध किया गया था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त अनुबन्ध 28.03.19 को किया गया है जिस पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर 23.05.2020 को किया गया है किन्तु अनुबंध कितने अवधि के लिये किया गया है, अंकित नहीं किया गया है। अनुबंध की अवधि अंकित न होने के बावजूद अद्यतन उसी फर्म से काम लिया जा रहा है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है क्योंकि कोई भी अनुबंध असीमित समय के लिये नहीं किया जा सकता है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं सम्मिलित अन्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। आलोच्य वर्ष 2021-22 में पोण्डो/कर्मचारियों के वेतन के रूप में रू0 23,47,550.00 तथा चारा-भूसा आदि का भुगतान रू0 16,99,140.00 कुल रू0 40,46,690.00 का किया गया है जो अनियमित रहे। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-35

11. प्रस्तर-11 शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी वाहन के प्रयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 315/दस-सं0वि0-मित0-2-97 लखनऊ दि0 19 मार्च 1997 के बिन्दु (अ) के 3 (क) के अनुसार मण्डलों एवं जिलो में नियुक्त अधिकारियों को अनुमन्य सरकारी वाहन यदि उनके

कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर ले जाये जाते हैं तो इस हेतु मण्डलायुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में शासनादेश सं0 जी-2-176/ दस-2011-601/2011 लखनऊ दि0 31 मार्च 2011 के बिन्दु 1 के ब(11) के अनुसार रेलमार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी की अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो। लॉग बुक के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 में अपर मुख्य अधिकारी महोदय द्वारा जिले से बाहर झांसी व लखनऊ की यात्रायें निम्न विवरण के अनुसार किया गया है किन्तु उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों का अनुपालन न करके सरकारी वाहन का दुरूपयोग कर संख्या की क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिये अपर मुख्अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा उत्तरदायी रहे।

यात्रा का विवरण

क्र0	दिनांक	कहां से	कहां तक	दूरी किमी0	टिप्पणी
1.	28.04.21	उरई	लखनऊ वापिसी	484 किमी0	आना एवं जाना की
2.	20.05.21	उरई	लखनऊ वापिसी	486 किमी0	सम्मिलित दूरी
3.	09.08.21	उरई	लखनऊ वापिसी	485 किमी0	
4.	06.09.21	उरई	झांसी/वापिसी	253 किमी0	
5.	28.09.21	उरई	लखनऊ वापिसी	440 किमी0	
6.	01.10.21	उरई	लखनऊ वापिसी	458 किमी0	
7.	31.10.21	उरई	लखनऊ वापिसी	460 किमी0	
8.	16.11.21	उरई	लखनऊ वापिसी	462 किमी0	
9.	18.11.21	उरई	झांसी/वापिसी	253 किमी0	
10.	29.11.21	उरई	लखनऊ वापिसी	445 किमी0	
11.	16.12.21	उरई	लखनऊ वापिसी	448 किमी0	
12.	25.12.21	उरई	झांसी वापिसी	253 किमी0	
13.	05.01.22	उरई	लखनऊ वापिसी	445 किमी0	
14.	18.01.22	उरई	झांसी वापिसी	258 किमी0	
15.	30.01.22	उरई	झांसी वापिसी	258 किमी0	
16.	14.03.22	उरई	लखनऊ वापिसी	444 किमी0	
17.	30.03.22	उरई	लखनऊ वापिसी	445 किमी0	
			योग	6777 किमी0	

इस प्रकार जिले से बाहर कुल 6777 किमी0 की यात्रायें की गयी हैं। तत्क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार रू0 10/- प्रति किलोमीटर की दर से रू0 67770.00 की वसूली मय शूद अपर मुख्य अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा से किया जाना चाहिये। प्रस्तुत लॉग बुक में आने व जाने का समय भी अंकित नहीं किया है तथा संस्था में भ्रमण रजि0 भी बना रके नहीं रखा गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः संस्था में भ्रमण रजि0 बना करके रखा जाना अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-36

12. प्रस्तर-12 अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1570/33-3-2021-38/2020 दि0 24.08.2021 के द्वारा एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगवाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के 9 विकासखण्डों में 7500 अदद स्ट्रीट लाईट लगाये जाने हेतु दि0 18.12.21 को त्रिलोक कंस्ट्रक्शन प्रो0 अखिल सिंह निवासी प्रतापगढ़ को न्यूनतम स्वीकृत निविदा के आधार पर रू0 3477.00 प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से रू0 26077500.00 का अनुबंध किया गया है। अनुबंध के अनुसार उक्त कार्य 45 दिवसों में पूर्ण किया जाना था किन्तु अद्यतन (जून 2023 तक) 51 ग्राम पंचायतों में 2435 अदद स्ट्रीट लाईट मूल्य रू0 8466495.00 की फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा फर्म से विलम्ब शुल्क भी नहीं वसूला गया है।

अतः फर्म से अर्थदण्ड 1 प्रतिशत रू0 84665.00 की वसूली कर कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में जमा जमानत राशि रू0 783450.00 को जब्त कर अन्य फर्म को ठेका दिया जाना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय प्रकाश वर्मा एवं लेखाकार लाल बहादुर यादव तथा कमलेश कुमार गुप्ता के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-37

जनपद-झांसी मण्डल का नाम: झांसी

<u>वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष..2021-22 जिला पंचायत से संबंधित आपतिया -</u>

प्रस्तर 1

सम्पत्ति एवं विभव कर की जिला पंचायत झाँसी की वर्ष 2021-22 की कुल बकाया की ब्लॉक बार स निम्न प्रकार है

क्र0 विकासखण्ड	गत वर्ष का शेष	चालू माँग	कुल मांग	वसूली	कुल अवशेष
1- बबीना	2557100	397600	2954700	134700	2820000
2- बडागाव	2150590	471300	2521890	321350	2300540
3- मोठ	1707854	299400	2007254	79900	1927354
4- चिरगोव	1947252	250450	2197702	51400	2146302
5- मऊरानीपुर	2682770	565050	3247820	299950	2947870

6- बंगरा	3125599	297290	3422869	117220	3305469
7- गुरसराय	1314001	195400	1509401	150570	1358831
8- बामौर	406330	90600	496930	57970	438960
योग -	**15891496**	**2567090**	**18456586**	**1213060**	**17245526**

इस प्रकार वर्ष 2021-22 तक कुल बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर का रू0 17245526-00 है। उक्त वसूली न होने के उत्तरदायी पटल प्रभारी श्री हरिओम, अपर मुख्य अधिकारी झाँसी एवं वसूली कर्मचारी हैं। वसूली के सार्थक प्रयास नहीं किये गये। इस ओर प्रबन्ध एवं उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। वसूली आपेक्षित हैं। शासनादेश संख्या 6735/33-3-97-213 जी /97 पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ दिनाँक 19 मार्च 1988 में जिला पंचायतों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। इसके अनुसार जिला पंचायतों में सम्पत्ति एवं विभव कर की उपविधियों बनाकर प्रभावी नहीं की गयी है, उनको अविलम्ब बनाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाये। वसूली में प्रगति लायी जाये। वसूली समयबद्ध तरीके से की जाये । विगत वर्षों में रु० 15891496-00 का अधिभार किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 का वसूली हेतु बकाया रु० 1354030-00 का अधिभार अपेछित है।

प्रस्तर 2

वर्ष 2021-22 की जिला पंचायत झांसी का लाइसेंस शुल्क विकास खंड बार रुपए 850268.00 अवशेष है। जिसकी वसूली की ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है जिसका उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री हरिओम अपर मुख्य अधिकारी झाँसी एवं वसूली कर्मचारी हैं। विवरण निम्न है

क्रम संख्या	विकास खण्ड	अवशेष धनराशि
1.	मऊरानीपुर	172098.00
2	बंगरा	165073.00
3.	वामौर	50480.00
4.	गुरसरॉय	153243.00
5.	बबीना	अभिलेख तैयार नहीं।
6.	बड़ागाँव	72007.00
7.	मौंठ	130198.00
8.	चिरगाँव	107169.00
	योग -	850268.00

प्रस्तर 3

जनपद झांसी के ग्रामीण क्षेत्रांन्तर्गत प्रा० पा०/जू० हा० से विवरण सम्बद्ध से कृषि योग्य भूमि की नीलामी वर्ष 2021 से जून

2024 तक के लिए निम्न विवरण अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को की गयो थी जिसकी अवशेष वसूली रू 211500-00 की ठेकेदारों से अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्र	**प्रा० पा०/जू० हा० से सम्बद्ध**	**ठेकेदार/बोली दाता का नाम व पता**	**अवशेष धनराशि**
		भूमि स्थल का विवरण	

1.	प्रा० पा० गौती	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह नि० ग्राम गौती जिला झाँसी	26500-
2-	प्रा०पा० शमशेरपुरा	श्री हरिकिशन पुत्र मेहरवान सिंह नि० शमशेरपुरा जि० औंसी	10000-
3.	प्रा० पा० मगरपुर	श्री रमाकांत पुत्र श्री नन्द किशोर नि० मगरपुर जि०	14000-
4-	प्रा० पा० अमरौख	कु० आनंद कुमारी पुत्री श्री हरदयाल सिंह नि० ग्राम व पोस्ट अमरौख	33000-
5-	प्रा० पा० घाटकोटरा	श्री संजय सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह ग्राम व पो० घाट कोटरा जि० झाँसी	17500-
6-	वावई वाग	श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री वृंदावन सिंह नि० ग्राम वावई जि० झाँसी	7500-
7-	प्रा०पा०/जू० हा० सकरार	श्री आनंद कुमार यादव पुत्र श्री परशुराम यादव. नि० दुबे का चौक, सकरार	70000-
8-	प्रा० पा० सरसेड़ा	श्री बलराम पटेल पुत्र श्री राम लाल नि० ग्राम व पो० सरसेड़ा जि० झाँसी	12000-
9-	डाक बंगला बदौरा	श्री आनंद कुमार पुत्र श्री राम सेवक ग्राम व पो० बदौरा जि० झाँसी	21000-
		योग	**211500-00**

इस वसूली का उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री देवेद्र धारिया अपर मुख्य अधिकारी झाँसी का है। उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 4

मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ठेके की धनराशि रू0 86650.00 वर्ष 2021-22 की अवशेष है। जिसकी वसूली विवरण अनुसार अपेक्षित है।

क्रम0	**विकास खण्ड**	**वर्ष**	**नाम व पता**	**अवशेष धनराशि**
1.	बंगरा	2021-22	श्री अतीक कुरैशी पुत्र श्री रफीक कुरैशी नि० बाहर ओरछा गेट झाँसी	86650-00
			योग	**86650-00**

उक्त वसूली का उत्तरदायित्व पटल प्रभारी श्री देवेद्र धारिया एवं अपर मुख्य अधिकारी झाँसी का है। वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रू आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 5

आलोच्य वर्ष 2021-22 में दुकान/भवन किराया की बकाया मद में वर्षान्त में अवशेष बकाया रू० 3074247.00 था। रू0 3074247.00 की वसूली अपेक्षित है। समय से वसूली न होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है लेखा परीक्षा में पाया गया कि वसूली हेतु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे है वसूली न करने हेतु पटल प्रभारी श्री देवेन्द्र धारिया अपर मुख्य अधिकारी झाँसीएवं वसूली कर्मचारी उत्तरदायी है। अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 6

शासन द्वारा निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतो को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1639/33-03-2015-03/2015 दि० 19-06-2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 दि० 31-07-2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गये है। किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 दि० 31-07-2015 के बिंदु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी तथा बिंदु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा की आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु० 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाये ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मलित की जाएगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है. साथ ही उ० प्र० शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सं०- 305 (1) 33 सेल/2019 दि० 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदाई संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त

करने के उपरांत ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाये तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में में किये गये अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपन कार्य का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया गया है जो गंभीर आपत्ति का विषय है।

संस्था द्वारा बताया गया की जिला पंचायत की कार्य योजना में अधिकांश कार्य 10 लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायत के बाहर कराये गये है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। अतः शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रु० 12282774-00 की स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर कार्य का संम्पादन कराया गया है। जो अनियमित रहा है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार वर्मा एवं वित्त परामर्शदाता श्री सचिन दीक्षित उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रम0	**कार्य का नाम व स्थान राज्य वित्त आयोजक योजनान्तर्गत**	**व्यय**
1-	ग्राम भिटौरा में बम्होरी रोड से पुरानी सी० सी० करन दादा के मकान तक रोड का निर्माण कार्य	277000.00
2-	ग्राम ढिकौली मनीष चौबे की आटा चक्की के आगे से माता मंदिर तक सी० सी० रोड निर्माण	672850.00
3-	ग्राम मिटौरा में नाली निर्माण कार्य।	657000.00
4-	ग्राम उल्दन में शमशान घाट का निर्माण कार्य	624874.00
5-	ग्राम पंचयात पिरोना में शमशान घाट पर सी० सी० शैड का निर्माण कार्य	754980.00
6-	ग्राम पंचयात धमना खुर्द महेवा धमना रोड से गरारी पुल के पास हरिजन बस्ती तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य	657672.00
7-	ग्राम मथुरा पुरा में शमशान घाट आर० सी० सी० शैड का निर्माण कार्य	675925.00
8-	ग्राम अंगधरी में शमशान घाट आर० सी० सी० का निर्माण कार्य	657000.00
9-	ग्राम विराटा में कबूतरा डेरा से फतेहपुर खेरा की ओर सी० सी० रोड निर्माण कार्य	765422.00
10-	ग्राम पंचायत अमगुवा में शमशान घाट पर सी सी रोड का निर्माण कार्य	447600.00
11-	चिरगाव के ग्राम बंगरी में मंसाराम कुशवाहा के खेत से चददर धार की ओर नाला निर्माण	589266.00
12-	विकास खण्ड बामौर के ग्राम नैकेरा से लमेरा की ओर सी० सी० रोड का निर्माण कार्य	940550,00
13-	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचयात पिपरा में नहर की पुलिया से डिमरौरा मुहल्ला तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य	911505.00
14-	ग्राम कुम्हारिया में सुरेशचन्द्र गौर की कोठी से वृशुंगपुरा की ओर सी० सी० रोड का निर्माण कार्य	862160.00
15-	ग्राम बबीना में कशोधन से वमेर तक सामान्य मरम्मत का कार्य	547543.00
16-	ग्राम पंचयात अमखेरा में शमशान घाट पर आर० सी० सी० शैड निर्माण कार्य	709188.00
17-	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचयात मिरौना में माइनर से शमशान घाट होते हुए आदिवासी वस्ती तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य	813239.00
18-	ग्राम सेसा में शमशान घाट पर आर० सी० सी० निर्माण कार्य	719000.00
	योग -	**12282774.00**

प्रस्तर 7 ग्राम रसीना में वीर सिंह यादव के मकान का बेड़ा होते हुए कल्लीर नाले तक का डामरीकरण कार्य कराया गया है। हिन्दुस्तान कोलास प्रा० लि० करारी झाँसी से इमलशन की खरीद रु0 138164.00 की हुई है। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन आयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब रही। निर्माण पत्रावली में मूल इनवाइस नहीं लगी है रु0 138164.00 का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व अवर अभियंता श्री गोविन्द कोटार्य अपर

मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8 ग्राम सरेसा पुरानी रोड से वावई संपर्क मार्ग का शून्य से लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य कराया गया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से बिटुमिन रु० 79010.64 एवं हिन्दुस्तान कोलास प्रा० लि० करारी झाँसी से सइमलशन की खरीद रु० 379540.60 की हुई है। शासनादेश संख्या 1408/23-03-09-02 (जनरल) 08 मई 2000 के प्राविधानो के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा आपूर्ति मूल इनवाइस इण्डियन आयल रिफाइनरी की होनी आवश्यक है। सड़क की गुणवत्ता खराब रही। निर्माण पत्रावली में मूल इनवाइस नहीं लगी हैअतः रु० 458551.24 का दुर्विनियोग है। इसका उत्तरदायित्व अवर अभियंता श्री गोविन्द कोटार्य, अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद - ललितपुर मण्डल -झांसी

प्रारूप- 2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

जनपद का नाम- ललितपुर **मण्डल का नाम- झाँसी**

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपित्तयाँ-

जिला पंचायत ललितपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी है जिनकी जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 1

1) आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा निर्माण कार्यों में डुप्लेरेसी को रोकने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में शासनादेश सं. 1639/33-03-2015--03/2015 दिनांक 15.06.2015 एवं शासनादेश सं०- 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश सं०- 1838/33-03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों में से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों से सम्पदित कराया जायेगा, तथा बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की जायेगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है, इस संबंध में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियॉ पायी गयी-

I. संस्था द्वारा उपरोक्त वर्णित दानों शासनादेशों का उल्लंघन कर अधिकांश निर्माण कार्य 10 लाख से नीचे के कराये गये हैं, संस्था द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत की कार्य योजना में अधिकांश कार्य 10

लाख से ऊपर एवं ग्राम पंचायत से बाहर कराये गये हैं, लेखा परीक्षा की दृष्टि से उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है।

II. आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्दर मंदिरों पर टीन शेड़ निर्माण कार्य अधिकांश रूप से कराये गये हैं इसके संबंध में अंतरिम आपत्ति निर्गत कर संस्था से जानना चाहा कि किस आदेश/शासनादेश के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य कराये गये हैं इस संबंध में संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

III. आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा उक्त शासनादेशों की अवहेलना कर एवं शासन के बिना किसी विशेष आदेश/शासनादेश के 5.97 (लाख) के कार्य मंदिरों पर टीन शेड़ निर्माण के कराये गये जो कि अधिकांशत 10 लाख से नीचे के निर्माण कार्य रहे जबकि प्रदेश के अन्य जिला पंचायतों से ऐसे कार्य नहीं कराये गये हैं।

IV. शासन के मूल नियम ' निर्माण कार्यों में मितव्ययिता के सिद्धांत' का स्पष्ट उल्लंघन उक्त निर्माण कार्यों को किया गया है।

इस प्रकार संस्था द्वारा बिना किसी स्पष्ट आदेश/शासनादेश के एवं उपरोक्त वर्णित शासनादेशों की अवहेलना करते हुये 5.97 (लाख) के कार्य जो कि अधिकांशत: 10 लाख के नीचे के थे, को कराया गया है जो कि अनिमित रहा है। साथ ही उपरोक्त कार्य को परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज किया गया है अथवा नहीं इसकी पुष्टि भी लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी है।

अत: शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रूपया 59740007.00 की स्वीकृति कार्ययोजना के आधार पर कार्य का संम्पादन कराया गया है जो कि अनियमित रहा है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष सिंह, श्री राजकुमार नायक, श्री मणिन्द्र सिंह एवं श्री अर्जुन सिंह एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री विष्णुकान्त द्विवेदी एवं श्री सौरभ सिंह उत्तरदायी रहे। उक्त के संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	व्यय की गयी धनराशि
1	ग्राम कुआंघोषी में देवी जी के मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849039.00
2	ग्राम करौंदा में कारसदेव मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	848782.00
3	ग्राम पचौड़ा में देहरे बाबा पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849381.00
4	ग्राम मिदरवाहा में हरदौल बाबा पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849552.00
5	ग्राम कुरौरा में दुर्गाजी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849552.00
6	ग्राम गुन्दरापुर में आमवाली माता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	850408.00
7	ग्राम नैनवारा में माता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	850921.00
8	ग्राम रजावन में खैरापति हुनमान मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	850665.00
9	ग्राम आलापुर में माता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849810.00
10	ग्राम अंधेर में कारसदेव मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	850237.00
11	ग्राम पंचा. बख्तर के मजरा बड़ोरा में मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	849296.00
12	ग्राम पंचा. नंदनवारा में हनुमान मंदिर के पास टीनशेड निर्माण कार्य	849125.00

13	ग्राम पाह में देवी जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	851264.00
14	ग्राम लड़वारी में तिगैला सरकार मंदिर में टीनशेड़ निर्माण कार्य	851264.00
15	ग्राम भावनी में दुर्गामाता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	851777.00
16	ग्राम बार के टूडासर में रविदास मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	850237.00
17	ग्राम दशरारा में हनुमान मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	850408.00
18	ग्राम करमई में हनुमान मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	849895.00
19	ग्राम खैराडांग में खैरीघाट मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
20	ग्राम बिरधा में रामराजा मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854685.00
21	ग्राम खांदी के मजरा पटारन में राधाकृष्ण मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
22	ग्राम बिजरौठा के डांग के हनुमान मंदिर में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854595.00
23	ग्राम पं. जखौरा में घटौरिया मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854515.00
24	ग्राम लागौन में देहरे बाबा के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854685.00
25	ग्राम बसवा के राज जानकी मंदिर पर टीनशेड़ निमा्रण कार्य	854771.00
26	ग्राम पंचा. लखनपुरा में कारसदेव मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854429.00
27	ग्राम पंचा. मिर्चवारा में मंदिर के पीछे टीनशेडद्य निर्माण कार्य	854771.00
28	ग्राम बानपुर में देवी जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854429.00
29	ग्राम डगराना में नई वस्ती मुहल्ला में शंकर जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854514.00
30	ग्राम कैलगुवां में हनुमान जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854600.00
31	ग्राम पंचा. वस्तगुवां में बड़ीमाता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
32	ग्राम बार में नृसिंह मंदिर में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854514.00
33	ग्राम बानपुर में रामलीला मंच पर अजयपार मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854685.00
34	ग्राम बछलापुर में सिंह बाबा मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
35	ग्राम उत्तमधाना में मैनरोड़ पर रल्ली के मकान के सामने टीनशेड़ निर्माण कार्य	854514.00
36	ग्राम ऐरा में हनुमान मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854600.00
37	ग्राम जाखलौन में अखाड़ा मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854942.00
38	ग्राम पिपरिया पाली में बजरंगबली मंदिर पर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	845514.00
39	ग्राम बिरधा में दुर्गाजी मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854857.00
40	ग्राम मिर्चवारा में हनुमान जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
41	ग्राम डोंगराकला में देवनरायाण मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854599.00
42	ग्राम धौर्रा में लक्कडदास मंदिर भारौन रोड़ पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854428.00
43	ग्राम कल्याणपुरा में अहिरवार वस्ती में वरवासन माता मंदिर पर टीनशेड़ नि. कार्य	855000.00
44	ग्राम सतरवास में श्री 1008 हनुमान गढ़ी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854514.00

45	ग्राम खजुरिया में प्राचीन दुर्जा जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
46	ग्राम जामुनधाना खुर्द के मजरा सरउवा में माता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854600.00
47	ग्राम अनौरा में सिंह बाबा मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
48	ग्राम पटसेमरा में हनुमान मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
49	ग्राम सिंगेपुर में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
50	ग्राम कलोथरा में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
51	ग्राम चढ़रऊ में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
52	ग्राम खितवांस में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854857.00
53	ग्राम पिपरिया में डोंगरादेवी जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854685.00
54	ग्राम मैंगुवां में गढ़ीमाता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
55	ग्राम भैरा में हनुमान जी मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
56	ग्राम सिलावन में गुरैया बब्बा के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
57	ग्राम सिंदवाहा में गंगाराम मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
58	ग्राम सिंदवाहा में सिट्टन मंदि के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854686.00
59	ग्राम कुम्हैड़ी में कांजीहाउस के पास टीनशेड निर्माण कार्य	854514.00
60	ग्राम नाराहट में कुरयाना मुहल्ला में माता मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
61	ग्राम खुटगुवां मं हनुमान मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854343.00
62	ग्राम रमगढ़ा के मजरा मांदेलेखेरा शिव मंदिर के सामने टीनशेड़ निर्माण कार्य	854172.00
63	ग्राम जैतपुरा में टीनशेड़ निर्माण कार्य	854172.00
64	ग्राम पंचा० मदनपुर में हनुमान मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854086.00
65	ग्राम पचां० झरावटा में बराह बाबा के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854258.00
66	ग्राम पंचा० गुढ़ा मड़ावरा के खिरिया उबारी में कारसदेव बाबा के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854771.00
67	ग्राम पंचा० गुरयाना के देवरी में आंगनवाडी रोड़ के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854343.00
68	ग्राम तालगांव में मंदिर पर टीनशेड़ निर्माण कार्य	854087.00
69	ग्राम बमराना (मड़ावरा) मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	854172.00
70	ग्राम धौलपुरा में बुनकर बस्ती में शंकर जी मंदिर के पास टीनशेड़ निर्माण कार्य	853916.00
	योग	59740007.00

प्रस्तर- 02 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से सेस टैक्स की कटौती निर्धारित निकमों के अनुसार 1% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है, जिससे संस्था को राजस्व की क्षति हुई है अत: सेस टैक्स 1% से कम की वसूली की धनराशि को ठेकेदारों से वसूल किया जाना चाहिये, राजस्व की निर्धारित दर से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी गण एवं वित्तीय सलाहकार श्री विष्णुकान्त एवं सौरभ सिंह एवं लेखाकार श्री हीरालाल यादव जिम्मेदार हैं। मु0 53104.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	बिल की धनराशि	काटी गयी सेस की धनराशि	1% सेस की धनराशि ले.प.के अनुसार	कम काटा गया अंतर
1	ग्राम रजवारा में खुशी के मकान से कन्हेदी के मकान की ओर सी.सी. रोड़ नि०	मे० सक्षम बिल्डर्स	995803	8891	9958	1067
2	ग्राम सिमरधामें सी.सी. रोड़ से पठला गॉव की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा. कार्य	श्री संदीप सिंह	787997	7036	7880	844
3	ग्राम पाह में गोलू राजा के मकान से भक्ति नाई के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैध	496838	4436	4968	532
4	ग्राम सारसेड़ खिरक में पप्पू (विन्द्रावन) के मकान से लाल सिंह के मकान की ओर नाली निर्माण कार्य	मे० राठैर बिल्डर्स	996070	8893	9960	1067
5	ग्राम पंचायत ऊमरी में कारसदेव के चबूतरा से पानी की टंकी की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैध	996034	8894	9960	1066
6	ग्राम बड़वार में बस्ती से दुर्गा माता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री प्रमोद रजक	525129	4689	5251	532
7	ग्राम गौना में मैनरोड़ से रामनारायण सिंह के मकान की ओर नाली नि० कार्य	मे० हर्ष ट्रेडर्स	512178	4573	5122	549
8	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के मकान से सड़क के दोनो पटरी किनारे पर पेबर ब्रिक्स बिछाने का कार्य	श्री आदित्य वैध	897041	8009	8970	961
9	ग्राम बम्हौरी में मैनरोड़ से कन्छेदी लोधी के खेत की ओर सी.सी. रोड़ नि०	श्री खिलावन सिंह	716976	6402	7170	768
10	ग्राम पं. सूरीखुर्द में देवीजी मंदिर से सूरीखुर्द गांव की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा पाठक	765842	6838	7658	820

11	ग्राम सौजना में मोहर सिंह के घर से ऑक की पुलिया तक नाली नि० कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	406789	3632	4068	436
12	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के घर से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैध	995243	8886	9952	1066
13	ग्राम पं. बिजरौठा में ब्रजेन्द्र के घर से रामचरन के घर की ओर नाली नि० कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	649592	5800	6496	696
14	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के खेत तक सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	श्री प्रमोद रजक	651286	5815	6513	698
15	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री राज कंस्ट्रक्शन	687338	6137	6873	736
16	ग्राम अंधियारी में रमसारे के घर से जिला पंचायत की नाली की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कोशिक	199034	1777	1990	213
17	ग्राम पंचा. डगराना में नहर से वंशकार मुहल्ला होते हुये डामर रोड की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा प्रसाद पाठक	454429	4057	4544	487
18	ग्राम सैदपुर में खंचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	श्री प्रमोद रजक	850992	7598	8510	912
19	ग्राम पं. देवरॉन में मैनरोड़ से गोपाल की दुकान की ओर नाली नि कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728264	6502	7283	781
20	ग्राम पं. मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	श्री प्रमोद रजक	499265	4458	4993	535
21	ग्राम बांसी में फूल सिंह यादव के प्लाट से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कौशिक	291981	2607	2920	313
22	ग्राम जखौरा में खडैर नदी पर घाट का निर्माण	श्री सुरेश कौशिक	995153	8885	9952	1067
23	ग्राम बम्हौरीकला में गजेन्द्र राजपूत के घर से आगे की ओर नाली निर्माण कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	736112	6573	7361	788
24	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंदिर के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	539953	4821	5400	579
25	ग्राम वैरवारा में वासुदेव मुहल्ला से पाल मुहल्ला की ओर सी.सी. रोड नि०	श्री देवी प्रसाद शर्मा	995059	8884	9951	1067
26	ग्राम बम्हौरी बहादुर सिंह में मैनरोड़ से स्कूल तक नाली निर्माण कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	988390	8825	9884	1059

27	ग्राम पारौन में ताहिर के घर से पुलिया की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	760027	6786	7600	814
28	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में रोड़ किनारे नाले की ओर नाली का नि. कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728988	6509	7290	781
29	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में मैनरोड़ से पप्पू पाल के घर की ओर सी.सी. रोड़ निमा० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	761353	6798	7614	816
30	ग्राम पं० टोडी में बड़ी नहर से रामकिशोर के खेत की ओर नाली निमार्ण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	851256	7601	8513	912
31	ग्राम बिरधा में लखन सिंह राजपूत के घर से गॉव की बाहर की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	740833	6615	7408	793
32	ग्राम कडेसरा के मजरा कतरयाना में चंदन सिंह के घर से तालाब की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	729553	6514	7296	782
33	ग्राम वस्तगुंवा में रमेशसाहू के घर से नाले की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728300	6503	7283	780
34	ग्राम सिंदवाहा में इंद्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	350538	3130	3505	375
35	ग्राम भैलवारा में जिला पंचायत की पूर्व निर्मित सड़क से मैनरोड़ की ओर संपर्क मार्ग नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	994019	8875	9940	1065
36	ग्राम सिंदवाहा में रामप्रसाद रजक के घर से कल्लू रावत के घर की ओर नाली नि० कार्य	अजय पटैरिया	367029	3277	3670	393
37	ग्राम किसलवांस में शिवचरन के घर से बाबूलाल के घर तक एवं मथुराबाई के घर से धर्मेन्द्र लोधी के घर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	मे० राज कंस्ट्रक्शन	715913	6392	7159	767
38	ग्राम कारीटोरन में मैनरोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	प्रमोद रजक	572270	5110	5723	613
39	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ता से थाने की ओर नाली नि० कार्य	खिलावन सिंह	640983	5723	6410	687
40	ग्राम पं० बानपुर में विज्जन सोनी के खेत से महरौनी सड़क तक सी.सी. रोड़ नि कार्य	आदित्य वैध	697313	6226	6973	747

41	ग्राम वैरवारा में कल्यान के घर से कुआंताल रोड़ की ओर नाली नि० कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	725396	6477	7254	777
42	जिला पंचायत क्षेत्र बानपुर में महाराजा श्री मर्दन सिंह जी की प्रतिमा एवं स्टील रोलिंग आदि निर्माण कार्य	के०जी०एन कंस्ट्रक्शन	995341	8887	9953	1066
43	ग्राम पं. रजावन के मजरा पटपुरा में नाली निर्माण कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	651546	5817	6515	698
44	ग्राम कुंआघोषी में मड़वारा रोड़ से हाईस्कूल की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	देवी प्रसाद शर्मा	995759	8891	9958	1067
45	ग्राम टौरिया में रेलवे क्रांसिंग के आगे अहिरवार मुहल्ला में रोड़ किनारे नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	369988	3304	3700	396
46	ग्राम टौरिया में चिकलउवा रोड पर मुन्ना मेट के घर से खिल्लू अहिरवार के घर की ओर नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	740336	6610	7403	793
47	ग्राम सक्त में मनोहर के घर से गब्बर के घर की ओर सी.सी. रोड. निर्माण	आदित्य बैध	247766	2212	2478	266
48	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नाली नि० कार्य	विजय सेंगर	789747	7052	7897	845
49	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	575091	0	5751	5751
50	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	426331	3807	4263	456
51	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	453989	4053	4540	487
52	ग्राम नत्थी खेड़ा के मजरा आजादपुरा में बाल किशन के घर से कैलाश के घर की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा०	मे० राठौर बिल्डर्स	695633	6211	6956	745
53	ग्राम सिंदवाहा में उद्दू अहिरवार के घर से सहारिया धर्मशाला तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	747364	6673	7474	801
54	ग्राम लखनपुरा में लिंक रोड से बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	प्रमोद रजक	779305	6958	7793	835

55	ग्राम रमेशरा में गांव बाहर से मुख्य मार्ग रिपटा की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	में० साहू कंस्ट्रक्शन	733306	6547	7333	786
56	ग्राम जखौरा में डारवाले रोड़ पर रोशन अहिरवार के घर से कुलदीप राजपूत के घर की सी.सी. रोड नि०	मे० सिंघई कंस्ट्रक्शन	931991	8321	9320	999
57	ग्राम पाह में धन्नू अहिरवार के घर से सिलान पाल के घर की ओर नाली निर्माण	आदिन्य वैध	497417	4442	4974	532
58	ग्राम कल्याणपुरा में शेर सिंह के घर से सहारिया बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ नि०	दुर्गा प्रसाद पाठक	892364	7968	8924	956
59	ग्राम बडवार में बस्ती से दुर्गामाता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	प्रमोद रजक	316848	2829	3168	339
60	ग्राम गौना में मैन रोड से रामनारायण के मकान की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	हर्ष ट्रेडर्स	209434	1870	2094	224
61	ग्राम पं. विजरौठा में ब्रजेन्द्र सिंह के घर से रामचरन के घर की ओर नाली निर्माण	में० साई कंस्ट्रक्शन	345358	3084	3454	370
62	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के घर की ओर सी.सी. रोड़	प्रमोद रजक	343674	3069	3437	368
63	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु बरार के घर की ओर नाली नि०	में० राज कंस्ट्रक्शन	306483	2736	3065	329
64	ग्राम सैदपुर में खचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	प्रमोद रजक	660294	5896	6603	707
65	ग्राम मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	प्रमोद रजक	495082	4420	4951	531
66	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंरिद के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	450441	4022	4504	482
67	ग्राम सिंदवाहा में इन्द्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	313669	2801	3137	336
68	ग्राम कारीटोरन में मैन रोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निमा०	प्रमोद रजक	423578	3782	4236	454
69	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ते से थाने की ओर नाली नि०	खिलावन सिंह	352176	3144	3522	378
70	ग्राम रजावन के मजरा पटपुरा में नाली नि0 कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	341309	3047	3413	366

योग	**53104.00**

प्रस्तर- 03 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदारी को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से आयकर की कटौती निर्धारित नियमों के अनुसार 2% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है, जिससे संस्था को राजस्व की क्षति हुई है अत: आयकर की 2% से कम की वसूली की धनराशि को ठेकेदारों से वसूल किया जाना चहिए राजस्व की निर्धारित दस से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना हैं। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण एवं वित्तीय सलाहकार श्री विष्णुकांत एवं श्री सौरभ सिंह एवं लेखाकार की हीरालाल यादव जिम्मेदार हैं। मु0 106263.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**ठेकेदार का नाम**	**बिल की धनराशि**	**काटी गयी आयकर की धनराशि**	**2% आयकर धनराशि ले.प. के अनुसार**	**कम काटा गया अंतर**
1	ग्राम रजवारा में खुशी के मकान से कन्हेदी के मकान की ओर सी.सी. रोड़ नि०	मे० सक्षम बिल्डर्स	995803	17782	19916	2134
2	ग्राम सिमरधामें सी.सी. रोड़ से पठला गॉव की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा. कार्य	श्री संदीप सिंह	787997	14072	15760	1688
3	ग्राम पाह में गोलू राजा के मकान से थक्ति नाई के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैश्व	496838	8872	9936	1064
4	ग्राम सारसेड़ खिरक में पप्पू (विन्द्रावन) के मकान से लाल सिंह के मकान की ओर नाली निर्माण कार्य	मे० राठैर बिल्डर्स	996070	17787	19920	2133
5	ग्राम पंचायत ऊमरी में कारसदेव के चबूतरा से पानी की टंकी की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैश्व	996034	17787	19921	2134
6	ग्राम बड़वार में बस्ती से दुर्गा माता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री प्रमोद रजक	525129	9377	10503	1125
7	ग्राम गौना में मैनरोड़ से रामनारायण सिंह के मकान की ओर नाली नि० कार्य	मे० हर्ष ट्रेडर्स	512178	9146	10244	1098

8	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के मकान से सड़क के दोनो पटरी किनारे पर पेबर ब्रिक्स बिछाने का कार्य	श्री आदित्य वैध	897041	16020	17941	1921
9	ग्राम बम्हौरी में मैनरोड़ से कन्हैड़ी लोधी के खेत की ओर सी.सी. रोड़ नि०	श्री खिलावन सिंह	716976	12803	14340	1537
10	ग्राम पं. सूरीखुर्द में देवीजी मंदिर से सूरीखुर्द गांव की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा पाठक	765842	13676	15317	1641
11	ग्राम सौजना में मोहर सिंह के घर से ऑक की पुलिया तक नाली नि० कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	406789	7264	8136	872
12	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के घर से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैध	995243	17773	19905	2132
13	ग्राम पं. बिजरौठा में ब्रजेन्द्र के घर से रामचरन के घर की ओर नाली नि० कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	649592	11600	12992	1392
14	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के खेत तक सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	श्री प्रमोद रजक	651286	11630	13026	1396
15	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री राज कंस्ट्रक्शन	687338	12274	13747	1473
16	ग्राम अंधियारी में रमसारे के घर से जिला पंचायत की नाली की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कोशिक	199034	3554	3981	427
17	ग्राम पंचा. डगराना में नहर से वंशकार मुहल्ला होते हुये डामर रोड की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा प्रसाद पाठक	454429	8116	9089	973
18	ग्राम सैदपुर में खंचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	श्री प्रमोद रजक	850992	15196	17020	1824
19	ग्राम पं. देवरॉन में मैनरोड़ से गोपाल की दुकान की ओर नाली नि कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728264	13006	14565	1559
20	ग्राम पं. मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	श्री प्रमोद रजक	499265	8915	9985	1070
21	ग्राम बांसी में फूल सिंह यादव के प्लाट से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कौशिक	291981	5214	5840	626

22	ग्राम जखौरा में खडैर नदी पर घाट का निर्माण	श्री सुरेश कौशिक	995153	17772	19903	2131
23	ग्राम बम्हौरीकला में गजेन्द्र राजपूत के घर से आगे की ओर नाली निर्माण कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	736112	13145	14722	1577
24	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंदिर के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	539953	9642	10799	1157
25	ग्राम वैरवारा में वासुदेव मुहल्ला से पाल मुहल्ला की ओर सी.सी. रोड नि०	श्री देवी प्रसाद शर्मा	995059	17769	19901	2132
26	ग्राम बम्हौरी बहादुर सिंह में मैनरोड़ से स्कूल तक नाली निर्माण कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	988390	17650	19768	2118
27	ग्राम पारौन में ताहिर के घर से पुलिया की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	760027	13572	15201	1629
28	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में रोड़ किनारे नाले की ओर नाली का नि. कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728988	13018	14580	1562
29	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में मैनरोड़ से पप्पू पाल के घर की ओर सी.सी. रोड़ निमा० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	761353	13596	15227	1631
30	ग्राम पं० टोडी में बड़ी नहर से रामकिशोर के खेत की ओर नाली निमार्ण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	851256	15202	17025	1823
31	ग्राम बिरधा में लखन सिंह राजपूत के घर से गॉव की बाहर की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	740833	13229	14817	1588
32	ग्राम कडेसरा के मजरा कतरयाना में चंदन सिंह के घर से तालाब की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	729553	13028	14591	1563
33	ग्राम वस्तगुंवा में रमेशसाद के घर से नाले की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728300	13006	14566	1560
34	ग्राम सिंदवाहा में इंद्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	350538	6260	7011	751

35	ग्राम भैलवारा में जिला पंचायत की पूर्व निर्मित सड़क से मैनरोड़ की ओर संपर्क मार्ग नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	994019	17750	19880	2130
36	ग्राम सिंदवाहा में रामप्रसाद रजक के घर से कल्लू रावत के घर की ओर नाली नि० कार्य	अजय पटैरिया	367029	6554	7340	786
37	ग्राम किसलवांस में शिवचरन के घर से बाबूलाल के घर तक एवं मथुराबाई के घर से धर्मेन्द्र लोधी के घर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	मे० राज कंस्ट्रक्शन	715913	12784	14318	1534
38	ग्राम कारीटोरन में मैनरोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	प्रमोद रजक	572270	10219	11445	1226
39	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ता से थाने की ओर नाली नि० कार्य	खिलावन सिंह	640983	11446	12820	1374
40	ग्राम पं० बानपुर में विज्जन सोनी के खेत से महरौनी सड़क तक सी.सी. रोड़ नि कार्य	आदित्य वैध	697313	12452	13946	1494
41	ग्राम वैरवारा में कल्यान के घर से कुआंताल रोड़ की ओर नाली नि० कार्य	मैं० साई कंस्ट्रक्शन	725396	12954	14508	1554
42	जिला पंचायत क्षेत्र बानपुर में महाराजा श्री मर्दन सिंह जी की प्रतिमा एवं स्टील रोलिंग आदि निर्माण कार्य	के०जी०एन कंस्ट्रक्शन	995341	17774	19907	2133
43	ग्राम पं. रजावन के मजरा पटपुरा में नाली निर्माण कार्य	मैं० साई कंस्ट्रक्शन	651546	11635	13031	1396
44	ग्राम कुंआघोषी में मड़वारा रोड़ से हाईस्कूल की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	देवी प्रसाद शर्मा	995759	17781	19915	2134
45	ग्राम टौरिया में रेलवे क्रांसिंग के आगे अहिरवार मुहल्ला में रोड़ किनारे नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	369988	6607	7400	793
46	ग्राम टौरिया में चिकलउवा रोड पर मुन्ना मेट के घर से खिल्लू अहिरवार के घर की ओर नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	740336	13220	14807	1587

47	ग्राम सक्त में मनोहर के घर से गब्बर के घर की ओर सी.सी. रोड. निर्माण	आदित्य बैध	247766	4424	4955	531
48	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नाली नि० कार्य	विजय सेंगर	789747	14103	15795	1692
49	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	575091	0	11502	11502
50	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	426331	7614	8527	913
51	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	453989	8107	9080	973
52	ग्राम नत्थी खेड़ा के मजरा आजादपुरा में बाल किशन के घर से कैलाश के घर की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा०	मे० राठौर बिल्डर्स	695633	12422	13913	1491
53	ग्राम सिंदवाहा में उद्दू अहिरवार के घर से सहारिया धर्मशाला तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	747364	13346	14947	1601
54	ग्राम लखनपुरा में लिंक रोड से बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	प्रमोद रजक	779305	13916	15586	1670
55	ग्राम रमेशरा में गांव बाहर से मुख्य मार्ग रिपटा की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	में० साहू कंस्ट्रक्शन	733306	13095	14666	1571
56	ग्राम जखौरा में डारवाले रोड़ पर रोशन अहिरवार के घर से कुलदीप राजपूत के घर की सी.सी. रोड नि०	मे० सिंघई कंस्ट्रक्शन	931991	16644	18640	1996
57	ग्राम पाह में धन्नू अहिरवार के घर से सिलान पाल के घर की ओर नाली निर्माण	आदिन्य वैध	497417	8883	9948	1065
58	ग्राम कल्याणपुरा में शेर सिंह के घर से सहारिया बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ नि०	दुर्गा प्रसाद पाठक	892364	15935	17847	1912
59	ग्राम बडवार में बस्ती से दुर्गामाता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	प्रमोद रजक	316848	5658	6337	679
60	ग्राम गौना में मैन रोड से रामनारायण के मकान की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	हर्ष ट्रेडर्स	209434	3740	4189	449

61	ग्राम पं. विजरौठा में ब्रजेन्द्र सिंह के घर से रामचरन के घर की ओर नाली निर्माण	में० साई कंस्ट्रक्शन	345358	6167	6907	740
62	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के घर की ओर सी.सी. रोड़	प्रमोद रजक	343674	6137	6873	736
63	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु बरार के घर की ओर नाली नि०	में० राज कंस्ट्रक्शन	306483	5474	6130	656
64	ग्राम सैदपुर में खचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	प्रमोद रजक	660294	11792	13206	1414
65	ग्राम मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	प्रमोद रजक	495082	8841	9902	1061
66	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंरिद के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	450441	8044	9009	965
67	ग्राम सिंदवाहा में इन्द्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	313669	5602	6273	671
68	ग्राम कारीटोरन में मैन रोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निमा०	प्रमोद रजक	423578	7564	8472	908
69	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ते से थाने की ओर नाली नि०	खिलावन सिंह	352176	6290	7044	754
70	ग्राम रजावन के मजरा पटपुरा में नाली नि0 कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	341309	6095	6826	731
					योग	**106263.00**

प्रस्तर- 4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों की धनराशि से जी.एस.टी. की कटौती निर्धारित नियमों के अनुसार 2% से कम करके ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है जिससे संस्था को राजस्व की क्षति हुई है अत: जी.एस.टी. की 2% से कम की वसूली धनराशि को ठेकेदारों से वसूल किया जाना चाहिये। राजस्व की निर्धारति दस से कम कटौती करना नियमों का उल्लंघन करना है जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी गण एवं वित्तीय सलाहकार श्री विष्णुकांत एवं श्री सौरभ सिंह एवं लेखाकार श्री हीरालाल यादव जिम्मेदार हैं। मु० 106263.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**ठेकेदार का नाम**	**बिल की धनराशि**	**काटी गयी जी.एस.टी.**	**2%जी.एस.टी. धनराशि**	**कम काटा गया अंतर**

				की धनराशि	ले.प. के अनुसार	
1	ग्राम रजवारा में खुशी के मकान से कन्हेदी के मकान की ओर सी.सी. रोड़ नि०	मे० सक्षम बिल्डर्स	995803	17782	19916	2134
2	ग्राम सिमरधामें सी.सी. रोड़ से पठला गॉव की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा. कार्य	श्री संदीप सिंह	787997	14072	15760	1688
3	ग्राम पाह में गोलू राजा के मकान से थक्ति नाई के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैश्व	496838	8872	9937	1065
4	ग्राम सारसेड़ खिरक में पप्पू (विन्द्रावन) के मकान से लाल सिंह के मकान की ओर नाली निर्माण कार्य	मे० राठैर बिल्डर्स	996070	17787	19921	2133
5	ग्राम पंचायत ऊमरी में कारसदेव के चबूतरा से पानी की टंकी की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैश्व	996034	17787	19921	2134
6	ग्राम बड़वार में बस्ती से दुर्गा माता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री प्रमोद रजक	525129	9377	10503	1125
7	ग्राम गौना में मैनरोड़ से रामनारायण सिंह के मकान की ओर नाली नि० कार्य	मे० हर्ष ट्रेडर्स	512178	9146	10244	1098
8	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के मकान से सड़क के दोनो पटरी किनारे पर पेबर ब्रिक्स बिछाने का कार्य	श्री आदित्य वैध	897041	16020	17941	1921
9	ग्राम बम्हौरी में मैनरोड़ से कन्हैड़ी लोधी के खेत की ओर सी.सी. रोड़ नि०	श्री खिलावन सिंह	716976	12803	14340	1537
10	ग्राम पं. सूरीखुर्द में देवीजी मंदिर से सूरीखुर्द गांव की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा पाठक	765842	13676	15317	1641
11	ग्राम सौजना में मोहर सिंह के घर से ऑक की पुलिया तक नाली नि० कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	406789	7264	8136	872
12	ग्राम बानपुर में भोला ढ़ीमर के घर से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री आदित्य वैध	995243	17773	19905	2132

13	ग्राम पं. बिजरौठा में ब्रजेन्द्र के घर से रामचरन के घर की ओर नाली नि० कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	649592	11600	12992	1392
14	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के खेत तक सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	श्री प्रमोद रजक	651286	11630	13026	1396
15	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु के घर की ओर नाली नि० कार्य	श्री राज कंस्ट्रक्शन	687338	12274	13747	1473
16	ग्राम अंधियारी में रमसारे के घर से जिला पंचायत की नाली की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कोशिक	199034	3554	3981	427
17	ग्राम पंचा. डगराना में नहर से वंशकार मुहल्ला होते हुये डामर रोड की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	श्री दुर्गा प्रसाद पाठक	454429	8116	9089	973
18	ग्राम सैदपुर में खंचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	श्री प्रमोद रजक	850992	15196	17020	1824
19	ग्राम पं. देवरॉन में मैनरोड़ से गोपाल की दुकान की ओर नाली नि कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728264	13006	14565	1559
20	ग्राम पं. मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	श्री प्रमोद रजक	499265	8915	9985	1070
21	ग्राम बांसी में फूल सिंह यादव के प्लाट से पुलिया की ओर नाली नि० कार्य	श्री सुरेश कौशिक	291981	5214	5840	626
22	ग्राम जखौरा में खडैर नदी पर घाट का निर्माण	श्री सुरेश कौशिक	995153	17772	19903	2131
23	ग्राम बम्हौरीकला में गजेन्द्र राजपूत के घर से आगे की ओर नाली निर्माण कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	736112	13145	14722	1577
24	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंदिर के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	539953	9642	10799	1157
25	ग्राम वैरवारा में वासुदेव मुहल्ला से पाल मुहल्ला की ओर सी.सी. रोड नि०	श्री देवी प्रसाद शर्मा	995059	17769	19901	2132
26	ग्राम बम्हौरी बहादुर सिंह में मैनरोड़ से स्कूल तक नाली निर्माण कार्य	में० हर्ष ट्रेडर्स	988390	17650	19768	2118

27	ग्राम पारौन में ताहिर के घर से पुलिया की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	760027	13572	15201	1629
28	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में रोड़ किनारे नाले की ओर नाली का नि. कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728988	13018	14580	1562
29	ग्राम पं. वस्त्रावन के मजरा ठाठ खेरा में मैनरोड़ से पप्पू पाल के घर की ओर सी.सी. रोड़ निमा० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	761353	13596	15227	1631
30	ग्राम पं० टोडी में बड़ी नहर से रामकिशोर के खेत की ओर नाली निमार्ण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	851256	15202	17025	1823
31	ग्राम बिरधा में लखन सिंह राजपूत के घर से गॉव की बाहर की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	740833	13229	14817	1588
32	ग्राम कडेसरा के मजरा कतरयाना में चंदन सिंह के घर से तालाब की ओर नाली नि० कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	729553	13028	14591	1563
33	ग्राम वस्तगुंवा में रमेशसाद के घर से नाले की ओर नाली निर्माण कार्य	मे. बुदेलखण्ड इन्फ्राटेक	728300	13006	14566	1560
34	ग्राम सिंदवाहा में इंद्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	350538	6260	7011	751
35	ग्राम भैलवारा में जिला पंचायत की पूर्व निर्मित सड़क से मैनरोड़ की ओर संपर्क मार्ग नि० कार्य	श्री अजय पटैरिया	994019	17750	19880	2130
36	ग्राम सिंदवाहा में रामप्रसाद रजक के घर से कल्लू रावत के घर की ओर नाली नि० कार्य	अजय पटैरिया	367029	6554	7341	787
37	ग्राम किसलवांस में शिवचरन के घर से बाबूलाल के घर तक एवं मथुराबाई के घर से धर्मेन्द्र लोधी के घर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	मे० राज कंस्ट्रक्शन	715913	12784	14318	1534

38	ग्राम कारीटोरन में मैनरोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ नि० कार्य	प्रमोद रजक	572270	10219	11445	1226
39	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ता से थाने की ओर नाली नि० कार्य	खिलावन सिंह	640983	11446	12820	1374
40	ग्राम पं० बानपुर में विज्जन सोनी के खेत से महरौनी सड़क तक सी.सी. रोड़ नि कार्य	आदित्य वैध	697313	12452	13946	1494
41	ग्राम वैरवारा में कल्यान के घर से कुआंताल रोड़ की ओर नाली नि० कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	725396	12954	14508	1554
42	जिला पंचायत क्षेत्र बानपुर में महाराजा श्री मर्दन सिंह जी की प्रतिमा एवं स्टील रोलिंग आदि निर्माण कार्य	के०जी०एन कंस्ट्रक्शन	995341	17774	19907	2133
43	ग्राम पं. रजावन के मजरा पटपुरा में नाली निर्माण कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	651546	11635	13031	1396
44	ग्राम कुंआघोषी में मड़वारा रोड़ से हाईस्कूल की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	देवी प्रसाद शर्मा	995759	17781	19915	2134
45	ग्राम टौरिया में रेलवे क्रांसिंग के आगे अहिरवार मुहल्ला में रोड़ किनारे नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	369988	6607	7400	793
46	ग्राम टौरिया में चिकलउवा रोड पर मुन्ना मेट के घर से खिल्लू अहिरवार के घर की ओर नाली नि० कार्य	दुर्गा प्रसाद पाठक	740336	13220	14807	1587
47	ग्राम सक्त में मनोहर के घर से गब्बर के घर की ओर सी.सी. रोड. निर्माण	आदित्य बैध	247766	4424	4955	531
48	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नाली नि० कार्य	विजय सेंगर	789747	14103	15795	1692
49	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	575091	0	11502	11502
50	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	426331	7614	8527	913
51	ग्राम कारीटोरन में अजीर के घर से नदी तक नली निर्माण कार्य	विजय सेंगर	453989	8107	9080	973

52	ग्राम नत्थी खेड़ा के मजरा आजादपुरा में बाल किशन के घर से कैलाश के घर की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा०	मे० राठौर बिल्डर्स	695633	12422	13913	1491
53	ग्राम सिंदवाहा में उद्दू अहिरवार के घर से सहारिया धर्मशाला तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	747364	13346	14947	1601
54	ग्राम लखनपुरा में लिंक रोड से बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ निर्मा० कार्य	प्रमोद रजक	779305	13916	15586	1670
55	ग्राम रमेशरा में गांव बाहर से मुख्य मार्ग रिपटा की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	में० साहू कंस्ट्रक्शन	733306	13095	14666	1571
56	ग्राम जखौरा में डारवाले रोड़ पर रोशन अहिरवार के घर से कुलदीप राजपूत के घर की सी.सी. रोड नि०	मे० सिंघई कंस्ट्रक्शन	931991	16644	18640	1996
57	ग्राम पाह में धन्नू अहिरवार के घर से सिलान पाल के घर की ओर नाली निर्माण	आदिन्य वैध	497417	8883	9948	1065
58	ग्राम कल्याणपुरा में शेर सिंह के घर से सहारिया बस्ती की ओर सी.सी. रोड़ नि०	दुर्गा प्रसाद पाठक	892364	15935	17847	1912
59	ग्राम बडवार में बस्ती से दुर्गामाता मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	प्रमोद रजक	316848	5658	6337	679
60	ग्राम गौना में मैन रोड से रामनारायण के मकान की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण	हर्ष ट्रेडर्स	209434	3740	4189	449
61	ग्राम पं. विजरौठा में ब्रजेन्द्र सिंह के घर से रामचरन के घर की ओर नाली निर्माण	में० साई कंस्ट्रक्शन	345358	6167	6907	740
62	ग्राम बलना में कल्लू के घर से कमलेश के घर की ओर सी.सी. रोड़	प्रमोद रजक	343674	6137	6873	736
63	ग्राम रसोई में चिक्कू के घर से बन्धु बरार के घर की ओर नाली नि०	में० राज कंस्ट्रक्शन	306483	5474	6130	656
64	ग्राम सैदपुर में खचन की पुलिया से बड़ी पुलिया की ओर नाली निर्माण	प्रमोद रजक	660294	11792	13206	1414
65	ग्राम मिर्चवारा में शमशान घाट का निर्माण कार्य	प्रमोद रजक	495082	8841	9902	1061

66	ग्राम गुरसौरा में कुटी मंरिद के सामने तालाब पर घाट का निर्माण कार्य	में० राज कंस्ट्रक्शन	450441	8044	9009	965
67	ग्राम सिंदवाहा में इन्द्रपाल के खेत से गढ़ाघाट नाले तक नाली नि० कार्य	अजय पटौरिया	313669	5602	6273	671
68	ग्राम कारीटोरन में मैन रोड़ से कुटीधाम मंदिर की ओर सी.सी. रोड़ निमा०	प्रमोद रजक	423578	7564	8472	908
69	ग्राम मदनपुर में मैनरोड़ से राजमंदिर वाले रास्ते से थाने की ओर नाली नि०	खिलावन सिंह	352176	6290	7044	754
70	ग्राम रजावन के मजरा पटपुरा में नाली नि0 कार्य	में० साई कंस्ट्रक्शन	341309	6095	6826	731
					योग	**106263.00**

जनपद का नाम - औरैया मण्डल - कानपुर

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष -2021-22

जनपद का नाम- औरैया

संस्था का नाम- जिला पंचायत औरैया ले0प0वर्ष- 2021-22

आपत्तियों का विवरण-

प्रस्तर-1 दिनांक 31.03.2022 को जिला पंचायत के विभिन्न खातो में जमा धनराशियों एवं इन खातों में कैश बुको में दर्शित अवशेषो में निम्नवत अन्तर विद्यमान रहाः-

क्0 स0	बैंक का नाम	खाता सं0	दि0 31.03.2022 को बैंक के अनुसार शेष	दि0 31.03.2022 को कैशबुक के अनुसार शेष	अन्तर की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया औरैया (जिला निधि)	7215	2038108.27	--	--
2	सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया औरैया (जिला निधि)	9662	67,463.00	--	--
3	सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया औरैया (पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग)	1190	141977961.00	--	--
4	पंजाब नैशनल बैंक औरैया (राज्य वित्त आयोग)	3645	247539724.30	--	--

5	पंजाब नैशनल बैंक औरैया (तेरहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग)	3654	7214008.03	--	--
4	पंजाब नैशनल बैंक औरैया (पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग)	3330	21634462.00	--	--
	योगः-		420471726.60	418465890.60	20,05,836.00

दि0 31.03.2022 को उपरोक्त दर्शित अन्तर की धनराशि रू0-20,05,836.00 का विवरण निम्नवत हैः-

1-अनकैशचेके	-	रू-12,22,536.00
2-ब्याज-		रू0-6,85,600.00
3-वसूलीधन		रू0-71,800.00
4-पी0एफ0-		रू0-10,000.00
5-अप्राप्तचालान-		रू0-11,400.00
6-अर्थदण्ड-		रू0-4,500.00

.....

योगः-रू-20,05,836.00

उपरोक्त क्रमांक 01 पर दर्शित अन्तर की धनराशि से सम्बन्धित चेके विभिन्न पक्षो को निर्गत की गयी है। किन्तु सम्बन्धित पक्षो द्वारा दिनांक- 31.03.2022 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नही की गयी एवं क्रमांक -02 से 06 तक दर्शित धनराशियो के अन्तर होने का कारण यह रहा कि धनराशियॉ बैंक खातो में जमा दर्शित है। किन्तु धनराशियो के जमा होने का लेखा कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है।

उक्त अन्तर रू0-20,05,836.00 के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नही किये गये है। जबकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम-84 के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में पाये जाने वाले अन्तरो के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जायेगा। इस प्रकार जिला पंचायत में 31.03.2022 को रू0.-20,05,836.00 असमाधानित अन्तर विद्यमान रहा। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री गया प्रसाद गुप्ता, श्रीमती रेखा देवी एवं श्री कमलेश कुमार, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पन्त एवं श्री राम निहोर प्रसाद सयुंक्त रूप से उत्तरदायी है। जिला पंचायत द्वारा पृथक से खाता वार बैंक समाधान विवरण पत्र निधारित प्रारूप पर तैयार किया जाना अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति सं0-05)**

प्रस्तर-2-

पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1870/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत जिला पंचायतो ,क्षेत्रपंचरयतो एवं ग्राम पंचायतो को आवंटित अनुदान के उपभोग हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। पन्द्रहवे वित्त आयोग की संस्तुतियो

के अन्र्तगत ग्रामीण निकायो को दो भागो में पचास प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाइड ग्राण्ट (बेसिक अनुदान) के रूप में तथा पचास प्रतिशत धनराशि टाइड ग्रान्ट के रूप में अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2) एफ0सी0एक्स0बी0/एफ0सी0डी0/2021दिनांक 01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-39011/2/2017 एफ0डी0 दिनांक-02.07.2020 के अनुपालन में टाइड ग्रान्ट के उपभोग के क्षेत्र निर्घारित किये गये है। जिला पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में कराये गये कार्यो की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पन्द्रहवे वित्त आयोग की कैशबुक/निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार टाइड ग्रान्ट के अन्र्तगत विकास क्षेत्र औरैया के ग्राम राजनदासपुर में अरविन्द तिवारी के खेत के सामने पुलिया निर्माण कार्य कराया गया है। जो शासनादेशो के विपरीत है। टाइड ग्रान्ट से मात्र सेनिटेशन एवं पेयजल पर ही धनराशि व्यय की जा सकती है। इस प्रकार संस्था द्वारा पुलिया निर्माण पर रू0-3,96,620.00 का भुगतान कर अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पन्त एवं श्री राम निहोर प्रसाद एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अशुतोष कुमार एवं श्री मनोज यादव तथा तत्कालीन लेखाकार श्री गया प्रसाद गुप्ता एवं श्रीमती रेखा देवी एवं श्री कमलेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।इस हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति सं0 08)**

प्रस्तर-3- जिला पंचायत के विकास क्षेत्र औरैया के लाइसेन्स रजिस्टर प्रपत्र-26 की जॉच में पाया गया कि निम्नांकित विकास क्षेत्रो में दिनांक-31.03.2022 को दुकानो का लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु शेष थाः-

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	लाइसेन्स शुल्क बकाया धनराशि
1	औरैया	5,620=00
2	सहार	12,260=00
3	भाग्यनगर	2,675=00
4	ऐरवाकटरा	57,545=00
5	अजीतमल	52,640=00
6	अछल्दा	6,180=00
7	बिधुना	8,770=00
योग----------		1,45,690=00

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली विभाग की शिथिलता के कारण दुकानो से लाइसेन्स शुल्क का रू0-1,45,690=00 वसूली हेतु शेष रहा। उक्त बकाया लाइसेन्स शुल्क की अविलम्ब नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-18)**

प्रस्तर-4

जिला पंचायत के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टरो (प्रपत्र-26) की जॉच में पाया गया कि निम्नांकित विकास क्षेत्रो में दिनांक-31.03.2022 को पावर मिलो का लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु शेष थाः-

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	लाइसेन्स शुल्क बकाया धनराशि
1	औरैया	7100=00
2	सहार	1000=00
3	भाग्यनगर	1300=00
4	ऐरवाकटरा	13900=00
5	अजीतमल	5300=00
6	अछल्दा	8400=00
7	बिधुना	5800=00
	योगः-	42,800=00

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली विभाग की शिथिलता के कारण पावर मिलो से लाइसेन्स शुल्क का रू0-42,800.00 वसूली हेतु शेष रहा। उक्त पावर मिलों की बकाया लाइसेन्स शुल्क की अविलम्ब नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-5

जिला पंचायत के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टरो (प्रपत्र-26) की जॉच में पाया गया कि निम्नांकित विकास क्षेत्रो में दिनांक-31.03.2022 को ईट भट्टो का लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु शेष थाः-

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	लाइसेन्स शुल्क बकाया धनराशि
1	सहार	2500.00
2	भाग्यनगर	2000.00
3	ऐरवाकटरा	22000.00
4	अछल्दा	4000.00
5	बिधूना	6000.00
	योगः-	36,500.00

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली विभाग की शिथिलता के कारण पावर मिलो से लाइसेन्स शुल्क का रू0-36,500.00 वसूली हेतु शेष रहा। उक्त ईट भट्टो की बकाया लाइसेन्स शुल्क की अविलम्ब नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति सं0-20)**

प्रस्तर-6

जिला पंचायत के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टरो (प्रपत्र-26) की जॉच में पाया गया कि निम्नांकित विकास क्षेत्रो में दिनांक-31.03.2022 को पेट्रोल पम्पो का लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु शेष थाः-

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	लाइसेन्स शुल्क बकाया धनराशि
1	सहार	2000.00
2	ऐरवाकटरा	18000.00
	योगः-	20,000.00

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली विभाग की शिथिलता के कारण पावर मिलो से लाइसेन्स शुल्क का रू0-20,000.00 वसूली हेतु शेष रहा। उक्त पेट्रोल पम्पो की बकाया लाइसेन्स शुल्क की अविलम्ब नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति सं0-21)**

प्रस्तर-7 जिला पंचायत के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर (प्रपत्र-26) की जॉच में पाया गया कि विकास क्षेत्र-ऐरवाकटरा में दिनांक-31.03.2022 को देशी शराब ठेका एवं विदेशी शराब ठेका दुकानो का लाइसेन्स शुल्क रू0-18,000.00 वसूली हेतु शेष था। अतः बकाया लाइसेन्स शुल्क की अबिलम्ब नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-22)**

प्रस्तर-8

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत औरैया द्वारा पन्द्रहवें वित्त (अनटाइड) के धन से विकास क्षेत्र सहार के विधूना सहार मार्ग से ग्राम-पुरवारावत में शिव प्रकाश राजपूत के प्लाट से मुल्ला के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदार मै0-बालकराम निवासी-ग्राम व पोस्ट-कखावतू जिला-औरैया को दिया गया। उक्त सी0सी0 निर्माण कार्य पर रू0-11,45,177.00 व्यय किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली संख्या-1719 वर्क आई0डी0-56194905 की जॉच में निम्न कमियॉपाईगयीः-
(क)-ग्राम पंचायत में सी0सी0 निर्माण कार्य कराने की ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नही की गयीहैं।
(ख)-पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व एवं मध्य की फोटो संलग्न नही पाई गयी।
(ग)-पत्रावली में ठेकेदार का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न नही पाया गया।
(घ)-पत्रावली में संलग्न कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग औरैया द्वारा जारी नवीनीकरण प्रमाण पत्र में श्री बालकराम पुत्र श्री सुन्दरलाल को प्रान्तीय खण्ड के अर्न्तगत कार्य कराने हेतु दिनांक-30.6.2021 तक की मान्यता प्रदान की गयी है।
(ड)-उक्त निर्माण कार्य की लागत रू0-10.00 लाख से अधिक होने के कारण अनुमानित लागत रू0-10,39,900.00 एवं 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0-1,24,788.00 कुल रू0-11,64,688.00 की तकनीकी स्वीकृति शासन से दिनांक-18.11.2021 को ली गयी है। एवं जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा ठेकेदार मै0-बालकराम को स्वीकृत मार्ग के सापेक्ष एकरारनामा कराने हेतु दिनांक-26.11.2022 को आदेश जारी

किया गया है। एकरारनामा में यह उल्लेख किया गया है कि विकास क्षेत्र सहार के बिधूना-सहार मार्ग से ग्राम-पुरवारावत में शिव प्रकाश राजपूत के प्लाट से मुल्ला के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य का ठेका प्राप्त करने हेतु दिनांक-05.07.2021 को आमन्त्रित की निविदा टेण्डर डाला था।

(च)-जिला पंचायत द्वारा ठेकेदार मै0-बालकराम को सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने हेतु पत्रांक-1455 दिनांक-27.11.2021 को कार्य आदेश जारी किया गया।

उपरोक्त तथ्यो से यह परिलक्षित होता है कि उक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर रू0-11,45,177.00 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद, एवं तत्कालीन अभियन्ता श्री मोती लाल एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कमलेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0-23)**

प्रस्तर-9

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत औरैया द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग (अनटाइड) के धन से विकास क्षेत्र सहार के ग्राम-रावतपुर्वा से कुवॅरपुर सम्र्पक मार्ग से रामनगर व लवकुश के घर तक लेपन कार्य का ठेका ठेकेदार मै0-श्री बालाजी कन्ट्रक्शन, प्रो0-श्री धनीराम, निवासी-नवीन बस्ती भरथनारोड- बिधूना जनपद-औरैया को दिया गया। उक्त निर्माण कार्य पर कुल रू0-30,44,039.00 का भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली संख्या-1717 वर्क आई0डी0-56193875 की जॉच में निम्न कमियॉ पाई गयीः-

(क)-ग्राम पंचायत में लेपन कार्य कराने की ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नही की गयी हैं।
(ख)-पत्रावली में संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र जो श्री धनीराम पुत्र श्री प्रभूदयाल के नाम से है। हैसियत प्रमाण पत्र में जारी करने की तिथि-16.10.2019 एवं वैद्यता तिथि 15.10.2021 दर्शित है।
(ग)-उक्त लेपन कार्य रू0-10.00 लाख से अधिक की लागत का होने के कारण उक्त लेपन कार्य की तकनीकी स्वीकृति शासन से विशेष सचिव महोदय द्वारा पत्र संख्या-4777/33-सेल/2021 दिनांक-18.11.2021 को दी गयी।

(घ)-पत्रावली में संलग्न जिला पंचायत के पत्राक-1444 दिनांक-26.11.2021 द्वारा मै0 श्री बालाजी कन्ट्रक्शन, प्रो0-श्री धनीराम, निवासी-नवीन बस्ती भरथनारोड- बिधूना जनपद-औरैया को 07 दिन के अन्दर एकरारनामा करने का आदेश दिया गया, और दिनांक-27.11.2021 को रू0-100.00 के स्टाम्प पेपर पर 21 शर्तो की सहमति के आधार पर एकरारनामा हो गया। एकरारनामा होने की तिथि में ही दिनांक-27.11.2021 को पत्राक-1452 दिनांक-27.11.2021 को जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा कार्य

आदेश की तिथि से 03 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने का ठेकेदार को कार्य आदेश जारी कर दिया गया। कार्य पूर्ण होने की तिथि पत्रावली में अंकित नही है। कार्य की एम0बी0 की जाने की तिथि दिनांक-06.02.2023 अंकित है।

इस प्रकार ठेकेदार के हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता तिथि समाप्त होने के बाद ठेकेदार को निर्माण कार्य का ठेका देकर उक्त निर्माण कार्य पर रू0-30,44,039.00 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।जिसके लियें तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद, एवं तत्कालीन अभियन्ता श्री मोती लाल एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कमलेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0-24)**

प्रस्तर-10

वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत औरैया द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग (टाइड) के धन से विकास क्षेत्र अजीतमल की ग्राम-पंचायत-बीसलपुर के ग्राम दयानगर में उदल के घर से पी0डब्लू0डी0 नाले तक नाला निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदार मै0-अमर सिंह परिहार,पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी-88-प्रकाश नगर ,महेरा चुंगी थाना-फ्रेड्स कालोनी, इटावा को दिया गया। उक्त नाला निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0-12,71,200.00 (11,35,000$जी0एस0टी0-1,36,200.00) जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त नाला निर्माण कार्य पर कुल रू0-11,79,608.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली संख्या-1763 वर्क आई0डी0-56202588 की जॉच में निम्न कमियॉ पाई गयीः-

(क)-ग्राम पंचायत में नाला निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नही की गयी हैं।
(ख)-पत्रावली में संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र जो श्री अमर सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह के नाम से है। हैसियत प्रमाण पत्र में जारी करने की तिथि-12.09.2019 अंकित है, एवं वैद्यता तिथि जारी करने की तिथि से दो वर्ष तक ही मान्य है। इस प्रकार नाला निर्माण कार्य कराने का ठेका ठेकेदार के हैसियत प्रमाण पत्र की बैद्यता तिथि समाप्त होने के बाद दिया गया।

(ग)-शासनादेश संख्या-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक-16.03.2000 के अनुसार रू0-5.00 लाख से अधिक की धनराशि के ठेको के सम्बन्ध में 03 दैनिक समाचार पत्रो में ठेका नीलामी की सूचना का प्रकाशन/विज्ञापन किया जायेगा। पत्रावली के साथ सन्दर्भित निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेके के विज्ञापन की प्रति संलग्न नही पाई गयी।

(घ)- तीन ठेकेदारो का निविदा सम्बन्धी विवरण एवं तुलनात्मक चार्ट पत्रावली में संलग्न नही पाया गया।

उपरोक्त तथ्यो से यह परिलक्षित होता है कि उक्त नाला निर्माण कार्य पर रू0-11,79,608.00 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राम निहोर प्रसाद, एवं तत्कालीन अभियन्ता श्री मोती लाल एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाता श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कमलेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0-25)**

प्रस्तर-11

जिला पंचायत औरैया द्वारा स्थापित विभिन्न स्थानो की दुकानो के किराया वसूली रजिस्टर का मिलान के दौरान पाया कि निम्न विवरण के अनुसार दुकानो का किराया दिनांक-31.03.2022 को बकाया रहाः-

क्र0स0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	अयाना रोड मुरादगंज	2	660.00
2	अयाना रोड मुरादगंज	3	1320.00
3	अयाना रोड मुरादगंज	5	1023.00
4	अयाना रोड मुरादगंज	6	1260.00
5	अयाना रोड मुरादगंज	11	1489.00
6	अयाना रोड मुरादगंज	13	1371.00
7	अयाना रोड मुरादगंज	14	2205.00
8	अयाना रोड मुरादगंज	15	50.00
योगः-			9,368.00

क्र0स0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	आयुर्वैदिक चिकि0 मुरादगंज	1	2035.00

2	आयुर्वैदिक चिकि0 मुरादगंज	2	3263.00
3	आयुर्वैदिक चिकि0 मुरादगंज	3	1563.00
4	आयुर्वैदिक चिकि0 मुरादगंज	4	1563.00
		योग--	8424.00

क्र0स0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	कानपुर रोड मुरादगंज	1	1320.00
2	कानपुर रोड मुरादगंज	2	1320.00
3	कानपुर रोड मुरादगंज	3	1860.00
4	कानपुर रोड मुरादगंज	4	228.00
5	कानपुर रोड मुरादगंज	5	320.00
6	कानपुर रोड मुरादगंज	6	320.00
7	कानपुर रोड मुरादगंज	7	684.00
8	कानपुर रोड मुरादगंज	8	684.00
9	कानपुर रोड मुरादगंज	9	930.00
10	कानपुर रोड मुरादगंज	11	868.00
11	कानपुर रोड मुरादगंज	12	2250.00
योग----------			12836.00

क्र0स0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	क्रीडा स्थल के सामने	1	3762.00
2	क्रीडा स्थल के सामने	2	626.00
3	क्रीडा स्थल के सामने	3	939.00
4	क्रीडा स्थल के सामने	4	1565.00
5	क्रीडा स्थल के सामने	5	1565.00
6	क्रीडा स्थल के सामने	6	313.00
7	क्रीडा स्थल के सामने	10	5634.00
8	क्रीडा स्थल के सामने	11	2504.00
9	क्रीडा स्थल के सामने	12	2817.00
10	क्रीडा स्थल के सामने	15	2504.00
11	क्रीडा स्थल के सामने	16	5953.00

12	क्रीडा स्थल के सामने	17	1875.00
13	क्रीडा स्थल के सामने	18	1565.00
योग----------			31622.00

क्र0	स्थान दुकान	दुकान सं0	बकाया की धनराशि
1	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	3	1220.00
2	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	4	1220.00
3	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	5	3752.00
4	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	6	3283.00
5	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	8	2714.00
6	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	10	1689.00
7	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	11	1689.00
8	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	12	1316.00
9	जि0पं0 इं0 कॉ0 मुरादगंज	14	1406.00
योग----------			18390.00

क्र0	स्थान दुकान	दुकान सं0	बकाया की धनराशि
1	जि0पं0 मार्केट बिधूना	1	2344.00
2	जि0पं0 मार्केट बिधूना	5	1562.00
3	जि0पं0 मार्केट बिधूना	6	1562.00
4	जि0पं0 मार्केट बिधूना	7	1562.00
5	जि0पं0 मार्केट बिधूना	9	5447.00
6	जि0पं0 मार्केट बिधूना	10	6864.00
7	जि0पं0 मार्केट बिधूना	12	9372.00
8	जि0पं0 मार्केट बिधूना	13	9372.00
9	जि0पं0 मार्केट बिधूना	14	3118.00
10	जि0पं0 मार्केट बिधूना	31	14684.00
11	जि0पं0 मार्केट बिधूना	32	18284.00
12	जि0पं0 मार्केट बिधूना	33	3905.00
13	जि0पं0 मार्केट बिधूना	35	2343.00

14	जि0पं0 मार्केट बिधूना	36	2343.00
15	जि0पं0 मार्केट बिधूना	38	15000.00
16	जि0पं0 मार्केट बिधूना	39	3750.00
17	जि0पं0 मार्केट बिधूना	41	1.00
18	जि0पं0 मार्केट बिधूना	42	1562.00
19	जि0पं0 मार्केट बिधूना	44	2814.00
20	जि0पं0 मार्केट बिधूना	45	2814.00
21	जि0पं0 मार्केट बिधूना	48	1875.00
22	जि0पं0 मार्केट बिधूना	49	1875.00
23	जि0पं0 मार्केट बिधूना	50	3750.00
24	जि0पं0 मार्केट बिधूना	51	5000.00
25	जि0पं0 मार्केट बिधूना	53	6875.00
26	जि0पं0 मार्केट बिधूना	56	7500.00
27	जि0पं0 मार्केट बिधूना	57	1875.00
28	जि0पं0 मार्केट बिधूना	58	1250.00
29	जि0पं0 मार्केट बिधूना	59	3750.00
योग---------			142453.00

क्र0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	जि0 पचा0 इण्टर का0 उमरैन के सामने	2	1500.00
2	जि0 पचा0 इण्टर का0 उमरैन के सामने	3	6500.00
3	जि0 पचा0 इण्टर का0 उमरैन के सामने	6	3500.00
योग----------			11500.00

क्र0	स्थान दुकान	दुकान संख्या	बकाया की धनराशि
1	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	1	1000.00
2	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	2	1000.00
3	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	4	500.00
4	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	5	3500.00
5	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	6	3000.00

6	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	7	3500.00
7	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	8	3500.00
8	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	9	5000.00
9	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	10	3500.00
10	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	16	1000.00
11	जि0 पंचा0 उ0मा0वि0 रूरूगंज	17	1000.00
योग----------			26500.00

कुलयोगः- 2,61,093.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की दुकानो से किराया की नियमित वसूली नही की जा रही है। यह स्थिति संस्था के आर्थिक हितो के अनुकूल नही है। उक्त बकाया किराए की तत्परता पूर्वक वसूली कर संस्था की दुकानो से नियमित किराये की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-26)

प्रस्तर-12

वर्ष 2021-22 में प्रकीर्ण व्यय मद हेतु बजट में रू0-14,00,000=00 का प्राविधान किया गया है। किन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष में प्रकीर्ण व्ययों पर रू0-25,90,494=28 का व्यय किया गया है। इस प्रकार प्रकीर्ण व्यय मद में प्राविधानित बजट से रू0-11,90,494=28 का अधिक व्यय किया गया है। जिसके लियें तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पन्त एवं श्री राम निहोर प्रसाद एवं तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाता श्री अशुतोष यादव एवं श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री गया प्रसाद गुप्ता एवं श्रीमती रेखा देवी एवं श्री कमलेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0-29)**

जिला पंचायत औरैया की वर्ष 2020-21 की गम्भीर आपत्तियॉ

प्रस्तर-13 शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जो /2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24.06.2014 द्वारा जिला पंचायतो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के लिये निर्देश जारी किये गये है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यो के दुहराव, अनियमितता एंव भ्रष्टाचार की सम्भावना को देखते हुये जिला पंचायतो को प्राप्त विविध अनुदानो से दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करने के दिशा निर्देश दिये गये है। लेखा परीक्षा दौरान जिला पंचायत औरैया मे अनुदान उपयोग दौरान यह पाया गया कि बर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कराकर भुगतान किया गया है या इस प्रकार का कार्य कराया गया जो अनुदान की शर्तो के अधीन नही रहा। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्र0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (लाख में)
1	विकास खण्ड भाग्यनगर में ककोर मुख्यालय पर नाला से सड़क के किनारे की तरफ अवशेष भाग पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.29
2	विकास खण्ड औरैया में जिला पंचायत कार्यालय में पूर्व निर्मित कक्ष का अनुरक्षण आदि।	6.50
3	विकास खण्ड औरैया के ग्राम भाऊपुर में एन0एच0 2 से साधन सहकारी समिति तक नाला/पुलिया निर्माण कार्य।	7.90
4	विकास खण्ड औरैया के ग्राम भगौतीपुर में ओंकार के घर से पुलिया तक नाला निर्माण।	17.49
5	विकास खण्ड भाग्यनगर के लोक निर्माण विभाग के वाउन्ड्री के बगल से आगे तक नाला निर्माण कार्य	1.17
6	विकास खण्ड भाग्यनगर के ककोर मुख्यालय पर अधिकारी आवास सफेदा के बाग की तरफ से नाला निर्माण कार्य	8.04
	योग----------	55.39 (लाख में)

(मूल आपत्ति सं0- 13)

प्रस्तर-14 वर्ष 2020-21 में निम्न मदो में स्वीकृत वजट से अधिक व्यय किया गया है।

क्र0	व्ययो का विवरण	मूल्य बजट के अनुसार	वास्तविक व्यय	अन्तर की धनराशि
1	यात्रा व्यय	50000-00	78273-00	28273-00
2	प्रकीर्ण व्यय पेंशन	700000-00	2454732-48	1754732-48
3	पेंशन	6500000-00	8626105-00	2126105-00
	योग	72,50,000-00	11159110-48	3909110-48

इस प्रकार वर्ष 2020-21 मे जिला पंचायत औरैया द्वारा उक्त 3 मदों मे रु०72,50,000-00 बजट व्यय का प्रावधान किया गया था। जिसके सापेक्ष वर्ष मे रु० 11159110.48 व्यय किया गया। जो प्राविधानित बजट व्यय से रु० 3909110.48 अधिक रहा। प्राविधानित बजट व्यय से रु० 3909110.48 अधिक व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार का निर्धारित किया जाता है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर-15 आकस्मिक बिल प्रमाणक संख्या - 47 से दि0 16-04-2020 को रू० 20 लाख जिला निधि खाते से उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड मे ट्रान्सफर द्वारा भुगतान किया गया है उक्त आर०टी०जी०एस० अन्तरण प्रविष्टि का कोई साक्ष्य जिला पंचायत स्तर पर नही रखा गया है ना ही शासन से प्राप्ति की रसीद रखी गयी जिससे व्यय की पुष्टि नही हुयी। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0-15)**

प्रस्तर-16 आकस्मिक बिल प्रमाणक संख्या - 9 दिनांक 15-05-2020 से उपासना ट्रेवेल अजीतमल औरेया के हस्तलिखित बिल के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी के प्रयोगार्थ लिये गये वाहन स० यू०पी०79 टी०-7462 का भाडा माह अप्रैल 2020 का रू० 18000-00 तथा प्रमाणक संख्या - 10 से रू० 9000-00 भुगतान किया गया है जिस पर जी०एस०टी०एन० हस्तलिखित है। जिससे स्पष्ट होता है कि फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से उक्त भुगतान किया गया है जो धन के दुरुपयोग की ओर इंगित करता है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। यह भी कि उक्त वाहन का अटैचमेन्ट पत्रावली भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रही जो आपत्तिजनक है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।**(मूल आपत्ति संख्या-16)**

प्रस्तर-17 प्र०स०- 33 दिनांक 30-06-20 को इटावा मुद्रण स्टेशनरी एण्ड प्रकाशन सहकारी समि0लि0 इटावा के बिल स०- 227 दिनांक 27.12.2019 द्वारा 6X350=2100-00, 8X225=1800-00 योग रू0 3900-00 का स्टेशनरी स्टाक क्रय मूल्य भुगतान हुआ है। जिसमे निम्न कमिया पायी गयी।

(क) रु० 3900-00 का भुगतान देयक बिल है ना कि कैशमीमो जो अपर्याप्त है।

(ख)देयक भुगतान अन्य जनपद इटावा का है जो 65-70 कि०मी० दूरस्थ है जिस हेतु कोई डाक व्यय या कृत यात्रा व्यय का विवरण नही है जिससे क्रय भुगतान संदिग्ध जान पडता है इसी प्रकार प्र०स०- 34 दिनांक 03.06.20 को रू0 4750-00, प्र० स०- 35 से दिनांक 30.06.20 को पुनः सभी आइटम प्र०स०- 34 के ही क्रय पर रू० 4750-00 व्यय है। जो एक ही तिथि मे एक ही सामान क्रय को दो भिन्न प्रमाणक के माध्यम से व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है।

अतः रु 3900-00 + 4750-00 + 4750-00 कुल रु० 13400-00 के अपुष्ट प्रमाणको के भुगतान के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि की वसूली अपेक्षित है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर-18 दिनांक 30.06.20 को प्र०स०- 36 एंव 50 से दो भिन्न भिन्न समाचार पत्रो को विविध विज्ञापन व्यय हेतु रू० 1050-00 एंव 7829-00 व्यय खारिज है (वर्गीकरण रजि0 मे) परन्तु विज्ञापन प्रति संलग्न न होने से खारिज व्यय पुष्ट नही किया जा सका जो अपेक्षित है उक्त समाचार हिन्दी दैनिक दिन रात की विज्ञापन दर जिला सूचना अधिकारी द्वारा पुष्ट भी नही करायी गयी है। इसी प्रकार प्र०स० 35, 36, 37 दि. 02.11.20 को हिन्दुस्तान मिडिया वेंचर लि० को विविध विज्ञापन प्रति भी प्रमाणक के साथ न होने से कृत भुगतान 2907+4360 +6540 =13807-00 की पुष्टि नही की जा सकी।

अतः रु० 1,050-00+7,829-00+13,807-00 कुल रु 22,686-00 के अपुष्ट प्रमाणको के भुगतान के लिय तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि की वसूली अपेक्षित है। । जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति संख्या-23)**

प्रस्तर-19 अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ हायर वाहन सं०- यू०पी०79 **पी 6777** का दिनांक 01.11.2019 से 29.02.2020 का किराया भाडा रू० 90750.00 श्री बालाजी कन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर तिलकनगर औरैया को उनके प्रस्तुत बिल के आधार पर भुगतान किया गया है उक्त के सम्बन्ध मे निम्न आपत्तिया है (1) उक्त वाहन किराया पर संचालित होने हेतु जिला परिवहन कार्यालय से भाडा गाडी की श्रेणी रजि० नही रहा है। जिससे राजकीय धनहानि हुई है। (2) उक्त भुगतान पर वेट टैक्स की कटौती नही की गयी है। (3) उक्त वाहन के किराया शर्तो की पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न रहने से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त व वित्तीय परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। जिनके

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर-20 पत्रावली सं० 1646 जो विकास खण्ड औरैया के सुन्दरीपुर स्कूल से उदयपुर सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य से सम्बन्धित निर्माण है का ठेका मय जी0एस0टी0 रू० 4400827.00 का स्वीकृत है उक्त कार्य का ठेका बर्ष 2020-21 में हुआ है परन्तु कार्यादेश विलम्ब से मिला जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त कार्य निर्धारित अवधि से विलम्ब मे पूर्ण हुआ है जिस पर नियमतः 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की दर से ठेका की मूल राशि के हिसाब से रू0 39293-00 होता है जबकि बिना किसी समुचित कारण के विलम्ब शुल्क मात्र रू0 2000-00 वसूला गया जो जिला पंचायत नियमावली के विरूद्व है तथा इससे व्यक्तिगत लाभ परिलक्षित होता है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि ठेकेदार द्वारा विलम्ब शुल्क माफी या कम करने का कोई औचित्य पूर्ण प्रार्थना पत्र भी नही लगा है। दो फोटोग्राफ एक ही स्थिति की है तथा तीसरी किसी अन्य स्थिति की है जिससे उक्त स्थान की पहचान एंव कार्य का होना पुष्ट नही होता है। अतः कम वसूल विलम्ब शुल्क रु 37293-00 की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-34)

प्रस्तर-21 निर्माण पत्रावली 1647 से औरैया के नेपालपुर सम्पर्क मार्ग से उदयपुर तक लेपन कार्य मै0 अवस्थी ट्रेडर्स को दिया गया तथा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समापन तिथि 01.06.2021 के बाद दिनांक-02.10.2023 को कार्य समाप्त किया गया जिस हेतु रू० 35,29,000-00 का बिल भुगतान हुआ तथा रू० 3000-00 विलम्ब शुल्क वसूल हुआ जबकि ठेकेदार द्वारा बिना किसी उचित कारण या अन्य किसी प्रकार से विलम्ब शुल्क मे कमी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया न ही अभियन्ता द्वारा किसी विषम परिस्थिति मे कार्य अवरूद्व होने की आख्या दी गयी है। संलग्न पत्रावली मे कार्य प्रारम्भ की मात्र एकल फोटोग्राफ लगी है जो त्रिस्तरी लगायी जानी चाहिए। ऐसी दशा मे व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से जिला पंचायत की नियमानुकूल आय कम किया गया जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः नियमतः 1 प्रतिशत की दर से कम वसूल धनराशि 35290-3000= रू०32290-00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-35)**

प्रस्तर-22 वि0ख0 औरैया के ग्राम कखावतू सुन्दरीपुर डामर रोड से ग्राम पातेपुर तक प्रा0 विद्यालय के आगे तक लेपन कार्य मय जी0एस0टी0 रू० 3178374-00 का मॉ केला देवी इण्टरप्राइजेज का

ठेका स्वीकृत है। उक्त कार्य स्वीकृत सीमा अवधि दिनांक 01.06.2021 के बाद दिनांक 22.06.2021 को पूर्ण हुआ जिस हेतु फर्म से रू० 700=00 विलम्ब शुल्क भुगतान से काटा गया जबकि फर्म द्वारा विलम्ब शुल्क मे कमी हेतु प्रत्यावेदन नही दिया गया न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा इस प्रकार का औचित्यपूर्ण कारण अंकित किया गया। उल्लेखनीय है कि फर्म मालिक की हैसियत प्रमाण पत्र एंव चरित्र प्रमाण पत्र भी क्रमशः दि0 22.05.18 एंव 17.03.18 का है जो नियमतः दो बर्ष के अन्दर का होना विनियमित है। अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री पन्त द्वारा जि0प0 की नियमानुसार निर्धारित आय को निजी हित मे कमतर किया गया जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ठेका राशि रू० 28,37,833=00 का 1 प्रतिशत रू० 28378=00 (-) 700=00= रु०27678=00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री पन्त से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-37)**

प्रस्तर-23 पत्रावली सं0. 1649 से ग्राम भरसेन पातेपुर सम्पर्क मार्ग डामर रोड से कुम्हापुर स0मा0 पर लेपन कार्य हेतु मै0 मॉ केला देवी इण्टरप्राइजेज को मय जी0एस0टी0 रू० 5274352=00 का ठेका स्वीकृत है। ठेकेदार द्वारा 200कि०ग्रा० प्रति ड्रम से 25 ड्रम विटमिन कानपुर से मैसर्स रेमलशन डॉट कॉम द्वारा मगाया गया जिसमे वाहन सं० यू०पी०-84 **सी 9430** से पवन ट्रासपोर्ट कम्पनी द्वारा उक्त सामान ढोया गया। लेखा परीक्षा अनुसार गाडी भाडा वाहन हेतु नम्बर अनुसार परिवहन विभाग से परमिटेड नही लगती है ऐसी दशा मे ढुलाई व सम्बन्धित कार्य संदिग्ध जान पडता है। कार्य समापन की तिथि 01.06.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक 22.06.2021 को समाप्त हुआ जिस हेतु रू० 2000=00 विलम्ब शुल्क काटा गया जो नियतः 1 प्रतिशत दर से रू० 52568 होता है अर्थात रु० 52568-रु० 2000=रु०50568-00 कम काटा गया है। यह भी कि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की छूट का आवेदन आग्रह भी सकारण नही किया गया है न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा विलम्ब कारण बताया गया है अतः मनमाने ढंग से निजी हित मे जि0प0 की आय के साथ धोखा किया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री पन्त जी उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि गुजरात अपोलो (हाटमिक्स प्लान्ट) इन्डस्ट्री लि० का चालान दि0 27.03.10 का है तथा फर्म का कन्साइनमेन्ट दि0 28.03.10 को हुआ है जो संदिग्ध है। पत्रावली मे श्रम विभाग का श्रमिक रजिस्ट्रेशन पत्र नही है तथा चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र ठेकेदार दि0 17.03.18 व 22.05.18 का है जो दो बर्ष पूर्व का है तथा कार्य की फोटोग्राफ भी कार्यपूर्व एंव वाद का है। कार्य हेतु मध्य फोटोग्राफ नही है जिससे कार्य संदिग्ध है अत: उत्तरदायी कार्मिकों से 50568=00 की वसूली अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति संख्या-38)**

प्रस्तर-24 निर्माण पत्रावली 1691 वि0ख0 भाग्यनगर मे औरैया दिबियापुर मार्ग से ग्राम लुखरपुरा की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण हेतु दि0 17.03.21 को मै0 संदीप अवस्थी को रू० 765034=00

का मय जी0एस0टी0 ठेका दिया गया है कार्य समापन की तिथि09.08.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक 30.11.2021 को पूर्ण किया गया जिस हेतु विलम्ब शुल्क नियम विरूद्व बिना किसी माफी प्रत्यावेदन एंव आख्या के रू० 1000 वसूला गया जो न्यूनतम रू० 6830-00 अर्थात रु०6830 (-) रु०1000=रु०5830.00 कम काटा गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त जिम्मेदार है यह भी ठेकेदार का हैसियत चरित्र प्रमाण पत्र एंव ठेका प्रमाण पत्र भी पत्रावली मे सलंग्न नही पाया गया जो अनियमित है। जिनसे उक्त धनराशि 5830=00 की वसूली उतरदायी कार्मिकों से अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-39)**

प्रस्तर-25 नि0 पत्रावली 1653 सुन्दरीपुर जौरा स0मा0 से कादलपुर गाँव तक खडन्जा पर लेपन कार्य हेतु मै0 विनायक इन्टरप्राइजेज को मय जी0एस0टी0 रू० 3160195=00 का ठेका स्वीकृत हुआ है। कार्य समापन की तिथि 01.06.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक30.06.2021को समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि संलग्न फोटोग्राफ पूर्व एंव वाद की है जिससे स्थान एंव कार्य का होना पुष्ट नही होता है। कार्य विलम्ब शुल्क 1 प्रतिशत के बजाय मात्र रू० 2000=00 वसूला गया जबकि ठेका राशि रू० 2821603=00 के हिसाब से रू० 28216=00 होता है अतः अन्तर धनराशि रू0 26216=00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-40)**

प्रस्तर-26 नि० पत्र० स० 1651 भरसेन की पुलिया से कखावतू सुन्दरीपुर मार्ग से ग्राम शहबदिया जौरा स0मार्ग शहबदिया तक लेपन कार्य ठेका मै0 मॉ केला देवी इन्टरप्राइजेज को जी0एस0टी0 रहित रू० 5207690=00 का स्वीकृत है। कार्य के समापन की तिथि 01.06.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक 20.06.2021 को समाप्त हुआ। जिस हेतु विलम्ब शुल्क रू०2000=00 वसूल है जो 1 प्रतिशत नियत नियमानुसार से रू० 52076-00 (-) रु०2000-00=रु०50076-00 कम है। यह भी कि सम्बन्धित फर्म या तकनीकी अधि0 द्वारा शुल्क माफी सम्बन्धित कोई औचित्यपूर्ण कारण उपलब्ध नही रहा अतः निजीहित मे जि0प0 को हानि पहुॅचाई गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त उत्तरदायी है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-41)**

प्रस्तर-27 औरैया के ग्राम गंगदासपुर मे मुकुट सिह के मकान से सुन्दरीपुर नेपालपुर डामररोड तक लेपन कार्य ठेका रू० 2968002 का मै० केला देवी इन्टर प्राइजेज का स्वीकृत है उक्त कार्य के समापन की तिथि दिनांक 01.06.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक 10.07.2021 को पूर्ण हुआ। विलम्ब शुल्क रू0 5500 वसूल है। जबकि 1 प्रतिशत से यह रू0

29680=00 अर्थात 29680-5500=24180.00 कम काटा गया है। जिस विलम्ब शुल्क माफी का नही तो ठेकेदार द्वारा न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा कोई समुचित टिप्पणी की गयी। अतः मनमानी एंव निजी हित मे जि0प0 की आय की क्षति की गयी। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बी0सी0 पन्त उत्तरदायी है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-42)**

प्रस्तर-28 नि०प०सं० 1694 वि0ख0 भाग्यनगर के आरुसीपूर्वा से शिवपुर प्रा0पा0 तक लेपन कार्य का ठेका जी0एस0टी0 रहित रु० 2311035 ठेका मैं शिवकुमार को कार्यादेश पास है। कार्य के समापन की तिथि 04.09.2021 निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्य विलम्ब से दिनांक 23.05.2022 को पूर्ण हुआ। विलम्ब शुल्क के रुप में मात्र रु० 1000 वसूल है कार्य टेण्डर मार्च 2021 मे हुआ है जिसकी तकनीकी स्वीकृति अपर निदेशक लखनऊ से विलम्ब से ली गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है इसके बाद भी बिना फर्म या जि०प० इन्जीनियर के सकारण माफी नामा प्रत्यावेदन व आख्या के विलम्ब शुल्क मनमानी एंव निजहित मे कम वसूल कर जि0प0 को हानि पहुॅचाई गयी जिस हेतु अन्तर धनराशि 1 प्रतिशत रू० 23110-1000=22110.00 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। पत्रावली मे ठेकेदार का हैसियत एंव चरित्र प्रमाण पत्र आयकर प्रमाण पत्र भी संलग्न नही है। कार्य फोटोग्राफ मे ऐसा कुछ परिलक्षित नही होता जिससे कार्य स्थान, कार्य का होना लक्षित होता है। जो अनियमित एंव आपत्तिजनक है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-43)**

प्रस्तर-29 जिला पंचायत औरैया के अधीन विविध बाजारो के दुकानदारो को व्यापार लाइन्सेस प्रत्येक बर्ष जारी किया जाता है जिसके एंवज मे एक निश्चित धनराशि लाइन्सेस फीस वसूल किया जाता है। निम्न विवरण अनुसार बर्ष की लाइन्सेस फीस वसूल नही पायी गयी जिससे जिला पचायत के निजी आय मे कमी हुई जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर बकाया वसूल किया जाना चाहिए।

विकास खण्ड भाग्यनगर

दुकान स्थित बाजार	दुकान क्र0 स0	बकाया धनराशि वर्ष(2020-21)
जुआ	3	70
जुआ	4	120
जुआ	5	110
जुआ	9	60

जुआ	10	70
जुआ	12	70
केशमपुर	10	50
केशमपुर	13	70
केशमपुर	14	90
केशमपुर	15	90
टीकमपुर	1	60
बुढानपुर	4	90
सराय बिहारीदास	3	60
सराय बिहारीदास	4	60
सराय बिहारीदास	5	60
खानपुर	2	90
सल्हापुर	1	50
सल्हापुर	4	50
सल्हापुर	5	50
सल्हापुर	6	50
म्मरेजपुर	2	60
म्मरेजपुर	3	60
भौनकपुर	1	90
भौनकपुर	3	90
भौनकपुर	4	90
मुढी	1	90
दौलतपुर	4	50
दौलतपुर	5	50
दौलतपुर	7	50
दौलतपुर	9	50
दौलतपुर	10	50
ककोर	1	60
ककोर	4	35
ककोर	6	45

ककोर	9	70
ककोर	11	70
ककोर	12	70
ककोर	13	70
ककोर	14	70
ककोर	15	310
ककोर	16	45
ककोर	17	45
ककोर	19	50
ककोर	21	50
ककोर	24	50
ककोर	25	50
ककोर	26	50
ककोर	28	50
ककोर	29	50
ककोर	38	80
ककोर	39	80
ककोर	40	80
ककोर	41	50
ककोर	42	50
नगला जयसिंह	1	55
कन्चौसी गांव	5	50
		योग- 3985.00

<u>विकास खण्ड- विधूना</u>

दुकान स्थित बाजार	दुकान क्र0 स0	बकाया धनराशि वर्ष
मल्हौसी	5	80
मल्हौसी	9	70
मल्हौसी	10	60
मल्हौसी	13	70

मल्हौसी	22	70
मल्हौसी	24	70
मल्हौसी	25	60
मल्हौसी	17	80
रूरूगंज	6	65
रूरूगंज	12	65
रूरूगंज	18	100
रूरूगंज	20	90
रूरूगंज	24	90
रूरूगंज	35	90
बेला	4	90
बेला	5	55
बेला	7	90
बेला	8	90
बेला	9	55
बेला	10	140
बेला	11	90
बेला	12	90
बेला	15	90
बेला	16	190
बेला	17	90
बेला	18	90
बेला	25	90
बेला	26	140
बेला	27	90
बेला	28	140
बेला	29	90
बेला	30	90
बेला	31 से 38 तक	895
बेला	41 व 42	505

बेला	43 से 56 तक	1560
बेला	57 से 63 तक	860
बेला	65 व 66	280
कैथावा	क्रम 3,4 (250*2)	500
बाधमऊ	क्रम5,7,8	270
पावर मिल मल्हौसी मु0 सिद्दीकी आटा चक्की		500
कासिम रूरूगंज आटा चक्की		500
राजू सूखाताल पावर मिल		500
यादव आटा चक्की		800
ईट भट्टा धर्म ईट उघोग		2500
रामा ईट उघोग		2500
	योग = **रु०15110-00**	

<u>विकास खण्ड अछल्दा</u>

बाजार मुहम्मदाबाद	2,3,(9+9)	180
	5	90
	क्रम 9,16	1420
रामगढ	क्रम 3,5,8,9,12,14,15	630
	क्रम 17,20,21,27,36	420
हरचन्दपुर	क्रम 3,5,8,9,10	295
भैसौल	क्रम 1,2,4,5,6,7	540
गुनौती	क्रम 2	90
पावर मिल	क्रम 3,7 से19 तक एवं क्रम 21	9400
ईट भट्ठा	क्रम 2,8,9	7500
		योग = 20745-00

<u>विकास खण्ड ऐरवा कटरा</u>

बाजार उमरैन	क्रम 2 से 5,7,8,10,से 14	1090
	क्रम 23,24,25,26,30	280
	क्रम 69,70,75,76,78	750

	क्रम 92,94,95,96,100,101,104	580
	क्रम 107,108,109	340
	क्रम 119,121,124,124,127 से 143	2870
ऐरवा	क्रम 1,5,6,7,16,17,18,19,22	985
	क्रम 27,28,30,46,50,57,59,60,62,65	2705
	क्रम 76,77,87,83,94,97,110,111	940
	क्रम 114 से 116,122,126,135,138,140	1680
कटरा	क्रम 7,8,20,22,35,37,46,47,49,53	1590
	क्रम 60,62,65,67,68,69	470
वैवाह	क्रम 2,3,11,18,26,27,28,29	550
सरायशीशग्राम	क्रम 5	90
कुदरकोट	क्रम 1,3,9,21,36,37,47,59,74,93,105,106,107,110,111	1600
लज्जानगर	क्रम 2,6,7,9,11,13,14	1120
बरौना कला	क्रम 1,4,5,7,8,11,12,13,20	1290
पावर मिल	क्रम 1,2,5,16,24	3100
ईट भट्ठा	क्रम 5,11	7000
पेट्रोल पम्प	क्रम 1,6,8	6000
देशी शराब	क्रम 1,4	4000
		योग- **39330-00**

<u>विकास खण्ड सहार</u>

बाजार असैनी	क्रम 1,2,16,8	275
बाजार लखनो सिरसानी	क्रम 1	90
पूर्वादानशाह	क्रम 2,11,12,15,16,21से26,28 से 31,35 से 37 क्रम 41,43,47,51,52,54,56,57,62,63,65,66	1995 1260
सहायल	क्रम 7,11,17,21,23,47,48,51,58,60,61,64,69	1555
पूर्वा बगिया	क्रम 5	150

याकूबपुर	क्रम6,11,14,19 से 25,27 से 29,39,42,44 से 66,48,49 ,53,55,58 से 60,62 से 66,69	470
लहरा	क्रम 2,19,20,24,25,34,37,45,47,58,61,66,67,68	1330
नवी मोहन	क्रम 1	90
कंचौसी बाजार	क्रम11,31,36,39,40,43,45,46,49,50,51,54,55,64,66,72 74	1345
ईट भट्ठा	क्रम 13	2500
		योग = 16520-00

<u>विकास खण्ड अजीतमल</u>

बाजार अनन्तराम	क्रम 1,8,12,22,23,35	450
भीखेपुर	क्रम 4,5,6,51,78	390
मुरादगंज अयाना रोड पश्चिम	क्रम 12	190
मुरादगंज फफूद रोड पूर्व	क्रम 1,7,13	520
मुरादगंज औरैया रोड	क्रम 2,7,9,10,11,16,18,19,21,22,23,25	1305
मुरादगंज औरैया रोड दक्षिण	क्रम 3,4,8,9,10,11,13,20,34	935
मुरादगंज इटावा रोड उत्तरी	क्रम 6	340
मुरादगंज इटावा रोड दक्षिणी	क्रम 1,4,5,6	430
मुरादगंज अयाना रोड पूर्वी	क्रम 3,4,18,19,28	530
मुरादगंज फफूद रोड पश्चिम	क्रम 1,2,3,6	585
पावर मिल	क्रम 8,9,11	2100
		योग = 7775-00

<u>विकास खण्ड औरैया</u>

बाजार करमपुर	क्रम 1 से 13	845
सेगनपुर	क्रम 6,9	140
अयाना	क्रम 11,1317 से 22,24 से 28, 30	955

रोशंगपुर	क्रम 1 से 7	955
राहतपुर	क्रम 4	90
चिचौली	क्रम 1,2	100
बिरिया	क्रम 1	50
सैनपुर	क्रम 1,2	100
नवादा ज्वालाप्रसाद	क्रम 1,2,3	210
बमुरीपुर	क्रम 1	50
पावर मिल	क्रम 6,7,14,15,18,19,21	3800
पेट्रोल पम्प	क्रम 1,2,3	7000
कोल्ड स्टोर	क्रम 1,2	10000
		योग = 24410-00
		महायोग---127875-00

इस प्रकार कुल धनराशि रू0 127875-00 की वसूली सम्बन्धित दुकानों से की जानी अपेक्षित रही। दुकानो से वसूली न होने पर सम्बन्धित कर्मचारीयों/ अधिकारीयों से अनुपातिंक रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-44)

प्रस्तर-30 जि0प0 के अधीन विकास खण्डो मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो को व्यापार लाइन्सेस जारी किया जाता जो जि0प0 की निजी आय का साधन है। लाइन्सेस रजिस्टरो का अवलोकन करने पर पाया गया कि रजि0 मे व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम अंकित है परन्तु लाइन्सेस जारी किये जाने का विवरण अंकित नही है न ही उक्त प्रकार के दुकानो से फीस वसूल है। यह स्थिति जि0प0 के हित मे नही है इस प्रति प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है।

विकास खण्ड	**कुल दुकाने/प्रतिष्ठान जिन्हे लाइन्सेस निर्गत नहीं**
विधुना	27
अछल्दा	41
ऐरवाकटरा	252
अजीतमल	125
योग - 445	

इस प्रकार कुल लगभग 445 ऐसे संस्थान है जो जनपद मे बिना लाइन्सेस संचालित है जिससे औसतन कुल रू0 40000.00 की वसूली जि0प0 को नही मिल रही है इसका कारण स्पष्ट करते हुए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-46)**

जनपद-इटावा **मंडल- कानपुर**

<u>नाम संस्था- जिला पंचायत इटावा वर्ष 2021-2022</u>

प्रस्तर - 01. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड बढ़पुरा के निम्न विवरणानुसार दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है।

क्र0 सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	जैतपुरा	जीत बहादुर पुत्र विनोद कुमार	परचूनी	400-00
2	,,	अतिराम पुत्र सूबेदार	सा0 मरम्मत	200-00
3	,,	दिनेश पुत्र सलेम सिंह	सीमेन्ट	800-00
4	,,	सुबोध पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	परचूनी	400-00
5	,,	राजबीर पुत्र पुत्तू सिंह	परचूनी	400-00
6	,,	मुनेश मिष्ठान भण्डार	मिठाई	400-00
7	ऊदी	नरेन्द्र पुत्र राम सनेही	जन. स्टेर	400-00
8	,,	भदौरिया मेडिकल स्टोर प्रो0नागेन्द्र	मे0 स्टोर	1200-00
9	,,	सुरेन्द्र पुत्र सीताराम	गल्ला फड	800-00
10	,,	वीरेन्द्र पुत्र राम नाथ	पुस्तक भ0	250-00
11	,,	शिव शंकर पुत्र राम कुमार	गल्ला फड	800-00
12	,,	सत्या सिंह पुत्र अनिल कुमार	आभूषण	1200-00
13	,,	मे0 लक्ष्मी बि0मटेरियल प्रो0अकित भदौरिया	लोहा	800-00
14	,,	राम भरोसे पुत्र रामदास	मिठाई	400-00
15	,,	बहादरखॉ पुत्र इस्माइल	आभूषण	1200-00
16	,,	मान सिंह पुत्र जगन्नाथ	मुगौडे	400-00

17	,,	दिनेश कुमार पुत्र छवि राम	टैक्टर म.	400-00
18	,,	सुरेन्द्र सिंह पुत्र दीवान सिंह	गैस चूल्हा म.	600-00
19	,,	विवेक पुत्र ज्ञान चन्द्र	परचूनी	400-00
20	,,	जैन स्वीट हाउस प्रो0 विनय कुमार	मिठाई	400-00
21	,,	राकेश जैन पुत्र सनुज जैन	परचूनी	400-00
22	,,	सत्यवीर पुत्र परशुराम	जन. स्टोर	400-00
23	,,	रंजीत पाल पुत्र जयदेव सिंह	टैक्टर म.	400-00
24	,,	प्रमोद कुमार पुत्र मुन्ना लाल	कपड़ा	400-00
25	,,	सौरभ पुत्र चन्द्र प्रकाश	परचूनी	400-00
26	,,	अनिल कुमार पुत्र लालाराम	परचूनी	400-00
27	ऊदी मोड़	डिम्पल उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार	परचूनी	400-00
28	,,	मे0 महावीर जनरल स्टोर	जन. स्टोर	400-00
29	,,	सत्यवीर पुत्र रामदास	कपड़ा	400-00
30	बढ़पुरा	मे0रिंकूशूज स्टोर्स	शू0 स्टोर	800-00
31	पछायगॉव	ग्रीश कुमार पुत्र कैलाश नारायण	परचूनी	400-00
32	,,	आर0एस0टेलर्सप्रो0 रमा शंकर	सिलाई	200-00
33	,,	धमेन्द्र पुत्र रविन्द्र	परचूनी	400-00
34	,,	हाकिम पुत्र पोथीराम	जूता चप्पल	800-00
35	पूठनसकरौली	जगदीश पुत्र तेज सिंह	साई. मरम्मत	200-00
36	,,	डम्बर सिंह पुत्र हुक्म सिंह	मिठाई	400-00
37	,,	पुनीत हेयर कटिंग	हेयर कटिंग	200-00
38	,,	सूरजभान पुत्र मलखान	परचूनी	400-00
39	,,	प्रकाश पुत्र विलय राम	खाद	400-00
40	,,	सूरत राम पुत्र नाथूराम	परचूनी	400-00
41	,,	सुन्दर लाल पुत्र इन्द्रजीत	मिठाई	400-00
42	,,	दयाराम पुत्र फूल सिंह	मिठाई	400-00
43	,,	मे0रीतू जनरल स्टोर	जन. स्टोर	400-00
44	,,	हरि राम पुत्र मोहकम सिंह	मिठाई	400-00

45	,,	राजेन्द्र पुत्र क्षत्रपाल	परचूनी	400-00
46	,,	अरविन्द कुमार पुत्र राम सिंह	बॉस बल्ली	1000-00
47	,,	शिवानी जनरल स्टोर प्रो0 रंजीत	जन. स्टोर	400-00
48	,,	सुरेश बाबू पुत्र लालाराम	परचूनी	400-00
49	,,	रवीन्द्र पुत्र सूबेदार	परचूनी	400-00
50	,,	राकेश पुत्र सुभाष	जन. स्टोर	400-00
51	,,	विमल कुमार पुत्र मलखान सिंह	विसात खाना	400-00
52	,,	श्रीमती अखिलेश कुमारी पत्नी सर्यू प्रकाश	जन. स्टोर	400-00
53	,,	प्रमोद कुमार पुत्र राम किशन	आटो पार्टस	400-00
54	नगला गौर	राम नरेश पुत्र मचल सिंह	परचूनी	400-00
55	,,	राम रतन पुत्र सोने लाल	परचूनी	400-00
56	बीधूपुरा	शतीश चन्द्र जैन	परचूनी	400-00
57	परमधाम	विपिन कुमार पुत्र लाल बहादुर	परचूनी	400-00
58	बेतालपुर	श्री आरती टेलर	सिलाई	200-00
59	सूखाताल	टीटू टेलर	सिलाई	200-00
60	ऊदीगॉव	राम कुमार पुत्र गोविन्द सिंह	परचूनी	400-00
61	,,	नरेश सिंह पुत्र नौपत सिंह	परचूनी	400-00
62	,,	प्रवेन्द्र सिंह पुत्र रजींत सिंह	परचूनी	400-00
63	,,	रणवीर पुत्र धीरेन्द्र	परचूनी	400-00
64	रमीकावर	राधे श्याम पुत्र लाल सिंह	साई. मरम्मत	200-00
65	काधनी	अजब पुत्र सोने लाल	परचूनी	400-00
66	,,	मेसर्स कुशवाहा बीज भण्डार	बीज भण्डार	800-00
67	,,	शिशु कॉस्टमेटिक स्टोर	जन स्टोर	400-00
68	जोधपुरा	जीतू टेन्ट हाउस प्रो0करोड़ी लाल	टेन्ट हाउस	1000-00
69	मानिकपुर मोहन	बलवीर पुत्र छकौड़ी लाल	परचूनी	400-00
70	,,	सन्दीप पुत्र राम लखन	परचूनी	400-00

71	,,	संजीव जनरल स्टोर्स	जन. स्टोर	400-00
72	मानिकपुर विशु	दिनेश बाब पुत्र श्याम सुन्दर	परचूनी	400-00
73	,,	करन सिंह पुत्र भीखम सिंह	परचूनी	400-00
74	,,	मोनू पुत्र विश्वनाथ	परचूनी	400-00
75	,,	शैलेन्द्र सिंह पुत्र मचल सिंह	परचूनी	400-00
76	,,	सर्वेश पुत्र श्याम	परचूनी	400-00
77	,,	सुनील पुत्र अवधेश	परचूनी	400-00
78	नगला बाबा	जवहार सिंह पुत्र पन्ना लाल	परचूनी	400-00
79	,,	श्यामवीर पुत्र उम्मेद सिंह	परचूनी	400-00
80	एन.एच.-2 कानपुर रोड़	एल0आर0पी0 मोटर्स प्रा0लि0रेनाल्ट	मोटर कार एजेन्सी	10000-00
81	,,	मॉसत्यवती मोटर्स प्रो0 अंकुर गुप्ता	कार एजेन्सी	10000-00
82	नगलागौर	मे0 लक्ष्मी होटल (ढाबा)	ढ़ाबा	1000-00
83	गहलौत चौराहा	दर्शन सिंह पुत्र फूल सिंह	बॉस बल्लीसटरिंग	1000-00
84	,,	सनी कुमार पुत्र कृष्ण कुमार	परचूनी	400-00
85	,,	बेटा लाल पुत्र श्याम लाल	परचूनी	400-00
86	,,	शैलेन्द्र पुत्र राम पाल शर्मा	फर्नीचर	400-00
87	,,	लाल बाबू पुत्र राम नरेश	परचूनी	400-00
88	,,	लाल बाबू पुत्र राम नरेश	शू स्टोर	800-00
89	,,	मुकेश पुत्र श्री राम	मिठाई	400-00
90	,,	बृजेश पुत्र सुल्तान	परचूनी	400-00
91	,,	मे0 संगम मोटर रिपेयरिंगसेन्टर	मो0 मरम्मत	1000-00
92	ऊदी मोड़	रतन कुमार पुत्र सोम चन्द्र	पावर मिल	600-00
93	पुठनसकरौली	निहाल पुत्र गीतम सिंह	चक्की	500-00
94	नगला बाबा	मोहन लाल पुत्र तुलसी राम	चक्की	500-00
95	,,	पवन आटा चक्की प्रो0 कुसुम देवी	चक्की	500-00

96	देसरमऊ	हरी बाब पुत्र सीताराम	चक्की	500-00
97	,,	मुरारी लाल पुत्र भीम सेन	चक्की	500-00
98	लुहानअण्डा	राम दास पुत्र सीसे लाल	चक्की	500-00
99	कुठनसकरौली	मे0 सपना आटा चक्की	चक्की	500-00
100	बुलाकीपुरलुहन्ना	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी हरनाथ सिंह	चक्की	500-00
101	सारंगपुर	विवेक पुत्र दलवीर सिंह	चक्की	500-00
102	सरायएसर	श्रीमती सीमा शाक्य पत्नी रघुराज	लघु उद्योग	2000-00
103	कचौरारोड़	सचिन टेन्ट हाउस प्रो0 अशोक	टेन्ट हाउस	1000-00
104	लुहन्ना चौराहा	मे0बॉके बिहारी बि0मटेरियल प्रो0अवेन्द्र भदौरिया	बि0मटेरियल	600-00
105	,,	मे0 विशाल गारमेन्ट्स	कपड़ा गा0	600-00
		योग		72150-00

इस प्रकार मु0 **72150.00** से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर - 02.आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड महेवा के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुचाई गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	**स्थल**	**नाम दुकानदार**	**व्यवसाय**	**शुल्क**
1	महेवा	इस्तहाक पुत्र इशहाक	घड़ी मर0	300-00
2	,,	राक्सी टेलर प्रो0 कोमल सिंह	सिलाई	200-00
3	,,	शुभम कास्टमेटिक स्टोर	जन. स्टोर	400-00
4	,,	जी0एस0 टेलर	सिलाई	200-00
5	,,	शिवा आटो पार्टस	आटो पार्टस	400-00
6	,,	गौरव राजपूत	कपड़ा	400-00
7	,,	सुरेन्द्र सिंह	मिठाई	400-00

8	,,	मुस्कान बीज भण्डार	खाद	400-00
9	,,	तिवारी मशीनरी स्टोर	मशनरी स्टोर	400-00
10	अहेरीपुर	गोपाल पुत्र राज किशोर	परचूनी	400-00
11	,,	बाबू लाल पुत्र शादी लाल	मिठाई	400-00
12	,,	संजय जनरल स्टोर	जन. स्टोर	400-00
13	,,	रफीक खा पुत्र रसूल	सीमेन्ट	400-00
14	व्यासपुर	अभिलाख पुत्र लालता प्रसाद	परचूनी	400-00
15	,,	संजय पुत्र राम स्वरूप	परचूनी	400-00
16	,,	रामा खिलाड़ी पुत्र बिन्द पाल	परचूनी	400-00
17	,,	कृपा शंकर पुत्र हर नारायण	परचूनी	400-00
18	शेरपुर	वीरेन्द्र सिंह पुत्र राम किशन	परचूनी	400-00
19	,,	शिवा जी पुत्र विद्याधर	परचूनी	400-00
20	नौघना	लल्लन पुत्र बैजनाथ	परचूनी	400-00
21	,,	पंकज पुत्र हर नारायण	परचूनी	400-00
22	,,	सुरेश पुत्र नाथू राम	परचूनी	400-00
23	,,	सूर्यभान पुत्र राम प्रकाश	परचूनी	400-00
24	उझियानी	कमला एगो0भूपेन्द्र कुमार	बीज	800-00
25	मुकुटपुर	जय मॉ कृषि केन्द्र योगेन्द्र कुमार	कीटनाशक	400-00
26	,,	कृष्णा स्टोर प्रो0 कृष्ण कुमार	कीटनाशक	400-00
27	हर्रायपुर	माँ अन्नयाइले0 प्रो0 राहुल	इले0	500-00
28	,,	बंजरग कंकरीट हर्रायपुरप्रा0 राजेश	ककंरीट	10000-00
29	इगुरी	कौशलेन्द्र पुत्र राम प्रवेश	परचूनी	400-00
30	,,	उदयवीर पुत्र स्वामीदीन	जन. स्टोर	400-00
31	,,	अनिल कुमार पुत्र उदयवीर	परचूनी	400-00
32	,,	राम सनेही पुत्र गुलाबचन्द्र	परचूनी	400-00
33	,,	सुदामा लाल पुत्र कृष्ण विहारी	परचूनी	400-00
34	,,	छोटे लाल पुत्र विद्या राम	परचूनी	400-00

35	परसूपुरा	शैलेन्द्र पुत्र राम दुलारे	मिठाई	400-00
36	,,	राजू पुत्र गणेश पाण्डेय	मिठाई	400-00
37	करवा बुर्जुग/ करवा खेड़ा	गिरजेश पुत्र वृन्दावन	जन. स्टोर	400-00
38	,,	दयाल शरण पुत्र सोने लाल	लोहा दुकान	400-00
39	,,	आशुतोष पुत्र सुमित नारायण	परचूनी	400-00
40	,,	मयंक पाण्डेय पुत्र अवधेश	परचूनी	400-00
41	सराय जलाता	अमरदीप पुत्र राजपाता	परचूनी	400-00
42	,,	वेद प्रकाश पुत्र विशाल सागर	परचूनी	400-00
43	मनियामऊ	वीरेन्द्र पुत्र दुर्गा प्रसाद	परचूनी	400-00
44	मनियामऊ	गीतांजल स0 प्रो0 श्रीमती ममता	बि0मटेरियल	1200-00
45	कुडारिया	जयपाल पुत्र मुलायम	जन. स्टोर	400-00
46	,,	दीपक पुत्र रामकेस	परचूनी	400-00
47	,,	छोटे लाल पुत्र बलवन्त दोहरे	जन. स्टोर	400-00
48	धौरखा	उमेश कुमार पुत्र शिव राम गुप्ता	जन. स्टोर	400-00
49	,,	लालाराम पुत्र रघुनन्दन	परचूनी	400-00
50	,,	सुरजीत पुत्र रघुवीर	जन. स्टोर	400-00
51	,,	मुकेश पुत्र अतबल	जन. स्टोर	400-00
52	,,	अमृत लाल पुत्र बलराम	जन. स्टोर	400-00
53	,,	गोविन्द पुत्र बॉके लाल	परचूनी	400-00
54	,,	सुबोध पुत्र कृष्ण प्रसाद	परचूनी	400-00
55	,,	उमेश चन्द्र पुत्र महेश	परचूनी	400-00
56	धुबियाई	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र मुनीम	परचूनी	400-00
57	,,	महेश पुत्र उमराव	परचूनी	400-00
58	ईश्वरीपुरचौ0	भारत सिंह पुत्र जगन्नाथ	रेडियो मर.	400-00
59	,,	प्रेम सिंह पुत्र पुलीन्दर	वस्त्र भण्डार	400-00

60	,,	अजब सिंह पुत्र पहलवान	परचूनी	400-00
61	,,	बैजनाथ पुत्र बुद्धु सिंह	साई. मरम्मत	200-00
62	ददौरा	बृजेश कुमार पुत्र डीलकुरण	परचूनी	400-00
63	,,	वंश गोपाल पुत्र मातादीन	परचूनी	400-00
64	,,	मरिजाद सिंह पुत्र जानकी प्रसाद	परचूनी	400-00
65	,,	अरूण कुमार पुत्र राजेश कुमार	परचूनी	400-00
66	कीरथपुरा	राम औतार पुत्र मेवाराम	परचूनी	400-00
67	,,	दिनेश पुत्र राम औतार	परचूनी	400-00
68	,,	सत्य प्रकाश पुत्र गंगादीन	जन. स्टोर	400-00
69	दाईपुरा	संजीव कुमार पुत्र अहिवरन	परचूनी	400-00
70	,,	राजीव पुत्र अहिबरन	परचूनी	400-00
71	,,	शिव बालक पुत्र सुखनन्दन	परचूनी	400-00
72	,,	अभिषेक पुत्र सतीश	परचूनी	400-00
73	,,	भानू प्रताप पुत्र देशराज	परचूनी	400-00
74	,,	महावीर पुत्र लीलाधर	परचूनी	400-00
75	जगमोहनपुर	नितिन कुमार पुत्र महावीर	परचूनी	400-00
76	,,	प्रभु दयाल पुत्र रोशन लाल	परचूनी	400-00
77	,,	बड़े लाल देशराज	परचूनी	400-00
78	,,	रूप सिंह पुत्र चन्द्रभान	परचूनी	400-00
79	,,	दीन दयाल पुत्र राम सेवक	परचूनी	400-00
80	बेरी खेड़ा	जगत नारायण पुत्र विजय बहादुर	परचूनी	400-00
81	पटिया चौ0	राधे श्याम पुत्र राम भरोसे	परचूनी	400-00
82	,,	राम भरोसे पुत्र सियाराम	परचूनी	400-00
83	,,	मनोज कुमार पुत्र तुलसीराम	परचूनी	400-00
84	,,	रिंकूपोरवाल पुत्र राम भरोसे	मिठाई	400-00
85	न0 खजुरी	विवेक कुमार पुत्र अजीत	गल्ला फड	800-00

86	,,	अनिल कुमार पुत्र गंगाराम	गल्ला फड़	800-00
87	उझियनी	लक्ष्मीकान्त पुत्र सुन्दर लाल	आटा चक्की	500-00
88	महेवा	विमल पाल पुत्र राम बाबू	आटा चक्की	500-00
89	अहेरीपुर	तस्वीन बेगम पत्नी रसूल खॉ	आटा चक्की	500-00
90	नहर बा0 लखना	नरेश पुत्र जवाहर लाल	2 आटा चक्की 1 स्पेलर	1600-00
91	इकरीरोड़ लखना	कन्हैया लाल पुत्र अशोक कुमार	आटा चक्की एवं स्पेलर	1100-00
92	''	राम चन्द्र दोहरे पुत्र बिहारी लाल	आटा चक्की एवं स्पेलर	1100-00
93	पुराना पुल	सन्तोष कुमार पुत्र खुशी लाल गुप्ता	4 आटा चक्की 2स्पेलर 1 पालेसर	5200-00
94	अडडा वृन्दावन	सन्त कुमार पुत्र राम किशोर	आटा चक्की	500-00
95	सरायमीठे	श्रीमती विलासवती पत्नी कोमल सिंह	आटा चक्की धान म. स्पे.	1700-00
96	पहाड़पुर	लोकेन्द्र पुत्र कोमल सिंह	आटा चक्की	500-00
97	दाईपुर	राधारमान पुत्र उमा शंकर	आटा चक्की	500-00
98	धर्मपुरा	हरमान पुत्र जोधा सिंह	आटा चक्की	500-00
99	,,	हर गोविन्द पुत्र कल्याण सिंह	आटा चक्की	500-00
100	जैतपुरा	दीपा आटा चक्की अवनीश कुमार	आटा चक्की	500-00
101	परसूपुरा	शिवाकान्त पुत्र गया प्रसाद	आटा चक्की	500-00
102	ब्याजपुर	संजीव पुत्र जगदम्बा प्रसाद	आटा चक्की	500-00
103	हरजिपुरा	मे0बजरंगज कंकरीट हरजिपुरा	कंकरीट	10000-00
		योग		**71600-00**

इस प्रकार मु० 71600-00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर - 03.आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड बसरेहर के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	बसरेहर	अशोक पुत्र वीरेन्द्र कुमार	मे0 स्टोर	1200-00
2	"	हर गोविन्द पुत्र राजाराम	परचूनी	400-00
3	"	प्रमोद पुत्र राज किशन	लोहा दुकान	800-00
4	"	संजीव कुमार पुत्र विजय कुमार	जन. स्टोर	400-00
5	"	खुशी रडीमेड़ प्रो0बृजेन्द्र शाक्य	रेडीमेड	1500-00
6	"	आनन्द शू स्टोर	शू स्टोर	800-00
7	"	राम इले0 प्रो0सन्दीप दुबे	इले.	1000-00
8	"	नीरज मशीनरी स्टोर	इन्जन आटो. पा0मश0स्टो	1000-00
9	"	आर0के0 मेडिकल स्टोर	मेडिकल स्टो.	1200-00
10	"	बेचे लाल उर्फ अशोक कुमार	आभूषण	1200-00
11	"	आर0बी0टेलर्स	सिलाई	200-00
12	"	चन्द्र प्रकाश पुत्र तुलसीराम	रेडीमेड	1500-00
13	"	नैन्सीरेड़ीमेड प्रो0 प्रेम सिंह	रेडीमेड	1500-00
14	"	शिव कुमार पुत्र श्याम सुन्दर	कपड़ा	400-00
15	"	हिमान्शुरेड़ीमेड प्रो0 पवन कुमार	रेडीमेड	1500-00
16	"	ह्रदेश पुत्र वृन्दावन	परचूनी	400-00
17	"	प्रेम कुमार पुत्र वश गोपाल	सीमे. पे. कम्पा0	6500-00
18	दतावली	राहुल फर्नीचर हाउस प्रो0 राहुल	फर्नीचर	400-00
19	उदयपुरा	मे0 हीरा ज्वैलर्स प्रो0विमलेश	स्वर्णकार	1200-00
20	चौबिया	चन्द्र शेखर पुत्र रमेश चन्द्र	जन. स्टोर	400-00
21	कृपालपुरा	बालक राम पुत्र छोटे लाल	परचूनी	400-00
22	करीं	राम सिंह पुत्र सोने लाल	जन. स्टोर	400-00
23	बीना	सलमान पुत्र शकील	परचूनी	400-00
24	"	धमेन्द्र पुत्र छोटे लाल	परचूनी	400-00

25	चित भवन	रफूउददीन पुत्र शहजादे	जन. स्टोर	400-00
26	"	मुनीरखॉ पुत्र फतेह खॉ	परचूनी	400-00
27	"	अचल बिहारी पुत्र प्रेम नारायण	परचूनी	400-00
28	कृपालपुरा	मे0 शिवा ढ़ाबाकृपालपुर	होटल	2000-00
29	पचावली	दोना पत्तल भण्डार प्रो0 धर्मेन्द्र	दोना पत्तल	1200-00
30	मोहब्बतपुर	मे0 के0जी0एन0 इण्डिब्रेकरी प्रो0 इ.	बेकरी	2000-00
31	"	बब्लू बर्तन भण्डार प्रो0बृजेन्द्र कुमार	बर्तन भण्डार	1200-00
32	"	मे0 फौजी टेन्ट हाउस प्रो0जे.बी.	टेन्ट हाउस	1000-00
33	कृपालपुर	मे0 नेहा इले0 प्रो0इशरार	इले0	1000-00
34	"	मे0 मनोज बीज भण्डार प्रो0 मनोज	बीज भण्डार	800-00
35	खडकउली	ग्रीश चन्द्र पुत्र आछे लाल	आटा चक्की स्पेलर	1100-00
36	चकवा बुजुर्ग	अवधेश कुमार पुत्र हीरा लाल	आटा चक्की	500-00
37	बसरेहर	मे0 इ0 गैस एजेन्सी प्रो0कु0अन्जू	गैस एजेन्सी	6000-00
38	मसनाई	मे0जे0एस0 इ0मसनाई	गैस एजेन्सी	6000-00
39	घूघलपुर	मे0राधेशीतगृहघूघलपुर	कोल्ड स्टो.	10000-00
40	पचावली	मे0 यदुफार्मपचावली प्रो0 यदुवीर सिंह	मैरिज होम	5000-00
		कुल योग		**64100-00**

इस प्रकार मु0 64100-00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्यअधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर - 04. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड चकर नगर के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क

1	चकर नगर	विद्या भूषण पुत्र थानेदार	परचूनी	400-00
2	,,	अशोक कुमार पुत्र चन्देल सिंह	परचूनी	400-00
3	,,	गौतम टेन्ट हाउस प्रो0 सुनील	टेन्ट हाउस	1000-00
4	,,	मुनेश पुत्र सीताराम	स्टेशनरी	250-00
5	,,	दीपक मेडिकल स्टोर प्रो0 महाराज	मेडिकल स्टो	1200-00
6	हनुमन्तपुरा	राज कुमार पुत्र श्याम किशोर	जन. स्टोर	400-00
7	‘‘	चन्दन पुत्र विद्या सागर	परचूनी	400-00
8	सहसो	सदन कुमार पुत्र सियराम	स्टेशनरी	250-00
		कुल योग		**4300-00**

इस प्रकार मु0 4300.00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर - 05. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड भरथना के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुचाई गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	उमरसेड़ा	पुत्तू पुत्र गयादीन	मिठाई	400-00
2	‘‘	बृजेश पुत्र मुन्ना लाल	कपड़ा	400-00
3	‘‘	सुरेन्द्र पुत्र उमर बहादुर	मिठाई	400-00
4	बहारपुरा	दिनेश बाबू पुत्र लीलाधर	कृषि मशी.	400-00
5	‘‘	मुस्कान टेलर	सिलाई	200-00
6	‘‘	शिवम् सिंह पुत्र पुष्पेन्द्र	परचूनी	400-00
7	भौलीरमायन	शिवम् ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 शिवम	खाद एवं बीज	1200-00
8	मोढ़ी	मिश्रा टेन्ट हाउस प्रो0 प्रवीण कुमार	टेन्ट हाउस	1000-00
9	मुगलपुरनरैनी	मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	परचूनी	400-00
10	बैशौली घाट	संजय कुमार पु इतवारी लाल	परचूनी	400-00
11	‘‘	सुरेन्श कुमार पुत्र मनीराम	टेन्ट हाउस	1000-00

12	साम्हो	मे0 तनु टेन्ट हाउस प्रो0 नरेश	टेन्ट हाउस	1000-00
13	समस्तपुर	जनवेद कुमार पुत्र रतन लाल	परचूनी	400-00
14	,,	कुमारी नीलू पुत्री गंगाराम	परचूनी	400-00
15	गंसरा	प्रमोद कुमार पुत्र नाथूराम	परचूनी	400-00
16	अदलीपुर	श्रीमती राजेश्वरी पत्नी गोरे लाल	परचूनी	400-00
17	बिरारी	राम नारायण पुत्र मेवालाल	परचूनी	400-00
18	चन्द्रपुरा	शिव नन्दन पुत्र छोटे लाल	टेन्ट हाउस एंवपरचूनी	1400-00
19	साम्हो	रजनीश पुत्र राज कुमार	आटा चक्की	500-00
20	सरैया	श्रीमती शहनाज पत्नी मेहन्दीहसन	आटा चक्की	500-00
21	गंसरा	गोविन्द पुत्र राजाराम	आटा चक्की एवं स्पेलर	1100-00
22	‘‘	अशोक कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र	आटा चक्की,	500-00
23	मलहौसी	उम्मेद सिंह पुत्र ख्याली राम	आटा चक्की एवं धान मशीन	1700-00
24	‘‘	अरविन्द कुमार पुत्र साहू लाल	आटा चक्की एवं धान मशीन	1100-00
25	शीहपुर	मे0 प्रदीप फिलिंग स्टेशन शीहपुर	पेट्रोल एवं डीजल	7000-00
			कुल योग	**23000-00**

इस प्रकार मु0 23000.00से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है।क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर - 06. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड सैफई के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	**स्थल**	**नाम दुकानदार**	**व्यवसाय**	**शुल्क**
1	हैबरा	श्याम बाबू पुत्र श्याम सुन्दर	इले0	1000-00
2	‘‘	अरविन्द कुमार पुत्र राम स्वरूप	शू स्टोर	800-00
3	बैद्यपुरा	मे0 किसान बीज भण्डार प्रो0 प्रेम	बीज भण्डार	800-00

4	‘‘	ग्रीश चन्द्र पुत्र करन सिंह	मिठाई	400-00
5	‘‘	कमलेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण	बर्तन	800-00
6	हरदोई	मे0 किशन मेडिकल स्टोर प्रो0 राधा किशन	मे0 स्टोर	1200-00
7	‘‘	अवधेश कुमार पुत्र हरि किशन	परचूनी	400-00
8	‘‘	कन्हैया खाद बीज भण्डार प्रो0बृज	खाद बीज	1000-00
9	‘‘	मे0 मौनी ज्वैलर्स प्रो0 सिपाही राम	आभूषण	1200-00
10	कुम्हावर	नूर हसन पुत्र युसूफखॉन	कपड़ा	400-00
11	‘‘	महेश पुत्र मुंशी लाल	मिठाई	400-00
12	‘‘	मे0 कुलदीप जनप स्टोर	जन स्टोर	400-00
13	‘‘	आशीष कुमार पुत्र महेन्द्र चन्द्र	जन स्टोर	400-00
14	कुइया	राघवेन्द्र प्रसाद पुत्र गया प्रसाद	परचूनी	400-00
15	नगलाबरी	मे0साईमो0 कलेक्शन	मोबाइल	1500-00
16	‘‘	मे0 फौजी फूट बीयर	शू स्टोर	800-00
17	‘‘	अशोक कुमार पुत्र कृपाल सिंह	परचूनी	400-00
18	‘‘	गोविन्द सिंह पुत्र शिशुपाल	मोबाइल	1500-00
19	बैद्यपुरा	मे0 राधा माधव होटल बैधपुरा	होटल	2000-00
20	खरडूली	बलवन्त सिंह पुत्र रघुनाथ	आटा चक्की	500-00
21	बर्रा	फूल सहाय पुत्र पंची लाल	आटा चक्की धान मशीन स्पेलर	1700-00
			कुल योग	**18000-00**

इस प्रकार मु0 18000-00से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है।क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर - 07. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड जसवन्त नगर के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	धरवार	राम नरेश पुत्र राम पाल	कम्प्रेशर	1800-00
2	नागरी	ओम प्रकाश पुत्र पोखपाल	परचूनी	400-00
3	‘‘	मनीष पुत्र घासीराम	परचूनी	400-00
4	कुरसेना	इरदीश अली पुत्र बतास अली	परचूनी	400-00
5	धनुवॉ	सन्त कुमार पुत्र बाबूराम	साई0 मर0	200-00
6	खड़ा बुजुर्ग	प्रेम चन्द्र पुत्र राम नाथ	परचूनी	400-00
7	“	बृज किशोर पुत्र चन्द्र मोहन	परचूनी	400-00
8	खेड़ा ढौलपुर	राम कुमार पुत्र सरवन लाल	परचूनी	400-00
9	मलाजमी	हरीओम पुत्र रामफल	परचूनी	400-00
10	“	सुनील कुमार पुत्र छिदामी लाल	परचूनी	400-00
11	बीजपुरी खेरा	राज कुमार पुत्र राम सनेही	परचूनी	400-00
12	धनुहा	कमलेश पुत्र बाबूराम	आटा चक्की धान मशीन	1100-00
13	जसवन्त नगर	दुर्गा ढ़ाबाएन0एच0-2 मलाजमी प्रो0 सुरेन्द्र यादव	होटल	2000-00
			कुल योग	**8700-00**

इस प्रकार मु0 **8700-00** से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर - 08. आलोच्य वर्ष के लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि विकास खण्ड ताखा के दुकानो से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	उसरा हार	रवीन्द्र सिंह पुत्र रतन लाल	आभूषण	1200-00
2	समथर	जहॉवीर मोबाइल प्रो0 आदेश कुमार	मोबाइल	1500-00
3	अधीनी	विवेक कुमार पुंत्र कृपाल सिंह	आटा चक्की	500-00
4	पापकलॉ	मे0 अजय सिंह प्रो0 राम प्रकाश	आटा चक्की, पालेशर, स्पेलर	3100-00
5	रिदौली	नजरा सिंह पुत्र जोरा सिंह	आटा चक्की	500-00
			कुल योग	**6800-00**

इस प्रकार मु0 6800-00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री रविकान्त यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर - 09. जिला पंचायत इटावा की ग्रामीण क्षेत्रो के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ठेका देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके जिला पचायत इटावा को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	स्थल	नाम दुकानदार	व्यवसाय	शुल्क
1	बीचपुरा खेड़ा	अहिबरन सिंह पुत्र सीताराम राहिनबसरेहर	देशी शराब	5000-00
2	जैतपुरा	श्रीमती मंजू लता यादव	,,	5000-00
3	कटेखेरा	अश्वनी कुमार पुत्र शिव राम	,,	5000-00
4	नगला गौर	रानी देवी पत्नी मेवा राम मडैया	,,	5000-00
5	रमीकावर	जितेन्द्र िंसह चौहान पुत्र रामाधार	,,	5000-00
6	समथर	सुनील कुमार पुत्र उदय नारायण	,,	5000-00
7	चन्दरपुरा	श्रीमती सुनीता पत्नी शिव राम	,,	5000-00
8	बिरारी	जितेन्द्र सिंह पुत्र मुन्ना	,,	5000-00

9	लेखराकुॅआ	श्रीमती हेम लता पत्नी	विदेशी मदिरा	5000-00
10	मनियामऊ	अरविन्द कुमार यादव	बीयर	4000-00
11	महेवा	किरन बाला पत्नी आनन्त राम	,,	4000-00
12	जल पोखरा	बृजेश कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह	,,	4000-00
13	बरालोकपुर	राधे श्याम पुत्र शुभम सिंह	,,	4000-00
14	पछायगॉव	शनि माथुर पुत्र महाराज	,,	4000-00
15	बहारपुरा	जगत नारायण पुत्र बाबू राम	,,	4000-00
16	पुठनसकरौली	महेश सिंह पुत्र पेशकार सिंह	,,	4000-00
17	नगलाबारी	सत्येन्द्र सिंह पुत्र सुघर सिंह	,,	4000-00
			कुल योग	**77000-00**

इस प्रकार मु0 77000-00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह पटल प्रभारी श्री राजीव कुमार दीक्षित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल उत्तरदायी है।क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित (मूल आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर - 10. लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2022 को निर्माण कार्य अपूर्ण रहे।

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**अनुमानित स्वी0 जी0एस0 टी0 सहित**	**कार्यादेश में कार्य पूर्ण होने के दिनांक की सहमति**	**31.03.2022 तक व्यय धनराशि**
1	विकास क्षेत्र बढ़पुरा में ऊदी इटावा मार्ग से खड़जा कार्य।	18-89	31-03-21	1674400-00
2	जिला पंचायत कार्यालय में अनुरंक्षण कार्य।	9-97	31-03-21	245280-00
3	विकास क्षेत्र भरथना के. इकदिलनोगाह मार्ग से डेरा बफारा तक खड़जा कार्य।	9-98	20-05-21	874720-00
4	जिला पंचायत इटावा अध्यक्ष आवास में एक नया कमरा का निर्माण	9-99	31-03-21	776160-00
5	वि0क्षे0महेव के महेवापुरावली मार्ग से मेहदीपुर तक खडण्जा कार्य	9-89	31-03-21	833280-00

6	विक्षे0 के ग्राम पिलका मौजा सरवां में खडण्जा कार्य	9-99	31-03-21	505120-00
7	वि0क्षे0 ताखा के साथनाडामर रोड से मगरियाभगी तक सी0सी0 कार्य	38-84	31-03-21	3465280-00
8	वि0क्षे0 महेवा के ग्रमाधरमपुरा में प्रा0पा0 से नहर के किनारे प्रा0 नाले का निर्माण	10-00	20-05-21	347000-00
			योग	**8721240-00**

उपरोक्त अपूर्ण कार्यो का पूर्ण विवरण न प्राप्त होने से पूर्ण व्यय धनराशि संदिग्ध है। कार्य योजना में कार्य पूर्ण होने का समय लगभग 3 माह निर्धारित किया गया है। दिनांक 31.03.2022 को अपूर्ण रहने का स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए था जबकि ऐसा विवरण लेखा परीक्षण में प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला पंचायत के रू0 8721240.00 का दुरूपयोग हुआ है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल, लेखाकार श्री गया प्रसाद एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री आशुतोष कुमार उत्तर दायित्व है।क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-11 वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद के पशुरोधालयों की शुद्धिपत्र दिनांक 15.03.2021 को निलामी हेतु बोलीदाता को नीलामी समिति के पास जमानत राशि मु0 2000/- नगद जमा करने की सूचना जिला पंचायत कार्यालय शुद्धिपत्र पत्रांक52 दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित की गयी जिसके क्रम में अधिकतम बोली के सापेक्ष कांजी हाउस चकर नगर,बसरेहर,ताखा तथा पछायगांव की पत्रावली में रसीदें गत वर्ष की छायाप्रति लगाकर ठेका दिया गया है। मात्र कांजी हाउस हैबरा की पत्रावली में रसीद 004861 दिनांक 22.03.2021 मु0 500/- की पाई गई। जबकि पांच पशुरोद्यालयों के लिए पशुओं के भरण पोषण हेतु रूपये351630.00 का भुगतान किया गया है। इसमें से रू0 55680.00 है बरापशुरोद्यालय को भुगतान किया गया है इस प्रकार बिना स्वीकृत बजट तथा अनियमित रूप से पशुरोधालयचकर नगर,बसरेहर,ताखा व पछायगांव को नीलामी अवैध होने के कारण भुगतान मु0 295950.00 किया गया अनियमित है जिसके लिए अ0मु0अधि0 श्री राम गोपाल, वित्तीय परामर्श दाता श्री आशुतोष कुमार, कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह एवं पटल सहायक श्री सन्तोष कुमार निगम उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-12 निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य बहुत विलम्ब से कराये गये जिसके सापेक्ष बहुत कम धनराशि विलम्ब शुल्क के रूप में ठेकेदारों से काटी गयी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यपूर्ण करने की सहमति दिनांक	कार्यपूर्ण की तिथि	भुगतान की धनराशि	विलम्ब शुल्क वाजिब अधि0 10	वसूल	कम वसूल
1	वि0क्षे0बढ़पुरा के ग्राम जहरौली के मौजा रमपुरा में दिनेश प्रजापाति के मकान से नल की ओर संपर्क मार्ग	31.01.2021	31.12.2021	934400.00	93440.00	1000.00	92440.00
2	वि0क्षे0महेवा के विरहीपुराबम्बा की पुलिया से लेकर धर्मपुरा गांव तक खड़ण्जा कार्य	31.01.2021	20.12.2021	706300.00	70630.00	1000.00	69630.00
3	वि0क्षे0 भरथना के रेलवे लाइन के किनारे में पतालपुरी हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	20.05.2021	07.12.2021	988900.00	98890.00	1000.00	97890.00
4	वि0क्षे0 ताखा के भड़रपुराकछपुराडामर रोड से सरसईनावर तक लिंक डामर मार्ग तक खड़ण्जा कार्य	20.05.2021	26.01.2022	955600.00	95560.00	1000.00	94560.00
5	वि0क्षे0 महेवा के ग्राम सराय इलाही में गुरूदेव के स्थान से सेंगर नदी तक सी0सी0 व नाली कार्य	31.01.2021	30.12.2021	883000.00	88300.00	1500.00	86800.00
						योग	**441320-00**

इस प्रकार रूपये441320.00 ठेकेदारों से विलम्ब शुल्क कम काटना अनियमित रहा जिसके लिए अपर मु0अधि0 श्री राम गोपाल एवं लेखाकार श्री गया प्रसाद उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर-13 निम्नविवरणानुसार सम्पत्तियों से किराया वसूली वर्ष दौरान शून्य रही।

क्र0 सं0	दुकान का नाम	किरायेदार का नाम	दिनांक 01.04.21 को प्रा0 शेष	वर्ष की मांग	योग	वर्ष में वसूली	31.03.2022 को अवशेष
1	सरोजनी रोड भरथना दु0सं0 4	मनोज कुमार	2290.00	17172.00	19462.00	0.00	19462.00
2	प्रा0पा0 भरथना की उ0पूर्व की गैलरी	संजीव	----	5760.00	5760.00	0.00	5760.00
3	मा0वि0बसरेहरदु0सं0 2	राममूर्ती सविता	-----	2860.00	2860.00	0.00	2860.00
4	मा0वि0बसरेहरदु0सं0 13	राममूर्ती सविता	38260.00	2860.00	41120.00	0.00	41120.00
5	मा0वि0बसरेहरदु0सं0 14	श्रीमती शीला देवी	38260.00	2860.00	41120.00	0.00	41120.00
6	मा0वि0बसरेहरदु0सं0 15	प्रदीप गुप्ता	38760.00	2860.00	41620.00	0.00	41620.00
7	क0मा0वि0इकदिलदु0सं0 4	परवेज	1801.00	3108.00	4909.00	0.00	4909.00
8	क0मा0वि0इकदिलदु0सं0 21	अभिषेक पोरवाल	-----	1220.00	1320.00	0.00	1320.00
9	क0मा0वि0 जसवंत नगर दु0सं0 4	सह0 संघ जसवंत नगर	4062.00	9372.00	13434.00	0.00	13434.00
10	भूमि/भवन अस्पताल कम्पाउण्ड जसवंत नगर	सह0 संघ जसवंत नगर	238.80	27.60	266.40	0.00	266.40

11	प्रा0पा0इकदिल की भूमि	अध्यक्ष शिक्षा प्रसारण समिति	1054.00	68.00	1122.00	0.00	1122.00
12	म0वि0इकदिल की भूमि	रमेश	2256.00	15920.00	18176.00	0.00	18176.00
13	प0वि0विकृमपुरा पुराना भवन		19515.00	3528.00	23043.00	0.00	23043.00
						योग	**214212.40**

इस प्रकार रू0 214212.00 से जिला पंचायत को क्षति हुई है जिसके लिए कर अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह अ0मु0 अधिकारी श्री राम गोपाल एवं पटल प्रभारी श्री राजीव कुमार दीक्षित उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज वित्त में मु0 71204792.00 अनुदान प्राप्त हुआ था जिसका 25 प्रतिशत रू0 17801198.00 वेतन पेंशन पर व्यय किया जा सकता था जबकि वेतन पेंशन व विज्ञापन पर रू0 21018096.00 व्यय किया गया है इस प्रकार रू0 3216898.00 अधिक व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री राम गोपाल लेखाकार श्री गया प्रसाद एवं वित्तयी परामर्शदाता श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-25)

जनपद - फर्रूखाबाद मण्डल-कानपुर

जिला पंचायत-फर्रुखाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20

<u>प्रस्तर-1</u> वर्ष 2019-20 में संस्था की सम्पत्तियों के किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित संस्थाओं/ कार्यलयों पर किराया अवशेष है जिसकी वसूली हेतु प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे बकाया निरन्तर बढ़ता जा रहा है विवरण निम्नवत् हैः-

क्र०सं०	नामसंस्था	पुरानाअवशेष	वर्षकी माँग	कुल माँग	वर्ष में वसूल	वर्षान्त में अवशेष

1	आर०ई०एस०	1144976.00	0.00	1144976.00	0.00	1144976.00
2	ए०आर०टी०ओ०	363837.00	23760.00	387597.00	0.00	387597.00
3	दुकान नं0-1	61767.00	7332.00	69099.00	0.00	69099.00
4	दुकान नं0-2	69967.00	7332.00	77299.00	0.00	77299.00
5	दुकान नं0-3	10940.00	7332.00	18272.00	0.00	18272.00
6	दुकान नं0-4	59451.00	7332.00	66783.00	0.00	66783.00
7	दुकान नं0-5	24783.00	7332.00	32115.00	0.00	32115.00
8	चुनाव कार्या०	122364.00	13596.00	135960.00	122364.00	13596.00
9	डी०आर०डी०ए०	289824.00	72456.00	362280.00	0.00	362280.00
	योग	2147909.00	146472.00	2294381.00	122364.00	2172017.00

उपरोक्त धनराशि रू0-2172017.00 की अनियमितता हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह उत्तरदायी हैं।उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ० सं०-25)

<u>प्रस्तर-2</u> चुन्नूपुर गढ़िया से चौसपुर सम्पर्क मार्ग तक खडण्जा कार्य, निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्न कमियों पायी गयी-

1. सम्बन्धित अन्तिम भुगतान बिल सं0-270 दिनांक 20.07.2019 पर चेक संख्या, दिनांक दर्शित नहीं है साथ ही प्राप्ति पर ठेकेदार के हस्ताक्षर भी नहीं है।

2. कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के ई-निविदा सूचना पत्रांक-1002 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार आमन्त्रित निविदायें दिनांक 20.12.2018 के निविदा समिति द्वारा खोली जानी थी किन्तु पत्रावली से संलग्न नोटशीट नं0-1 के अनुसार दिनांक 03.01.2019 को तकनीकी निविदा एवं दिनांक 07.01.2019 को वित्तिय निविदा खोली गयी। इस प्रकार निविदा निर्धारित तिथि पर नहीं खोली गयी।

3. पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य की जमानत धनराशि रू०-99580.00 की पुष्टि में कोई भी एफ०डी०/एन०एस०सी० की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है साथ ही ठेकेदार से सम्बन्धित जमानत रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः जमानत प्राप्ति, वापसी आदि की स्थिति अज्ञात रही।

4.कार्यालय जिला पंचायत के पत्राक-1279 दिनांक 18.02.2019 के कार्यादेश अनुसार उक्त कार्य दिनांक 17. 04.2019 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु पत्रावली में संलग्न नोटशीट से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य दिनांक 18.06.2019 को पूर्ण हुआ है। इस प्रकार निर्धारित अवधि से 02 माह बाद कार्य पूर्ण किया गया किन्तु ठेकेदार को भुगतान करते समय विलम्ब के लिए कोई अर्थदण्ड/जुर्माना नहीं लिया गया। चूंकि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया है अतः ठेके के नियम / शर्तों के अनुसार विलम्ब के लिए अनुमानित लागत का 1% रू0-11170.00 (अनुमानित लागत रू०-1116992.00) अर्थदण्ड लगाया जाना था जो कि नहीं लगाया गया है। अतः उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाय अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह / लेखाकार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

5. पत्रावली की जाँच में पाया गया कि टेंडरदाताओं के द्वारा धरोहर धनराशि अनुमानित लागत का 2% की जमा की पुष्टि में एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० की छायाप्रति सलग्न नहीं है साथ ही धरोहर धनराशि जमापंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे धरोहर धनराशि जमा / वापसी की स्थिति अज्ञात रही।इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रू0-1065955.00 अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एन०पी० सिंह एवं लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू०आ० सं०-26)**

<u>प्रस्तर-3</u> जिला निधि के कैशबुक की जाँच में पाया गया कि एस०बी०आई० के खाता सं0-11120665468 में अवशेष रू0-926932.00 दर्शाया गया है जो विगत वर्षों से दर्शाया जा रहा है किन्तु इसकी पासबुक / बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर दर्शित अवशेष की पुष्टि नहीं करायी गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन०पी० सिंह तथा लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ० सं०-27)

<u>प्रस्तर-4</u> राज्य वित्त की कैशबुक में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के खाता सं०-13606 में अवशेष रू0-118105.00 दर्शित है किन्तु यह अवशेष दिनांक 21.10.2010 से यथावत दर्शाया जा रहा है। अवशेष की पुष्टि में बैंक से पुष्टि प्रमाण पत्र भी लेकर नहीं रखा गया है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन०पी० सिंह तथा लेखाकार तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू०आ० सं०-28)**

<u>प्रस्तर-5</u> ग्राम सभा हैवतपुर गढ़िया से पक्की सड़क से गढ़िया पुठा तक राज्य वित्त से कराये गये खडण्जा कार्य, निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) जिला पंचायत कार्यालय के पत्रांक-613 दिनांक 24.10.2019 एवं पत्रांक 650 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा ऑनलाइन आमन्त्रित निविदायें जो कि दिनांक 30.11.2019 को खोली गयी जिसे माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.12.2019 द्वारा प्राप्त ई-निविदाओं में से कई निविदाओं में उचित प्रतिस्पर्धा न होने के कारण निरस्त कर दिया गया किन्तु पत्रावली में उक्त दिनांक 18.12.2019 का आदेश संलग्न न होने से स्थिति स्पष्ट न हो सकी सथ ही प्राप्त / निरस्त की गयी निविदाओं का कोई विवरण पत्रावली में संलग्न न होने से उनकी प्रतिस्पर्धी होने या न होने की जॉच न की जा सकी। स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(2) ई-निविदा दो दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की जानी थी किन्तु उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां पत्रावली में संलग्न न होने से प्रकाशन की पुष्टि न की जा सकी।

(3) इकरारनामें के अनुसार कार्य दिनांक 26.04.2020 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया जिसके लिए अन्तिम लेखा बिल से रू0-3405.00 का अर्थदण्ड/जुर्माना काटा गया है किन्तु संलग्न ठेके की शर्तों के अनुसार अनुमानित लागत का 1% रु017135.00 का अर्थदण्ड वसूल किया जाना था अतः शेष रु013730.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह / लेखाकार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(4) धरोहर धनराशि (2%) की पुष्टि में जमा एफ०डी०/एन०एस०सी० की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न न होने से धरोहर धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू०आ० सं०-29)**

<u>प्रस्तर-6</u> गौटिया मार्ग पर श्यामवीर की दुकान से हजारी लाल के घर तक लेपन मरम्मत कार्य, निर्माण कार्य पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) ई-निविदा दो दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की जानी थी किन्तु उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां पत्रावली में संलग्न न होने से प्रकाशन की पुष्टि न की जा सकी।

(2) कार्य पूर्ण होने की तिथि इकरारनामे के अनुसार दिनांक 19.04.2020 थी किन्तु उक्त दिनांक को कार्य पूर्ण नहीं किया गया इसलिए अन्तिम भुगतान बिल से रू०-255.00 का अर्थदण्ड / जुर्माने की धनराशि काटी गयी है किन्तु पत्रावली ठेका की शर्तों के अनुसार टेण्डर की धनराशि का 1% रू0-1970.00 की कटौती की जानी थी।

अतः शेष रू0-1715.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह / लेखाकार उत्तरदायी है। उपर्युक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) धरोहर धनराशि (2%) की पुष्टि में जमा एफ०डी०/एन०एस०सी० की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न न होने से धरोहर धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू०आ० सं०-30)**

<u>प्रस्तर-7</u> आंतर कड़हर मार्ग सरह से गौरकरनपुरवा होते हुए गोपालपुर सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य, निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 24.04.2019 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनाक 21.08.2019 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः पत्रावली में संलग्न ठेका की शर्तों के अनुसार विलम्ब शुल्क कार्य की अनुमानित लागत (2273033.00) का 1% रू0-22730.00 काटा जाना चाहिए था जबकि अन्तिम भुगतान बिल से मात्र रू0-2508.00 की कटौती की गयी है। अतः रू0-20222.00 वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह /लेखाकार उत्तरदायी है।

(2) ई-निविदा दो दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की जानी थी किन्तु उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां पत्रावली में संलग्न न होने से प्रकाशन की पुष्टि न की जा सकी।

(3) धरोहर धनराशि अनुमानित लागत का 2% के जमा की पुष्टि में एफ०डी०/एन०एस०सी० की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाय गयी जिससे निविदादाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जमा की पुष्टि न की जा सकी।

अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ० सं०-31)

<u>प्रस्तर-8</u> वर्ष 2019-20 में निजी स्रोत से हुई आय में मृत पशु शव निस्तारण शीर्ष में रू0-194000.00 की आय हुई। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-862बी/35-314(2) 84 दिनांक 10.03.1987 एवं शासनादेश सं0-2203/3-2797-43बी (87)/95 टी०सी० दिनांक 30.05.1997 के प्राविधानों के अनुसार उक्त आय का 50% अर्थात रू0-97000.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए किन्तु जिला पंचायत द्वारा ऐसा न कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया।

अतः अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मू०आ० सं०-18)**

जिला पंचायत-फर्रुखाबाद **लेखा परीक्षा वर्ष-2020-21**

प्रस्तर-9 सुल्तानपुर पलनापुरगौशाला सम्पर्क मार्ग में लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-
(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।
(2) पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण के अनुसार केवल 02 निविदायें मैसर्स माधुरी मिश्रा एवं मैसर्स बलराम सिंह यादव द्वारा निविदा डाली गयी। जिसमें मैसर्स बलराम सिंह यादव की निविदा न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत की गयी। उ0प्र0 प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल 2016 के प्रस्तर 14.15 (4) के अनुसार सामान्यतः कम से कम तीन सफल तकनीकि निविदा प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः टेण्डर प्रक्रिया के सम्पादन हेतु न्यूनतम 03 निविदादाता का होना आवश्यक है ताकि अधिक प्रतिस्पष्र्धा के कारण संस्था को कम से कम दर पर कार्य करने वाला मिल सकें। इस प्रकार केवल 02 निविदादाता के आने के बावजूद टेण्डर को निरस्त न करके मैसर्स बलराम सिंह यादव का टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा।
(3) जी0एस0टी0 10 प्रतिशत रू0-155412.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा राजकीय राजस्व मद में जमा का चालान पत्रावली में अप्राप्त रहा।
(4) पत्रावली में निविदा प्रकाशन की पुष्टि में दैनिक समाचार पत्र आज व हिन्दुस्तान को उपरोक्त निविदा सूचना अपने आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल जिला पंचायत कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये है किन्तु सम्बन्धित प्रतियाॅ पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।
(5) लेवर सेस की काटी गयी धनराशि रू0-12134.00 श्रम विभाग में जमा करने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
(6) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 14.02.2021 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनांक 15.06.2021 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-15541.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि मात्र रू0-1232.00 की ही कटौती गयी। इस प्रकार रू0-14309.00 की कटौती कम की गयी। अतः रू0-14309.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी है।
(7)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली-1984 के नियम सं0-39 के अनुसार रू0-5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0-10.00 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है तथा रू0-10.00 लाख से अधिका लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा फिर निरीक्षण किया जायेगा किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रू0-1213458.00 अनियमित रहा।जिसके तत्कालीनअपर मुख्य अधिकारी श्री एन0पी0 सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0 सं0-26)

प्रस्तर-10 विकास खण्ड कमालगंज में नवादा जरारी मार्ग फुसुक्कापुर से रसूलपुर सम्पर्क मार्ग 500मी तक लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-

(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(2) पत्रावली में संलग्न श्रम विभाग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या-डी-30001328 दिनंाक 07.10.2020 जो कि 10 श्रमिकों हेतु लेपन कार्य दिनांक 27.09.2020 से 26.11.2020 तक के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार कार्यादेश के अनुसार कार्य की तिथि 22.06.2020 से 21.08.2020 तक ही है। जबकि लेवर रजिस्टेªशन बाद की तिथि का है। स्पष्ट है कि यह रजिस्ट्रेशन कार्य की शुरूआत के बाद कराया गया है।

(3) जी0एस0टी0 10 प्रतिशत रू0-85810.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा राजकीय राजस्व मद में जमा का चालान पत्रावली में अप्राप्त रहा।

(4) लेवर सेस की काटी गयी धनराशि रू0-9300.00 श्रम विभाग में जमा करने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(5) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 21.08.2020 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनांक 01.11.2020 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-8642.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि मात्र रू0-1723.00 की ही कटौती गयी। इस प्रकार रू0-6919.00 की कटौती कम की गयी। अतः रू0-6919.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एन0पी0सिंह, वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0 सं0-27)

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत कड़हर में कुंवरपुर कड़हर मार्ग से कुमरपुरा के लिए डा0 रामआसरे के मकान तक सम्पर्क मार्ग व सी0सी0 कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-

(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(2) कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-410/निर्माण/जि0पं0फर्रु0/2020-21 दिनांक 27.07.2020 द्वारा रजिस्टर्ड पत्र भेजकर माॅ वैष्णो इन्टरप्राइजेज को जिला पंचायत में पंजीकरण हेतु पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर पंजीकरण कराने हेतु सूचना दी गयी थी किन्तु पत्रावली में उक्त फर्म का जिला पंचायत फर्रुखाबाद में पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।

(3) पत्रावली में मां वैष्णो इन्टरप्राइजेज का संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र संख्या-869/है0प्र0पत्र0-2018 दिनांक 13.08.2018 जो दिनांक 12.08.2020 को अमान्य हो गया है। इसी प्रकार चरित्र प्रमाण पत्र 02/ए0जे0ए0 -बीस-वि0(च0प्र0प0-18) दिनांक 02.07.2018 भी दिनांक 01.07.2020 तक ही वैध था इस प्रकार कार्यादेश की तिथि दिनांक 17.12.2020 को एक ऐसी फर्म को ठेके का कार्यादेश जारी किया गया जिसका चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र

अवैध था या कालातीत था एवं यह फर्म जिला पंचायत फर्रुखाबाद में पंजीकृत भी नहीं थी। अतः उक्त निर्माण कार्य पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि अनियमित है।

(4) पत्रावली में निविदा प्रकाशन की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रों की प्रतियाॅपत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(5) लेवर सेस की काटी गयी धनराशि रू0-7640.00 श्रम विभाग में जमा करने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(6) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 16.02.2021 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु कार्य दिनांक 23.02.2021 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-7180.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि मात्र रू0-773.00 की ही कटौती गयी। इस प्रकार रू0-6407.00 की कटौती कम की गयी। अतः रू0-6407.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(7) शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है, कि ''जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य को सम्पादित करेगी।'' किन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में कार्य कराकर उक्त शासनादेश का उल्लघंन किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रू0-764090.00 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एन0पी0 सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0 सं0-29)

प्रस्तर-12 सिरोली मार्ग से पट्टी प्रद्युम्न लेपन व मरम्मत कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-

(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(2) पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण के अनुसार केवल 02 निविदायें मैसर्स मंशा इन्टरप्राइजेज एवं मैसर्स मीना कन्ट्रेक्टर्स द्वारा निविदा डाली गयी। जिसमें मैसर्स मंशा इन्टरप्राइजेज की निविदा न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत की गयी। उ0प्र0 प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल 2016 के प्रस्तर 14.15 (4) के अनुसार सामान्यतः कम से कम तीन सफल तकनीकि निविदा प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः टेण्डर प्रक्रिया के सम्पादन हेतु न्यूनतम 03 निविदादाता का होना आवश्यक है ताकि अधिक प्रतिस्पष्र्धा के कारण संस्था को कम से कम दर पर कार्य करने वाला मिल सकें। इस प्रकार केवल 02 निविदादाता के आने के बावजूद टेण्डर को निरस्त न करके मैसर्स मंशा इन्टरप्राइजेज का टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा।

(3) पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध में दर्शित यू0बी0आई0 की एफ0डी0आर0 सं0-631103030003448 दिनांक 17.11.2019 मूल्य रू0-400000.00 (उपरोक्त कार्य हेतु जमानत जमा धनराशि रू0-87838.00) पत्रावली मंे संलग्न नहीं पायी गयी। साथ ही ठेकेदारवाइज प्रथक से ऐसा कोई लेजर नहीं रखा गया है कि उसकी कौन सी एफ0डी0 किन-किन कार्यो के लिए जमानत के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

(4) पत्रावली में निविदा प्रकाशन की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रों की प्रतियाॅ पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(5) लेवर सेस की काटी गयी धनराशि रू0-8707.00 श्रम विभाग में जमा करने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(6) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 26.02.2020 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनांक 13.11.2020 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-9887.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि मात्र रू0-1161.00 की ही कटौती गयी। इस प्रकार रू0-8726.00 की कटौती कम की गयी। अतः रू0-8726.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त व्यय रू0-870697.00 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एन0पी0 सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0 सं0-28)

प्रस्तर-13 कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-27/नाजीर/जि0पं0/2018-19 दिनांक 12.04.2018 के द्वारा अपर मुख्य अधिकारी के प्रयोगार्थ गाड़ी हेतु कुटेशन आमंत्रित किये गये थे जिसके क्रम में गाड़ी संख्या-यूपी-76वी-06222 के मालिक उदय प्रताप सिंह के साथ रू0-22000.00 प्रतिमाह के आधार पर अनुबन्ध किया गया। पत्रावली में श्री उदय प्रताप सिंह का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर भी संलग्न नहीं पाया गया। वाहन का पंजीकरण भी व्यवसायिक नहीं है। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार श्री उदय प्रताप सिंह को रू0-264000.00 का भुगतान किया गया है। सम्बन्धित भुगतान से आयकर की धारा-194सी के तहत 2प्रतिशत टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की धारा-51 के तहत 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 भी नहीं काटा गया है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ए0एम0ए0 श्री एन0पी0 सिंह, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

भुगतान की तिथि	धनराशि	अवधि
17.06.2020	22000.00	मार्च-2020
17.06.2020	22000.00	अप्रैल-2020
17.06.2020	22000.00	मई-2020
27.07.2020	22000.00	जून-2020
03.09.2020	22000.00	जुलाई-2020
24.09.2020	22000.00	अगस्त-2020
20.10.2020	22000.00	सितम्बर-2020
27.11.2020	22000.00	अक्टूबर-2020
22.12.2020	22000.00	नवम्बर-2020

12.01.2021	22000.00	दिसम्बर-2020
12.03.2021	22000.00	जनवरी-2021
26.03.2021	22000.00	फरवरी-2021
योग	264000.00	

प्रस्तर-14 कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-678/नाजीर/जि0पं0/2016-17 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय हेतु किराये की गाड़ी का कुटेशन आमंत्रित किया गया था जिसके क्रम में पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध पत्र में किराये के बिल में धनराशि में सफेदा लगाकर रू0-29500.00 किया गया है जबकि नियमानुसार कटिंग कर धनराशि लिख कर उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। साथ ही संलग्न पत्रावली में यादव टे्वेल्स का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर भी संलग्न नहीं पाया गया। वाहन का पंजीकरण भी व्यवसायिक नहीं है। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार यादव टे्वेल्स को गाड़ी संख्या-यूपी-32जे0डी0-3508 हेतु रू0-307783.00 का भुगतान किया गया है। सम्बन्धित भुगतान से आयकर की धारा-194सी के तहत 2प्रतिशत टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की धारा-51 के तहत 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 भी नहीं काटा गया है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ए0एम0ए0 श्री एन0पी0 सिंह, वित्तीय परामर्श दाता श्री योगेश कुमार एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

भुगतान की तिथि	बिल की तिथि	धनराशि	अवधि
17.06.2020	03.04.2020	29500.00	मार्च-2020
17.06.2020	01.05.2020	29500.00	अप्रैल-2020
17.06.2020	01.06.2020	29500.00	मई-2020
20.10.2020	02.07.2020	29500.00	जून-2020
20.10.2020	11.08.2020	29500.00	जुलाई-2020
04.12.2020	02.09.2020	29500.00	अगस्त-2020
04.12.2020	01.10.2020	29500.00	सितम्बर-2020
04.12.2020	07.11.2020	29500.00	अक्टूबर-2020
31.12.2020	17.12.2020	29500.00	नवम्बर-2020
12.01.2021	06.01.2021	29500.00	दिसम्बर-2020
12.03.2021	13.01.2021	12783.00	जनवरी-2021
योग		307783.00	

(मू0आ0 सं0-35)

प्रस्तर-15 प्रपत्र सं0-5 से जिला निधि की कैशबुक की जाच में पाया गया कि रसीद सं0-323385 से 323392 द्वारा कुल वसूली रू0-31700.00 की गयी किन्तु इसके सापेक्ष कर समाहर्ता श्री मोहित यादव द्वारा दिनांक 01.02.2021 को रू0-28700.00 ही चालान द्वारा बैंक में जमा कराये गये। अतः अन्तर की धनराशि रू0-3000.00 की वसूली श्री मोहित यादव से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0 सं0-33)

प्रस्तर-16 प्रपत्र सं0-5 से जिला निधि की कैशबुक की जाॅच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों की धनराशि का योग रू0-68080.00 होता है किन्तु कर समाहर्ता श्री सुखपाल द्वारा उक्त रसीदों के सापेक्ष रू0-68060.00 ही दिनांक

16.09.2020 को बैंक में जमा कराये गये। अतः अन्तर की धनराशि रू0-20.00की वसूली कर समाहर्ता श्री सुखपाल से कर बैंक में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

क्रम सं0	रसीद संख्या	दिनांक	रसीद में अंकित धनराशि
1	322079	05.09.2020	10020.00
2	322080	06.09.2020	10020.00
3	322081	07.09.2020	10020.00
4	322082	08.09.2020	1240.00
5	322083	09.09.2020	13220.00
6	322084	10.09.2020	13220.00
7	322085	11.09.2020	10020.00
8	322087	14.09.2020	320.00
	योग		68080.00

(मू0आ0 सं0-31)

प्रस्तर-17 प्रपत्र सं0-5 से जिला निधि की कैशबुक की जाॅच में पाया गया कि रसीद सं0-322088 से 322096 तक का योग रू0-41680.00 होता है किन्तु कर समाहर्ता श्री सुखपाल द्वारा दिनांक 01.10.2020 को रू0-41180.00 ही चालान द्वारा बैंक में जमा कराये गये। उल्लेखनीय है कि कैशबुक में रू0-41680.00 की ही प्रविष्टि की गयी है। अतः रू0-500.00 की वसूली श्री सुखपाल से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0 सं0-32)

प्रस्तर-18 दिनांक 03.07.2020 को विद्युत बिल सं0-152158423856 का भुगतान रू0-87675.00 का किया गया है। किन्तु भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित रसीद संलग्न नहीं पायी गयी। अतः भुगतान अपुष्ट एवं अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ए0एम0ए0 श्री एन0पी0 सिंह एवं लेखाकार श्री अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0 सं0-38)

प्रस्तर-19 कायमगंज फर्रुखाबाद रोड से बघऊ सम्पर्क मार्ग की रेलवे क्रासिंग के पास बने मार्ग से आगे नगला समाधान सम्पर्क सी0सी0 कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-

(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(2) निविदा खोलने का दिनांक कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-32 दिनांक 08.05.2020 द्वारा दिनांक 22.05.2020 था जिसे कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-103 दिनांक 30.05.2020 द्वारा दिनांक 02.06.2020 किया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रांक पर अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है।

(3) पत्रावली में संलग्न ठेकेदार श्रीमती कुसुमलता दुबे का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2021 तक का ही है जबकि पत्रावली में संलग्न प्रपत्र-66 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 26.05.2021 है। अतः ठेकेदार से पंजीयन प्रमाण पत्र को वर्ष 2021-22 तक के लिए रिन्यूवल कराये बिना कार्य कराया जाना अनियमित है।

(4) पत्रावली में संलग्न कार्यादेश पत्रांक-203 दिनांक 17.06.2020 में स्पष्ट उल्लेख है, कि कार्य में प्रयुक्त श्रमिक/मिस्त्री का पंजीयन श्रम विभाग फर्रुखाबाद में कराते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें, किन्तु पत्रावली में सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली मे संलग्न ठेकेदार श्रीमती कुसुमलता दुबे का श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2017 तक ही वैध है। पत्र के नीचे दिनांक 05.07.2017 से दिनंाक 31.03.2022 तक का रिन्यूवल उल्लिखित है किन्तु उसमें श्रम विभाग से सक्षम अधिकारी के मोहर व हस्ताक्ष्ज्ञर नहीं पाये गये।

(6) श्रीमती कुसुमलता दुबे को दिये गये कार्यादेश पत्रांक-203 दिनांक 17.06.2020 में अंको में धनराशि रू0-829099.00 दर्शित है जबकि शब्दों में आठ लाख उन्नीस हजार निन्यानवे मात्र दर्शित है।

(7) श्रीमती कुसुमलता दुबे से किये गये अनुबन्ध पत्र में पृष्ठ सं0-16 पर यह अंकित है कि ''अनुबन्ध शर्तो को पढ़कर एवं समझकर श्रीमती कुसुमलता दुबे पत्नी स्व0बालकराम दुबे ठेकेदार ने नीचे हस्ताक्षर किये है।'' किन्तु वस्तुतः पृष्ठ संख्या-16 पर नीचे कुसुमलता दुबे के हस्ताक्षर ही नहीं है।

(8) निविदा खुलने का दिनांक 02.06.2020 था किन्तु ई-प्रोक्योमेण्ट सिस्टम उत्तर-प्रदेश सरकार की शीट जो इन्जीनियर जितेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी में तिथि 06.06.2020 दर्शित है एवं 'ओपेन बिफोर अस'की मोहर पर सम्बन्धित इन्जीनियर, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर भी है।

(9) पत्रावली में श्रीमती माधुरी मिश्रा (ठेकेदार) का चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत एवं अनुभव प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्टेªशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है जबकि तकनीकी विड विवरण मे सभी संलग्न दर्शाये गये है।

(10) कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-32 दिनांक 08.05.2020 द्वारा ई-निविदा सूचना दी गयी एवं प्रतिलिपि के क्रमांक-9 पर सम्पादक दैनिक समाचार पत्र आज व हिन्दुस्तान को उपरोक्त निविदा सूचना अपने आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल जिला पंचायत कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये है किन्तु सम्बन्धित प्रतियाॅ पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(11) पत्रावली में संलग्न ई-निविदा सूचना अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित लागत पर 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करनी होगी किन्तु किसी भी ठेकेदार की धरोहर धनराशि (रू0-18656.00) का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(12) निर्माण कार्य में विचलन विवरण के अनुसार रू0-23581.87 का इम्वैकमेन्ट का कार्य प्रस्तावित था जो बिल्कुल नहीं कराया गया। इस कार्य के सम्पन्न न होने से कार्य के अधोमानक न होने का कोई प्रमाण पत्र अभियन्ता द्वारा नहीं दिया गया है। अतः कार्य अधोमानक रहा। इस प्रकार टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन क्लाज 301.5 का उल्लंघन किया गया।

(13) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 16.08.2020 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनांक 26.05.2021 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-8328.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए था। जो नहीं की गयी। अतः रू0-8328.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एन0पी0सिंह, वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-24)

प्रस्तर-20 त्योरी इस्माइलपुर से घुडियापुर सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीः-

(1) प्राक्कलन के पूर्व स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(2) निविदा खोलने का दिनांक कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-32 दिनांक 08.05.2020 द्वारा दिनांक 22.05.2020 था जिसे कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-103 दिनांक 30.05.2020 द्वारा दिनांक 02.06.2020 किया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रांक पर अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है।

(3) निविदा खुलने का दिनांक 02.06.2020 था किन्तु ई-प्रोक्योमेण्ट सिस्टम उत्तर-प्रदेश सरकार की शीट जो इन्जीनियर जितेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी में तिथि 06.06.2020 दर्शित है एवं 'ओपेन बिफोर अस'की मोहर पर सम्बन्धित इन्जीनियर, वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर भी है।

(4) कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद के पत्रांक-32 दिनांक 08.05.2020 द्वारा ई-निविदा सूचना दी गयी एवं प्रतिलिपि के क्रमांक-9 पर सम्पादक दैनिक समाचार पत्र आज व हिन्दुस्तान को उपरोक्त निविदा सूचना अपने आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल जिला पंचायत कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये है किन्तु सम्बन्धित प्रतियाॅ पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(5) ठेकेदारश्री नेत्रपाल सिंह का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जिला पंचायत फर्रुखाबाद में पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की छायाप्रति आदि पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयीं।

(6) जमानत के रूप में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की एफ0डी0आर0 नम्बर-3820303466 दिनंाक 27.05.2020 रू0-800000.00 (ए0एम0ए0 फर्रुखाबाद के पक्ष में बन्धक) की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी।

(7) कार्य आदेश के अनुसार कार्य दिनांक 26.09.2020 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु कार्य दिनांक 23.02.2021 को पूर्ण किया गया। स्पष्ट है कि कार्य विलम्ब से पूर्ण कराया गया। अतः निर्माण कार्य नियमवली-1984 के अध्याय-4 के खण्ड-2ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निमार्ण कार्य की अनुमानित की धनराशि के 1 प्रतिशत अर्थात् रू0-34903.00 की राशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी जबकि मात्र रू0-4248.00 की ही कटौती गयी। इस प्रकार रू0-30655.00 की कटौती कम की गयी। अतः रू0-30655.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति मेंतत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एन0पी0सिंह, वित्तीय परामर्शदाता योगेश कुमार एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-25)

प्रस्तर-21 वर्ष 2020-21 के वर्षान्त में कुल रू0-1123350.00 की धनराशि तहबाजारी मद में अवशेष रही। जिसकी वसूली हेतु प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	तहबाजारी स्थल का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि	विकास खण्ड का नाम
1	रजीपुर	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शिवपाल सिंह	37000.00	कमालगंज
2	नबावगंज	श्री होतेलाल पुत्र श्री भूरेलाल	17500.00	नबावगंज
3	हाथीपुर	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री जदुनाथ सिंह	17850.00	बढ़पुर
4	सलेमपुर	श्री दिनेश मिश्रा पुत्र श्री राममनोहर मिश्रा	29000.00	राजेपुर
5	घटियाघाट	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ कब्बू पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुव नरायन पाण्डेय	101500.00	राजेपुर

6	रजीपुर	श्री सुनील कुमार पुत्र शिवपाल सिंह	67000.00	कमालगंज
7	राजेपुर	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवरतन सिंह	21500.00	राजेपुर
8	घटियाघाट	श्री अनुराग सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह	110000.00	राजेपुर
9	नबावगंज	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अनुरूद्ध कुमार	81500.00	नबावगंज
10	नबावगंज	श्री किशनपाल पुत्र श्री फूलसिंह	30000.00	नबावगंज
11	घटियाघाट	श्री अनिल सिंह पुत्र श्री श्रीकृष्ण	50000.00	नबावगंज
12	नबावगंज	श्री किशनपाल पुत्र श्री फूलसिंह	21000.00	नबावगंज
13	घटियाघाट	श्री कासिम खाॅ पुत्र श्री यासीन खाॅ	160000.00	बढ़पुर
14	मसेनी चैराहा	श्री आलोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू मिश्रा	230000.00	बढ़पुर
15	नबावगंज	श्री शिवरतन राजपूत पुत्र श्री नन्हें राजपूत	45000.00	नबावगंज
16	जसमई दरवाजा	श्री सुदेश कुमार यादव पुत्र श्री राम औतार यादव	24500.00	बढ़पुर
17	फैजबाग	श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता	20000.00	बढ़पुर
18	सलेमपुर	श्री अवधेश पाण्डेय पुत्र श्री बलराम पाण्डेय	30000.00	बढ़पुर
19	कायमगंज रायपुर मोड	श्री सुबोध गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता	30000.00	बढ़पुर

जिसके लिये तत्कालीन ए0एम0ए0 श्री एन0पी0सिंह एवं सम्बन्धित पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-36)

जिला पंचायत-फर्रुखाबाद लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22

प्रस्तर -**22** कायमगंज सम्पर्क मार्ग से सादिकपुर तक सम्पर्क मार्ग लेपन व मरम्मत कार्य में पत्रावली में संलग्न कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक 04.10.2021था किन्तु वास्तविक रूप से कार्य पूर्ण 17.6.22को हुआ है किन्तु संस्था द्वारा मात्र 1000 का विलम्ब शुल्क काटा गया है। जबकि विलम्ब हेतु प्रतिदिन लागत का 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था। इस प्रकार अनुमानित लागत 7.27लाख का 10 प्रतिशत-/72700 काटा जाना चाहिये था। जबकि मात्र रू 1000 0की कटौती गयी है। रू -/71700 0संस्था द्वारा कम कटौती की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह ,वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादउत्तरदायी है।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।)मूल आपत्ति सं-001

प्रस्तर 23-कर समाहर्ता श्री स्नेहा कुमार द्वारा 2000 की रसीद काटी गयी है किन्तु यह धनराशि जिला निधि में जमा नहीं की गयी है। इस आर्थिक दुरूपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादउत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है (मूल आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर 24-जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021.22 में मत्स्य आखेट मद से प्राप्त धनराशि रु का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया है। यह धनराशि 230000.00 रूपये बनती हैअपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादउत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर 25-जिला पंचायत फर्रूखाबाद की परिसम्पत्तियों से वित्तीय वर्ष 2021.22 में किराया न वसूल होने के सम्बन्ध में-

संपत्ति का नाम	2021.22	कुल बकाया धनराशि
आर.ई.एस	0	1144976
नेडा	18000	18000
ए.आर.टी.ओ	15840	429177
शाप नं1.	7332	84374
शाप नं.2	7332	92574
शाप नं.3	7332	33574
शाप नं.4	7332	82058
शाप नं.5	7332	47390
चुनाव कार्यालय	13596	40788
डी.आर.डी.ए	72456	72456
योग	156552	2045367

इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा रू0 2045367 किराये का वसूल नहीं किया गया है जिसमें से रू0 156552 चालू वित्त वर्ष का है। संस्था द्वारा बताया गया सम्पत्तियों से किराये की वसूली हेतु प्रयास जारी है।रू0 2045367 की आर्थिक अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादउत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर 26-संस्था द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद फर्रूखाबाद में कतिपय व्यावसायिक संस्थानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं हो पायी है संस्था द्वारा बताया गया कि फील्ड स्टॉफ द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली के प्रयास किये जा रहे है। उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रू0 658000 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है। शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत वार्षिक शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस आर्थिक

अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादउत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर 27-फतेहुल्लापुर से कमालगंज जहानगंज सम्पर्क मार्ग लेपन व मरम्मत कार्य पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ पायी गयी।

पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र के बिन्दु-4 के अनुसार अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है। किन्तु पत्रावली में इस प्रकार के कोई भी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि प्राक्कलन मनमानी ढंग से तैयार किया गया है।

पत्रावली कार्यादेश संख्या 625 दिनांक 01.01.2021 के अनुसार लेपन कार्य में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्टक के शासनादेश सं0 305/33 अनुपालन में लेपन कार्य में प्रयुक्त होने वाले विटामिन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी जिसकी कटोती ठेकेदार के भुगतान में से की जायेगी किन्तु कार्य में ठेकेदार द्वारा अपना बिटमिन इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा कार्यदेश का उल्लंघन करते हुये निर्माण कराया गया है।

पत्रावली में कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व का फोटो कार्य पूर्ण होने का फोटो साइनबोर्ड दर्शित नहीं है।

पत्रावली में संलग्न कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने के का दिनांक 31.12.2021 था। जबकि कार्य पूर्ण होने की अन्तिम तिथि प्रपत्र-8 दिनांक 02.03.2022 इस प्रकार काय्र पूर्ण की तिथि से लगभग दो माह बाद कार्य पूर्ण होने के बावजूद रू0253 का अर्थदण्ड काटा गया है जबकि अर्थदण्ड के अनुमानित लागत रू0255500 का 10 प्रतिशत रू025550 होता है। इस प्रकार रू025297 कम काटकर संस्था को आर्थिक नुकसान पहुचाया गया है जिसके वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादसे की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर 28 -कर समाहत्ता श्री सुखपाल द्वारा रसीद सं0 12363 से 12373 तककुल रू0 14400.00 दिनांक 01.02.2022 को जिला निधि में जमा किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा अनुसार योग रू0 14600.00 होता है। इस प्रकार श्री सुखपाल से रू0 200.00 जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर 29-वाहन अनुबन्ध पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कार्यालय जिला पंचायत पत्रांक 65 दिनांक 28.04.2018 द्वारा उदय प्रताप पुत्र बालक राम सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नदौरा जिला फर्रूखाबाद की गाड़ी सं0 यूपी 76 वी 0622 का 23.04.2018 को आमंत्रित कोटेशन के क्रम में 22000.00 रू0 प्रतिमाह की दर से मय चालक के अनुबंध पर लगाया गया था। पत्रावली में सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कुल तीन लोगों द्वारा कुटेशन डाला गया था।

	वाहन सं0	वाहन स्वामी	किराया/प्रतिमाह	रजिस्टे^{a}शन का प्रकार
1	यूपी 767355	श्री सुशील त्रिपाठी	22500	फार्म 23 (सामान्य रजिस्ट्रेशन)
2	यूपी 76आर5226	श्री शिव कुमार	23000	फार्म 23 (सामान्य रजिस्ट्रेशन)

3	यूपी 76 वी 0622	श्री उदय प्रताप	22000	फार्म 23 (सामान्य रजिस्ट्रेशन)

अतः कामर्शियल वाहन का कुटेशन मिलने के बावजूद सामान्य रजिस्ट्रेशन वाले वाहन का अनुबन्धित करके अनुबंध पर किये जाने के नियमों का उल्लंघन किया गया है।अतः उक्त वाहन सं0 यूपी 76 वी 0622 पर अनियमित भुगतान करके संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है। विवरण निम्नवत है-

माह	धनराशि
अप्रैल-2021	22000.00
मई-2021	22000.00
जून-2021	22000.00
जुलाई-2021	22000.00
अगस्त-2021	22000.00

अतः उक्त वाहन सं0 सं0 यूपी 76 वी 0622 पर किये गये रू0 110000.00 के अनियमित भुगतान के लिये जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसादसे वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। वाहन सं0 सं0 यूपी 76 वी 0622 पर निम्न विवरण अनुसार डीजल पर व्यय किया गया है-

क्रमांक	भुगतान हेतु बिल सं0	दिनांक	भुगतान बाउचर नं0/दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	2228	28.02.2021	44/111.06.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	32768.00
2	1592	15.03.2021	45/11.06.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	16401.00
3	1594	16.03.2021	45/11.06.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	22151.00
4	1293	30.04.2021	135/02.07.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	14167.00
5	3215	31.05.2021	136/02.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	16284.00
6	1598	15.06.2021	171/11.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	17086.00
7	1599	30.06.2021	172/11.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	25190.00
8	1455	31.07.2021	229/27.09.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	30723.00
9	1486	31.08.2021	230/27.09.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	353646.00
		योग			210116.00

स्पष्ट है कि वाहन सं0 यूपी 76 वी 0622 पर 210116.00 का डीजल भुगतान पर व्यय किया गया। उक्त व्यय में निम्न कमियाँ पायी गयी। उक्त वाहन से सम्बन्धित लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे यात्राओं की पुष्टि न की जा सकी।

1.मूवमेन्ट रजिस्टर प्रस्तुत न करने से यह ज्ञान न हो सका कि यात्रा कहाँ-कहाँ की गयी एवं उनका उद्देश्य क्या था।

2.उक्त यात्राओं/डीजल पर व्यय से संसथा को क्या लाभ हुआ अर्थात इन यात्राओं का औचित्य क्या था।

3.यदि यात्राएँ मुख्यालय से बाहर भी की गयी है तो क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति ली गयी थी।
.4अतः उक्त वाहन पर व्यय किये गये डीजल की धनराशि रू 210116.00 0लाग बुक, मूवमेन्ट रजिस्टर एवं यात्राओं के औचित्य के अभाव में अपुष्ट रहा। इस प्रकार डीजल पर किये गये अनियमित भुगतान रू 210116.00 0हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह ,वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है।उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर 30-जिला पंचायत कार्यालय के पत्रांक-357 दिनांक 10.08.2021 द्वारा प्रकाशित कुटेशन विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र आज में प्रकाशन हेतु दी गयी जिसके सापेक्ष प्राप्त कुटेशन 17.08.2021 को खोले गये। जिसमें तीन कुटेशन-

	वाहन सं0	वाहनस्वामी	किराया/प्रतिमाह
1	यू.पी 76 ए के 4344	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र रामसरन	23500.00
2	यू.पी 76 46034	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम सिंह	30000.00
3	यू.पी 76 जे 8359	श्री शेर सिंह पुत्र श्री जगदीश	28000.00

उपरोक्त तीन कुटेशन के सापेक्ष कार्यालय जिला पंचायत के पत्रांक 402 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा सुभाष चन्द्र पुत्र श्री राम सरन को दिनांक 01.09.2021 से वाहन सं0 यू.पी 76 ए के 4344 मय चालक के उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्नप्रपत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन कार्मशियल रजिस्ट्रेशन के बिना ही अनुबंधित किया गया है। अतः उक्त वाहन पर किया गया सम्पूर्ण भुगतान अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जिसका विवरण निम्नवत है-

माह	धनराशि
सितम्बर-2021	23500.00
अक्टूबर-2021	23500.00
नवम्बर-2021	23500.00
दिसम्बर-2021	23500.00
जनवरी-2022	23500.00
फरवरी-2022	23500.00
मार्च-2022	23500.00

अतः उक्तवाहन सं0 यू.पी 76 ए के 4344 पर किये गये रू0 164500.00 के अनियमित भुगतान के लिये जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वाहन सं0 यू.पी 76 ए के 4344 पर निम्न विवरण अनुसार डीजल पर व्यय किया गया है।

क्रमांक	भुगतान हेतु बिल सं0	दिनांक	भुगतानबाउचर नं0/दिनांक	भुगतानप्राप्तकर्ता	धनराशि
1	2021	30.09.2021	-	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	30929.00
2	1757	31.10.2021	02.02.2022	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	34425.00

3	1706	30.11.2021	02.02.2022	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	32255.00
4	1726	31.12.2021	02.02.2022	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	26777.00
5	1357	31.01.2022	25.03.2022		30876.00
6	2300	28.02.2022	25.03.2022		19537.00
7	2114	31.03.2022			31405.00
			योग		206204.00

उक्त व्यय में निम्न कमियाँ पायी गयी।

1.उक्त वाहन से सम्बन्धित लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे यात्राओं की पुष्टि न की जासकी।

2.मूवमेन्ट रजिस्टर प्रस्तुत न करने से यह ज्ञान न हो सका कि यात्रा कहाँ-कहाँ की गयी एवं उनका उद्देश्य क्या था।

3.उक्त यात्राओं/डीजल पर व्यय से संसथा को क्या लाभ हुआ अर्थात इन यात्राओं का औचित्य क्या था। यदि यात्राएँ मुख्यालय से बाहर भी की गयी है तो क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति ली गयी थी। अतः उक्त वाहन पर व्यय किये गये डीजल की धनराशि रू0 206204.00लागबुक, मूवमेन्ट रजिस्टर एवं यात्राओं के औचित्य के अभाव में अपुष्ट रहा। इस प्रकार डीजल पर किये गये अनियमित भुगतान रू0 206204.00 हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-23)

प्रस्त 31-जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में जनरेटर हेतु डीजल मद पर निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय किया गया है।

क्रमांक	भुगतान हेतु बिल सं0	दिनांक	भुगतान बाउचर नं0/दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	1595	31.03.2021	46/11.06.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	9841.00
2	2313	31.04.2021	137/02.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	11421.00
3	2316	31.05.2021	138/02.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	10121.00
4	2343	30.06.2021	135/11.08.2021	मे0 कटियार फिलिंग स्टेशन	14638.00
		योग			46021.00

इस प्रकार जनरेटर के डीजल पर रू 46021.00 0का भुगतान किया गया किन्तु जनरेटर से सम्बन्धित लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः भुगतान अपुष्ट रहा। इस प्रकार जनरेटर डीजल पर रू 46021.00 0का अनियमित भुगतान किया गया जिसके लियेअपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह ,वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।)मूल आपत्ति सं-024

प्रस्तर 32-जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141 के अनुसार जिला पंचायत विभाग सम्पत्तिकर से होने वाली अपनी शुद्ध आय का एक प्रतिशत जिले के ग्राम पंचायत को देगी किंतु आलोच्य वर्ष में संपत्ति कर से प्राप्त आय रू0

1781590 में से ग्राम पंचायत को कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जो उक्त नियम के विपरीत रहा। इस आर्थिक अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0-27)

प्रस्त 33- पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खण्ड कमालगंज में रसूलपुर के ईसापुर सम्पर्क मार्ग का शेष भाग सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य का ठेका मेसर्स मीना कान्टैक्टर्स को दिया गया है। उक्त कार्य के प्रारम्भ से पूर्ण के फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 08.01.2022 को पूर्ण किया गया कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण अन्तिम बिल भुगतान रू0 1319.00 विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया था। उक्त रू0 1319.00 की कटौती अन्तिम भुगतान राशि रू0 147728.00 दिनांक 20.05.2022 से न कर अनियमितता की गयी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एन.पी.सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री योगेश कुमार एवं रिजवान अहमद एवं लेखाकार अम्बिका प्रसाद उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-28)

जनपद–कानपुर देहात मण्डल-कानपुर

<u>प्रारूप – 2</u>

<u>वार्षिक प्रतिवेदन</u> 2021-22

जनपद का नाम –कानपुर देहात मण्डल-कानपुर

संस्था का नाम -जिला पंचायत कानपुर देहात वर्ष 2021-22

प्रस्तर सं 1- जिला पंचायत कानपुर देहात के वर्ष 2021-22 के लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की गई है और न ही उन्हें लाइसेंस जारी किए हैं। विकास खंडवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	विकास खंड का नाम	विकास खंड मे स्थित दुकानों की सं	जारी लाइसेन्स की सं/शुल्क वसूली	दुकानों की सं जिनसे शुल्क वसूल नहीं हुआ
1	झींझक	68	29	39
2	अमरौधा	217	18	199

3	अकबरपुर	58	11	47
4	मैथा	85	55	30
5	राजपुर	60	34	26
6	डेरापुर	118	70	48
7	मलासा	83	43	40
8	संदलपुर	21	12	9
9	सर्वनखेड़ा	96	79	17
10	रसूलाबाद	70	8	62
		876	359	517

इस प्रकार जिला पंचायत के कार्मिकों की उदासीनता एवं अपने दायित्वों के प्रति निष्क्रियता के कारण आलोच्य वर्ष में जनपद में 517 दुकानें बिना लाइसेंस के ही अवैध रूप से संचालित रही तथा लाइसेंस शुल्क वसूल न किए जाने के कारण जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हुई।यदि 1 दुकान पर लाइसेंस शुल्क की औसत राशि रु 500 मान ली जाए तो आलोच्य वर्ष में इस मदद से जिला पंचायत को रु258500.00 की क्षति हुई जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह,कराधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री शिवाल तिवारी तथा समस्त वसूली कर्मी उत्तरदायी रहे। (मूल आपत्ति 7)

प्रस्तर सं 2-वर्ष 2021-22 में जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निम्न शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया न ही उन्हें लाइसेंस जारी किया गया

क्र.	दुकान का विवरण	विकास खंड मे स्थित दुकानों की सं	जारी लाइसेन्स की सं/शुल्क वसूली	दुकानों की सं जिनसे शुल्क वसूल नहीं हुआ
1	देशी शराब	64	61	03
2	अंग्रेजी शराब	23	-	232
3	बियर	8	-	8
		95	61	34

इस प्रकार जिला पंचायत के कार्मिकों की उदासीनता अपना दायित्व के प्रति निष्क्रियता के कारण आलोच्य वर्ष में जनपद मे 34 दुकानें बिना लाइसेंस के ही अवैध रूप से संचालित रही तथा लाइसेंस शुल्क वसूल ना किए जाने के कारण जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हुई प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क रुपया 3000 की दर से उक्त 34 दुकानों से रुपया 102000.00 लाइसेंस शुल्क वसूली नहीं किया गया। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह,कराधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री शिवाल तिवारी तथा समस्त वसूली कर्मी उत्तरदायी रहे। (मूल आपत्ति 8)

प्रस्तर सं 3- जिला पंचायत कानपुर देहात के भवन व दुकान किराया माँग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कतिपय दुकानों से किराया की वसूली नहीं की गयी। वर्ष की माँग वसूली का विवरण निमन्वत रहा:-

विवरण	धनराशि
गत वर्ष तक का बकाया	1292790.00
वर्ष 2021-22	1105760.00
वर्ष की वसूली	961730.00
वर्षांत मे बकाया	1436820.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की दुकानों से किराये की नियमित वसूली नहीं की जा रही है। बकाया पड़ने पर बकायदारों से प्रतिमाह दंडात्मक शुल्क भी नहीं लिया जाता है जो उचित नहीं है। उक्त बकाया की दंडात्मक शुल्क सहित वसूली की जानी चाहिए एवं किराये की समय से वसूली न करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह,कराधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री शिवाल तिवारी तथा राजस्व निरीक्षक श्री विमल कुमार कुशवाहा,पंकज यादव,अतुल कुमार सिंह,प्रमोद संखवार हरिओम ,विनीत कुमार अवस्थी एवं गंगा राम उत्तरदायी रहे। वसूली कार्मिकों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 9)

प्रस्तर सं 4- विकासखंड सरवन खेड़ा की संपत्ति एवं विभव कर के माँग वसूली रजिस्टर की जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आया:-

विवरण	धनराशि
वर्ष 2021-22 की मांग	2021850.00
गत वर्ष तक का बकाया	11523133.78
वर्ष की वसूली	1628495.00
वर्षांत मे बकाया	11916488.78

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली कार्मिकों की शिथिलता के कारण जिला पंचायत का रु 11916488.78 वसूली हेतु शेष रहा । जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह,कराधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री शिवाल तिवारी तथा समस्त वसूली कर्मी उत्तरदायी रहे। (मूल आपत्ति 10)

प्रस्तर सं 5 - जिला पंचायत कानपुर देहात के संपत्ति एवं विभव कर माँग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया है कि जनपद के निम्नलिखित विकास खण्डों में वर्ष के बाद 2019-20 बकाया माँग अंकित की गई है 2020 का कोई लेखा ही नहीं किया गया है मात्र वर्ष-है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.	विकास खंड का नाम	धनराशि वर्ष 2019-20 तक बकाया
1	अकबरपुर	8576962.03
2	संदलपुर	2149897.53
3	राजपुर	4277582.50

4	मलासा	1665052.58
5	डेरापुर	3588112.81
6	अमरौधा	4005819.85
7	रसूलाबाद	32367337.41
8	झींझक	4990027.23
9	मैथा	4541963.61
	योग	66162755.55

इस प्रकार पटल प्रभारियों,वसूली कर्मियों की निष्क्रियता के कारण जिला पंचायत कि इतनी बड़ी धनराशि वसूली हेतु शीर्ष पड़ी हुई है कार्याधिकारी श्री धर्मेन्द्र एवं श्री शिवाल तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया जो गंभीर आपत्ति जनक रहा उक्त रजिस्टरों की अद्याविधि पूर्ण कराकर बकाया कर की अविलंब वसूली की जानी चाहिए। (मूल आपत्ति 11)

प्रस्तर सं 6 -उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2133/33 सेल दिनांक 12/12/2019 प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम सहावा पोखरण जिससे रूरा गोरिया पुर डामर रोड तक संपर्क मार्ग पर करंजा कार्य हेतु दिनांक 23/12/2019 को निविदा आमंत्रित करते हुए न्यूनतम निविदा दाता मेसर्स ख़ान कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स,अहमद नगर,अकबरपुर कानपुर देहात को उक्त खरंजा कार्य का ठेका देते हुए दिनांक 04/06/2020 कार्यदेश जारी किया गया जिसकी आदेश संख्या 78 थी।उक्त कार्य की लंबाई 1480 मीटर व लागत रुपये 2004531.00 थी।कार्यादेश की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को उक्त कार्य दिनांक 05/06/2020 को प्रारम्भ कर दिनांक **04.09.2020** को समाप्त करना था । इस निर्माण कार्य का उक्त ठेकेदार को निम्नवत् भुगतान किया गया है:-

दिनांक	बिल क्रमांक	भुगतान की धनराशि
28/08/2020	प्रथम रनिंग बिल	537600.00
09/10/2020	द्वितीय रनिंग बिल	518560.00
11/10/2021	फाइनल बिल	1011920.00
	योग	2068080.00
घटाया	जीएसटी की धनराशि	221580.00
जोड़ा	गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए दंडात्मक शुल्क	13000.00
	शुद्ध भुगतान की राशि	1859500.00

उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं:-

क) ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य एक वर्ष विलंब से पूरा किया गया है फिर भी उत्तर प्रदेश जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली1984 के खंड 2-ग में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त भुगतान की धनराशि रुपये1859500.00 का 10% रुपया 185950.00 विलंब के लिए प्रतिकार ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया है।

जिला पंचायत कानपुर देहात में अवर अभियंता के रूप में कार्यरत श्री दीपक कुमार की दिनांक 30/4/2021 आख्या के अनुसार उक्त निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा 1380 मीटर में कराया गया है तथा शेष 100 मीटर पर नहर विभाग द्वारा कार्य कराया गया है लेकिन तुम बहार विभाग से इस प्रति कोई प्रमाण नहीं लिया गया है जिससे उक्त निर्माण में डुप्लिकेसी की पूरी संभावना है। अतः नहर विभाग से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि उक्त निर्माण स्थल की 1380 मीटर लंबाई में विगत पाँच वर्षों में कोई निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में निर्माण कार्य पर किए गए वह रुपया1859500.00 की वसूली निम्न उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाए 1.श्री दीपक कुमार अवर अभियंता 2. श्रीमति मंजू सिंह अभियंता 3. श्री राजेन्द्र प्रसाद अपर मुख्य अधिकारी।

नहर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने की दशा में ठेकेदार से विलंब शुल्क रु 189500.00 न वसूल करने के लिए उत्तरदायी अवर अभियंता श्री दीपक कुमार अभियंता श्रीमति मंजू सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव से संयुक्त रूप से विलंब शुल्क की राशि जमा कराई जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 12)

प्रस्तर सं 7-आलोच्य वर्ष के निम्न निर्माण पत्रावली की जाँच की गई:-

क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की माप	भुगतान की राशि
1	कैलाई के मजरा बक्स पुरवा मे शिवली रावतपुर के मध्य डामर रोड से खरंजा तक खरंजा निर्माण कार्य	262700.00	176 x 3.00 वर्ग मी	260064.00
2	मानपुर डेरे मे नैना पुर प्रा.वि. तक खरंजा निर्माण कार्य	807900.00	-	790384.00

उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां है :-

क) पत्रावली में कार्यस्थल की कार्य के प्रारंभ व कार्य पूर्ण होने के फ़ोटोग्राफ़ संलग्न नहीं है।

ख) प्रतिवेदन में कार्य की वर्तमान स्थिति में क्षतिग्रस्त कच्चा मार्ग होना बताया गया है जबकि एस्टिमेट में 1.30 मीटर ऊँचे झाड़ी व कांटेदार पौधों की सफ़ाई का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार झंडी व काँटेदार पौधों की सफ़ाई का काल्पनिक एस्टिमेट तैयार कर इस पर व्यय किया गया है जो अनियमित रहा।

ग) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 48 के अनुसार सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

क्रमांक 01 के कार्य में ठेकेदार से रुपये 26270.00 एवं क्रमांक 02 के कार्य में रुपये 72508.00 ज़मानत जमा कराकर ठेकेदार से अनुबन्ध किया जाना था किन्तु क्रमशः रूपये 6435.00 एवं 14502.00 ठेकेदार से एफ.डी.के रूप में जमा कराया गया तथा क्रमशः शेष धनराशि रु 19835.00 एवं रु. 58006.00 ठेकेदार से ज़मानत जमा नहीं कराई गई।उक्त अनियमितताओं के लिए अभियंता श्रीमती मंजू सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री मणींद्र सिंह उत्तरदायी रहे। (मूल आपत्ति 13

जनपद का नाम - कानपुर नगर मंडल -कानपुर

जिला पंचायत वर्ष 2021 – 2022

प्रस्तर संख्या 1 -प्रमाणक संख्या 63 दिनांक 23-10-21 द्वारा रु 7120.00का भुगतान श्री सतेन्द्र कुमार अवर अभियंता को वाहन संख्या यू0 पी0 78 बी0जी0 0889 के मरम्मत हेतु हुएव्यय से संबंधित प्रस्तुत बाबा कार एसेसरीज बिल संख्या 501 दिनांक 03- 08-21 के सापेक्ष किया गया जिससे संबंधित निम्न आपत्तियाँ रही -

1- शासनादेश संख्या 8011 बी / 33-2-85-212/72 पं0 राज अनु0 -2 दिनांक 28-10-1986 का अनुपालन जिला पंचायत द्वारा नहीं किया गया है जिसके अनुसार रु 5000-00 से ऊपर के समस्त मरम्मत कार्य की स्वीकृति उ0 प्र0 शासन पंचायती राज अनुभाग-2 से आवश्यक है।

2- जिले मे स्थित अधिकृत गैराजों में कम से कम 3 कोटेशन (यहॉ केवल 2 अधिकृत गैराज है। यह उन्ही दो के अनुसार कोटेशन प्राप्त किया जाएगा। जब तक अनुमान मण्डल आयुक्त/ शासन के पंचायती राज अनु0 -2 से स्वीकृत न हो जाए तब तक मरम्मत कार्य प्राइवेट निजी अधिकृत गैराज को न दिया जाए।

3- बजट मे व्यय संबंधी प्राविधान है या नहीं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया।

4- बदले गए पार्ट्स/ पुर्जे को गैराज से प्राप्त कर स्क्रैप रजिस्टर मे उल्लेख नहीं किया गया।

5- वाहन संख्या यू0पी0 78 बी0जी0 0889 के लॉग बुक मे गाड़ी सारवान की तिथि मे (दिनांक 03-08-21) अंकित है परंतु लॉग बुक मे गाड़ी मरम्मत हेतु बाबा कार एसेसरीज के यहॉ जाना नहीं दर्शित है जो आपत्तिजनक पाया गया।

6- संलग्न बिल पर किसी का नाम अंकित नहीं पाए गए। नाम की जगह कैश अंकित पाया गया।

7- रु 7120.00 का नगद भुगतान बाबा कार एसेसरीजको श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा दिया गया लेकिन रु0 7120.00 की रसीद भुगतान प्राप्त कर्ता से प्राप्त नहीं की गई। जो आपत्तिजनक रहा। फलत रु0 7120.00 के अनियमितएवं अपुष्टित भुगतान हेतु श्री रवींद्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह लेखाकार, श्री सतेन्द्र कुमार अवर अभियंता को उत्तरदायी मानते हुए आवश्यककार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर संख्या 2-प्रमाणक संख्या 49 दिनांक 16-09-21 द्वारा क्रमश 77210.00 व 5211.00 का भुगतान क्रमश दैनिक जागरण एवं स्वतंत्र चेतना समाचार पत्र को वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि

के बालू मौरंग मिट्टी आदि को उद्गम स्थलों से ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के ठेकों की नीलामी की सूचना प्रसारण किए जाने हेतु किया गया जिससेसंबन्धित निम्न आपत्तियाँ प्रकाश मे आयी-

क- शासनादेश संख्या 11544 ग /33-3-3 सी (16) 175 दिनांक 13/4/76 जिसके अनुसार 5000.00 से अधिक की धनराशि के विज्ञापन के संबंध मे शासन की व्यय पूर्व स्वीकृति की जानी अपेक्षित है। उक्त व्यय के संबंध मे शासनदेश का पालन नहीं किया गया जो आपत्तिजनक रहा न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मे भुगतान न किए जाने के सम्बद्ध मे कोई आख्या/ प्रमाण पत्र दिया है।

ख-बिल वर्ष 2018-19 से संबंधित रहा जिसके भुगतान हेतु कोई प्रार्थना पत्र भुगतान प्राप्त कर्ता द्वारा नहीं दिया गया।

ग- वर्ष 2018-19 मे भुगतान हेतु देय रहे बिलों की सूची/ खाता अप्रस्तुत रहा। फलत किए गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी ।

घ-लेखाकार द्वारा किए गए भुगतान के सापेक्ष बजट संबंधी अपनी आख्या अंकित नहीं की गई किया गया भुगतान किस वर्ष के बजट से किया जा रहा जो अपेक्षित रहा।

बिलों का विवरण निम्न रहा-

क्रम	समाचार पत्र	बिल संख्या	धनराशि
1	दैनिक जागरण	2 के 1802002638/ 817118	12779.00
2	दैनिक जागरण	2 के 1802010237/ 25.07.18	23962.00
3	दैनिक जागरण	2 के 1803006179/ 16.03.18	8520.00
4	दैनिक जागरण	2 के 180400849/ 20.04.18	31949.00
			77210.00

फलत रु0 77210.00 अनियमित एवं अपुष्टित भुगतान हेतु श्री रवींद्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह लेखाकार को उत्तरदायी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर संख्या 3पंचम राज्य वित्त के तहत ग्राम एमनपुर मे मेन रोड से जूनियर हाई स्कूल तक सी0 सी0 कार्य, विकास खंड सरसौल से संबंधित वर्ष 2021- 2022 निर्माण कार्य पत्रावली की जांच मे निम्न आपत्तियाँ पाई गई। जिससे उक्त कार्य पर किया गया व्यय रु0 19.36 लाख अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

1- उ0 प्र0 शासन पंचायती राज अनुभाग -2 संख्या 2849/33-2-1996 दिनांक 28 मई 1996 के प्रस्तर 3(1) के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कराए जाने वाले कार्य का डिजाइन व ड्रॉइंग शासन को भेजा जाना चाहिए था। जो जिला पंचायत कानपुर नगर द्वारा नहीं भेजा गया।

2- शासनदेश संख्या /यू ओ 179/33-2-97 दिनांक 20 जनवरी 1998 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व जिन मार्गों पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उन मार्गों पर विगत पाँच वर्षो मे कराए गए कार्यो का विवरण तथा व्यय की गई धनराशि का उल्लेख किया जाए जो नहीं किया गया है।

3- निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 का अनुपालन संदर्भित निर्माण कार्य के लिए नहीं किया गया। जिसके अनुसार स्वीकृत नक्शे अनुमान या निर्माण कार्य मे तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो उसकी स्वीकृति न दे दे। उक्त कार्य मे निम्न अनुसार विचलन किया गया है-

कार्य का	बॉन्ड के अनुसार			वास्तविक कार्य			विचलन		
प्रकार	क्यू0	रेट	धनराशि	क्यू0	रेट	धनराशि	क्यू0	रेट	प्रतिशत
अर्थ वर्क	552	153.30	84621.60	376.87	153.30	57774.17	175.13	28647.42	3572
12 मि0 मी0 प्लास्टर	150	159.70	23995.00	40	159.70	6388.00	110	17567.00	73.33

इस संबंध मे विचलन का कारण भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

4- पत्रावली की जांच मे पाया गया कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 10/12/21 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 09/02/22 सुनिश्चित की गई थी जबकि माप पुस्तिका (67/78-79) के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि 18/04/22 को पाया गया। इस प्रकार निर्धारित अवधि से लगभग 2 माह विलंब से कार्य समाप्त किया गया। जिसके लिए निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 4 के खंड 2-ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्य समाप्त न करने पर संबंधित ठेकेदार से विलंब हेतु निर्माण कार्य की अनुमानित लागत कीधनराशि के एक प्रतिशत अर्थात 19410.00 की राशि प्रतिकर के रूप मे वसूल की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया।

5- शासनदेश संख्या 4863 बी/ 33-2-93 /27अगस्त 1993 जो जिला पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों की निविदाओ को स्वीकृति तथा कार्यों के स्थलीय निरीक्षण से संबंधित है। के

प्रस्तर 2(स) के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन मे नीव मे गिट्टी फर्श की ढलाई के कार्य के समय अवर अभियंता जिला पंचायत निर्माण स्थल पर उपस्थित रहकर कराए। जो उक्त निर्माण कार्य के संबंध मे नहीं पाया गया। मूवमेंट रजिस्टर व उपस्थिति संबंधी फ़ोटो द्वारा पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा।

6- उक्त शासनदेश के प्रस्तर 2 (द) फर्श की ढलाई जिला पंचायत अभियंता की उपस्थिति मे सम्पन्न होना चाहिए था। जो नहीं पाया गया। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा, उक्त कार्य के दौरान अभियंता की उपस्थिति प्रमाणित नहीं पाई गई। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा।

7- शासनदेश संख्या 4863 सी/33-2-93 के प्रस्तर 2(अ) के अनुसार मिट्टी कार्य अथवा अर्थवर्क के समय अवर अभियंता सड़क का लंबाई को 50 मीटर अथवा 10 के गुणक की दूरी जो भी उपयुक्त हो ऐसी त्रुटियों पर अपेक्षित क्रॉस सेक्शन के प्रोफाइल्स बनवाएगा तथा इसका रिकार्ड मेजरमेंट करेगा जो नहीं किया गया है।

8- उक्त शासनदेश संख्या के 2(द) के अनुसार जिला पंचायत के अभियंता रोड मेटेरीयल आपूर्ति (स्टोन ब्लास्ट स्टोन ग्रिट) का शत प्रतिशत चेकिंग कर प्रमाणपत्र देंगे। अपर मुख्य अधिकारी भी आपूर्ति गई सामग्री के भुगतान से पूर्व स्थल निरीक्षण करेंगे। जो नहीं किया गया है।

9- शासनादेश से 4863 सी/33-2-93 के 2(चा) के अनुसार रोड मैटिरियल की आपूर्ति के बाद प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार स्टोन ब्लास्ट की बिछाई कराकर कुटाई का कार्य सम्पादित होने के उपरांत जिला पंचायत अभियंता द्वारा उसको जाँच कर यह सुनिश्चित करेंगे की कुटाई के उपरांत सड़क की अपेक्षित क्रेष्ट थिकनेस मौके पर उपलब्ध रही। उक्त आशय से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला पंचायत अभियंता द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न नहीं किया गया।

10-पत्रावली को जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व उक्त कार्य का परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण किये जाने अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण नहीं पाया गया, जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या39 के प्रतिकूल रहा।

11-शासनादेश संख्या 4077 (1) 33-2-99-48 जी/99 द्वारा गठित निर्माण कार्य समिति से कराये गये कार्य के संबंध में भुगतान से पूर्व कार्य के गुणवत्ता पूर्ण होने संबंधी अनुशंसा/ स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो आपतिजनक रहा।

12-शासनादेश संख्या 1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16/3/2000 अनुसार रुपया पाँच लाख से अधिक की धनराशि के ठेकों के संबंध में तीन दैनिक समाचार पत्रो में ठेका नीलामी की सूचना का प्रसारण किया जायेगा। पत्रावली के साथ संदर्भित निर्माण कार्य

संबंधी ठेके का विज्ञापन की प्रति पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक रहा। इस वित्तीय अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार व अभियंता बी. के. सिंह व जे.ई सुश्री नंदितावर्मा उत्तरदायी रहे। जिस निमित्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.7)

प्रस्तर संख्या 4 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के लाइसेन्स रजिस्टर की जाच में पाया गया कि वर्ष दौरान विकासखंड चौबेपुर ककवन, शिवराजपुर, कल्याणपुर, घाटनपुर, पतारा, बिधनू, भीतरगांव के दुकान, फैक्ट्री, पालेसर, रईस निल, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप की अधिकांश लाइसेंसो का नवीनीकरण नहीं किया गया न ही राजस्व निरीक्षक / सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा बंदी की आख्या अंकित की गई न ही इस सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा कोई नोटिस निर्गत की गयी है अतः जिला पंचायत द्वारा इन दुकानों का अवैध संचालन कराया जा रहा है तथा संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021-22 में रुपये 6761981.00 की वसूली हुई है जिसके सापेक्ष वर्ष 2020-21 में लाइसेंस मद से प्राप्त 7962215.00 की धनराशि अभिलेखों में दर्शित की गई है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में रू.1200234.00 लाइसेंस शुल्क मद में कम वसूली की गई है। संस्था द्वारा कम वसूली किये जाने का उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार गत वर्ष तुलना में रु.1200234.00 की कम वसूली करके रु.1200234.00 की क्षति की गयी है जिस हेतु कार्य अधिकारी श्री विनोद सिंह उत्तरदायी है। तत्कालीन कर अधिकारी का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं.8)

प्रस्तर संख्या 5 पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1870/ 33-3-2020-33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020द्वारा15 वे वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायतों क्षेत्र पंचायतों एंव ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये है।15 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को दो भागों में 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाईड ग्रांट तथाटाइड ग्राण्ट के रूप में (बेसिक अनुदान 50 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभागवित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-15 (2) एफसी/ डी. सी. एफ/ बी. एक्स2021 दिनांक 01-06-2020 तथा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं० जी- 39011/2 /2017 एफ दिनाक डी.02.07.2020 के अनुपालन में टाईड ग्रान्ट का उपभोग के क्षेत्र निर्धारित किये गये है टाइड ग्राण्ट से मात्र सेनिटेशन एवं पेयजल पर ही धनराशि व्यय की जा सकती है। जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22मे कराए गए कार्यों की समीक्षा मे यह

तथ्य प्रकाश मे आया की लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत 15 वे वित्त आयोग की कैशबुक के अनुसार टाइड ग्रांट के अंतर्गत विभिन्न कार्य कार्य कराए गए जिन का विवरण निम्नावत है-

क्रम स0	कार्य संख्या	कार्य का नाम	विकास खंड	धनराशि
1	114	ग्राम पंचायत फुफुवार सुईथोक मे उत्तम सिंह के खेत से दुबड़का तालाब तक नाला निर्माण कार्य	सरसौल	30.98
2	115	ग्राम होरा बांगर मे आबादी से अलिमको के पीछे तक नाला निर्माण (0-250)	कल्याणपुर	48.84
3	116	ग्राम होरा बांगर मे आबादी से अलिमको के पीछे तक नाला निर्माण (250-500)	कल्याणपुर	48.84
4	117	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(0-220)	कल्याणपुर	42.87
5	118	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(220-440)	कल्याणपुर	42.87
6	119	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(440-660)	कल्याणपुर	42.87
7	120	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(660-880)	कल्याणपुर	42.87
8	121	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(880-1100)	कल्याणपुर	42.87
9	122	विकास खंड कल्याणपुर मे एन.टी.पी.सी के पीछे से पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण(1100-1300)	कल्याणपुर	38.98
10	123	ग्राम अरऔल(अइंगापुर) से नाले तक नाला निर्माण	बिलहौर	10.23
11	124	मंधना पचोर मार्ग पर बी.पी.एम.जी इन्टर कॉलेज से मंधना पुलिया तक नाला निर्माण	चौबेपुर	25.93
12	125	ग्राम सभा इंदलपुर मे नाला निर्माण	शिवराजपुर	23.17
13	126	कुढ़नी मे जयबीर के घर से परशुराम के खेत तक निर्माण कार्य	भीतरगाव	22.16
14	127	ग्राम सभा जोरावरपुर मे नाला निर्माण	शिवराजपुर	18.73
15	128	ग्राम सभा करौली मे सुनील कोरी के घर से प्राइमेरी स्कूल तक नाला निर्माण	बिधनू	18.81
16	129	ग्राम सभा सिधौली मे मुर्गी फार्म से सईद बाबा तक नाला निर्माण	बिलहौर	17.73
17	130	धनमतिरामपुर ग्राम पंचायत मकरंदपुर से बाजार तक नाला निर्माण	घाटमपुर	17.75
18	131	मेहरअलीपुर मे मिश्री लाल के घर से छनि लाल के खेत तक नाला निर्माण	भीतरगाव	17.75
19	132	ग्राम सपाई के मजरा बमबी मे मान सिंह के घर से भगवानदीन के घर तक नाला निर्माण	बिधनू	16.14
20	133	ग्राम फुफुवार सुई थोक मे प्रसाद कुशवाहा के घर से मुमताज के घर तक नाला निर्माण	सरसौल	15.55
21	134	ग्राम चिटकिनपुर मे ब्रजेश के दरवाजे से प्रदीप निषाद के घर तक नाला निर्माण	घाटमपुर	15.93
22	135	ग्राम सभा कटरा घनश्यामपुर मिलन केंद्र के पास से इंद्रपाल सिंह चौहान के घर के पास तक नाला निर्माण व सी0सी0 कार्य	कल्याणपुर	15.85
		योग		617.72

जो स्पष्ट रूप से शासनदेशों के विपरीत एवं वित्तीय अनियमित्तता है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री रवींद्र कुमार लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा छेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावाली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर संख्या (6)- शासनदेश संख्या 623/33-2-18-114 जी /2008 टीसी दिनांक 15/02/18 द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 142, 143 के साथ पठित धारा 239 एवं 242(2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किए गए थे कि खनिजों के उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाए, वसूली किए जाने हेतु सभी जिला पंचायते अपनी उपविधि में नियमानुसार संशोधन कर लें । उत्तर में बताया गया कि 26/04/2018 इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की नई थी परंतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में बोली प्राप्त ना होने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा स्वयं शुल्क वसूली की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस प्रकार विगत वर्ष के सापेक्ष रू0 21.30 लाख राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी इसके लिए विनोद सिंह अभियंता व अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं।

(मूल आपति सं.22)

प्रस्तर संख्या (7)-उ0.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी मदिरा के व्यवसाय पर प्रस्तावित लाईसेंस दरों को अधिनियम की धारा 243 (2) के अंतर्गत प्रावधानित करते हुए जिला पंचायत कानपुर नगर द्वारा अपने परिधिगत क्षेत्र में रु. 5000 बिसर पर एवं रु. 2500 प्रतिवर्ष दुकान राजस्व वसूली हेतु गज़ट दिनांक 12 जुलाई 2014 में प्रकाशित करवाया था वर्ष 2021-22 में देशी विदेशी शराब की दुकाने 261 थी जिनमे से लगभग 200 दुकानों से रु.200x2500-500000.00 वसूली हेतु न तो मांग सृजित की गयी न ही वसूली की गयी। इसके लिए अपरमुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार व श्री ज्ञान धन सिंह व कार्य अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तरदायी है।

(मूल आपति सं.25)

प्रस्तर संख्या (8)-चकरपुर मंडी में जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र की 1197 दुकानें हैं जिनसे गत कई वर्षों से लाइसेंस शुल्क व विभव कर की वसूली नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की गजट 12-07-2014 के अनुसार लाइसेंस शुल्क रु 2500×97=2992500 एवं विभव का रुपए 6000 X1197=7182000 कुल 10174000 प्रतिवर्ष के आधार पर गत 4 वर्षों का बकाया रु.50870000.00 एवं वर्तमान वर्ष का रू. 10174000.00 कुल रु. 61044000.00 की क्षति जिला पंचायत को हुई।

रु. 10174000.00 की वसूली हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार व श्री ज्ञान धन सिंह व कार्य अधिकारी श्री विनोद कुमार उत्तर दायी हैं।

(मूल आपत्ति सं. 26)

प्रस्तर सं0 9- -प्रमाणको की जाच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 84 दिनांक 15.03.22 एवं प्रमाणक संख्या 85 दिनांक 15.03.22 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त वर्ष 2019-2020 के शासकीय अनुदान की राशि से क्रमशः रु 750000.000 एवं रू0 984000.00 का भुगतान मेसर्स रामजीवन को जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत कार्यालय एवं जिला पंचायत परिसर में स्थित आवास हेतु फर्नीचर साज सज्जा एवं घरेलु इलेक्ट्रिक उपकरण के क्रय किये जाने हेतु किया गया जिससे संबंधित निम्न आपत्तियॉ रहीं-

1-जिला पंचायत कानपुर नगर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त वर्ष 2019-20 के शासकीय अनुदान की राशि से फर्नीचर व जिला पंचायत परिसर में स्थित आवास हेतु फर्नीचर साज सज्जा, एवं घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण क्रय की गई जो उ0प्र0 शासन दवारा जारी शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग -03 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर 03 व 07 का उल्लंघन कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया। क्रय की गई वस्तुओं का विवरण निम्न प्रकार रहा।

क्रम	प्रमाणक संख्या	वस्तुओ का नाम	संख्या	दर	धनराशि
1	85/15-03-22	लकड़ी का बेड	03	70000.00	210000.00
2		बेड का गद्दा	03	35000.00	105000.00
3		सोफ़ा सेट	01	65000.00	65000.00
4		ड्रेसिंग टेबल	02	16000.00	32000.00
5		लकड़ी का डाइनिंग टेबल	01	50000.00	50000.00
6		43” एल0ई0डी0. टीवी	03	50000.00	150000.00
7		पैन्ट्री सेट अप	01	50000.00	50000.00
8		फ्रिज	01	17000.00	17000.00
9		कर्टन	75	1350	101250.00
10		इंटरनेट कनेक्टर	02	10000	20000.00
11		2.0 टन स्प्लिट एसी	01	80000.00	80000.00
			छूट	1496.43	
			जी.एस.टी	105450.43	
		योग		984204.00	
12	84/15.03.22	रेवोलविंग कुर्सी	03	30000.00	90000.00
		प्रिमियर ऑफिस चैर	24	5500.00	132000.00
		प्रिमियर ऑफिस चेयर	03	75000.00	225000.00

		स्टील आलमारी	07	25000.00	175000.00
		ऑफिस विज़िटर चेयर	06	15000.00	90000.00
		1.5 टन स्प्लिट ए.सी		50000.00	50000.00
			योग	762000.00	
			छूट	1371.60	
			जी.एस.टी	91275.41	
			योग	851903.81	
			छूट बीसी 10 प्रतिशत	85190.38	
			नेट	766713.43	
			कुल भुगतनित राशि	750000.00	
		कुल योग (1-15)			984000.00 + 750000.00 = 1734000.00

(ii) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सी-ए.1132/दस 2004-मित 1/2004 दिनांक 07.01.2005 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को पृष्ठांकित है के प्रस्तर 23 जिसमें ये स्पष्ट उल्लेखित है की केवल इस कारण की पदधारक बदल गया है नया फर्नीचर व साजसज्जा की व्यवस्था न की जाये । एवं फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा- की व्यवस्था की जाये आदि के क्रय की स्वीकृति धन योजनान्तर्गत एवं फर्नीचर व अन्य साज सज्जा द्वारा आयोजनेतर/आयोनान्तर्गत कराये जाने हेतु, जो प्रतिनिधायन अधिकार इस सबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रदत है उन्हें तात्कालिक प्रमाव से समाप्त किया जाता है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा फर्नीचर व साज.सज्जा पर कुल रु-1734000.00 का व्यय कर शासनादेश का उल्लघन कर शासकीय धन राशि का दुरुपयोग किया गया है।

)iii) जिला पंचायत कानपुर नगर द्वारा चतुर्थ राज्य वित वर्ष के राशि से क्रय किये गये 2019-20फर्नीचर एवं अन्य साज सज्जा की वस्तुओं के सापेक्ष मेसर्स रामजीवन से डिलीवर प्रमाण पत्र प्राप्तकर पत्रावली के-साथ संलग्न नहीं किया गया न ही डाक प्राप्ति रजिस्टर में प्राप्ति-पक्ष में अंकित किया गया जो गंभीर आपति जनक रहा ।

)Iv.) उपरोक्त अंकित क्रय की गई वस्तुओं एवं फर्नीचरो को डेड स्टाक रजिस्टर स्टोर रजिस्टर स्टाक रजिस्टर में अंकित नहीं पाया गया फलतः क्रय की गई वस्तुओ की पुष्टि न हो सकी ।

)V). जिला पंचायत परिसर में स्थित आवास में पूर्व में उपलब्ध फर्नीचरो एवं गृह उपयोगी वस्तुओ विद्युत / उपकरणों का विवरण अंकित नहीं कि या गया न ही पूर्व उपलब्ध फर्नीचरों एवं उपकरणों को नीलाम ही किया गया पाया गया फलतः ऐसी स्थिति में किया गया क्रय लेखा नियमो के प्रतिकूल रहा ।

)vi). जिला पंचायत परिसर में स्थित आवास हेतु क्रय किये गए फर्नीचर साज सज्जा एवं अन्य उपकरण के क्रय के पूर्व लेखाकार द्वारा आवास में पूर्व से विद्यमान फर्नीचरो, इलेक्ट्रिक उपकरणों एवं साज सज्जा के वस्तुओ के सम्बन्ध में कोई आख्या अंकित नहीं की गई। न ही क्रय किये जाने के पूर्व कोई डिमांड मांग पत्र इन्डेन्ट लिया गया। इस प्रकार वगैर समस्त औपचारिकता को पूर्ण किये राज्य वित्त वर्ष के 2019-20 तहत प्राप्त धनराशि से फर्नीचरो साज सज्जा, व इलेक्ट्रिक उपकरणों पर भुगतान कर विकास कार्यों की धनराशि का दुरूपयोग किया गया।

)vii). पत्रावली की जाच में पाया गया पत्रावली के साथ सलग्न अनुमान)एस्टीमेटएवं प्रस्तुत एम् (0बी0बुक में क्रय किय जाने वाली फर्नीचर, साज सज्जा एवं घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों का विनिर्देश नही पाया गया न ही टेंडर फॉर्म के साथ विनिर्देश संलग्न किया गया। इस प्रकार वगैर विनिर्देश के राज्य वित्त के धनराशि से फर्नीचर साज सज्जा एवं-घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों के क्रय पर भुगतान कर विकास कार्यों की धनराशि का दुरुपयोग किया गया ।

)viii) वस्तुओ के क्रय पूर्व क्रय समिति की स्वीकृति नहीं पाई गई न ही क्रय समिति एवं तकनीकी समिति से गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा दरो का औचित्य प्रमाणित-नहीं किया गय ा। जो गंभीर आपत्ति जनक रहा ।

)ix). सामान्य वित्त नियमावली के नियम संख्या 2017धारा के अनुसार जिला पंचायत द्वारा किया 149 गया क्रय जैम पोर्टल के द्वारा नहीं किया गया जो जिला पंचायत के हित के प्रतिकूल रहा जैम के द्वारा क्रय न कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया ।

)x). पत्रावली के जाच में पाया गया की अनुमान के तहत निर्धारित क्रय की जाने वाली वस्तुओ की संख्या के प्रतिकूल अधिक संख्या में क्रय कर विकास कार्यों की धनराशि का दुरुपयोग किया गया । विवरण निम्नवत रहा ।

क्रम सं	प्रमासंख्या/दिनांक .	बस्तु का नाम	अनुमान के अनुसार	संख्या जो क्रय की गयी	अंतर क्रय की जाने बाली सं	प्रतिशत
1	85/15.3.22	कर्टन सेट	01	75	74	74 प्रतिशत
2	84/15.3.22	आफिस चेयर	20	24	04	20 प्रतिशत

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रमाणक संख्या 84 प्रमाणक सं0 85 दिनांक 15-03-2022 द्वारा क्रमशः रु एवं रु 9,84,000.00 कूल रु 17,34,000.00 का भुगतान मेसर्स रामजीवन को 7,50,000.00कर चतुर्थ राज्य वित्त वर्ष 2019-20के तहत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए उत्तरदायी श्री रविन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह लेखाकार, श्री स्वंतंत्र कुमार अवर अभियंता, श्रीमती शालिनी सिंह वित्तीय परामर्श दाता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं(29.

प्रस्तर सं0 -10 जिला पंचायत कानपुर नगर के संपत्ति व विभव कर संबंधी अभिलेख संलग्न विवरण के अनुसार

गत बकाया 4,460,16,9400.

वर्ष की मांग (2021-22) - 4404,380.00

योग - 49,00,60,7400.

वर्ष की वसूली (2021-22) 32,76,680.00

,को अवशेष 4 31/03/2022996,720,400.

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव एवं संपत्ति कर मे ब्लॉक वार निम्न वसूली की गयी -:

ब्लाक का नाम	गत वर्ष का बकाया	रेड रजिस्टर का बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	बकाया के विरूद्ध वसूली	चालू वर्ष की वसूली	शेष
सरसौल	3235271	662568	450510	233010	--	233010	3453471
चौबेपुर	11359350	--	814250	137220	137220	--	12036380
बिल्हौर	5322111	--	464590	143270	107270	36000	5643431
पतारा	2875139	--	242410	148960	135760	13200	2968589
विधनू	3009321	678792	626280	384900	--	--	3250701
भीतरगांव	5000456	--	288400	--	265750	--	5023106
शिवराजपुर	2340365	--	187750	88200	88200	--	2439915
कल्याणपुर	4319306	--	762140	151720	--	--	4929726
घाटमपुर	5450470	--	510150	426000	426000	--	5534620
ककवन	1689905	--	57900	60540	60540	--	1687265
योग	44601694.00	1341360	4404380	1773820	1220740.00	282210	46967204.00

दिनांक 31-03-2022 को अवशेष 46967204.00 बकाया अवशेष हैं, इस विवरण पर निम्न आपत्ति हैं-

अधिकांश ब्लॉकों में संपत्ति व विभव कर की वसूली बहुत कम की जा रही है। शत प्रतिशत वसूली होती तो सम्पत्ति व विभव कर अधिक मात्रा में वसूल किया जा सकता था लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकासखंड वार मॉग व वसूली रजिस्टर कर अनुभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। कार्यवाही व वसूली न किए जाने के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञान धन सिंह व श्री रवीन्द्र कुमार व कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

(मूल आपत्ति सं.30)

प्रस्तर सं0 -11- ग्राम होरा बांगर में अलिम्ब्को के पीछे नाली निर्माण कार्य)0-250) हेतु जिसकी प्राक्कलन लागत रुपए 48.84 लाख निविदा पुष्पेन्द्र इंटरप्राइसेस की स्वीकृत की गई ग्राम होरा बांगर में अलिम्ब्को के पीछे नाली निर्माण कार्य)250-500) हेतु जिसकी प्राक्कलन लागत रुपए 48.84 लाख निविदा भी पुष्पेन्द्र इंटरप्राइसेस की स्वीकृत की गई उक्त कार्य विकासखंड कल्यानपुर के अंतर्गत कराया गया। कार्य अवर अभियंता श्री स्वतंत्र कुमार की देखरेख में पूर्ण कराया गया। उक्त पत्रावली में निम्न आपत्तियां हैं-

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के क से ड के अनुसार जिला पंचायत के दोनों कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित नहीं करते हैं।

2. नियमानुसार 50 लाख से ऊपर के कार्य की स्वीकृति जिला पंचायत को शासन से लेनी चाहिए उक्त दोनों कार्यों काविभाजन कर के व् 50 लाख से नीचे रख कर संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3. संस्था/द्वारा निविदा खोलने की सूचना पत्रांक सं.987/निर्माण/ जि.प./ई. निविदा/2021-22 दिनांक 16/11/21 द्वारा 23/11/21 को दी गयी थी परन्तु पत्रावली में संलग्न एफ डी. दिनांक.20/11/21 को ही बनवा ली गयी थी। इस सेविदित है कि पुष्पेन्द्र इंटरप्राइसेस का टैंडर मैनेज्ड है।

.4किसी भी इखनिज प्र-माण पत्र पर पुष्पेन्द्र इंटरप्राइसेस के हस्ताक्षर नहीं है।

.5 कार्य प्रारंभ व समाप्ति की लिखित सूचना नहीं दी गयी है।

.6सीजी.एस.टी व एस.जी.एस.टी., आयकर, रॉयल्टी की कटौती उपरोक्त कार्य के भुगतान के समय क्रमशः रुपए 41670, 41670, 83340, की जमा की पुष्टि 41670में संबंधित प्रमाणक लेजर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उपरोक्त की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

उक्त अनियमित भुगतान के लिए श्री रविन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह कार्याधिकारी व स्वतंत्र कुमार अभियंता व् श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव वित्तीय परामर्शदाता प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

(मूल आपत्ति सं.35)

प्रस्तर सं0 -12विकास खंड कल्यानपुर में एन टी.पी.सी. के पीछे पी.एस.आई.टी. होते हुए भौती तक नाला. निर्माण कार्य (0-880) की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य का चार में विभाजन क्रमशः कार्य सं(0-220) ., ((220-440, ((440-660व में कर दिया है। प्रत्येक कार्य की प्राक्कलन (660-880) लागत रुपए 50 लाख से कम रखी गयी है। नियमानुसार 50 लाख से ऊपर के कार्य की स्वीकृति जिला पंचायत को शासन से लेनी चाहिए। उक्त दोनों कार्यों का विभाजन कर के लाख से नीचे रख कर संस्था 50 .द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। विकास खंड कल्यानपुर में एन.टी.पी.सी. के पीछे पी.एस.आई.टी होते हुए भौंती तक नाला निर्माण कार्य (0-220) जिसकी प्राक्कलन लागत रुपए 42.87 लाख निविदा प्रकाश ट्रेडर्स एवं कसके. की . स्वीकृत की गई की निर्माण कार्य पत्रावली में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गई

कार्यादेश गयी 14.02.2021 13.02.2022 लिखित पत्रावली कार्य सिंह

.1कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारभ व समाप्ति का तिथि का लिाखत सूचना पत्रावला में नहीं पाई गयी।

.2कार्य करने का समय दिनांक 14.02.2021 से 13.02.2022 था जबकि ठेकेदार द्वारा लेबर रजिस्ट्रेशन में दिनांक 05.03.2022 अंकित है।

.3पत्रावली में अंतिम बिल नहीं लगा है व कार्य समाप्ति के पश्चात् की फोटो भी नहीं लगायी गयी है ।

उक्त अनियमित भुगतान के लिए श्री रविन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह कार्याधिकारी व स्वतंत्र कुमार, अभियंता व् श्रीमती शालिनी सिंह वित्तीय परामर्शदाता प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

(मूल आपत्ति सं.36)

प्रस्तर सं0 -13विकास खंड कल्यानपुर में एन .टी.पी.सी. के पीछे पी.एस.आई.टी.होते हुए भींती तक नाला निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलन लागत रुपए 42.87 (220-440)लाख निविदा प्रकाश ट्रेडर्स एवं कंस के. की. स्वीकृत की गई व विकास खंड कल्यानपुर में एन.टी.पी.सी. के पीछे पी.एस.आई.टी. होते हुए भाँती तक नाला निर्माण कार्य (0-220) जिसकी प्राक्कलनलागत रुपए निविदा प्रकाश ट्रेडर्स एवं कंस.कं. की 42.87 -: स्वीकृत की गई की निर्माण कार्य पत्रावली में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पाई गयी

.1पत्रावली में अंतिम बिल नहीं लगा है व रनिंग बिल जेई. द्वारा सत्यापित नहीं है., कार्य समाप्ति के पश्चात् की फोटो भी नहीं लगायी गयी है।

.2कार्य करने का समय दिनांक से 13/2/22 था जबकि ठेकेदार द्वारा लेबर रजिस्ट्रेशन में दिनांक 14/12/21 अंकित है । 5/3/22

.3ठेकेदार के स्व घोषणा पत्र में ठेकेदार किस श्रेणी का है अंकित स्थान पर दर्शित नहीं है जिससे यह अस्पष्ट रहाकि ठेकेदार किस श्रेणी का है।

.4ठेकेदार रजिस्ट्रेशनरजिस्टर संस्था में न उपलब्ध होने के कारण ठेकेदार के लाइसेंस की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी ।

.5ठेकेदार का आई टी.आर.पत्रावली में संलग्न नहीं है। व हैसियत प्रमाण पत्र भी मात्र 20 लाख का है परन्तु. कार्य 1 करोड का दिया गया है। नियमानुसार हैसियत से अधिक का कार्य दिया जाना शासनादेश के विपरीत है।

.6पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि बिल से 5प्रतिशत की जमानत धनराशि नहीं काटी गयी है व बिल का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

उक्त वित्तीय अनियमितताओं के लिए श्री रविन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह कार्याधिकारी व स्वतंत्र कुमार, अभियंता, श्रीमती शालिनी सिंह वित्तीय परामर्शदाता व लेखाकार श्री राजेंद्र सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

(मूल आपत्ति सं.37)

प्रस्तर सं0 -14लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत की दुकाने 53 एवं परिसर में कार्यालय हैं, जिनसे किराये की वसूली नहीं हो रही है विवरण निम्नवत है:

क्रम सं	कार्यालय का नाम /दुकान नंबर	देय धनराशि
1	जूबेसिक स्कूल बिठूर .	64318.00
2	शिक्षाविभाग	442300.00
3	क्षेत्रीय कार्यालय, वित्तविभाग	377556.00
4	कार्यालय मंडलीय पंचायत विभाग	1411756.00
5	जिला पंचायत परिसर स्थित दुकान 03-04	271573.00
6	तहसील बिल्हौर दुकान से 01-20	391242.00
7	घाटमपुर दुकान से 01-18	372552.00
	योग /संस्था	3331297.00

जिला पंचायत परिसर स्थित दुकान नंबर में मौखिक बताया गया कि विगत कई वर्षों से मुकदमा 01-02 चलने के कारण वसूली नहीं की गयी है। रु33.,24,-/055की धनराशि की वसूली बकाया है व् न तो वसूली की जा रही न ही कब्जेदारों को विधिक रूप से बाहर किया जा रहा है। श्री नन्द किशार आर आइ. घाटमपुर व. .श्री राजाव कुमार ढाका आरआई बिल्हौर व् कार्याधिकारी श्री विनोद सिंह ससमय वसूली न किये जाने के लिए जिम्मेदार है व् इन पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं.38)

प्रस्तर सं0 15-निर्माण कार्य पत्रावली के जाच के क्रम में पन्द्रहवा वित्त योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2019-20 की प्राप्ति धनराशि में से क्षेत्र पंचायत विल्हौर के अंतर्गत कटहा आसानी नेवादा से सँग शमशान घाट तक लेपन कार्य)0.650-1.300km) धनराशि 1976454.00 कराया गया । जिसमें निम्न आपतिया रही-:

1). अनुबंध पत्र /कार्यालय आदेश पत्र संख्या-1442 दिनांक निर्माण /जी. पंचायत/20-21 दिनांक,3/3/21/एवं दिनांक/6/6/21 द्वारा कार्य प्रारंभकी तिथि 8/6/2021 व कार्य समाप्ति की तिथि 7/8/2021 निर्धारित थी | किन्तु संबंधित ठेकेदार एजेंसी कौस्तुभ एंड कंपनी द्वारा निर्धारित तिथि को कार्य समाप्त नहीं किया गया जैसा की एम् बी. बुक संख्या.72 पृष्ठ संख्या 74-75 दिनांक 25.07.2022 से भी स्पष्ट है किन्तु अनुबंध के अनुसार ठेकेदार की जमानत जब्त नहीं की गई। जैसा की कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर के कार्यादेश पत्रांक 76/जि पंचायत निर्माण .2020-21 दिनांक 08.06.21 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

ii). पत्रावली के जाच में पाया गया की दिनांक 13.05.22 को जिला पंचायत के मा अध्यक्ष महोदया श्रीमती . स्वप्निल वरुण द्वारा संदर्भित लेपन कार्य का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यमार्ग कार्य में कमिया पाई गई। उदाहरण स्वरुप जाँच में कास्ट कम पाया गया एवं पी सी. क्षतिग्रस्त पाई गई जिसके संबंध में संबंधित. ठेकेदार (में. कौस्तुभ एंड कंपनी) को अभियंता द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु पत्र लिखा गया । किन्तु सम्बंधित ठेकेदार द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया, जैसा की प्रस्तुत एम्बी. बुक./55-61व 72 से भी स्पष्ट है। इस प्रकार बिना कमियों को दूर किये बिना अथवा ठेकेदार के बिल से पाई गई कमियों के सापेक्ष समुचित धनराशि वसूल किये बिना भुगतान कर शासकीय अनुदान की राशि का दुरुपयोग किया गया ।

iii. पत्रावली के साथ सलंग्न पत्र जो मेसर्स कौस्तुभ एंड कंपनी को मार्ग निर्माण कार्य/लेपन कार्य में पाये गए कमियों से सम्बंधित है, जो प्रतिलिपि माअध्यक्ष महोदया श्रीमती स्वप्निल वरुण ., जि प, प्रतिलिपि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं अवर अभियंता को प्रतिलिपि की गई किंतु संदर्भित पत्र पर कार्यालय डिस्पैच नंबर व दिनांक अंकित नहीं पाया गया, जो संदिग्ध रहा। जिससे यह भी स्पष्ट होता है की निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने बिषयक पत्र को मेसर्स कौस्तुभ एंड कंपनी को प्राप्त कराये वगैर बिल का भुगतान सम्बंधित ठेकेदार को कर दिया गया। जो गंभीर आपत्तिजनकएवं अनियमित रहा।

iv. ऊ प्र. शासन पंचायती राज अनुभाग.2 संख्या 2849/33-2-1996 दिनांक 28 मई 1996 के प्रस्तर 3 (1) अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व कराए जाने वाले कार्य का डिजायन एवं ड्राइंग शासन को भेजा जाना चाहिए थाजो ज .िला पंचायत द्वारा नहीं भेजा गया।

V. शासना देश सं यूओ. 179/33.3.97 दिनांक 20 जनवरी 1998 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, जिन मार्गों पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, उन मार्गों पर विगत पाँच वर्षों में कराए गए कार्यों का विवरण तथा व्यय की गई धनराशि का उल्लेख किया जाए। जो नहीं किया गया है।

Vi पत्रावली के जाच में पाया गया कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 08/06/2021 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 07/8/2021 सुनिशिचत की गई थी, जबकि माप पुस्तिका एम0बी0बुक. सं0 72/74-75) के अनुसार कार्य समाप्र दि० 25/7/2022 को पाया गया। इस प्रकार निर्धारित अवधि से लगभग 01 वर्ष विलंब से कार्य समाप्त किया गया, जिसके लिए निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 4 के खण्ड 2-ग के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त न करने पर संबंधित ठेकेदार से विलम्ब हेतु निर्माण कार्य की अनुमानित लागत की धनराशि के एक प्रतिशत अर्थात रु 23280-00 की राशि प्रतिकर के रूप में वसूली की जानी चाहिए थी। जो नहीं किया गया।

vii) शासनादेश सं0 4863 सी /33-2-93 के 2 (द के अनुसार जिला पंचायत (अभियन्ता रोड मैटिरियल आपूर्ति)स्टोन, ग्रिट, डस्ट आदि का शत-प्रातेशत (चेकिंग कर प्रमाण पत्र देगे। अपर मुख्य अधिकारी भी आपूर्ति की-गई सामग्री के भुगतान से पूर्व स्थल निरीक्षण करेंगे जो नहीं किया गया।

vii). शासनादेश सं0 4863 सी 33-2-93 के 2 (यके अनुसार रोड मैटिरिय (ल की आपूर्ति के बाद प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार स्टोन ब्लास्ट की बिछाई कराकर कुटाई का कार्य सम्पादित होने के उपरांत जिला पंचायत अभियंता द्वाराउसको जाच कर यह सुनिश्चित करेगें कि कुटाई के उपरात सड़क का अपेक्षित क्रस्ट थिकनेस मौके पर उपलब्ध रहा। उक्त आशय से संबंधित प्रमाण पत्र जिला पंचायत अभियंता दद्वारा पत्रावली के साथ संलग्न नहीं किया गया।

ix). शासनादेश संख्या जी 99 द्वारा गठित निर्माण कार्य समिति से कराये गये कार्य 33-2-99-48 (1) 4077 के संबंध में भुगतान से पूर्व कार्य के गुणवता पूर्ण होने संबंधी अनुशंसा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो आपत्ति जनक रहा।

x) पत्रावली की जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व उक्त कार्य का परिक्षेत्रीय अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण नहीं पाया गया, जो निर्माण कार्य नियमावली के नियम सं 39 के प्रतिकूल रहा। 1984

xi) शासनादेश से दि०16/3/2000 653/33-3-2000-73/2000अनुसार रु पाँच लाख से अधिक की . धनराशि केठेका के संबंध में तीन दैनिक समाचार पत्रो में ठेका-नीलामी की सूचना का प्रसारण किया जायेगा पत्रावली के साथ संदर्भित निर्माण कार्य संबंधी ठेके का विज्ञापन की प्रति पत्रावली के साथ सलग्न नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

xiii. पत्रावली के जाँच में पाया गया की मेसर्स कौस्तुभ एंड कंपनी प्रो० आलोक दुबे द्वारा स्वीकृत टेंडर के सापेक्ष दिनांक को अनुबंध 06.06.2021/ इकरार पत्र लिखा गया, जबकि पत्रावली के साथ एम् एम्. 11 .अनुबंध तिथि के पहले के पाये गएजो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उदाहरण स्वरूप

क्रमांक	इ.टी.पी.सं.	परिचालन का दिनांक	उद्गम स्थल	क्रेता	पहुचाने की जगह
1	2110104774	01.05.2021	मध्य प्रदेश	चन्दन ट्रेडर्स	कुशी नगर
2	2110209673	28.05.2021	मध्य प्रदेश	मोहम्मद अली	गोरखपुर
3	211038353	10.05.2021	मध्य प्रदेश	एशाक खान	गोपालगंज
4	2110127009	07.05.2021	मध्य प्रदेश	नागेन्द्र यादव	गोरखपुर

5	**2110117701**	**05.05.2021**	**झासी**	**कैश**	**गोरखपुर**
6	**2110133983**	**09.05.2021**	**मध्य प्रदेश**	**नागेन्द्र यादव**	**गोरखपुर**
7	**2110140644**	**11.05.2021**	**मध्य प्रदेश**	**रघुनन्दन**	**गोरखपुर**
8	**2110137674**	**10.05.2021**	**मध्य प्रदेश**	**वीरेन्द्र यादव**	**गोरखपुर**
9	**2110106297**	**02.05.2021**	**मध्य प्रदेश**	**वीरेन्द्र यादव**	**महाराजगंज**

xiii. पत्रावली की जाँच में यह पाया गया कि लेपन कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एवं सबंधित ठेकेदार द्वारा रिफायनरी से सीधे न खरीद कर अन्य माध्यमों से की गई जो लोक निर्माण विभाग उ.प्र .लखनऊ के पत्रांक संख्या 3583 एस/.टी.60 एम0, टी/2007/दि .13.06.2007 के प्रतिकूल रहा बिटुमिन के क्रय एवं सप्लाई संबंधित साक्ष्य भी पत्रावली के साथ सलग्न नहीं पाये गए । फलतः उपयोग में लाई गई बिदुनिन की गुणवत्ता की पुष्टि न की जा सकी इससे कार्य के अधोमानक पर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है । विवरण इस प्रकार रहा

क्रम सं.	**वस्तु**	**गुणवत्ता किग्रा. में**	**ग्रेड**	**मूल्य क्रिग्रा.**	**धनराशि**
1	टैक कोट	692.5	वी.जी 10	33.01	22859.42
2	प्रीमिक्स कोट	2847.0	वी.जी 10	33.01	93979.47
3	सील कोट	1267.5	वी.जी 10	33.01	41840.17
4	प्राइम कोट	1462.5	इमल्सन	66.76	97636.50

उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उक्त सडक निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती गयी एवं अधोमानक कार्य कराकर रु.1976454.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार जे ई. श्री. स्वतंत्र कुमार व लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह उतरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल अपत्ति 40)

प्रस्तर सं0 16-आकस्मिक प्रमाणक संख्या 77 दिनांक 26/11/ 21 दवारा रु 23705.00 का व्यय जिला पंचायत कार्मिको कोई टेंडरिंगा पी.एफ.एम.एस. जेम पोर्टल ई ग्राम स्वराज के विषय पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण पर किया गया। प्रमाणक के साथ व्यय की पुष्टि में सह प्रमाणक बिल विवरण संलग्न नहीं पाया गया इस प्रकार बगैर सह प्रमाणक पुष्टि पत्र के व्यय रु. 23705.00 का दुरूपयोग किया गया। जिसक लिए लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल आपति नं.41)

प्रस्तर सं0 17-आकस्मिक प्रमाणक संख्या 12 दि० 01/2/22 रु .31400.00 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी की उ.प्र. शासनपंचायती राज अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या 1800/33-2-2021-03सी-2019 टी. सी-11लखनऊ दिनांक 15/7/21 के तहत श्री रवीन्द्र कुमार ए एम. ए. द्वारा दिये गये.यात्रा देयक बिल दिनांक 20/7/21 के सापेक्ष रू0 31400.00 का भुगतान किया गया। प्रमाणक के साथ एक मुश्त/समग्र स्थानान्तरण अनुदान संबंधी सह प्रमाण संलग्न नहीं किया गया फलतः कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के तहत श्री रवीन्द्र कुमार को किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिनके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल अपत्ति 42)

प्रस्तर सं0 18-प्रमाणक सं.23 दिनांक 10/2/22 को रु.19241/- का भुगतान विभिन्न कार्यों में किया गया है बिल न. 609 मोहुसैन को वाशिंग मशीन में नयी फिटिंग ल .गायी गयी है । उक्त फिटिंग के लिए कार्यालय द्वारा रु.700/- का भुगतान किया गया है चूंकि वाशिंग मशीन कार्यालय प्रयोग की नहीं है व निजी उपयोग के लिए है प्रमाणक से यह भी विदित नहीं है कि उक्त मशीन कहॉ लगी है व कौन इसका प्रयोग कर रहा है अतः इसकी मरम्मत के लिए भुगतान कार्यालय द्वारा क्यों किया गया है यह लेखा परीक्षा में बताया जाना अपेक्षित रहा उक्त मरम्मत की धनराशि का भुगतान उक्त अधिकारी कर्मचारी दारा किया जाना अपेक्षित है ।) विपरीत परिस्थितियों में तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.43)

प्रस्तर सं0 19- प्रमाणक सं.68 दिनांक 23/10/21 दवारा रु.6813/- एवं प्रमाणक सं .69 दिनांक 23/10/21 द्वारा रु.14005/- कुल रू0 20818/-का भुगतान सहारा इंडिया मॉस कम्यूनिकेशन के बिल सं./दि.एच.डी ./ के एन डी 609/1/8/21 व बिल संएच .0डी0/के एन0डी0 608/1/8/21 के सापेक्ष किया गया जिससे सम्बंधित निम्न आपत्ति है-

1) शासनादेश सं .1653/33-3-2000.73/2000 दिनांक 16-03-2000 के अनुसार कानपुर व चित्रकूट धाम मण्डलों के सभी जनपदों के लिए आज, दैनिक जागरण अमर उजाला स्वतंत्र भारत विज्ञापन हेतु स्वीकृत/मान्य है। इस प्रकार विज्ञापन मद में रू. 20818/- का भुगतान सहारा इंडियामास कम्यूनिकेशन को किया जाना अनियमित एवं शासनादेश के प्रतिकूल रहा जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.45)

प्रस्तर सं0 20- प्रमाणक सं.67 दिनांक 23/10/21 द्वारा रू. 23745/- का भुगतान दैनिक जागरण के बिल सं.जे.के .2107010207 दिनांक 29/07/21 रू0 17809/- व बिल सं .2108003229 दिनाक 9/08/21 रु. 5936.00 के सापेक्ष किया गया है। जिससे सम्बंधित निम्न आपतियां है

1) प्रमाणक के साथ बिल सं. 2108003229 दिंनाक 09.08.21 प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं रहा।

2) भुगतान नकद किया गया जबकि रू. 2500.00 से ऊपर का भुगतान चेक के माध्यम से होना चाहिए इस प्रकार बिना बिल के रू0 5036.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.46)

प्रस्तर सं0 21- प्रमाणक सं .29 दिनांक 07/12/21 द्वारा वर्ष 2017-18 की अवधि हेतु दैनिक जागरण के बिल सं.जे.के.171001478दिनांक 25/10/17 के सापेक्ष रु.8203/- का भुगतान किया गया है। जिसके सम्बंधित निम्न आपत्तियां है-

1) जिला पंचायत द्वारा वर्षान्त में अनपेड बिलों की सूची प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं की गयी।
2) बिल प्राप्ति बिल रजिस्टर/ प्राप्ति रजिस्टर के किस पृष्ठ पर किस तिथि में अंकित की गयी थी सम्बंधित आख्या अंकित नहीं की गयी

3) दैनिक जागरण प्रकाशन के सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अनपेड बिल के भुगतान सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र संलग्न नहीं पाया गया है।

4) बिल के अनपेड होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला पंचायत दवारा संलग्न नहीं किया गया न ही जिला पंचायत द्वारा इस सम्वन्ध में कोई अनुस्मारक दैनिक जागरण कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। जो आपत्ति जनक रहा वर्ष के प्रारंभ में अनपेड बिलों के मुगतान हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं पाया गया।

इस प्रकार र.8203/- का किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.47)

प्रस्तर सं0 22- प्रमाणक सं. 22 दिनाक 10/02/22 द्वारा रु. 31471/- का भुगतान श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता के बिलों के सापेक्ष किया गया। जिससे सम्बंधित निम्न आपतियां है-:

1) मो हुसैन (फर्म) के बिल .सं. 605 दि. 07/10/2020 द्वारा अध्यक्ष महोदया के कक्ष में कार्य के सापेक्ष के रू0 3381.00 का भुगतान किया गया बिल पर जीएस.टी.एन. नंबर नहीं पाया गया।.

2) कार्य करवाने सम्बन्धी प्रस्ताव लेखा परीक्षा में जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया और न न ही इंडेंट पाया गया कि क्या क्या कार्य होने हैं।

3) कार्य करवाए जाने सम्बन्धी कार्यादेश नहीं पाया गया न ही बजट का प्रावधान किया गया ।

4) कोटेशन एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बगैर रू. 31471.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राजेन्द्र सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.48)

प्रस्तर सं0 23- प्रमाणक सं. 26 दिनांक 10/02/22 द्वारा रु.48180/- का भुगतान अवस्थी एण्ड कंपनी को उसके बिलों के सापेक्ष स्टेशनरी क्रय हेतु किया गया। जिससे सम्बंधित निम्न आपतियां है

1) स्टेशनरी क्रय जेम पोर्टल के तहत नहीं की गयी है जबकि सामान्य वित्त नियमावली 217 के नियम सं . 149 के अनुसार वस्तुओं का क्रय जेम पोर्टल के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

2) स्टेशनरी क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया। परचेज आर्डर नहीं जारी किया गया।

३जिला पंचायत कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के पटल प्रभारियों से स्टेशनरी सम्बन्धी डिमांड(/ इंडेंट मांग) पत्र प्राप्त नहीं किया गया । फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए स्टेशनरी सम्बन्धी डिलीवरी चालान प्रस्तुत नहीं किया गया

4) डेलिवर्ड स्टेशनरी किसके द्वारा प्राप्त किया गया अस्पष्ट रहा।

इस प्रकार उक्त भुगतान अनियमित रहा जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार व लेखाकार श्री राजेंद्र सिंह प्रमुख रुप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैा

(मूल आपति सं.50)

जनपद-हरदोई **मण्डल-लखनऊ**

प्रारूप -02

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

जनपद-हरदोई

जिला पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

प्रस्तर संख्या 1-- शासकीय अनुदान की धनराशियों को विभिन्न बैंक खातों में रखकर उपभोग न करने के कारण वर्ष 2021-22 में रू0 194.26लाख ब्याज के रूप में कमाया गया है जो वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502(1)/दस -2015-10 (33)दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार कमाया गया ब्याज राज्य सरकार की आय है, जिसे राजकीय कोष में जमा कराया जाना आपेक्षित है।इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती स्वाति जैन व लेखाकार श्री योगेश सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2 - जिला पंचायत को वर्ष 2021-22 में मृत पशुशव निस्तारण मद से रु० 8,21,355.00 की आय हुई है । जिला पंचायत द्वारा उक्त आय का 50 प्रतिशत धनराशि रु० 4,10,677.00 ग्राम पंचायतों को दिया जाना था ,जो नहीं दिया गया है।यह शासनादेश संख्या 2967(1) / 33-2-2002-15बी(4) /02 दिनाँक 07-10-2002 में दिए गए में दिए गये निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती स्वाति जैन व लेखाकार श्री योगेश सिंह समान रूप से उत्तरदायी है उक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3-लेखा परीक्षा में संस्था के मूल अभिलेखों / रजिस्टरों से तैयार निजी स्रोत से मांग, वसूली की स्थिति निम्न प्रकार है - (आंकड़े लाख रूपये में)

क्र0 सं0	मद का नाम	गत वर्षो का बकाया	वर्ष की मांग	कुल मांग	वर्ष की वसूली	वर्षान्त में बकाया
1.	विभव एवं सम्पत्ति कर	1299.92	218.72	1518.65	84.15	1434.50
2.	तरूपालन	1.89	49.16	51.05	49.16	1.89
3.	मृत पशु शव निस्तारण	2.33	6.43	8.76	6.55	2.21
4.	भवन/दुकान किराया	91.37	39.74	131.11	25.50	105.61

5.	अन्य प्रकीर्ण आय	प्रपत्र (ङ)के अनुसार		143.26	---	---
6.	लाइसेंस शुल्क	प्रपत्र (ङ)के अनुसार		25.64	---	---
7.	ब्याज से आय	प्रपत्र (ङ)के अनुसार		194.26	---	---
8.	योग	1395.51	314.05	1709.57	528.52	1544.21

लगभग समस्त मदों के मूल रजिस्टर अपूर्ण व आधे-अधूरे रूप से तैयार हैं, वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गयी है। त्रैमासिक प्रपत्र-3 भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में तैयार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में वसूली हेतु बकाया धनराशि रू० 1544.21 लाख है किन्तु अभिलेखों को अपूर्ण रखकर लेखाबन्दी नहीं की जा रही है। इस हेतु कर अधिकारी श्रीमती पल्लवी यादव, सहायक कर निरीक्षक श्री ओमप्रकाश, श्री अवधेश कुमार, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री मो0 सलमान, श्री पंकज सिंह एवं श्री अनिल कुमार कश्यप उत्तरदायी हैं। साथ ही कर अनुभाग से अपेक्षा की जाती है कि समस्त रजिस्टरों को वर्षवार पूर्ण करते हुए वार्षिक लेखा बन्दी कर तदअनुरूप प्रपत्र-3 व अभिलेखों को लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करें। साथ ही बकाया धनराशि रु० 1544.21लाख की वसूली हेतु कर अनुभाग से विवरण प्राप्त कर वसूली हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या 4 -संस्था के प्रपत्र- (ङ) के अनुसार प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू० 24.76 करोंड़ दर्शित है जिसमें से सांसद/विधायक निधि से रू0 71.80 लाख तथा कांजी हाउस निर्माण में रू० 7.28 लाख, कांजी हाउस चारा भूसा पर व्यय रू० 1.13 लाख तथा कांजी हाउस में लगे श्रमिकों के वेतन मद पर व्यय रू. 4.14 लाख दर्शित है, किन्तु उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियाँ तथा संगत बैंक स्टेटमेंन्ट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण दर्शित व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अपेक्षित उक्त व्यय रु० 84.35 लाख की पत्रावालियाँ व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती स्वाति जैन व लेखाकार श्री योगेश सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5 - संस्था के प्रपत्र (ङ) के अनुसार अन्य / प्रकीर्ण आय अंकन रु० 143.00लाख तथा कृषि व तरूपालन से आय रु० 48.55 लाख दर्शित है किन्तु प्रकीर्ण आय का विवरण व संगत पत्रवलियाँ तथा कितनी कृषि भूमि है और किस प्रकार से किन शर्तों के अन्तर्गत कितनी आय होनी चाहिए थी आदि की समीक्षा हेतु संगत पत्रवलियाँ व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये ,जो की अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में रु० 191.55 लाख की अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती स्वाति जैन व लेखाकार श्री योगेश सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। । साथ ही दर्शित आय के जमा की पुष्टि में संगत बैंक स्टेटमेन्ट भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है

जनपद – लखीमपुर–खीरी मण्डल-लखनऊ

जिला पंचायत आपत्तियाँ वर्ष 2020-21

प्र०सं०–1– 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड ग्रान्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपयोग हेतु निर्देश भारत सरकार द्वारा इस विषय पर निर्गत आपरेशनल गाइडलाइन दिनाँक 01-06-2020 में दिये गये हैं तथा उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1817/33-3-2020-33/2020 दिनाँक 24-07-2020 द्वारा भी टाइड ग्रान्ट के उपभोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जिनके अनुसार टाइड ग्रान्ट का उपयोग 50 प्रतिशत सैनिटाइजेशन कार्य जैसे सामुदायिक शौचालय, सीवर प्रणाली, सीवेट ट्रीटमेन्ट आदि पर तथा शेष 50 प्रतिशत वर्षा जल संचय, पाइप्ड पेयजल की आपूर्ति, ट्रीटेड जल के रीसाइकिल आदि कार्यों पर किया जाना था।

परन्तु जिला पंचायत में वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त से टाइड ग्रान्ट के अन्तर्गत प्राप्त राशि से निम्न प्रकार व्यय किया गया है –

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1–	खडन्जा निर्माण	13067708.00	अमान्य
2–	सड़क लेपन कार्य	7189677.00	अमान्य
3–	नाला निर्माण कार्य	2030560.00	अमान्य
	योग –	**22287945.00**	

इस प्रकार उक्त किया गया व्यय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण नियम विरूद्ध है। **अतः जिला पंचायत में नियम विरूद्ध तरीके से मनमाना व्यय करके रू० 22287945.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू० 22287945.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०**03**

प्र०सं०–2- व्यय प्रमाणक संख्या 20 दिनाँक 17-12-2020 द्वारा विकास खण्ड पसगवां के ग्राम औरंगाबाद से 22 पशुओं को ग्राम लल्हौआ में वाहन संख्या यूपी-25 एटी-1707 द्वारा ट्रान्सफर करने हेतु रू० 6700.00 का भुगतान राजस्व निरीक्षक श्री संजीव कुमार को नकद किया गया जबकि ट्रान्सपोर्ट कम्पनी/वाहन चालक के नाम चेक होना चाहिये था। वाहन किराये का बिल भी संलग्न नहीं पाया गया अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। **पुष्टि के अभाव में रू० 6700.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू० 6700.00 की वसूली सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०**09**

प्र०सं०–3– व्यय प्रमाणक संख्या–117 माह नवम्बर 2020 द्वारा विकास खण्ड बांकेगंज की अलीगंज से ग्राम लल्हौआ में 29 पशुओं को वाहन संख्या–यूपी-31टी-5374 द्वारा ट्रान्सफर करने हेतु रू० 15000/- का भुगतान मे० मल्होत्रा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को किया गया है परन्तु पुष्टि में उक्त ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का बिल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। पशुओं को ले जाने की पुष्टि भी नहीं हो सकी अतः **पुष्टि के अभाव में उक्त व्यय रू० 15000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू० 15000.00 की वूसली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०**10**

प्र०सं०–4- वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत की बैठकों में भाग लेने हेतु सदस्यों को यात्रा भत्ता के रूप में कुल रू० 146000.00 का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा –

क्र०सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	बैठक की तिथि
1-	140	29-12-2020	60000.00	14-08-2020
2-	141	29-12-2020	86000.00	30-12-2020
		योग–	**146000.00**	

उक्त राशि अपर मुख्य अधिकारी के नाम चेक काटकर नकद आहरित की गई है जिसकी पुष्टि में बैठक का एजेण्डा, कार्यवाही, उपस्थिति पंजिका, वितरण पंजिका, उपस्थिति सदस्यों की सूची आदि मांग पर उपलब्ध नहीं रही। अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस सदस्य को कितनी राशि का एवं कब भुगतान किया गया है।

वितरण की पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त धनराशि रू० 146000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 146000.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०11

प्र०सं०–5– व्यय प्रमाणक संख्या 99 दिनाँक 22-07-2020 द्वारा अध्यक्ष महोदय के वाहन संख्या यूपी-31 -7070 का सर्विस चार्ज रू० 20473.00 ड्राइवर श्री साबिर अली को चेक द्वारा दिया गया है जबकि वर्कशाप के नाम चेक बनाया जाना चाहिये था। पुष्टि में सर्विस चार्ज का कोई बिल उपलब्ध नहीं रहा।

अतः पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि रू० 20473.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार एवं ड्राइवर उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 20473.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०12

प्र०सं०–6- व्यय प्रमाणक संख्या 91 दिनाँक 18-12-2020 द्वारा अध्यक्ष महोदय के वाहन संख्या यूपी-31 ए क्यू -7070 का सर्विस चार्ज रू० 17191.00 ड्राइवर श्री साबिर अली के नाम चेक बनाकर किया गया है जबकि वर्कशाप के नाम चेक बनाया जाना चाहिये था। वाहन की लॉग बुक उपलब्ध न रहने से पिछली सर्विस के बाद वाहन द्वारा तय दूरी ज्ञात नहीं हो सकी। सर्विस की आवश्यकता सम्बन्धी पत्र एवं सर्विस चार्ज का बिल भी उपलब्ध नहीं रहा।

अतः पुष्टि के अभाव में उक्त राशि रू० 17191.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 17191.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०13

प्र०सं०–7- जिला पंचायत में मे० आशीष इण्टर प्राइजेज से विभिन्न तिथियों में कम्प्यूटर सामग्री क्रय की कई है जिसका विवरण निम्न प्रकार था –

क्रमांक	व्यय प्रमाणक संख्या/ तिथि	बिल संख्या/तिथि	धनराशि	सामग्री
1-	82/28-04-2020	6604/16-03-2019	200.00	टोनर
		515/02-12-2019	354.00	
2-	85/28-04-2020	6375/22-02-2020	3600.00	यू०पी०एस०
3-	15/03-06-2020	356/20-05-2020	3800.00	स्कैनर
4-	92/ -07-2020	487/27-05-2020	1500.00	टोनर
		534/29-05-2020	1500.00	
		92/10-06-2020	354.00	
5-	146/06-08-2020	1934/21-07-2020	400.00	एंटी वायरस
6-	118/ -09-2020	2553/18-08-2020	4950.00	टी०एफ०टी०
7-	119/ -09-2020	2554/18-08-2020	2800.00	यू०पी०एस०
8-	120/ -09-2020	203/17-08-2020	354.00	टोनर
		योग –	**19812.00**	

उक्त बिलों को देखने से प्रथमदृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं क्योंकि बिल संख्या–एक क्रम में नहीं है जबकि बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिये थी। सामग्री मांग पत्र, कन्ज्यूमेबिल स्टाक/स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा अतः बिलों की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती है।

पुष्टि के अभाव में उक्त राशि रू० 19812.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रू० 19812.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०15

प्र०सं०–8- लेखा परीक्षा में नौका घाट का मांग रजिस्टर/लाइसेंस रजिस्टर वर्ष 2020-21 उपलब्ध नहीं रहा जिसमें अंकित गोसवारा तथा लेखाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका मार्च 2021 में प्रपत्र–3 में अंकित मांग एवं वसूली की राशियों में अन्तर पाया गया। विवरण निम्न प्रकार था –

विवरण	लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार	समीक्षा पुस्तिका के अनुसार	अन्तर
वर्ष 2020-21 की मांग	837500.00	600000.00	237500.00
गत वर्ष का बकाया	2545640.00	1512000.00	1033640.00
कुल मांग	3383140.00	2112000.00	1271140.00
वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वसूली	746500.00	417000.00	329500.00
बकाया के सापेक्ष वसूली	1037.00	196000.00	(-)194963.00
कुल वसूली	747537.00	613000.00	137537.00
कुल अवशेष राशि	2635603.00	1499000.00	1136603.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

1– गत वर्षों के बकाया रू० 2545640.00 के सापेक्ष मात्र रू० 1037.00 ही वसूली की गई है। शेष राशि रू० 2544603.00 में से समीक्षा पुस्तिका के अनुसार रू० 1.45 लाख गत 10 वर्षों से बकाया है जबकि लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार रू० 8.90 लाख गत 10 वर्षों से बकाया है जिसकी वसूली हेतु धारा–150 एवं धारा–151 के अन्तर्गत नोटिस एवं वारंट की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2– समीक्षा पुस्तिका एवं लाइसेंस रजिस्टर की सूचनाओं में काफी अन्तर है जिससे स्पष्ट है कि शासन में भ्रामक सूचनायें भेजकर शासन को गुमराह किया जा रहा है।

3– बकाया राशि रू० 2635603.00 की भूराजस्व की भाँति वसूली हेतु आर०सी० जारी करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

4– अधिकांश बकाया राशि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–3 के अन्तर्गत कालातीत हो चुकी है।

5– वर्ष 2020-21 की अवशेष राशि रू० 91000.00 दुर्गापुरपड़री नौकाघाट की थी जो कि लेखा परीक्षा समाप्ति तक वसूल नहीं की गई थी।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि **रू० 2635603.00 की वसूली हेतु कोई सक्रिय प्रयास न किये जाने से संस्था को वित्तीय क्षति पहुँच रही है और इस प्रकार रू० 2635603.00 की वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रू० 2635603.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०18

प्र०सं०–9– पशुबाड़ा लाइसेंस रजिस्टर 2020-21 में अंकित गोसवारा तथा त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका चतुर्थ मास मार्च 2021 में प्रपत्र–3 में दर्शित पशुबाड़ा मांग एवं वसूली का विवरण निम्न प्रकार रहा –

विवरण	लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार	त्रैमासिक पुस्तिका के अनुसार	अन्तर
गत वर्षों की बकाया मांग	79824.00	87000.00	(-)7176.00
वर्ष 2020-21 की मांग	98700.00	100000.00	(-)1300.00
कुल मांग	178524.00	187000.00	(-)8476.00
बकाये के सापेक्ष वसूली	3027.00	25000.00	(-)21973.00
चालू मांग के सापेक्ष वसूली	89150.00	34000.00	55150.00
कुल वसूली	92177.00	59000.00	33177.00
अवशेष	86347.00	128000.00	(-)41653.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

1– गत वर्षों की बकाया मांग गोसवारा में रू० 79824.00 दर्शित थी जबकि लाइसेंस रजिस्टर में योग करने पर रू० 79764.00 पाया गया। इस प्रकार दोनों में रू० 60.00 का अन्तर था जिसका सुधार अपेक्षित है।

2– लाइसेंस रजिस्टर एवं त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के आंकड़ों में काफी अन्तर पाया गया जिससे स्पष्ट है कि शासन को भ्रामक सूचनायें भेजकर भ्रमित किया जा रहा है।

3– बकाया मांग रू० 79824.00 के सापेक्ष वर्ष 1973–74 का रू० 1327.00 वर्ष 2019-20 का रू० 1700.00 वसूली किया गया है जबकि शेष राशि रू० 76797.00 की वसूली हेतु धारा–150 के अन्तर्गत नोटिस एवं वारंट की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

4– बकाया राशि रू० 86347.00 की भूराजस्व की भाँति वसूली हेतु आर०सी० जारी करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

5– अधिकांश बकाया राशि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–3 के अन्तर्गत कालातीत हो चुकी है। समय से वसूली कार्यवाही न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि **रू० 86347.00 की वसूली हेतु कोई भी सक्रिय प्रयास न करके, लाइसेंस रजिस्टर में सही योग न करके एवं लापरवाही से कार्य करके संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 86347.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०22

प्र०सं०–10– वर्ष 2020–21 के ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जिला पंचायत में पंजीकृत कुल 258 ईंट भट्ठों में से कुल 7 भट्ठों से वर्ष 2020–21 का लाइसेंस शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त भट्ठों का विवरण निम्न प्रकार था –

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड	लाइसेंस शुल्क
1-	बंसवार ईंट उद्योग	लखीमपुर	6000+500+400+50=6950.00
2-	मीनू ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	6950.00
3-	भीखमपुर ईंट उद्योग	मितौली	6950.00
4-	राज ब्रिक फील्ड	रमियाबेहड़	6950.00
5-	जहीर अहमद एण्ड कम्पनी	बांकेगंज	6950.00
6-	वी०के० ईंट उद्योग	बिजुआ	6950.00
7-	अग्रसेन ब्रिक फील्ड	बिजुआ	6950.00
	योग–		**48650.00**

उक्त ईंट भट्ठों से लाइसेंस शुल्क वसूली का कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। चूँकि उक्त भट्ठों के सम्मुख "बंदी" दर्ज नहीं है अर्थात इनका संचालन किया जा रहा है। **अतः लाइसेंस शुल्क की वसूली न करके संस्था को जानबूझकर वित्तीय क्षति पहुँचाकर रू० 48650.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 48650.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०31

प्र०सं०–11– ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर एवं विभव व सम्पत्ति कर रजिस्टर का मिलान करने पर प्रकट हुआ कि कतिपय ईंट भट्ठे ऐसे थे जिनका नाम लाइसेंस रजिस्टर में था तथा उनसे लाइसेंस शुल्क की वसूली भी की गई है परन्तु उनपर कर का अवधारण नहीं किया गया है। यथा–

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड	कर
1-	मे० संतराम दास विजय कुमार ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	6000.00
2-	मे० विशनू ब्रिक्स बांसखेड़ा	लखीमपुर	6000.00
3-	मे० राजीव ईंट उद्योग सैधरी	लखीमपुर	6000.00
4-	मे० करन ब्रिक फील्ड बांसखेड़ा	लखीमपुर	6000.00
5-	मे० सोहराब ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	6000.00
6-	मे० दुर्गा ईंट उद्योग कादीपुर	लखीमपुर	6000.00
7-	मे० बी० एच० ब्रिक फील्ड इकबालपुर	लखीमपुर	6000.00
8-	मे० मीनू ब्रिक फील्ड रामापुर	लखीमपुर	6000.00
9-	मे० किसान ईंट उद्योग बम्हनपुर	निघासन	6000.00
10-	मे० सरस्वती ब्रिक फील्ड निबौरिया	निघासन	6000.00
11-	मे० मिलन ब्रिक फील्ड बेहटी अफगान	मोहम्मदी	6000.00
12-	मे० रामा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान टेंगुनखुर्रमनगर	मोहम्मदी	6000.00
13-	मे० सोनल ब्रिक फील्ड सल्लिया	पसगवां	6000.00

14-	मे० शुक्ला ब्रिक फील्ड पसगवां	पसगवां	6000.00
15-	मे० साबरी ब्रिक फील्ड मो०पुरताजपुर	पसगवां	6000.00
16-	मे० हासमी ब्रिक फील्ड बनिकागांव	पसगवां	6000.00
17-	मे० एच०एल०एल०पी० ब्रिक फील्ड	पसगवां	6000.00
18-	मे० शम्भू सुन्दरी ईंट भट्ठा बारीपुर बरबर	पसगवां	6000.00
19-	मे० राज ब्रिक फील्ड पसगवां	पसगवां	6000.00
20-	मे० के०जी०एम० ट्रेडर्स पिपरिया	धौरहरा	6000.00
21-	मे० ख्वाजा ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6000.00
22-	मे० कांता अग्रवाल ब्रिक फील्ड बेहजम	बेहजम	6000.00
23-	मे० अर्श ब्रिक फील्ड	बेहजम	6000.00
24-	मे० अमन ईंट उद्योग गोकर्णनाथ	बांकेगंज	6000.00
25-	मे० अमन ब्रिक फील्ड जलालपुर	बांकेगंज	6000.00
26-	मे० गाजी ब्रिक फील्ड सुआबोझ	बांकेगंज	6000.00
27-	मे० वरूण ब्रिक फील्ड खरेहटा	बांकेगंज	6000.00
	योग–		**162000.00**

उपरोक्त सभी भट्ठों से वर्ष 2019–20 का लाइसेंस शुल्क लिया गया है अर्थात ये सभी वर्ष 2019–20 में संचालित थे अतः इन पर वर्ष 2020–21 का कर अवधारण किया जाना चाहिये था **परन्तु कर अवधारण न करके संस्था को रू० 162000.00 की वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 162000.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०32

प्र०सं०–12– ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर एवं सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि कतिपय ईंट भट्ठा ऐसे थे जिन पर वर्ष 2020-21 में कर का अवधारण किया गया है परन्तु उनका नाम लाइसेंस रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया। यथा –

क्र०सं०	ईंट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड
1-	मे० गणेश ब्रिक फील्ड गूमचीनी	लखीमपुर
2-	मे० वरूण ब्रिक फील्ड बांसखेड़ा	लखीमपुर
3-	मे० गोला ब्रिक फील्ड करनपुरनिबहा	लखीमपुर
4-	मे० जय अम्बे ब्रिक फील्ड बेहजम	बेहजम
5-	मे० कुमार ब्रिक फील्ड बेहजम	बेहजम
6-	मे० मारूती ब्रिक फील्ड बेहजम	बेहजम
7-	मे० भगौती प्रसाद ब्रिक फील्ड कौरैयाबगहा	कुम्भी
8-	मे० सामी ब्रिक फील्ड मोहम्मदपुर	पसगवां
9-	मे० हिन्दुस्तान ब्रिक फील्ड अयोध्यापुरवा	निघासन
10-	मे० विजय ब्रिक फील्ड सुथनाबरसोला	निघासन
11-	मे० गणेश ब्रिक फील्ड चितिहा	निघासन
12-	मे० कबीर ब्रिक फील्ड अन्धपुरवा	ईसानगर
13-	मे० गणेश ब्रिक फील्ड सेमरी	रमियाबेहड़
14-	मे० दुर्गा ब्रिक फील्ड खरेहटा	बांकेगंज

उक्त ईंट भट्ठे कर पंजिका में दर्शित थे एवं उन पर कर का अवधारण भी किया गया था अर्थात ये सभी वर्ष 2019-20 में संचालित थे। इन पर लाइसेंस शुल्क न लेने से ये स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षकों की जानकारी में यह भट्ठे बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किये जा रहे थे जिसकी सूचना उनके द्वारा जिला पंचायत में या तहसील में नहीं दी गई। इस प्रकार **इन भट्ठों से वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020-21 का लाइसेंस शुल्क रू० 12000.00 + नवीनीकरण शुल्क रू० 100.00 + विलम्ब शुल्क रू० (2100.00 + 900.00) = 3000.00 कुल रू० 15100.00 की दर से धनराशि रू० 211400.00 की वसूली जानबूझकर न करके संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये राजस्व निरीक्षक**

<u>उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 211400.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।</u>

सा०आ०स०**33**

प्र०सं०–13– सम्पत्ति एवं विभव कर पंजिका वर्ष 2020-21 की जाँच करने पर यह प्रकट हुआ कि कतिपय करदाताओं से चालू मांग के सापेक्ष वसूली दर्शित की गई है जबकि बकाया मांग के सापेक्ष वसूली शून्य रही है। यथा –

क्र० सं०	करदाता	विकास खण्ड	ग्राम	चालू मांग	बकाया मांग	वर्ष 2020–21 में वसूली	अवशेष
1-	रामग्रह उद्योग	लखीमपुर	उदयपुरमहेवा	2000	2000	2000	2000
2-	दयाल डेयरी उद्योग	लखीमपुर	बनभलिया	12000	1000	12000	1000
3-	वर्मा किराना स्टोर	लखीमपुर	रामापुर	1900	313	1900	313
4-	प्रदीप कुमार वर्मा	नकहा	धोबहाभोजपुर	1100	700	1100	700
5-	अग्रवाल राइस इंड०	कुम्भी	कुकरा रोड	6000	1563	6000	1563
6-	श्याम जी राइस मिल	कुम्भी	मोहम्मदी रोड	6000	625	6000	625
7-	खालसा किराना स्टोर	निघासन	बम्हनपुर	1800	1600	1800	1600
8-	गुप्ता मेडिसिन	निघासन	छेदुईपतिया	7200	1500	7200	1500
9-	रामजी	ईसानगर	अंधपुरवा	1000	150	1000	150
10-	संदीप कटियार	ईसानगर	बसढ़िया चौ०	1500	1200	1500	1200
11-	कटियार किसान सेवा केन्द्र	ईसानगर	समरजहीर	6000	500	6000	500
12-	जगदम्बा प्रसाद	धौरहरा	सरसवां चौ०	1200	700	1200	700
13-	रामसेवक	मोहम्मदी	पिपरिया	1000	1900	1000	1900
14-	गुप्ता मेडिकल स्टोर	बिजुआ	बिजुआ	1000	4933	1000	4933
15-	चौधरी आटोमोबाइल	बिजुआ	भीरा	1500	2600	1500	2600
16-	मौर्या ब्यूटी सेन्टर	रमियाबेहड़	ढखेरवा चौ०	2000	50	2000	50
17-	गुप्ता टेन्ट हाउस	मोहम्मदी	गुरूनानकनगर	1600	2000	1600	2000
	योग –						**23334**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि करदाताओं से वसूल की गई राशि को चालू मांग के सापेक्ष समायोजित किया गया है जबकि नियमतः पहले पुराना बकाया समायोजित किया जाना चाहिये था। **<u>बकाया राशि की वसूली न करके केवल चालू मांग की वसूली करके जानबूझकर रू० 23334.00 की वित्तीय क्षति संस्था को पहुँचाकर उक्त राशि की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये कर अधिकारी एवं पटल सहायक तथा राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 23334.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।</u>**

सा०आ०स०**35**

प्र०सं०–14– राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य "**विकास खण्ड पलिया में बेलरायां पी०डब्लू०डी० रोड से बलेरा मार्ग पर अवशेष लेपन कार्य–1120 मीटर**" की पत्रावली की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

1– उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त कर नहीं लगाई गई जबकि कार्य की अनुमानित लागत रू० दस लाख से अधिक थी।

2– बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य की निविदा दिनाँक 10-02-2020 कां आमंत्रित की गई।

3– ठेकेदार की निविदा स्वीकृति की सूचना दिनाँक 27-04-2020 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध कराने को कहा गया।

4– परन्तु ठेकेदार द्वारा एक माह के विलम्ब से दिनाँक 26-05-2020 को अनुबन्ध किया गया जिसके लिये उसे कोई नोटिस नहीं दी गई।

5– अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनाँक 22-08-2020 तक पूर्ण होना था परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य दिनाँक 28-11-2020 तक पूर्ण कराया गया। उक्त 3 माह के विलम्ब के लिये ठेकेदार द्वारा समय बढ़ाने का कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया।

6– विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत रू० 290363.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

7– अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल के चार फोटो तैयार कराये परन्तु ऐसी कोई सूचना एवं फोटो पत्रावली में नहीं पाये गये।

8– कार्य के प्रथम बिल व्यय प्रमाणक 48 दिनाँक 06-08-2020 में अवर अभियन्ता द्वारा दिनाँक 28-06-2020 को कार्य का निरीक्षण करने की बात कही गई है परन्तु निरीक्षण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

9– प्रथम बिल की राशि रू० 1655000.00 थी जिस पर 1% लेबर सेस रू० 16550.00 काटा जाना चाहिये था जो कि नहीं काटा गया था।

10– पत्रावली में कुल 4 फोटो संलग्न थे जिन पर कार्य का नाम अंकित करके अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

11– उक्त कार्य मार्ग लेपन का था जिसका लगभग 60 प्रतिशत कार्य जून 2020 में ही पूर्ण हो गया था परन्तु शेष 40 प्रतिशत कार्य वर्षा ऋतु के समय कराया गया है जिससे कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध रही।

12– नियम–37 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है। परन्तु इस कार्य में अभियन्ता द्वारा दिया गया जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

13– कार्य की प्राक्कलन शीट एवं एम०बी० का मिलान करने पर निम्न मदों की मात्रा व मूल्य में अन्तर पाया गया –

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन में			एम०बी० में		अन्तर
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1-	ब्रिक इडिगिंग 7 सेमी वाइड वॉन वोथ साइड वॉफ द रोड एम-150 ब्रिक	0.896	85000	76160	1.12	95200	19040
2-	कोन्स. ऑफ इम्बैंकमेंट विद एप मैट	881.42	85.80	75625	720.25	61797	13828
	योग						**32868**

इस प्रकार उक्त मदों में 10 प्रतिशत से अधिक विचलन था जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी जो कि नियम–15 का उल्लंघन है। इस प्रकार ठेकेदार को रू० 32968.00 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य को अनियमित कार्य माना जा सकता है। **इस प्रकार उक्त कार्य में भुगतान की गई कुल राशि रू० 2354563.00 + अर्थदण्ड न लेकर रू० 290363.00 + लेबर सेस न काटकर रू० 16550.00 + सारवान विचलन द्वारा रू० 32968.00 कुल रू० 2694444.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2694444.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०53

प्र०सं०–15– राज्य वित्त निर्माण कार्य–"**विकास खण्ड बेहजम में ग्राम पंचायत ढखियाबुजुर्ग के नयापुरवा में रामचन्दर वर्मा की बाग से भट्टूरी पेन्टेड मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण – 370 मीटर**" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच 0करने पर निम्न आपत्तियाँ प्रकट हुयीं –

1– उक्त कार्य की प्रथम निविदा दिनाँक 19-10-2019 को आमंत्रित की गई जिसमें न्यूनतम निविदा श्री रामनरेश की रू० 2118536.00 की प्राप्त हुयी एवं स्वीकृत भी की गई परन्तु अनुबन्ध से पूर्व ही अध्यक्ष महोदय द्वारा बिना किसी कारण उक्त निविदा को निरस्त कर दिया गया तथा पुनः दिनाँक 23-05-2020 को अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की गई जिसमें न्यूनतम निविदा मे० अवध कान्सट्रक्शन की रू० 2269671.00 की प्राप्त हुयी जो स्वीकृत की गई। द्वितीय स्वीकृत निविदा प्रथम स्वीकृत निविदा से अधिक राशि की थी।

2– निविदा स्वीकृति की सूचना ठेकेदार को दिनॉक 16-06-2020 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु ठेकेदार द्वारा दिनाँक 04-07-2020 को अनुबन्ध पूर्ण कराया गया।

3– अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दिनाँक 17-08-2020 तक पूर्ण कराया जाना था परन्तु कार्य वास्तव में 3 माह विलम्ब से दिनाँक 12-11-2020 को पूर्ण हुआ। उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार का समयावधि बढ़ाने का कोई पत्र लगा नहीं पाया गया।

4– विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय– में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत रू० 227993.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु ठेकेदार पर कोई पत्र लगा नहीं पाया गया।

5– अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल के चार फोटो तैयार कराये परन्तु ऐसी कोई सूचना एवं फोटो पत्रावली में लगे नहीं पाये गये।

6– शासनादेश संख्या–115(1)/86-2020-52(सा०)/2019 टी०सी० दिनाँक 15-01-2020 के अनुसार ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक से कराया जायेगा, जहाँ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। परन्तु उक्त कार्य में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है और बिना सत्यापन रायल्टी सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

7– उक्त कार्य 370 मीटर में से 358 मीटर कार्य दिनाँक 20-09-2020 तक अवर अभियन्ता की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण हो गया था परन्तु शेष 12 मीटर कार्य 3 माह में दिनाँक 12-11-2020 तक पूर्ण कराया गया जो कि निरीक्षण रिपोर्ट को संदिग्ध बनाता है।

8– कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनाँक 17-08-2020 थी परन्तु कार्य कार्य प्रथम निरीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा दिनाँक 20-09-2020 को किया गया अर्थात दिनाँक 17-08-2020 से दिनाँक 20-09-2020 तक अवर अभियन्ता न तो कार्य स्थल पर गये और न ही ठेकेदार को कोई नोटिस जारी किया।

9– तृतीय व अन्तिम बिल के अनुसार कार्य की माप दिनाँक 12-11-2020 को अवर अभियन्ता द्वारा की गई परन्तु उक्त निरीक्षण की आख्या पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

10– नियम–37 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता द्वारा दिया गया जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

11– कार्य की प्राक्कलन शीट एवं एम०बी० का मिलान करने पर निम्न मदों की मात्रा व मूल्य में अन्तर पाया गया –

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन में			एम०बी० में		अन्तर
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1-	ग्रानुलर सब बेस विद वेल ग्रेडेड	-	4647	-	7.15	33226	33226
2-	मैटेरियल प्रौवाइडिंग कन्सर्ट फॉर प्लेन	0.48	7874.70	3778	-	-	3778
3-	सप्लाई फिटिंग एन्ड प्लेसिंग एम.एएस बार	0.38	6397.50	2431	-	-	2431
4-	प्लास्टिंग विद सीमेंट मोटर 1:4	4.62	150.60	696	-	-	696
5-	कोन्स. ऑफ इम्बैंकमेंट विद सोएल	47.50	87.20	4142	114.48	9982	5840
	योग						**45971**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त मदों में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन था जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी जो कि नियम–15 का उल्लंघन है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करके या त्रुटिपूर्ण एम०बी० करके ठेकेदार को रू० 45971.00 का अनुमानित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य को अनियमित कार्य कहा जा सकता है **जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 2220727.00 + अर्थदण्ड न लेकर रू० 227993.00 + सारवान विचलन द्वारा 45971.00 कुल धनराशि रू० 2494691.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है अतः उक्त राशि रू० 2494691.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**54**

प्र०सं०–16– राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य–"**विकास खण्ड मितौली में ग्राम पटसार से भोगियापुर मार्ग पर हनुमान जी के मन्दिर से भोगियापुर तिराहे तक लेपन मरम्मत 2096 मीटर x 300 मीटर**" की पत्रावली जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उक्त कार्य का टेण्डर दिनाँक 10-02-2020 को आमंत्रित किया गया था जिसमें कुल 4 फर्मों के टेण्डर प्राप्त हुए परन्तु तुलनात्मक चार्ट में मात्र 3 फर्मों के ही टेण्डर दर्शित थे। मे० जैन ब्रदर्स का नाम उसमें दर्ज नहीं पाया गया।

2– तुलनात्मक चार्ज में न्यूनतम टेण्डर मे० प्रमोद कुमार सिंह का था जो (प्राक्कलन –.10%) पर था। प्राक्कलन मूल्य रू० 1842794.00 - 10% = 1840951.00 होना चाहिये था परन्तु चार्ट में रू० 1842197.00 एल1 पर लिखा पाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण था।

3- कार्य की तकनीकी स्वीकृति लगी नहीं पाई गई जबकि टेण्डर आमंत्रित करने से पूर्व नियम–16 के अन्तर्गत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी।

4– अनबुन्ध के अनुसार कार्य को दिनाँक 27-06-2020 तक पूर्ण होना था परन्तु वास्तविक रूप से कार्य दिनाँक 16-11-2020 को पूर्ण हुआ। उक्त विलम्ब के लिये समयावधि बढ़ाने का प्रार्थना–पत्र ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया गया।

5– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार का निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड 2(ग) के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक रू० 184279.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु ठेकेदार पर कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

6– कार्य के प्रथम बिल के अनुसार दिनाँक 14-06-2020 तक लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था तथा प्राइम कोट एवं ट्रैक कोट हेतु बिटुमिन व इमल्सन का प्रयोग किया जा चुका था परन्तु शेष 10 प्रतिशत कार्य 5 माह पश्चात दिनाँक 16-11-2020 को पूर्ण हुआ जिससे कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध रही विशेष रूप से वर्षा ऋतु के कारण।

7– द्वितीय एवं तृतीय बिल की एम०बी० समान थी परन्तु फिर भी समय में एक माह का अन्तर था अर्थात बिना कार्य पूर्ण हुए ही द्वितीय एम०बी० की गई तथा ठेकेदार को अतिरिक्त समय दिया गया।

8– अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करें तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु ऐसी कोई सूचना एवं फोटो पत्रावली में लगे नहीं पाये गये।

9– नियम–37 के अन्तर्गत कार्य का पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनबुन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता द्वारा दिया गया जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर उक्त कार्य को अनियमित कार्य कहा जा सकता है **जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 1206939.00 + अर्थदण्ड लगाकर रू० 184279.00 कुल धनराशि रू० 1391218.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 1391218.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०55

प्र०सं०–17– राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "**विकास खण्ड निघासन में ग्राम सभा जसनगर से खमरिया मार्ग पर लेपन मरम्मत – 850 मीटर**" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– उक्त कार्य का प्रथम स्टीमेट कुल 1341 मीटर लम्बाई का रू० 2481194.00 का तैयार किया गया था जिस पर शासन से आपत्ति लगने के बाद दूसरा स्टीमेट रू० 3962518.00 का तैयार किया गया जिस पर शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई। परन्तु टेण्डर प्रथम प्राक्कलन के आधार पर आमंत्रित किया गया।

2– प्रथम प्राक्कलन की राशि स्वीकृत राशि से कम होने के कारण टेण्डर आमंत्रित करने के बाद मार्ग की लम्बाई 1341 मीटर से घटाकर 850 मीटर कर दी गई तथा पुनः एक संशोधित प्राक्कलन 850 मीटर का रू० 2527463.00 का तैयार किया गया जिसक पुनः स्वीकृति नहीं ली गई।

3– प्रथम प्राक्कलन के आधार पर आमंत्रित किये गये टेण्डर के सापेक्ष कुल 4 टेण्डर प्राप्त हुए परन्तु तुलनात्मक चार्ट में मात्र 3 ठेकेदारों का नाम दर्शित था। मे० बाबा शिवपूजन इण्टर प्राइजेज का नाम तुलनात्मक चार्ज में दर्शित नहीं पाया गया। एल1 पर मे० अवध कान्सट्रक्शन का नाम दर्ज था जिनका टेण्डर प्राक्कलन दस से 5.10% कम पर था।

4– प्रथम प्राक्कलन के आधार पर 2481194.00 – 5.10% = रू० 2354653.00 होता है जिस पर टेण्डर स्वीकृत होना चाहिये था परन्तु टेण्डर तृतीय प्राक्कलन में स्वीकृत हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया ही दूषित थी। 1341 मीटर के लिये प्राप्त टेण्डर को 850 मीटर के लिये स्वीकृत किया गया जबकि पूर्व टेण्डर को निरस्त करके नया टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिये था।

5– अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दिनाँक 26-07-2020 तक समाप्त होना था परन्तु कार्य वास्तविक रूप से दिनाँक 28-11-2020 को 4 माह के विलम्ब से पूर्ण हुआ।

6– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार का समयावधि बढ़ाने का कोई प्रार्थना–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

7– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार से निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत का 10% तक कुल रू० 252746.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

8– कार्य की प्रथम माप दिनाँक 25-05-2020 को तथा द्वितीय माप दिनाँक 28-11-2020 को की गई परन्तु अवर अभियन्ता का निरीक्षण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

9– अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु ऐसी कोई सूचना एवं फोटो संलग्न नहीं पाये गये।

10– नियम–37 के अन्तर्गत कार्य का पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध के निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

11– कार्य की प्राक्कलन शीट एवं एम०बी० का मिलान करने पर निम्न मदों की मात्रा व मूल्य में अन्तर पाया गया –

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन में			एम०बी० में		अन्तर
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1-	ब्रिक इडिगिंग 7 सेमी वाइड वॉन वोथ साइड वाई एम-150	1000	82400	82400	850	70040	12360
2-	अर्थ वर्क इन ऑर्डनरी सॉइल कार्टेज	170	87.20	14824	192.50	16786	1962
	योग						**14322**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त मदों में 10% से अधिक का विचलन था जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी जो कि नियम–15 का उल्लंघन है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करके या त्रुटिपूर्ण एम०बी० करके ठेकेदार को रू० 14322.00 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य को पूर्णतया अनियमित माना जा सकता है **जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 2025027.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 252476.00 + सारवान विचलन द्वारा रू० 14322.00 कुल धनराशि रू० 2291825.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2291825.00 की दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०**56**

प्र०सं०–18– राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "**विकास खण्ड बिजुआ में ग्राम गड़हिया के मजरा गुलाबटांडा में प्राथमिक विद्यालय से शारदा के खेत तक खडन्जा व पुलिया कार्य–1240 मीटर x 3.30 मीटर व दो नग पुलिया**" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– उक्त कार्य का प्रथम प्राक्कलन रू० 2721274.00 का तैयार किया गया परन्तु शासन की आपत्ति के बाद पुनः संशोधित प्राक्कलन रू० 2720698.00 का तैयार किया गया। यद्यपति कि टेण्डर प्रथम प्राक्कलन के आधार पर ही आमंत्रित किया गया।

2– ठेकेदार को निविदा स्वीकृति की सूचना दिनाँक 18-01-2020 को दी गई तथा शासन से स्वीकृति मिलने के पश्चात अनबुन्ध कराने के लिये कहा गया परन्तु शासन से प्राप्त स्वीकृति पत्रावली में लगी नहीं पाई गई।

3– दिनाँक 16-03-2020 तक ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध न कराने पर उसे नोटिस दी गई कि 3 दिन में अनुबन्ध करा लें अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। परन्तु फिर भी ठेकेदार द्वारा 2 माह तक अनुबन्ध नहीं किया गया। ठेकेदार की न तो जमानत जब्त की गई ओर न ही टेण्डर निरस्त किया गया।

4– दो माह पश्चात दिनाँक 14-05-2020 को ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध पूर्ण कराया गया जिसके अनुसार कार्य को तीन माह में दिनाँक 13-08-2020 तक पूर्ण जो जाना था परन्तु कार्य वास्तविक रूप में 6 माह पश्चात दिनाँक 12-11-2020 को पूर्ण हुआ।

5– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार की ओर से समयावधि बढ़ाने का कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया परन्तु फिर भी टेण्डर निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

6– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 के खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत कुल अनुमानित मूल्य का अधिकतम 10% रू० 272069.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

7– कार्य के द्वितीय बिल के अनुसार कार्य की माप दिनाँक 14-07-2020 को हुयी जिसमें पूरे 1242 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य पूर्ण पाया गया तथा कार्य की एम०बी० रू० 2668859.00 की की गई परन्तु फिर भी कार्य समाप्त न करके रनिंग बिल बनाया गया यद्यपि कार्य की तृतीय एम०बी० दिनाँक 12-11-2020 को पुनः उतनी ही राशि की की गई जिससे स्पष्ट है कि द्वितीय एम०बी० के समय कार्य वास्तव में पूर्ण नहीं हुआ था तथा द्वितीय एम०बी० संदिग्ध है।

8– किसी भी बिल के साथ अवर अभियन्ता की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं पाई गई। दिनाँक 13-08-2020 से दिनाँक 12-11-2020 तक अवर अभियन्ता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं किया गया और न ही ठेकेदार को कार्य समाप्त करने का नोटिस दिया गया।

9– अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु ऐसी कोई सूचना एवं फोटो संलग्न नहीं पाये गये।

10– नियम–37 के अन्तर्गत कार्य का पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता द्वारा सम्यक रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाये कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

11– कार्य पूर्ण होने के पश्चात के फोटो पत्रावली में लगे नहीं पाये गये अतः पूर्णता की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य को पूर्णतया अनियमित माना जा सकता है। **जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 2558902.00 + अर्थदण्ड न लेकर रू० 272069.00 कुल धनराशि रू० 2830971.00 की वित्तीय अनियमितता की**

<u>गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2830971.00 की वूसली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।</u>

सा०आ०स०**57**

प्र०सं०–19– राज्य वित्त में कराये गये निर्माण – "**विकास खण्ड मितौली में बड़ागाँव रोड से रानीबेहड़ मार्ग तक लेपन कार्य – 605 मीटर x 3.00 मीटर**" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– कार्य का प्रथम प्राक्कलन रू० 2188053.00 का तैयार किया गया परन्तु शासन की आपत्ति के बाद पुनः द्वितीय प्राक्कलन रू० 2071921.00 का तैयार किया गया यद्यपि टेण्डर प्रथम प्राक्कलन से ही आमंत्रित किया गया।

2– प्राक्कलन शीट में कार्य स्थल का फोटो लगा नहीं पाया गया यद्यपि कार्य प्रारम्भ से पूर्व के फोटो में कार्य स्थल पर खडन्जा लगा दिख रहा है अतः लेपन कार्य संदिग्ध रहा।

3– कार्य का अनुबन्ध रू० 2187918.00 का किया गया जबकि द्वितीय प्राक्कलन की राशि रू० 2071921.00 थी अर्थात प्राक्कलन से अधिक का अनुबन्ध किया गया।

4– कार्य का अनुबन्ध दिनाँक 26-05-2020 को हुआ तथा मात्र 4 दिन बाद ही कार्य की प्रथम एम०बी० भ्ज्ञी दिनाँक 30-05-2020 को हो गई जो कि लगभग 1/3 काम की थी। स्पष्ट है कि कार्य जल्दबाजी में किया गया।

5– अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनाँक 22-08-2020 तक पूर्ण हो जाना था परन्तु कार्य वास्तविक रूप से तीन माह विलम्ब से दिनाँक 27-11-2020 को पूर्ण हुआ।

6– उक्त विलम्ब के लिये समयावधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार का कोई पत्र लगा नहीं पाया गया फिर भी ठेका निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई।

7– उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित मूल्य का अधिकतम 10% तक रू० 207192.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

8– कार्य के द्वितीय बिल के अनुसार कार्य स्थल पर दिनाँक 14-06-2020 तक मिट्टी कार्य पूर्ण हो चुका था जिसके पश्चात दिनाँक 17-10-2020 तक कार्य स्थल पर प्राइम कोट, ट्रैक कोट एवं सील कोट डाला गया जबकि उस अवधि में वर्षा ऋतु चालू थी अतः कार्य की गुणवत्ता पूर्णतया संदिग्ध थी।

9– कार्य के तृतीय एवं चतुर्थ व अन्तिम बिल की एम०बी० समान राशि की थी जबकि दोनों के बीच एक माह से अधिक का अन्तर था। स्पष्ट है कि तृतीय बिल की एम०बी० के समय तक कार्य पूर्ण न होने के बाद भी पूरी एम०बी० करके ठेकेदार को अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

10– किसी भी बिल के साथ अवर अभियन्ता का निरीक्षण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

11– नियम–37 के अनुसार ठेकेदार का पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य को पूर्णतया अनियमित माना जा सकता है **<u>जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 1909279.00 + अर्थदण्ड न लेकर रू० 207192.00 कुल राशि रू० 2116471.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2116471.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।</u>**

सा०आ०स०**58**

प्र०सं०–20- राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "**विकास खण्ड लखीमपुर में ग्राम सभा केशवपुरगुरेला के मौजा पिथवापुर में गुरेला बैरागर सम्पर्क मार्ग से सरदवन के घर मार्ग पर सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य – 335 मीटर**" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– उक्त कार्य की प्राक्कलन शीट में लगे, साइट फोटो में खडन्जा लगा दिख रहा है तथा कार्य पूर्व के 5 फोटो में भी खडन्जा दिख रहा है। उक्त खडन्जे के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट लगी नहीं पाई गई अतः खडन्जा उखाड़कर सी०सी० रोड बनाने का कोई औचित्य नहीं था।

2– खडन्जा को उखाड़ने पर प्राप्त ईंट 335x3x59 = 59295 नग का 60% = 35577 नग अनुमानित मूल्य लगभग रू० 177885.00 न तो जिला पंचायत स्टॉक में जमा कराये गये और न ही ठेकेदार के बिल से समायोजित किये गये। इस प्रकार रू० 177885.00 की क्षति पहुँचाई गई।

3– उक्त कार्य की अनुमानित लागत रू० 10 लाख से अधिक थी अतः उसकी प्राविधिक स्वीकृति नियम–16 के अन्तर्गत शासन से प्राप्त की जानी चाहिये थी जो कि लगी नहीं पाई गई।

4– अनुबन्ध के अनुसार उक्त कार्य बरसात से पूर्व दिनाँक 27-06-2020 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था परन्तु बरसात में कार्य कराते हुए पाँच माह के विलम्ब से दिनाँक 12-11-2020 तक पूर्ण हुआ। बरसात के दौरान कार्य कराने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित रहने की सम्भावन है।

5– ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त समय मांगने का कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया परन्तु फिर भी उसे समय से पूर्ण करने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं की गई।

6– कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि दिनाँक 27-06-2020 एवं कार्य की प्रथम एम०बी० की तिथि दिनाँक 31-07-2020 में एक माह का अन्तर रहा जिससे अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करके कोई नोटिस जारी नहीं की गई।

7– कार्य की द्वितीय एम०बी० दिनाँक 26-09-2020 को हुयी जिसके अनुसार कार्य का 90% से अधिक भाग पूर्ण हो चुका था परन्तु शेष 10% कार्य के लिये दो माह का समय लिया गया।

8– कार्य में विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 के खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित मूल्य का अधिकतम 10% तक रू० 264263.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

9– पत्रावली में लगे सभी फोटो अप्रमाणित पाये गये। उन पर कार्य का नाम लिखकर अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये था।

10– किसी भी बिल के साथ अवर अभियन्ता का निरीक्षण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

11– नियम–37 के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण करने से पूर्व अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र नहीं लिया गया।

12– शासनादेश संख्या–115(1)/86-2020-52(सा०)/2019 टी०सी० दिनाँक 15-01-2020 के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/निरीक्षक से कराया जायेगा जहाँ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है परन्तु उक्त कार्य में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है और सत्यापन के बिना ही रायल्टी सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

13– कार्य के प्राक्कलन एवं अन्तिम एम०बी० की तुलना करने पर निम्न मदों में अन्तर पाया गया –

क्र० सं०	विवरण	प्राक्कलन में			एम०बी० में		अन्तर
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1-	पी /एल कोम्पेक्टेड जी.एस.बी.	21.98	4755	104515	15.06	71610	32905
2-	इ/डब्लू इन इडावेशन/ऑर नेल	74.16	110.50	8195	50.04	5529	2666
3-	पी /एल पी सीसी 1:3:6 इन नेल	26.49	7396.50	195933	18.76	138758	57175
4-	पी /एल बी/डब्लू इन1:4 सी+सीएस	85.49	6305.30	539040	60.98	384497	154543
5-	पी /एल आर.सी.सी 1:2:4/ऑर कवर इन ऑल कम्प्यूटर .	1.37	8033.30	11006	2.22	17834	6828
6-	पी /एल प्लास्टर इन1:4 सी+सीएस	505.02	152.40	76965	234.13	35681	41284
7-	इ/डब्लू इन ऑर्डनरी सॉइल गल बोथ साइड रोड	249.22	85.80	21383	103.84	8909	12474
	योग						**307875**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त मदों में 10% से अधिक का विचलन था जिसके लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी जो कि नियम–15 का उल्लंघन है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करके अथवा त्रुटिपूर्ण एम०बी० करके जानबूझकर ठेकेदार को रू० 307875.00 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य को पूर्णतया अनियमित माना जा सकता है **जिसमें भुगतान की गई कुल राशि रू० 2365410.00 + ईंट का मूल्य समायोजित न करके रू० 177885.00 + अर्थदण्ड लगाकर रू० 264263.00 + सारवान विचलन द्वारा रू० 307875.00 कुल धनरिश रू० 3115433.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 3115433.00 की वसूली अभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।**

सा०आ०स०**59**

प्र०सं०–21- संस्था के प्रपत्र–ड. के अनुसार अनुदान से निम्न विवरणानुसार 61.35 करोड़ के निर्माण एवं मरम्मत के कार्य दर्शित हैं –

क्र०सं०	अनुदान से कराये गये निर्माण कार्य	व्यय धनराशि
1-	राज्य वित्त	436385259.00
2-	15वाँ वित्त आयोग टाइड	22287944.00
3-	पंचम राज्य वित्त	76943277.00

4-	15वाँ वित्त आयोग अनटाइड	48504308.00
	योग–	584120788.00
	घटाया–15वाँ वित्त आयोग की टाइड राशि	22287944.00
	राज्य वित्त से अन्य निर्माण कार्यों की अधिभार	16935323.00
	अपुष्ट राशि	544907521.00

(1)- उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या–866/23-02-14-93 जी/2004/टी/पंचायती राज अनुभाग–3/लखनऊ दिनाँक 24-06-2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार जिला पंचायतों द्वारा दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराना था। शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है परन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गया दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है जो कि अनुचित है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है अतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

परन्तु जिला पंचायत खीरी में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गये अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही अधिकांशतः खडन्जा निर्माण, खडन्जा मरम्मत, सी०सी० रोड निर्माण, पुलिया निर्माण, लेपन आदि के रूप में कराये गये हैं जो कि उक्त शासनादेश के नियमों के विरूद्ध हैं। शासनादेश का पालन किया जाना अपेक्षित है।

(2)– निर्माण कार्य पत्रावलियों एंव अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत ता ग्राम पंचायत प्रत्येक का कितना स्वामित्व होगा यह स्पष्ट नहीं है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हस्तान्तरित की गई है और न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गई है ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य के पूर्ण होने की स्थिति संदिग्ध हो जाती है। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्तविकता की पुष्टि सम्बन्धित संस्था जिसमें स्वामित्व निहित हो को हस्तान्तरित करने एवं उसकी प्रविष्टि परिसम्पत्ति पंजिका में करके कराई जानी अपेक्षित है।

(3)– निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कई निर्माण कार्यों के लिये अवर अभियन्ता द्वारा एक ही एमबी प्रयोग की गई है जिसके कारण पत्रावली में एमबी संलग्न नहीं की जाती है अतः सभी एमबी बुक निकलवाकर पत्रावली की जाँच करना अत्यधिक श्रमसाध्य एवं समय लेने वाला कार्य है अतः प्रत्येक बिल के साथ उसकी एमबी की प्रमाणित छायाप्रति भी पत्रावली में अवश्य संलग्न की जानी अपेक्ष् त है।

(4)– किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम–41 प्रपत्र–8 पर बनाया गया बिल संलग्न नहीं पाया गया। उक्त बिल मात्र गार्ड फाइल में ही लगा पाया गया अतः पास किये गये बिल की एक प्रमाणित प्रति निर्माण पत्रावली में भी अवश्य लगाई जानी चाहिये जिससे बिल, एमबी एवं प्राक्कलन का मिलान किया जा सके।

(5)– निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार द्वारा दिया गया एमएम -11/फार्म–3सी संलग्न पाया गया। उक्त एमएम -11/फार्म–3सी पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता से यह प्रमाण–पत्र लिया जाना चाहिये था कि उक्त एमएम -11/फार्म–3सी उसी कार्य से सम्बन्धित है जिसके लिये ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसके द्वारा शासनादेश–115(1)/86-2020-52(सा०)/2019 दिनाँक 15-01-2020 की व्यवस्थानुसार इसका सत्यापन कर लिया गया है। परन्तु किसी भी निर्माण पत्रावली में ऐसा प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

(6)– निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम–44 के अनुसार जिला पंचायत के ठेकेदारों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक ठेकेदार के सम्बन्ध में एक व्यैक्तिक लेखा अलग–अलग प्रपत्र संख्या नि०का०–9 में रखा जायेगा परन्तु जिला पंचायत में उक्त लेखा तैयार नहीं किया जा रहा है अतः प्रत्येक ठेकेदार को वर्ष में किये गये कुल भुगतान व अवशेष की जानकारी नहीं हो सकी।

उक्त आपत्तियों के आलोक में राशि रू० 544907521.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 544907521.00 की वसूली पूर्ण दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०

प्र०सं०–22- आलोच्य वर्ष में जिला निधि से कुल रू० 968.38 लाख व्यय किया गया हैं उक्त व्यय किन मदों में किया गया है उसकी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रपत्र-ड. में उक्त के सम्बन्ध में कतिपय मदों का विवरण अंकित किया गया है परन्तु सम्बन्धित पत्रावलियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। पत्रावलियों के अभाव में उक्त राशि रू० 968.38 लाख की वित्तीय अनियमितता की गई है। अतः उक्त राशि रू० 968.38 लाख की वसूली अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०

जिला पंचायत आपत्तियाँ वर्ष 2021-22

प्र०सं०–23- जिला पंचायत में विभिन्न तिथियों पर मे० मास्टर बुक डिपो से स्टेशनरी क्रय की गई है। यथा–

क्र०सं०	व्यय प्रमाणक संख्या व तिथि	बिल संख्या व तिथि	धनराशि
1-	38/अगस्त 2021	251/15-07-2021	4157.00
2-	39/अगस्त 2021	250/15-07-2021	4462.00
3-	155/27-10-2021	435/13-10-2021	3831.00
4-	157/27-10-2021	436/13-10-2021	4704.00
5-	127/20-01-2022	595/01-01-2022	3682.00
6-	128/20-01-2022	596/01-01-2022	3552.00
		योग –	**24388.00**

उक्त क्रय की पुष्टि में स्टेशनरी मांग पत्र, क्रय बिल, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया अतः क्रय की पुष्टि नहीं हो सका। **प्रमाणक एवं पुष्टि विहीन व्यय अपहरण के समान है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त धनराशि रू० 24388.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**02**

प्र०सं०–24- व्यय प्रमाणक संख्या–16 दिनाँक 15-07-2021 द्वारा जिला पंचायत में प्रयुक्त कार इनोवा संख्या–यूपी-31/ए क्यू -7070 का वार्षिक बीमा प्रीमियम की राशि रू० 24903.00 कैशियर जिला पंचायत को नकद दी गई है जिसकी पुष्टि में समायोजन यथा प्रीमियम रसीद/कवर नोट/पालिसी की छायाप्रति उपलब्ध नहीं रही **अतः उक्त राशि रू० 24903.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं कैशियर उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 24903.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**03**

प्र०सं०–25- व्यय प्रमाणक संख्या–23 दिनाँक 15-07-2021 द्वारा जिला पंचायत में प्रयुक्त कार इनोवा संख्या–यूपी-31/ ए क्यू -7070 में दो नग टायर लगवाने हेतु मे० टायर हाउस को रू० 13200.00 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में वाहन की लॉग बुक, पुराना टायर बेकार होने का ड्राइवर का प्रार्थना–पत्र, मे० टायर हाउस का बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। **अतः उक्त राशि रू० 13200.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं ड्राइवर उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 13200.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**04**

प्र०सं०–26- व्यय प्रमाणक संख्या–41 दिनाँक 15-07-2021 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अध्यक्ष की डी०एस०सी० बनवाई का बिल रू० 4500/- प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू० 13500.00 भुगतान किया गया है जो कि अत्यधिक है। सामान्यतया डी०एस०सी० का बनवाने का बाजार मूल्य रू० 1500/- प्रति व्यक्ति है। **अतः रू० 9000.00 का अधिक भुगतान करके जिला निधि का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी हैं अतः दुरूपयोग की पुष्टि होने पर उक्त राशि रू० 9000/- की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**05**

प्र०सं०–27- व्यय प्रमाणक संख्या 38 दिनाँक 06-09-2021 द्वारा जिला पंचायत की बोर्ड बैठक दिनाँक 12-07-2021 में उपस्थित सदस्यों को यात्रा भत्ता का वितरण करने हेतु कुल रू० 71000-00 (71x1000) नकद कैशियर द्वारा आहरित किया गया है जिसकी पुष्टि में बोर्ड बैठक की कार्यवाही, उपस्थिति पंजिका, वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया **अतः पुष्टि के अभाव में उक्त रू० 71000.00 का अपहरण किया गया है। उक्त राशि रू० 71000.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी एवं कैशियर से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**06**

प्र०सं०–28- व्यय प्रमाणक संख्या 17 दिनाँक 07-10-2021 द्वारा जिला पंचायत में प्रस्तुत इनोवा कार संख्या–यूपी-31/ए क्यू -7070 की सर्विस हेतु रू० 19900.00 का भुगतान श्री साबिर अली ड्राइवर को नकद किया गया है। उक्त भुगतान का समायोजन/वर्कशाप का पक्का बिल संलग्न नहीं पाया गया। वर्कशॉप को एकाउंट पेयी चेक द्वारा भुगतान न किये जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। ड्राइवर का सर्विस की आवश्यकता सम्बन्धी पत्र, वाहन की लॉग बुक, पिछली सर्विस के बाद वाहन द्वारा

तय की गई दूरी का विवरण आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया **अतः पुष्टि के अभाव में उक्त रू० 19900.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं ड्राइवर उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 19900.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**09**

प्र०सं०–29– व्यय प्रमाणक संख्या–01 दिनाँक 04-01-2022 द्वारा जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनाँक 07-09-2021 में उपस्थिति सदस्यों को यात्रा भत्ता वितरित करने हेतु कुल रू० 67000.00 (67x1000) नकद आहरित किया गया परन्तु पुष्टि में बोर्ड बैठक की कार्यवाही, उपस्थित सदस्यों की पंजिका, वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त राशि वितरित की गई या नहीं। चार माह विलम्ब से धन अपहरण का औचित्य भी स्पष्ट नहीं किया गया। **पुष्टि के अभाव में उक्त राशि रू० 67000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं कैशियर उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 67000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**13**

प्र०सं०–30- व्यय प्रमाणक संख्या–129 दिनाँक 20-01-2022 द्वारा जिला पंचायत की इनोवा कार संख्या यूपी-31/ए क्यू -7070 के वार्षिक बीमा प्रीमियम का भुगतान रू० 24365.00 नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी को किया गया है जिसकी पुष्टि में प्रीमियम का रसीद/कवर नोट/पालिसी की छायाप्रति बिल के साथ संलग्न नहीं पाई गई। उक्त वाहन का बीमा प्रीमियम व्यय प्रमाणक संख्या–16 दिनाँक 15-07-2021 द्वारा भी भुगतान किया गया था। एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार प्रीमियम भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। भुगतान संदिग्ध होने तथा **पुष्टि के अभाव में उक्त राशि रू० 24365.00 का अपहरण किया गया है। जिसे लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है अतः उक्त राशि रू० 24365.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**15**

प्र०सं०–31- जिला पंचायत में विभिन्न तिथियों में मे० आशीष इण्टर प्राइजेज से कम्प्यूटर सामग्री क्रय की गई है जिसके व्यय प्रमाणक/बिल उपलब्ध रहे। यथा –

क्र०सं०	व्यय प्रमाणक संख्या व तिथि	बिल संख्या व तिथि	धनराशि
1-	82/दिसम्बर 2021	5476 दि0 09-11-2021	200.00
		276 दि0 09-11-2021	354.00
2-	83/दिसम्बर 2021	2981 दि० 09-11-2021	2100.00
3-	84/दिसम्बर 2021	2982 दि० 09-11-2021	4500.00
4-	85/दिसम्बर 2021	2983 दि० 09-11-2021	4900.00
5-	86/दिसम्बर 2021	5783 दि० 12-11-2021	3900.00
6-	119/20-01-2022	294 दि० 20-11-2021	708.00
	योग –		**16662.00**

उक्त सभी बिल एक ही फर्म के होने तथा लगभग एक ही दिनाँक के होने के बाद भी उनके क्रमांकों में अत्यधिक अन्तर है जिसके कारण उक्त बिल संदिग्ध है तथा फर्जी प्रतीत होते हैं। **इस प्रकार फर्जी बिल लगाकर रू० 16662.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः रू० 16662.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**17**

प्र०सं०–32- जिला पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों पर मे० न्यू बंगाल इलेक्ट्रिकल्स के बिलों का भुगतान किया गया है। यथा-

क्र०सं०	व्यय प्रमाणक संख्या व तिथि	बिल संख्या व तिथि	धनराशि
1–	138/दिसम्बर 2021	194/09-10-2021	4585.00
2-	139/दिसम्बर 2021	190/05-10-2021	4990.00
3-	140/दिसम्बर 2021	187/12-09-2021	4995.00
4-	50/फरवरी 2022	195/03-11-2021	4983.00
5-	48/फरवरी 2022	197/02-12-2021	4965.00
6-	49/फरवरी 2022	200/04-01-2022	4955.00
	योग –		**29473.00**

उक्त बिलों की जाँच में पाया गया कि फर्म के बिलों के मध्य अन्तर काफी कम है जबकि समयावधि अधिक है। समयावधि को देखते हुए बिल संदिग्ध प्रतीत होते हैं। **इस प्रकार संदिग्ध व फर्जी बिल लगाकर उक्त राशि रू० 29473.00 का अपहरण**

<u>किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः बिल फर्जी पाये जाने पर रू० 29473.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है</u>।

सा०आ०स०21

प्र०सं०–33- दुकान नम्बर 01 व 02 पलियाकलां – श्री पुत्तूलाल गुप्ता से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि –

1– उक्त दुकानें मूलरूप से श्री रामस्वरूप नाग को आवंटित की गई थी।

2– मूल आवंटी द्वारा उक्त दुकान साझे में श्री पुत्तूलाल गुप्ता के साथ चलाई जा रही थी। यद्यपि आवंटन के समय साझेदारी का तथ्य नहीं बताया गया।

3– दिनाँक 07-10-2001 को मूल आवंटी एवं श्री पुत्तूलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र देकर यह बताया गया कि उनकी साझेदारी समाप्त हो गई है अतः दुकान श्री पुत्तूलाल को आवंटित कर दी जाये।

4– उक्त प्रार्थना–पत्र पर दिनाँक 07-01-2003 को किराये में 40% वृद्धि करते हुये तथा रू० 10000/- प्रीमियम पर श्री पुत्तूलाल को आवंटित कर दी गई जबकि नियमानुसार आवंटन को निरस्त करके पुनः नये सिरे से नीलामी की जानी चाहिये थी जो कि नहीं किया गया।

5– इस आवंटन का अनुबंध कराने का निर्देश दिनाँक 13-01-2003 को दिया गया परन्तु पत्रावली में 19 वर्ष बाद भी कोई अनुबंध पत्र लगा नहीं पाया गया। जबकि प्रत्येक तीन वर्ष में अनुबंध का नवीनीकरण भी होना चाहिये था। इस प्रकार सरकारी राजस्व को जानबूझकर क्षति पहुँचाई गई।

6– इसी मध्य श्री पुत्तूलाल की मृत्यु हो गई जिसकी जानकारी होने पर दिनाँक 30-09-2021 को उनके पुत्र श्री विशाल गुप्ता को नोटिस दी गई कि वो अनाधिकृत रूप से दुकान पर काबिज हैं तथा एक सप्ताह में दुकान खाली कर दें।

7- उक्त नोटिस के बाद न तो कब्जाधारी ने दुकान खाली की और न ही जिला पंचायत द्वारा कब्जा लेने के लिये कोई विधिक कार्यवाही की गई बल्कि प्रतिमाह किराया अवधारित किया जाता रहा।

8– दिनाँक 31-03-2022 तक उक्त दुकान–2 पर रू० 54342.00 तथा दुकान–3 पर रू० 23628.00 कुल रू० 77970.00 का किराया बाकी था। वर्ष 2021-22 में वसूली शून्य थी।

<u>उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री पुत्तूलाल गुप्ता के पक्ष में जानबूझकर कदम–कदम पर सहयोगी रवैया अपनाकर, आवंटन निरस्त न करके, कब्जा न लेकर, अनुबंध न करके, वसूली के लिये विधिक कार्यवाही न करके रू० 77970.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रू० 77970.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानीअपेक्षित है</u>।

सा०आ०स०24

प्र०सं०–34- लखीमपुर में जवाहर काम्प्लेक्स स्थिति दुकान संख्या 13, 14, 15, 16 एवं 15ए का आवंटन श्री हिमांशू गुप्ता को किया गय है। सम्बन्धित पत्रावली के अनुसार दिनाँक 16-09-2017 को उनको पुराना आवंटन समाप्त होने तथा नया अनुबंध कराने की नोटिस दी गई थी परन्तु लेखा परीक्षा समाप्ति तक न तो आवंटी द्वारा स्टैम्प पेपर जमा किये गये और न ही नया अनुबंध कराया गया फिर भी उनका आवंटन निरस्त करने के बजाये किराया पंजिका में मात्र किराया अवधारण करते हुए किराये की मांग की जाती रही। किराया पंजिका के अनुसार श्री हिमांशू गुप्ता पर वर्ष 2021-22 की किराये की कुल मांग रू० 196409.00 थी जिसके सापेक्ष उनके द्वारा मात्र रू० 20000.00 ही जमा किया गया है जबकि रू० 176409.00 किराया अवशेष था। ऐसी स्थिति में भी उन पर अधिकारियों द्वारा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखी गई। न तो आवंटन निरस्त किया गया और न ही किराया वसूली के लिए कोई विधिक कार्यवाही की गई।

<u>उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री हिमांशू गुप्ता के पक्ष में जानबूझकर सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर आवंटन निरस्त न करके, कब्जा न लेकर, अनुबन्ध न करके, वसूली हेतु विधिक कार्यवाही न करके रू० 176409.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। अतः उक्त रू० 176409.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है</u>।

सा०आ०स०25

प्र०सं०–35- वर्ष 2021-22 के ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जिला पंचायत में पंजीकृत कुल 265 ईंट भट्ठों में से कुल 20 भट्ठों से वर्ष 2021-22 का लाइसेंस शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त ईंट भट्ठों का विवरण निम्न प्रकार था –

क्र०सं०	ईंट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड	लाइसेंस शुल्क 600+500+400+50=6950
1-	अपोलो ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	6950.00
2-	रामस्वरूप ईंट उद्योग	कुम्भी(गोला)	6950.00

3-	आर० ब्रिक फील्ड	कुम्भी(गोला)	6950.00
4-	बरनवाल ब्रिक फील्ड	रमियाबेहड़	6950.00
5-	सोना ब्रिक फील्ड	रमियाबेहड़	6950.00
6-	उजाला ब्रिक फील्ड	ईसानगर	6950.00
7-	धौरहरा ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6950.00
8-	अफजाल अहमद खाँ ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6950.00
9-	किसान ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6950.00
10-	के०जी०एम० ट्रेडर्स	धौरहरा	6950.00
11-	गाजी ईंट उद्योग	धौरहरा	6950.00
12-	ख्वाजा ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6950.00
13-	श्याम ब्रिक फील्ड	धौरहरा	6950.00
14-	सोनू ईंट उद्योग	बेहजम	6950.00
15-	साबिर ईंट उद्योग	बेहजम	6950.00
16-	नीमगाँव ईंट उद्योग	बेहजम	6950.00
17-	खालसा ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	6950.00
18-	वर्मा ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	6950.00
19-	वरूण ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	6950.00
20-	खुशी ईंट उद्योग	बिजुआ	6950.00
	योग –		**139000.00**

उक्त ईंट भट्ठों से लाइसेंस शुल्क वसूली का कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। चूँकि ईंट भट्ठों के सम्मुख 'बंदी' दर्ज नहीं है अर्थात इनका संचालन किया जा रहा है अतः **लाइसेंस शुल्क की वसूली न करके संस्था को जानबूझकर वित्तीय क्षति पहुँचाकर रू० 139000.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 139000.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**31**

प्र०सं०–36- निर्माण कार्य "विकास खण्ड मितौली में ग्राम खुर्रमनगर से कैमहरा गाँव में पूर्व निर्मित जिला पंचायत खडन्जे तक खडन्जा निर्माण 1175 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए–

1- उक्त कार्य का स्टीमेट श्री मनोज वर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया था जिसमें साइट प्लान व वर्तमान स्थिति का फोटो संलग्न नहीं पाया गया। अतः कार्य पूर्व की स्थिति अज्ञात रही।

2- कार्य की लागत रू० 10.00 लाख से अधिक थी अतः शासन से नियम–16 के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था जो कि पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

3- ठेकेदार के साथ कार्य का अनुबंध दिनाँक 09-02-2021 को किया गया। अनुबंध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

4- कार्य प्रारम्भ के मात्र दो दिन बाद ही दिनाँक 11-02-2021 को अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करके 1175 मीटर में से 1016 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य प्रमाणित करके एम०बी० भी कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि या तो कार्य अनुबंध के पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था या फिर एम०बी० फर्जी की गई है।

5- कार्य की द्वितीय व अन्तिम एम०बी० दिनाँक 27-11-2021 को की गई। प्रथम एम०बी० के समय दो दिन में ही 86% कार्य पूर्ण कर दिया गया था जबकि शेष 14% कार्य नौ माह बाद पूर्ण हुआ जो कि पूरी स्थिति को संदिग्ध बनाता है।

6- द्वितीय एम०बी० के समय अवर अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

7- अनुबंध के अनुसार कार्य दिनाँक 25-03-2021 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था परन्तु कार्य वास्तव में 6 माह के विलम्ब से दिनाँक 27-11-2021 तक पूर्ण हुआ। इस विलम्ब के लिये ठेकेदार का कोई प्रार्थना–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

8- दिनाँक 25-03-2021 को प्रस्तावित तिथि से कार्य समाप्ति को वास्तविक तिथि 27-11-2021 तक अवर अभियन्ता द्वारा न तो कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही ठेकेदार को कोई नोटिस जारी की गई।

9- उक्त 6 माह के विलम्ब के लिये निर्माण कार्य नियमावली 1984 में वर्णित अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड 2(ग) के अन्तर्गत ठेकेदार पर कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु उक्त कार्य में रू० 202732.00 अर्थदण्ड न लगाकर ठेकेदार को बिना किसी दण्ड पूर्ण भुगतान किया गया।

10- कार्य की अन्तिम एम०बी० के अनुसार कुल 1177.70 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को 2.70 मीटर x 3.30 अर्थात 8.91 एम^2 का दर 474 = 4223.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

11- नियम–37 के अन्तर्गत कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा तब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबंध के निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु इस कार्य में अभियन्ता द्वारा दिया गया जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए अनियमितता बरती गई है। **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई कुल राशि रू० 2026500.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 202732.00 + अधिक भुगतान करके रू० 4223.00 कुल राशि रू० 2233455.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2233455.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्डात्मक ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**38**

प्र०सं०–37- 15वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्य– "विकास खण्ड मितौली में ग्राम पंचायत सेमरावां में अकबरपुर से सेमरावां मार्ग पर सी०सी० व लेपन कार्य–755 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- पत्रावली में उक्त कार्य के टेण्डर विज्ञापन की प्रति लगी नहीं पाई गई।

2- जिला पंचायत द्वारा पारित कार्य योजना उक्त कार्य को दर्शित करने वाला पृष्ठ की प्रति संलग्न नहीं पाई गई अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य योजना में प्रस्तावित था या नहीं।

3- उक्त कार्य का टेण्डर मे० बी० एस० कान्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत हुआ था जिनका टेण्डर इस्टीमेट से 8.30% कम था 5% से कम दर पर टेण्डर स्वीकृत होने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की सम्भावना थी।

4- उक्त कार्य की प्रावधिक स्वीकृति नियम–16 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त करने सम्बन्धी पत्र संलग्न नहीं पाया गया अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि शासन से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त थी या नहीं।

5- उक्त कार्य का अनुबंध ठेकेदार के साथ दिनाँक 10-03-2021 को हुआ तथा कार्य को दिनाँक 25-03-2021 तक समाप्त किया जाना प्रस्तावित था परन्तु कार्य वास्तव में 9 माह के विलम्ब से दिनाँक 05-12-2021 को समाप्त हुआ। इस विलम्ब के लिये ठेकेदार का कोई प्रार्थना–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

6- उक्त 9 माह के विलम्ब के लिये निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 में वर्णित ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत ठेकेदार पर कार्य की अनुमानित लागत काअधिकतम 10% तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु उक्त कार्य में रू० 621005.00 अर्थदण्ड न लगाकर ठेकेदार को पूर्ण भुगतान करके संस्था को क्षति पहुँचाई गई।

7- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 25-03-2021 के दूसरे दिन अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करके कार्य की प्रथम एम०बी० की गई जिसके अनुसार 755 मीटर में से 735 मीटर मार्ग में बाक्सिंग का कार्य करके जी–3 डालकर कुटाई की जा चुकी थी। परन्तु शेष कार्य पूर्ण होने में 9 माह लग गये जबकि इस मध्य बरसात के चार माह भी बीत गये अतः बरसात के कारण पूर्व कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध रही।

8- प्रथम बिल की कुल राशि रू० 2456000.00 थी जिसमें से ठेकेदार की जमानत राशि रू० 285000.00 भी घटाकर भुगतान किया गया है। नियम–23 के अनुसार जमानत राशि चालू बिल की राशि के 10% से अधिक नहीं हो सकती परन्तु यहाँ पर बिल के 10% रू० 245600.00 के सापेक्ष जमानत रू० 285000.00 थी।

9- कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान नियम–37 के अनुसार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

10- अन्तिम बिल के साथ अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या भी संलग्न नहीं पाई गई।

11- कार्य की एम०बी० एंव इस्टीमेट की तुलना करने पर उसमें निम्न मदों में अन्तर पाया गया –

क्र० सं०	मद का नाम	प्राक्कलन में			एम०बी० में		अन्तर
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1-	प्रोवाइडिंग & लेयिंग 7.50 सीएम. कम्प्यूटिड	212.34	5461.50	1159694.00	242.91	1326652.00	166958.00

	लेयर ऑफ़ डब्ल्यू बी एम III विद स्टोन ब्लास्ट						
2-	अर्थ वर्क ईन एक्सकैवेशन ईन फाउंडेशन	-	132.10	-	11.25	1486.00	1486.00
3-	पी /एल पी सीसी 1:3:6 सीमेंट, कोर्स सैंड बिलो 40 एमएम गौज स्टोन ब्लास्ट	-	7423.30	-	5.63	41793.00	41793.00
4-	बी/डब्ल्यू 1:4 सी/सी सैंड मोर्टार ऑल काम्प .	-	6577.70	-	16.64	100452.00	100452.00
5-	पी /एल सीसी एम-30 ग्रेड ऑल काम्प .	-	8281.90	-	64.50	534182.00	534182.00
	योग–						**844871.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न मदों में 10% से अधिक विचलन था जिसके लिये नियम-8 व 15 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अवर अभियन्ता द्वारा या तो कार्य स्थल की जाँच कर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया या फिर ठेकेदार के हित में एम०बी० करके संस्था को क्षति पहुँचाई गई।

12- कार्य के प्राक्कलन में बिटुमिन व इमल्सन की लागत घटाने के बाद शेष राशि रू० 5227805.00 के सापेक्ष ठेकेदार को किया गया कुल भुगतान रू० 5283100.00 था। इस प्रकार ठेकेदार के पक्ष में रू० 55295.00 का अधिक भुगतान किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त कार्य में अनियमितता बरती कई है। **इस प्रकार ठेकेदार को नियम विरूद्ध किये गये कुल भुगतान रू० 5283100.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 621005.00 + सारवना विचलन द्वारा रू० 844871.00 + अधिक भुगतान करके रू० 55295.00 कुल राशि रू० 6804271.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 6804271.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**39**

प्र०सं०–38- 15वाँ वित्त अनटाइड से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में ग्राम पंचायत कैमहरा में सीताराम चौराहा से चतुरापुर तक खडन्जा कार्य 1845 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- उक्त कार्य का टेण्डर दिनाँक 17-12-2020 को निकाला गया जबकि शासन से प्रावधिक स्वीकृति दिनाँक 31-12-2020 को प्राप्त हुयी अर्थात शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही टेण्डर आमंत्रित कर लिया गया।

2- कार्य का टेण्डर मे० आदि शक्ति कान्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत हुआ जिनके शपथ पत्र पर मोबाइल नम्बर, कार्य का नाम, दिनाँक आदि स्थान रिक्त था अर्थात शपथ पत्र अपूर्ण था।

3- कार्य का अनुबंध दिनाँक 09-02-2021 को हुआ परन्तु दिनाँक 19-02-2021 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसके लिये ठेकेदार को नोटिस जारी की गई।

4- ठेकेदार को दी गई नोटिस की तिथि के पूर्व ही दिनाँक 11-02-2021 को अवर अभियन्ता श्री राजेश यादव द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण करके 1379 मीटर कार्य प्रमाणित भी कर दिया गया जो कि परस्पर विरोधी तथ्य थे।

5- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 25-03-2021 थी जिसके पूर्व दिनाँक 04-03-2021 को अवर अभियन्ता श्री राजेश यादव द्वारा कार्य पूर्ण हानो प्रमाणित किया गया जिसके आधार पर कार्य की द्वितीय एम०बी० की गई परन्तु अन्तिम एम०बी० नहीं की गई।

6- पुनः दिनाँक 27-11-2021 को 8 माह बाद कार्य स्थल का निरीक्षण करने के बाद तृतीय एवं अन्तिम एम०बी० की गई। अन्तिम एम०बी० की राशि द्वितीय एम०बी० से मात्र रू० 86940.00 अधिक थी। स्पष्ट है कि पूर्व की दोनों एम०बी० फर्जी थीं तथा ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिये बिना कार्य के की गई थीं।

7- कार्य वास्तव में 8 माह के विलम्ब से पूर्ण हुआ जिसके लिये समय बढ़ाने सम्बन्धी ठेकेदार का पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

8- उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेकी की शर्तें खण्ड 2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% रू० 318476.00 का जुर्माना लगाया जा सकता था परन्तु ठेकेदार को बिना किसी जुर्माने के भुगतान किया गया।

9- कार्य के इस्टीमेट में 1845 मीटर लम्बाई में ईंट सोलिंग कार्य का प्रावधान था जबकि अन्तिम एम०बी० में 1853 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य दर्शित किया गया इस प्रकार ठेकेदार को 8 मीटर x 3.30 मीटर x 474.00 = रू० 12513.00 का अधिक भुगतान किया गया।

10- नियम–37 के अनुसार कार्य का पूर्व व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाणपत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार के हित में कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गई हैं। इस प्रकार ठेकेदार को किये गये अनियमित कुल भुगतान रू० 3182100.00 + दण्ड न लगाकर रू० 318476.00 + अधिक एम०बी० करके रू० 12513.00 कुल राशि रू० 3513089.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 3513089.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०**40**

प्र०सं०–39- 15वाँ वित्त टाइड योजना से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड लखीमपुर में ग्राम सभा छाउछ में छाउछ चौराहे से बेहजम मार्ग पर पुलिया तक नाला निर्माण कार्य – 645 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- पत्रावली में कार्य के टेण्डर का नोटिस/विज्ञापन संलग्न नहीं था।

2- पत्रावली में लगे प्राक्कलन शीट में कार्य स्थल का फोटो लगा नहीं पाया गया।

3- कार्य का टेण्डर - एल1 मे० वर्मा कान्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत हुआ था जो कि पार्टनरशिप फर्म थी परन्तु शपथ पत्र पर श्री रंजीत वर्मा के हस्ताक्षर में प्रोपराइटर लिखा था। हैसियत प्रमाण–पत्र श्री सुशील कुमार का था जबकि चरित्र प्रमाण–पत्र श्री रंजीत वर्मा का था। हैसियत मात्र रू० 8.00 लाख आकलित की गई थी।

4- टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 04-01-2021 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने का निर्देश दिया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध दिनाँक 10-02-2021 को एक माह बाद किया गया।

5- अनुबन्ध से पूर्व पी०डब्लू०डी० से कार्य की एन०ओ०सी० प्राप्त करना आवश्यक था परन्तु पी०डब्लू०डी० से एन०ओ०सी० दिनाँक 12-11-2021 को दी गई अर्थात पी०डब्लू०डी० की एन०ओ०सी० के बिना ही टेण्डर, स्वीकृति, अनुबन्ध आदि कार्य कर लिया गया।

6- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि दिनाँक 25-03-2021 थी परन्तु दिनाँक 20-03-2021 को ठेकेदार को नोटिस जारी कर कार्य तत्काल प्रारम्भ करने को कहा गया अर्थात दिनाँक 20-03-2021 तक अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण ही नहीं किया गया अन्यथा नोटिस पहले ही जारी हो सकती थी।

7- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि दिनाँक 25-03-2021 के सापेक्ष कार्य वास्तव में 10 माह के विलम्ब से दिनाँक 20-01-2022 को समाप्त हुआ परन्तु न तो कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का समय वृद्धि हेतु कोई प्रार्थना–पत्र संलग्न पाया गया।

8- उक्त विलम्ब के लिये निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 खण्ड 2(ग) के अन्तर्गत ठेकेदार पर अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 295902.00 का जुर्माना लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया।

9- कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 29-10-2021 को, द्वितीय एम०बी० दिनाँक 17-01-2022 को एवं अन्तिम एम०बी० दिनाँक 29-10-2021 को की गई परन्तु किसी भी तिथि की निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं पाई गई।

10- दिनाँक 17-01-2022 को हुई माप के अनुसार लगभग 80% कार्य पूर्ण हो गया था शेष 20% कार्य मात्र दो दिन में पूर्ण कर पुनः दिनाँक 20-01-2022 को माप की गई जो कि संदिग्ध प्रतीत होती है।

11- नियम–37 के अनुसार कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

12- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गईं तथा **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई कुल राशि रू० 2871500.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 295902.00 कुल राशि रू० 3167402.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता**

<u>एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि पर रू० 3167402.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्डात्मक ब्याज सहित बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है</u>।

सा०आ०स०41

प्र०सं०–40- 15वाँ वित्त अनटाइड से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड लखीमपुर में ग्राम सभा टीकर में लखीमपुर–मैगलगंज मार्ग से नहर पटरी पर ग्राम कैमाखादर तक लेपन कार्य – 1682 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- उक्त कार्य की प्राक्कलन शीट में लगे साइट फोटो के अनुसार कार्य स्थल पर खडन्जा लगा है जिसे क्षतिग्रस्त प्रमाणित नहीं किया गया है अर्थात सही खडन्जे पर लेपन कार्य कराया गया।

2- उक्त कार्य का टेण्डर स्वीकृत होने की सूचना ठेकेदार को दिनाँक 28-11-2020 को दी गई तथा तत्काल अनुबंध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध दिनाँक 06-01-2021 को हुआ। इस बीच टेण्डर निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी।

3- कार्य दिनाँक 06-01-2021 से प्रारम्भ होकर दिनाँक 25-03-2021 तक समाप्त होना था परन्तु दिनाँक 19-02-2021 को अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को नोटिस दी गई कि कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है अविलम्ब प्रारम्भ करें। अर्थात दिनाँक 19-02-2021 तक अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया।

4- कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 25-03-2021 को की गई जिसके अनुसार 33% कार्य पूर्ण करते हुए डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड–II की गिट्टी डाल दी गई थी परन्तु द्वितीय एम०बी० सात माह बाद दिनाँक 20-10-2021 को की गई तब तक भी डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-III की गिट्टी ही डाली गई थी। अर्थात सात माह तक जनसामान्य को गिट्टी वाले मार्ग पर चलने को विवश होना पड़ा।

5- गिट्टी कार्य पूर्ण होने के पाँच बाद प्राइम कोट, ट्रैक कोट, सील कोट का कार्य किया गया जिसकी एम०बी० दिनाँक 03-04-2022 को की गई। इस कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की पूरी सम्भावना बनी थी। गुणवत्ता की जाँच कराये बिना पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

6- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि दिनाँक 25-03-2021 के सापेक्ष कार्य वास्तव में दिनाँक 03-04-2022 को एक वर्ष के विलम्ब से समाप्त हुआ। इस विलम्ब के लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार द्वारा समय बढ़ाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र दिया गया।

7- उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 के खण्ड–2(ग) ठेका की शर्तें के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 681633.00 का जुर्माना लगाया जा सकता था परन्तु कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया।

8- नियम–37 के अनुसार कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

9- पत्रावली में अवर अभियन्ता द्वारा किये गये किसी भी निरीक्षण की आख्या संलग्न नहीं पाई गई।

10- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गई तथा **<u>इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई कुल राशि रू० 5420903.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 681633.00 कुल राशि रू० 6102536.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 6102536.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है</u>**।

सा०आ०स०42

प्र०सं०–41- 15वें वित्त अनटाइड से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में ग्राम मितौली में राजेपुर पेन्टेड मार्ग से कचियानी पेन्टेड रोड तक लेपन कार्य – 1535 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– कार्य पत्रावली में कार्य स्थल की फोटो प्राक्कलन शीट के साथ लगा नहीं पाया गया।

2- टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 28-11-2020 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध दिनाँक 17-12-2020 को किया गया।

3- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

4- उक्त कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 12-02-2021 को, द्वितीय एम०बी० दिनाँक 20-12-2021 को एवं अन्तिम एम०बी० दिनाँक 01-04-2022 को की गई परन्तु किसी भी तिथि पर अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करके निरीक्षण आख्या नहीं दी गई।

5- कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 12-02-2021 को की गई जिसके अनुसार लगभग 40% कार्य पूर्ण हो गया था तथा WBM ग्रेड–II की गिट्टी डाली जा चुकी थी जिसके 10 माह बाद द्वितीय एम०बी० दिनाँक 20-12-2021 को की गई जब WBM ग्रेड–III की गिट्टी डाली गई थी। अर्थात 10 माह तक जनसामान्य को गिट्टी वाले मार्ग पर चलने के लिये विवश होना पड़ा।

6- गिट्टी कार्य पूर्ण होने के 4 माह बाद प्राइम कोट, ट्रैक कोट, सील कोट का कार्य किया गया जिसकी एम०बी० दिनाँक 07-04-2022 को की गई। इस कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना थी। गुणवत्ता की जाँच कराये बिना ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

7- प्रथम बिल के साथ लगे भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय उ०प्र० के बिल में Invaएलid परिवहन में गिट्टी 14 M^3 दर्शित थी तथा द्वितीय बिल के साथ लगे बिल में गिट्टी 26 M^3 दर्शित थी। इस प्रकार कुल 40 M3 गिट्टी की रायल्टी @ रू० 160/- कुल राशि रू० 6400.00 न तो ठेकेदार के बिल से काटी गई थी और न ही उसका जमा चालान संलग्न पाया गया।

8- अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 25-03-2021 थी जिसके सापेक्ष कार्य वास्तव में दिनाँक 01-04-2022 को 12 माह के विलम्ब से समाप्त हुआ। उक्त विलम्ब के लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का समय सीमा बढ़ाने का प्रार्थना–पत्र लगा पाया गया।

9- उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 782033.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु बिना किसी अर्थदण्ड के पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

10- उक्त कार्य की जमानत के रूप में ठेकेदार द्वारा रू० 391340.00 की एफडीआर दी गई थी तथा शेष रू० 390700.00 उसके बिल से काटी जानी थी। निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम–23 के अनुसार बिल से काटी गई राशि बिल के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम बिल की राशि रू० 2632000.00 थी जिससे जमानत राशि रू० 390700.00 काटी गई जो कि 10% से अधिक थी।

11- नियम–37 के अनुसार कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है। परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमितितायें की गईं तथा **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई कुल राशि रू० 6998526.00 + रायल्टी न काटकर रू० 6400.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 782033.00 कुल राशि रू० 7786959.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 7786959.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**43**

प्र०सं०–42- 15वाँ वित्त टाइड से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में ग्राम पंचायत मितौली के मजरा मीरपुरवा में अमर ब्रिक फील्ड से रानीबेहड़ पुलिया व गोवर्धन के मकान से पुलिया तक दोनों तरफ नाली कार्य – 1050 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- कार्य की प्राक्कलन शीट पर कार्य स्थल का फोटो संलग्न नहीं पाया गया।
2- पत्रावली में कार्य की टेण्डर नोटिस संलग्न नहीं पाई गई।
3- नियम–16 के अन्तर्गत कार्य की प्रावधिक स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने सम्बन्धी पत्र संलग्न नहीं पाया गया।
4- टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 04-01-2021 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध दिनाँक 08-02-2021 को एक माह बाद किया गया।
5- अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनाँक 08-02-2021 को प्रारम्भ करके दिनाँक 31-03-2021 तक समाप्त किया जाना था। परन्तु दिनाँक 20-03-2021 को ठेकेदार को नोटिस दी गई कि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तत्काल प्रारम्भ करें। अर्थात दिनाँक 08-02-2021 से 20-03-2021 तक अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया।
6- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 31-03-2021 के सापेक्ष कार्य वास्तव में दिनाँक 25-09-2021 को 6 माह के विलम्ब से समाप्त हुआ जिसके लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का समय सीमा बढ़ाने सम्बन्धी कोई पत्र संलग्न पाया गया।

7- उक्त विलम्ब के लिये ठकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 385395.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु मात्र रू० 500.00 अर्थदण्ड काटकर पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

8- उक्त कार्य की जमानत के रूप में ठेकेदार द्वारा रू० 194100.00 की F.D.R. दी गई थी तथा शेष राशि रू० 191000.00 उसके बिल से काटी जानी थी। निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम–23 के अनुसार बिल से काटी गई जमानत राशि बिल के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम बिल की राशि रू० 1712925.00 थी जिससे जमानत राशि रू० 191000.00 काटी गई जो कि 10% से अधिक थी।

9- कार्य की अन्तिम एम०बी० दिनाँक 25-09-2021 को की गई जिसके साथ अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं पाई गई।

10- नियम–37 के अनुसार कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दें कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है। परन्तु उक्त कार्य की पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

11- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गई तथा **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई कुल राशि रू० 3850485.00 + अर्थदण्ड कम लगाकर रू० 384895.00 कुल राशि रू० 4235380.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 4235380.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**44**

प्र०सं०–43- 15वाँ वित्त अनटाइड से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में सेमरावां मझिगवां पेन्टेड रोड से अकबरपुर गाँव तक लेपन कार्य – 1270 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- कार्य का टेण्डर मे० प्रमोद कुमार सिंह कान्ट्रैक्टर के पक्ष में स्वीकृत हुआ था परन्तु पत्रावली उनके टेण्डर सम्बन्धी मूल अभिलेख लगे नहीं पाये गये। मात्र फोटो कापी लगी थीं।

2- ठेकेदार को टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 28-11-2020 को दते हुए तत्काल अनुबन्ध कराने हेतु कहा गया परन्तु अनुबन्ध एक माह बाद दिनाँक 31-12-2020 को किया गया।

3- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वह विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल की चार फोटो तैयार कराये परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

4- कार्य अनुबन्ध के अनुसार दिनाँक 28-02-2021 तक समाप्त होना प्रस्तावित था परन्तु कार्य वास्तव में दिनाँक 18-04-2022 को 14 माह के विलम्ब से समाप्त हुआ जिसके लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का समय सीमा बढ़ाने का कोई पत्र संलग्न पाया गया।

5- कार्य की द्वितीय एम०बी० दिनाँक 24-04-2021 को हुयी थी जिसके अनुसार डब्ल्यू बी एम ग्रेड–III का गिट्टी कार्य पूर्ण हो गया था जिसके 8 माह बाद तृतीय एम०बी० दिनाँक 10-12-2021 को की गई जिसके अनुसार प्राइम कोट, ट्रैक कोट, सील कोट का कार्य पूर्ण हो गया था। अर्थात 8 माह तक जनसामान्य को गिट्टी वाले मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ा।

6- उक्त 8 माह के अन्तर से कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होने की सम्भावना थी क्योंकि वर्षा ऋतु में कार्य कराया गया परन्तु गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई।

7- तृतीय एम०बी० के अनुसार 1270 मीटर के स्थान पर मात्र 1233 मीटर में निर्माण कार्य कराया गया जबकि गिट्टी कार्य 1248 में कराया गया था इस प्रकार 37 मीटर में निर्माण कार्य कम कराया गया।

8- अन्तिम एम०बी० जो दिनाँक 18-04-2022 को की गई, उसमें 1272 मीटर में निर्माण कार्य दर्शाया गया जबकि गिट्टी कार्य, वीजी-10 व SS-1 की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुयी। सभी सामग्री तृतीय एम०बी० के अनुसार थी। अतः स्थिति संदिग्ध रही।

9- अन्तिम एम०बी० में पानी निकासी हेतु 350 एमएम डाय आरसीसी हयूम पाइप 7.50 आरएम दर रू. 1151.10 = रू. 8633.25 दर्शित किया गया है जबकि इसे प्रथम एम०बी० में होना चाहिये था।

10- किसी भी बिल के साथ अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं पाई गई।

11- नियम–37 के अन्तर्गत किसी भी कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धातिर शर्तों के अनुरूप किया गया है परन्तु पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

12- कार्य में 14 माह के विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1894 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 457225.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु बिना किसी अर्थदण्ड के पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गईं तथा **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि रू० 3942200.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 457225.00 कुल राशि रू० 4399425.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एंव अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 4399425.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**45**

प्र०सं०–44- राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में ग्राम पंचायत ओदारा में मोहनलाल के मकान से होलिका दहन मार्ग पर सी०सी० कार्य – 395 मीटर से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1– उक्त कार्य की निविदा दिनाँक 21-10-2020 को आमंत्रित की गई थी।

2- कार्य का टेण्डर दिनाँक 28-11-2020 को स्वीकृत होने की सूचना दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध एक माह बाद दिनाँक 17-12-2020 को किया गया।

3- पत्रावली में ठेकेदार मे० आदि शक्ति कान्ट्रैक्टर प्रो० उमाशंकर के टेण्डर सम्बन्धी मूल अभिलेख एवं शपथ पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

4- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि वह कार्य प्रारम्भ की सूचना विभाग को दे तथा कार्य प्रारम्भ के पूर्व अभियनता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य स्थल के चार फोटो तैयार करे परन्तु इसका पालन नहीं किया गया।

5- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 16-02-2021 थी परन्तु लेखा परीक्षा तिथि 15-06-2023 तक पत्रावली में अन्तिम एम०बी० एवं बिल लगा नहीं पाया गया अर्थात 28 माह व्यतीत होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

6- इतने विलम्ब के बाद भी किसी अवर अभियन्ता की कोई निरीक्षण आख्या अथवा ठेकेदार को दी गई नोटिस संलग्न नहीं पाई गई।

7- कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 05-12-2021 को की गई जिसके अनुसार लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका था। शेष 10% कार्य 16 माह बाद भी पूर्ण न होने से पूरा कार्य एवं एम०बी० संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही ठेकेदार को भुगतान किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जानबूझकर फर्जी एम०बी० करके ठेकेदार को रू० 1940900.00 का भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्त उत्तरदायी हैं। अतः उक्त राशि रू० 1940900.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०स०**47**

प्र०सं०–45- राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड बेहजम में ग्राम पंचायत ओयल देहात में बेहजम–ओयल मार्ग से सुन्सी तक खडन्जा कार्य – 1370 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- पत्रावली में प्रावधिक स्वीकृति नियम–16 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त करके संलग्न नहीं की गई।

2- कार्य का टेण्डर स्वीकृत होने की सूचना दिनाँक 06-01-2021 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध डेढ़ माह बाद दिनाँक 18-02-2021 को किया गया।

3- अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 25-03-2021 थी परन्तु कार्य वास्तव में दिनाँक 11-06-2021 को 3 माह के विलम्ब से समाप्त हुआ जिसके लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का कोई पत्र समय सीमा बढ़ाने हेतु संलग्न पाया गया।

4- उक्त विलम्ब के लिये ठेकेदार या निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 241689.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु बिना किसी अर्थदण्ड के पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

5- पत्रावली में अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या दिनाँक 16-04-2021 की लगी पाई गई अर्थात दिनाँक 18-02-2021 से 16-04-2021 तक कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं किया गया।

6- निरीक्षण आख्या के अनुसार 1367 मीटर में कार्य पूर्ण हो चुका था जबकि प्रथम एम०बी० के अनुसार 1300 मीटर में कार्य हुआ था अतः स्थिति संदिग्ध रही।

7- निरीक्षण आख्या दिनाँक 16-04-2021 की थी जबकि प्रथम बिल में माप की तिथि 12-04-2021 दर्शित थी अर्थात निरीक्षण के पूर्व ही एम०बी० कर दी गई अतः एम०बी० फर्जी प्रतीत होती है।

8- प्रथम एम०बी० के दो माह बाद द्वितीय एम०बी० दिनाँक 04-06-2021 को की गई जबकि प्रथम एम०बी० में दर्शित ब्रिक सोलिंग 1300 मीटर के सापेक्ष द्वितीय एम०बी० में ब्रिक सोलिंग कार्य मात्र 1307 मीटर में दर्शित रहा अर्थात मात्र 7 मीटर कार्य दो माह में किया गया।

9- कार्य का टेण्डर 1370 मीटर लम्बाई में खडन्जा कार्य का था जबकि द्वितीय व अन्तिम एम०बी० के अनुसार मात्र 1307 मीटर में ही खडन्जा कार्य किया गया है अर्थात 63 मीटर में कम खडन्जा लगाया गया जिसके लिये 63x3.30x474 = रू० 98545.00 टेण्डर मूल्य में से घटाया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया। कार्य पूर्ण हुए बिना रू० 98545.00 का अधिक भुगतान किया गया।

10- नियम–37 के अन्तर्गत किसी भी निर्माण कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया गया है। परन्तु पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गई तथा **इस प्रकार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि रू० 2286900.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 241689.00 + कम कार्य कराकर रू० 98545.00 कुल राशि रू० 2627134.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2627134.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**48**

प्र०सं०–46- राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड मितौली में ग्राम पंचायत ढखियाकुस्तौल के मजरा जलालपुर में प्रा०वि० से नहर पटरी पर ग्राम खुर्दा तक खडन्जा कार्य – 1425 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- उक्त कार्य का टेण्डर नोटिस दिनाँक 21-10-2020 को दी गई थी जबकि शासन से प्रावधिक स्वीकृति दिनाँक 24-11-2020 को प्राप्त हुयी थी। अर्थात बिना प्रावधिक स्वीकृति के टेण्डर की कार्यवाही की गई।

2- टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 28-11-2020 को दी गई जबकि अनुबन्ध दिनाँक 17-12-2020 को किया गया।

3- अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार का यह कर्तव्य था कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग को सूचित करे तथा अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य पूर्व की 4 फोटो तैयार कराये परन्तु पत्रावली में कार्य पूर्व की कोई फोटो लगी नहीं पाई गई।

4- कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 16-02-2021 थी जबकि कार्य वास्तव में 4 माह के विलम्ब से दिनाँक 07-06-2021 को समाप्त हुआ परन्तु न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का कोई प्रार्थना–पत्र समय सीमा बढ़ाने हेतु लगा पाया गया।

5- कार्य दिनाँक 17-12-2020 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनाँक 31-12-2020 तक माप करके कार्य की प्रथम एम०बी० कर दी गई जिसके अनुसार लगभग 97% कार्य पूर्ण हो गया था। या तो कार्य अनुबन्ध के पूर्व प्रारम्भ कर दिया गया था या फिर ठेकेदार के हित में फर्जी एम०बी० की गई।

6- शेष 3% कार्य की एम०बी० 6 माह बाद दिनाँक 07-06-2021 को की गई जिससे स्थिति संदिग्ध बनी रही।

7- किसी भी एम०बी० के साथ अवर अभियन्ता की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं पाई गई।

8- कार्य में 4 माह के विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड–2(ग) के अन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 242463.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु बिना किसी अर्थदण्ड के पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

9- प्राक्कलन के अनुसार कार्य में सॉयल वर्क फ़ॉर रोड रिपेयरिंग के लिये 2190.74 एम^3 के प्रावधान के सापेक्ष मात्र 1940.59 एम^3 कार्य कराया गया। इस प्रकार 250.15 एम^3 मिट्टी कार्य कम रहा जो कि 10% से अधिक था। अतः 250.15 एम^3 दर 86.60 = रू० 21613.00 का भुगतान एम०बी० में से घटाया जाना चाहिये था।

10- अन्तिम एम०बी० के अनुसार ब्रिक सॉयलिंग कार्य 1438 मीटर में कराया गया जबकि टेण्डर 1425 मीटर का था इस प्रकार ठेकेदार को 13 मीटर x 3.30 मीटर = 42.9 एम^2 दर 474.00 = 20335.00 का अधिक भुगतान किया गया।

11- नियम–37 के अनुसार किसी भी कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से यह प्रमाणित न कर दे कि कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र लगा नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ठेकेदार के हित में कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गई तथा **इस प्रकार भुगतान की गई कुल राशि रू० 2422330.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 242463.00 + अधिक भुगतान करके रू० 20335.00 कुल राशि रू० 2685128.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2685128.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्डत्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**49**

प्र०सं०–47- राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य – "विकास खण्ड बांकेगंज में ग्राम पंचायत हण्डेला में विचित्र सिंह के घर खडन्जा से प्रदीप सिंह के झाला मार्ग पर खडन्जा कार्य – 1220 मीटर" से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए –

1- उक्त कार्य की टेण्डर नोटिस दिनाँक 21-10-2020 की थी जबकि नियम–16 के अन्तर्गत शासन से प्राप्त प्राविधक स्वीकृति दिनॉक 24-11-2020 की थी। अर्थात प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही टेण्डर की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

2- टेण्डर में मे० ओम सांई कान्सट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत हुआ परन्तु पत्रावली में उक्त ठेकेदार के टेण्डर के साथ शपथ–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख संलग्न नहीं पाये गये।

3- टेण्डर स्वीकृति की सूचना दिनाँक 28-11-2020 को दी गई तथा तत्काल अनुबन्ध करने को कहा गया परन्तु अनुबन्ध दिनाँक 23-12-2020 को हुआ।

4- अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 21-02-2021 थी परन्तु कार्य वास्तव में दिनाँक 04-06-2021 को 4 माह के विलम्ब से समाप्त हुआ जिसके लिये न तो ठेकेदार को कोई नोटिस दी गई और न ही ठेकेदार का कोई पत्र समय सीमा बढ़ाने हेतु लगा पाया गया।

5- पत्रावली में दिनाँक 24-02-2021 का अवर अभियन्ता का निरीक्षण पत्र लगा पाया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण हो गया था परन्तु कार्य की अन्तिम एम०बी० दिनाँक 04-06-2021 को की गई अर्थात बिना कार्य स्थल पर गये निरीक्षण किया गया।

6- कार्य की प्रथम एम०बी० दिनाँक 02-02-2021 को की गई जिसके अनुसार 1220 मीटर के सापेक्ष 1222 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य हो गया था परन्तु फिर भी कार्य की अन्तिम एम०बी० नहीं की गई। स्पष्ट है कि एम०बी० फर्जी थी।

7- कार्य की अन्तिम एम०बी० के अनुसार कुल 1230 मीटर में ईंट सोलिंग कार्य किया गया है। इस प्रकार 10 मीटर x 3.30 मीटर = 33 एम^2 दर 474.00 = रू० 15642.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

8- खडन्जा के दोनों तरफ मिट्टी/पटरी कार्य प्राक्कलन में 2734.72 एम^3 अनुमानित था जबकि अन्तिम एम०बी० के अनुसार 2565.33 एम^3 कार्य किया गया था इस प्रकार विचलन 229.39 एम^3 का था जिसके कारण कम भराई होने से गुणवत्ता प्रभावित रही।

9- कार्य में 4 माह के विलम्ब के लिये ठेकेदार पर निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय–4 ठेका की शर्तें खण्ड 2(ग) केअन्तर्गत अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक रू० 232720.00 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता था परन्तु बिना किसी अर्थदण्ड के पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

10- नियम–37 के अन्तर्गत किसी भी कार्य का पूर्ण व अन्तिम भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अभियन्ता सम्यक रूप से य प्रमाणित न कर दे कि कार्य अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पूर्ण हो गया है परन्तु उक्त पत्रावली में अभियन्ता का जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि ठेकेदार के हित में कार्य करते हुए कई अनियमिततायें की गईं तथा **इस प्रकार कार्य में भुगतान की गई कुल राशि रू० 2284824.00 + अधिक भुगतान करके रू० 15642.00 + अर्थदण्ड न लगाकर रू० 232720.00 कुल राशि रू० 2533186.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि रू० 2533186.00 की वसूली सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**50**

प्र०सं०–48- सम्पत्ति एवं विभव कर पंजिका वर्ष 2021-22 का अवलोकन करने पर यह प्रकट हुआ कि कतिपय करदाताओं से चालू मांग के सापेक्ष वसूली राशि को समायोजित किया गया है जबकि उनकी बकाया मांग के सापेक्ष वसूली शून्य दर्शित रही। यथा –

क्र० सं०	करदाता	विकास खण्ड	ग्राम	चालू मांग	बकाया मांग	वसूली	अवशेष
1-	रामू वर्मा	फूलबेहड़	बसहामाफी	1500	100	1500	100
2-	नूर मोहम्मद	बांकेगंज	जलालपुर	5000	4500	5000	4500
3-	विकास जैन	निघासन	बम्हनपुर	1500	4700	1500	4700
4-	फ्रेन्डस फिलिंग स्टेशन	मोहम्मदी	पिपरिया	6000	11400	6000	11400
5-	बालाजी मशीनरी स्टोर्स	पसगवां	मैगलगंज	1300	100	1300	100
6-	श्रवण कुमार	धौरहरा	सिसैया	2200	1100	2200	1100
7-	राजाराम	बेहजम	टिकौला	2000	2000	2000	2000
8-	प्रमोद किराना स्टोर	मितौली	मितौली	1300	3000	1300	3000
9-	अनिल कुमार	पलिया	चन्दनचौकी	4000	550	4000	550
10-	संजय खाद भण्डार	बिजुआ	बिजुआ	2400	1600	2400	1600
	योग –			**27200**	**29050**	**27200**	**29050**

आदि।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि करदाताओं से वसूल की गई राशि की चालू माँग के सापेक्ष समायोजित किया गया है जबकि नियमतः पहले पुराना बकाया समायोजित किया जाना चाहिये था। ऐसा न करने से पुराने बकाया कर को वसूली की सम्भावना नगण्य कर दी गई**। इस प्रकार बकाया राशि की वसूली न करके केवल चालू माँग की वसूल करके जानबूझकर रू० 29050.00 की वित्तीय क्षति पहुँचाई गई तथा इस प्रकार रू० 29050.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये कर अधिकारी, पटल सहायक, राजस्व निरीक्षक तथा सहायक राजस्व निरीक्षक उत्तरदायी हैं उक्त राशि रू० 29050.00 की वूसली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**56**

प्र०सं०–49- ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर एवं विभव व सम्पत्ति कर रजिस्टर का मिलान करने पर प्रकट हुआ कि कतिपय ईंट भट्ठे ऐसे थे जिनका नाम लाइसेंस रजिस्टर में था तथा उनसे लाइसेंस शुल्क वर्ष 2020-21 का वसूली भी किया गया है परन्तु उन पर कर का अवधारण नहीं किया गय है। यथा –

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम	विकास खण्ड	क्षेत्र
1-	एकता ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	रामापुर
2-	कुबेर ईंट उद्योग	लखीमपुर	चकबिशुनपुर
3-	स्टार ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	रामापुर
4-	श्वेता ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	रामापुर
5-	बंसवार ईंट उद्योग	लखीमपुर	बैरागर
6-	तिरूपति ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	
7-	दुर्गा ईंट उद्योग	लखीमपुर	कादीपुर
8-	अपोलो ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	अल्लापुर
9-	वी० एच० ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	इकबालपुर
10-	देवकली ईंट उद्योग	कुम्भी (गोला)	अलीगंज रोड
11-	आर० ब्रिक फील्ड	कुम्भी (गोला)	गोला देहात
12-	राधे ब्रिक फील्ड	मितौली	मितौली
13-	कस्ता ईंट उद्योग	मितौली	कस्ता
14-	सपन ब्रिक फील्ड	मितौली	मितौली
15-	हिन्द ब्रिक फील्ड	मितौली	कस्ता
16-	पिपराग्रंट ईंट उद्योग	मितौली	
17-	मिलन ब्रिक फील्ड	मोहम्मदी	बेहटी अफगान
18-	शंकर ब्रिक फील्ड	मोहम्मदी	बहादुर नगर

19-	सोनल ब्रिक फील्ड	पसगवां	सल्लिया
20-	शुक्ला ब्रिक फील्ड	पसगवां	पसगवां
21-	जनता ब्रिक फील्ड	पसगवां	मैगलगंज
22-	हासमी ब्रिक फील्ड	पसगवां	बनिकागाँव
23-	शम्भू सुन्दरी ईंट भट्ठा	पसगवां	बारीपुर बरबर
24-	राजा ब्रिक फील्ड	पसगवां	पसगवां
25-	शाबान ब्रिक फील्ड	पसगवां	सिसौरानासिर
26-	धौरहरा ब्रिक फील्ड	धौरहरा	भटपुरवा रोड
27-	अफजाल अहमद खाँ ब्रिक फील्ड	धौरहरा	भटपुरवा रोड
28-	के०जी०एन० ट्रेडर्स	धौरहरा	निपनिया
29-	गाजी ईंट उद्योग	धौरहरा	नयागाँव
30-	ख्वाजा ब्रिक फील्ड	धौरहरा	लोनिया बबुरी
31-	श्याम ब्रिक फील्ड	धौरहरा	बबुरी
32-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड	फूलबेहड़	कंचनपुर
33-	अमन ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	जलालपुर
34-	वर्मा ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	लाल्हापुर
35-	वरूण ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	खरेहटा

उपरोक्त सभी भट्ठों से वर्ष 2020-21 का लाइसेंस शुल्क लिया गया है अतः इन पर वर्ष 2021-22 का अवधारण किया जाना चाहिये था **परन्तु कर अवधारण न करके संस्था को 35x6000 = रू० 210000.00 की वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त राशि की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०**66**

प्र०सं०–50- ईंट भट्ठा लाइसेंस रजिस्टर एवं सम्पत्ति कर रजिस्टर का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि कतिपय ईंट भट्ठा ऐसे थे जिन पर वर्ष 2021-22 में कर का अवधारण किया गया है परन्तु उनका नाम लाइसेंस रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया। यथा –

क्रमांक	**ईंट भट्ठे का नाम**	**विकास खण्ड**	**क्षेत्र**
1-	हिन्दुस्तान ब्रिक्स	निघासन	बेनीपुरवा
2-	गणेश ईंट उद्योग	निघासन	चितिहा
3-	हिन्दुस्तान ब्रिक्स	निघासन	अयोध्यापुरवा
4-	गणेश ब्रिक फील्ड	निघासन	हरद्वाही
5-	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	पसगवां	फरियापिपरिया
6-	करन ब्रिक फील्ड	लखीमपुर	बाँसखेड़ा
7-	पूजा ईंट उद्योग	लखीमपुर	कादीपुर
8-	डी०डी० ईंट उद्योग	नकहा	पनगीखुर्द
9-	टुरना ब्रिक फील्ड	बांकेगंज	खरेहटा
10-	सदन ब्रिक फील्ड	मितौली	शाहीपारस
11-	गणेश ब्रिक फील्ड	रमियाबेहड़	सेमरी
12-	बी० के० ईंट उद्योग	बिजुआ	रहीमनगरग्रंट

उक्त सभी ईंट भट्ठे कर पंजिका में दर्शित थे एवं उन पर कर का अवधारण भी किया गया था अर्थात ये सभी वर्ष 2020-21 में संचालित थे। इन पर लाइसेंस शुल्क न लेने से ये स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षकों की जानकारी में यह भट्ठे बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किये जा रहे थे जिसकी सूचना उनके द्वारा जिला पंचायत में या तहसील में नहीं दी गई। **इस प्रकार इन भट्ठों से वर्ष 2020-21 का लाइसेंस शुल्क रू० 6000/- की दर से धनराशि रू० 72000.00 की वसूली जानबूझकर न करके संस्था को वित्तीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं अतः उक्त रू० 72000.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज एवं विलम्ब शुल्क सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है**।

सा०आ०स०–**50**

प्रारूप-2

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ** **वर्ष-2021-22**

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर संख्या-01

वित्तीय वर्ष 2020-21 के त्रैमास में नौकाघाट की गत वर्ष की धनराशि रू0 0.736 लाख दर्शित हे। वर्ष के दौरान नौकाघाट से कोई वसूली नहीं की गयी जिससे संबंधित स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में अपेक्षित रहा जिस हेतु पटल प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी, व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02

जिला पंचायतों की आय वृद्धि करने संबंधी शासनादेश-संख्या-2004-1/23.01.2001-26/बी2001 दिनांक 26.08.2001 के क्रम मे उ0प्र0 शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा मे वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य पूर्ण कर लिये जाए। एवं किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में अग्रेनित न किया जाए। किन्तु इस शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए समुचित प्रबन्धन के अभाव में न केवल वर्तमान लेखा परीक्षा वर्ष की वसूली रू0 234.11 लाख से अधिक कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी हे। पुनः यह भी पाया गया है कि समस्त शीर्षो में कर निर्धारण जिला पंचायत की उपविधि के अनुसार नहीं किया गया है। तथा जिला पंचायत लखनऊ के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले कर निर्धारण संस्थाओं/प्रतिष्ठानों पर सूची कराधन एवं वसूली का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं पाया गया तथा बकाया करदाताओं की सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, वित परामर्शदाता सहित संपूर्ण प्रबन्धन एवं वसूली तंत्र उत्तरदायी है। प्रभावी वसूली के लिये वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या-03

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2021-22 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा सहायक निदेशक हथकरधा एवं वस्त्र उद्योग लखनऊ को दिनांक 06.11.2012 को किराये पर क्षेत्रफल 145.2 वर्ग मीटर रू0 170 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् अद्यतन तिथि 31.03.2022 तक किराये की दर में कोई संसोधन नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संस्था 6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27.12.1997 के बिन्दु 6 के अनुसार निर्धारित किराया में 03 वर्ष के बाद 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी साथ ही जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में भी इस अवधि में कई बार वृद्धि हुई है तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किट रेट व अन्य विभागो को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढोत्तरी क्षेत्रफलगदरग माह	आडिट के अनुसार किराया	जिला पंचायत लखनऊ द्वारा हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	हथकरधा एवं वस्त्रोउद्योग लखनऊ तुलनात्मक	06.11.12/170.00	145.2x170x26	641784.00	145.2x170x112	
2	अपर आयुक्त वित्त राजस्व) (परिषद	16.01.15/185.00	145.2x185x06	161172.00		
3	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15/205.00	145.2x205x80	2381280.00		
	योग			3184236.00	2764606.00	419628.00

इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 2764606.00 अवधारित किया था जबकि लेखा परीक्षा द्वारा अवधारित किराया रू0 3184236.00 था, इस प्रकार संस्था को 419626.00 की क्षति हुयी। जिसकी वसूली निदेशक हथकरधा एवं वस्त्र उद्योग लखनऊ से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2021-22 के किराया की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा अपर आयुक्त राजस्व परिषद को दिनांक 16.0.2015 को किराये पर क्षेत्रफल 1050 वर्गमीटर रू0 1050 वर्गमीटर रू0 185 प्रतिवर्ग मीटर की दर से आवंटित किया गया है। तत्पश्चात् अद्यतन तिथि 31.03.2022 तक किराये में कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 6336/33-3-97-185 जी/97

दिनांक 27.12.1997 के बिन्दु 6 के अनुसार निर्धारित किराया में 03 वर्ष के बाद 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी साथ ही जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में भी इस अवधि में कई बार वृद्धि हुई है तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किट रेट व अन्य विभागो को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढोत्तरी क्षेत्रफलxदरxमाह	आडिट के अनुसार किराया	जिला पंचायत लखनऊ द्वारा हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद	16.01.15/185.00	105x185x06	116550.00	105.x185x86	
2	बदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15/205.00	105x205x80	1722000.00		
			योग	1838550.00	1670550.00	168000.00

इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 1670550.00 अवधारित किया गया था जबकि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किराया रू0 1838550.00 था। इस प्रकार संस्था को कुल रू0 168000.00की क्षति हुई जिसकी अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व वसूली परिषद से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2021-22 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा विकलांग कल्याण कार्यालय को दिनांक 23.11.2007 को किराये पर क्षेत्रफल 83.72 वर्ग मीटर रू0 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् अद्यतन तिथि 31.03.2022 तक किराये की दर में कोई संसोधन नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संस्था 6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27.12.1997 के बिन्दु 6 के अनुसार निर्धारित किराया में 03 वर्ष केबाद 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी साथ ही जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में भी इस अवधि में कई बार वृद्धि हुई है तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किट रेट व अन्य विभागो को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढोत्तरी क्षेत्रफलगदरग माह	आडिट के अनुसार किराया	जिला पंचायत लखनऊ द्वारा हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	विकलांग कल्याण कार्यालय तुलनात्मक	23.11.07/100	83.722x100x30	251160	83.722x100x30	
2	क्षेत्रीय आयुवेर्दिक एवं यूनाी कार्यालय	25.05.10/130	83.722x130x29	315624.40		
3	हथकरधा एवं वस्त्रोउद्योग	06.11.12/170.00	83.722x100x30	370042.40		
4	अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद	10.01.15/185.00	83.722x100x30	92929.00		
5	बदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15/205.00	105x205x80	1373006.00		
	योग			2402763.8	1431612	971151.8

इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 1431612.00 अवधारित किया था जबकि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किराया रू0 2402763.8 है। इस प्रकार संस्था को कुल रू0 971151.8 की क्षति हुई जिसकी वसूली विकलांग कल्याण कार्यालय से न किये जाने हेतु कार्यालय से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06

जिला पंचायत लखनऊ के वर्ष 2021-22 के किराये की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संस्था द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय को दिनांक 23.11.2007 को किराये पर क्षेत्रफल 117.73 वर्ग मीटर रू0 130 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् अद्यतन तिथि 31.03.2022 तक किराये की दर में कोई संसोधन नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संस्था 6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27.12.1997 के बिन्दु 6 के अनुसार निर्धारित किराया में 03 वर्ष के वृद्धि 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी साथ ही जिलाधिकारी किराया सर्किल रेट में भी इस अवधि में कई बार वृद्धि हुई है तथा संस्था द्वारा कालान्तर में कई अन्य संस्थाओं को अपने कार्यालय में अधिक दरों पर कार्यालय आवंटन किया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय आवंटन तिथि व विभिन्न दरों पर किया गया अनुबन्ध	किराये से सम्बन्धित बदलते जिलाधिकारी सर्किट रेट व अन्य विभागो को आवंटन के समय किराये की क्रमिक बढोत्तरी क्षेत्रफलगदरग माह	आडिट के अनुसार किराया	जिला पंचायत लखनऊ द्वारा हथकरघा व वस्त्रोद्योग कार्यालय से कुल अवधारित किराया	अन्तर की धनराशि
1	क्षेत्रीय आयुवेर्दिक एवं यूनाी कार्यालय	23.11.07/130.00	117.73x130x29	443642.10	117.73x130 x141	
2	हथकरधा एवं वस्त्रोउद्योग	06.11.12/170.00	117.73x170x26	520366.60		
3	अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद	10.01.15/185.00	117.73 x 185 x 06	130680.00		
4	बदोबस्त अधिकारी चकबंदी	22.07.15/205.00	117.73x205 x 80	1930772.00		
	योग			3025660.7	2157990.9	867669.80

इस प्रकार संस्था द्वारा रू0 2157990.9 वसूल/अवधारित किया गया जबकि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किराया रू0 3025660.7 था। इस प्रकार संस्था को कुल रू0 867669.80 की क्षति हुई जिसकी वसूली

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय से न किये जाने हेतु कार्याधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद- रायबरेली मण्डल-लखनऊ

जिला पंचायत 2021-22

प्रस्तर-01 जिला पंचायत- रायबरेली आपत्ति सं0- 05

राज्य वित्त खाता संख्या से अज्ञात खाते में धनराशियों के अन्तरण का प्रकरण इकाई के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा के दौरान राज्य वित्त खाते की जाँच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित तिथियों में राज्य वित्त खाते से धनराशियों का अन्तरण अज्ञात खातों में किया गया है। उक्त अन्तरण से सम्बन्धित कोई प्रविष्ट लेखाकार की कोषबही में नही की गई और न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई ट्रांसफर व्यय प्रमाणक और न ही कोई आदेश प्रत्रावली लेखा परीक्षा में देखने को मिला।

अतः उक्त अन्तरण की धनराशियों का दुरपयोगित होने का अत्यन्त सम्भावना है। जिसके लिए ततकालीन लेखाकार, श्री बृजेश वर्मा एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री मोहित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहें विवरण निम्न प्रकार है।

राज्य वित्त खाता संख्या - 09760100024824 अज्ञात खाता

15.03.2022 को रू0 2549663.00 अन्तरण
चेक नम्बर- 2688 बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक
28.03.2022 को रू0 1466004.00 अन्तरण
चेक नम्बर - 2716 बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक

प्रस्तर-02 जिला पंचायत- रायबरेली आपत्ति सं0- 06

विधायक निधि हेतु बैंक पृथक खाता ना खोलकर जिला निधि खाते में ही अनुदान को रखना एवं विधायक निधि पर अर्जित ब्याज रू0 4,47,907.05 को शासन को वापस न करने कीअनियमितता

पत्रांक -परियोजना निदेश जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मथुरा के पत्रांक 1618/पी.एल.ए./2016-17/दिनांक 02.09.2016के द्वारा वे कार्यदायी संस्थायें जिनका पी.एल.ए. एकाउण्ट नही है और जो विधायक निधि की धनराशि को राष्ट्रीकृत बैंको के बचत खाते में रखते हैं उससे अर्जित ब्याज को उन्हें सम्बन्धित

जिला ग्राम विकास अभिकरण में वापस करना होगा। जिला विकास अभिकरण द्वारा इस धनराशि को राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा करा दिया जायेगा।

इकाई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेमेन्ट खाता संख्या 56810100000617 जिला निधि के अनुसार एवं डी.आर.डी.ए. रायबरेली द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ो के आधार पर निम्नलिखित तिथियों में विधायक निधि की धनराशि प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्नवत है-

दिनांक	खाता संख्या	धनराशि
24.11.2021	56810100000617(जिलानिधि खाता)	1,32,53,450.00
04.12.2021	''	33,35,700.00
	योग -	1,65,89,150.00

उक्त विधायक निधि पर बचत खाते में प्राप्त ब्याज 2.7 प्रतिशत वार्षिक की दर से रू-4,47,907.05 होता है।

जो कि संस्था की आय न होकर नियमानुसार शासन को वापस किया जाना चाहिए था। उक्त ब्याज को वापस न करना शासन के नियमों की घोर अवहेलना है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-03 जिला पंचायत- रायबरेली आपत्ति सं0- 10

जिला पंचायत के निजी स्रोत से आय के महत्वपूर्ण स्रोत सम्पत्ति से आय की वसूली न्यूनतम एवं मानक के अनुसार न होने का प्रकरण -

ईकाई की वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा के दौरान कर अधिकारी श्री धंनजय वर्मा से जिला पंचायत रायबरेली के क्षेत्र में आने वाली भवन दुकाने गेस्टहाउस एवं फार्म हाउस की संख्या एवं किन विकास क्षेत्रों में स्थित है की सूची उपलब्ध नही कराई गई। अस्तु 18 विकास खण्डों में मात्र 6 विकास खण्ड़ों के मांग वसूली रजिस्टर (प्रपत्र 27) उपलब्ध करायें गयें जिसमें से विकास खण्ड ऊचांहार एवं हरचन्द पुर स्थित सम्पत्तियों से किराया भी जमा नही हो रहा है। एवं शेष चार विकास खण्ड़ों के मांग वसूली रजिस्टर प्रपत्र 27 आधे अधूरे पाये गयें एवं उनमें निम्नलिखित न्यूनतायें पायी गई।

1 प्रतिमाह किराये की धनराशि वर्ष 1994 से पुरानी दरों से चली आ रही हैं जबकि किराया हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित किराये की धनराशि बाजार मूल्य दर के अनुरूप हो तथा इससे कम किसी भी दशा में न हो।

2 दुकान किराया सम्बन्धी मांग वसूली रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गयें उनपर क्षेत्रवार आंवटित पटल प्रभारियों द्वारा लेखाबन्दी नही की गई थी एवं अभियुक्ति में कर अधिकारी श्री धंनजय वर्मा के संक्षिप्त हस्ताक्षर भी प्रामाणित नही थे ।

3 शासनादेश संख्या 6336/33-3-97-1850919 दिनांक 27.12.1997 पंचायती राज अनुभाग - 3 के निर्देशानुसार किरायें की राशि में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 25प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना सुनिश्चित किया जाना था। प्रत्येंक त्रैमास में बकाये किराये की वसूली की समीक्षा कर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही भी नही किया जाना आपत्ति जनक रहा। कई वर्षो से वसूली के प्रति पटल सहायक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतने के कारण संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्षति हो रही है। जो संस्था के हित में नही है। वसूली की ठोस कारवाई हेतु कर अधिकारी श्री धनजय वर्मा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री धमेन्द्र कुमार उत्तरदायी रहें

विकास खण्डवार स्थिति दुकानों/काम्प्लेक्स से किराये की वसूली एवं बकाये की धनराशि रू0 2413759.00 की अनिमियतता

विकास खण्ड़ - सलोन, अस्पताल परिसर मे।

दुकान संख्या 2

दुकान संख्या 6त्रिवेणी नाथ पुत्र रामनारायन 08.03.1994 125/माह 48920.00 1500.00 50420.00 0.00 50420.00

दुकान संख्या 12

मो0 साबिर पुत्र गफूर 08.05.1994 125/माह 13725.00 1500.00 15225.00 1500.00 13725.00

दुकान संख्या 14

रामचन्द्र पुत्र हुकुम चन्द्र08.05.1974 125/माह 46950.00 1500.00 47950.00 0.00 47950.00

दुकान संख्या 16

श्याम रमन पुत्र बनवारी लाल 08.05.1974 125/माह 45750.00 1500.00 47250.00 0.00 47250.00

दुकान संख्या 18

मुस्तकीन पुत्र सलीम 08.05.1974 125/माह 48722.00 1500.00 50222.00 9222.00 41000.00

योग 2,45,495.00

सम्पति का विवरण	किराये पर दिए जाने की स्वी स्वीकृति	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 2 शिप्रसाद रस्तोगी पुत्र	01.05.1979	125/माह	43650.00	1500.00	45150.00	0.00	45150.00

ज्वाला प्रसाद							
दुकान संख्या 6त्रिवेणी नाथ पुत्र रामनारायन	08.03.1994	125/माह	48920.00	1500.00	50420.00	0.00	50420.00
दुकान संख्या 12 मो0 साबिर पुत्र गफूर	08.05.1994	125/माह	13725.00	1500.00	15225.00	1500.00	13725.00
दुकान संख्या 14 रामचन्द्र पुत्र हुकुम चन्द्र	08.05.1974	125/माह	46950.00	1500.00	47950.00	0.00	47950.00
दुकान संख्या 16	08.05.1974	125/माह	45750.00	1500.00	47250.00	0.00	47250.00
दुकान संख्या 18 मुस्तकीन पुत्र सलीम	08.05.1974	125/माह	48722.00	1500.00	50222.00	9222.00	41000.00
योग							2,45,495.00

जगतपुर पौण्ड परिसर: -

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृत	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 1 विश्वास पाण्डेय पुत्र वृजेश नाराय	31.09.1998	254/माह	32259.00	3048.00	35307.00	0.0035307.00	31.09.1998
दुकान संख्या 6	अज्ञात	254/माह	39244.00	3048.00	42292.00	4000.00	38292.00

जरार अहम्मद पुत्र अन्सार अहम्मद							
दुकान संख्या 11 मो0 सईद पुत्र वसीखान	20.05.1987	215/माह	75680.00	2580.00	78260.00	0.00	78260.00
दुकान संख्या 4 बलबीर सिंह पुत्र कान्ता सिंह	01.09.2007	400/माह	37200.00	4800.00	37680.00	4000.00	33680.00
दुकान संख्या 11 अनीश	01.08.2003	400/माह	45800.00	4800.00	50600.00	0.00	50600.00
दुकान संख्या 1 पौण्र परिसर जगत पुर कमल सिंह पुत्र हरियर सिंह	21.04.2015	600/माह	43200.00	7200.00	50400.00	0.00	50400.00
योग							2,86,539.00

सिविललाइंस - जिलापंचायत विश्रामगृह

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृत	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 13 अपर साइड साजिद पुत्र मो0 सईद	30.08.2016	1200/माह	50400.00	14400.00	64800.00	0.00	64800.00
दुकान संख्या 17 अनिल कुमार पुत्र भगवती प्रसाद गुप्ता	जनवरी 2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 14	जनवरी 2016	1200/माह	44400.00	14400.00	58800.00	0.00	58800.00

सुखपाल सिंह पुत्र सूरज सिंह							
दुकान संख्या 18 श्रीमती नेहा पत्नी विवेक कुमार	27.03.2021	1200/माह	14400.00	14400.00	28800.00	0.00	28800.00
दुकान संख्या 19 रवीन्द्र प्रताप सिंह पुत्र बीर पाल सिंह	21.09.2015	1200/माह	56400.00	14400.00	56400.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 23 जयवर्धन राज पुत्र रवि प्रताप सिंह	10.09.2015	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 24 जयवर्धन राज पुत्र रवि प्रताप सिंह	10.09.2015	1200/माह	56400.0	14400.00	708000.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 3 उमेश सिंह पुत्र माता बक्स सिंह	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
उमेश सिंह पुत्र माता बक्स सिंह	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 4 राम किशोर सिंह पुत्र जगं बहादुर सिंह	26.03.2018	1200/माह	42000.00	14400.00	56400.00	0.00	56400.00

दुकान सख्या 6 अपर ग्राउण्ड रामभजन पुत्र छोटेलाल	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 7 रामभजन पुत्र छोटेलाल	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 8रामभजन पुत्र छोटेलाल	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 9रामभजन पुत्र छोटेलाल	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 10रामभजन पुत्र छोटेलाल	10.09.2016	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 8 लोवर ग्राण्ड सिताव चन्द्र गुप्ता पुत्र देशराज गुप्ता	29.09.2015	1200/माह	56400.00	14400.00	70800.00	0.00	70800.00
दुकान संख्या 23लोवर ग्राउण्डरमेश कुमार सोनकर 18.07.2018	1200/माह	43600.00	14400.00	58000.00	0.00	58000.00	
योग							10,45,600.00

प्राथमिक पाठशाला परिसर में निर्मित दुकाने -

सम्पति का विवरणकिराय पर दिये जाने की स्वीकृतकिराये की दरबकाये की धनराशिवर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष	सम्पति का विवरणकिराय पर दिये जाने की स्वीकृतकिराये की दरबकाये की धनराशिवर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 2मनीष कुमार पुत्र राम सनेही 17.04.1989	400/माह	2800.00	4800.00	7600.00	0.00	7600.00	
दुकान संख्या 3परमानन्द पुत्र रामआधार त्रिपाठी	01.08.1989	400/माह	35400.00	4800.00	40200.00	0.00	40200.00
दुकान संख्या 3परमानन्द पुत्र रामआधार त्रिपाठी	01.08.1989	400/माह	35400.00	4800.00	40200.00	0.00	40200.00
दुकान सख्या 4रामबहादुर पुत्र मथुरा मौर्य	01.08.1989	400/माह	23400.00	4800.00	28200.00	0.00	28200.00
दुकान संख्या 10 हनुमान	15.08.1989	400/माह	39000.00	4800.00	43800.00	0.00	43800.000
योग							1,19,800.00

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृत	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 2बृजनाथ सिंह पुत्र राम बहादुर	11.12.1990	500/माह	36600.00	6000.00	42600.00	0.00	42600.00

दुकान संख्या 8,9,10 विनय कुमार पुत्र हीरालाल	31.01.2001	1500/माह	74000.00	18000.00	92000.00	0.00	92000.00
दुकान संख्या 22जय सिंह पुत्र विजय सिंह	13.09.2011	500/माह	24500.00	6000.0	30500.00	0.00	30500.00
दुकान संख्या 23श्रवण कुमार पुत्र राम उजागर	13.09.2011	500/माह	12000.00	6000.00	18000.00	0.00	18000.00
दुकान संख्या 24अजय सिंह	01.12.1995	500/माह	15000.00	6000.00	21000.00	0.00	21000.00
दुकान संख्या 25अजय वर्मा पुत्र अवध किशोर	11.07.2001	500/माह	12000.00	6000.00	18000.00	00.00	18000.00
दुकान संख्या 32अजय प्रताप सिंह	08.06.2001	500/माह	28950.00	6000.00	34950.00	00.00	34950.00
दुकान संख्या 36अनुराग वर्मा पुत्र राधेश्याम	13.07.2010	500/माह	34600.00	6000.00	40600.00	0.00	40600.00
दुकान संख्या 36अनुराग वर्मा पुत्र राधेश्याम	13.07.2010	500/माह	34600.00	6000.00	40600.00	0.00	40600.00
दुकान संख्या 10प्रथम तल अतुल दिक्षित पुत्र कमलेश चन्द्र	25.04.2015	450/माह	26600.00	5400.00	32000.00	0.00	32000.00
दुकान संख्या 11प्रथम तल राकेश तिवारी पुत्र शंकर प्रसाद	25.04.2015	450/माह	26600.00	5400.00	32000.00	0.00	32000.00
दुकान संख्या 12राधवेन्द्र पुत्र केशव सिंह	11.10.2012	525/माह	23625.00	6300.00	29925.00	0.00	29925.00

दुकान संख्या 15आरती अवस्थी पत्नी दिलीप अवस्थी	10.10.2015	25/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
दुकान संख्या 17विष्णु प्रताप सिंह पत्नी राम लोचन सिंह	12.10.2012	525/माह	16325.00	6300.00	22625.00	0.00	22625.00
दुकान सं0 18रधुवीर पाल पुत्र महावीर पाल	19.10.2013	525/माह	39375.00	6300.00	45675.00	0.00	45675.00
योग							5,01,500.00

शापिंग काम्प्लेक्स बछरावां पौण्उड परिसर -

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृतकिराये की दरबकाये की धनराशिवर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष	सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृतकिराये की दरबकाये की धनराशिवर्ष की मांग	कुल योग
दुकान संख्या 1 सुरज कुमार पुत्र रामप्रसाद	10.11.2012	525/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
दुकान संख्या 23आफताब	12.10.2012	525/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
दुकान संख्या 24ओमप्रकाश पुत्र परमानन्द	08.09.2015	525/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
दुकान संख्या 25राम बहादुर यादव पुत्र जागेश्वर	10.10.2012	525/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
दुकान संख्या 27गीता सिंह पत्नी शिवराम	10.10.2012	525/माह	17325.00	6300.00	23625.00	0.00	23625.00
योग							1,18,125.00

पौण्ड परिसर हरचन्दपुर -

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृत	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 2 अरविन्द पुत्र अयोध्या प्रसाद	05.11.2018	300/माह	7200.00	3600.00	10800.00	0.00	10800.00
दुकान संख्या 1अरविन्द पुत्र अयोध्या प्रसाद	15.05.2018	300/माह	9000.00	3600.00	12600.00	0.00	12600.00
दुकान संख्या 6विकास सिंह	11.05.2018	300/माह	10500.00	3600.00	14100.00	0.00	14100.00
योग							37,500.00

पौण्ड परिसर अरखा -

सम्पति का विवरण	किराय पर दिये जाने की स्वीकृत	किराये की दर	बकाये की धनराशि	वर्ष की मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
दुकान संख्या 1बनवारी लाल	26.05.2017	600/माह	17200.00	7200.00	24400.00	0.00	24400.00
दुकान संख्या 2मो0 रसीद	26.05.2017	600/माह	27600.00	7200.00	34800.00	0.00	34800.00
योग							59,200.00

प्रस्तर-04 **जिला पंचायत- रायबरेली** **आपत्ति सं0- 16**

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड ग्राण्ट के अन्तर्गत इकाई द्वारा वर्ष 2021-22 में अनुमन्य कार्यो से विरत कार्यो को कराये जाने से टाइड ग्राण्ट की धनराशि रू0 56.92 लाख के दुर्विनियोग का प्रकरण।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड ग्राण्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार के पत्रांक 15.(2) एफ.सी.-एक्स.बी./एफ.सी.डी./2020-21 दिनांक 01.06.2020 द्वारा निर्गत किये गये है। जो निम्नवत हैं।

टाइड ग्राण्ट से कराये जाने वाले कार्यो का विवरण-

1. सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख रखाव की व्यवस्था
2. किचेन व बाथरूम का ट्रीटमेंन्ट व मैनेजमेन्ट
3. सीवर प्रणाली का विकास तथा रख रखाव
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था

5. सेप्टेज ट्रीटमेन्ट व मैनेजमेन्ट
6. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट
7. पाइप पेय जल की व्यवस्था
8. वर्षा जल का संचयन
9. ट्रीटेड जल का रीसाइकिल एवं रीयूज
10. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट

किन्तु भारत सरकार के टाइड ग्राण्ट के उपभोग सम्बन्धी दिशा निर्देशों का उल्लधंन करते हुए इकाई द्वारा चिन्हाकिंत धनराशि को निम्नलिखित योजनोत्तर कार्यो पर व्यय किया है। 2021-22 में इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित कार्यो की सूची के अनुसार- विवरण निम्न प्रकार है।

	कार्य का नाम	विकास खंण्ड	भुगतान(रू लाख में)
1	ग्राम देदौर में इण्टर कालेज मे मिनी स्टेडियम का निर्माण	सतांव	9.238
2	सतांव में मेन रोड बैंक के बगल से लालू पुरवा तक सी.सी व नाली निर्माण	सतांव	9.962
3	सतांव में संतोष शर्मा के घर से बैंक की ओर नाली व सी.सी कार्य	सतांव	9.966
4	ग्राम सभा बरौंदी में शिवपुर सुन्दरिया खेडामार्ग से बरौंदी डामर रोड़ तक अवशेष लेपन कार्य	खीरो	3.426
5	अहमदपुर केलौली में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण	सतांव	9.744
6	जनपद रायबरेली में युवा को प्रोत्साहित करने, खेलो का बढावा देने के उद्देश्य खेल किट आपूर्ति	मुख्यालय	9.600
7	ग्राम पोरई में रेखा त्रिपाठी के घर से कल्लू निर्मल के घर से ओर इण्टर लाकिंग व निर्माण कार्य	सतांव	4.988
		योग	रू 56.92 लाख

इस प्रकार इकाई द्वारा धनराशि रू0 56.924 लाख के दुर्विनियोग के हेतु तत्कालीन पटल सहायक कर्माचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 **जिला पंचायत- रायबरेली** **आपत्ति सं0- 17**

शासनादेश के निर्देशों के विपरीत इन्टरलाकिंग कार्य पर रू0 606.43 लाख का व्यय किया जाना (अनुदान रजिस्टर एवं जिला पंचायत रायबरेली द्वारा उपल्बध कराये गयें कार्यो का विवरण 2021-22 के अनुसार)-

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के पत्रांक 3852/33-सेल/2018 दिनांक 24.12.2018 के अनुसार राज्य वित्त योजना में इन्टरलॉकिंग के कार्य 1.5 मी0 चैड़ाई (फुटपाथ हेतु) ही अनुमन्य हैं। सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु लेपन,सी0सी0 एवं खडंजा ही स्वीकृत किये जाएगें।

1. जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़को द्वारा जोड़ना उनका अनुरक्षण वा अनुच्छेद -2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यो को कराना है ना कि गाँव में अम्बेड़कर पार्का की बाउण्ड्रीवाल, बारातघर, नाली, खड़जा, सी.सी. कार्यो आदि निर्माण कराना ये सभी कार्य ग्राम पंचायतो की शक्तियों एवं कार्यो के अन्तर्गत आते है जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय -3 सेक्शन-33(प) में किया गया हैं। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यो को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है ना कि जिला पंचायत को। शासनादेश संख्या 8307/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 12.जनवरी2005 तथा शासनादेश संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24.जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार-

तीनों स्तर की पंचायते (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सीडियरिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यो का चयन करें।अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाये तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य ना कराया जाये इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार - जिला पंचायतों को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मतों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाये। निर्माण कार्य शरू करने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यो का चयन करेंगी तथा मात्र अध्यक्ष य चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जायेंगा।

2. जनपद की अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा पी0डब्ल्यू0डी0, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर0इ0एस0 तथा मंण्डी परिषद आदि को इस आशय की अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नही करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किये दर्शित निर्माण कार्य से डुप्लीकेसी की प्रबल संम्भावना है।

जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के संम्बन्ध में अभियन्ता से पी0सी0आर0(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) प्राप्त नही की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रू0 - 60643400.00 के निर्माण कार्य जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर के कराये गये है। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020.21 में जिला पंचायत रायबरेली द्वारा निर्माण कार्यो पर व्यय रू0 - 60643400.00के दुरूपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। तत्कालीन पटल सहायक कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि
1	माँ देविहाई भीतरगांव में मन्दिर के सामने इण्टरलाकिंग	497800.00
2	रामनगर मजरें खडगापुर में डामर रोड़ से महादेव मंदिर तक इण्टरलाकिंग	996700.00
3	खडगापुर में रामशंकर पासी के दरवाजे से बंगला तक इण्टरलांकिग	751400.00
4	ण्नन्दाखेडा म0 गहिरी ठामुरदीन लोधी के दरवाजे से महादेव पाल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	417500.00
5	ग्रामसभा पल्टीखेड़ा में सोहलेश्वर मन्दिर के सामने इटरलाकिंग	994100.00
6	चन्द्रमणि खेडा पक्की रोड़ से अवधेश के घर तक इण्टरलाकिंग	547300.00
7	ण्चरूआ हनुमान मंदिर के पास मेन रोड़ से जयशंकर मिश्रा के घर तक इण्टरलांकिग कार्य	497500.00
8	ण्लाला का पुरवा मदिरे अटौरा बुजुर्ग में मेन रोड़ से राजेश लोधी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	995900.00
9	तपेश्वर बाबा मंदिर लाला का पुरवा मजरे अटौरा बुजुर्ग से इण्टरलाकिंग	487100.00
10	पोरई में राम प्रताप लोधी के घर से छोटई लोधी के घर तक इण्टरलाकिंग	434600.00
11	शिव मंदिर घाटमपुर हाजीपुर में मंदिर के सामने इण्टरलांकिग	415800.00
12	ण्लाला के पुरवा मजरे अटौरा बुजुर्ग में मुंशी के दुकान के पास मेन रोड़ से शंकर के घर तक इण्टरलाकिंग	995800.00
13	सेखापुर में संजय के दरवाजे से अशीष के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	797200.00
14	पोरई में गुरूबक्सगंज मार्ग से लल्लू की दुकान तक इण्टरलाकिंग	991200.00
15	गंगा का पुरवा मजरे बथुआ खास में राजू टेलर के घर से मेन रोड़ तक इण्टरलाकिंग	486100.00
16	कोटेश्वर मंदिर में इण्टरलाकिंग	99700.00
17	विकास खण्ड़ सताव में मेला परिषद में इण्टरलांकिंग	1094900.00
18	सताव में विजय सिंह के दरवाजे पुलिया एवं इण्टरलाकिंग कार्य	797100.00

19	हिमांचलगंज मा0 सुल्तानपुर खेड़ा में राममिलन के दरवाजे से अशीष के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	998700.00
20	पुरे लाल साहब मजरे गहिरी में प्यारे पासी के घर से मनोज पासी के घर तक इण्टरलाकिंग 499300.00	499300.00
21	सुल्तापुर खेडा में अटौरा रोड़ विनोद तिवारी के घर से पानी की टंकी तक इण्टरलाकिंग	999600.00
22	ग्राम ताला में मेन रोड से शिव मंदिर तक इण्टरलाकिंग	998600.00
23	पूरे ठाकुरदीन मजरे हाजीपुर में स्कूल से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग कार्य	997800.00
24	ग्राम बांड मजरे कोन्सा में डामर रोड से गिरीश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	481600.00
25	ग्राम बांड मजरे कोन्सा में डामर रोड से राजा के घर तक इण्टरलांकिग	591600.00
26	तपेश्वर मंदिर एकौनी मंदिर परिसर में इण्टरलांकिग	299500.00
27	गंगा का पुरवा दुकन्हा में शिवराज पासी के घर से खीरौ मड़ौली सम्पर्क मार्ग की ओर इण्टरलांकिग	986900.00
28	मेडौली खीरों टिकवामऊ सम्पर्क मार्ग से राजन सिंह कोटेदार के घर तक इण्टरलांकिग	985600.00
29	बल्ला मजरे जगजीवन पुर अमरिया से होली स्थल के पास दुर्गा मंदिर होते हुए अकोहर वीर बाबा मंदिर तक इण्टरलांकिग	934300.00
30	श्रनापुर पहरौली में शंकर जी के मंदिर से श्रीकृष्ण लोदी के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	998600.00
31	म्दनपुर मजरे बीजेमऊ खपुरा में शिव मंदिर से सुरेश सिंह दरवाजे तक इण्टरलांकिग	799200.00
32	बीजेमऊ में सन्तू टेलर के दरवाजे से बजाज तिवारी के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	797000.00
33	खपुरा बीजेमऊ में शंकर जी के मंदिर से बच्चल लाल के दरवाजे होते हुए रामलोदी के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	997900.00
34	देवन्ना मजरे कानहामऊ में डामर रोड़ से बिजउ के घर से श्रीराम के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	994900.00
35	डुमटहर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय होते हुए सूर्यकुमार बढ़ई के घर तक इण्टरलांकिग	99800.00
36	निहस्था में कानपुर उन्नाव मार्ग से सूर्यभान शर्मा के घर होते हुए अजय मिश्रा के घर तक इण्टरलांकिग	798100.00

37	बेहटा सातनपुर में सी0सी0 रोड़ से आनन्दी देवी मंदिर तक इण्टरलांकिग	799700.00
38	देवगांव में मेन रोड़ से डा0 संजय सिंह के दरवाजे होते हुए पवन त्रिवेदी के घर तक इण्टरलांकिग	999400.00
39	जमकोरियपुर अकोहरिया के शिवमंदिर से गांव तक इण्टरलांकिग	981000.00
40	नरवदेश्वर मंदिर सातनपुर के सामने इण्टरलांकिग	999800.00
41	गणेशपुर मजरे उजमऊ में इण्टरलांकिग	779300.00
42	सेमरी लालगंज मार्ग से केसौली में थारू बस्ती की ओर इण्टरलांकिग	996900.00
43	ब्कुलिहा में मेन रोड़ से प्रधान राजू दीक्षत के घर तक इण्टरलांकिग	798100.00
44	मानपुर में अंजेश के दरवाजे से संजू चैहान के दरवाजे तक इण्टरलांकिग	795900.00
45	दाहिरा मजरे अखउपुर में पी.डब्लू.डी. रोड से हरबक्श सिंह के घर की ओर इण्टर लाकिगं कार्य	797700.00
46	रायपुर बरी में सज्जन सिंह के घर के पीछे से कैलाश नाई के घर तक इण्टर लाकिंग	798900.00
47	ऐंधी बाजार में इण्टर लाकिंग से विष्णुपाल के दरवाजे तक इण्टर लाकिंग कार्य	599500.00
48	कन्हैया खेड़ा खरगापुर इण्टर लाकिंग कार्य	445700.00
49	महावीर खेड़ा मजरा भितरी में इण्टर लाकिंग कार्य	476200.00
50	रायखेड़ा मजरा भितरी में इण्टर लाकिंग कार्य	798300.00
51	एकौनी में शिवमंगल के दरवाजे से मंगल के घर दरवाजे तक इण्टर लाकिंग कार्य	499100.00
52	बरहा में फूलमतीह मन्दिर से वृजकिशोर सिंह के प्रधान के घर तक इण्टर लाकिंग	537700.00
53	ग्राम हरनी में गजराज पासी के घर से सरकारी स्कूल तक इण्टर लाकिंग	998900.00
54	सरगही में राजेन्द्र के घर से परमेश्वर के घर तक इण्टर लाकिंग	348300.00
55	मवइय फरीदपुर में भगवती के दरवाजे से शंकर जी के मंदिर से बनवारी के घर होते हुए बराती के घर तक इण्टर लाकिंग	799800.00

56	नन्दा खेड़ा बाजार में इण्टर लाकिंगं	999300.0
57	बुढ़िया माता मंदिर पश्चिम गांव में इण्टर लाकिंग	489200.00
58	ग्राम अजमतुल्लागंज में संजय वाजपेयी के दरवाजे से कारेदेव मंदिर तक इण्टर लाकिंग	998000.00
59	ग्राम बरौला मेन रोड़ से अनिल सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग	775300.00
60	खुदायपुर में रज्जन के घर से बजरंगबली मंदिर तक इण्टर लाकिंग	245700.00
61	सुल्तानपुर खेड़ा में पण्डित उमाशंकर के दरवाजे से लखन चैधरी के घर तक इण्टर लाकिंग 993400.00	993400.00
62	पूरे बैसन मजरे सुल्तानपुर खेड़ा मे संतोष सिंह के दरवाजे से नगू सिंह के दरवाजे की ओर इण्टर लाकिंग	360600.00
63	पूरे बदई का पुरवा सुल्तानपुर खेड़ा मार्ग से हरिजन बस्ती होते हुए किसुन पासी के घर के आगे मन्दिर तक इण्टर लाकिगं	974000.00
64	सुल्तानपुर खेड़ा से विजय डोम के घर से लाल सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग	700400.00
65	सुल्तानपुर खेड़ा में सूर्य पाल पासी के घर से शंकर बढ़ई के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य 678300.00	678300.00
66	पोरई में छोटई लोध के दरवाजे से कुन्नू लोधी के घर के आगे तक इण्टर लाकिंग	796300.00
67	कोन्सा में डामर रोड़ से गायत्री मंदिर तक इण्टर लाकिंग	593800.00
68	पोरई मेन रोड़ से कंधई लोहार के घर से लोधन पासी के घर होते हुए महेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग	780400.00
69	सुल्तानपुर खेड़ा के लालता का पुरवा में हजारी काछी के दरवाजे सहदेव पासी के घर होते हुए भीम पास के घर आगें तक इण्टर लाकिंग	993100.00
70	सुल्तानपुर खेड़ा में संतोष गुप्ता के घर से पुत्ती रैदास के घर तक इण्टर लाकिंग	473100.00
71	देवी हाई मंदिर के पीछे व मंज की ओर इण्टर लाकिंग	491700.00
72	पूरे जिया म0 जैतीपुर में मैकूलाल के घर से ज्वाहरलाल के घर की ओर इण्टर लाकिंग	992900.00
73	मुस्तकीमंगंज से श्याम बनिया मार्ग का अवशेष इण्टर लाकिंग कार्य	384700.00

74	बरौला में अनिल सिंह की घर की ओर मार्ग का अवशेष इण्टर लाकिंग	497600.00
75	मेडौली में सूर्जन सिंह के घर से लल्न सिंह की घर की ओर इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण	498800.00
76	दहिरापुर में नीलू सिंह के घर की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	448900.00
77	मझिगवां मजरे कालू पुर में राजेश लोहार के घर कुसुमा यादव की घर की ओर इण्टर लाकिंग	993900.00
78	ऐंधी गांव में डामर रोड से दुर्गा मंदिर की ओर इण्टरलकिंग	847600.00
79	पूरे भूरी खेड़ा मजरे गहरी बाबू लोधी के दरवाजे से धनश्याम लोदी के दरवाजे तक इण्टर लाकिगं	996500.00
80	नन्दा खेडा मजरे गहिरी मुन्नू बाजपेयी के दरवाजे से बरवरिया मंदिर तक इण्टर लाकिगं	994200.00
81	सरावां में सन्तलाल के घर से सुन्दरलाल के घर तक इण्टर लाकिंग	932300.00
82	चैपुरा में सुनील साहू के घर से अंजली चैधरी के घर तक इण्टर लाकिगं	906500.00
कुल धनराशि		6,06,43,400.00

प्रस्तर-06 **जिला पंचायत- रायबरेली** **आपत्ति सं0- 19**

अनुदान रजिस्टर के अनुसार गोवंश संरक्षण अनुदान एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष 2018-19	प्राप्त अनुदान 2019-20	ब्यय की धनराशि(प्रपत्र ड.)	अवशेष
गोशाला निर्माण	11200000.00	44800000.00	30994370.00	25005630.00
चारा भूसा	288000.00	65700000.00	7231850.00	58756150.00
गोवंश श्रमिक भुगतान	252000.00	7680000.00	1059954.00	6872046.00
योग	1,17,40000.00	11,81,80,000.00	3,92,86,174.00	9,06,33,826.00

1 अनुदान रजिस्टर 2020-21 के अनुसार-

शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष2019-20	प्राप्त अनुदान2020-21	ब्यय की धनराशि(प्रपत्र ड.)	अवशेष

गोशाला निर्माण	25005630.00	-	21051285.00	3954345.00
चारा भूसा	58756150.00	-	36755329.00	28872867.00
गोवंश श्रमिक भुगतान	6872046.00	-		
योग	9,06,33,826.00	-	5,78,06,614.00	3,28,27,212.00

2 अनुदान रजिस्टर 2021-22 के अनुसार-

शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष2020-21	प्राप्त अनुदान(प्रपत्र ड.) 2021-22	ब्यय की धनराशि(प्रपत्र ड.)	अवशेष
गोशाला निर्माण	3954345.00	-	0.00	3954345.00
चारा भूसा	28872867.00	33753000.00	13593479.00	-
गोवंश श्रमिक भुगतान			24906635.00	
योग	3,28,27,212.00	3,37,53,000.00	3,85,00,114.00	2,80,80,098.00

उपर्युक्त वर्षवार दर्शाये गये प्राप्त गोवंश संरक्षण अनुदान एवं व्यय से संम्बन्धित गंम्भीर अनिमियतता एवं दुर्विनियोग संम्बन्धित प्रकरण सम्बन्धी निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां पाई गयी।

1. इकाई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में गोवंश संरक्षण अनुदान सम्बन्धी एक पत्रावली के जाँच के दौरान दिनांक 31.12.2020 का एक पत्र जिसको उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को संबोधित करते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली द्वारा लिखा गया है। उसमे वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्राप्त समस्त गोवंश अनुदान रू0 1299.20 लाख को व्यय करने का प्रमाण पत्र दिया गया है। जबकि वर्ष 2020-21 में गोवंश संरक्षण पर रू0 5,78,06,614.00 का व्यय पपत्र ड. के अनुसार व्यय करने के बाद 31.03.2021 को रू0 3,2827212.00 अवशेष था।

2. वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में गोवंश संरक्षण अनुदान शीर्षो के अन्तर्गत रू0 3,28,27,212.00 की धनराशि अवशेष थी एवं वर्ष 2021-22 में गोवंश अनुदान शीर्ष में 3,37,53,000.00 का अनुदान प्राप्त हुआ एवं पपत्र ड. के अनुसार चारा भूसा एवं श्रमिकों पर कुल व्यय रू0 3,85,00,114.00 व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार अवशेष रू0 - खाता संख्या 5681010000617 में अवशेष बचना चाहिए था। जबकि जिल पंचायत निधि खाता संख्या 5681010000617 में 31.03.2022 को रू0 1,23,182.58 क्रेडिट अवशेष था इस प्रकार रू0 28080098.00 की धनराशि गोवंश संरक्षण मे किन शीर्षो के अंतर्गत व्यय की गयी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं पत्रवलियाँ उपलब्ध करते हुए व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त दुर्विनियोग हेतु तत्कालीन पटल सहायक कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07 जिला पंचायत- रायबरेली आपत्ति सं0- 38

- निजी स्रोत से आय की रू0 284.55 लाख वसूली अवशेष रहना एवं अभिलेखों का खराब रखरखाव किये जाने की अनियमितता-

जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र 3 के अनुसार वर्ष 2021-22 मे निजी स्रोतों से आय का विवरण निम्नानुसार है-

क्र0सं0	मदवार विवरण	प्रा0अवशेष	वर्ष की मांग	वर्ष में वसूली	अन्तिम अवशेष	अभ्युक्ति
1	सम्पत्ति एंव विभव कर	27.20	90.00	27.3	89.90	
2	लाइसेन्स एंव अन्य शुल्क	0.70	80.00	24.00	56.70	
3	मृत पशु शव निस्तारण	0.00	30.00	0.00	30.00	
4	सम्पत्ति किराया	28.20	45.00	12.10	61.10	
5	नौका घाट	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	मेला प्रदर्शनी	0.00	10.00	1.70	8.30	
7	हाट बाजार	0.00	10.00	0.20	9.80	
8	कांजी हाउस	0.00	0.40	0.00	0.40	
9	कृषि तरुपालन	0.00	0.75	0.00	0.75	
10	टैक्सी स्टैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	जि0नि0 में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज	0.00	120.00	92.40	27.60	
12	प्रकीर्ण	0.00	0.00	0.00	0.00	
योग-	योग-	56.10	386.15	157.70	284.55	

संस्था के प्रपत्र 3 वर्ष 2020-21 के अनुसार अन्तिम अवशेष कुल 249.53 लाख था एवं वर्ष 2020-21 की मांग 540.30 लाख थी किन्तु संस्था के प्रपत्र-3 वर्ष 2021-22 में प्रारम्भिक शेष जो 2020-21 का अन्तिम अवशेष अंकन 249.53 लाख होना चाहिये था के स्थान पर मात्र 56.10 लाख ही दर्शित किया गया है एवं वर्ष 2020-21 की मांग 540.30 लाख के स्थान पर वर्ष 2021-22 की मांग मात्र 386.15 लाख ही दर्शित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 मेंप्रारम्भिक शेष को 249.53 लाख- 56.10 लाख= 193.43 लाख तथा वर्ष की मांग को 540.30 लाख- 86.15=154.15 लाख कुल 347.58 लाख रू0 कम दर्शित कर संस्था को क्षति पहंचायी गयी स्पष्ट है कि योजना बद्ध तरीके से कर अनुभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा निजी स्रोत से होने वाली आय में से 347.58 लाखकी वसूली करके संस्था के अभिलेखों में दर्ज न कराकर अपहरण किया गया। उक्तानुसार किये गये अपहरण अंकन 347.58 लाख रूपये के लिये जिला पंचायत रायबरेली के कर अधिकारी, कर निरीक्षक एवं सहायक कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं साथ ही कर अनुभाग के मदवार समस्त अभिलेखों रजिस्टरों की वर्षवार प्रविष्टियां पूर्ण कराकर लेखाबन्दी कराया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत- सीतापुर मण्डल-लखनऊ

प्रारूप - 02

जिला पंचायत- सीतापुर (वर्ष 2019-20)

प्रस्तर सं-01- जिला पंचायत सीतापुर की वर्ष 2019-20 में निजी स्रोतों से कम की स्थिति निम्नवत् रही जो कि बजट में प्राविधानित धनराशि से अधिक रही। अन्तर की धनराशि का पूरक बजट बैठक में पारित करवाकर व्ययों की पुष्टि करयी जानी अपेक्षित रही।

(आंकड़े लाख रूपये में) (आंकड़े लाख रूपये में)

क्र०सं०	मद का नाम	**बजट में प्राविधानित धनराशि**	वित्तीय वर्ष की मदवार वास्तविक आय
1	वेतन, मंहगाई भत्ता	**168.13**	**200.05**
2.	अन्य भत्ते	**36.28**	**47.14**
3.	टेलीफोन पर व्यय	**0.30**	**0.35**
4.	मोटर गाड़ियों के पेट्रोल, डीजल एवं अनुरक्षण पर व्यय	**3.75**	**4.44**

प्रस्तर सं-02- वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों पर किये गये भुगतान बिलों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों/उपखनियों की मात्रा निर्माण कार्यों के बिलों पर अंकित नहीं की गयी है और न ही संस्था स्तर पर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों की रायल्टी नियमानुसार ठेकेदारों के बिलों से नहीं काटी गयी है। लेखा परीक्षा में बताया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के वैध अभिवहन पत्र (एम0एम0-11) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये जो कि सम्बन्धित निर्माण, पत्रावलियों में संलग्न किये गये। अतः प्रयुक्त खनिजों की रायल्टी ठेकेदारों के बिलों से नहीं काटी गयी। वर्ष 2019-20 की समस्त निर्माण पत्रावलियों (जिसमें उपखनियों का प्रयोग किया गया हो) में संलग्न वैध अभिवहन पत्रों (एम0एम0-11) की जाँच खनिज विभाग से कराते हुए निमयानुसार रायल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं-3- दुकान, भवन किराया पंजी अनुसार वर्ष 2019-20 की सम्पत्ति वार मांग बकाया वसूली एवं शेष धन की स्थिति निम्नवत् है -

क्र०सं०	सम्पत्ति का विवरण	**मांग**	बकाया	योग	वसूली	शेष धन
1.	महेन्द्र बाजार	117360.00	88519.00	205879.00	34385.00	171494.00
2.	जेल रोड	548042.00	49863.00	597905.00	74949.00	522956.00
3.	तरीनपुर	58068.00	112870.00	170938.00	74949.00	522956.00
4.	महेन्द्र बाजार प्रथम तल	33360.00	58573.00	91933.00	7780.00	84153.00
5.	निरीक्षण गृह हरगाँव	1369765.00	293067.00	1662832.00	190859.00	1471973.00
6.	पाण्ड तालगाँव	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00
7.	बोर्डिंग हाउस मिश्रिख	12936.00	68880.00	81816.00	5856.00	75960.00
8.	पशु चिकित्सालय	317410.00	13080.00	330490.00	44603.00	285887.00
9.	अटवा महमूदाबाद बाजार	325236.00	860131.00	1185367.00	204480.00	980887.00
10.	जूनियर हाईस्कूल महमूदाबाद	1240420.00	171787.00	1412207.00	122698.00	1289509.00

11	पालीटेक्निक महमूदाबाद	64612.00	19500.00	84112.00	0.00	84112.00
12.	निरीक्षण गृह महमूदाबाद	29760.00	149726.00	179486.00	19500.00	159986.00
13.	पाण्ड भवन महमूदाबाद	19200.00	117600.00	136800.00	9000.00	127800.00
14.	चांदपुर फरीदपुर	25200.00	263200.00	288400.00	0.00	288400.00
15.	निरीक्षण गृह सिधौली	135948.00	110311.00	246259.00	141436.00	104823.00
	योग :	**4299117.00**	**2377107.00**	**6676224.00**	**884495.00**	**5791729.00**

क- उपरोक्त विवरण के अनुसार दुकान भवन किराया की मांग बकाया का योग रू0 6676224.00 के सापेक्ष वसूली मांग रू0 884495.00 की हुई जो कि मांग बकाया के योग का मात्र 13.25 प्रतिशत है। शेष धन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है जिससे संस्था को राजस्व की क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वसूली इतनी होने का कारण स्पष्ट करते हुये वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही वाँछित हे।

ख- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है पाण्ड ताल गाँव, पालीटेक्निक महमूदाबाद एवं चांदपुर फरीदपुर की सम्पत्तियों से वसूली शून्य दर्शायी गयी है जो कि गम्भीर चिन्ताजनक है, अधिकारियों का ध्यान इस प्रति आकृष्ट किया जाता है।. उत्तरदसायी कर्मचारी/अधिकारी की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं-4- वर्ष 2019-20 के मासिक लेखा मार्च 2019 के अनुसार अन्तिम शेष धन दिनाँक 31/03/2019 को रू0 167295580.63 जिसका विवरण निम्न प्रकार दर्शित है -

क- जमा की धनराशियाँ **रू0 18256879.10**

ख- सरकारी अनुदान जो व्यय नहीं हुए **रू0 100166300.60**

ग- जिला पंचायत के पूर्ण अधिकार में शेष**रू0 48912400.93**

योग **रू0 167295580.63**

परन्तु वर्ष 2019-20 के मासिक लेखा अप्रैल 2019 में प्रारम्भिक शेष रू0 167295580.63 दर्शाया तो गया है परन्तु उसका विवरण निम्नवत् दर्शित है -

क- जमा की धनराशियाँ **रू0 18256879.10**

ख- सरकारी अनुदान जो व्यय नहीं हुए **रू0 1187844.30**

ग- जिला पंचायत के पूर्ण अधिकार में शेष**रू0 30254270.93**

योग **रू0 167295580.63**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्षान्त के अन्तिम शेष के विवरण और प्रारम्भिक शेष के विवरण में भिन्नता है। जो कि लेखा नियमों के विपरीत एवं आपत्तिजनक है। शेष धन के विवरण में भिन्नता का कारण

स्पष्ट करते हुये इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी-अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार सम्बन्धित पटल सहायक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही वाँछित है। जांच कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं-5- लाइसेंस पंजिका की जाँच में पाया गया कि लाइसेंस धारियों से लाइसेंस शुल्क वसूल करते समय निरन्तरता का ध्यान नहीं रखा गया और साथ ही न लाइसेंस शुल्क वसूल न होने सम्बन्धी कोई टिप्पणी अंकित की गयी है। इस प्रकार लाइसेंस शुल्क वसूल न करके संस्था को राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। इस प्रति सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उदाहरणार्थ विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	लाइसेंसधारी का नाम	ग्राम का नाम	**लाइसेंस देने वर्ष की तिथि**	वर्ष	**लाइसेंस शुल्क**	**विवरण**
1.	जमील अहमद (गुड़ बेल)	इमलिया सुल्तानपुर	**977873/ 06-12-2017**	**2017-18**	**400.00**	वर्ष 2018-19, 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं है। 2020-21 का लाइसेंस शुल्क जमा है।
2.	रिजवान/ नबी अहमद (गुड़ बेल)		977878/ 09-10-2017	2017-18	**400.00**	वर्ष 2018-19, 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं है।
3.	सारिक अली / इदरीश (साइकिल स्टोर)		448492/ 09-10-2017	2016-17 2017-18	**400.00**	वर्ष 2018-19, 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं है।
4.	भरत सिंह / सीताराम (लाइट, टेन्ट)		448493/12-10-2017	2016-17 2017-18	**2000.00**	वर्ष 2018-19, 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं है।
5.	दिनेश कुमार (बीज भण्डार)		448496/23 - 10-2017	2016-17 2017-18	**400.00**	वर्ष 2018-19, 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं है।

प्रस्तर सं-6- दिनाँक 31/03/2020 को मासिक लेखा के अन्तिम शेष 37141863.63 का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

1-	जमा धनराशियाँ	10325039.10
2-	निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकारी अनुदान जो व्यय नहीं हुए	339033833.60

3-	जिला परिषद के पूर्ण अधिकार में शेष	22052990.93
	योग :-	371411863.63

जबकि बैंक खातों में जमा अनुदान की धनराशि निम्नवत् है

क्र० सं०	बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**धनराशि दिनाँक 31/03/2020**
1.	इलाहाबाद बैंक	**50097562589**	**343094279.79**
2.	इलाहाबाद बैंक	**20309213614**	**9494457.00**
	योग :-		**352588736.79**

इस प्रकार मासिक लेखे में अनुदान की धनराशि 13554903.19 कम दर्शायी गयी है स्पष्ट है कि अन्तर धनराशि के जमा धनराशियों अथवा जिला निधि की धनराशियों में दर्शाया गया है। अनुदान की धनराशि को किसी अन्य मद में दर्शाया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत होने के साथ वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। इस प्रति उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी-अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार सम्बन्धित पटल सहायक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही वाँछित है।

प्रस्तर सं.-7-

आलोच्य वर्ष में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 व 2019-20 की स्थिति निम्नवत रही।

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	मांग	बकाया	कुल	वसूली	अवशेष
1	ऐलिया	1133970.00	1955915.00	3090935.00	666033.00	2424902.00
2	खेराभव	1101560.00	1970894.00	3072454.00	808350.00	2264104.00
3	परसपुर	1068990.00	938932.00	2007922.00	579864.00	1428058.00
4	हर्रैया	906400.00	1383827.00	2290227.00	810419.00	1479808.00
5	बेहटा	1334370.00	2936710.00	4271080.00	578833.00	3692247.00
6	ललपुर	1361280.00	1958366.00	3319646.00	925043.00	2394603.00
7	मखदूमपुर	466620.00	831231.00	1297851.00	297232.00	1000619.00
8	गोला गोकर्णनाथ	401250.00	1147884.00	1549134.00	123543.00	1425591.00
9	सिवाली	527440.00	2031080.00	2558490.00	295499.00	2262991.00
10	मिश्रिख	618730.00	1072423.00	1691153.00	447690.00	1243463.00
11	सिधौली	961590.00	2183356.00	3143256.00	401509.00	2742071.00
12	पिहानी	1105490.00	1403627.00	2509117.00	664277.00	1844840.00
13	रेसरा	1090830.00	3652444.00	4743274.00	540857.00	4202417.00
14	सांकर	1526030.00	1347237.00	2938067.00	452219.00	2485848.00

15	बिसवा	1588860.00	3258404.00	4845674.00	985220.00	3860454.00
16	महमूदाबाद	747540.00	1691613.00	2439153.00	429738.00	2009415.00
17	रामपुरसप्तुआ	622380.00	3083864.00	3706244.00	382173.00	3324071.00
18	महौली	713640.00	1483651.00	2197291.00	526972.00	1670319.00
19	कुम्भज	761940.00	1208979.00	1970919.00	472085.00	1498834.00
योग	17557800.00	35540407.00	53094947.00	10387556.00	42707391.00	

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल मांग रूप 530.95 लाख के सापेक्ष मात्र रूप 103.87 लाख की वसूली दर्शायी गयी है जो कि 19.56 प्रतिशत कार्य की है। बकाया रूप धरण राशि रूप 427.07 लाख दर्शायी गयी है जो कि उत्तरतर बढ़ती जा रही है। वसूली में सुधार न होने के कारण स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। साथ ही उपरोक्त सूची में विकास खण्ड ऐलिया, सकरन एवं बिसवां की कुल मांग को त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है। (योग गलत है) तदनुसार सम्बन्धित अवशेष की स्थिति भी त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी है। सुधार किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी की प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-8 कांजी हाउस (पौण्ड), पशु बाजार दुकान किराया, मृत पशु शव निस्तारण, नौका घाट एवं विभव एवं सम्पत्ति करके अभिलेखों के अनुसार मांग, वसूली एवं वर्षांत में शेष तथा उक्त मदों में लेखा प्रपत्र-3 के दर्शित धनराशियों में अन्तर की स्थिति है। स्थिति निम्न प्रकार है-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	मद का विवरण	लेखा प्रपत्र- 3 के अनुसार			अभिलेखों के अनुसार		
		मांग	वसूली	शेष	मांग	वसूली	शेष
1	कांजी हाउस (पौण्ड)	0.74	0.50	0.24	0.94	0.69	0.25
2.	पशु बाजार	23.97	18.79	5.18	31.76	22.15	17.61
3.	दुकान किराया	43.77	13.21	30.56	66.76	8.84	57.92
4.	मृत पशु निस्तारण	22.58	0.37	22.21	31.25	0.21	31.04
5.	नौका घाट	8.56	4.22	4.34	5.53	1.09	4.44
6.	विभव एवं सम्पत्ति कर	536.80	68.958	467.82	530.95	103.87	427.07
7.	लाइसेंस	61.53	61.53	-	61.53	61.53	-
8.	मेला एवं प्रदर्शनी	-	-	-	-	-	-
9.	पडाव अड्डा	-	-	-	-	-	-
10.	कृषि एवं तरुपालन	1.11	1.11	-	1.11	1.11	-
11.	जिला निधि पर ब्याज़	10.08	10.08	-	10.08	10.08	-
12.	विभिन्न अन्य क्षेत्रों से आय	13.00	13.00	-	13.00	13.00	-
	योग-	722.14	191.79	530.35	762.91	224.57	538.24

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निजी सात्र के उपराक्त शीर्षों से 530.35 लाख रूपये की वसूली नहीं की गयी है और न ही वसूली के लिए ठोस प्रयास किया गया है। बकाया का विवरण प्रस्तुत करते हुए वसूली हेतु ठोस प्रयास अपेक्षित है साथ ही विभव एवं सम्पत्ति कर शीर्ष में संस्था द्वारा अपने त्रैमासिक प्रपत्र- 03 में वर्ष में वसूली की धनराशि 68.98 लाख दर्शित किया गया है जबकि रजिस्टर में वसूली की धनराशि 103.87 लाख दर्शाया गया है। इस प्रकार वसूली की धनराशि 103.87-68.98 = 37.8 लाख रूपये प्रपत्र- 03 में कम दर्शा कर अपहरण किया गया है। इसी प्रकार काजी हाउस मद में वसूली प्रपत्र- 03 के अनुसार 0.50 लाख एवं पंजिका के अनुसार 2.69 लाख रूपया अन्तर रूपया 2.19 लाख तथा पशुबाजार प्रपत्र- 03 के अनुसार 18.78 लाख एवं अभिलेखानुसार 22.15 लाख अन्तर 3.36 लाख दर्शित है, इस प्रकार रजिस्टर में दर्शित वूसली अंकन. रूपया 3.892.193.36=40.44 लाख त्रैमासिक प्रपत्र- 03 में कम दर्शित कर अपहरण किया गया है। अभिलेखों के अनुसार कुल बकाया 538.34 लाख है जबकि प्रपत्र- 03 के अनुसार वर्षान्त में कुल बकाया रूपया 530.35 लाख है इस प्रकार प्रपत्र -03 में अनियमित रूप से बकाया की धनराशि कम दर्शित की जा रही है एवं शेष बकाया 538.34 लाख रूपये की वसूली हेतु ठोस कार्यावाही नहीं की गयी जिस हेतु कर अनुभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर सं-09- क-)संस्था द्वारा ठेकेदार वार कराए गए कार्य का विवरण जिसमें लागत मूल्य, कटौतियां एवं शुद्धभुगतान दर्शित है का कम्पयूटराईजड विवरण उपलब्ध कराया गया है। कुल 13 ठेकेदारों द्वारा कराए गए कार्य का विवरण के अनुसार कुल लागत रूपया 266467200.00 लाख में से 13 ठेकेदारों को शुद्ध भुगतान अंकन रूपया 253223591.00 दार्शित है एवं टी०डी०एस० कटौती अंकन रूपया4980933.00 लाख, जी०एस०टी० कटौती अंकन रूपया 4954010.00 लाख एवं शेष कटौती अंकनरूपया 2490466.00 एवं सिक्योरिटी अंकन रूपया 647500.00 लाख एवं अन्य कटौती अंकनरूपया 170700.00 लाख दर्शित है।

उपरोक्त कटौतियों की जमा की पुष्टि में दाखिल रिर्टन/मिलान पत्र बार-बार मांगे जाने केबावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे दर्शित कटौतियों के जमा के पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। (अनियमितता)

ख-) कराए गए निर्माण काय की पत्रावलियां बार-बार मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा मेंउपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण कार्य के प्रायम्भ तिथि कार्यवृत्ति प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिर्पोटपरियुक्त उपखनिज की पुष्टि में रायल्टी जमा चालान एवं जनपद के अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त की गयी अथवा नहीं, कराए गए निर्माण कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज है अथवानहीं इसका अन्य किसी संस्था को हस्तांतरित किए गए अथवा नहीं आदि स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार दर्शित निर्माण कार्य एवं व्यय धनराशि रूपया 266467200.00 की निर्माण पत्रावलियां उपलब्धन कराएजाने के कारण लेखा परीक्षा में जाँच सम्भव नहीं हो सकी एवं व्यय घनराशि की पुष्टिसम्बन्धित बैंक खातों के स्टेटमेन्ट से नहीं करायी गयी।

अतएव समस्त निर्माण पत्रावलियां, प्राकलन, एम०बी०, बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0एम0 11 आदिप्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि दर्शित निर्माण कार्यों एवं दर्शित भुगतान राशिकी पुष्टि की जा सके।

प्रस्तर सं-10- संस्था द्वारा जमानत वापसी की धनराशि 86.19 लाख तथा वापसी हेतु व अवशेष धनराशि 1.03 करोड़ की पुष्टि में अनेकों बार माँगने के बाद भी संगत निर्माण पत्रावलियां एवं जमानतरजिस्टर जो ठेकेदार वार एवं निर्माण कार्यवार उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिस कारण दर्शितजमानत वापसी रूपया 86.19 लाख एवं वापसी हेतु दर्शित अवशेष 10325039.10 रूपया की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं हो पायी। इस स्थिति में लेखाकार वित्तीय परामर्शदाता एवं मुख्य अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

जिला पंचायत सीतापुर (वर्ष 2020-21)

प्रस्तर सं.11 संस्था की त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र 3 में एवं अभिलेखो में वर्ष की मांग वसूली एवं वर्षान्त में शेष की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी -

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	मद का विवरण	लेखा प्रपत्र- 3 के अनुसार			अभिलेखों के अनुसार		
		मांग	वसूली	शेष	मांग	वसूली	शेष
1	कांजी हाउस (पौण्ड)	5.47	5.23	0.24	3.39	3.15	0.24
2.	पशु बाजार	18.23	8.35	9.88	30.66	13.05	17.62
3.	दुकान किराया	73.55	23.22	50.33	79.25	11.46	67.79
4.	मृत पशु निस्तारण	34.78	3.95	30.83	31.65	0.82	30.83
5.	नौका घाट	10.56	6.79	3.77	0.33	3.89	(-)3.56
6.	विभव एवं सम्पत्ति कर	467.82	69.32	398.50	522.47	71.48	450.99
7.	लाइसेंस	65.66	65.66	00.00	65.66	65.66	00.00
8.	मेला एवं प्रदर्शनी	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
9.	पडाव अड्डा	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
10.	कृषि एवं तरुपालन	00.09	00.09	00.00	00.09	00.09	00.00
11.	जिला निधि पर ब्याज़	06.52	06.52	00.00	06.52	06.52	00.00
12.	विभिन्न अन्य क्षेत्रों से आय	102.46	102.46	00.00	102.46	102.46	00.00
	योग-	785.14	291.59	493.55	842.48	278.28	563.90

उपरोक्त शीर्षो के विवरण से स्पष्ट है की निजी श्रोत से रुपया 563.90 लाख की वसूली नहींकी गई है, और न ही वसूली के लिए ठोस प्रयास किया गया। वकाया का विवरण प्रस्तुत करते हुये वसूली का ठोस प्रयास अपेक्षित है।साथ ही विभव व संपत्ति कर शीर्ष मैं संस्था द्वारा अपने त्रैमासिक प्रपत्र 3 मैं वर्ष में वसूली की धनराशि 69.32 लाख दर्शित किया गया हैं जब की अभिलेखो में 71.48 लाख दर्शाया गया हैं इस प्रकार वसूली की धनराशि 71.48-69.32=2.16 लाख प्रपत्र 3 में कम दर्शाकर अपहरण किया गया, इसी प्रकार हाट पशु बाजार /तह बाजारी में 13.05-8.35 = 4.70 लाख कुल 6.86 लाख त्रेमासिक प्रपत्र 3 में कम दर्शाकर अपहरण किया गया। साथ ही अभिलेखा अनुसार वर्षांत में कुल वकाया 563.90 दर्शित हें व प्रपत्र 3 में 493.55 लाख दर्शित हैं। इस प्रकार प्रपत्र 3 में रुपया 70.35 लाख कम वकाया दर्शित कर अनियमितता की गई व सम्पूर्ण वकाया धनराशि 563.90- 6.86=557.04 लाख की वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किया गया जिस हेतु तत्कालीनपटल प्रभारी, लेखाकार, कर अधिकारी एवंअपर मुख्य अधिकारीउत्तरदायी हैं ।

2. संस्था द्वारा ठेकेदार वार कराये गए कार्यो का विवरण जिसमे लागत मूल्य, कटौतिया एवं शुद्ध भुगतान दर्शित हैं का कम्प्युटराज्ड विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।कुल 8 ठेकेदारो द्वारा कराये गए कार्यो का विवरण जिसके अनुसार 324 कार्यो की कुल लागत 476721300.00 में से 8 ठेकेदारों को शुद्ध भुगतान अकंन रुपया 454311743.00 दर्शित हैं एवं आयकर कटोती रुपया 8512893.00,जीएसटी रुपया8509946.00,सेस रुपया 4256468.00, विलम्ब शुल्क रुपया 283700.00 एवं सिक्योरिटी रुपया 846550.00 दर्शित हैं। उपरोक्त कटौतियांकी जमा की पुष्टि मैं दाखिल रिटर्न /मिलन पत्र एवं पंजी वार वार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे दर्शित कटोतियों की पुष्टि लेखा परीक्षा मै नहीं हो सकी।

(ख) संस्था द्वारा कराए गए निर्माणकार्या की पत्रावलियांबार-बारमांगेजाने के बादभीलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण कार्य के प्रारम्भ तिथि कर्यपूर्ति प्रोजेक्ट कम्पलीसन रिर्पोट (पी० सी० आर०)प्रयुक्त उपखनिज की पुष्टिमेंरायल्टीजमाचालान,व एमएम 11, जनपद की अन्य कार्यदाई संस्थाओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गई हें अथवा नहीं, कराये गए निर्माण कार्य परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज हें अथवा नहीं या किसी अन्य संस्था को हैंडओवर किए गए अथवा नहीं आदि की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार दर्शित निर्माण कार्य में धनराशि रुपया 47,67,21,300.00 व उसके सापेक्ष विज्ञापन व्यय रुपया 2,60,826.00 तथा विटमिन व इमलसन पर व्यय पर रुपया 38,79,099.00 कुल रुपया 48,08,61,225.00 की निर्माण पत्रावलिया उपलब्ध न कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा में जांच संभव न सकी साथ ही व्यय धनराशि की पुष्टि बैंक खातो से नहीं कराई जा सकी अतएव समस्त निर्माण पत्रावलिया,प्राकलन, एमबी, बिल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,एमएम11 आदि प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं ताकि दर्शित निर्माण कार्यो एवं दर्शित भुगतान राशि की पुष्टि की जा सके।

प्रस्तर सं.12. कोविड 19 महामारी के द्रष्टिगत शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303 / सा-का-4-2020 दिनांक 20/03/2020,भारतसरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-40-3 / डीएम-1 (A दिनांक 15/04/2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-4 संख्या-7/2020/315/ सामान्य का-4-2020 लखनऊ दिनांक 17/04/2020 में लागू किये गये लाकडाउन में भी जिला पंचायत सीतापुर द्वारा दिनांक 30/05/2020 को रुपया 2,98,79,000.00,दिनांक-01/06/2020कोरुपया 2,09,05,200.00,दिनांक कोरुपया 1,76,01,000.00 एवं 25/06/2020 को अंकन रुपया 5,63,94,300.00 तथा दिनांक 26/06/2020 को रुपया 24,10,500.00 इस प्रकार 5 तिथियो में कुल रुपया 12,71,90,000.00 का भुगतान निर्माण कार्य, खडजा सी. सी आदि दर्शाकर किया गया हैं जब की लाकडाउन की अवधि में कार्य कराया जाना सम्भव नहीं था| साथ ही उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यो की प्रत्रावलिया भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे कार्य प्रारम्भ तिथि, समाप्ति तिथि, प्राकलन तिथि, प्रोजक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, उपखनिज आपूर्ति के आभिवहन प्रपत्र एमएम 11, जमा रायल्टी मूल्य के ट्रेजरी चालान, एमबी भुगतान बिल आदि की जांच सम्भव न हो सकी। इस प्रकार दर्शित कार्यो एवं किये गये भुगतान की स्थिति संदिग्ध हैं। उपरोक्त तिथियो में दर्शित कार्य एवं किये गये भुगतान संबंधी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्युटराइज़ विवरण तिथि व संलग्न हैं| दर्शित निर्माण कार्य एवं भुगतान अंकन रुपया 127190000.00 लेखा परीक्षा की दृष्टि से संदिग्ध है। इस हेतु तत्कालीन पटल प्रभारी,लेखाकार,वित्तीय परामर्शदाता, अवर अभियंता, अभियंता, अपरमुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं.13. संस्था द्वारा जमानत वापसी की धन राशि रुपया 5174510.00 तथा वापसी हेतु अवशेष रुपया 6034329.10 की पुष्टि में अनेकों बार माँगने के बाद भी संगत निर्माण पत्रावलियां एव ं जमानत रजिस्टर ठेकेदारवार एवं निर्माण कार्यवार उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिस कारण दर्शित जमानत वापसी रूपया. 5174510.00 एवं वापसी हेतु दर्शित शेष रु.-6034329.10 लेखा परीक्षा में अपुष्टित रहा। लेखा परीक्षा में

पुष्टि उपरांत ही शेष धनराशि रुपया 6034329.10 वापस किया जाय तथा दर्शित वापस की गई धनराशि रुपया 5174510.00 उपरोक्तानुसार पुष्टि न कराये जाने की स्थिति में लेखाकार वित्तीय परामर्श दाता, अपरमुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष से वसूली किया जाना अपेक्षित हैं।

जिला पंचायत सीतापुर (वर्ष 2021-22)

प्रस्तर-14- 15वें (टाईड) वित्त आयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के डायवर्जन आफ फन्ड अनुसार निम्नलिखित अनुमन्य निमार्ण कार्यों से विचलन (डायवर्जन आफ फण्ड) कर खड़ण्जा, सी०सी० रोड आदि पर वित्तीय वर्ष (2021-22) में कुल ₹10,89,74,000.00 व्यय कर धन का दुरूपयोग किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2) एफ०सी०-एक्स०वी०/एफ०सी०डी०/2020-21, 01.06.2020 तथा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या जी० 39011/2/2017 एफ० डी० दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी ओपरेश्नल गाइडलाइन तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1817-33-3-2020-33-2020 दिनांक 24 जुलाई, 2020 प्रस्तर 3-1 के अनुसार के 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायतों को आवंटित टाइड फण्ड के अनुदान की धनराशि को निम्नलिखित मदों पर ही व्यय किया जाना चाहिये।

क. सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रख-रखाव की व्यवस्था।

ख. वाटर (किचेन व बाथरूम) का ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट।

ग सीवर प्रणाली (स्लो बोर/डीप बोर) का विकास तथा रख-रखाव ।

घ सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था वाटर स्टेब्लेशन पॉड आदि ।

ड़ सेप्तेज ट्रीटमेंन्ट व मैनेजमेन्ट ।

च सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-सामुदायिक कम्पोस्ट का निर्माण व रख-रखाव आदि ।

छ पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका रख-रखाव ।

ज वर्षा जल का संचयन

झ ट्रीटेड जल का रिसाइल एवं रियूज

ट पाईप्ड पेयजल की योजनाए ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है।

ठ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट-प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थरमोकोल के विनिमार्ण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था । अधिसूचना सं0 2893 / 33 -3-2019-154-2014, टी०सी० दिनांक 10 जनवरी 2020 के अनुसार प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना तथा संग्रहण रिसाइल एवं रियूज कीव्यवस्था बनाना ।

के- प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट-प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थरमोकोल के विनिमार्ण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था। अधिसूचना सं0 2893/33 -3-2019-154-2014, टी०सी० दिनांक 10 जनवरी 2020 के अनुसार प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना तथा संग्रहण कर रियूज व रिसाइकिल की व्यवस्था बनाना।

जिला पंचायत सीतापुर की वित्तीय वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर (वर्क रजिस्टर), चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-4, अपर मुख्य अधिकारी तथा अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रमाणित वित्तीय वर्ष (2021-22) में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची तथा कैश बुक की जाँच में प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष (2021-22) में 15 वें वित्त आयोग के टाईड फण्ड

में कुल 3580.59 (लाख) (गत वर्ष के अवशेष सहित) या जिसमें से वर्ष दौरान निम्न विवरणानुसार कुल 1089.74 (लाख) टाईड फण्ड हेतु उक्त अनुमन्य कार्यों पर व्यय न कर सी०सी०रोड, खड़ण्जा, लेपन कार्य जो अन्य योजनाओं के अनुमन्य कार्य है, पर विचलन डायवर्जन कर, व्यय किया गया है-
वित्तीय वर्ष (2021-22) में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाईड फण्ड के कराये गये निम्नलिखित निमार्ण कार्य जो अनुमन्य नहीं हैं

क्र.सं.	ग्रान्ट	दिनांक	माह वी.आर. नं0	कांट्रेक्टर नाम	कार्य नाम	कुल धनराशि
1-	**टाईड**	**11.08.21**	**46**	**अभय प्रताप सिंह**	सुपौली से हिम्मतपुरवा तक लेपन	**1369000**
2.	**टाईड**	**11.08.21**	**47**	**अभय प्रताप सिंह**	वटीबरौहा डामर रोड से गुडरूवा सं०मा० पर हाटमिक्स (पेवर) लेपन	**4850000**
3.	**टाईड**	**11.08.21**	**48**	**संजय सिंह**	खनवापुर डामर रोड से मोहनपुरवा कम्हरियासं०मार्ग पर हाटमिक्स (पेवर) लेपन	**3390000**
4.	**टाईड**	**11.08.21**	**49**	**संजय सिंह**	तालगांव मार्ग से रामालखना तक लेपन	**1178000**
5.	**टाईड**	**11.08.21**	**50**	**भारत कंस्ट्रक्शन**	गुरदासपुर डामर रोड से मथुरा नगर खड़जे तक खडंजा	**885000**
6.	**टाईड**	**18.08.21**	**53**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	मौजीपुर डामर रोड से महिमापुर मार्ग पर खडंजा	**1717000**
7.	**टाईड**	**11.08.21**	**54**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	आडू सरांय गांव से घूरीपुर तक खडंजा	**1198000**
8.	**टाईड**	**11.08.21**	**55**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	ग्राम छी: में अशरफपुर की ओर मार्ग तक खडंजा	**1200000**
9.	**टाईड**	**11.08.21**	**56**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	भिम्मापुरवा डामर रोड से अशरफपुर खडंजे तक खडंजा	**1391000**
10.	**टाईड**	**11.08.21**	**57**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	ग्राम गरौली से धनधरा की ओर खडंजा	**941000**
11.	**टाईड**	**11.08.21**	**58**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	सिंहपुर खडंजे से सन्तरा डामर रोड तक खडंजा	**1510000**
12.	**टाईड**	**11.08.21**	**59**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	सकरन डामर रोड से लालूपुरवा गांव तक खडंजा	**1545000**

13.	**टाईड**	**11.08.21**	**60**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	कैमहरा सम्पर्क मार्ग से उदनापुर सम्पर्क मार्ग तक खडंजा	**1478000**
14.	**टाईड**	**11.08.21**	**61**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	हनुमानपुर इ०ला0 से विशुनदास डामर रोड तक खडंजा	**1402000**
15	**टाईड**	**11.08.21**	**62**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	सरैया डामर रोड से गोड़ा गुमटा डामर रोड तक खडंजा	**1000000**
16	**टाईड**	**11.08.21**	**63**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	रतनगंज में सीसी कार्य	**690000**
17.	**टाईड**	**31.08.21**	**80**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	खेन्दौरा सम्पर्क मार्ग से बम्भौरी गांव तक लेपन	**2449000**
18.	**टाईड**	**31.08.21**	**81**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	अहमदपुर डामर रोड से इरदहा गांव की ओर लेपन	**1656000**
19.	**टाईड**	**31.08.21**	**82**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	डबकहा से सिसैया तक लेपन	**3851000**
20.	**टाईड**	**31.08.21**	**83**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बेनी सरांय मडोर मार्ग से ईरापुर मजरा नकैला तक लेपन	**2242000**
21.	**टाईड**	**31.08.21**	**84**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बेलवा बसैहिया से बसैहिया तक लेपन	**2635000**
22.	**टाईड**	**31.08.21**	**85**	**संजय सिंह**	धमौड़ा से सर्वजीतपुरवा तक लेपन	**1438000**
23.	**टाईड**	**31.08.21**	**86**	**संजय सिंह**	तालगांव मार्ग से रामालखना तक लेपन	**1119000**
24.	**टाईड**	**31.08.21**	**87**	**संजय सिंह**	खनुवापुर डामर रोड से मोहनपरवा कम्हरियासं०मार्ग- लेपन	**2222000**
25.	**टाईड**	**31.08.21**	**88**	**जैन ब्रदर्स**	सकरन जी०टी०रोड से मडोर डामर रोड तक लेपन	**619000**
26	**टाईड**	**31.08.21**	**89**	**अभय प्रताप सिंह**	सुपौली से हीम्मतपुरवा तक लेपन	**1097000**
27.	**टाईड**	**31.08.21**	**90**	**अभय प्रताप सिंह**	बरी बरोहा में बटौहा डामर रोड से गुडरूवा - सं0 मार्ग पर लेपन	**2397000**
28.	**टाईड**	**31.08.21**	**91**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	त्रिकोकलया डामर रोड से मारू डामर रोड तक लेपन	**1886000**

29.	**टाईड**	**31.08.21**	**92**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	मारू बाजार से मारू डामर रोड तक लेपन	**1415000**
30.	**टाईड**	**31.08.21**	**93**	**जनरैल कंस्ट्रक्शन**	हरिहरपुर गांव से अमईपुर गांव तक खडंजा	**2128000**
31.	**टाईड**	**31.08.21**	**94**	**भारत कंस्ट्रक्शन**	गुरदासपुर डामर रोड से मथुरा नगर खडंजे तक खडंजा	**1204000**
32.	**टाईड**	**07.09.21**	**45**	**भारत कंस्ट्रक्शन**	गुरदासपुर डामर रोड से मथुरा नगर खडंजे तक खडजा	**388000**
33.	**टाईड**	**28.09.21**	**46**	**जैन ब्रदर्स**	महराज नगर कोंसर मार्ग से पखनियापुर तक लेपन कार्य	**1113000**
34	**टाईड**	**28.09.21**	**94**	**जैन ब्रदर्स**	बरछता से पिपरा गांव तक लेपन कार्य	**2136000**
35.	**टाईड**	**01.10.21**	**28**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	रामगढ डामर रोड से बनगढ़ आश्रम तक हाटमिक्स लेपन	**988000**
36	**टाईड**	**01.10.21**	**30**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	बिसवा में मारूबाजार से मारू डामर रोड तक लेपन	**1000000**
37	**टाईड**	**01.10.21**	**31**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	खेदौरा सम्पर्क मार्ग से बम्भौरी गांव तक लेपन कार्य	**2210000**
38.	**टाईड**	**01.10.21**	**32**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बेलवा बसैहिया से बसैहिया तक लेपन कार्य	**2466000**
39.	**टाईड**	**01.10.21**	**33**	**जैन ब्रदर्स**	गजनीपुर डामर रोड से बढाहरपुरवा तक लेपन	**857000**
40.	**टाईड**	**01.10.21**	**34**	**जैन ब्रदर्स**	सकरन जी०टी०रोड से मडोर डामर रोड तक लेपन	**964000**
41.	**टाईड**	**29.10.21**	**39**	**जैन ब्रदर्स**	महराजनगर कोंसर मार्ग से पखनियापुर तक लेपन	**2111000**
42.	**टाईड**	**29.10.21**	**40**	**जैन ब्रदर्स**	गजनीपुर डामर रोड से बडहरपरवा तक लेपन	**1130000**
43.	**टाईड**	**29.10.21**	**41**	**जैन ब्रदर्स**	बरछता से पिपरा तक लेपन	**1482000**
44.	**टाईड**	**29.10.21**	**43**	**संजय सिंह**	धमौड़ा से सर्वजीतपुरवा तक लेपन	**2288000**
45.	**टाईड**	**29.10.21**	**44**	**अभय प्रताप सिंह**	सुपौली ये हिम्मतपुरवा तक लेपन	**701000**
46.	**टाईड**	**29.10.21**	**45**	**अभय प्रताप सिंह**	बरी बटोहा से डामर रोड से गुडरूवा सम्पर्कमार्ग लेपन	**1514000**
47.	**टाईड**	**29.10.21**	**46**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	रतनगंज में सीसी कार्य	**561900**

48.	**टाईड**	**29.10.21**	**50**	**मिथलेश कुमार सिंह यादव**	बीहटगोड चिरौहला सं० मार्ग से डुढवाल सं० मार्ग तक लेपन	**933000**
49.	**टाईड**	**27.11.21**	**48**	**मिथलेश कुमार सिंह यादव**	खैराबाद में दहेलिया डामर रोड से चंदीपुर तक लेपन	**296000**
50.	**टाईड**	**27.11.21**	**50**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	अहमदपुर डामर रोड से इरदहा गांव की ओर लेपन	**1427000**
51.	**टाईड**	**27.11.21**	**51**	**संजय सिंह**	तालगांव मार्ग से रामालखना तक लेपन	**835000**
52.	**टाईड**	**06.12.21**	**29**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	अर्थाना से पूरनपुर मार्ग पर लेपन	**849000**
53.	**टाईड**	**06.12.21**	**30**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	डबकहा से सिसैया तक लेपन	**2984000**
54.	**टाईड**	**06.12.21**	**31**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	खेन्दौरा सम्पर्क मार्ग से बम्भौरी गांव तक लेपन	**1373000**
55.	**टाईड**	**08.12.21**	**34**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	हथिया गेंदनपुरवा मार्ग से सकतापुर मार्ग तक लेपन कार्य	**447000**
56.	**टाईड**	**08.12.21**	**35**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	त्रिकोलिया डामर रोड से मारू डामर रोड तक लेपन	**900000**
57.	**टाईड**	**08.12.21**	**36**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	मारू बाजार से मारू डामर रोड तक लेपन	**787000**
58.	**टाईड**	**08.12.21**	**37**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बिसवा महमूदाबाद रोड से खेदरियापुर तक लेपन कार्य	**1826000**
59.	**टाईड**	**08.12.21**	**39**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	हनुमानपुर इण्टरलाकिंग से विशुनदास डामर रोड तक खडंजा	**426900**
60.	**टाईड**	**08.12.21**	**44**	**खुशी कंस्ट्रक्शन**	चान्दपुर हुसैनगंज सम्पर्क मार्ग से शीरगंज तक खडंजा	**602000**
61	**टाईड**	**08.12.21**	**45**	**गोवर्धन कंस्ट्रक्शन**	बन्नी खैरैला में जुड़ाईपुर से जगदेव के मकान से पश्चिम की तरफ खडंजा	**710000**
62.	**टाईड**	**28.12.21**	**58**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	सकरन साण्डा डामर रोड से लालूपुरवा गांव तक खडंजा	**1386000**
63.	**टाईड**	**28.12.21**	**60**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बेलवा बसैहिया से बसैहिया तक लेपन	**1472000**

64.	**टाईड**	**28.12.21**	**61**	**मिथलेश कुमार सिंह यादव**	पिसावां में बीहटगौड़ सम्पर्क मार्ग से इदावल सम्पर्क मार्ग लेपन	**1792000**
65.	**टाईड**	**12.01.22**	**64**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	अर्थाना से पूरनपुर मार्ग पर लेपन	**578000**
66.	**टाईड**	**12.01.22**	**65**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	हथिया गेदनपुरवा मार्ग से सकतापुर मार्ग तक लेपन	**578000**
67.	**टाईड**	**12.01.22**	**67**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बिसवा महमूदाबाद रोड से खेदरियापुर गांव तक लेपन	**916000**
68.	**टाईड**	**12.01.22**	**69**	**संजय सिंह**	हरदीया मार्ग से गड़चपा प्रा०वि०तक लेपन	**3645000**
69.	**टाईड**	**02.02.22**	**43**	**मिथलेश कुमार सिंह यादव**	दहेलिया डामर रोड से चंदीपुर तक लेपन	**1466000**
70.	**टाईड**	**02.02.22**	**44**	**जनरैल कंस्ट्रक्शन**	हरिहरपुर गांव से अमईपुर गांव तक खडंजा	**460200**
71.	**टाईड**	**02.02.22**	**46**	**अभिनव सिंह**	अहमदपुर डामर रोड से इरदहा गांव की ओर लेपन	**1543000**
72	**टाईड**	**02.02.22**	**49**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	कैमहरा सम्पर्क मार्ग से उदनापुर सम्पर्क मार्ग तक खडंजा	**494000**
73.	**टाईड**	**02.02.22**	**50**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	हनमुमान इण्टरलाकिंग से बिशुनदास डामर रोड तक खडंजा	**204000**
74.	**टाईड**	**07.03.22**	**32**	**गोपाल कंस्ट्रक्शन**	सरैया डामर रोड से गोडा गुमटा डामर रोड तक खडंजा	**632000**
75.	**टाईड**	**10.03.22**	**73**	**अभिनव कंस्ट्रक्शन**	बिसवा महमूदाबाद रोड से खंदरिया गांव तक लेपन	**2302000**
76	**टाईड**	**10.03.22**	**75**	**गोवर्धन कंस्ट्रक्शन**	बन्नी खरैला से जुड़ाईपुर से जगदेव के मकान से पश्चिम की तरफ खडंजा	**473000**
77.	**टाईड**	**21.03.22**	**126**	**शिखर कंस्ट्रक्शन**	रामगढ डामर रोड से बनगढ़ आश्रम तक हाटमिक्स लेपन	**493000**
					कुल योग	**108974000**

उक्त 15वें वित्त आयोग (टाईड फण्ड) के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई।

1- उक्त 77 निर्माण कार्य जो कि 15वें वित्त आयोग (टाईड) फण्ड के अन्तर्गत कराये गये हैं यथा लेपन, सी०सी०रोड, खण्ड़जा आदि, वे उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। तथा जो जिला पंचायत **(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम सं0 162/2 का उल्लंघन है तथा विचलन डायवर्जन आफ फन्ड के अन्तर्गत आता है।**

2- अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत दिनांक 31.03.2022 के टाईड फण्ड के अपूर्ण कार्यों की सूची की समीक्षा में प्रकाश में आया कि जिला पंचायत के पास 84 (अनुमानित लागत 1252.92 लाख) ऐसे निर्माण कार्य (आपत्ति से साथ संलग्न टाईड फण्ड अपूर्ण कार्या की प्रमाणित सूची के अनुसार) के बाण्ड गठित किये जा चुके थे, जो 15वें वित्त आयोग टाईड फण्ड के अनुमन्य कार्यों के मदो के थे एवं अद्यतन दि० 31.03.2022 तक अनारम्भ थे। उक्त 84 निर्माण कार्य जो टाईड फण्ड के अन्तर्गत अनुमन्य थे, के स्थान पर उक्त 77 ऐसे निर्माण कार्य जो टाईड फण्ड के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है, कराकर भुगतान किया गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। उक्त कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

3- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 61 (1) के अनुसार जिला पंचायत की कार्यवाही पंजिका, धारा 64(1) (क) के अनुसार कार्य समिति तथा 64(2) के अनुसार नियोजन समिति की कार्यवाही पंजिकायें अनेक बार माँगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिससे उक्त 77 निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को पारित करने की प्रक्रिया की समीक्षा न की जा सकी। उक्त कार्यवाही पंजिकायें प्रस्तुत कर समीक्षा करायी जानी वांछित है।

4- उक्त 77 निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावली माँगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

5- उक्त 77 निर्माण कार्या से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली की अनुपलब्धता के कारण रायल्टी एवं एम0एम0-11 की स्थिति की जानकारी लेखा परीक्षा में अज्ञात रही।

6- अन्य कार्यदायी संस्थाओं से उक्त 77 निर्माण कार्यों के संबंध में अनापत्ति पमाण पत्र, उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट (पी०सी०आर०) निर्गत की स्थिति तथा सूचनापट लगवाने एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षरयुक्त फोटोग्राफ संलग्न होने की स्थिति, उक्त 77 निर्माण कार्य पत्रावली अनुपलब्ध होने से अज्ञात रही।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में सूची में उल्लिखित 77 निर्माण कार्यों को टाईड फण्ड के योजना में सम्मिलित कर तथा ₹1089.74 (लाख) का भुगतान कर धन का दुरूपयोग किया गया है, जो जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम सं0 162 (2) का उल्लंघन है तथा नियम सं0 179 व 180 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए निर्माण अनुभाग के प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, अभिन्यता जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार सिंह एंव अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं.15- शासनादेश सं0- 1838/33-3-2015-03 /2015, दि० 31.06.2015 के विपरीत जिला पंचायत सीतापुर में वित्तीय वर्ष (2021-22) में रू 16,12,74,500.00 के रू 10.00 (लाख) से कम लागत के छोटे-छोटे निर्माण कार्य कराकर अनियमितत्ता की गयी गई है।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पंचम राज्य वित्त 15वाँ (टाईड) केन्द्रीय वित्त आयोग, 15वाँ (अनटाईड) केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत विठीय वर्ष 2021-22) में पूर्ण कराये गये कार्यो की प्रस्तुत सूची की जाँच में यह प्रकाश में आया कि जिला पंचायत द्वारा विठीय वर्ष 2021-22) में पूर्ण कराये गये कार्यो में अधिकांश कार्य ₹10.00 (लाख) से कम है जबकि शासनादेश संO- 1838/33-3-2015-03 / 2015, दि० 31.06.2015 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में जारी मार्गदर्शक

सिद्धान्त के प्रस्तर 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि "प्रदेश की जिला पंचायत एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते है, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यो को कराये जाने हेतु प्राप्त होते है, जिससे डुपलीकेसी की सम्भावनाएं बनी रहती है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्या का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।"

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2(3) के अनुसार जिला पंचायते द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी।"

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि " जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य में क् 10.00 (लाख) की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी।"

निम्नलिखित पंचम राज्य वित्त 15वाँ (टाईड) केन्द्रीय वि० आयोग, 15वाँ (अनटाईड) केन्द्रीय वि० आयोग के अन्तर्गत कराये गये समस्त निर्माण कार्य उक्त शासनादेश में मार्गदर्शक सिद्धान्त के विपरीत अधिकांश छोटे-छोटे कार्य ही कराये गये है निम्नलिखित पंचम राज्य विा से कराये गये कुल 182 में से 131 कार्य (72:), 15वें (टाईड) वित्त आयोग के कुल 43 पूर्ण कार्यो में से 29 कार्य (67:), 15वें (अनटाईड) केन्द्रीय विा आयोग के कुल 97 पूर्ण कार्यों में से 58 कार्य (60:) 10.00 (लाख) से कम थे।

अतः उक्त शासनादेश के विपरीत निम्नलिखित सूची के अनुसार ₹16,12,74,500.00 के अधिकांश कार्य 10.00 (लाख) से कम कराकर अनियमितता की गई है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार, अभियन्ता, जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह, निर्माण अनुभाग प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

उक्त निर्माण कार्यों के संबंध यह उल्लेखनीय है कि इनसे संबंधित निर्माण पत्रावली माँगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इन निर्माण कार्यों से संबंधित रायल्टी, एम0एम0-11, अन्य कार्यदायी संस्थओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट (पी०सी०आर०) निर्गत की स्थिति, सूचना पट लगवाने एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षरयुक्त फोटोग्राफ संलग्न होने की स्थिति अज्ञात रही।

विकास खण्ड/क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य का **माप**	लागत (लाख **मे)**	व्यय	अभ्युक्ति
खैराबाद/**127**	जिला पंचायत डाक बंगला सीतापुर में अभियन्ता आवास में	मरम्मत आदि कार्य	01 जाब	10.00	9.986	पूर्ण
महमूदाबाद 128	डाक बंगला महमूदाबाद	मरम्मत आदि कार्य	01 जाब	10.00	9.942	पूर्ण
रामपुर मथुरा 129	टिकठा में सरदार झाला खड़ंजा से मध्यपुर तक	खड़न्जा	0.500	10.00	9.942	पूर्ण
रेउसा 130	जगदीशपुर हजरिया के जगदीशपुर खड़न्जे से डामर रोड तक	खड़न्जा		8.20	8.151	पूर्ण

पहला **162**	नसीम के खत से नादिर के खेत तक	खड़न्जा	0.610	12.20	8.940	पूर्ण
लहरपुर 182	आजादपुर में अमर सिंह के मकान से आजादपुर प्राथमिक विद्यालय तक	सी०सी०	0.126	7.58	7.464	पूर्ण
विकास खण्ड/क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य का **माप**	लागत (लाख **मे)**	व्यय	अभ्युक्ति
मिश्रिख **50**	गेंगलापुर से प्रहलाद यादव के घर तक	खड़न्जा	0.51	10.00	9.910	पूर्ण
मिश्रिख **51**	भगवानपुर से इण्डलवल ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग	खड़न्जा	0.49	10.00	9.688	पूर्ण
मिश्रिख **52**	सरौंनी गाँव से मुटकुट्टा तालाब तक	खड़न्जा	0.50	10.00	9.935	पूर्ण
पिसावां 53	खमरिया खड़ंजा से कल्यानपुर गाँव तक	खड़न्जा	0.51	10.00	9.778	पूर्ण
पिसावां 54	कुतुब नगर पिसवा सम्पर्क मार्ग रमुवापुर गाँव तक	खड़न्जा	0.50	10.00	9.910	पूर्ण
पिसावां 55	अमरैया गाँव से डिल्ली के मकान तक	सेलिंग	0.50	10.00	9.920	पूर्ण
बिसवां 56	जसवन्तनगर से भिठमनी सम्पर्क तक	खड़न्जा	0.50	10.00	9.949	पूर्ण
महमूदाबाद	महमूदाबाद जिला पंचायत बारातघर व ग्रस्ट हाउस की बाउन्ड्रीवाल (थाने की तरफ)	बाउन्ड्रीवाल	01 जाब	7000	6.833	पूर्ण
परसेण्डी	गौरियाझाल में रामस्वारूप के खेत से निपहनिया तालाब तक	खड़न्जा व पुलिया	0.50	10.00	9.933	पूर्ण

<u>पूर्ण कार्यों का विवरण</u>

<u>15वाँ (टाईड) वित्तत आयोग वर्ष 2021-22 योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण</u>

विकास खण्ड/क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य का **माप**	लागत (लाख **मे)**	व्यय	अभ्युक्ति
महमूदाबाद 1	ग्राम सभा गोड़ैचा में चौराहे पर मंदिर से कामता गुप्ता की दुकान तरफ	नला मय ढक्कन	0.070	4.60	4.574	पूर्ण

रेउसा 2	ग्राम सभा थानगाँव में रामानुज शुक्ल के घर से राममिलन के घर तक एक तरफ	नाली	0.083	5.00	4.986	पूर्ण
बिसवां 3	गावँ से तालाब तक	नाली	0.083	5.00	4.899	पूर्ण
महमूदाबाद 4	पैंतेपुर प्राथमिक पाठशाला से डामर रोड तक	नला मय ढक्कन	0.06	7.50	7.455	पूर्ण
बिसवां	टावर से गाँव तक	नाली	0.111	7.77	7.724	पूर्ण
खैराबाद	परसेहरा कलां में गाँव के बाहर सुरेश के घर से तालाब तक	नाली	0.23	10.00	10.00	पूर्ण
रामपुर मथुरा	जोगिया तालाब से उदयराज के घर तक	नाली	0.16	10.00	9.946	पूर्ण
ऐलिया	यशोदानगर में मुरली के घर से पुलिया तक	नाली	0.138	10.00	9.883	पूर्ण
कसमण्डा 15	जुड़ौरा में भगौती प्रसाद का दुकान से उत्तम मिष्ठान्न भण्डार होते हुए जानकीपुर मोड़ तक	नाला मरम्मत	0.069	5.00	4.980	पूर्ण
लहरपुर 16	ईरापुर अल्हनापुर डामर रोड से गूरेपारा गाँव तक	नाला	0.13	7.50	7.493	पूर्ण
महमूदाबाद 19	भिठौरा में गाँव से तालाब तक	नाला	0.100	7.160	7.112	पूर्ण
पिसावां 20	ग्रा० पं० गौरासी कलॉ में अवधेश के घर से पेंदरहिया तालाब तक	नाला	0.125	9.00	8.989	पूर्ण
मछरेहटा 26	ब्लाक के सामने बने नाले से आगे नाले तक	नाला	0.110	7.860	7.720	पूर्ण
पहला	ग्राम सभा भुड़कुड़ा में पानी की टंकी	पानी की टंकी	01 जाब	7.460	7.440	पूर्ण
पहला	ग्राम सभा खम्हरिया में पानी की टंकी	पानी की टंकी	01 जाब	7.460	7.418	पूर्ण
पहला	ग्राम सभा शमसाबाद में पानी की टंकी	पानी की टंकी	01 जाब	7.460	7.416	पूर्ण

प्रस्तर सं. 16 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निक्षेप प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष (1981-82) से वर्ष (2021-22) तक विभिन्न निमार्ण कार्यों से संबंधित ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी जमानत की दिनांक 31.03.2022 को अवशेष कुल धनराशि ₹ 1,18,03,869.10 है जो अद्यतन ठेकेदारों को देय है। वर्ष (2021-22) में ठेकेदारों के बिलों से कुल जमानत की कटौती निक्षेप रजिस्टर के अनुसार ₹ 61,16,870.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष (2021-22) में कुल जमानत की कटौती ₹64,28,130.00 की गई है, जिसका निक्षेप रजिस्टर में सुधार अपेक्षित है। निम्न सूची में अत्यन्त पुराने वर्ष (1981-82)

से (1995-96) तक दर्शित जमानत की धनराशि ₹ 43,856.10 में उक्त पुराने वर्षों से संबंधित अनेक ठेकेदारों से जमानत की अल्प धनराशियाँ यथा ₹100.00 ₹60.00, ₹55.00 आदि सम्मिलित हैं। निम्नलिखित वर्षा में ठेकेदारों के बिलों से की गयी कटौतियों की दिनांक 31.03.2022 को अवशेष देय जमानत की कुल धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

सूची (क)

क्रं० सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक 31.03.2022 को जमानत की कटौती की अवशेष धनराशि	क्रं० सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक 31.03.2022 को जमानत की कटौती की अवशेष धनराशि
1.	(1981-82) से (1995-96) तक	43856.10	12	(2010-11) में	189400.00
2.	(1996-97) में	7000.00	13	(2011-12) में	628400.00
3.	(1997-98) में	8987.00	14	(2012-13) में	94000.00
4.	(1998-99) में	2475.00	15	(2014-15) में	318700.00
5.	(2001-02) में	3000.00	16	(2015-16) में	15500.00
6.	(2002-03) में	7204.00	17	(2016-17) में	2305880.00
7.	(2003-04) में	47159.00	18	(2017-18) में	773250.00
8.	(2004-05) में	1786.00	19	(2019-20) में	150000.00
9.	(2005-06) में	4816.00	20.	(2020-21) में	150000.00
10.	(2006-07) में	31016.00	21	(2021-22) में	846550.00
11.	(2009-10) में	58000.00	22.	(2022-23) में	6116890.00
				कुल योग-	**1,18,03,869.10**

उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल ₹ 1,18,03,869.10 की ठेकेदारों के बिलों से काटी वित्तीय गयी जमानत की दिनांक 31.03.2022 को अवशेष देय धनराशि है, जिसे अद्यतन वापस नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार उक्त जमानत की धनराशि ₹1,21,15,109.10 होनी चाहिये। अन्तर की धनराशि ₹ 3,11,240.00 की अधिभार आपत्ति, अग्रेतर आपत्ति सं0 5 में किया गया है। वर्ष (2021-22) में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी जमानत धनराशि ₹ 61,16,890.00 का विवरण निक्षेप पंजिका के अनुसार निम्नवत् है।

वर्ष (2021-22) में ठेकेदारो के बिलों से काटी गयी जमानत धनराशि का विवरण निक्षेप पंजिका के अनुसार निम्नवत् है- सूची (ख)

क्र०सं०	जमानत कटौती का दिनांक	ठेकेदार का नाम	**कटौती की धनराशि**
1.	03.08.2021	मे० अभिनव कान्स्ट्रक्शन	338260.00
2.	03.08.2021	मे० अभिनव कान्स्ट्रक्शन	268640.00
3.	03.08.2021	मे० अभिनव कान्स्ट्रक्शन	390520.00
4.	03.08.2021	मे० अभिनव कान्स्ट्रक्शन	302600.00
5.	08.12.2021	शिखर कान्स्ट्रक्शन	162700.00

6.	08.02.2021	मे० जैन ब्रदर्स	60000.00
7.	07.03.2022	मे० भारत का० धर्मेन्द्र	24000.00
8.	07.03.2022	मे0 अब्दुल सन्तार खाँ	25000.00
9.	07.03.2022	मे० भारत का० मुसीर	15000.00
10.	07.03.2022	मे० रेवा कान्स्ट्रक्शन	50000.00
11.	07.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	80000.00
12.	07.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	102550.00
13.	07.03.2022	मे0 अब्दुल सन्तार खाँ	77100.00
14.	07.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	50000.00
15.	07.03.2022	मे० बी०एस० कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	4600.00
16.	07.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
17.	07.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
18.	07.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	45100.00
19.	07.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन धमेन्द्र	275000.00
20.	07.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	262500.00
21.	10.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	71600.00
22.	10.03.2022	मे० बी०एस० कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	86500.00
23.	10.03.2022	मे० शिखर कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	45000.00
24.	10.03.2022	मे० शिखर का०	96350.00
25.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	18500.00
26.	10.03.2025	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	69000.00
27.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	80000.00
28.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	40900.00
29.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	32500.00
30.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	43000.00
31.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	69250.00
32.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
33.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	84250.00
34.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	54700.00
35.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	90000.00
36.	10.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	57500.00
37.	10.03.2022	मे० ताज अहमद खाँ	59900.00
38.	10.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन कम्पनी धर्मेन्द्र	33280.00
39.	10.03.2022	मे० अविनाश कुमार सिंह	42000.00
40.	10.03.2022	मे0 अब्दुल सन्तार खाँ	32150.00

41.	14.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	131000.00
42.	14.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
43	14.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	75500.00
44	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	25000.00
45	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	61000.00
46	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	22000.00
47	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	20000.00
48	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
49	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	26200.00
50	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	140000.00
51	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	54000.00
52	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन कम्पनी धर्मेन्द्र	50000.00
53	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	30000.00
54	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	37000.00
55	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	40000.00
56	21.03.2022	मे॰ संजय सिंह	100000.00
57	21.03.2022	मे0 जैन ब्रदर्स	85000.00
58	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन कम्पनी धर्मेन्द्र	50000.00
59	21.03.2022	मे॰ ताज अहमद	53000.00
60	21.03.2022	मे॰ शिखर कान्स्ट्रक्शन	32500.00
61	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	30000.00
62	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	44500.00
63	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	45000.00
64	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	50000.00
65	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	33760.00
66	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	67500.00
67	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	196000.00
68	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	50000.00
69	21.03.2022	मे॰ दिनेश प्रकाश त्रिपाठी	109980.00
70	21.03.2022	मे॰ दिनेश प्रकाश त्रिपाठी	65000.00
71	21.03.2022	मे॰ भारत कान्स्ट्रक्शन मुसीर	257400.00
72	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	22200.00
73	21.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	132550.00

74	21.03.2022	मे० भारत कान्स्ट्रक्शन कम्पनी धर्मेन्द्र	91800.00
75	21.03.2022	न्यू गुप्ता ब्रदर्स	37100.00
76	21.03.2022	न्यू गुप्ता ब्रदर्स	37300.00
77	21.03.2022	न्यू गुप्ता ब्रदर्स	37100.00
78	21.03.2022	न्यू गुप्ता ब्रदर्स	37100.00
79	24.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	35000.00
80	24.03.2022	मे० हरिशचन्द्र मिश्रा	25000.00
		कुल योग-	6116890.00

उल्लेखनीय है, कि अत्यन्त पुराने वर्षों के जमानत की धनराशियाँ अद्यतन संबंधित ठेकेदारों को वापस नहीं की गई है जिसका कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, जबकि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली, 1984 के नियम संख्या 23 (2) के प्राविधानानुसार ठेकेदारों को कार्य समाप्ति के 6 माह अथवा एक वर्षा ऋितु समाप्ति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में उनकी जमानत की धनराशि को वापस कर दिया जाना चाहिये। ऐसा न कर निर्माण कार्य में ₹ 1,18,03,869.10 की अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन पश्चात्वर्ती तथा वर्तमान पटल प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, अभियन्ता, जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः अपतियो में अंकित सूची(क) (वर्ष 2021-22 जमानत रजिस्टर के अनुसार) में दर्शित दिनांक 31.03.2022 को विभिन्न वर्षों में काटी गयी जमानत की धनराशियों के अवशेष जमानत की कुल धनराशि ₹ 1,18,03,869.10 को कार्य सन्तोषजनक होने की लेखा परीक्षा में पुष्टि कराने के उपरान्त समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण कर वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 17. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के चेक इश्यू रजिस्टर, टी०डी०एस० कटौती रजिस्टर, जिला निधि बैंक स्टेटमेन्ट तथा कैश बुक की जाँच में यह प्रकाश में आया कि निम्नलिखित ठेकेदारों के बिलों से टी०डी०एस० की कटौती निम्न विवरणानुसार की गई जिसे इण्डियन बैंक, सिविल लाइन, सीतापुर खाता सं0 21082963797 मे जमा नहीं किया गया है।

क्रं० सं०	दिनांक	नाम ठेकेदार	ठेकेदार को कुल देय	ठेकेदार को शुद्ध देय भुगतान	आई0 टैक्स	जी0एस0टी0 टैक्स	लेबर सेस	लेट फीस	जमानत	कुल कटौती
1.	28.10.2021	भारत कांन्सट्रक्शन	674000	534410	12036	12036	6018	2000	107500	139590
2.	29.10.2021	मिथिलेश कुमार सिंह	933000	684609	16661	16661	8330	3000	203740	248392
							योग-		**311240**	

उपरोक्त विवरण के अनुसार ठेकेदार के उक्त बिलों से की गई कटौतियों में से आई0 टैक्स जी0एस0टी0, लेबर सेस, लेट फीस की कटौतियों की उक्त तिथि में जमा की पुष्टि की गई, परन्तु भारत कांन्सट्रक्शन तथा मिथिलेश कुमार सिंह से क्रमशः ₹1,07,500.00 तथा ₹2,03,740.00 जमानत की कटौती की धनराशि

को दि० 28.10.2021 तथा दि० 29.10.2021 को जमा न कर अगले वित्तीय वर्ष में दिनांक 05.05.2022 को जिला निधि के खाते में जमा किया गया, जिसकी पुष्टि जिला निधि के खाते के स्टेटमेन्ट से की गई। उक्त ठेकेदारों के बिलों से जमानत की कुल कटौती ₹ 3,11,240.00 को 6 माह विलम्ब से जिला निधि खाते में जमा किया गया जिससे जिला पंचायत को ब्याज की क्षति हुई है एवं धन का दुरूपयोग किया गया है।

अतः उक्त जमानत की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर 2: मासिक दण्डनीय ब्याज 1/4 पैनल ब्याज ₹ 37,349.00 की वसूली उत्तरदायी लेखाकार श्री बृजेश कुमार से की जानी वांछित है।

प्रस्तर सं 18 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निक्षेप पंजिका (प्रपत्र-46) नियम सं0 168 के अनुसार वित्तीय वर्ष (2021-22) में कुल/भ 3,47,250.00 की पूर्व में ठेकेदारों के बिलो से की गयी जमानत की कटौती को अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर इण्डियन बैंक, सिविल लाइन, सीतापुर खाता सं0 21082963797 से वापस किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

कं० सं०	नाम ठेकेदार **वर्ष - (2017-18)**	प्राप्त जमानत	कैश बुक बाउचर	जमानत प्राप्ति दि०	अध्यक्ष स्वीकृति दि०	जमानत वापसी धनराशि	चेक नं०	जमानत वापसी तिथि. कैश बुक के **अनुसार**	जमानत वापसी तिथि. बैक स्टेमेंट के **अनुसार**
1.	श्री हरीश चन्द्र मिश्रा	25000	51	08.06.2027	27.09.2021	25000	403360	01.11.2021	16.11.2022
2.	श्री हरीश चन्द्र मिश्रा	35000	53	08.06.2017	27.09.2021	35000	403360	01.11.2021	16.11.2022
	वित्तीय वर्ष **(2018-19)**								
3.	मे0 चन्द्रावती का०	50000	40	05.02.2019	28.07.2020	50000	403509	22.03.2022	02.04.2021
4.	मे0 चन्द्रावती का०	50000	48	26.02.2019	28.07.2020	50000	403209	22.03.2022	02.04.2021
5.	मे0 चन्द्रावती का०	10000	56	15.03.2019	28.07.2020	10000	403209	22.03.2022	02.04.2021
6.	मे0 चन्द्रावती का०	50000	57	15.03.2019	28.07.2020	50000	403209	22.03.2022	02.04.2021
7.	मे0 चन्द्रावती का०	50000	58	15.03.2019	28.07.2020	50000	403209	22.03.2022	02.04.2021
8.	श्री बाबू पुत्र सगीर	12000 12000	024546 024547	09.03.2021 09.03.2021	23.03.2021 23.03.2021	12000 12000	403294	02.07.2021	17.09.2021

9.	इन्तजार पुत्र **अकबर**	11500	024551	09.03.2021	23.03.2021	11500	403298	02.07.2021	24.09.2021
10	श्री असलम पुत्र खलील	56000 6000	024553 024554	09.03.2021 09.03.2021	21.03.2021 23.03.2021	5600 6000	403293	02.07.2021	30.07.2021
11.	श्री राम खेलावन	11500	024565	12.03.2021	23.03.2021	11500	403297	02.07.2021	**कालातीत** 30.10.2021
12.	श्री मो० नईम पुत्र फकीर	800	024568	12.03.2021	23.03.2021	800	403299	02.07.2021	24.09.2021
13.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री दुलारे राम	6000	024572	15.03.2021	23.03.2021	6000	403296	02.07.2021	15.07.2021
14.	श्री राजकुमार पुत्र श्री महावीर	6000	024573	15.03.2021	23.03.2021	6000	403295	02.07.2021	02.08.2021
15.	श्री मकसूद पुत्र मो० अली	2850 3000	024577	15.03.2021 05.03.2021	23.03.2021 24.03.2021	2850 3000	403300	02.07.2021	02.08.2021
	योग-	347250			**योग-**	347250			

1. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व में ठेकेदारों के बिलों से की गयी जमानत की कटौतियों को अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के उपरान्त अत्यन्त विलम्ब से ठेकेदारों को वापस की गयी है जिसका कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

2. ठेकेदारों को उनके पूर्व के बिलों से काटी गयी जमानत की धनराशि 3,47,250.00 से सम्बन्धित निर्माण पत्रावलियाँ तथा ठेकेदारों के मांगपत्र, अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति तथा जमानत वापसी से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहंीं की गयी है।

3. उपरोक्तानुसार क्रम सं0 9 से क्रम सं0 15 तक दर्शित ठेकेदारों की जमानत की धनराशि को 6 माह के पूर्व किन कारणों से वापस की गई है, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

अतः जमानत वापसी 3,47,250.00 की धनराशि की पुष्टि उक्त अभिलेखों एवं पत्रावलियों के अभाव में न की जा सकी, जो अनियमित है। इस अनियमितता के लिये निर्माण अनुभाग पटल प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 19. जिला पंचायत सीतापुर की वर्ष (2021-22) से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में प्रकाश में आया कि ठेकेदार द्वारा किये गये अनुबन्ध-पत्र के बिन्दु संख्या (21) में वर्णित निर्देशानुसार सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में अनुबन्धित कार्य (वर्क आर्डर बाण्ड) का पंजीकरण तथा कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण कार्य का अनुबन्ध हो जाने एवं कार्यादेश प्राप्त होने के उपरान्त करा लेने के पश्चात ही प्रथम बिल भुगतान पाने का हकदार होने के इकरारनामा किया गया था किन्तु ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबन्ध शर्ते पूरी करने की पुष्टि किसी भी निर्माण पत्रावलियों से नहीं होती है अर्थात् ठेकेदार द्वारा उक्त

अनुबन्ध शर्त सं0-21 को पूरा नहीं किया गया। इसी प्रकार अनुबन्ध पत्र के बिन्दु संख्या 9 में ठेकेदार द्वारा यह इकरार किया गया कि कार्य में प्रयोग किये जाने वाली विभिन्न सामग्री जैसे इण्टरलाकिंग, टाइल्स, ईंट व सी०सी० क्यूब तथा लेपन कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री आदि के विभिन्न परिणाम अभियन्ता जिला पंचायत सीतापुर के निर्देशानुसार "मेरे अपने खर्चे पर अधिकृत प्रयोगशाला में कराये जायेगे व इसकी परीक्षण रिपोर्ट निर्माण कार्यालय में समय-समय पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।" किन्तु संबंधित निर्माण कार्यों में ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध पत्र में वर्णित व्यवस्था का उल्लंघन कर प्रयुक्त सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कराया गया एवं परीक्षण रिपोर्ट जिला पंचायत सीतापुर निर्माण कार्यालय में जमा नहीं की गई। इस प्रकार कराये गये निर्माण कार्यों (मूल्य ₹ 2,23,15,200.00) में अनियमितता बरती गयी। इस अनियमितता के लिये निर्माण अनुभाग पटल प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं अभियन्ता जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति समुचित कार्यवाही की जानी वांछित है निर्माण कार्य पत्रावलियों की विवरण सूची (कार्यमूल्य- 12, 23,15,200.00) निम्नवत् है

कं० सं०	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण योजना	फाइल सं०/ पैंज नं०	**अनुमानित लागत**	**वास्तविक लागत**
1.	उल्कापुर खड़जे से कन्धेलिया खड़ंजे तक खड़जा कार्य मे० हरिश्चन्द्र मिश्रा |	15वाँ वित्त अनटाइड	**175/20 आई०डी० 56501228**	5 लाख	**491500.00**
2.	गंज में प्राथमिक विद्यालय डामर रोड से गंजगाँव तक खड़ंजा कार्य । मे0 हरिश्चन्द्र मिश्रा	15वाँ वित्त अनटाइड आई०डी० **55518635**	228/19	10 लाख	**990000.00**
3.	सोहरिया मार्ग से बस्तीपुरवा मार्ग पर खड़ंजा कार्य । मे0 हरिश्चन्द्र मिश्रा	15वाँ वित्त मनटाइड	**169/31 आई०डी० 55499953**	**4.10 लाख**	406800.00
4	जरिया गाँव चौराहा से दिखवा गाँव चौराहा तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो हरिशरण मिश्र	15वीं वित्त अन्तर्गत	224ध्21 आ०सं० 55518231	10 लाख	990000य00
5	दशहरी नगर स्कूल से पूर्वी खड़ंजा तक नेवादा मार्ग पर सीसी एवं खड़ंजा कार्य। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	पंचम राज्य वित्त	67ध्65 आ०सं० 55492879	15य25 लाख	1516300य00
6	नागलर गांव से रामदासपुर तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	पंचम राज्य वित्त	63ध्64 आ०सं० 55492879	15य25 लाख	47200य00
7	चुप्पी घाट से नई बस्ती तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	पंचम राज्य वित्त	64ध्58 आ०सं० 55415767	6य5 लाख	647200य00

8	ग्राम भवलपुर से खड़ंजा से अमरनाथ तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	पंचम राज्य वित्त	38ई55 आ०सं० 55379181	5 लाख	497100ण00
9	सरकारी इंटर कालेज से रहने वाले स्कूल तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो हरिशरण मिश्र	पंचम राज्य वित्त	30ई30 आ०सं० 55473402	17ण90 लाख	1778800ण00
10	ग्राम गोंड के प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो हरिशरण मिश्र	पंचम राज्य वित्त	43ई31 आ०सं० 379670	5ण12 लाख	510700ण00
11	शिव मन्दिर के लिए रोड तक खड़ंजा कार्य। मेट्रो हरिशरण मिश्र	पंचम राज्य वित्त	144ई32 आ०सं० 55454963	10 लाख	992200ण00
12	सिखरी में मैकिम छठिया घाट सम्पर्क मार्ग से ग्राम बैसली तक खड़ंजा कार्य 500 मी०। मेट्रो जैन कंस्ट्रक्शन	पंचम राज्य वित्त	132ई71 आ०सं० 55447425	9ण80 लाख	972900ण00
13	कल्याणपुर पोस्ट सैदपुर चन्दौली नगर से घर तक खड़ंजा कार्य 388 मी०। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	15वीं वित्त अन्तर्गत	193ई24 आ०सं० 55510502	7ण76 लाख	764200ण00
14	भगवानपुर से शुक्लपुर तक सम्पर्क मार्ग खड़ंजा कार्य 485 मी०। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	15वीं वित्त अन्तर्गत	232ई41 आ०सं० 55519180	10 लाख	968800ण00
15	नगवा गाँव से प्रदीप यादव के घर तक खड़ंजा कार्य 510 मी०। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	15वीं वित्त अन्तर्गत	231ई34 आ०सं० 55518905	10 लाख	991000ण00
16	रसूलपुर गाँव से मुन्टूफटर तालाब तक खड़ंजा कार्य 500 मी०। मेट्रो भारत कंस्ट्रक्शन	15वीं वित्त अन्तर्गत	233ई35 आ०सं० 55519243	10 लाख	993500ण00

प्रस्तर सं0. 20 जिला पंचायत सीतापुर की वर्ष (2021-22) की निर्माण पत्रावली फाइल सं0-224, 15वाँ वित्त (अनटाइड) आयोग से निर्माण/कार्य- झरिया गाँव खड़ंजे से डिघवा गाँव खड़ंजे तक खड़ंजा कार्य । अनुमानित लागत 10 लाख वास्तविक लागत- ₹9,90,000.00 कार्य की लम्बाई- 510 मी०। उक्त निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि ठेकेदार श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा द्वारा जमानत धनराशि रू0 1,00,000.00 को एफ०डी०आर० नं० -949093/26-10-21 द्वारा रू0 20,000.00 एवं एफ०डी०आर० नं0-949385/2-12-2021 द्वारा रू0 30,000.00 तथा प्रथम चालू बिल से कटौती द्वारा रू0 50,000.00 कुल रू0 1,00,000.00 जमानत धनराशि जमा की गयी। तत्पश्चात में प्रथम चालू बिल से जमानत कटौती धनराशि रू0 50,000.00 को वा० सं0-38

दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से ठेकेदार को लौटा दी गयी एवं उसके स्थान पर एफ०डी०आर० सं० 949884/ 22-7-2022 रू0 50,000.00 को जमानत के रूप में जमा कर लिया गया। ऐसा करना जिला पंचायत सीतापुर द्वारा औचित्य पूर्ण नहीं है। बिलों से कटौती की गयी जमानत धनराशि को निर्धारित समय सीमा तक रोक कर रखा जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त इंगित एफ०डी०आर० सं० -949884/22-7-2022 रू0 50,000.00 की छाया प्रति भी निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। एफ०डी०आर० नं०- 949385/2-12-2021 रू0 30,000.00 की भी छाया प्रति निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। उक्त दोनों एफ०डी०आर० जिला पंचायत स्तर पर जमा होने की पुष्टि नहीं होती है। ठेकेदार द्वारा जमानत के रूप में जमा एफ०डी०आर० जिला पंचायत सीतपुर के पक्ष में बंधक भी नहीं है। अतः उक्त आपित्तयों के आलोक में उक्त निर्माण कार्य में जमा जमानत धनराशि ₹1,00,000.00 के सम्बन्ध में अनियमितता की गयी है। इस अनियमितता के लिए सम्बन्धित निर्माण अनुभाग पटल प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, अभियन्ता, जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं

प्रस्तर सं 21 जिला पंचायत सीतापुर के वर्ष (2021-22) के निर्माण पत्रावली सं0 233, एम0बी0 पेज नं0 35, आई0डी0 55519243, अनुमानित लागत रू0 10.00 (लाख), वास्तविक लागत ₹9,93,500.00, 15वाँ वित्त (अनटाईड), निर्माण कार्य "सरौनी गाँव से मुटकुट्टा तालाब तक खइंजा कार्य माप 500 मी0 " की जाँच में प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के प्राक्लन में आइटम न0-1 कन्स्ट्रक्सन ऑफ इमबैन्कमिंथ प्रूव्ड मटैरियल आवटेन्ड फर्म बोरो पिट्स लिफ्ट अपटू 1.5 मीटर 1,143.18 एम3 अंकित है, जबकि फाइनल बिल में उक्त मद में क्वांटिटी 930-50 एम3 लिया गया हैं। इस प्रकार एस्टीमेट की अपेक्षा अन्तिम बिल में क्वांटिटी 212.68 एम3 से अन्तर कर 18.60: का विचलन किया गया है, जबकि नियमानुसार रू 10 से अधिक के विचलन की स्थिति में पुनरीक्षित प्राक्लन तैयार कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी चाहिये थी, जो नहीं ली गयी। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य के आइटम नम्बर 1 में 212.68 एम3 × रू0 87.20 = रू0 18,546.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिये संबंधित अवर अभियन्ता श्री एस० के० वर्मा एवं अभियन्ता, जिला पंचायत श्री सहीम अहमद खान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 22 लेखा परीक्षा में वित्तीय लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) के दुकान किराया रजिस्टर (प्रपत्र-27, नियम सं0-108) की जाँच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित 17 स्थानों में स्थित 376 दुकानों का बकाया रू0 67,79,128.00 था, चालू माँग रू0 28,83,096.00 था। इस प्रकार कुल माँग रू0 96,62,224.00 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष (2021-22) में मात्र रू0 13,29,029.00 ही वसूल किया गया है, जिसके उपरान्त अद्यतन रू0 79,38,585.00 बकाया है। उक्त बकाये की धनराशि में चाँदूपुर की 21, एवं बोर्डिंग हाउस की दुकान 4, 5, 6, एवं 7 की बकाये की धनराशि 3,94,600.00 (इस बकाये के सापेक्ष लेखा परीक्षा के अनुसार वास्तविक कुल बकाया रू0 13,16,464.00 का उल्लेख आपत्ति सं0 15 से 39 तक में किया गया है) है, जो कुल बकाये की धनराशि रू0 83,33,185.00 में सम्मिलित है। इस प्रकार अवशेष दुकानों के कुल बकाये की धनराशि रू0 83,33,185.00 - रू0 3,94,600.00 रू0 79,38,585.00 की वसूली न कर अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन, पश्चातवर्ती तथा वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका, अभिन्यता जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं पटल सहायक श्री जगदीश प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी है।

क्रम	बाजार का नाम	चालू मांग	बकाया	योग	वसूली	अवशेष
1	महेंद्र बाजार	3ए32ए760ण00	2ए28ए914ण00	5ए61ए674ण00	95887ण00	465787ण00

2	महेंद्र बाजार प्रथम तल	68ए160म00	70ए870म00	1ए39ए030म00	54520म00	84510म00
3	जैन रोड	2ए97ए444म00	6ए12ए599म00	9ए10ए043म00	80252म00	829791म00
4	छाता बाजार रानीपुर	58ए068म00	1ए67ए201म00	2ए25ए269म00	37956म00	187313म00
5	निरीक्षण गृह महमूदाबाद	4ए18ए092म00	11ए14ए269म00	15ए32ए361म00	2ए81ए550म00	12ए50ए811म00
6	बोडिंग हाउस हर्रैया	4ए55ए000म00	3ए17ए130म00	7ए72ए130म00	99ए056म00	6ए73ए074म00
7	बोडिंग हाउस मिर्जापुर	12ए936म00	84ए240म00	97ए176म00	3ए456म00	93ए720म00
8	प्यौठ ताल्तगांव	1ए800म00	3ए600म00	5ए400म00	0म00	5ए400म00
9	कर्रा बाजार महमूदाबाद	4ए14ए516म00	10ए59ए564म00	14ए74ए080म00	1ए63ए460म00	13ए10ए620म00
10	पुश्तोखल स्कूल महमूदाबाद	4ए68ए972म00	16ए38ए381म00	21ए07ए353म00	2ए02ए790म00	19ए04ए563म00
11	पुश्तोखल स्कूल महमूदाबाद प्रथम तल	2ए48ए736म00	0म00	2ए48ए736म00	1ए00ए000म00	1ए48ए736म00
12	पालिटेक्निक रोड पुश्तोखल महमूदाबाद	22,848.00	1,06,960.00	1,29,808.00	0.00	1,29,808.00
13	निरीक्षण गृह महमूदाबाद	69,360.00	1,83,346.00	2,52,706.00	3,600.00	2,49,106.00
14	प्यौठ महमूदाबाद	19,200.00	1,39,800.00	1,59,000.00	7,200.00	1,51,800.00
15	पशु चिकित्स गृह सिसौली	1,26,372.00	3,40,443.00	4,66,815.00	37,037.00	4,29,778.00
16	निरीक्षण गृह सिसौली	1,35,948.00	1,05,895.00	2,41,843.00	1,62,275.00	79,568.00
17	चौधरी-फरेंजी महमूदाबाद	25,200.00	3,13,600.00	3,38,800.00	0.00	3,38,800.00
	योग -	2,88,33,096.00	67,79,128.00	96,62,224.00	13,29,039.00	83,33,185.00 (-) 3,94,600.00
					योग -	79,38,585.00

प्रस्तर सं-23 लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) में प्रस्तुत चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-3 एवं प्रस्तुत दुकान किराया रजिस्टर के अनुसार गत वर्ष का बकाया, वर्ष की माँग, वर्ष में वसूली तथा वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाये के अन्तर का विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	विवरण	चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 के अनुसार (लाख रू0)	दुकान किराया रजिस्टर के अनुसार (लाख रू0)	अन्तर (लाख रू0)
1.	गत वर्ष का बकाया	50.33	67.79	17.46
2.	वर्ष की माँग	21.33	28.83	7.5
3.	वर्ष में वसूल	15.66	13.29	2.37
4.	वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाया	56.00	83.33	27.33

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार वर्षान्त (31.03.2022) को दुकान किराया बकाये में अन्तर रू0 27,33,000.00 दर्शित कर अनियमितता की गई है, जिसके लिये पटल सहायक श्री जगदीश प्रसाद उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-24 लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) के चतुर्थ त्रैमासिक पुस्तिका के प्रपत्र- 3 के अनुसार लाईसेन्स शुल्क (उ०प्र० जि० प० तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 143) की कुल माँग रू0 63.75 (लाख) दर्शित है तथा उक्त वर्ष में कुल वसूली रू0 63.75 (लाख) दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा वर्ष (2021-22) के 19 विकास खण्डों के प्रस्तुत लाइसेन्स रजिस्टर (प्रपत्र- 26, नियम- 105) की जाँच में यह प्रकाश में आया कि समस्त विकास खण्डों के लाईसेन्स रजिस्टरों में न तो योग किया गया है और न ही लाईसेन्स रजिस्टर में निर्धारित कालम को ही पूर्ण रूप से भरा गया है। अधिकांश पृष्ठों पर वित्तीय वर्ष का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे जाँच किया जाना संम्भव न हो सका। लाईसेन्स पंजिका के किसी भी पृष्ठ पर पटल सहायक तथा कर प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। वित्तीय वर्ष (2021-22) के समस्त 19 विकास खण्डों के लाईसेन्स रजिस्टरों में वर्ष का कु ुल योग न होने पर भी प्रपत्र- 3 में कुल माँग रू0 63.75 (लाख) तथा कुल वसूली रू0 63.75 (लाख) की धनराशि को काल्पनिक तथा कूटरचित रूप से उल्लेख कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये समस्त विकास खण्डों के पटल प्रभारी तथा कर अनुभाग के प्रभारी श्री दिनेश कुमार विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। समस्त 19 विकास खण्डों के लाईसेन्स रजिस्टरों में समस्त वांछित प्रविष्ठियाँ कर लाईसेन्स शुल्क का कुल योग कर, प्रपत्र- 3 में दर्शित कुल लाईसेन्स शुल्क की माँग रू0 63.75 (लाख) तथा कुल वसूली रू0 63.75 (लाख) की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं.-25 वित्तीय वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में विभिन्न विकास खण्डों में स्थित पशु बाजार निबन्धन से संबंधित रजिस्टर तथा फाइलों की जाँच में यह प्रकाश में आया कि निम्नलिखित आवंटियों पर वर्ष (2019-20) का कुल रू0 17,61,585.00 तथा वर्ष (2021-22) का कुल रू0 8,00,000.00 निबन्धन शुल्क बकाया है।

(क)पशु बाजार बकाया धनराशि वर्ष (2019-20)

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	बकाया धनराशि
1.	श्री लुकमान पुत्र श्री अमीरूद्दीन खाँ	नि० चकजोशी लहरपुर - सीतापुर	335000.00

2.	श्री बी०डी०खाँ पुत्र अमीरूद्दीन खाँ	नि० चकजोशी लहरपुर - सीतापुर	45000.00
3.	श्री शहनशाह अली पुत्र श्री इकबाल अली	नि० चिक्की टोला लहरपुर सीतापुर	100.00
4.	श्री अनूप कुमार मिश्र पुत्र श्री भगौती प्रसाद	नि० सरायं पित्थू हरगाँव-सीतापुर	6985.00
5.	रिजवान अहमद पुत्र फराहीम	नि0 112, बटसगंज-सीतापुर	471000.00
6.	श्री अब्दुल मुईद पुत्र अब्दुल मुवीन	नि० इन्द्रा नगर, लहरपुर, सीतापुर	347000.00
7.	श्री कमल किशोर पुत्र श्री इन्द्र विक्रम सिंह	नि० हैमपुर, पो0 नेरीकलॉ, सीतापुर	278500.00
8.	रहमतुल्ला पुत्र श्री बुद्धी	नि० गोबरे पुरवा पो० खगेसिया मउ सीतापुर लहरपुर, सीतापुर	165000.00
9.	रहमतुल्ला पुत्र श्री बुद्धी	लहरपुर, सीतापुर	93000.00
10.	श्री राजू पुत्र मो० चाँद मिया	नि० लोखरिया खुर्द, नई आबादी लहरपुर, सीतापुर	20000.00
		योग-	1761585.00

(ख) पशु बाजार बकाया धनराशि वर्ष (2021-22)

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	बकाया धनराशि
1.	श्री मो० शकील पुत्र मो० सलीम	नि० पो० लहरपुर, सीतापुर नि० खैराबाद	150000.00
2.	श्री मो० शकील पुत्र मो० सलीम	नि0 खैराबाद सीतापुर	650000.00
		कुल योग	800000.00

कुल बकाया :- (क + ख)= रू0 17,61,585.00 + रू0 8,00,000.00= रू0 25,61,585.00

इस प्रकार अद्यतन कुल ₹25,61,585.00 का पशु बाजार का निबन्धन शुल्क बकाया है। पशु निबन्धन शुल्क की बकाया धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गई है, जिसके लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी हैं। बकाया धनराशि की वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 26 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 में तथा पशु बाजार निबन्धन शुल्क से संबंधित रजिस्टर के अनुसार गत वर्ष का बकाया, वर्ष की माँग, वर्ष में वसूल तथा वर्षान्त (31.03.2022) में बकाया में अन्तर निम्नवत् रहा।

क्र०सं०	विवरण	चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 के **अनुसार**	पशु बाजार संबंधित रजिस्टर	**अन्तर**
1.	गर्त वर्ष का बकाया	**2800000.00**	**17,61,585.00**	**+10,38,415.00**
2.	वर्ष की माँग	**9,88,000.00**	**28,00,000.00**	**18,12,000.00**
3.	कुल माँग	37,88,000.00	**45,61,585.00**	-17,73,585.00
4.	वर्ष का वसूल	**24,70,000.00**	**20,00,000.00**	**+ 4,70,000.00**
5.	वर्षान्त (दि0 31.03.2022) में कुल बकाया	**13,18,000.00**	**25,61,585.00**	+ 12,43,585.00

उक्त विवरण में वर्षान्त में बकाया निबन्धन शुल्क में रू0 12,43,585.00 का अन्तर रहा, जो अनियमित है। इस अनियमितता हेतु पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी उत्तरदायी है ।

प्रस्तर सं-27. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मृत पशु शव निस्तारण से संबंधित वित्तीय वर्ष (2021-22) के रजिस्टर की जाँच में यह प्रकाश में आया कि विगत अनेक वर्षो से ठेकेदारों तथा समितियों से टेंडर की धनराशि रू0 30,44,727.00 अप्राप्त है, जिसकी वसूली अद्यतन नहीं की गई है। वसूली न कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित ठेकेदारों/समितियों से टंडर की बकाये की धनराशि वसूलने हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है, जिससे जिला पंचायत को अग्रेतर अर्थिक क्षति न हो।

प्रस्तर सं-28 लेखा परीक्षा में वर्ष (2021-22) के प्रस्तुत चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 एवं प्रस्तुत मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर के अनुसार गत वर्ष का बकाया, वर्ष की माँग, वर्ष में वसूल तथा वर्षान्त (31.03.2022) के कुल बकाये में अन्तर का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	विवरण	चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 के अनुसार (लाख रू0)	मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर के अनुसार (लाख रू0)	अन्तर (लाख रू0)
1.	गत वर्ष का बकाया	**30.83**	**30.84**	0.01
2.	वर्ष की माँग	**4.08**	**4.08**	-
3.	वर्ष में वसूल	8.35	**4.47**	3.88
4.	वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाया	26.56	**30.45**	3.89

इस प्रकार उक्त विवणानुसार वर्षान्त (31.03.2022) को मृत पशु शव निस्तारण ठेके की कुल बकाया धनराशि में रू0 3,89,000.00 का अन्तर रहा, जो अनियमित है तथा जिसके लिये पटल सहायक श्री रामजी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 29. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के माह मार्च, 2022 के मासिक लेखा प्रपत्र ङ के आय पक्ष के पृष्ठ सं0 9 में अंकित भवन नक्शा से प्राप्त रू0 11,31,741.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में संबंधित पटल सहायक श्री बी० पी० तिवारी द्वारा माँगोपरान्त कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे उक्त आय की पुष्टि न की जा सकी। भवन नक्शा से संबंधित समस्त पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। भवन नक्शा से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं.-30 प्राथमिक पाठशाला चाँदूपुर (फरीदपुर) में जिला पंचायत के भूखण्ड पर निलामी में आवंटित दुकान सं0-1 से 21 तक का नियमानुसार/समयानुसार जिला पंचायत द्वारा स्वयं निर्माण न कराने से दुकान किराया के रूप में जिला पंचायत को निम्नलिखित 21 दुकानों से रू0 8,50,500.00 (40,500 x 21 = 8,50,500.00) तथा इकरारनामें को पंजीकृत न कराने से राजस्व की क्षति 41,580.00 (1,980 TT 21 41,580.00) हुई।

प्राथमिक पाठशाला चाँदूपुर (फरीदपुर) में स्थित जिला पंचायत की भूमि पर प्रस्तावित दुकान सं0 1 से 21 तक कुल 21 दुकानों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार निम्नलिखित 21 दुकानों

की निलामी कर निम्नलिखित सारणी में अंकित निम्नलिखित 21 आवंटियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रीमियम पर निलामी कर दुकान आवंटित की गयी। समस्त 21 दुकानों की पत्रावली में रक्षित इकरारनामा, आवंटन पत्र, तथा अन्य पत्राचार की समीक्षा में निम्न गम्भीर आपात्तियाँ प्रकाश में आई।

(1) उक्त समस्त दुकानों का आवंटन दिनांक 14.09.2004 को ₹100.00 के मासिक किराये पर किया गया था। जबकि शासनादेश सं0 6336/33-3-97-185/जी/97 दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 के बिन्दु सं0 7, सं0 8 तथा बिन्दु सं09 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला पंचायत प्रीमियम लेने के दिनांक से प्रीमियम की धनराशि से प्राथमिकता पर अधिकतम 3 माह के अन्दर ही प्रत्येक दशा में स्वयं दुकान का निर्माण करायेगी, जिससे जनमानस में जिला पंचायत की विशवसनीयता बनी रहे। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा दुकान का निर्माण अद्यतन न कराने पर भी काल्पनिक रूप से दुकान किराये की गणना कर आवंटी को नोटिस दिया गया है जो अनियमित है। इस प्रकार दुकान सं0 1 से 21 तक का निर्माण अद्यतन न होने का सम्पूर्ण दायित्व वर्ष 2004 से अद्यतन कार्यरत समस्त ए०एम०ए० (ाड।), वी०पी०डी०(वीपीडी), जिला अभियन्ता तथा संबंधित पटल सहायक (श्री जगदीश प्रसाद जो वर्ष 2004 से अद्यतन अधिकांश समय कार्यरत रहे है) का है।

(2) शासनादेश सं0 6336/33-3-97-185/जी/97 दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 के बिन्दु सं0 6 के अनुसार निर्धारित किराये में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रू 25 बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिये था। उक्त शासनादेश के विपरीत पत्रावली में मात्र एक ही वर्ष 2004 का इकरारनामा संलग्न पाया गया। वर्ष 2004 के उपरान्त प्रत्येक 3 वर्ष 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 तथा 2022 में भी किराया वृद्धि के साथ इकरारनामा किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। समयानुसार किराया वृद्धि करने पर वर्ष 2019 से मासिक दुकान किराया ₹305.00 होना चाहिए। जबकि प्रस्तुत दुकान किराया बकाया रजिस्टर में उक्त दुकानों का किराया ₹100.00 ही अंकित किया गया है। वर्ष 2004 से समयानुसार प्रत्येक 3 वर्ष में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने पर अद्यतन प्रत्येक दुकान किराये से 3×12×1000 3×12×12503 x 12×156 0 3×12×1950 3×12×2440 3× 12 x 305 = रू0 40,500.00 की आय हो चुकी होती जो नहीं हुई। इस प्रकार जिला पंचायत को दुकान सं० 1 से 21 तक स्वयं निर्माण न कराने के कारण कुल ₹ 8,50,500.00 की दुकान किराये के रूप में आर्थिक क्षति हुई।

(3) शासनादेश सं0 6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 के बिन्दु सं0 8 के अनुसार दुकान किराये से संबंधित इकरारनामा विधिसम्मत होना चाहिये। इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के भाग-3 (रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेजों के विषय में) के नियम सं0 17 के उपनियम 1(घ) के अनुसार वर्षानुर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिये, या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर सम्पा के पट्टे हेतु पट्टे को पंजिकृत करना अनिवार्य है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 96 के अनुसार इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में वर्णित ऐसे सभी लेख्य जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। उन समस्त लेख्य का जिला पंचायत द्वारा पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इकरारनामा पंजिकृत न होने से आवंटियों में दुकान किराया जमा करने के प्रति गम्भीरता नहीं रहती है। इसी कारण अधिकांश आवंटियों द्वारा समय से किराया जमा नहीं किया जा रहा है जिससे जिला पंचायत को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है। पत्रावली में संलग्न एक मात्र 2004 का इकरारनामा भी रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है यदि 2004 से प्रत्येक 3 वर्ष में इकरारनामा कर पंजिकृत किया जाता तो स्टाम्प एक्ट 2008 के शेडयूल 35 के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 99000 तथा रेजिट्रेशन अधिनियम 1908 के अध्याय ग्प्प्प् की धारा 78 के अनुसार रेजिटेशन शुल्क 2 प्रतिशत रू0 990% प्राप्त हुआ होता। इस प्रकार

दुकान सं0 1 से 21 तक कुल 21 दुकानों का रू01,980,00 x 21 = 41,580.00 की राजस्व की कुल क्षति हुई।

(4) जिला पंचायत द्वारा दुकान सं0 1 से 21 तक का निर्माण अद्यतन स्वयं नहीं कराया गया तथा काल्पनिक रूप से दुकान किराये की गणना कर आवंटी को बकाये की नोटिस दिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः वर्तमान ए०एम०ए० द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये वर्ष 2004 में आवंटी से सारणी में आवंटी के नाम के सम्मुख निलामी में प्राप्त प्रीमियम की धनराशि जो अद्यतन जिला निधि खाते में जमा है, से अविलम्ब दुकान सं० 1 से 21 तक का जिला पंचायत द्वारा निर्माण कराकर उक्त 21 आंवटियों को सौंपना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है, जिससे जिला पंचायत को दुकान किराया की अग्रेतर हानि न हो।

उक्तानुसार दुकान सं० 1 से 21 तक के आवंटियों की विवरण सूची निम्नवत् है-

क्र० सं०	आवंटी का नाम	दुकान सं०	दुकान की प्रीमियम धनराशि	दुकान किराया रजिस्टर के अनुसार बकाया दुकान किराया	लेखा परीक्षा के **अनुसार बकाया दुकान किराया**	मासिक **दुकान किराया**	**इकरारनामा अपंजीकृत होने से राजस्व की क्षति**
1.	श्री सत्यवान पुत्र रामसेवक	1	**9,000.00**	**16,300.00**	**40,500.00**	**100.00**	**1,980.00**
2.	अवधराम पुत्र रामसेवक	**2**	9,050.00	**16,300.00**	**40,500.00**	**100.00**	**1,980.00**
3.	मोहम्मद इस्माइल पुत्र मो० हामिद	**3**	9,000.00	16,800.00	**40,500.00**	**100.00**	1,980.00
4.	श्री हुकुम सिंह पुत्र कनौजी लाल	**4**	**9,010.00**	**16,800.00**	**40,500.00**	**100.00**	1,980.00
5.	रामसागर	**5**	9,010.00	**16,800.00**	**40,500.00**	**100.00**	1,980.00
6	श्री हुकुम सिंह पुत्र कानोजी लाल	6	9,015.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
7	श्री बृजेश कुमार पुत्र रूप चन्द्र	7	9,040.00	16,300.00	40,500.00	100.00	1,980.00
8	श्री नीरज कुमार पुत्र रूपचन्द्र	8	9,015.00	16,300.00	40,500.00	100.00	1,980.00
9	श्री विश्व लाल पुत्र रूपचन्द्र	9	9,000.00	16,300.00	40,500.00	100.00	1,980.00
10	श्री हरिनाम सिंह पुत्र रूपचन्द्र	10	9,040.00	16,300.00	40,500.00	100.00	1,980.00

11	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र अभिषेक प्रसाद	11	9,050.00	13,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
12	श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र रामपाल	12	9,100.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
13	श्री राम कुमार पुत्र मुकुन्द लाल	13	9,040.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
14	श्री अक्बरीश कुमार पुत्र मैकुलाल	14	9,050.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
15	श्री अर्जुन लाल पुत्र ठूलू लाल	15	9,025.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
16	श्री शिव कुमार पुत्र राम पाल	16	9,025.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
17	श्री रघुवंश कुमार पुत्र श्री राम	17	9,050.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
18	श्री अक्षेश पुत्र राम लोचन	18	9,010.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
19	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम सेवक	19	9,025.00	13,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
20	श्री राम सिंह पुत्र राम लखन	20	9,000.00	16,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
21	श्री अतीश कुमार पुत्र रामाधार	21	9,000.00	11,800.00	40,500.00	100.00	1,980.00
	कुल योग-				850500.00		41580.00

अतः जिला पंचायत को दुकान सं0- 1 से 21 तक का कुल किराया रू0 8,50,500.00 (40,500 x 21 = 8,50,500.00) तथा दुकान सं0- 1 से 21 तक का कुल राजस्व रू0 41,580.00 (1,980 x 21 = 41,580.00) की हानि/क्षति कर कुल ₹8,92,080.00 के दुरूपयोग के लिए तत्कालीन, पश्चातवर्ती तथा वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी ; डा0 श्रीमती वर्तिका, अभियन्ता जिला पंचायत श्री विनोद कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता वीपीडी श्री अशोक कुमार, तथा दुकान किराया से संबंधित पटल सहायक श्री जगदीश प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अधिभार संबंधी नियम संख्या 179(1) तथा 179 (2) (घ) के अधीन उक्त उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों से समान रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं0 31- बोर्डिंग हाउस मिश्रिख स्थित जिला पंचायत की भूमि पर स्थित दुकान सं0 4 से 7 तक की कुल 4 दुकानों की बकाया दुकान किराया में रू0 4,07,136.00 (1,01,784 x 4 = 4,07,136.00) अद्यतन वसूल न करने से जिला पंचायत को हानि हुई है तथा इकरारनामा को रजिस्ट्रीकृत न करने से रू0 17,248.00 (4,312 x 4 = 17,248.00) की राजस्व की क्षति हुई है।</u>

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बोर्डिंग हाउस मिश्रिख में जिला पंचायत की भूमि पर स्थित दुकान सं0 4 से 7 तक कुल 4 दुकानों की पत्रावली में रक्षित आवंटन पत्र, इकरारनामा आदि अभिलेखों के अनुसार उक्त दुकानों का मासिक किराया ₹100.00 निर्धारित किया गया तथा उच्चतम बोली के आधार पर रू0 6,000.00 प्रीमियम पर निम्न सूची में दर्शित आवंटियों को आवंटित की गई। जिसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ प्रकाश में आई।

(1) उक्त दुकान सं0 4 से 7 तक कुल 4 दुकानों की पत्रावली में दि० 19.03.94 को निष्पादित इकरारनामा ही रक्षित पाया गया उक्त इकरारनामा की धारा 10 के अनुसार इकरारनामा पाँच वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया गया है जबकि शासनादेश रू0 6336/33-3-97-185जी / 97 दिनॉक 27.12.1997 के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत किराया वृद्धि के साथ वर्ष 1994 के पश्चात वर्ष 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 तथा 2021 भी निष्पादित किया जाना चाहिये था। उक्त वर्षो में 25 प्रतिशत किराया वृद्धि करने पर वर्ष 2021 में दुकान किराया ₹ 745.00 प्रति माह होना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष 2022 में दुकान बकाया किराया सूची / रजिस्टर में दुकान किराया में अद्यतन रू0 100.00 यथावत दर्शित है। नियमानुसार उक्त शासनादेश के अनुरूप किराया वृद्धि किया गया होता तो जिला पंचायत को प्रति दुकान 3 x 12 x 100 **+ 3 x 12 x 125+ 3 x 12 x 156 + 3 x 12+ 1985+ 3 x 12 x 244 + 3 x 12 x 305 + 3 x 12 x 381 + 3 x 12 x** 476 + 3 × 12 × 596 + 12 × 745 = रू0 1,01,784.00 की आय हुई होती जो नहीं हुई। वर्ष 1994 से 2022 तक रू0 100.00 मासिक किराये की दर से प्रस्तुत फाईल / रजिस्टर के अनुसार कुल रू0 33,600.00 दुकान किराया वसूल किया जाना था। इस प्रकार लेखा परीक्षा के अनुसार अद्यतन रू0 4,07,136. 00(1,01,784 × 4 = 4,07,136.00) वसूल नहीं किया गया है, जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(2) शासनादेश सं0 6330/33-3-97-185जी/97, दिनांक 07.0.1997 के बिन्दु सं0 8 के अनुसार इकरारनामा विधिसम्मत होना चाहिये। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के भाग 3 (रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेजों के विषय में 2 के नियम सं0 17 के उपनियम 1(घ) के अनुसार वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिये, या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर सम्पत्ति के पट्टे को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अतः इकरारनामा को विधिसम्मत होने के लिए इकरारनामा को पंजीकृत करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया। अतः मूल आवंटन वर्ष 1994 से वर्ष 2021 तक प्रत्येक 3 वर्ष में निष्पादित कुल 10 रजिस्ट्रीकृत इकरारनामा संलग्न होना चाहिये था जो संलग्न नहीं पाया गया। स्टाम्प एक्ट 2008 के शेडयूल 35 (1) के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 2,156.00 तथा रेजिट्रेशन अधिनियम 1908 के अध्याय XIII की धारा 78 के अनुसार रेजिट्रेशन शुल्क 2 प्रतिशत ₹ 2,156.00 प्राप्त हुआ होता। इस प्रकार दुकान सं0 4 से 7 तक कुल रू0 17,248.00 (4,312 x 4 = 17,248.00) की राजस्व की क्षति हुई।

(3) दुकान सं0 4 से 7 तक की पत्रावली में दि0 09.12.2000 के उपरान्त कोई भी पत्राचार पत्रावली में रक्षित नहीं पाया गया। जो अत्यन्त आपत्ति का विषय है इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 से अद्यतन आवंटियों को कोई नोटिस व इकरारनामा आदि महत्वपूर्ण पत्र जारी नहीं किया गया।

उक्त विवरणानुसार जिला पंचायत बोर्डिंग हाउस मिश्रिख की 4 दुकानों के आवंटियों की विवरण सूची निम्नवत् है-

क्र० सं०	आवंटी का नाम	दुकान सं०	**मासिक दुकान** किराया	दुकान की प्रीमियम **धनराशि**	बकाया दुकान किराया	**इकरारनामा अपंजीकृत होने से**

						राजस्व की क्षति
1.	ब्रज बिहारी तिवारी	4	**100.00**	6000.00	101784.00	**4312.00**
2.	श्री श्याम बिहारी तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी	5	**100.00**	6000.00	101784.00	**4312.00**
3.	श्रीमती रामेश्वरी पाण्डेय पत्नी	6	**100.00**	6000.00	101784.00	**4312.00**
4.	श्री चन्दु कुमार गुप्ता	7	**100.00**	6000.00	101784.00	**4312.00**
	कुल योग-				**4,07,136.00**	**17,248.00**

अतः जिला पंचायत को बोर्डिंग हाउस मिश्रिख में दुकान सं0- 4 से 7 तक का दुकान किराया का कुल रू0 4,07,136.00(1,01,784 × 4 = 4,07,136.00) वसूल न होने से हानि हुई है तथा इकरारनामे को रजिट्रीकृत न करने से कुल ₹ 17,248.00(4,312 × 4 = 17,248.00) की राजस्व की क्षति हुई। अद्यतन दुकान किराया बकाया कुल ₹4,07,136.00 को ससमय वसूल न कर अनियमितता की गई है, जिसे आवंटियों से वसूलने हेतु सार्थक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित प्रत्येक तीन वर्षों में इकरारनामा पंजीकृत न करने से राजस्व की ₹17,248.00 की क्षति हुई। इस प्रकार कुल ₹ 4,24,384.00 की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिये तत्कालीन, पश्चातवर्ती तथा वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) श्रीमती वर्तिका, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा दुकान किराया पटल प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं-32. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के ईंट भट्ठा के लाइसेन्स रजिस्टर की जाँच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित विकास खण्डों में निम्नलिखित 89 ईंट भट्ठों द्वारा वर्ष (2021-22) हेतु लाइसेन्स शुल्क जमा नहीं किया गया है। जिससे जिला पंचायत को कुल ₹8,90,000.00 (₹ 10,000.00 की दर से) की आर्थिक क्षति हुई। उपरोक्त ईंट भट्ठों के प्रोप्राइटरों द्वारा लाइसेन्स हेतु आवेदन न करने के कारण की जानकारी हेतु, उपरोक्त विकास खण्डों में तैनात राजस्व निरीक्षक / सह० राजस्व निरीक्षक की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। उक्त ईंट भटठां के कार्यरत होने की दशा में लाइसेन्स शुल्क ₹10,000.00 तथा विलम्ब शुल्क ₹ 1,000.00 कुल ₹9,79,000.00 की वसूली न कर अनियमितता है। इस अनियमितता के लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की वसूली किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	फर्म का नाम	प्रोपराइटर का नाम व पता	विकास **खण्ड**	लाइसेन्स शुल्क
1.	मे० शिवम ईंट उद्योग, रामपुर भूड़ा	श्रीमती तारावती पाण्डेय पत्नी श्री रामनरेश पाण्डेय	ऐलिया	**11,000/-**

2.	मे0 आनन्द ब्रिक फील्ड, काजीकमालपुर	श्री सुरेश कुमार व श्री रवि कुमार पुत्र श्री प्रहलाद राम 255/1, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर	ऐलिया	**11,000/-**
3.	मे० सार्थक ब्रिक फील्ड, सिकटिहा- भौव्वापुर	प्रो० श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सरयू कुमार गुप्ता नि० मो० बैजनाथ कालोनी, सीतापुर	खैराबाद	11,000/-
4.	मे० स्टार इट भट्ठा, छतांगुर	श्री अलीम पुत्र श्री अयूब नि० शेखन टोला तम्बौर । श्री सगीर अहमद पुत्र अली अहमद नि० तेलियनटोला तम्बौर	बेंहटा	11,000/-
5.	मे० हिन्दुस्तान ब्रिक फील्ड, छतांगुर तम्बौर	प्रो० श्री इसरायल पुत्र अब्दुल अजीज नि० मो० सिर्स तम्बौर	बेंहटा	11,000/-
6.	मे० एवन ब्रिक फील्ड क्योटाना	प्रो०/पार्टनर श्री मो० जैद पुत्र श्री मो० यासीन नि० मो० सिर्स तम्बौर	बेंहटा	11,000/-
7.	मे० हाजी वकील अहमद ईंट भट्ठा, सोहरिया	प्रो० शकील अहमद व वकील अहमद नि० तमसेनगंज, सीतापुर	बेंहटा	11,000/-
8.	मेंo वी०जे० ब्रिक फील्ड, शाहपुर	प्रो० विजय कुमार पुत्र श्री दामोदर प्रसाद नि० ग्राम व पो० शाहपुर	बेंहटा	11,000/-
9.	मेंo भारत ब्रिक फील्ड, मढ़िया तम्बौर	प्रो० मो० इसराईल पुत्र मो० अजीज	बेंहटा	11,000/-
10.	मे0 कुसम ब्रिक फील्ड, खरखोरिया	प्रो० अमित प्रताप सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह नि0 खरखोरिया	कसमण्डा	11,000/-
11.	मे० स्टार ब्रिक फील्ड - सुजोलिया	प्रो० उजमा शमीम पुत्र जान मोहम्मद	कसमण्डा	**11,000/-**
12.	मेo जनता ब्रिक फील्ड, मुलहैपुर लौधौसा	श्री साबिर अली पुत्र हाजी मो0 शफी नि० न्यामतपुर लबरहा सीतापर	महमूदाबाद	11,000/-
13.	मे० सैय्यद ईट उद्योग, बनवारीपुर	प्रो० श्री रियासत अली	महमूदाबाद	11,000/-
14.	मेंo अमन ब्रिक फील्ड लोधासा	प्रो० अहमद पुत्र खलील अहमद	महमूदाबाद	11,000/-
15.	चमन ब्रिक फील्ड केदारपुर	प्रो० श्री सिराज अली पुत्र अमीर अली .	महमूदाबाद	11,000/-
16.	यमन ब्रिक फील्ड बनवीर पुर	प्रो० इलियास अहमद आदि	महमूदाबाद	11,000/-
17.	मु० गुरूदीन ब्रिक फील्ड मदन बेहड	प्रो0 श्री राम वर्मा पुत्र श्री महापीर वर्मा	महमूदाबाद	11,000/-

18.	मे0 अन्सारी ब्रिक फील्ड पैंतेपुर	प्रा0 श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री बशीर अहमद	महमूदाबाद	11,000/-
19.	ताज ब्रिक फील्ड महानगर	प्रा0 श्री एनूल हक आदि	महमूदाबाद	11,000/-
20.	मे0 शिवनरायन ब्रिक फील्ड	प्रो0 श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शिवनरायन	महमूदाबाद	1.1,000/-
21.	मे0 अनम ब्रिक फील्ड पैंतेपुर	प्रो0 अनम अंसारी पुत्र याकूब अंसारी	महमूदाबाद	11,000/-
22.	वारसी ब्रिक फील्ड केदारपुर	प्रो0 मो0 अतीक पुत्र मो0 फारूक	महमूदाबाद	11,000/-
23.	मीना ब्रिक फील्ड कांसा	जुबेर अहमद पुत्र मन्नू	महमूदाबाद	11,000/-
24.	मे0 जैना ब्रिक फील्ड लोधासा	प्रो0 वाजिद अली पुत्र हाजी इस्माइल	महमूदाबाद	11,000/-
25.	मैं0 माँ वैष्णो ब्रिक फील्ड मदन बेहड	प्रो0 आलोक कुमार पुत्र कृपा दयाल	महमूदाबाद	11,000/-
26.	मे० अंकुर ब्रिक फील्ड, ब्रम्हावली	श्री रवीन्द्रनाथ बाजपेयी पुत्र बालमुकुन्द बाजपेयी नि० अवस्थी टोला बस स्टैंड, महोली सीतापुर	महोली	**11,000/-**
27.	मे० यादव ब्रिक फील्ड, धवरपारा	मे०एन०डी०एल० ब्रिक फील्ड रमवापुर	मछरेहटा	**11,000/-**
28.	मे0 उन0डी0एल0 ब्रिक फील्ड रमवापुर	प्रो0 श्रीनेप्द्र डोडेजा पुत्र नन्दराम	मछरेहटा	**11,000/-**
29.	मे० राजा ब्रिक फील्ड, रामाभारी	श्री हेमन लाल पुत्र भगवानदास, नि० प्रेम नगर, सीतापुर	बिसवां	**11,000/-**
30.	मे0 बिसवां ब्रिक फील्ड, भगवानपुर माफी	श्री कलीम खाँ पुत्र श्री अजीम खाँ नि० मियांगंजा, बिसवां, सीतापुर	बिसवां	**11,000/-**
31.	मे० जयहिन्द ब्रिक फील्ड, जलालपुर बिसवां	श्री मेवलदास पुत्र सदारंगमल, नि० प्रेम नगर, सीतापुर	बिसवां	**11,000/-**
32.	मे० जनता ईंट उद्योग, झझर	श्री हेमन लाल पुत्र भगवानदास, नि० प्रेम नगर, सीतापुर	बिसवां	**11,000/-**
33.	मे० प्रभात ब्रिक फील्ड, जलालपुर	श्री गोपीचन्द्र पुत्र सचानन्द नि० पुलिस लाइन, सीतापुर	बिसवां	11,000/-
34.	मे० शारदा ब्रिक फील्ड, जलालपुर	श्री मनोज कुमार जैन पुत्र क्षीतलमल जैन नि० मो० सेठगंज, बिसवां, सीतापुर	बिसवां	11,000/-
35.	मे० अनुज ब्रिक फील्ड, त्योला	प्रो० अनुज कुमार वर्मा पुत्र श्री हरीश वर्मा	बिसवां	11,000/-
36.	मे० न्यू डीलक्स ब्रिक फील्ड	प्रो० श्री तौसीफ पुत्र श्री शेर मोहम्मद	बिसवां	11,000/-
37.	मे० प्रताप ब्रिक फील्ड	प्रो० श्री भानु प्रताप सिंह, बिसवाँ	बिसवां	11,000/-

38.	रघुनन्दन ब्रिक फील्ड रमुवापुर	प्रों० श्री इन्द्र पाल पुत्र श्री रघुनन्दन	मिश्रिख	11,000/-
39.	में० मॉ गौरी ब्रिक फील्ड हरदोइया	श्री मती निर्मल सिंह पत्नी श्री शिवेन्द्र प्रताप	मिश्रिख	11,000/-
40.	मे० सतनाम ब्रिक फील्ड, कारीपाकर	श्री विनीत कुमार पहलाद चन्द्र नि० सिविल लाइन, सीतापुर	पिसावां	11,000/-
41.	हुसैन ब्रिक फील्ड, नेवादा	प्रो० नजारूल हुसैन पुत्र श्री मुख्तियार	पिसावां	11,000/-
42.	ने० लकी ब्रिक फील्ड, ढखिया कलाँ	प्रो० श्रीमती आसिफा बेगम पत्नी श्री शाहिद अली	पिसावां	11,000/-
43	मे० अरनव ब्रिक फील्ड, पाताबोझ	प्रो० श्री अभिषेक सिंह भदौरिया	पिसावां	11,000/-
44.	मे० मंजू ब्रिक फील्ड, द्वन्दपुर	प्रो० विमलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री विजय वीर सिंह, नि० द्वन्दपुर	सिधौली	1.1,000/-
45.	मे० सोना ब्रिक फील्ड, अमितिया	प्रो० श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सोबरन लाल	हरगाँव	**11,000/-**
46.	मे० बालाजी ब्रिक फील्ड, हरिवशपुर	प्रो० श्री रामसरन पुत्र श्री सोबरन लाल	हरगाँव	11,000/-
47.	मे० प्रसाद ब्रिक फील्ड, अमितिया	प्रो० श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र श्री रामप्रसाद	हरगाँव	11,000/-
48.	मे० गणेश ब्रिक फील्ड, सेलूमऊ	प्रो० श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह	हरगाँव	11,000/-
49.	बालाजी ब्रिक फील्ड कुलताजपुर	सन्तर पाल सिंह	हरगाँव	11,000/-
50.	रॉयल ब्रिक फील्ड पटटी कटेसर	हसीब खाँ पुत्र सफाहेतुल्ला खाँ	हरगाँव	11,000/-
51.	मे0 वर्मा ब्रिक फील्ड, लौना	श्री पार्टनर / प्रोपराइटर कज्जन खाँ पुत्र सम्मत खाँ नि० इचौली, महमूदाबाद	पहला	**11,000/-.**
52.	मे० वाहिद अली अब्दुल ईंट भट्ठा, भेथरा माधव	श्री मुजीब अहमद पुत्र श्री वाहिद अली नि0 पुरानी बाजार महमूदाबाद, सीतापुर	पहला	**11,000/-**
53	मे० हाजी मो0 शाद ब्रिक फील्ड, बिलासपुर खुर्द	श्री मो० अशफाक पुत्र श्री मो० इरशाद नि० मो० कैथीटोला महमूदाबाद	पहला	11,000/-
54.	मे० आयशा ब्रिक फील्ड, लौना	प्रो० श्री प्रवीन अंसारी पुत्र श्री मो० अहमद अंसारी	पहला	11,000/-

55.	मे० भवंर ब्रिक फील्ड, टेरवा बसन्तपुर	श्रीमती प्रेमलता पत्नी लवकुश कुमार सिह नि० बनियानी मजरा खालगांव, महमूदाबाद, सीतापुर	पहला	**11,000/-**
56.	मे0 कुँवर ईट उद्योग, बिलौली बाजार	प्रो० श्री रामकुँवर पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद	पहला	**11,000/-**
57.	मे० गगन ब्रिक फील्ड, उमरिया खानपुर	मो0 तबरेज पुत्र श्री अजीज अहमद	परसेण्डी	**11,000/-**
58.	कान्हा ब्रिक फील्ड, हड़ैया	प्रो0 श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्रराम	परसेण्डी	**11,000/-**
59.	मे0 पारस बिक फील्ड, देवरिया कसरैला	प्रो0 फूलमती पत्नी श्री पारसनाथ	परसेण्डी	**11,000/-**
60.	प्रो० मो० तबरेज पुत्र श्री अजीज अहमद	हफीज पुत्र हकीक	परसेण्डी	**11,000/-**
61.	प्रो० श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्रराम	श्री रूपेश कुमार वर्मा	परसेण्डी	**11,000/-**
62.	प्रो० फूलमती पत्नी श्री पारसनाथ	श्रीमती नफीस बानो पत्नी मो0 अफजल नि0 लुधपुरवा पैतेंपुर महमूदाबाद सीतापुर	रामपुर मथुरा	**11000.00**
63.	मे० न्यू फाइन ईंट उद्योग, पैंतेपुर	श्री अजमल पुत्र मो0 अफजल नि० लुधपुरवा पैंतेपुर महमूदाबाद सीतापुर	रामपुर मथुरा	**11000.00**
64.	मे० हीरा ब्रिक फील्ड, सन्जौरा	श्रीमती शमीम जहाॅ पत्नी श्री अब्दुल हाफिज नि० फुलवारी पैंतेपुर।	रामपुर मथुरा	**11000.00**
65.	न्यू डायमण्ड ब्रिक फील्ड, याकूबपुर	श्रीमती विनीता जैन पत्नी श्री रवीन्द्र चन्द्र जैन	रामपुर मथुरा	**11000.00**
66.	मे० माॅ प्रेमा कुमारी ब्रिक फील्ड, मानापुर	प्रो० रविकीर्ति कुमार जैन पुत्र सुशील कुमार जैन नि० दरियाबाद, बाराबंकी	रामपुर मथुरा	**11000.00**
67.	मे० श्रीकृष्ण ब्रिक फील्ड, मुर्तजा नगर	प्रो० श्री अमर सिह पुत्र श्री शुभकरन सिंह	रामपुर मथुरा	**11000.00**
68.	मे० शिव ब्रिक फील्ड, मानापुर	श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कीढ़ी लाल	रामपुर मथुरा	**11000.00**
69.	मे0 कुमार ब्रिक फील्ड, सुपौली	प्रो० श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री महराज कुमार सिह	रेउसा	11,000/-
70.	मे० चॉद ईंट भट्ठा, खरवलिया	श्री वसी अहमद पुत्र अली अहमद नि० नरायन टोला तम्बौर	रेउसा	11,000/-
71.	मे० फाइन ब्रिक फील्ड, बजेहड़ा	श्रीमती हलीमा पत्नी श्री बकरीदी नि० तेलियन टोला तम्बौरसीतापुर	रेउसा	**11,000/-**
72.	शिव ब्रिक फील्ड, भौली	प्रो०/पार्टनर श्री सगीर अहमद पुत्र श्री अली अहमद नि० तेलियन टोला तम्बौर	रेउसा	11,000/-

73.	मे० खान ब्रिक फील्ड, अज्जैपुर	प्रो० बिलाल खाँ पुत्र श्री सुब्बे खॉ	रेउसा	**11,000/-**
74.	में0 आयरन ब्रिक फील्ड भिठनॉफर्र	हबाज पुत्र इश्तियाक	रेंउसा	11,000/-
75.	मे0 दद्दू ब्रिक फील्ड, रालामऊ	प्रो० श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री साहब सिंह	गोंदलामऊ	11,000/-
76.	मे० आर्दश ब्रिक फील्ड, गनेशपुर	श्री मुवस्सिर हुसैन पुत्र श्री मुजम्मिल हुसैन, ठठेरी टोला लहरपुर	लहरपुर	11,000/-
77.	मे० जयहिन्द ईंट भट्ठा, बनकट	श्री सिराजुद्दीन पुत्र श्री हाजी मो० इसहाक नि० मो० कटरा, लहरपुर	लहरपुर	**11,000/-**
78.	मे० महाराज ब्रिक फील्ड, बनकट, प्रहलादपुर गौरिया	श्री जमाल अहमद पुत्र श्री बदलू नि० गनी टोला लहरपुर	लहरपुर	**11,000/-**
79.	मे० अली अहमद कादिर बक्श, ईंट भट्ठा, उद्योग, राजापुर	श्री हाजी अलाउद्दीन पुत्र श्री नवाब अली नि0 कटरा लहरपुर	लहरपुर	**11,000/-**
80	मे0 दयाल ब्रिक फील्ड, जीतामऊ	प्रो० श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री विशेश्वर दयाल	लहरपुर	11,000/-
81	मे० नवीन ईंट उद्योग, गनेशपुर	प्रो० मुदव्विर हुसैन पुत्र श्री मुजब्बिल हुसैन नि०	लहरपुर	**11,000/-**
82.	मे० खिन्डा ब्रिक फील्ड, सुल्तानपुर हरिप्रसाद	प्रो० श्री दर्शन सिह पुत्र श्री ओमप्रकाश	लहरपुर	**11,000/-**
83	मे० स्टार ब्रिक फील्ड, गनेशपुर	प्रो० श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री शफी	लहरपुर	**11,000/-**
84.	मे0 अमर ब्रिक फील्ड, तारनपुर	प्रो० श्री जर्नादन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	लहरपुर	**11,000/-**
85	मे0 बाबा ब्रिक फील्ड, करस्योरा	प्रो० श्री रहमत अली पुत्र श्री बुद्धा अली	लहरपुर	**11,000/-**
86.	मे0 फूल ब्रिक फील्ड, लच्छन नगर	प्रो० श्री जमील खाँ आदि	लहरपुर	**11,000/-**
87.	मे० नवाब ईट उद्योग, कटरा	प्रो० श्री जावेद पुत्र हाजी अलाउद्दीन	लहरपुर	**11,000/-**
88.	आइ एस ब्रग ब्रिक फील्ड प्रहलादपुर	इजहार बेग पुत्र श्री इस्लाम बेंग	लहरपुर	**11,000/-**
89.	चॉद ब्रिक फील्ड गनशेपुर	चाद खां	लहरपुर	**11,000/-**
		योग		**9,79,000/-**

प्रस्तर सं 33. ईट भट्ठों से संबंधित वित्तीय वर्ष (2021-22) के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर तथा लाईसेंस रजिस्टर एवं पत्रावली की जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

(1) लेखा परीक्षा में ईट भट्ठों के वित्तीय वर्ष (2021-22) से संबंधित सम्पत्ति एवं विभव कर के रजिस्टर की जाँच में यह प्रकाश में आया कि विभिन्न विकास खण्डों में स्थित निम्नलिखित ईट भट्ठों से वित्तीय वर्ष (2021- 22) का सम्पत्ति एवं विभव कर वसूल न कर जिला पंचायत को ₹8,98,520.00 की अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है। सम्पत्ति एवं विभव कर की धनराशि ₹ 8,98,520.00 की वसूली न कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। विभिन्न विकास खण्डों में तैनात राजस्व निरीक्षक/सहा० राजस्व निरीक्षकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे अपने विकास खण्डों में स्थित बाकायेदार ईट भट्ठों से निम्नलिखित सूची में उनके नाम के सुमख अंकित बकाये की धनराशि को अविलम्ब वसूल करायें। जिससे कि जिला पंचायत को अग्रेतर आर्थिक क्षति न हो। इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) उक्त के क्रम में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्ष (2021-22) में प्रपत्र- 25 पर जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत कुल 358 ईट भट्ठों में से मात्र 59 ईट भट्ठों को ही लाइसेंस जारी किया। अवशेष 299 ईट भट्ठो के लाइसेंस जारी न करने का कारण अस्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के नियम सं0 101 के अनुसार ईट भट्ठों को अनिवार्य रूप से दि० 01.09.2021 के पूर्व सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कराकर प्रपत्र- 25 लाईसेंस जारी किया जाना चाहिए तत्पश्चात् ही वे अपने ईट भट्ठों से संबंधित कार्य करने हेतु अधिकृत होगें। शेष 299 ईट भट्ठों को समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अविलम्ब प्रपत्र- 25 पर लाईसेंस जारी कर लेखा परीक्ष में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

बकाया सम्पत्ति, विभवकर, ईंट भट्ठों की सूची विकास खण्डवार वर्ष 2021-2022

क्र० सं०	फर्म का नाम	**प्रोपराइटर का नाम व पता**	विकास खण्ड	**अभ्युक्ति**
1.	मे0 संजय ब्रिक फील्ड, मंसूरपुर	श्री राधेश्याम जवरानी पुत्र कुगेमल पंजाबी धर्मशाला, सीतापुर	ऐलिया	6000
2.	मे० न्यू जनता ब्रिक फील्ड, खटकरी	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री छन्नूमल नि० प्रेम नगर, सीतापुर	ऐलिया	**4000**
3.	मे0 जगदीश एण्ड कम्पनी, खटकरी	श्री जगदीश चन्द्र पुत्र हासाराम नि० प्रेम नगर, सीतापुर	ऐलिया	**6000**
4.	मे० जनता ब्रिक फील्ड, मसूरपुर	श्रीमती पुष्पा कुमारी पत्नी हासाराम नि0 22, प्रेम नगर, सीतापुर	ऐलिया	**12000**
5.	मे० गुरूनानक ब्रिक फील्ड, नेरीकलां	श्री प्रेम कलवानी पुत्र राधामल प्रेम नगर, सीतापुर	ऐलिया	12000
6.	मे0 माँ काली ब्रिक फील्ड, टिकवापारा	श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र रामचन्द्र मिश्र नि० टिकवापारा पो० अंगरासी, सीतापुर	ऐलिया	14000
7.	मे0 आनन्द ब्रिक फील्ड, काजीकमालपुर	श्री सुरेश कुमार व श्री रवि कुमार पुत्र श्री प्रहलाद राम 255/1, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर	ऐलिया	18000
8.	मे० खालसा ब्रिक फील्ड, अंगदपुर	प्रो० श्री नवजोत सिंह सिद्धू नि० कटीली बंगला, सीतापुर	ऐलिया	36000

		योग		108,000
9.	मे० भगवान शिव शंकर ब्रिक फील्ड, बरसोहिया	श्री महेश मिश्र पुत्र रामदुलारे नि० आर्दश नगर, सीतापुर	खैराबाद	12000
10.	मे0 सेठ टेकचन्द्र लालचन्द्र, नैपालापुर	श्री आशाराम पुत्र धर्मदास, नि० 22, प्रेम नगर, सीतापुर	खैराबाद	6000
11.	मे० भारत ब्रिक फील्ड, नैपालापुर	श्री बुद्धप्रकाश पुत्र सुन्दर लाल नि0 सेठ सुक्खूमल रोड, सीतापुर	खैराबाद	2250
12.	मे० एफ0आई0टी0 ब्रिक फील्ड, सरांय भांट	श्रीमती नाजिमी बेगम पत्नी श्री मुजीब अहमद, नि० बटस्गंज, सीतापुर	खैराबाद	18000
13.	मे0 सार्थक ब्रिक फील्ड, सिकटिहा- भौव्वापुर	प्रो० श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सरयू कुमार गुप्ता नि० मो० बैजनाथ कालोनी, सीतापुर	खैराबाद	6000
		योग		**44250**
14.	मे0 सारिक ब्रिक फील्ड, क्योंटाना	श्री सगीर अहमद पुत्र श्री अली अहमद नि० नवाबगंज तम्बौर	बेंहटा	6000
15.	मे० स्टार ईंट भट्ठा, छतांगुर	श्री अलीम पुत्र श्री अयूब नि० शेखन टोला तम्बौर। श्री सगीर अहमद पुत्र अली अहमद नि० तेलियनटोला तम्बौर	बेंहटा	**6000**
16.	मे० अमन ब्रिक फील्ड, रायमड़ोर	प्रो० श्री रईस अहमद अली	बेंहटा	12000
		योग		**24000**
17.	मे० प्रकाश ईंट उद्योग, लोधौरा	श्री हेमन लाल पुत्र भगवानदास, नि० प्रेम नगर, सीतापुर	कसमण्डा	12000
18.	मे० कालिका ब्रिक फील्ड, पतारा कलां	प्रो० तरूण लखवानी आदि	कसमण्डा	**6000**
		योग		**18000**
19.	मे० न्यू लकी ब्रिक फील्ड, केदारपुर	प्रो० श्री उरूज आलम पुत्र श्री हाजी जमालुद्दीन नि० पैंतेपुर	महमूदाबाद	**12000**
20.	मे0 जयभारत ब्रिक फील्ड, महसोनिया	श्री संजय कुमार जगमानी पुत्र गोविन्दराम नि० आर्य नगर, सीतापुर	महोली	**4000**
21.	मे0 ओम शिव ब्रिक इन्ड्रस्टीज, ब्रम्हावली	श्री प्रहलाद चन्द्र पुत्र रतनलाल नि० सिविल लाइन्स, सीतापुर	महोली	6000
22.	मे० अंकुर ब्रिक फील्ड, ब्रम्हावली	श्री रवीन्द्रनाथ बाजपेयी पुत्र बालमुकुन्द बाजपेयी नि0 अवस्थी टोला बस स्टैंड, महोली सीतापुर	' महोली	**31800**

23.	मे० बालाजी ब्रिक फील्ड, महोली	श्री नीरज कुमार पुत्र चन्द्र कुमार शुक्ल आदि नि० महोली	महोली	**1500**
		योग		**43300**
24.	मे० गणेश ब्रिक फील्ड, रालामऊ	श्रीमती मीनाक्षी पुत्री श्री रमेश चन्द्र नि० त्रिवेणी नगर, लखनऊ	मछरेहटा	**12000**
25.	मे० नैमिष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०,रालामऊ	श्री आशीष कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता, 46, जेल रोड, सीतापुर	मछरेहटा	**20000**
26.	मे0 जय अम्बे ईंट उद्योग, कटिया	श्री अजय प्रकाश त्रिपाठी, नि० खैराबाद सीतापुर	मछरेहटा	**6000**
		योग		**26000**
27.	मे० प्रभात ब्रिक फील्ड, जलालपुर	श्री गोपीचन्द्र पुत्र सचानन्द नि० पुलिस लाइन, सीतापुर	बिसवां	18000
28.	मे० प्रताप ब्रिक फील्ड	प्रो० श्री भानु प्रताप सिंह, बिसवाँ	बिसवां	18000
			योग	36000
29.	मे० नदीम ईंट उद्योग, सेमरा भिठौली	श्री शाकिर अली पुत्र अजमत अली नि0 सेमरा पो० भिठौली, मिश्रिख, सीतापुर	मिश्रिख	24000
30	मे० गोला बाबा ईंट उद्योग, जिहुरा	श्री विजय कुमार पुत्र श्याम बिहारी नि० शुक्ला नगर मछरेहटा रोड मिश्रिख, सीतापुर	मिश्रिख	12000
31.	मे0 नैमिष इन्फास्ट्रक्चर प्रा०लि०, मनिकापुर	श्री अनूप कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता नि0 46, जेल रोड, सीतापुर	मिश्रिख	6000
32.	मे० सागर ईंट उद्योग, गाजीपुर	श्री खेमचन्द्र पुत्र नीचूमल नि प्रेम नगर, सीतापुर	मिश्रिख	**10200**
		योग		**52200**
33.	मे0 सतनाम ब्रिक फील्ड, कारीपाकर	श्री विनीत कुमार पहलाद चन्द्र नि० सिविल लाइन, सीतापुर	पिसावां	10200
34.	मे0 सिंघल ब्रिक फील्ड, छहैलिया	श्री महै।न्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र मुरलीधर अग्रवाल नि0 अवस्थी टोला महोली, सीतापुर	पिसावां	6000
35.	मे0 राणी सती ब्रिक फील्ड, रौना	श्री निषेख अग्रवाल पुत्र महैन्द्र कुमार अग्रवाल नि0 अवस्थी टोला महली सीतापुर	पिसावां	**12000**
36.	मे० भुवनेश्वरी ब्रिक फील्ड, सहुवापुर	श्री रामकिंकर पाण्डेय पुत्र श्री विद्याधर पाण्डेय नि० मनिकापुर पो० औरंगाबाद, सीतापुर	पिसावां	6000

37.	मे0 सांई ब्रिक फील्ड, कारीपाकर	प्रो० पार्टनर अशोक कुमार पुत्र श्री नारायण दास नि० प्रेम नगर, सीतापुर	पिसावां	24000
38.	मे० भोले बाबा ब्रिक फील्ड, कारीपाकर	प्रो० जगदीश मिश्र पुत्र श्री चन्द्रभाल मिश्र, नि० कारीपाकर	पिसावां	12000
		योग		**70200**
39.	मे० रोचलदास मंगूलाल,	श्री अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र नि० आर्य नगर, सीतापुर	सिधौली	12000
40.	मे० अवस्थी ब्रिक फील्ड, सरौरा	श्री हनुमान प्रसाद अवस्थी पुत्र सोहन लाल अवस्थी नि० सरौरा प०गांव अटरिया सीतापुर	सिधौली	**6000**
41.	मे0 जैन ब्रिक फील्ड, खरवलिया	प्रो० श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री फतेह चन्द्र, नि० विवेक नगर, सिधौली	सिधौली	6000
42.	मे० शिव ब्रिक फील्ड, जोधौरा	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री शिवनरायन नि० ग्राम बौनाभारी पो.....	सिधौली	**300000**
43.	मे0 हनुमत ब्रिक फील्ड, खुरवलिया	प्रो० राधेश्याम पुत्र श्री भभूती नि० खेरवा	सिधौली	**12000**
44.	मे० सारथी ब्रिक फील्ड, सलेमपुर	प्रो० श्री कमलेश यादव पुत्र श्री रामनाथ	सिधौली	**12000**
45.	मे0 अनुपम ब्रिक फील्ड, सिघनामऊ	प्रो० श्रीमती विनय कुमार पत्नी श्री अवधेश	सिधौली	**6000**
		योग		**84000**
46.	मे० विजय ब्रिक फील्ड, रामपुर बरोरा	श्री अजय मगलानी पुत्र ताराचन्द्र नि० आर्य नगर, सीतापुर	हरगाँव	**6000**
47.	मे० जनता ईंट उद्योग, मल्लापुर	श्री हाजी गयासुद्दीन पुत्र नवाबअली नि0 कटरा लहरपुर	हरगाँव	**12000**
48.	मे० मार्डन ब्रिक फील्ड, नवीनगर	श्री इकरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद नि० ठठेरी टोला लहरपुर सीतापुर	हरगाँव	6000
49.	मे0 मो0 इमरान ईंट भट्ठा, उदनापुर कोरैया	श्री मो० इमरान पुत्र शमीम अली नि0 कटरा लहरपुर	हरगाँव	6000
50	मे0 हिन्दुस्तान ब्रिक फील्ड, मल्लापुर	श्री मुजम्मिल हुसैन पुत्र तजम्मुल हुसैन, नि० नइ बस्ती, लहरपुर, सीतापुर	हरगाँव	6000
51.	मे० राजा ब्रिक फील्ड, नवीनगर	प्रो० हाजी अलाउद्दीन पुत्र श्री नवाब अली नि0 कटरा लहरपुर	हरगाँव	6000
52.	मे0 मुनीर अहमद ईट भट्ठा, नवीनगर	श्री इकरार अहमद पुत्र श्री इसरार नि० ठठेरी टोला, लहरपुर	हरगाँव	12000
53	मे० जुनेद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड,	प्रो० जुनेद अली पुत्र शमीम अली नि0 मो० कटरा, लहरपुर, सीतापुर	हरगाँव	6000

54.	मे० सोना ब्रिक फील्ड, अमितिया योग	प्रो० श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सोबरन लाल	हरगाँव	**6000**
		योग		**66000**
55.	ने० पीयुष ब्रिक फील्ड, सिरौली	श्री पारसराम पुत्र रामचन्द्र नि० आर्य नगर, सीतापुर	पहला	6000
56.	वाहिद अली अब्दुल ईंट भट्ठा, मेथरा माधव	श्री मुजीब अहमद पुत्र श्री वाहिद अली नि0 पुरानी बाजार महमूदाबाद, सीतापुर	पहला	**4200**
57.	मे० जनता ईंट उद्योग, सिरौली	श्री मो० जाकिर पुत्र मो० वसी नि० न्यामतपुर लबरहा महमूदाबाद सीतापुर	पहला	**6000**
58.	मे० प्रकाश ब्रिक फील्ड, दुधरा	श्री रामप्रकाश पुत्र कुन्दन लाल नि0 दुधरा सीतापुर	पहला	6000
59.	मे० पवन ब्रिक फील्ड, सदरावां	प्रो० श्री सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र श्री मदन मोहन नि० धुला मजरा सदरावां	पहला	6000
60.	मे0 किसान ब्रिक फील्ड, कोरौली	प्रो० श्री हासिम पुत्र मो0 शफी	पहला	6000
		योग		**34200**
61.	मे० गोल्डेन ब्रिक फील्ड, चाँदपुर-कसरैला	प्रो० मो० सुऐब पुत्र श्री अजीज अहमद नि० मो० बहलोलपुर, लहरपुर	परसेण्डी	18000
62	मे० ओम शिव शक्ति ईंट उद्योग-कसरैला	प्रो० श्री विनय कलवानी पुत्र श्री लक्ष्मनदास नि० प्रेम नगर, सीतापुर एवं श्री अविजित पुत्र श्री अजय प्रकाश त्रिपाठी, नि० शुक्लन सराँय खैराबाद, सीतापुर	परसेण्डी	**1200**
		योग		**19200**
63.	मे0 न्यू फाइन ईंट उद्योग, पैंतेपुर	श्रीमती नफीस बानो पत्नी मो० अफजल नि० लुधपुरवा पैतेपुर महमूदाबाद सीतापुर	रामपुर मथुरा	**14000**
64.	मे0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड,	श्री रवीन्द्र कुमार जैन पुत्र ज्ञान चन्द्र जैन नि० सर्वागी टोला महमूदाबाद सीतापुर	**रामपुर मथुरा**	**12000**
65.	मे० फाइन ईंट भट्ठा, पैंतेपुर	श्री अजमल पुत्र मो० अफजल नि० लुधपुरवा पैंतेपुर महमूदाबाद, सीतापुर	रामपुर मथुरा	18000
66.	मे0 सुपर सोना ब्रिक फील्ड, बाकर नगर	श्री मा० जफर पुत्र मो० जहीर नि० नालापार दक्षिणी फतेहपुर बाराबंकी	रामपुर मथुरा	18000
67.	मे0 सांई ब्रिक फील्ड, सेलूमऊ	प्रो० श्रीमती गीता शुक्ला पत्नी चन्द्रभूषण शुक्ला नि० नई बाजार कोतवाली रोड, महमूदाबाद	रामपुर मथुरा	**10470**

68.	मे० श्रीकृष्ण ब्रिक फील्ड, मुर्तजा नगर	प्रो० श्री अमर सिह पुत्र श्री शुभकरन सिंह	रामपुर मथुरा	12000
		योग		**84470**
69.	मे० चॉद ईंट भट्ठा, खरवलिया	श्री वसी अहमद पुत्र अली अहमद नि० नरायन टोला तम्बौर रेउसा	सीतापुर	12000
70	मेंा0 आयरन ब्रिक फील्ड भिठनॉफर्र	शहबाज पुत्र इश्तियाक	रेंउसा	6000
		योग		18000
71.	मे० पूर्णागिरि ब्रिक फील्ड, सरवा संदना	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मिश्र नि० जहूरियामऊ पा० असुवामऊ, सीतापुर	गोंदलामऊ	6000
72	मे0 अमन ब्रिक फील्ड, उदईपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मिश्र नि० जहूरियामऊ पा० असुवामऊ, सीतापुर	गोंदलामऊ	**17000**
		योग		**2300**
73	मे0 अली अहमद कादिर बक्श, ईंट भट्ठा, उद्योग, राजापुर	श्री हाजी अलाउद्दीन पुत्र श्री नवाब अली नि0 कटरा लहरपुर	लहरपुर	12000
74.	मे० इस्लामुद्दीन सहाबुद्दीन ईंट भट्ठा, प्रहलादपुर गौरिया	श्री इस्लामुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन, मो0 कटरा लहरपुर	लहरपुर	27.700
75.	मे० सुपर ब्रिक फील्ड, प्रहलादपुर गौरिया	प्रो० एहतिशाम अली नि0 कटरा लहरपुर	**लहरपुर**	**42000**
76.	बंशी ब्रिक फील्ड, मुन्नूपुरवा	प्रो० श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री छोटेलाल नि0 ग्राम मुन्नूपुरवा पो० अकबरपुर	लहरपुर	6000
77.	दयाल ब्रिक फील्ड, जीतामऊ	प्रो० श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री विशेश्वर दयाल	लहरपुर	18000
78.	ने० यूनिटी ब्रिक फील्ड, जीतामऊ	प्रो० श्रीमती राहत जहाँ पत्नी श्री जियाउद्दीन अंसारी नि०	लहरपुर	18000
79.	मे० अमर ब्रिक फील्ड, तारनपुर	प्रो० श्री जर्नादन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	लहरपुर	12000
		योग		**135700**

कुल योग - 8,98,520.00

प्रस्तर सं 34. पद्ध लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) के नौकाघाट के ठेकों से संबंधित रजिस्टर की जाँच में प्रकाश में आया कि मत्सय जीवी सहकारी समिति लि० बेहटा, वि०ख० बेहटा को देहली हेतु 24,008.00 बम्भोला में ₹2,73,000.00, मानपुर में ₹1,72,143.00, सेतुही पट्टी में ₹2,45,237.00 तथा बेलवा हेतु ₹46,833.00 का ठेका आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार नौकाघाट ठेका की वर्ष (2021-22) की उक्त समिति

से कुल माँग ₹7,61,221.00 रही, परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ठेके की पत्रावली के अनुसार सेतुही पट्टी में ₹2,45,237.00 का ठेका समिति द्वारा नहीं लिया गया, जिससे वर्ष की वास्तविक माँग ₹7,61,221.00 न होकर ₹5,15,984.00 है। उक्त वास्तविक माँग के विरूद्ध देहली से ₹ 6,010.00 बम्भौला से ₹ 68,300.00, मानपुर से ₹43,050.00, बेलवा से ₹11,710.00, कुल ₹ 1,29,070.00 की आंशिक वसूली कर ठेका उक्त समिति को दे दिया गया जो नियम विरूद्ध है। ठेका की पूर्ण धनराशि ₹5,15,984.00 वूसल करने के उपरान्त ही ठेका स्वीकृत किया जाना चाहिये था। उक्त समिति पर अद्यतन ₹3,86,914.00 बकाया है। जिसे वसूल न कर अनियमितता की गई है। जिसकी वूसली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

पपद्ध लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) हेतु नाविक श्रम संविदा समिति लि० बैरागीपुर वि०ख० रेउसा को चँदवापुर हेतु नौकाघाट का ठेका ₹ 82,705.00 पर दिया गया जिसके सापेक्ष मात्र आंशिक 21,000.00 प्राप्त कर ठेका दे दिया गया था जो नियम विरूद्ध है। ठेके की पूर्ण धनराशि ₹ 82,705.00 वसूलने के उपरान्त ही ठेका स्वीकृत किया जाना चाहिये था। उक्त समिति पर अद्यतन ₹ 61,705.00 बकाया है। जिसे वसूल न कर अनियमितता की गई है। जिसकी वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

3) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नौकाघाट रजिस्टर के अनुसार निम्न विवरणानसुसार पुराने वर्षों के ठेके की धनराशि ₹33,362.00 बकाया है। जिसे अद्यतन वसूल नहीं किया गया है।

क्र० सं०	नाम समिति	वर्ष	अध्यक्ष	बकाया / धनराशि
1.	निलामघाट बाँसुरा	(78-79)	श्री राजेन्द्र सिंह	**2,200.00**
2.	निलामघाट बाँसुरा	(79-80)	श्री राजेन्द्र सिंह	**2,500.00**
3.	सेतुही	(80-81)	प्यारे सिंह	**1,000.00**
4.	खानीपुर	(84-85)	कुन्दन लाल	**1,500.00**
5.	बेलवा	(84-85)	छत्रपाल	162.00
6.	बॉसुरा जयरामपुर	(2002-03)	अशर्फी लाल	8,000.00
7.	बॉसुरा किशुनीपुर	(2005-06)	जगदीश प्रसाद	18,000.00
			योग-	**33,362.00**

उपरोक्तानुसार नौकाघाट के ठेका पर अद्यतन कुल बकाया (6) ₹3,86,914.00$ 61,705.00 $ 33,362.00 = कुल ₹4,81,981.00 न वसूल कर अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी हैं। नौकाघाट के ठेकों से संबंधित कुल बकाया ₹4,81,981.00 को उक्त समितियों से वसूलने हेतु सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 35. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के विभिन्न विकास खण्डों से संबंधित विभव एवं सम्पत्ति कर पंजिका प्रपत्र- 23 नियम सं0- 97 (सी०पी० टैक्स रजिस्टर) की जाँच में यह प्रकाश में आया कि विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न व्यवसायों पर आधारित विभव एवं सम्पत्ति कर (सी०पी० टैक्स) की वसूली विकास खण्ड वार निम्नवत् रही-

वसूली विवरण वर्ष-(2021-22)

क्र०सं०	विकास खण्ड	वसूली
	ऐलिया	**677414**
2.	खैराबाद	611191
3.	बेहंटा	**230139**
4.	कसमण्डा	**242585**
5.	महमूदाबाद	**164015**
6.	महोली	280670
7.	मछरेहटा	**116830**
8.	बिसवां	661960
9.	मिश्रिख	318619
10.	पिसावां	**304131**
11.	सिधौली	**382440**
12.	हरगाँव	**662194**
13.	परसेण्डी	**407093**
14.	लहरपुर	**523385**
15.	पहला	**236604**
16.	रामपुर मथुरा	**238950**
17.	सकरन	**225850**
18.	रेउसा	**57197**
19.	गोंदलामऊ	**249148**
	योग-	**65,90,415.00**

उपरोक्तानुसार जनपद सीतापुर के 19 विकास खण्डों में स्थित विभिन्न व्यवसायों से सी०पी० टैक्स पंजिका के अनुसार सी०पी टैक्स की कुल ₹65,90,415.00 है। जबकि शासन को प्रेषित चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रारूप-3 तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विठीय वर्ष 2021-22) में सी०पी०टैक्स की कुल वसूली ₹70,45,954.00 दर्शित है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सी०पी० टैक्स रजिस्टर तथा चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रारूप-3 तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में कुल सी०पी० टैक्स की वसूली में ₹4,55,539.00 का अन्तर है। इस प्रकार सी०पी० टैक्स वसूली की गणना में अनियमितता की गई है। जिसके लिये पटल प्रभारी श्री दिनेश कुमार, संबंधित पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त अन्तर की स्थिति का समाधान कर लेखा परीक्षा में पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 36. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष (2021-22) का चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका प्रपत्र- 3 तथा नौकाघाट से संबंधित रजिस्टर के अनुसार गत वर्ष का ठेका बकाया, वर्ष की माँग, वर्ष में वसूल तथा वर्षान्त (दि० 31.03.2022) में अन्तर निम्नवत् है-

क्र०सं०	विवरण	रजिस्टर के अनुसार	त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका प्रपत्र -3 के अनुसार	अन्तर

1.	गत वर्ष का बकाया (01.04.2021)	33,362.00	3,77,000.00	**3,43,638.00**
2.	वर्ष की चालू माँग	5,98,689.00	5,99,000.00	**311.00**
3.	वर्ष में कुल माँग	6,32,051.00	9,76,000.00	**3,43,949.00**
4.	वर्ष में कुल वसूली	**1,50,070.00**	**2,70,000.00**	**1,19,930.00**
5.	वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाया	**4,81,981.00**	7,06,000.00	**2,24,019.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्ष के बकाये की धनराशि नौकाघाट रजिस्टर तथा त्रैमासिक पुस्तिका में ₹ 3,43,638.00 है तथा वर्ष के वसूली में ₹ 1,19,930.00 का अन्तर है जिसके फलस्वरूप वर्षान्त (दि० 31.03.2022) में बकाये की धनराशि में ₹2,24,019.00 का अन्तर रहा जो अनियमित है, जिसके लिये पटल सहायक श्री बी० पी० तिवारी उत्तरदायी हैं। उक्त अन्तर ₹2,24,019.00 का समाधान कर लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 37. शासनादेश सं0 682 - बी/33-3-14(2)/84 दि० 10.03.1987 एवं 2203 / 3-2- 757-43वी0- 8/95 टी०सी० दिनांक 30.05.1987 के अनुसार जिला पंचायतों को मृत पशु एवं शव निस्तारण से वर्ष में प्राप्त आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को विकास कार्यो हेतु हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष (2021-22) में मृत पशु एवं शव निस्तारण के मद में कुल ₹4,08,800.00 की आय हुई, जिसका 50 प्रतिशत ₹2,04,400.00 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित किया जाना चाहिये, जो नहीं किया गया। ऐसा न कर अनियमितता की गई है, जिसके लिये पटल सहायक श्री राम जी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। जिला पंचायत द्वारा ₹2,04,400.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 38. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष (2021-22) के काँजी हाउस से संबंधित रजिस्टर / पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया कि जनपद सीतापुर के विभिन्न विकास खण्डों में स्थित काँजी हाउस में टेण्डरों के उपरान्त कुल ₹2,35,200.00 की वसूली की जानी थी, जिसकी पूर्ण वसूली टेण्डरों के समय कर ली गयी। उक्त काँजी हाउस रजिस्टर की जाँच में यह प्रकाश में आया कि वर्ष (2018-19) की बकाया धनराशि ₹ 24,200.00 को दिनांक 31.03.2022 तक वसूल नहीं किया गया। बकाया वसूली न कर अनियमितता की गई है। जिसके लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं।

काँजी हाउस (पौण्ड) पुरानी बकाया धनराशि वर्ष (2018-19) का विवरण-

कं० सं०	**नाम / पिता का नाम**	पता	बकाया
1.	श्री श्यामलाल पुत्र श्री इन्द्रजीत	थानगांव	**750**
2.	श्री जनार्दन प्रसाद	सकरन	**3,700**
3.	श्री हैदर अली पुत्र श्री नजीर अहमद	कदुनी नि०कौरासा	**300**
4.	श्री राम प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायन	बेहटा पकौड़ी	**1,050**
5.	श्री अरविन्द पुत्र बाबूराम	बम्भिया	3,800
6.	श्री मो० कलीम पुत्र मो० हकीम	सेउढा नि० भरावन	**1,550**
5.	बिहारी लाल पुत्र देवी दीन	महादेवा अटरा	**1,650**

6.	श्री मो० उमर खाँ पुत्र बाबू खाँ	राजाडीह	**2,100**
7.	श्री लल्लन पुत्र श्री अली हुसैन	जहाँगीराबाद	**4,800**
8.	श्री शहनू पुत्र युसुफ	मल्लापुर	**2,850**
9.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश	गढवे	100
10.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राम औतार	गोदलामऊ नि० ब्रम्हण टोला	**400**
11.	श्री जगमोहन लाल पुत्र स्वामी दयाल.	बैरागीपुर	1,150
		योग-	24,200.00

उक्त बकाया धनराशि ₹ 24,200.00 की वसूली हेतु कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित है। तथा वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाना वांछित है।

प्रस्तर सं 39. लेखा परीक्षा में वर्ष (2021-22) में प्रस्तुत चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका प्रपत्र- 3 एवं काँजी हाउस से संबंधित रजिस्टर के अनुसार गत वर्ष का बकाया, वर्ष की माँग, वर्ष में वसूल तथा वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाये में अन्तर का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	विवरण	चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 3 के अनुसार (लाख **₹)**	काँजी हाउस रजिस्टर के अनुसार (लाख ₹)	अन्तर (लाख ₹)
1	गत वर्ष का बकाया	**0.24**	**0.24**	**-**
2.	वर्ष की माँग	**2.33**	**2.35**	**0.02**
3.	वर्ष में वसूल	**0.31**	**2.35**	**2.04**
4.	वर्षान्त (31.03.2022) में कुल बकाया	**2.20**	**0.24**	**2.02**

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार वर्षान्त (31.03.2022) को काँजी हाउस (पौण्ड) बकाये में अन्तर ₹2,02,000.00 दर्शित कर अनियमितता की गई है, जिसके लिये पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 40. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के माह मार्च, 2022 के मासिक लेखा प्रपत्र ङ के आय पक्ष के पृष्ठ सं0 09 में विज्ञापन से ₹20,000.00 की आय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त आय ₹20,000.00 से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता की गई है। उक्त अनियमितता के लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त आय ₹ 20,000.00 से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 41. लेखा परीक्षा वर्ष में प्रस्तुत आय प्रमाणकों का कैश बुक से मिलान करने पर यह ज्ञात हुआ कि आय प्रमाणक संख्या 250 के अनुसार पशु बाजार बकाया खैराबाद के मद में चेक सं0 068047 दि० 08.01.2021 के माध्यम से ₹5,70,000.00 प्राप्त किया गया जिसे जिला निधि के इलाहाबाद बैंक के खाता सं0 21082963757 में दिनांक 24.03.2021 को अत्यन्त विलम्ब से लगभग 2 माह के उपरान्त श्री भगवती प्रसाद तिवारी सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा जमा किया गया। उक्त आय को कैशबुक में माह अप्रैल 2021 में दर्ज किया गया है। लगभग 2 माह के उपरान्त जमा करने पर जिला पंचायत को ब्याज की क्षति हुई है एवं धन का दुरूपयोग हुआ है। अतः ₹5,70,000.00 पर 2 माह के दण्डनीय ब्याज(रू 20 मासिक) ₹22,800.00 की वसूली सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री भगवती प्रसाद तिवारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 42. श्री पवन प्रकाश वर्मा, सहा0 राजस्व निरीक्षक (आई आर आई) द्वारा मेसर्स राई फिलिंग स्टेशन अमलौरा, प्रो० श्रीमती विजय वर्मा से सी०पी०टैक्स ₹ 75,000.00 चेक सं0 002406 दिनांक 25.03.2021 को प्राप्त किया जिसे चलान सं0 5 से दि0 24.05.2021 को जिला निधि के इण्डियन बैंक खाता सं0 21082963797 में अत्यधिक विलम्ब से लगभग 2 माह के उपरान्त जमा किया गया। अतः उक्त चेक को बैंक मे 2 माह के उपरान्त विलम्ब से जमा करने से जिला पंचायत को ब्याज की क्षति हुई है एवं धन का दुरूपयोग हुआ है। अतः श्री पवन प्रकाश सहा० राजस्व निरीक्षक से ₹75,000.00 पर दण्डनीय ब्याज ₹ 3,000.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 43. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-5 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा अन्त्योदय ऋण योजना के माध्यम से कुल 2405 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया जिसमें से मात्र 363 लाभार्थियों द्वारा ही ऋण की पूर्ण अदायेगी की गई है। शेष 2042 लाभार्थियों की ऋण पत्रावली माँगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे इनकी जाँच न की जा सकी तथा ऋण अदा न करने वाले 2042 लाभार्थियों के विरूद्ध जिला पंचायत द्वारा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया जो वांछित है। चतुर्थ त्रैमासिक पुस्तिका के प्रपत्र-5 के अनुसार दि० 31.03.2022 को कुल बकाया ऋण ब्याज सहित ₹89.87 (लाख) है। जिसे वसूल न कर अनियमितता की गई। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन, पशचातवर्ती तथा वर्तमान पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। उक्त ऋण की वसूली हेतु 2042 लाभार्थियों के विरूद्ध आवश्यक कठोर प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 44. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 के चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-5 के अनुसार स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत शासन से कुल ₹ 6.00 (लाख) प्राप्त हुआ जिसे 9 लाभार्थियों को वितरित किया गया। उक्त 9 लाभार्थियों में से अद्यतन मात्र 2 लाभार्थियों ने ही ऋण की पूर्ण अदायेगी की है। ऋण न अदा करने वाले 7 लाभार्थियों पर दि० 31.03.2022 तक कुल ₹15.80 (लाख) (ब्याज सहित) ऋण बकाया है। उक्त बकाया ₹15.80 (लाख) की वसूली हेतु जिला पंचायत द्वारा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। उक्त ऋण की वसूली न कर अनियमितता की गई। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन, पशचातवर्ती तथा वर्तमान पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अद्यतन बकाया स्थानीय विकास ऋण ₹15.80 (लाख) की वसूली हेतु ठोस प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त योजना से संबंधित कोई ऋण पत्रावली लेखा परीक्षा में माँगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 45. लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) के चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र- 5 के अनुसार विगत वर्षों में स्पेशल कम्पोनेन्ट के मद में शासन से ₹15.17 (लाख) ऋण वितरण हेतु धनराशि प्राप्त हुई है, जो कुल 314 लाभार्थियों को वितरित की गई। उक्त 314 लाभार्थियों में से मात्र 34 लाभार्थियों द्वारा ही ऋण की पूर्ण अदायगी की गई है। उक्त ऋण के सापेक्ष शासन से ₹7.58 (लाख) सबसीडी प्राप्त हुई है। अतः सबसीडी के उपरान्त अद्यतन 280 लाभार्थियों पर कुल ₹12.91 लाख) का ऋण लगा हुआ है। उक्त योजना की ऋण पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त लगे ऋण की वसूली हेतु पटल सहायक श्री बी०सी० तिवारी द्वारा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया है। माँगोपरान्त ऋण पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कर तथा समय पर ऋण वसूल न कर अनियमितता की गई है, जिसके लिये

तत्कालीन पश्चातवर्ती तथा वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर सं 46. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) का चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-5 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा अन्त्योदय ऋण योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त कुल 127.60 (लाख) मे से ₹105.12 (लाख) का ऋण 2405 लाभार्थियों को वितरित किया गया था। उक्त अवितरित ₹22.48 (लाख) में से ₹20.17 (लाख) ट्रेजरी चालान सं0 1 व 2 के माध्यम से दि० 24.09.2015 को शासन को वापस कर दिया गया था। अवशेष अवितरित ऋण ₹2.31 (लाख) अद्यतन शासन को वापस नहीं किया गया है। अत्यन्त आपत्ति का विषय है कि जब दि० 24.09.2015 को अवशेष ₹ 20.17 शासन को वापस किया गया था तो पूर्ण अवशेष धनराशि ₹22.48 (लाख) क्यों नहीं वापस किया गया ? कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। अवशेष अवितरित ऋण की धनराशि ₹2.31 (लाख) शासन को वापस न कर अनियमितता की गई है। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन, पशचातवर्ती तथा वर्तमान पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी, लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। अद्यतन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अवितरित ऋण की धनराशि ₹ 2.31 (लाख) शासन को अविलम्ब वापस कर लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 47. जिला निधि खाते तथा प्रपत्र ङ में दिनांक 31.03.2022 को दर्शित अवशेषों में ₹ 24,91,973.39 का अन्तर है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष (2021-22) के प्रस्तुत माह मार्च, 2022 के मासिक लेखा प्रपत्र ङ (फार्म ई) के पृष्ठ सं0 27 में दर्शित अन्तिम शेष में दर्शित अन्तिम शेष के विवरण के अनुसार जिला पंचायत में दि० 31.03.2022 को कुल ₹ 48,37,11,801.63 शेष था, जिसका विवरण निम्नवत् है।

1. ठेकेदारों की जमानत की धनराशि -		**1,18,03,969.10**
2. विभिन्न सरकारी अनुदानों का अवशेष -		45,34,70,017.24
3. जिला पंचायत के पूर्ण अधिकार की धनराशि		1,84, 37, 815.29
(जिला निधि)	कल योग -	48,37, 11, 801.63

ठेकेदारों की जमानत की देय धनराशि जिला निधि खाते में जमा किया जा रहा है। इस प्रकार दि० 31.03.2022 को जिला निधि खाते में उक्त विवरणानुसार कुल ₹ 3,02,41, 784.39 (₹ 1,18,03,969.10 ₹ 1,84,37,815.29) होना चाहिए, जबकि जिला निधि खाता सं0 21082963797 इण्डियन बैंक के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दि० 31.03.2022 को ₹ 2,77,49,811.00 ही जमा दर्शित है। अतः जिला निधि हेतु खोले गये खाते में तथा माह मार्च, 2022 के मासिक लेखा प्रपत्र ङ में जिला निधि की धनराशि में दि० 31.03.2022 को ₹ 24,91,973.39 का अन्तर है। उक्त अन्तर की धनराशि को अपहरण की श्रेणी मे वर्गीकृत किया जाता है। जिसके लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 48. लेखा परीक्षा वर्ष (2021-22) की कैश बुक में निम्नलिखित विभिन्न तिथियों में निराश्रित गोवंश के भरण- पोषण पर ₹ 18,30,420.00 व्यय का भुगतान विभिन्न आश्रय स्थलों पर तैनात उनके नोडल अधिकारियों के पक्ष में किया गया है। किन्तु किस आश्रय स्थल पर वास्तव में कितने गोवंश है। उसकी प्रमाणित संख्या का सर्टिफिकेट एवं शासन द्वारा प्रति गोवंश प्रतिदिन का भरण-पोषण पर व्यय की धनराशि का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही दर्शित आश्रय स्थल की वैधता पंजीकरण शासन द्वारा है कि नहीं इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी । पुष्टि के अभाव में किया गया व्यय अनियमित है। इसके लिए पटल से संबंधित पटल सहायक श्री बी०पी० तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। प्रमाणित

अभिलेख उपलब्ध कराकर उक्त तथ्यां े की पुष्टि करायी जानी वांछित है। जिससे लेखा परीक्षा में व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके। व्यय का विवरण निम्नवत् है-

कं०सं०	कैशबुक में व्यय दिंनाक	वाउचर सं0	व्यय धनराशि
1.	09.08.2021	30	एच855060.00
2.	01.10.2022	17	एच247350.00
3.	15.12.2021	15	एच 245220.00
4.	12.01.2022	29	एच236070.00
5.	04.02.2023	64	एच 9150.00
6.	22.03.2022	137	एच 237570.00
		योग	**एच 18,30,420.00**

प्रस्तर सं 49. कैश बुक में विभिन्न तिथियों में कार्यालय वाहन पर सर्विस व मरम्मत एवं पेट्रोल / डीजल क्रय पर कुल व्यय ₹ 4,81,200.00 दर्शित है। किन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में वाहन लॉग बुक एवं मरम्मत सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। साथ ही यात्रा का स्थान दिनांक एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी न हो सकी। जिससे उक्त व्ययों की सत्यता एवं औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। उक्त आपायों के आलोक में किया गया उक्त व्यय अनियमित है। जिसके लिए संबंधित लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है। उक्त अनियमित व्यय हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत् है ।

कं०सं	वाहन सं०	कैशबुक में व्यय दिनाक	**वाउचर सं०**	व्यय का मद	व्यय धनराशि
1.	यूपी-34 आर-9000 अम्बेस्डर कार	02.12.2021	17	मरम्मत/सर्विस कार्य मे० छोटे आटो मोबाइल्स को भुगतान	एच 26920.00
2.	**यूपी-34 जी-0486** बोलेरो	02.12.2021	19	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	**एच 24,164.00**
3.	यूपी-34 आर-9000	**02.12.2021**	20	डीजल एवं मोविल आयल क्रय जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 33,600.00
4.	यूपी-34जी-0486	**22.03.2022**	143	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 7864.00
5.	यूपी-34 जी-0486	**31.03.2022**	163	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 24466.00
6.	यूपी-34 जी-0486	**31.03.2022**	163	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 3495.00
7.	यूपी-34जी-0486	**31.03.2022**	164	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 13806.00

8.	यूपी-34 आर-900	**01.10.2021**	24	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 21705.00
9.	यूपी-34 जी-0486	**01.10.2021**	25	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 20,852.00
10.	एच-34 जी-0486	**31.01.2022**	97	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	18699.00
11.	यूपी-34 आर-9000	**31.01.2022**	99	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 18699.00
12.	यूपी-34 जी-0486	**03.01.2022**	6	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 19271.00
13.	यूपी-34 आर-9000	**03.01.2022**	7	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 2440.00
14.	यूपी-34 जी-0486	**07.06.2011**	1	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 36945.00
15.	यूपी-34 आर-9000	**07.06.2021**	2	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 30155.00
16.	यूपी-34 आर-9000	**02.07.2021**	18	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 8867.00
17.	यूपी-34 जी-0486	**02.07.2021**	19	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 8867.00
18.	यूपी-34 जी-0486	**02.07.2021**	21	सर्विससिंग है।हेतु मे० मोसराम इंटरप्राइजेज लि० को भुगतान	एच 9000.00
19.	यूपी-34 आर-9000	**01.11.2021**	18	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 27906.00
20.	यूपी-34 जी-0486	**01.11.2021**	24	डीजल क्रय मेंसर्स जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 32,772.00
21.	यूपी -34 जी-0486	**01.11.2021**	24	सर्विससिंग है। हेतु मे० मोसराम इंटरप्राइजेज लि० को भुगतान	एच 34111.00
22.	यूपी-34 आर-9000	**03.09.2021**	01	मेंसर्स जे०पी० केयर्स को डीजल क्रय का भुगतान	एच 18647.00
23.	यूपी-34 जी-0486	**03.09.2021**	02	मेंसर्स जे०पी० केयर्स को डीजल क्रय का भुगतान	एच 32628.00
				भुगतान योग	एच 481200.00

प्रस्तर सं-50 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के अनुदान रजिस्टर की जाँच में प्रकाश में आया कि अनुदान रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- 89 पर विनियमित क्षेत्र में ₹3.002 (लाख) दर्शित है। उक्त

धनराशि विगत वर्षों से याथवत दर्शित की जा रही है। परन्तु वित्तीय वर्ष (2021-22) के चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-4 में उक्त मद तथा धनराशि को अंकित नहीं किया गया है। उक्त मद की धनराशि ₹3.002 (लाख) गत वर्ष (2020-21) की अन्तिम शेष एवं वर्ष (2021-22) की प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पायी। साथ ही उक्त मद की धनराशि ₹ 3.002 (लाख) किस खाते में जमा है या नहीं, इसकी भी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गई है। पुष्टि के अभाव में दर्शित जमा उक्त धनराशि ₹3.002 (लाख) अनियमित है। इस अनियमितता के लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं। विनियमित क्षेत्र मद की धनराशि ₹3.002 (लाख) का विवरण ढूंढकर जमा की पुष्टि करायी जानी वांछित है।

प्रस्तर सं 51. कैश बुक में विभिन्न तिथियों में संस्था के जनरेटर हेतु, डीजल क्रय का ₹ 1,90,188.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु जनरेटर लॉगबुक उपलब्ध नहीं रही, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। बिना लॉगबुक के किया गया उक्त व्यय अनियमित है। जिसके लिए संबंधित लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है। लॉगबुक प्रस्तुत कर उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उक्त व्यय ₹ 1,90, 188.00 का विवरण निम्नवत् है-

कं०सं	कैशबुक में व्यय दिनांक	वाउचर **सं०**	डीजल विक्रेता का नाम	व्यय धनराशि
1	02.12.2021	21	मे०जे०पी० केयर्स, 67, स्टेशन रोड सीतापुर	एच 14274.00
2.	22.03.2022	144	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 15,378.00
3.	31.03.2022	162	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 17476.00
4.	01.10.2021	23	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 18095.00
5.	31.01.2022	96	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 17476.00
6.	01.01.2022	8	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 19636.00
7.	07.06.2021	3	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 28647.00
8.	02.07.2021	17	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 20856.00
9.	01.11.2021	20	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 15696.00
10.	03.09.2021	03	मे०जे०पी० केयर्स को भुगतान	एच 22654.00
			कुल योग	एच 190188.00

प्रस्तर सं.-52 जिला पंचायत सीतापुर की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में विभिन्न वाउचर सं० के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु ₹1,47,003.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। विज्ञप्ति प्रकाशनों पर ₹

20,000.00 से अधिक का भुगतान हुआ है। ऐसी दशा में वित्तीय नियम के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशन के व्यय के संदर्भ में विभिन्न प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशनों से कोटेशन प्राप्त कर, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हुए सम्बन्धित समाचार पत्र प्रकाशन से विज्ञप्ति प्रकाशित कराना चाहिए था । किन्तु सम्बन्धित विज्ञप्ति प्रकाशन व्यय के संदर्भ में कोटेशन प्राप्त करने की पुष्टि वाउचर फाइल से नहीं हुई। बिना कोटेशन प्राप्त किये सम्बन्धित व्यय के संदर्भ में विठीय नियम का पालन नहीं किया गया है, जो उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या- ए-1-864/ दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 में वर्णित दिशा निर्देशों के विपरीत है। उक्त शासनादेश के आलोक में किया गया उक्त व्यय अनियमित है। इस अनियमितता के लिए संबंधित पटल सहायक, लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका समान रूप से उत्तरदायी है । इस सम्बन्ध में समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत् है।

कं० सं०	**वाउचर सं0**	कैशबुक दिनांक	समाचार पत्र का नाम जिसमें प्रकाशन हुआ		विज्ञप्ति पर व्यय धनराशि
1.	01.11.2021	38	i) दैनिक जागरण में मानचित सम्बन्धी विज्ञाप्ति प्रकाशन ii) हिन्दुस्तान में योग	27291.00 20802.00 48093.00	48093.00
2.	01.11.2021	39	नौकाघाट विज्ञप्ति प्रकाशन i) राष्ट्रीय स्वरूप में ii) अमर उजाला में योग	3258.00 8529.00 11787.00	11787.00
3.	01.11.2021	40	मृतपशुओं के शव विच्छेदन हेतु ठेका विज्ञप्ति प्रकाशन i) दैनिक जागरण में ii) स्वतन्त्र भारत iii) हिन्दी दैनिक देश की रोशनी योग	 27290.00 6719.00 4045.00 38054.00	38054.00

4.	01.11.2021	41	मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु ठेका विज्ञप्ति प्रकाशन i) दैनिक जागरण में ii) देश की रोशनी में योग	 20801.00 5394.00 26195	22874.00
5.	03.09.2021	13	नेकाघाट विज्ञप्ति प्रकाशन i) दैनिक जागरण में प्रकाशन हेतु भुगतान ii) हिन्दुस्तान में प्रकाशन हेतु भुगतान योग	 12129.00 10745.00 22874.00	22874.00
			कुल योग		147003.00

प्रस्तर सं 53. जिला पंचायत सीतापुर की कैश बुक में विभिन्न तिथियांे में किराये की गाड़ी यूपी32एमजी5004 इनोवा के लिए डीजल एवं किराये का ₹ 1,29,320.00 भुगतान किया जाना दर्शित है। संस्था पर निजी तौर पर शासकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध है। फिर भी किराये की गाड़ी पर भुगतान औचित्य पूर्ण नहीं है। भुगतान अनियमित है। इसके लिए पटल से संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है-

कं० सं०	कैशबुक में व्यय दिनाक	वाउचर **सं०**	व्यय धनराशि	बिल **सं०**	बिल दिनांक	मेसर्स का नाम
1.	22.03.2022	146	एच 19660.00	26389 से 26398 तक	**04.01.2022 से 31.01.2022**	मेसर्स जे०पी० केयर्स से डीजल क्रय
2.	22.03.2022	148	एच 45000.00	03	**01.03.2022**	मेसर्स सुनील कुमार गुप्ता को माह फरवरी का गाड़ी किराये का भुगतान
3.	31.03.2022	165	एच 15728.00	3615 से 36161 तक	04.02.2022 से 15.02.2022 तक	मेसर्स जे०पी० केयर्स से डीजल क्रय
4.	31.03.2022	175	एच 45000.00	04	31.03.2022	मेसर्स सुनील कुमार गुप्ता को माह मार्च का गाड़ी किराये का भुगतान

5.	31.01.2022	98	एच 3932.00	036152	31.12.2021	मेसर्स जे०पी० केयर्स से डीजल क्रय
	कुल योग		एच 0129320.00			

उक्त व्यय के संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किराये के गाड़ी का माह फरवरी एवं माह मार्च, 2022 का कुल ₹ 90,000.00 का किराये का भुगतान मेसर्स सुनील कुमार गुप्ता को किया जाना दर्शित है, किन्तु प्रस्तुत बिल सं0 3 एवं 4 पर ळैज्छ नं० अंकित नहीं है। यह एक सादा बिल संलग्न है जो वैध नहीं है। प्रस्तुत बिल अमान्य है। संबंधित धनराशि ₹ 90,000.00 का अपहरण हुआ है, जिसके लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं। दोनो से समान रूप से धनराशि की वसूली वांछित है।

प्रस्तर सं-54 . लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के रोकड़ बही खण्ड-2 (प्रपत्र- 10, नियम सं0 47) के अनुसार कैशियर द्वारा दि० 14.08.2021 को 66 जिला पंचायत सदस्यों को ₹ 1,000.00 प्रति सदस्य, कुल ₹ 66,000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसमें निम्न त्रुटियां प्रकाश में आई।

जिला पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह ज्ञात न हो सका कि अध्यक्ष महोदय द्वारा दि० 14.08.2021 को कोई बैठक आहूत की गई थी अथवा नहीं। उक्त दिवस में सदस्यांे की उपस्थिति की पुष्टि में उपस्थिति पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सदस्यों की उपस्थिति की पुष्टि न की जा सकी। सदस्यों द्वारा ₹ 1,000.00 की दी गई, पावती कैशियर द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उक्त कारणों से 66 सदस्यों का प्रति सदस्य ₹ 1,000.00 कुल यात्रा भत्ता ₹66,000.00 का भुगतान अनियमित है। इस अनियमितता के लिये कैशियर श्री रामजी उत्तरदायी हैं। कार्यवाही पंजिका, सदस्यों की पावती तथा सदस्यों की उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत कर ₹ 66,000.00 की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ₹ 66,000.00 की वसूली वांछित होगी ।

प्रस्तर सं 55. जिला पंचायत सीतापुर की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में स्टेशनरी क्रय पर ₹ 49,000.00 भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त स्टेशनरी क्रय के सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुभाग से माँगपत्र, क्रय कमेटी की अनुमति, स्टेशनरी क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन प्राप्त करना, इत्यादि क्रय सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुई। साथ ही स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर भी जाँच एवं मिलान हेतु अप्राप्त रहा। जिससे उक्त अभिलेखों के अभाव में स्टेशनरी क्रय की सत्यता एवं औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के आलोक में किया गया व्यय अनियमित है। विवरण निम्नवत् है-

कं०सं०	कैशबुक दिंनाक	वाउचर सं०	क्रय धनराशि	मेसर्स का नाम	क्रय बिल सं० /दिनांक	व्यय धनराशि
1.	31.03.2022	176	22000.00	मेसर्स आदर्श मुद्रण एवं प्रकाशन सह० समि० लि०	101 23.01.2022 103 24.01.2022	एच 8000.00 एच 14000.00
						एच 22000.00

2.	01.11.2021	42	27000.00	मेसर्स आदर्श मुद्रण एवं प्रकाशन सह० समि० लि०	89 08.01.2021 114 03.02.2022	एच 20000.00 एच 7000.00
						एच 27000.00
					कुल योग	एच 49000.00

शासनादेश सं० ए-1-1864/दस-08-511/86 दिनांक 23.08.2008 के अनुसार रू0 20,000.00 से अधिक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित कर न्यून्तम दर पर सामग्री क्रय किया जाना चाहिये तथा रू0 20,000.00 से अधिक की क्रय धनराशि को विभाजित कर क्रय नहीं किया जाना चाहिये। उपरोक्त प्रमाणक सं0 101 तथा 103 निकट समय के हैं। तथा उनका योग रू0 20,000.00 से अधिक है। इसी प्रकार प्रमाणक सं0 89 तथा 114 निकट समय के हैं। जिनका भुगतान एक ही दिवस में एक ही फर्म को दिनांक 01.11.2021 को किया गया है। इस प्रकार उक्त क्रय नियम का उल्लंघन कर रू0 49,000.00 की स्टेशनरी क्रय में अनियमितता की गई है, जिसके लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस संबंध में समुचित कार्यवाही वांछित है।

प्रस्तर सं 56. लेखा परीक्षा वर्ष (2021-22) की कैश बुक में दिनांक 04.02.2022 को वाउचर सं0- 66 के अनुसार कार्यालय जिला पंचायत सीतापुर के नेट कनेक्शन हेतु मेसर्स सुपर सर्विसेज शाप नं0 3 गगनान्द काम्प्लेक्स सीतापुर को कुल रू0 13,950.00 का भुगतान किया गया है। नेट कनेक्शन जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के निर्देशानुसार लगाया जाना दर्शित है। व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र०सं०	बिल दिंनाक	बिल सं०	बिल धनराशि
1.	20.03.2021	279	4550.00
2.	22.03.2021	280	4850.00
3.	23.03.2021	282	4550.00
		योग-	13950.00

उक्त व्यय के संदर्भ में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीः-

1. उक्त व्यय यदि जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के आदेशानुसार किया गया है। तो आदेश की कापी व्यय वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी, जिससे आदेश की पुष्टि नहीं हुई।

2. उक्त तीनों व्यय बिल दिं० 20.02.2021 को निर्गत है। किन्तु उक्त बिलो के दिनांक पर अपर लेखन कर बिल सं0- 279 पर दिनांक 20.03.2021, बिल सं0- 280 पर दिनांक 22.03.2021 तथा बिल सं0- 282 पर दिनांक 23.03.2021 अंकित किया गया है। अपर लेखन कर तिथि बदलना व्यय की सत्यता को संदिग्ध बनाता है।

3. उक्त बिल वित्तीय वर्ष (2020-21) में निर्गत है । किन्तु उसका व्यय कैशबुक में लगभग एक वर्ष बाद 04.02.2022 को कैशबुक में सम्मिलित किया गया। व्यय वित्तीय वर्ष (2020-21) से सम्बन्धित है। जबकि भुगतान वित्तीय वर्ष (2021-22) में हुआ है। ऐसी दशा में उक्त व्यय पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रावधानित

था या नहीं, जानकारी न हो सकी। अतः उक्त आपायों के आलोक में किया गया व्यय अनियमित है। जिसके लिए लेखाकार श्री बृजेश कमार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 57. कैशबुक में दिनांक 01.10.2021 को वाउचर संख्या- 26 के अनुसार डाक बँगला महमूदाबाद में नया विद्युत कनेक्शन लेने के सम्बन्ध में भुगतान (भु 6,869.00 अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महमूदाबाद को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में धन जमा रसीद वाउचर फाइल के साथ संलग्न नहीं है। मात्र फेक इविलिटी रिपोर्ट/इस्टीमेट की छायाप्रति वाउचर फाइल में संलग्न है। धन जमा रसीद की मूलप्रति अनुपलब्ध होने से किया गया व्यय अनियमित है। इस अनियमितता के लिये संबंधित पटल सहायक एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है। धन जमा रसीद की मूलप्रति उपलब्ध कराकर व्यय के सत्यता की पुष्टि करायी जानी वांछित है।

प्रस्तर सं 58. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका तथा माह मार्च 2022 का मासिक लेखा प्रपत्र ङ के अनुसार कृषि एवं तरूपालन के मद में वृक्षों की बिक्री से 2,000.00 की आय हुई है। जिसकी पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गई है। इस संबंध में यह भी उल्लिखित है कि त्रैमासिक पुष्टिका (2021-22) के प्रपत्र- 8 में वृक्षों के विवरण में वृक्षों की कृल सं0- 621 दर्शित है। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम सं0 14 के अनुसार वृक्षों की संख्या, जो प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार सत्यापित की गयी हो, की सत्यापन रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में माँगोपरान्त प्रस्तुत नहीं हुयी। उक्त अनियमितता के लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार तथा संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी हैं। संबंधित प्रत्रावली प्रस्तुत कर उक्त आय की पुष्टि एवं वृक्षो की संख्या की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं-59. कैशबुक में दिनांक 04.02.2022 को वाउचर सं0- 57 के अनुसार मेसर्स इर्फान आटो . मोबाइल्स अपोजिट(2 बीपीएन टेशन रोड सीतापुर को बिल सं0 269/23.11.2021 के माध्यम से 41,500.00 जनरेटर सर्विस हेतु भुगतान किया गया है। संलग्न बिल पर जी०एस०टिन० नम्बर अंकित नहीं है। प्रस्तुत बिल एक सादा बिल है। ऐसे सादा बिल के माध्यम से भुगतान अमान्य है। अमान्य सादा बिल संलग्न कर धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की वसूली संबंधित पटल सहायक एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार से समान रूप से किया जाना वांछित है।

प्रस्तर सं-60 कैशबुक में विभिन्न तिथियों में मेसर्स निधि पी०सी०ओ० एण्ड इलेक्ट्रोस्टेट शाप नं० 20 लाल बाग सीतापुर को फोटोकापी एवं प्रिन्टर टोनर रिफिल हेतु रू0 18,133.00 भुगतान किया गया है। संलग्न बिल पर जी०एस०टिन० नम्बर अंकित नहीं है। प्रस्तुत बिल एक सादा बिल है। जो अमान्य एवं कूटरचित है। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली संबंधित उत्तरदायी लेखाकार श्री बृजेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत् है-

कं० सं०	कैशबुक में व्यय दिनांक	वाउचर सं०	**भुगतान का उद्देश्य**	बिल सं०/दिनांक	भुगतानित धनराशि
1.	03.01.2022	10	फोटाकापी हेतु भुगतान	1432/02.09.2021	एच 1805.00
2.	07.06.2021	13	टोनर रिफिल हेतु भुगतान	1326/27.03.2021	एच 650.00
3.	02.07.2021	20	टोनर रिफिल हेतु भुगतान	1355/27.04.2021	एच 650.00
4.	01.11.2021	23	फोटाकापी हेतु भुगतान	1443/22.09.2021	एच 4891.00

5.	03.05.2021	11	फोटाकापी हेतु भुगतान	1411/29.07.2021	एच 45442.00
6.	03.09.2021	12	टोनर रिफिल हेतु भुगतान	1422/06.08.2021	एच 650.00
7.	28.09.2021	53	छायाप्रति हेतु भुगतान	1430/26.09.2021	एच 4945.00
				योग	एच 18133.00

प्रस्तर सं 61. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-22) के वेतन पंजिका, कैश बुक, पंचम राज्य वित्त तथा जिला निधि खाते के वित्तीय वर्ष (2021-22) के बैंक स्टेटमेन्ट तथा पटल सहायक तथा लेखाकर द्वारा प्रस्तुत पंचम राज्य वित्त तथा जिला निधि खाते से आहरित माहवार वेतन का विवरण तथा जिला निधि खाते मे मासान्त में अवशेष का निम्न प्रमाणित विवरण की समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

कं० सं०	माह	पंचम रा०वि०आ०से वेतन/पेंशन आदि व्यय खाता सं0 50097862589 इण्डियन बैंक, सिविल लाईन	जिला निधि से वेतन / पेंषन आदि व्यय खाता सं0 21082963797 इण्डियन बैंक, सिविल लाईन	मास में जिलानिधि अवशेष धनराशि खाता सं0 21082963797 इण्डियन बैंक, सिविल लाईन
1.	अप्रैल-21	0	5718258	18926126.20
2.	मई-21	0	5499477	12728499.20
3.	जून-21	6878089	1337310	13182518.20
4.	जुलाई-21	6497032	0	14471226.20
5.	अगस्त.-21	5959155	0	14486337.20
6.	सितम्बर.-21	7314747	0	18054583.20
7.	अक्टूबर-21	6680987	0	21840224.20
8.	नवम्बर.-21	0	4855222	17801456.20
9.	दिसम्बर-21	5742650	153860	18443640.20
10.	जनवरी-22	6677380	0	20403649.20
11.	फरवरी-22	6755246	0	2118859.20
12.	मार्च-22	6542151	136621	27749811.20
	योग-	59047437	17700478	

1- माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2021 तथा जनवरी, फरवरी 2021 का सम्पूर्ण वेतन पंचम राज्य वित्त से आहरित किया गया जबकि जिला निधि खाते में प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध थी।

2- माह अप्रैल, मई तथा नवम्बर 2021 का सम्पूर्ण वेतन जिला निधि खाते से आहरित किया गया। माह जून, दिसम्बर 2021 तथा मार्च 2022 से जिला निधि खातों तथा पंचम राज्य वित्त खाते से संयुक्त रूप से आहरित किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा वेतन, पेंशन आदि का भुगतान किसी माह में पंचम राज्य वित्त से तथा किसी माह में जिला निधि खाते से तथा किसी माह में उक्त दोनों खातों से संयुक्त रूप से आहरित किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि वेतन के आहरण हेतु कोई नीति

निर्धारित नहीं की गई है कि जिला निधि के अतिरिक्त किन परिस्थतियों में कितना राज्य वित्त से वेतन आहरित किया जायेगा।

अतः जिला निधि खाते में पर्याप्त धन होने के उपरान्त भी पंचम राज्य वित्त से ₹5,90,47,437.00 आहरित कर अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर सं 62. (1) आलोच्य वर्ष (2021-22) में दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक पंचम राज्य वित्त एवं 15वा वित्त टाईड एवं अनटाईड के अन्तर्गत कराये गये कुल 400 निर्माण कार्यो में ठेकेदारो के बिलो से आयकर की कुल कटौतियों रू0 77,66,000.00, जी०एस०टी की कुल कटौतियों रू0 77,66,000.00 व सेस की कुल कटौतियों रू0 38,33,000.00 संस्था द्वारा प्रमाणित सूची संलग्नक- 3 (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 21.03.2022 तक पंचम राज्य वित्त एवं 15वा वित्त टाईड एवं अनटाईड के अन्तर्गत कराये गये कुल 400 निर्माण कार्य में आयकर जी०एस०टी० एवं सेस की कुल कटौती की सूची संलग्नक- 3) के अनुसार दर्शित है। किन्तु जिला पंचायत सीतापुर द्वारा दर्शित उक्त टी०डी०एस० की कटौतियों पुष्टि में सेस आयकर एवं जी०एस०टी० रिटर्न/मिलान पत्र उपलब्ध कराया गया जिससे आयकर, जी०एस०टी० तथा सेस की कुल कटौतियों, आयकर, जी०एस०टी० तथा सेस की कुल जमा तथा देय आयकर, देय जी०एस०टी० तथा देय सेस की धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। आयकर, जी०एस०टी तथा सेस की कुल कटौतियों क्रमशः रू0 77,66,000.00/1/77,66,000.00 तथा रू0 38,33,000.00 कुल टी०डी०एस० रू0 1,93,65,000.00 की पुष्टि न कराकर अनियमितता की गयी। (41, जिसके लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं।

(2) उक्त के क्रम में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ठेकेदारों के बिलो आयकर की 2:, जी०एस०टी० की 2:, तथा सेस की 1: की कटौती को ससमय उपके संबंधित विभागो में जमा नही किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (ब), धारा 200 (1) तथा आयकर निमयमावली 1962 के नियम सं0 30, अधिसूचना सं० (126) दि० 31.05.2010 के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से की गई 2:, आयकर की कटौती को, कटौती के माह के आगामी माह के 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से आयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिये। जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के अध्याय (ग्) की धारा 51(1) तथा 51(2) के अनुसार माह में बिलों से की गई कटौतियों को आगामी माह के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से कोषागार में जमा किया जाना चाहिये तथा लेबर सेस 1996 अधिनियम की धारा 8 तथा लेबर सेस नियमावली 1998 के नियम सं० (उप नियम- 1) के अनुसार लेबर सेस की कटौती को कार्यालय सहायक श्रमायुक्त में कटौती की दिनांक से 1 माह के अन्दर जमा किया जाना चाहिये। किन्तु उक्त नियमों की अपेक्षा कर निम्न विवणानुसार आयकर, जी०एस०टी० तथा सेस की कटौतियों को ससमय उनके संबंधित विभागो जमा नही किया गया-

(ए)

क्र० सं०	बिलों से की गई कटौती की दिनांक	आयकर कटौती की धनराशि	आयकर विभाग में जमा का **चालान सं०**	कैश बुक वाउचर **सं०**	**जमा दिनांक**
1.	**05.04.2021**	**17500.00**	**233**	**3, 7, 8**	**19.05.2021**
2.	**29.10.2021**	**306838.00**	**2084**	3 से 50 तक	**11.11.2021**
3.	**30.10.2021**	**195876.00**	**2089**	61, 62	**11.11.2021**
4.	**30.01.2022**	**14518.00**	**3424**	10	**08.02.2022**

बी.

क्र० सं०	ड्राफट सं०/दिनांक	जी0एस0टी0 धनराशि	जी0एस0टी0 जमा विवरण	**जमा दिनांक**
1.	626853/31.01.2022	14518.00	आईडीआईबीएन22045219603	14.02.2022

सी)

क्र०सं०	बिलों की गई कटौती का दिनांक	लेबर सेस की कटौती	वाउचर सं०	डिमाण्ड ड्राफट की संख्या/ दिनांक	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में जमा/ दिनांक
1.	08.02.2022	168376.00	15 से 42	302298/08.02.2022	14.03.2022
2.	31.08.2021	32658.00	65 से 71	302051/03.06.2021	05.10.2021
3.	31.08.2021	402503	72 से 94	302052/03.09.2021	05.10.2021
4.	14.03.2021	27697	78 से 79	627283/14.03.2022	18.04.2022

उक्त विवणानुसार निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के बिलों से आयकर, जी०एस०टी० एवं सेस की कटौतियों को ससमय उनके संबंधित विभागों में जमा न करना अत्यन्त अपतिजनक है। जिसके लिये लेखाकार श्री बृजेश कुमार, वितीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती वर्तिका उत्तरदायी हैं।

जनपद- उन्नाव **मण्डल-लखनऊ**

जिला पंचायत -2021-22

प्रस्तर-1 आ० सं०-1 उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं० 2203/11/3-2-202-15पी/4-02 दिनांक 10.03.1987. पत्रांक 220/03.02.197-43 (बी) (8) 195 टी०सी० 2002 एवं पत्रांक 3/138/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 के प्राविधानों के कम में समस्त जिला पंचायतों को निर्देश है कि मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष में इस मद में आय रू0 2.563 लाख पंचायत को हुयी है परन्तु इस धनराशि का आधा भाग रू0 1.282 लाख जिले की ग्राम पंचातयों को नहीं दिया गया जो शासनादेशों की अवहेलना के साथ-साथ अनियमित है। उक्त के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है ।

प्रस्तर-2 आ० सं० -2 उ०प्र० के क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141 (करों में ग्राम पंचायतों का अंश) के प्राविधानुसार जिला पंचायतों को सम्पत्ति एवं विभव कर से होने वाली शुद्ध आय में से जनपद की ग्राम पंचायतों की निधियों में ऐसी धनराशियों देगीजो व प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें। आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत को सम्पत्ति एवं विभव

कर के रूप में रू0 40.157 लाख की आय हुयी है। परन्तु ग्राम पंचायतों को कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 141 की अवहेलना है। उक्त के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है । नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-3 आ० सं० -03- वित्तीय वर्ष 2021-22 की मांग एवं गत वर्षों के बकाये के सापेक्ष वसूली के त्रैमासिक विवरण पत्र (चतुर्थ त्रैमास 31.03.2022) प्रपत्र 1 व 3 की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में 'लाइसेन्स मद में आय हतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 170.00 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 90.065 लाख की वसूली की गयी है जो कि 52.98 प्रतिशत ही रही। गत वर्ष की आपत्ति की भाँति इस वर्ष में भी प्राविधानित धन० रू० 79.935 लाख की वसूली न किया जाना इस अनुभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीन त्रुटि पूर्ण कार्य प्रणाली का स्पष्ट संकेत है। लेखा परीक्षा मतानुसार किसी भी मद मे स्टीमेट/प्राविधान (बजट) सूची के अनुरूप मांग का प्राविधान किया जाता है परन्तु स्टीमेटेड सूची न उपलब्ध कराने एवं मांग के अनुरूप वसूली न करने से संस्था के आय पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है। इस ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप में आकृष्ट किया जाता है।

संस्था के प्रपत्र-3 के अनुसार उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तालिक से स्पष्ट है कि वर्ष की मांग एवं गतवर्षों के बकाए का कुल योग 413.272 लाख रूपये है तथा वर्ष में कुल वसूली 239.469 लाख रूपया दर्शित है इस प्रकार कुल मांग एवं वसूली को घटाकर वसूली हेतु अवशेष धनराशि 173.803 लाख रूपये होनी चाहिए किन्तु प्रपत्र-3 में वसूली हेतु अवशेष धनराशि 173.803 लाख के स्थान पर मात्र 76.525 लाख रूपये ही दर्शित कर 97.278 लाख रूपये कम दर्शित किया गया है। जिसमे से लाईसेंस शुल्क 79.935 लाख एवं विविध आय 17.393 लाख कुल 97.278 लाख वसूली हेतु शेष में अज्ञात कारणों से दर्शित नहीं किया गया है। संस्था के कर अनुभाग से अपेक्षित है कि यूनिट वार विवरण प्रस्तुत कर मांग वसूली व बकाए की स्थिति स्पष्ट करें एवं मुल अभिलेखों से कारण सहित पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। उक्त हेतु कर अनुभाग के अधिकारी एवं करमचारी जिम्मेदार है ।

प्रस्तर-4 नदियो से रेत, मौरंग अन्य उपखनिजो के परिवहन करने वाले वाहनो से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई वसूली नहीं की गयी है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस मद में पूर्व वर्षों में रू0 15.50 लाख की वसूली की गयी थी आलोच्य वर्ष में इस मद में आय/वसूली न होने का कोई तर्क संगत कारण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता से वर्ष की आय प्रभावित रही साथ ही उपविधि का पालन न होना परिलक्षित रहा। इस मद में आय अर्जन हेतु विभागीय उच्च अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-5 शासनादेशों के विपरीत ग्राम पंचायतो की सीमा मे बिना उनके अनुमति के वित्तीय वर्ष 2021-22 मे निर्माण कार्य रुपया 313.96 का कार्य कराया गया इस हेतु अभियंता व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है नियमानुसार कार्यवाही की आवश्यकता है।

प्रस्तर-6 पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश-313/संख्या-6336/33-3-97-185 जी/97 दिनांक 27 दिसम्बर 1997 का संलग्नक (मार्ग दर्शक सिद्धान्त) निर्देशांक 6 के अनुसार दुकानों/काम्पलेक्शों के निर्धारित किराया

में प्रत्येक 3 **वर्ष के बाद** 25 **प्रतिशत बढोत्तरी किया जाना सुनिश्चित किया जाय/का पालन ईकाई द्वारा नहीं किया गया है।**

जिला पंचायत के किराया पत्रावली के पत्रांक 39 **से** 39 (1) **किराया जि०पं०/**2017/26 **दिसम्बर** 2017 **द्वारा (**39 **से** 90 **तक)** 1-4-2017 **से देय किराया दर का आदेश निर्गत है। जो तीन वर्ष के लिए (**1-4-2020 **तक) से वर्ष** 2020-21 **व** 2021-22 **में किराये की मांग पुराने (**1-4-17 **के अनुसार) दर पर लगायी गयी है। सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार वर्ष** 2020-21 **वर्ष** 2021-22 **में निम्नानुसार मांग लगाकर 1.48 लाख रुपया वसूली अपेक्षित रही है।**

प्रस्तर-7 ईंट भट्टा उपविधि उन्नाव (अद्यतन संसोधित) के अनुसार वर्ष (भट्टा) प्रपत्र होने से पूर्व लाइसेंस (30 **सितम्बर तक) लाइसेंस लेना होगा।** 1 **अक्टूबर से** 30 **अक्टूबर तक नवीनीकण/लाइसेन्स कराने पर रु०** 700.00 **का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्टे मालिक के विरू० चालान की कार्यवाही करने का प्राविधान है। कतिपय ईंट भट्टों के लाईसेन्स / नवीनीकरण विलम्ब से किये गये है किन्तु उपविधि के अनुरूप उनसे विलम्ब शुल्क की वसूली कम/नहीं किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये अतः कम वसूली गयी अन्तर की धनराशि की उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।वर्ष** 2021-22 **में रुपया** 4600.00 **में निम्नानुसार मांग लगाकर वसूली अपेक्षित रही है।**

प्रस्तर-8 किराया वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि मांग वसूली रजिस्टर (प्रपत्र-27) **को तैयार करते समय वसूली हेतु अवशेष धनराशि को सही-सही (अवधिवार बकाया) को उचित कालम में अंकित कर सम्बन्धित रजिस्टर के पृष्ठों (अंकनों) को सक्षम अधिकारियों में प्रमाणित नहीं कराया गया है जो आवश्यक है। वर्ष** 21-22 **में न वसूली योग्य धनराशि** 633790.00 **जो विगत कई वर्षों से यथावत दर्शायी जा रही है जिसके वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तथा उदासीनता हेतु उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।**

<u>जनपद- बागपत</u> <u>मण्डल- मेरठ</u>

<u>जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2018-19 से संबंधित आपत्तियॉ</u>

<u>प्रस्तर- 01-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 के मृत पशु शव निस्तारण पंजिका (मुर्दा मवेशी) की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में 520900.00 रूपये की मांग के सापेक्ष 435750.00 रूपये की वसूली की गयी 85150.00 रूपये वर्षान्त में शेष रहा। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने से अनियमित रूप से रू0 85150.00 की धनराशि बकाया हो गयी। उक्त अनियमितता के लिए श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री जितेन्द्र कुमार ढाका (कर अधिकारी) उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या - 02)

<u>प्रस्तर- 02-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध

में प्रस्ताव आमंत्रित करेगी, जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभ हो सके। जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अंदर इस घर से उस घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है, यह काम ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा बस्ती में निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में संबंधित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। विवरण निम्न है।

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान वर्ष	व्यय लाखरुपये में
01	जौहडी में साहब सिंह के मकान तक मि0/खडंजा निर्माण	2018-19	95454.00
02	सिंघावली अहीर में जरीफ सरीफ की गली में ई0ला0टा0कार्य	2018-19	510148.00
03	निवाडा में अरिवल के मकान से नाले की ओर मि/खडंजा निर्माण कार्य	2018-19	790677.00
04	सुवानपुर में रमेश त्यागी की गली में ई0ला0टा0कार्य	2018-19	208188.00
05	चमरावल में पंकज विक्रयकान्त के ई0ला0टाइल्स कार्य	2018-19	134280.00
06	मेहनवा में कब्रिस्तान दिनेश जुलाह की नाली निर्माण	2018-19	530507.00
07	मुकारी में पंचायत घर से नूर मोहम्मद के घर तक ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	153519.00
08	बाखरपुर बालैनी में रामशरण के घर की ओर ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	225557.00
09	भागोट में धर्मपाल वाली गली में ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	68913.00
10	किशनपुर बराल से रामपाल चार दिवारी का अवशेष कार्य	2018-19	693815.00
11	बागर में साहब सिंह के मकान तक सीसी रोड कार्य	2018-19	127030.00
12	सिनौली वाबली मार्ग से ओमसिंह के मकान तक मिटटी/खडंजा निर्माण	2018-19	531182.00
13	चैपडा में मुसलिम बस्ती में ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	147760.00
14	डौलचा मुकारी सम्पर्क मार्ग से सुन्दर के मकान तक ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	903574.00
15	मुकीमपुरा से चिरचिटा मार्ग से कमले के घर तक मि0/खडंजा नि0कार्य	2018-19	1007805.00
16	चन्दायन में चन्दायन मार्ग से विजय के घर तक मि0/खडंजा कार्य	2018-19	707343.00
17	छज्जरपुर में राजेश विभिन्न गलियों में ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	237719.00
18	बली में ब्राहम्ण पुटटी मार्ग से सुखबीर के घर तक मिटटी/खडंजा कार्य	2018-19	338464.00
19	बुढसैनी नवादा सम्पर्क शय किशन शिवचरण ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	1149432.00
20	खेडी प्रधान से राम सिंह के घर से आशे के घर तक मि0/खडंजा कार्य	2018-19	274902.00
21	रामनगर में अवशेष ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	78043.00
22	बुढसैनी नवादा सम्पर्क मार्ग रामकिशन, शिवचरण ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	250888.00
23	जौहडी में संतोष के मकान वाले रास्ते तक मि0/खडंजा कार्य	2018-19	89071.00
24	बावली में रूस्तमपुर मार्ग पर राजेंद्र निरंजन मकान तक ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	481838.00
25	डौलचा मुकारी सम्पर्क मार्ग से संुदर के मकान तक ई0ला0टा0 कार्य	2018-19	127463.00
26	अब्दुल्लापुर में अतिकुमार के मकान से वेदप्रकाश के मकान तक ई0ल0ट0	2018-19	734902.00
27	मेवला में प्रा0पा0 से फिरे के मकान तक ई0ला0ट0 कार्य	2018-19	91349.00
28	लुहारी में कोताना मार्ग से जगमाल हरिसिंह के मकान तक मि/खं0 कार्य	2018-19	421786.00
29	अहेडा में प्रीतम के मकान से सोनू के मकान तक ई0ला0ट0 कार्य	2018-19	275984.00
30	दत्तनगर में विभिन्न गलियों में ई0ला0ट0 कार्य	2018-19	384610.00

31	अहैडा में जयकरण के मकान से कासीराम सतवीर वाली गली में ई0ल0	2018-19	660751.00
32	भडल में सुनील के मकान से राज सिंह के मकान तक ई0ला0ट0 कार्य	2018-19	231036.00
33	खैला में विभिन्न गलियों में ई0ला0ट0 कार्य	2018-19	294062.00
34	लुहारा में ख्वास की दुकान सुभाष की घर तक सी0सी0 रोड	2018-19	684965.00
		योग---	13643017.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व जिला पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या तीन के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। किन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अंदर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी है। उपरोक्त में यह भी गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य है कि निर्माण पत्रावलियों मे निम्नलिखित मूलभूत कमियॉ भी प्रकाश में आयी। जो कार्य की प्रमाणिकता को संदिग्ध करती है।

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. एनालिसिस ऑफ रेट व आर एम आर. संलग्न नही है।
3. कार्य प्रारम्भ होने की, कार्य के मध्य की तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद की फोटो बहुत सी पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।
4. पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता की प्रतिवेदन आख्य संलग्न नहीं है।
5. कराये गये कार्य अनुबन्ध पत्र के समय के मुताबिक सम्पन्न नहीं कराये गये है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रुपये 13643017.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना एवं श्री नईम अख्तर तथा अभियन्ता श्री बृजेश कुमार मावी रहे। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या - 03)**

<u>प्रस्तर-03-</u> उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 682बी/33-314(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)/95टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत बागपत में इस मद में कुल रुपये 350000.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रुपये 175000.00 जिला पंचायत के अंर्तगत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रुपये 175000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व श्री नईम अख्तर तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सुरेनद्र कुमार देवरा व श्री अनिल कुमार त्यागी उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या - 04)

<u>प्रस्तर-04-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 में तहबजारी रजि0 की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा 12 मार्च2013 को तहबजारी समाप्त कर दी गयी थी लेकिन तहबजारी रजि0 की जांच में दो सदस्यों का बकाया आलोच्य वर्ष 2018-19 तक चला आ रहा है। विवरण निम्न प्रकार है-

सदस्य का नाम	**बकाया**	
श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री जिले सिंह, निवासी दाहा, बागपत	-	26000.00
श्री प्रवीण पुत्र श्री ओमपाल, ग्राम व पोस्ट भैसवाल शामली	-	35000.00
कुल	-	61000.00

तहबजारी लिपिक द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में त्ण्ब्ण् की कार्यवाही की है। लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि की वसूली से संबंधित कोई नोटिस उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व श्री नईम अख्तर का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या - 05)

<u>प्रस्तर-05-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 की जिला पंचायत की दुकानों की रजि0 की जांच में पाया गया वर्ष 2018-19 की स्थिति निम्नवत है-

क्र0स0	विवरण	अमीनगर सराय	बडौत	खेकडा	बागपत	योग
01	मांग	70320.00	400337.00	380672.00	229059.00	1080388.00
02	अवशेष	121664.86	-	185454.00	460454.00	767574.86
03	कुल मांग	191984.86	400337.00	566126.00	689513.00	1847967.86
04	वसूली	182451.00	398215.00	388128.00	346315.00	1315109.00
05	शेष	9533.86	2124.00	177998.00	343198.00	532853.86

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक सभी दुकानों की स्थिति-

मांग	-	1080338.00
अवशेष	-	767574.86
कुल मांग	-	1847962.86
वसूली	-	1315109.00
शेष	-	532853.86

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष के अंत में रूपये 532853.86 अवशेष रहा। उक्त धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है जिसा उत्तरदायित्व कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व श्री नईम अख्तर का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या - 06)**

<u>प्रस्तर-06-</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव व सम्पत्ति कर मांग की वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में विभव व सम्पत्ति कर की मांग व बाकए के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुई। इसका मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों की उदसीनता व मनमानी पूर्ण कार्यशैली रही है। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष 2018-19 में डिमांड व आर0सी0 की कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे बकाया कर उतरोत्तर वृद्धि होती गयी। विवरण निम्नवत है-

विकास खण्ड	वर्ष 2018-19 की मांग रुपये में	गत बकाया रु0	वर्ष में वसूली रु0	अवशेष रु0
बागपत	968680.00	5279013.00	663510.00	5584183.00
बडौत	1068200.00	10224793.00	961432.00	10331561.00
खेकड़ा	610400.00	2660108.00	559755.00	2710753.00
बिनौली	990136.00	9311288.00	519340.00	9782083.00
पिलाना	683175.00	5583499.00	397006.00	5869668.00
छपरौली	651165.00	5186715.00	389220.00	5448660.00
योग	4971756.00	38245416.00	3490263.00	39726908.00

इस प्रकार वर्ष की कुल मांग रुपये 4971756.00 के सापेक्ष रुपये 3490263.00 की वसूली की गयी जो वर्ष की मांग का 70.20 प्रतिशत है। जबकि गत वर्ष बकाया रूपये 38245416.00 शत प्रतिशत पड़ा रहा, जिसकी वसूली हेतु

आलोच्य वर्ष में कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कुल रुपये 39726908.00 अनियमित रुप से बकाया रहा। जिसके मुख्य उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व नईम अख्तर व वित्त अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा, कर निरीक्षक श्री लाल सिंह व श्री पंकज तोमर है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या - 08)

<u>प्रस्तर-07-</u> उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व अधिशाषी अभियंता द्वारा एवं 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यो के अंतिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

1.	बावली में रूस्तमपुर मार्ग पर राजेन्द्र निरंजन ई0ला0ट0 कार्य	-	11.90 लाख
2.	थल में बाईपास पर मिटटी/खडंजा निर्माण कार्य	-	12.17 लाख
3.	कमाला युकीनपुरा मार्ग पर करनार नीयर के खेत मि0/खडंजा निर्माण	-	11.60 लाख
4.	ढिकौली सैदपुर सम्पर्क मार्ग से वेदू के खेत मि0/खडंजा निर्माण	-	13.44 लाख
5.	तिलवाडा पुराना मार्ग अनुप के खेत मि0/खडंजा निर्माण कार्य	-	13.03 लाख
6.	सिरसली में रामगढ मार्ग मि0/खडंजा निर्माण	-	14.88 लाख
7.	काठा में काठा खेकडा मार्ग से बलपुर ई0ला0ट0 कार्य	-	11.38 लाख
8.	बुढसैनी नवादा सम्पर्क मार्ग शयम किशन शिवचरण ई0ला0ट0 कार्य	-	11.49 लाख
9.	रटौल में याकूब सूफी के खेत से ढिकौली बन्धला मार्ग मि0/खडंजा	-	11.62 लाख
	कुल-	-	111.51 लाख

उपरोक्त विषयक के अनुसार परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सक्सैना, श्री नईम अख्तर एवं अभियंता श्री बृजेश कुमार मावी एवं अवर अभियंता श्री रोहित कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 09)**

<u>प्रस्तर-08-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि निर्माण कार्यो में व्यय की गयी धनराशि में एक प्रतिशत धनराशि लेबर सैस के मद में वित्त में प्रावधन कर भुगतान कर दिया गया है। जिसकी गणना करने पर रू0 134415.00 रूपये है। जिसका भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा (वित्त अधिकारी) से करायी जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 11)**

<u>प्रस्तर-09-</u> आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि विभिन्न कार्यो में 5865 घनमीटर मिटटी भरायी गयी, जिसकी 14 रूपये प्रति घनमीटर की दर से 82110.00 रूपये रायल्टी कर जमा नही किया गया, जो गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसकी वसूली श्री प्रदीप कुमार सक्सैना व श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री बृजेश कुमार मावी (अभियंता) से करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 12)

<u>प्रस्तर-10-</u> कुल निर्माण कार्य पत्रावलियॉ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। जिनका विवरण निम्नवत है। जिसका उत्तरदायित्व श्री प्रदीप कुमार व नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

1.	ढिकौली में शमशान शैड व प्रतीक्षालय निर्माण कार्य	-	2.15 लाख
2.	बालैनी में शमशान शैड निर्माण कार्य	-	2.01 लाख

3.	भगवानपुर में शमशान शैड निर्माण कार्य		-	1.84 लाख
4.	गैडबरा में शमशान शैड निर्माण कार्य		-	2.43 लाख
5.	निरपुडा में शमशान शैड निर्माण कार्य		-	2.45 लाख
6.	बडैली में शमशान शैड निर्माण कार्य		-	1.38 लाख
		योग	-	12.26 लाख

(मूल आपत्ति संख्या - 28)

जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2019-20 से संबंधित आपत्तियॉ

प्रस्तर-11 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 682बी/33-314(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/ 3-2-797-43बी(8)/95टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत बागपत में इस मद में आलोच्य वर्ष में 359000.00 रूपये प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रुपये 179500.00 जिला पंचायत के अंर्तगत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रुपये 179500.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री अनिल कुमार त्यागी उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-02)

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित करेगी, जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ हो सके। जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अंदर इस घर से उस घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है, यह काम ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा बस्ती में निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में संबंधित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। विवरण निम्न है

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान वर्ष	व्यय लाख में
01	बुढेरा बिचपडी मार्ग पर मंदिर से बिचपडी की ओर इ0लॉकिंग	2019-20	100043.00
02	रहतना के रंछाड मार्ग पर पेस्टिंग रोड	2019-20	970583.00
03	कंडेरा के कंडेरा कासिमपुर खेडी से उत्तरी दिशा बाईपास पर पेस्टिंग रोड	2019-20	551369.00
04	गंढी कांगरान मंदिर से शमशान घाट की ओर सीसी रोड	2019-20	91978.00
05	ककौर कला के सुखबीर हरिजन के मकान से शमशान		

	तक सीसी रोड	2019-20	506488.00
06	तमेलागढी के झुण्डपुर मार्ग अवशेष इं0लॉकिंग कार्य	2019-20	244136.00
07	हरिया खेडा के नवादा मार्ग पर पेस्टिंग रोड	2019-20	708372.00
08	सुजरा के बाईपास मार्ग पर इंटरलॉकिंग	2019-20	412521.00
09	पाबला में जयचंद से प्रताप की ओर इंटरलॉकिंग	2019-20	415065.00
10	गैडबरा के कृष्ण भटटे से तमेलागढी की ओर नाला	2019-20	548200.00
11	बसी में गन्ना वाले रास्ते पर पेस्टिंग रोड	2019-20	444374.00
12	मवीखुर्द के भुमिया वाले रास्ते पर इंटरलॉकिंग	2019-20	320149.00
13	पुठड में सरायमार्ग गेट से सीसी रोड	2019-20	569705.00
14	ककौरकला के सुखबीर हरिजन से शमशान घाट वाले रास्ते तक सीसीरोड	2019-20	624564.00
15	तमेला गढी के टंकी वाले रास्ते पर अवशेष सीसी रोड	2019-20	417073.00
16	ककौरकला के सुखबीर हरिजन के मकान से सीसी रोड	2019-20	816198.00
17	दत्तनगर में प्रा0पाठशाला कहरका तक मि0खं0निर्माण	2019-20	588200.00
18	सिरसली जिवाना मार्ग से सुभाष रांगडा अवशेष मि/खं0कार्य	2019-20	655008.00
19	निनाना ढिकाना मार्ग पर ट्रांसफार्मर से इंटरलॉकिंग बिहारीपुर की ओर	2019-20	216914.00
20	बेगमाबाद के जगवीर पुत्र रतन सिंह के चक से विनोद रघुवीर के चक तक	2019-20	603840.00
21	भगवानपुर के नाहर ठेकेदार के चक से मांगेराम के टयूबवेल तक मि./खं.	2019-20	593243.00
22	सरफाबाद में भोपालके मकान से सरफाबाद फुलेरा मार्ग पर सीसी रोड	2019-20	181390.00
23	नूरपुर में पुस्ते की ओर अवशेष मि0/खं0	2019-20	443940.00
24	तमेलागढी से टंकी वाले रास्ते पर अवशेष सीसी रोड	2019-20	46341.00
25	पावला में जयचंद के मकान से प्रताप के मकान की ओर इंटरलॉकिंग कार्य	2019-20	68527.00
26	ग्राम कान्हड के पलडी मार्ग पर सीसी रोड निर्माण कार्य	2019-20	209694.00
	योग-		11347915.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व जिला पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या तीन के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। किन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अंदर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी है। उपरोक्त में यह भी गम्भीर

आपत्तिजनक तथ्य है कि निर्माण पत्रावलियों मे निम्नलिखित मूलभूत कमियॉ भी प्रकाश में आयी। जो कार्य की प्रमाणिकता को संदिग्ध करती है।

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. एनालिसिस ऑफ रेट व आर. एम. आर.संलग्न नही है।
3. कार्य प्रारम्भ होने की, कार्य के मध्य की तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद की फोटो बहुत सी पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।
4. पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता की प्रतिवेदन आख्य संलग्न नहीं है।
5. कराये गये कार्य अनुबन्ध पत्र के समय के मुताबिक सम्पन्न नहीं कराये गये है।
6. शपथ पत्रों में कई पत्रावलियों में 10.00 रू0 का स्टाम्प किसी-2 में 100.00 रू0 का स्टाम्प लगाया गया है जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रुपये 11347915.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर एवं अभियन्ता श्री बृजेश कुमार मावी रहे। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मू0आ0सं0-03)**

<u>प्रस्तर-13</u> आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव व सम्पत्ति कर मांग की वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में विभव व सम्पत्ति कर की मांग व बाकए के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुई। इसका मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों की उदसीनता व मनमानी पूर्ण कार्यशैली रही है। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष 2019-20 में डिमांड व आर0सी0 की कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे बकाया कर उतरोत्तर वृद्धि होती गयी। विवरण निम्नवत है-

विकास खण्ड	वर्ष की मांग	गत बकाया रु0	योग	कुल वसूली	अंतिम अवशेष
बागपत	999845.00	5667243.00	6667088.00	1020085.00	5647003.00
बडौत	1145465.00	10331561.00	11477026.00	1105240.00	10371786.00
खेकड़ा	606755.00	2710753.00	3317508.00	763450.00	2554058.00
बिनौली	944035.00	9782083.00	10726118.00	746350.00	9979768.00
पिलाना	665820.00	5869668.00	6535488.00	819055.00	5716433.00
छपरौली	607080.00	5448660.00	6055740.00	773356.00	5282384.00
योग	4969000.00	39809968.00	44778968.00	5227536.00	39551432.00

इस प्रकार वर्ष की मांग रुपये 4969000.00 के सापेक्ष रुपये 5227536.00 की वसूली की गयी। जबकि गत वर्ष बकाया रूपये 39809968.00 में 258536.00 की वसूली की गयी, इस प्रकार कुल रू0 44778968.00 रूपये में 5227536.00 की वसूली आलोच्य वर्ष में की गयी एवं रुपये 39551432.00 अनियमित रुप से बकाया रहा। जिसके मुख्य उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर व वित्त अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार देवरा, कर निरीक्षक श्री लाल सिंह व श्री पंकज तोमर है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-04)

<u>प्रस्तर-14</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व अधिशाषी अभियंता द्वारा एवं 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यो के अंतिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया। विवरण निम्न प्रकार है–

1. चमरावल मार्ग से अहेडा की ओर पेस्टिंग रोड – 1182431.00
2. संतोषपुर के संतोषपुर बाघु मार्ग पर सीसी रोड – 1091023.00
3. ग्राम बरवाला के दक्षिण बाईपास पर सीसी रोड कार्य – 1538553.00
4. ग्राम सुजरा के क्यामपुर सुजरा मार्ग पर पेस्टिंग रोड – 1815589.00
5. बूढपुर में रजवाहे की पटरी से गांव तक सीसी रोड – 1253892.00
6. ग्राम सिखेडा के ढिकोली मार्ग से शमशान घाट वाले रास्ते पर सीसी रोड– 1572008.00
7. ग्राम बोपुरा के फौलादनगर मार्ग से बौपुरा मस्जिट मार्ग पर सीसी रोड– 1629227.00
8. ग्राम घिटौरा से नहर की पटरी पर दक्षिण की ओर सीसी रोड निर्माण– 10527336.00
9. तुगाना के क0इं0कॉलेज से बोधा मार्ग की ओर पेस्टिंग रोड – 1307489.00
10. गांव सांकरौद में नूरपुर मार्ग पर पेस्टिंग रोड – 1395686.00
11. गांव अहैडा के स्टेशन वाले रास्ते पर महनवा की ओर पेस्टिंग रोड– 1262923.00

कुल– – **15101557.00**

उपरोक्त विषयक के अनुसार परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर एवं अभियंता श्री बृजेश कुमार मावी एवं अवर अभियंता श्री रोहित कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0–05)

<u>प्रस्तर-15</u> आलोच्य वर्ष 2019-20 की जिला पंचायत की दुकानों की रजि0 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपनी दुकानों से वर्ष की मांग के अनुसार वसूली नहीं की गयी है। जिसकी स्थिति निम्नवत है-

क्र0स0	विवरण	पिछला बकाया	वर्ष की मांग	कुल मांग	वसूली	शेष
01	अमीनगर सराय	8806.86	375631.00	384437.86	122497.00	261940.86
02	खेकडा	177998.00	394818.00	572816.00	210818.00	361998.00
03	बागपत	498771.00	257664.00	756435.00	186904.00	569531.00
04	बडौत	2124.00	428832.00	430956.00	342536.00	88420.00
	योग	687699.86	1456945.00	2144644.86	862755.00	1281889.86

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रूपये 1281889.86 शेष रहा। जिसकी वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि की वसूली न करके अनियमितता की गयी। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर एवं कर अधिकारी श्री पंकज तोमर का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0-06)

<u>प्रस्तर-16</u> आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दुकान किराया, मांग व वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में उक्त रजिस्टर के पृष्ट संख्या 73 व 74 पर निम्न विवरण के

अनुसार अवशेष किराया प्रदर्शित किया जा रहा है। जो वर्ष 2019-20 के बकाया में सम्मिलित नहीं किया गया है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	**विवरण**	**31.03.2020 का अवशेष**
01	भारतीय किसान कामगार सम्मेलन	183648.00
02	सिविल डिस्पेंसरी की दुकानें	
(क)	जगपाल सिंह निवासी भडल	9600.00
(ख)	अनुज पुत्र राजेन्द्र निवासी छपरौली	13500.00
	योग--	**206748.00**

उपरोक्त विवरण में क्रमांक 2 के क व ख की गणना की गयी। उसमें पुराना बकाया ही चला आ रहा है। क्रमांक 1 के दिनांक 26.08.2019 को गणना अध्यक्ष महोदय के आदेश से की गयी है। लेखा परीक्षा मेंउक्त आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि रू0 206748.00 की वसूली न कर अनियमितता की गयी, जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर व कर अधिकारी श्री पंकज तोमर व श्री लोकेन्द्र सिंह का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मू0आ0सं0-08)**

<u>जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2020-21 से संबंधित आपत्तियॉ</u>

<u>प्रस्तर-17</u> आलोच्य वर्ष 2020-21 मे जिला पंचायत की दुकानों की किराया रजिस्टर की जांच मे दर्शित स्थिति निम्नवत रही -

क्रमांक	विवरण	अमीनगर सराय	बड़ौत	खेकड़ा	बागपत	योग
1	मांग	110211.00	521331.00	406104.00	296473.00	1334119.00
2	अवशेष	252176.00	88419.00	263650.00	583191.00	1187436.00
3	कुल मांग	362387.00	609750.00	669754.00	879664.00	2521555.00
4	वसूली	42180.00	426638.00	300681.00	223816.00	993315.00
5	शेष	320207.00	183112.00	369073.00	655848.00	1528240.00

अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक सभी दुकानों की स्थिति -

मांग - 1334119.00

अवशेष -1187436.00

कुल मांग- 2521555.00

वसूली- 993315.00

शेष - 1528240.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष के अंत मे रुपये 1528240.00 किराया अवशेष रहा। उक्त धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर एवं तत्कालीन पटल प्रभारी श्री धर्मराज मौर्य व श्री लोकेन्द्र कुमार कर समाहर्ता का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या 2)**

<u>प्रस्तर-18</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव एवं सम्पत्ति कर मांग की वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में विभव एवं सम्पत्ति कर की मांग व बकाए के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुई। इसका मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों ध् अधिकारियों की उदासीनता व मनमानी पूर्ण कार्यशैली रही है। आलोच्य वर्ष 2020.21 में मांग नोटिस व आर०सी० की कार्यवाही की गयीए परन्तु बकाये के सापेक्ष शतप्रतिशत आर०सी० नही भेजी गयी । बकाये की सापेक्ष शतप्रतिशत आर०सी० भेजी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में अनियमितता हेतु श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी व श्री धर्मराज मौर्य एवं लोकेन्द्र कुमार वसूली समाहर्ता उत्तरायी है ।विवरण निम्नवत् है.

विकास खंड	वर्ष 20-21 की मांग	गत बकाया	वर्ष मे कुल वसूली	अवशेष
बिनोली	1058640.00	9844668.00	737990.00	10165318.00
बागपत	1131220.00	5647002.00	1061125.00	5717097.00
पिलाना	681600.00	5716782.00	592782.00	5805600.00
बड़ौत	1257530.00	10371786.00	1117310.00	10512006.00
छपरौली	571155.00	5282384.00	664875.00	5188664.00
खेकड़ा	568805.00	2554058.00	415845.00	2707018.00
योग -	5268950.00	39416680.00	4589927.00	40095703.00

(मूल आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण पत्रवालियों की जांच मे निम्न कमियाँ प्रकाश मे आई जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान वर्ष	व्यय (लाख मे)
1.	ग्राम रंछाड के बाइपास बामनौली व सिरसाली दोनों मार्गों पर सीसी रोड	2020-21	10.48
2.	ग्राम बड़ागाँव के बड़ागाँव खेकड़ा संपर्क मार्ग बाइपास पर सीसी रोड	2020-21	18.05
3.	ग्राम भगोट के भगोट विनयपूर मार्ग पर सीसी रोड	2020-21	14.12
4.	ग्राम गगनौली के के पश्चिमी बाइपास पर पैंटिंग रोड	2020-21	6.59
5.	ग्राम सैड्भर संपर्क मार्ग से सिंधवाली अहीर मार्ग की ओर सीसी	2020-21	9.82
6.	साँकरोद के खेकड़ा मार्ग से नूरपुर मार्ग पर सीसी रोड	2020-21	21.34
7.	खट्टा के प्रा0पा0 से मेवला संपर्क मार्ग तक अवशेष सीसी रोड	2020-21	9.94
8.	बड़ागाँव के शमशान वाले रास्ते पर अवशेष सीसी रोड	2020-21	6.39
9.	ग्राम बली के हनुमान मंदिर बाइपास पर सीसी रोड	2020-21	8.63
10.	ग्राम ककड़ीपुर के उत्तरी बाइपास पर मंदिर के पास सीसी रोड	2020-21	5.50
11.	ग्राम डगरपुर के डगरपुर खरक रोड पर विशेष मरम्मत कार्य	2020-21	8.49
12.	ग्राम पूठ्ड़ के सराय संपर्क मार्ग पर पैंटिंग रोड	2020-21	6.82

13.ग्राम बसी मे बड़ागाँव संपर्क मार्ग से नहर की पटरी पर पैंटिंग रोड	2020-21	20.05
	योग	146.22

1- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

2-एनालिसिस ऑफ रेट व आर. एम.आर. संलग्न नही है ।

3- कार्य प्रारम्भ होने कीए कार्य के मध्य की तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद की फोटो बहुत सी पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।

4- पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता की प्रतिवेदन आख्या संलग्न नहीं है।

5- कराये गये कार्य अनुबन्ध पत्र के समय के मुताबिक सम्पन्न नहीं कराये गये है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रुपये 146.22 लाख का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर तथा अभियन्ता श्री सुरेश कुमार सिंह रहे।**(मूल आपत्ति संख्या 4)**

<u>प्रस्तर-20</u> आलोच्य वर्ष 2020-21 के मृत पशु शव निस्तारण पंजिका (मुर्दा मवेशी) की जांच में पाया गया कि गत वर्ष का शेष 1687283.00 रू0 बकाया रहा। वर्ष की मांग 111800.00 रही जिसकी वर्ष दौरान वसूली की गयी। गत वर्ष के बकाया के सापेक्ष आलोच्य वर्ष मे मात्र 10000.00 की ही वसूली की गयी। वर्षान्त में शेष 1677283.00 रहा। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने से अनियमित रूप से रू0 1677283.00 की धनराशि बकाया हो गयी। उक्त अनियमितता के लिए श्री नईम अख्तर, (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री पंकज तोमर एवं लोकेन्द्र कुमार (कर अधिकारी) उत्तरदायी है । कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

<u>प्रस्तर-21</u> उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 682 बी / 33 - 314 (2)/84 682/33–314(2) दिनांक 10.03.1987 एव 2203/3–2–797–43बी (8) / 95टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत बागपत में इस मद में कुल रुपये 111800.00 प्राप्त हुआ है | किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रुपये 55900.00 जिला पंचायत के अंर्तगत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रुपये 55900.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या 6)

<u>जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2021-22 से संबंधित आपत्तियॉ</u>

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2021-22 के मृत पशु शव निस्तारण पंजिका (मुर्दा मवेशी) की जांच में पाया गया कि गत वर्ष का शेष 41983467.00 रू0 रहा। वर्ष की मांग शून्य रही गत वर्ष के सापेक्ष 3985369.00 रू0 की वसूली की गई एवं 37998098.00 रू0 वर्षान्त में शेष रहा। इस प्रकार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने से अनियमित रूप से रू0 37998098.00

की धनराशि बकाया हो गयी। उक्त अनियमितता के लिए श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री जितेन्द्र कुमारढाका (कर अधिकारी) उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मू0आ0सं- 02)**

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत वग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित करेगी, जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतों का लाभ हो सके। जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अंदर इस घर से उस घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है, यह काम ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-2 बिन्दू-3 के अनुसार दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत द्वारा बस्ती में निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उस कार्य के सम्बन्ध में संबंधित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान वर्ष	व्ययरू0 लाख में
1	ग्राम पाली में राजबीर के मकान वाले रास्ते पर सी0सी0 रोड निर्माण।	2021-22	13.47
2	ग्राम खपराना में प्रवीण के धर से मि0/ख0 निर्माण कार्य।	2021-22	3.96
3	ग्राम मीतली में रामफुल के मकान से पेटिंग कार्य।	2021-22	3.26
4	ग्राम निवाडा में कलैक्ट्रेट कालोनी में नाली निर्माण कार्य।	2021-22	0.81
5	ग्राम जौनमान के महिपाल के खेत से राजीव वकील के खेत तक मि0/ख0 निर्माण कार्य।	2021-22	1.09
6	ग्राम रहतना में तेजपाल के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	2021-22	7.47
7	ग्राम तुगाना मं कांशी के मकान से तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य।	2021-22	5.47
8	ग्राम तुगाना मन्नू सुमेरा के मकान से तालाबा की ओर नाला निर्माण कार्य।	2021-22	2.41
9	ग्राम पाली में राजबीर वाले के मकान वाले रास्ते पर सी0सी0 रोड कार्य।	2021-22	3.20
10	ग्राम खैला में सुरेन्द्र के मकान से सुभानपुर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	2021-22	1.02
11	ग्राम सैडभर के बिजली घर वाले रास्ते पर अवशेष सी0सी0 रोड कार्य।	2021-22	1.40
12	ग्राम बालैनी में हरमाया के मकान वाला अवशेष		

	नाला निर्माण कार्य।	2021-22	3.95
13	ग्राम नूरपुर बरवाला मार्ग ओमदत्त के मकान से मि0/ख0 कार्य	2021-22	3.84
14	ग्राम रंछाड के मांगरौली मार्ग के किनारे राजेन्द्र फोजी के मकान से नाले की ओर नाला निर्माण कार्य।	2021-22	3.50
	योग		54.85

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व जिला पंचायत अभिभाजन नियमावली 1984 के बिन्दु संख्या तीन के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यो को सम्पादित करायेगी। किन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अंदर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी है। उपरोक्त में यह भी गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य है कि निर्माण पत्रावलियों मे निम्नलिखित मूलभूत कमियॉ भी प्रकाश में आयी। जो कार्य की प्रमाणिकता को संदिग्ध करती है।

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. एनालिसिस ऑफ रेट व आर. एम. आर. संलग्न नही है।
3. कार्य प्रारम्भ होने की, कार्य के मध्य की तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद की फोटो बहुत सी पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।
4. पत्रावलियों में अभियन्ता व अपर अभियन्ता की प्रतिवेदन आख्य संलग्न नहीं है।
5. कराये गये कार्य अनुबन्ध पत्र के समय के मुताबिक सम्पन्न नहीं कराये गये है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रुपये 13643017.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके उत्तरदायी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर तथा अभियन्ता श्री बृजेश कुमार मावी रहे। **(मू0आ0सं- 03)**

<u>प्रस्तर-24</u> उत्तर प्रदेश शासन के शा0 संख्या 682बी/33-314(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.1987 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है। जिला पंचायत बागपत में इस मद में कुल रुपये 78000.00 प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत अंश रुपये 39000.00 जिला पंचायत के अंर्तगत स्थित ग्राम पंचायतों को उसी वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि को रोककर रुपये 39000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए जिला पंचायत बागपत के अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री संजय अग्रवाल उत्तरदायी है।

(मू0आ0सं- 04)

<u>प्रस्तर-25</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 में तहबजारी रजि0 की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा 12 मार्च 2013 को तहबजारी समाप्त कर दी गयी थी लेकिन तहबजारी रजि0 की जांच में दो सदस्यों का बकाया आलोच्य वर्ष 2021-22 तक चला आ रहा है। विवरण निम्न प्रकार है-

सदस्य का नाम	बकाया
श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री जिले सिंह, निवासी दाहा, बागपत -	26000.00

श्री प्रवीण पुत्र श्री ओमपाल, ग्राम व पोस्ट भैसवाल शामली - 35000.00

कुल- 61000.00

तहबजारी लिपिक द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में आर सी. कार्यवाही की है। लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि की वसूली से संबंधित कोई नोटिस उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं- 05)

<u>प्रस्तर-26</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभव एवं सम्पत्ति कर मांग की वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों में विभव एवं सम्पत्ति कर की मांग व बकाए के सापेक्ष वसूली बहुत कम हुई। इसका मुख्य कारण वसूली प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों की उदासीनता व मनमानी पूर्ण कार्यशैली रही है। सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष 2021-22 में डिमांड व आर0सी0 की कार्यवाही नही की गयी। जिससे बकाया कर उतरोत्तर वृद्धि होती गयी। विवरण निम्नवत् है-

विकासखण्ड	वर्ष2021-22 की मांग रू0में	गतबकाया रू0में	वर्ष में कुल वसूलीरू0 में	अवशेष रू0में
बागपत		6032775	958356	5074419
बडौत		10512006	1023560	9488446
खेकडा		2707018	379120	2327898
बिनौली		10165318	685263	9480055
पिलाना		6962360	483650	6479710
छपरौली		5603990	556420	5147570
योग		41983467	4086369	37998098

इस प्रकार वर्ष की मांग नही लगायी गयी गत वर्ष के सापेक्ष रुपये 4086369.00 की वसूली की गयी। इस प्रकार उक्त कुल रुपये 37998098.00 अनियमित रुप से 31 मार्च, 2022 को बकाया रहा। जो अनियमित रहा जिसके मुख्य उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर व वित्त अधिकारी श्री संजय अग्रवाल, कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मू0आ0सं- 08)**

<u>प्रस्तर-27</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 की जिला पंचायत की दुकानों की रजि0 की जांच में पाया गया वर्ष 2021-22 की स्थिति निम्नवत है-

क्र0सं0	विवरण	अमीनगर सराय	बडौत	खेकडा	बागपत	योग
1	मांग	122868	1336993	477924	259721	2197506
2	अवशेष	320257	1307074	516645	331159	2475135
3	कुल मांग	443125	2644067	994569	590880	4672641
4	वसूली	193165	567279	497792	83828	1342064
5	शेष	249960	2076788	496777	507052	3330577

अप्रैल,2021 से 31 मार्च 2022 तक सभी दुकानों की स्थिति-

मांग	-	2197506
अवशेष	-	2475135
कुल मांग	-	4672641
वसूली	-	1342064
शेष	-	3330577

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष के अंत में रूपये 3330577 अवशेष रहा। उक्त धनराशि की वसूली न कर अनियमितता की गयी है जिसा उत्तरदायित्व कर निरीक्षक श्री पंकज तोमर एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं- 06)

प्रस्तर-28 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियंता नियोजन द्वारा एवं 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता अल्प सिंचाई द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यो के अंतिम रूप से कार्यो के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

1. ग्राम पिलाना भटटा मेरठ रोड से सराय रोड इन्द्रप्रस्थ स्कूल तक पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। 12.98 लाख।
2. ग्राम पाली के राजबीर के मकान वाला रास्ते पर सी0सी0 रोड कार्य। 13.47 लाख।
3. ग्राम शबगा में दयाचन्द की टयूवैल से बाछौड की और मि0/ख0 निर्माण कार्य। 11.18 लाख।
4. ग्राम सुन्हैडा के सुन्हैडा बसी मार्ग रजवाहे की पटरी पर पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। 20.81 लाख।
5. ग्राम पाली में दिल्ली सहारनपुर रोड से पेटिन्ट रोड निर्माण कार्य। 11.09 लाख।
6. ग्राम दाहा के बुढाना बडौत मार्ग से नाले की पटरी पर पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। 24.18 लाख।
7. ग्राम सुन्हैडा के बिजली धर वाले रास्ते पर पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। 16.29 लाख।
8. ग्राम शबगा के शबगा ओढापुर खास मार्ग से कृष्णपाल के खेत से महिपाल के खेत तक अवशेष मि0/ख0 कार्य 11.03 लाख।
9. ग्राम बुढेरा के धनौरा मार्ग से कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 14.59 लाख।

10. ग्राम हेवा के तिलवाडा मार्ग से तुगाना मार्ग से मि0/ख0 निर्माण कार्य। 12.36 लाख।

11. ग्राम कौताना से खेडी सम्पर्क जनता स्कूल बाईपास पर खडण्जा एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 12.56 लाख।

12. ग्राम पलडी के कान्हड सम्पर्क मार्ग से तालाब तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 11.96 लाख।

13. ग्राम ढिकौली के शिव मन्दिर सी0सी0 मार्ग से मेवला सम्पर्क मार्ग पर कल्याणपुर मन्दिर तक पेन्टिंग रोड 13.88 लाख।

14. ग्राम सलावतपुर खेडी के पावला बसी सम्पर्क मार्ग नही की पटरी से गांव तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 17.56 लाख।

15. ग्राम बामनौली में शहीद देशपाल गेट बुढाना मार्ग से इदरीशपुर बाईपास पर रामकुमार के धर तक सी0सी0 कार्य 18.48 लाख।

16. बौपुरा के फौलादनगर चौराहे के पास तमेला गढी मार्ग पर पेन्टिंग रोड निर्माण कार्य। 18.41 लाख।

योग 228.27 लाख

उपरोक्त विषयक के अनुसार परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री नईम अख्तर एवं अभियंता श्री बृजेश कुमार मावी एवं अवर अभियंता श्री रोहित कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मू0आ0सं- 09)**

<u>प्रस्तर-29</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि निर्माण कार्यो में व्यय की गयी धनराशि में एक प्रतिशत धनराशि लेबर सैस के मद में वित्त में प्रावधन कर भुगतान कर दिया गया है। जिसकी गणना करने पर रू0 201639.00 रूपये है। जिसका भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी) व श्री संजय अग्रवाल (वित्त अधिकारी) से करायी जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं- 11)**

<u>प्रस्तर-30</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न दुकानों का भवन किराया विगम कई वर्षो से बकाया पडा है जिसकी वसूली न कर अनिमित्ता की गई। जिसका उत्तरदायित्व श्री नईम अख्तर (अपर मुख्य अधिकारी),श्री पंकज तोमर कर निरीक्षक व पटल प्रभारी श्री मौजीराम का है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नप्रकार है-

क्र0सं0	दुकान संख्या	विवरण	धनराशि
1	2	श्री रामजस पुत्र श्री हुकमसिंह निवासी पटटी खास बडौत	3861
2		श्री जीवनदास पुत्र श्री कैशवचन्द बडौत	4944
3	डिस्पेंसरी	श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री दरयाव सिंह छपरौली	9600
4		श्री अनुज पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी छपरौली	13500
5		भवन किराया भारतीय किसान	183648

योग 215553

(मू0आ0सं- 27)

जनपद -बुलंदशहर मण्डल- मेरठ

प्रारूप - 2

नाम संस्था - जिला पंचायत, बुलंदशहर।

2- लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

<u>प्रस्तर संख्या 01</u>- विवेच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रयुक्त केशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.2022 के अंतिम अवशेष की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को कैशबुक में विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि का कुल योग रूपये 462049450.57 दर्शित है, जबकि कैश बुक के अनुसार अंतिम अवशेष रुपए 425128365.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार अंतर की धनराशि रुपये 36921085.57 आकलित की गई। उक्त अंतर का मौखिक स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण तत्कालीन लेखाकार, अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। अतएव उक्त अंतर का कारण व निवारण वांछनीय है। तत्पश्चात उत्तरदायित्व निर्धारित कर यथा योग्य कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विद्या शंकर पाण्डे व लेखाकार मनोज कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या 02- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के अन्तर्गत जिला पंचायतें, सम्पत्ति एवं विभव कर, एवं कर योग्य आय को तीन प्रतिशत की दर से ऐसे व्यक्तियों पर आरोपित करेंगे व वसूलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते या व्यवसाय करते हों। उ०प्र० जिला पंचायत (अभिरोपण, निर्धारण तथा सम्पत्ति एवं विभव कर का संग्रहण नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कर अधिकारी, जिला पंचायत में अनुमोदन एवं तत्पश्चात बिलों को निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक सूची तैयार करता है। जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात सबंधित व्यक्ति को अपील दाखिल करने के लिये एक माह का नोटिस जारी किया जाये, यदि कोई

हो। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत में सम्पत्ति एवं विभव कर लागू कर सही तरीके से वसूल नहीं किया गया था। सम्पत्ति एवं विभव कर का निर्धारण और वसूली किया गया लेकिन अधिकांश बकाया रह गया। निर्धारित कर एवं कम निर्धारित राजस्व से राजस्व की हानि हई। जिला पंचायत बुलन्दशहर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सी०पी०टैक्स के अन्तर्गत रू० 18.02 लाख की वसूली हुई जोकि वर्ष की मांग से काफी कम है। इस प्रकार अवशेष धनराशि में वृद्धि हो रही है. लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्डवार मांग व वसूली रजिस्टर कर अनुभाग द्वारा तैयार किये गये है. परन्तु कतिपय प्रविष्टियां अपूर्ण है। संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के करों से सम्बंधित कर निर्धारण की मांग व वसूली रजिस्टरो की विगत वर्षों से लेखा बंदी नहीं की गयी है आलोच्य वर्ष की मांग के साथ विगत वर्ष अवशेष धनराशि को सम्मिलित किया जाना चाहिये था। जो न करने से संस्था को आर्थिक क्षति की गई। इस हेतु कर अधिकारी श्री धनंजय सोम व पटल सहायक उत्तरदायी है। तत्कालीन कर अधिकारी का दायित्व (उ०प्र० जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1961 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 03</u>- पंचायती राज अनुभाग दो के शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93जी/2004टीसी दिनांक 24.06.2014 द्वारा जिला पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के लिए दिशा निर्देश दिये गये है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या (3) के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त अनुदान से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को संपादित करायेंगी। साथ ही तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारित किए गये मार्गदर्शित सिद्धांतों के अतिक्रमण की संभावना व्यक्त करते हुए अतिक्रमण की दशा में अनियमित्ता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की संभावना से इंकार नहीं किया गया।

क्रम सं0	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम नगला मायापुर में रमेश चंद्र के खेत से हरि सिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य	7,00000.00
2	ग्राम बढा वड़ा वाजिदपुर में राकेश त्यागी के यहां से राजकुमार त्यागी के खेत की ओर मिटटी/खंडजा कार्य	16,20000.00
3	ग्राम हाजीपुर में चौराहे से फूलसिंह के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य	9,90000.00
4	ग्राम मडौना जाफराबाद में स्याना रोड़ से राजेन्द्र के खेत की ओर नाला निर्माण कार्य	9,50,000.00

5	ग्राम सरदार नगर में विजय पाल पुत्र श्री ह्रदय के यहां से जगबीर पुत्र शीशराम की ओर सी0 सी0 कार्य	9,98,000.00
6	ग्राम मालागढ़ मे नेमपाल के घर से बिजेन्द्र सिंह आढती के घर तक सी0सी0 कार्य	7,20,000.00
7	ग्राम भड़ोली में श्री भगवान शर्मा के खेत से दयानन्द शर्मा के खेत तक मि0ख0 कार्य	9,20,000.00
8	ग्राम साधारणपुर ब्लाक बी0बी0नगर में करमवीर के मकान से देवकरण के खेत तक मि0ख0/नाली निर्माण कार्य	9,60,000.00
	योग	78,58000.00

संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में मौखिक रूप में अवगत कराया गया कि उक्त कार्य बोर्ड द्वारा पारित है। संस्था का उत्तर मान्य नहीं रहा। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम और उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम से संबंधित विषय को शामिल करते हुये प्रत्येक वर्ष एक जिला विकास योजना तैयार किया जाना था। पंचायती राज संस्थओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को जिला पंचायत से स्वीकृत कराने हेतु, जिला पंचायत को योजनाओं को समेकित करना था। राज्य सरकार ने जनवरी 2005 और जून-2014 निर्देश जारी किये कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्यो का चयन संबंधित पंचायत की बैठकों में प्रस्तावों की स्वीकृति के द्वारा नियमानुसार किये जायेगे और ऐसे प्रकरण अध्यक्षया पंचायत के कुछ सदस्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जायेगा। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि जिला पंचायतों द्वारा संसाधनों के उपभोग हेतु वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक योजना तैयार करने के स्थान पर केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान के प्रत्येक किश्त (वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त दो किश्तों एवं राज्य सरकार से प्राप्त दो किश्तों) हेतु अलग से कार्य योजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत की योजनाओं को भी शामिल करते हुए वार्षिक जिला विकास योजना को समेकित किया जा रहा था। लेकिन इस योजना में वित्त आयोग के अनुदान से कराये गये कार्यो के साथ अपने स्वयं से संसाधनों से कराये गये कार्यो को शामिल नहीं किया गया था, साथ ही योजनाऐं, योजना समितियों के माध्यम से नहीं बनायी गई थी इस प्रकार किया गया कुल व्यय रू0 78,58000/- अनियमित है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विधा शंकर पाण्डेय , अवर अभियन्ता श्री विनीत त्यागी व जिला अभियन्ता श्रीमती मन्जू उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या 4 संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के करों से सम्बंधित कर निर्धारण की मांग वसूली रजिस्टरों की विगत वर्षों से लेखाबंदी नहीं की गयी है, न ही शासनादेशों के अनुसार संशोधित दरों पर निर्धारित करों की जाँच हेतु सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। किराया रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को बकाया किराया की पुष्टि में वर्ष 2020-21 का रजिस्टर, किरायानामा/ अनुबंध सम्बन्धी पत्रावली आदि उपलब्ध नहीं कराया, जिसप्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 में किराये की कुल मांग गत् बकाया सहित रूपये 4615198.00 के विरुद्ध कुल वसूली रूपये 2284436.00 की ही हई है. जबकि कुल मांग का 50.50% बकाया रहा। जो संस्था की कार्यप्रणाली में शिथिलता का धोतक है।

<u>प्रस्तर संख्या 05-</u> उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 710/10-स०वि०मित०-2-97, परिवहन अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 29.05.1999 के अनुपालन में संस्था का वाहन प्रयोग करने वाले अपर मुख्य अधिकारी अपने वेतन से रुपये 800/- प्रतिमाह कटौती करके जिला निधि में जमा करायेंगे। परंतु उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। तदनुसार 800x12 = रूपये 9600.00 जमा ना किया जाना आपतिजनक रहा। अतः रु० 9600/- की कटौती कर जिला निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विद्या शंकर पाण्डे व लेखाकार मनोज कुमार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर संख्या 06</u>- ग्राम रामपुर में निजाम के घर से टीटू के खेत की ओर मिट्टी खड़ंजा निर्माण 525 मी0 अनुमानित लागत 7.50 लाख जिसमें 5.50 मीटर में मिटटी कार्य 3.00 मीटर में खड़ंजा तथा 2.5 मीटर में पटरी निर्माण किया जाना है।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य 1 x 1 x 525 x 5.50 x 0.30 = 866.25 घन मी0

1 x 2 x 525 x 1.70 x 0.30 = 535.50 घन मीटर

योग = 1401.75 घन मी0

मिट्टी 5.50 मीटर, 0.30 मीटर ऊंचाई में डाली गई है। 3.00 मीटर में खड़ंजा लगाया गया है। इस प्रकार शेष 2.50 मी बचता है, जिसमें 1.70 मी एक और 3.40 मी पटरी का निर्माण किया जाना है। 3.00 जमा 3.40 = 6.40 मीटर परंतु मिट्टी कार्य कुल 5.50 मीटर में ही कराया गया है इस प्रकार 0.45 मी पटरी हवा में ही झूलती हुई है जो संभव नहीं है। यह एक गंभीर अनियमिता है। दूसरा खड़ंजा 0.125 मीटर ऊंचाई के सापेक्ष 0.30 मी पटरी का निर्माण जो भी संभव नहीं है।

845 पृष्ठ संख्या 39 दिनांक 07 जून 2022 के अनुसार कुल मिट्टी भराव कार्य 1392 घन मी, जिस पर 12.50% का सेटलमेंट नहीं दिया गया है।

अतः 1392 x 12.5 0% = 174 घन मीटर अधिक दी गई है। उक्त कार्य में औसत 0.50 मीटर ऊंचाई में मिट्टी भराव दर्शित किया गया है।

अतः 12.50% भराव मिट्टी = 174 घन मीटर

एस्टीमेट अधिक प्रावधान 535.50 घन मीटर

योग 709.50 घन मी।

इस प्रकार 709.50 x 86.90= रुपए 61655.55 की वसूली अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विधा शंकर पाण्डेय , अवर अभियन्ता श्री विनीत त्यागी व जिला अभियन्ता श्रीमती मन्जू उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर संख्या 07</u>- ग्राम सीकरी में सुरेंद्र के घर से जोगेंद्र के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य, लम्बाई 430 मी स्टीमेट रुपए 689000.00 जिसमें 6:30 मीटर में मिट्टी एवं 3.30 मीटर में खड़ंजा निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसकी निविदा, प्रगति कंस्ट्रक्टर को 0.08% कम पर रुपए 688449.00 में दी गई है।

एस्टीमेट अनुसार मिट्टी का प्रावधान - 1 x 1 x 430 x 6.5 x 0.30 = 838.50 घन मीटर पटरी -1 x x 2 x 430 x 1.95 x 0.30 = 497.23 घन मीटर

योग 1335.73 घन मी

धनराशि 1335.73 x 86.90 = रुपए 116074.98।

मार्ग 6.50 मीटर में निर्मित होना है जिसमें से 3.30 मी में खडंजा तथा 3.2 मीटर में पटरी का निर्माण होना है। परंतु अवर अभियंता द्वारा 1.95 मी0 ×2 = 3.9 मीटर में पटरी हेतु 0.30 मीटर में मिट्टी का प्रावधान किया है। जबकि पटरी हेतु 3.2 मीटर एवं 0.125 मीटर ऊंचाई हेतु ही प्रावधान किया जाना था। इस प्रकार अवर अभियंता द्वारा पटरी हेतु अधिक प्रावधान किया गया

1 x 2 x 430 x 1.95 x 0.175 = 293.475 घन मीटर

1 x 2 x 430 x 0.35 x 0.30 = 90.30 घन मीटर

योग 383.775

धनराशि 383.775 x 86.9 = 33350.00 अधिक का प्रावधान किया गया है। (1)

उक्त कार्य की एमबी बुक संख्या 843 के पृष्ठ संख्या 60 दिनांक 12 अप्रैल 2022 एवं बुक संख्या 842 पृष्ठ संख्या 53 दिनांक 02.04.2022 पर की गई है।

माप पुस्तिका संख्या 842/53 दिनांक 02 अप्रैल 2022 के अनुसार कुल मिट्टी का कार्य 1335.46 घन मीटर आंकलित है जिसमें औसत ऊंचाई 0.50 मी ली गई है।

जबकि स्टीमेट में ऊंचाई 0.30 मीटर ही ली गई है। नियमतः 0.30 मीटर में से अधिक मिट्टी भराव की दशा में एक बरसात सीजन अथवा रोड रोलर का प्रयोग किया जाना चाहिए था ना ही मिट्टी के सेटलमेंट हेतु 12.50% कॉम्पेक्शन का ही प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार 1335.46 x 12.5% =166.925 घन मीटर

धनराशि 166.925 x 86.90= रुपए 14506.22

एस्टीमेट में पटरी का प्रावधान किया गया है परंतु एमबी में नहीं किया गया है।

अतः स्टीमेट में पटरी हेतु किया गया प्रावधान मिट्टी का मूल्य 1 x 2 x 430 x 1.95 x 0.30= ₹497.23 मी

धनराशि 497.23 x 86.90= 14209.2 5 प्रतिशत सेटलमेंट 14506.22

योग रूपये 57715.51

इस प्रकार 57715.51 की वसूली नियम के अनुसार अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विधा शंकर पाण्डेय , अवर अभियन्ता श्री विनीत त्यागी व जिला अभियन्ता श्रीमती मन्जू उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर संख्या 08</u>- ग्राम रैना में रामपाल के खेत से रणपाल के खेत तक मिटटी खरंजा कार्य 587 मी0 अनुमानित लागत रूपये 980000 निर्माण 587 मी जिसमें 6 मीटर चौड़ाई में मिटटी कार्य 3.30 मीटर में खरंजा निर्माण किया जाना है जिसकी 0.05% कम पर निविदा रुपए 979510 में मुनेश्वर सिंह को दी गई है ।

एस्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य

1 x 2 x 295 x 2 x 0.30=354 घन मीटर

1 x 1 x 292 x 2 x 0.30=175.20 घन मी

1 x 1 x 587 x 6 x 0.30=1056.60 घन मीटर

योग 1585.80 घन मीटर

खड़ंजा 3.30 मी तो फिर पटरी 2.70 मी (1.35 एक और) ही बनेगी पटरी में 0.30 मीटर मिट्टी दी गई है जबकि ईद की ऊंचाई 0.125 मीटर है । इस प्रकार 0.175 मी मिट्टी अधिक दी गई है।

अधिक मिट्टी का प्रावधान 1 x 2 x 295 x 2 x 0.175=206.50 1 x 1 x 292 x 2 x 0.175=102.20

योग 308.70

इस प्रकार स्टीमेट में कुल 308.70 घन मीटर मिट्टी का अधिक प्रावधान किया गया है। उक्त कार्य की एमबी माप पुस्तिका संख्या 839 पृष्ठ संख्या 30, दिनांक 21 मई 2022 पर की गई है। जिसके अनुसार मिट्टी कार्य 0.50 मीटर ऊंचाई मानकर कुल 1582 घन मी मिट्टी आंकलित की गई है।

–नियमतः 0.30 मीटर से अधिक मिट्टी भराव की दशा में एक बरसात या रोड रोलर से सेटलमेंट कराया जाना था।

– इस प्रकार 1582 घन मीटर मिट्टी भराव कार्य में 12.50% का सेटलमेंट नहीं दिया गया है ।

–अतः 1582 x 12.50% =197.75 घन मीटर अधिक मिट्टी का भुगतान दिया गया है।

-इस प्रकार 197.75 x 86.90= रुपए 17184.47 की वसूली अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 09</u>- ग्राम मालागढ़ में मेन रोड से जाटवों के श्मशान घाट तक मिटटी/खड़ंजा कार्य 1.8 मी कार्य, अनुमानित लागत 168000, जिसकी निविदा 0.07% कम पर भूपेंद्र कुमार ठेकेदार को स्वीकृत की गई है। स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य

1 x 108 x 6.5 x 0.30= 210.60 घन मीटर

2 x 108 x 1.25 x 0.29=79.38 घन मीटर

योग 289.98 घन मीटर।

एमबी बुक संख्या 842 पृष्ठ संख्या 70 एवं 843 पृष्ठ संख्या 77 पर की गई है।

एम बी के अनुसार औसत 0.50 मीटर ऊंचाई में मिटटी भराई कार्य किए जाने की पुष्टि की गई है ।

–कार्य 108 मीटर के स्थान पर केवल 8 मीटर में ही कार्य कराया गया है।

– एमबी में पटरी का भी प्रावधान नहीं किया गया है जबकि स्टीमेट में किया गया है।

– एम बी कुल मिट्टी भराव 259.35 घन मीटर जिस पर 12.50% का सेटलमेंट नहीं दिया गया है । अतः 32.42 घन मी का लाभ निविदा प्राप्तकर्ता को दिया गया है।

– स्टीमेट में पटरी हेतु किया गया प्रावधान 79.38 घन मीटर मिट्टी जो एम बी में नहीं दिया गया है। -इस प्रकार कुल 32.42+ 79.38 = 111.80 घन मीटर अर्थात 111.80 * 86.90 = रुपए 9715.42 की वसूली अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विधा शंकर पाण्डेय , अवर अभियन्ता श्री विनीत त्यागी व जिला अभियन्ता श्रीमती मन्जू उत्तरदायी है।

जनपद-गौतमबुद्धनगर **मण्डल- मेरठ**

वर्ष-2021-22

प्रारुप-02

जनपद का नाम-गौतमबुद्ध नगर। सम्भाग-मेरठ।

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसादर दिनांक 31.3.2022 को बनाए गए समाधान विवरण पत्र में रु0 8130611.00 अंतर की धनराशि अंकित है जिसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतर की धनराशि का समाधान न होने के कारण उक्त धनराशि को अनियमित मानते हुए तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी व लेखाकार श्री बलबीर सिंह का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः 02 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा मरम्मत एवं साज-सज्जा कार्य में भुगतान धनराशि रु0 973280 जिसमें एसी – 2 टन , एसी – 1.5 टन, टीवी आदि दर्शाया गया है। जिसका बिल प्रमाणक अप्राप्त रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन लेखाकार श्री बलबीर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।

प्रस्तर संख्याः 03 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/ए-1-5ए0जी0/दस-2017-10(50)/2011 लखनऊ दिनांक 04 जनवरी 2018 तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों का सुसंगत का लेखाशीर्ष में जमा किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-636(1)/दस-98-10(12)/95, दिनांक 04 मई 1998 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली-1998" के भाग-4 के प्रस्तर-11(2), जो खाते बन्द किए जाने के सम्बन्ध में है, में उल्लेख है कि किसी वैयक्तिक लेखा खाते मे तीन वर्ष तक कोई भी लेन-देन न हो तो, ऐसे खाते बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जाएगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश के परामर्श से, यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है तो उसे सुसंगत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा कर दिया जायेगा एवं इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी। उक्त परिस्थितियों में खाता बन्द किये जाने की दशा में राज्य सरकार को यदि हानि होती है तो हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त के क्रम जिला पंचायत में पी0एल0ए खाते में रू0 706157.00 अवशेष धनराशि का समाधान न हाने के कारण उक्त धनराशि को अनियमित मानते हुए तत्कालीन लेखाकार एवं उप मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना अपेक्षित प्रतीत होता है जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी व लेखाकार श्री बलबीर सिंह का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः 04 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93G/2004 टीसी दिनांक 24 जून 2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये दिशा निर्देश दिया गया है उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या (03) के अनुसार जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदान उसे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभन्वित करने वाले कार्य को सम्पादित करायेंगे साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकारी के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अतिक्रमण की सम्भावना व्यक्त करते हुए अतिक्रमण की दशा में अनियमित्ता भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया गया है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में अंतरिम आपत्ति के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त कार्य बोर्ड द्वारा परित है संस्था का उत्तर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से संबंधित विषयों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक जिला विकास योजना तैयार किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को जिला पंचायत से स्वीकृत कराने हेतु जिला पंचायत की योजनाओं को समेकित करना था। राज्य सरकार ने जनवरी 2005 और जून 2014 में निंदेश जारी किये कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्यों का चयन संबंधित पंचायत की बैठकों मे प्रस्तावों की स्वीकृति के द्वारा नियमानुसार किये जायेंगे और ऐसे प्रकरण

अध्यक्ष या पंचायत के कुछ सदस्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायतों द्वारा संसाधनों के उपभोग हेतु वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक योजना तैयार करने के स्थान पर केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान को प्रत्येक किश्त (वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त दो किश्तों एवं राज्य सरकार से प्राप्त दो किश्तों) हेतु अलग से कार्ययोजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को भी शामिल करते हुए वार्षिक जिला विकास योजना समेकित किया जा रहा था। लेकिन इस योजना में वित्त आयोग के अनुदान से कराए गए कार्यों के साथ अपने स्वयं के संसाधनों से कराए गए कार्यों को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही योजनाएं, योजना समितियों के माध्यम से नही बनायी गई थी, इस प्रकार किया गया कुल व्यय रू0 9791602.00 अनियमित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी व लेखाकार श्री बलबीर सिंह का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः 05 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में लेपन कार्य पर रू 836847.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त लेपन कार्य के सापेक्ष में प्रयुक्त विटुमिन की मात्रा के सापेक्ष पी0डब्लू0डी0 के मानक के अनुसार लेखाकार द्वारा बिना सी0आर0सी0 बिल के भुगतान कर अनियमित्ता की गयी है। भुगतान विटुमिन क्रय के सापेक्ष सी0आर0सी बिल प्राप्त कर किया जाना चाहिए था। रू 836847.00 का अनियमित भुगतान लेखाकार द्वारा किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी व लेखाकार श्री बलबीर सिंह का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः 06 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष में विभव व सम्पत्ति कर, तहबाजारी, बालू संग्रह, कृषि एवं तरुपालन, नौकाघाट, मेला प्रदर्शनी अन्य इत्यादि में जिला पंचायत द्वारा कर निर्धारण का अवधारण किया जाता है। तथा शुल्क वसूली का दयित्व भी जिला पंचायत का है। परंतु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रूपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है। जिससे संस्था की निजी स्त्रोत से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में कमी होती है। अवधारित कर की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का आभाव पाया गया। वसूली के अभाव में जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.03.2022 को विभिन्न योजनाओं की रू0-131.42 लाख धनराशि वसूली हेतु बकाया थी। अविलंब धनराशि वसूल किया जाए। बकाये की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार बकाया करों की वसूली न करके तथा नियमानुसार आर0सी0 की कार्यवाही न करके रू 13142502.00 से संस्था की क्षति की गई है जिस हेतु श्री रतन सिंह कर अधिकारी, श्री लालजी व श्री लोकेश पटल सहायकका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा

नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः 07 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2203/33-2-97-43 बी (8)95 टी0सी0 दिनांक 30 मई 1997 द्वारा जिला पंचायतों को मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिए जाने का निर्देश दिया गया है संस्था द्वारा रू 236635.00 मृत पशु शव निस्तारण ठेकों की कुल वसूली धनराशि का 1/2 भाग ग्राम पचायतों को वापस किया जाना नहीं दर्शाया गया है। यह अनियमित्ता का प्रकरण है धनराशि रू 118317.50 ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए थी, किन्तु न देकर अनियमित्ता की गयी। उपरोक्त धनराशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है किन्तु संस्था स्तर पर इसका कोई भी विवरण तैयार नही रखा गया है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस का कितना-कितना धन देय है। संस्था द्वारा समस्त धन को अपने कारोबार में प्रयुक्त किया जा रहा है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। समस्त विवरण तैयार करते हुए धन का विवरण सुनिश्चित करने हेतु संस्था प्रबन्धक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी व लेखाकार श्री बलबीर सिंह।

प्रस्तर संख्या-8 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 13वां वित्त आयोग का गतवर्ष का अप्रयुक्त अवशेष अनुदान ₹1999069.00 था। यह राशि दिनांक 31.03.2021 को भी अवशेष दिखायी गई है। यह योजना बंद हो चुकी है, किन्तु यह राशि सरकार को वापस नही की गयी। जिसके लिए संस्था के श्री धर्मजीत अपर मुख्य अधिकारी व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार उत्तरदायी है। अविलम्ब अप्रयुक्त चली आ रही राशि ₹1999069.00 को सरकार को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मुर्दा मवेशी के ठेकेदारों पर पुराना बकाया ₹20,81,885.00 है। दौरान साल आडिट मुर्दा मवेशी के ठेकेदारों से कोई वसूली नही हुई है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। साल 2020-21 में हड्डी खाल का ठेका ही नहीं दिया गया है। पुरानी बकाया ही यथावत चली आ रही है। अतः बकायेदारों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति संबंधित कर निरीक्षक हैं।

प्रस्तर संख्या-10 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दुकान व भवन किराये की बकाया गत वर्ष 31.03.2020 को ₹31,52,934.00 थी। जिसमें वित्तीय वर्ष की मांग ₹10,52,756.00 थी। इस प्रकार कुल गत बकाया सहित मांग दिनांक 31.03.2021 को ₹4205690.00 रही। जिस मध्य दौरान साल आडिट मात्र ₹14,33,929.00 की वसूली हुई। इस प्रकार किराया शेष ₹27,71,761.00 रहा। किन्तु किराया वर्षान्त में बकाया ₹28,45,819.00 है। उक्त प्राप्य किराया अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। गतवर्ष 31.03.2020 को किराया ₹3152934.00 ही वसूल करना था जो कि वर्ष 2020-21 में ₹307115.00 बढ़कर ₹2845819.00 हो गया है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। बकाया किराया शीघ्र वसूल किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री बलबीर सिंह, लेखाकार हैं।

प्रस्तर संख्या-11 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के अन्त में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान कुल रू 454091513.00 अवशेष था। उक्त धनराशि सरकार को वापिस न करके अनियमितता की गई है। अविलम्ब इन राशियों को नियमानुसार सरकार को भेजा जाना अपेक्षित है। वर्षान्त में प्रायः सभी मदों की बड़ी अवशेष राशियां अप्रयुक्त रहना जिला पंचायत अध्यक्ष एंव अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत का क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान न देना प्रकट करता है। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत का दिनांक 31.03.2021 को विभिन्न बैंको में ₹55,60,28,976.48 जमा था। जबकि संस्था के अनुसार ₹547898215.48 बैंको में जमा था। अन्तर ₹8130761.00 से बैंक अधिक जमा दिखा रहे है। जिसका कारण ₹150.00 के बिना भुने चैक एवम ₹ 81,30,611.00 का विवरणरहित राशि का होना है। संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरणपत्र तो बनाया गया है किन्तु उसमें न ₹150.00 के बिना भुने चैक का विवरण दिया गया है और न ही ₹81,30,611.00 की बड़ी धनराशि का विवरण दिया गया है। बैंक से हिसाब मिलान न करने के कारण यह अन्तर है जो कि संस्था के श्री बलबीर सिंह लेखाकार की लापरवाही दरशाता है। अविलम्ब बैंक से हिसाब मिलान करके अन्तर का सुधार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में हड्डी खाल के दिनांक 31.03.2019 को रू1149530.00 के नौ बकायेदार थे। उक्त बकाया के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नही की जा रही है। ठोस कार्यवाही करते हुए उक्त बकाया राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा मेंउ0प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 682 / पी/ 33-3-14 (2) 84 दिनांक 10.03.1987 के पत्रांक 2203/3-2-797-43 बी(8)/95 टी०सी० दिनांक 30.05.1987, पत्रांक 2967/11/32-2-2002/15बी/4-02 दिनांक 07.10.2002 एंव पत्रांक 3/131/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 द्वारा प्रदेश की सभी जिला पंचायतो को निर्देशित किया गया की मृत पशु निस्तारण से हुई आय का 50 प्रतिशत भाग विकास खण्डवार जिलों की समस्त पंचायतो को देना आवश्यक है। इस प्रकार ₹1,93,178.00 की वसूली हुई परन्तु उसको जिले की ग्राम पंचायतों को 50 प्रतिशत ₹96,589.00 नही बांटा गया। इस प्रकार शासनादेशो का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में मासिक प्रपत्र वर्ष 2018-19 से मिलान करने पर मृत पशु विच्छेदन से आय प्रपत्र में ₹343178.00 दर्शायी गई है। जबकि संस्था के लेखो से मिलान करने पर आय ₹193178.00 ही दर्शित है। इस प्रकार अन्तर ₹150000.00 का कारण अज्ञात रहा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अन्तर का स्पष्ट किया जाना व सुधार किया

जाना अपेक्षित है। श्री बलबीर सिंह लेखाकार व संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सम्पत्ति एंव विभव कर के सापेक्ष जांच में पाया गया की जूनियर हाई स्कूल दादरी के बि०पी0ओ0 शीर्ष में दर्शित 7 दुकानों पर दिनांक 31.03.2018 का पावना ₹12993.00 दर्शाया गया है। जबकि वर्ष 2018-19 में किराये कोई मांग नही लगाई गई है। जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अप्राप्त किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है । श्री बलबीर सिंह लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत के वर्ष 2018 -19 के तीन संचालित बैंक खातों में दिनांक 31.03.2018 को पुराने प्रतिवेदन में शेष जमा धनराशि में एस०बी0आई०, सूरजपूर में ₹30320655.10 जमा सिंडिकेट बैंक / केनरा बैंक में (विकास भवन) में ₹3,94,35,313.96 जमा पासबुक अनुसार सही पाया गया जबकि तीसरे बैंक खाते एस०बीआई० (कलैक्ट्रेट परिसर) में 31.03.2018 को जमा शेष ₹35,19,06,046.20 दर्शाया गया है जबकी बैंक विवरण पत्र (स्टेटमैन्ट) अनुसार 31.03.2018 में ₹30,13,96,146.52 के अन्तर का ही दर्शित है। इस प्रकार अन्तर ₹5,05, 09,899.68 के अन्तर कारण/ समाधान पत्र अपेक्षित है। है। श्री बलबीर सिंह लेखाकार व संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

क. जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्षानत में कुल अनुदान ₹2,980.80 लाख का उपभोग नही किया गया है इसमें 13वां वित्त का ₹26.88 लाख जो विगत वर्षो में अप्रयुक्त रहा था, का भी अनुदान सम्मलित है। ज्ञात हो की 13वां वित्त आयोग योजना समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त धनराशि को वापस किया जाना अपेक्षित था। समायन्तर्गत अनुदान का उपभोग नही करना शासनादेश का पूर्णतः उल्लंघन है। संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ख. जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में 13वां वित्त आयोग की धनराशि ₹55.83 लाख पर प्राप्त ब्याज को गतवर्ष तथा आलोच्य वर्ष में प्राप्ति व्याज को अनद्वान मानते हुए प्रारम्भिक शेष में नही जोड़ा गया जो आपत्तिजनक रहा। संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में माह मार्च 2019 के प्रपत्र में राज्य वित्त आयोग का अप्रयुक्त / अवशेष अनुदान ₹29,53,96,562.00 तथा 13वा वित्त आयोग का अवशेष अनुदान ₹26,87,869.00 दिखाया है। इन योजनाओ से सम्बन्धित शासनादेश एंव व्यय क्रमशः ₹20,28,61,773.00 व ₹28,95,200.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उनकी जांच किया जाना सम्भव न हो सका। इन्हे प्रस्तुत कर जांच कराया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित कर निरीक्षक उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर में अलोच्य वर्ष में कराये गये विकास कार्यों में भुगतान बिलों में ठेकेदारों को 01 प्रतिशत की धनराशि को जोड़कर 01 प्रतिशत धनराशि की कटौती कार्मिक उपकर के रूप में की गई है। शासनादेश संख्या 1312 /33-2-11-30 जी /2011 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजान तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1966) नियामावली 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानो / निर्माण भूमि के पंजियन तथा सेस सग्रंह के सम्बन्ध में निमार्ण श्रमिको के पंजियन एंव उपकर के सम्बन्ध में 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर निर्धारित मद में जमा कराने के निर्देश है। लेबर सेस के भुगतान का दायित्व र्निमाणी ठेकेदार का होता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश पत्रांक 9755 एम०टी०/ सामान्य / 40 एम०टी०45/ 2017 दिनांक 19.12.12 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से करके सम्बन्धित विभाग के खातें में जमा कराया जाना चाहिये। यह जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों के बिलो में जोड़कर लेबर सेस की कटौती कर भुगतान किया जा रहा है। जिससे संस्था को ₹18,29,129.00 की क्षति पहुंच रही है। इस संदर्भ में अभियन्ता, अवर अभियन्ता एंव अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में श्री राम औतार टी0आई0 द्वारा दिनांक 06.7.2017 को रसीद संख्या 0069253 व रसीद से क्रमशः सं0 0069254 से जी0टी0 रोड दादरी दुकान सं0 21 व 22 से श्री अनिल कुमार व श्री नरेष कुमार रू1173 व रू1173 किराया वसूल किया गया है। परन्तु उक्त कुल धनराशि रू2346.00 की प्रविष्टी आलोच्य वर्ष के कोषवही में नहीं की गई है। जिसकी वसूली संबंधित श्री बलबीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में श्री राम औतार टी0आई0 द्वारा दिनांक 12.06.2017 को श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी मै0 माजदा एसोसिएट्स बादलपुर से रू6000.00 कर की वसूली चेक संख्या 00025/25.04.017 से की गई है। परन्तु इस चेक से सम्बन्धित आय को कोषवही में प्रविष्टी नहीं की गई है। जिसकी वसूली श्री बलबीर सिंह, लेखाकार से की अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 2017-18 की जांच की। दिनांक 31.03.2018 को मृत शव निस्तारण के ठेके की बकाया राशि रू2101385.00 की वसूली संबंधित ठेकेदार वर्ष दौरान न कर गम्भीर अनियमित्ता की गई। उक्त धनराशि की वसूली ठेकेदार से यथा शीघ्र की जाय। वसूली न करने के लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

प्रस्तर संख्या-24 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 682पी/33-3-14(2)84 दिनांक 10.03.1987 पत्रांक 2203/3-2-797-431(8)/95 टी.सी. दिनांक 2967/11/32-2-2002/15/4-02 दिनांक 07.10.2002 एवं 3/138/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था, कि मृत पशु निस्तारण का 50 प्रतिशत भाग जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को देना सुनिश्चित करें तथा अब तक देय बकाया धनराशि का अविलम्ब भुगतान किया जाय। परन्तु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को धन हस्तान्तरित न करके जहां एक ओर शासन के आदेशों का उल्लंघन किया गया है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में जिला

पंचायत द्वारा बाधा पहुंचाई गई। वर्ष दौरान पशु शव निस्तारण ठेके से आय रू260252.00 की हुई है, जिसका 50 प्रतिशत रू130176.00 होता हैं। जिसको ग्राम पंचायतों को दिया चाहिए था। ग्राम पंचायतों को उनकी धनराशि न देकर गम्भीर अनियमित्ता करी गई। जिसके लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था एवं अन्य पक्षों के मध्य न्यायालयों में चल रहे वादों से संबंधित प्रमाणकों के भुगतान से संबंधित मूल प्रमाणक अधिवक्ताओं की धन प्राप्ति रसीदें लेखा परीक्षा दौरान जांच में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही वाद पत्रावली जांच में प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश, शर्तें एवं फीस तथा अनुबन्ध की पत्रावली जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्ष दौरान रू34250.00 अधिवक्ता फीस के रूप में व्यय किया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी इसके दुरुपयोग के इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में गाड़ियों के पैट्रोल एवं अनुरक्षण पर अंकन रू13.85 लाख प्रपत्र 2 में व्यय किए गए दर्शित हैं। किन्तु संबंधित लाग बुक व मरम्मत रजिस्टर/एस्टीमेटों के अभाव में व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि रू1312523.00 की इनोवा क्रय किया है। तथा रू72907.00 का भुगतान बीमा तथा रोड टैक्स में किया गया है। प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जिसके लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 315/10-02-(9), दिनांक 19.03.1997 के अनुपालन में संस्था का वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी अपने वेतन से रू800.00 प्रति माह की कटौती करके संस्था की निधि में जमा करायेगें। जिसका पालन नहीं किया गया। यह गम्भीर अनियमित्ता हैं। अतः तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार से रू800.00 प्रति माह से कुल 12 माह का रू9600.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में दुकान किराया रजिस्टर वर्ष 2017-18 सुलभ कराई गई परन्तु इससे संबंधित पत्रावली सुलभ नहीं रही। अतः पत्रावलियां उपलब्ध कराकर जांच कराई जानी अपेक्षित है। रू3660580.00 बकाया किराए की वसूली किरायेदार से की जानी अपेक्षित हैं, उक्त धनराशि की वसूली न कर गम्भीर अनियमित्ता की गई। जिसके लिए संबंधित कर निरीक्षक व अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में जांच में पाया गया कि भुगतान बिलों में 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि जोड़कर भुगतान के समय कटौती की गई है। जबकि

विशेष रुप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मचारियों स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 तथा शासनादेश संख्या 1312/33-2-11-30 जी/2011 के अनुसार उक्त कटौती नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार के लागत मूल्य का 01 प्रतिशत किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त लेबर सेस की कटौती ठेकेदार से ना करके जिला पंचायत द्वारा वहन की गई हैं। जिला पंचायत के अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित कुल एस्टीमेट पर अलग से 01 प्रतिशत की धनराशि जोड़कर प्राक्कलन बनाया जाता है। तथा भुगतान करते समय उक्त धनराशि की कटौती कर श्रम कर विभाग को भेज दी जाती हैं। इस प्रकार समस्त ठेकेदारों के बिलों में लेबर सेस मद में श्रम कर की वसूली संस्था द्वारा स्वयं वहन की गई। जिससे संस्था को रू2235066.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर व श्री बलबीर सिंह, लेखाकार वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल, सहायक अभियन्ता जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 जिला पंचायत, गौतमबुद्वनगर वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या 1838/33-37 2015-3/2015 दिनांक 31.03.2015 के अनुसार जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे हैं निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी की सम्भावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तीनों स्तर की पंचायतों के सब्सीडायरिटी के सिद्धान्त पर कार्यों का चयन करेगी। तदनुसार जिला पंचायत बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा अथवा मजरे को जोड़ने के लिए ना कराकर प्राप्त विभिन्न् अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभंवित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी। इसके अतिरिक्त जिला पंचायतों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि वह विभिन्न स्रोतों से आवंटित धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों में रू10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाएं ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य-योजना में सम्मिलित करेगी, परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अधिकांश निर्माण कार्य बहुत छोटे-छोटे तथा ग्राम सभा के अंदर कराए गए जिनकी लागत रू10 लाख से कम थी एवं जिला पंचायत द्वारा प्राक्कलन बनाए जाने के पूर्व इस संबंध में ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से ना तो कोई मीटींग की गई और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न पाया गया। अतः इससे एक ही कार्य के डुप्लीकेसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त शासनादेश का अनुपालन न कर रू43023176.00 वित्तीय अनियमित्ता की गयी। जो गम्भीर विषय है। अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, श्री राज किशोर, वित्तीय परामर्श दाता श्री संजय अग्रवाल, सहायक अभियन्ता तथा श्री बलबीर सिंह, लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 का चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर जांच में अपूर्ण पाया गया। विगत कई वर्षो से किसी भी अधिकारी द्वारा इन सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नही किया गया है। गतवर्ष पंचायतो के अन्तर्गत वृक्षो की संख्या 15625 लिखी गई थी जबकि कृषि योग्य भूमि 43680 वर्ग मी0 एंव खुली भूमि 39590 वर्ग मी॰ का भी उल्लेख किया गया था। परन्तु बातचीत के दौरान बताया गया कि यह सम्पत्तियां तो वर्ष 2015-16 से पूर्व ही जिला

पंचायत के परिसीमन से बाहर हो गई थी। क्योकि नोएडा/ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जनपद के ग्राम पंचायतो की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। अतः पूनः सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक था। जिला पंचायत के पास कुल किराये हेतु कितनी सम्पत्ति है तथा कितनी किराये पर लगी है, इसकी कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही करायी गई। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है एंव संस्था के हितों के प्रतिकूल है। अतः समस्त चल अचल सम्पत्ति का भौतिक सम्यापन कर अभिलेख तैयार किये जाने अपेक्षित है।

जनपद- गाजियाबाद मण्डल- मेरठ

<u>जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां</u>

<u>प्रस्तर सं० 01</u>- जिला पंचायत का सम्पत्ति व विभव कर का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2019-20 में वसूली मांग के सापेक्ष 10 प्रतिशत से कम रही। वर्षान्त में कुल बकाया रू० 37540812.00 रही। वसूली में लापरवाही के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा, योगेश कुमार व लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 02</u>- जिला पंचायत की दुकानों का किराया आवंटियों से वसूल नहीं हो पा रहा है। दिनांक 31.03.2020 तक ब्याज सहित किराया 6490811**.00** बकाया हो गया है। वसूली के प्रति लापरवाही हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 03</u>- वर्ष 2018-19 में विभिन्न न्यायालय में चल रहे वादों की पैरवी हेतु सम्बन्धित अधिवक्ताओं की फीस आदि पर किए गए व्यय रू० 12600.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां/प्रमाणक अप्राप्त रहे। वर्ष 2019-20 के अधिभार में शामिल इस व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 04</u>- दुकानदारों से पुराने बकाया की अंकित धनराशि रू० 18188.00 दर्शित है। वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 05</u>- वर्ष 2019-20 मे विगत से यथावत रूपये 1573**352.00** मृत पशु- शव निस्तारण का बकाया दर्शित है जिसकी वसूली नहीं की जा रही है। वसूली न करने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार व तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 06</u>- उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 682पी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.1997 पत्रांक 2967/11/32-02-2002/15बी/4**-02** दिनांक 07.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/138/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 के परिपालन में मृत पशु शव निस्तारण से आय का 50 प्रतिशत जनपद की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था। वर्ष दौरान प्रस्तुत मद की आय रू0 1.72 लाख का 50 प्रतिशत 0.86 लाख ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया गया, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 07</u>- वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस(आयकर), टी0डी0एस0(जीएसटी), लेबर सेस ओर रॉयल्टी मद में क्रमशः रु 2905957.00 रु 2576836.00 रु 1297599.00 एवं रु 925121.00 कुल रु 7705513.00 की चालान द्वारा राजकोष में जमा किए जाने का साक्ष्य /प्रमामणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। सन्निहित धनराशि रु0 7705513.00 से राजकोष को क्षति पहुंचाई गई। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं । कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 08-</u> वर्ष 2019-20 मे शासनादेश संख्या 8307/33-022004-93 सी 2004/ दिनांक 07.01.2005 का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत द्वारा रु 13170034.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के सीमांतर्गत कराया गया। जबकि शासनादेश मे प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के सीमान्तर्गत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जायेंगे। उक्त अनियमित कार्य और भुगतान के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार तत्कालीन अभियन्ता श्री वी0पी0 शर्मा, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं । कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 09-</u> वर्ष 2019-20 में टेन्डर फार्म की बिक्री से प्राप्त जीएसटी रु 43042.00 के सापेक्ष मात्र रु 27814.00 टी जीएसटी जमा किया गया। शेष रु 15228.00 जमा किए जाने का कोई साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस धनराशि से राजकोष को क्षति पहुंचाई गई। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 10-</u> वर्ष 2019-20 मे बैंक खातों में प्राप्त ब्याज रु 81.4**8** लाख शासन को वापस किए जाने के प्रावधान का पालन नहीं करके अनियमितता की गई। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा/श्री योगेश कुमार एवं श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 11-</u> जिला पंचायत का संपत्ति व विभव कर बकाया वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रु 41686054.00 हो गया है। वसूली मे लापरवाही के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकरी श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं । कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 12-</u> उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 682पी/33-3-14(2)/84 दिनां्क 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.1997 पत्रांक 2967/11/32-02-2002/15बी/4**-02** दिनांक 07.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/138/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 के परिपालन में मृत पशु शव निस्तारण से आय का 50 प्रतिशत जनपद की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था। वर्ष दौरान प्रस्तुत मद की आय रु 1.78 लाख का 50 प्रतिशत रु 0.89 लाख ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया गया जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री बाबूराम जिम्मेदार रहे हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 13-</u> वर्ष 2020-21 टेन्डर फार्म बिक्री से प्राप्त जीएसटी रु० 219678.00 के राजकोष में जमा किए जाने का कोई साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। अत: इस धनराशि से राजकोष को क्षति पहुंचाई गई। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार, वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक जैन तथा तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 14</u>- वर्ष 2020-21 में टी0डी0एस (आयकर), टी0डी0एस (जीएसटी), लेबर सेस एवं रॉयल्टी मद में क्रमशः रु० 4417268.00, रु० 4055493.00, रु० 2263353.00 एवं रु० 5326414.00 कुल रु 16062528.00 की चालान द्वारा राजकोष में जमा किए जाने का साक्ष्य /प्रमामणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करना गया जिससे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। सन्निहित धनराशि रु० 16062528.00 से राजकोष को क्षति पहुंचाई गई। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार(प्रभारी), तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं । कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 15-</u> वर्ष 2020-21 मे शासनादेश शासनादेश संख्या 8307/33-022004-93 सी 2004/ दिनांक 07.01.2005 का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत द्वारा रु० 4908346.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के सीमांतर्गत कार्य गया जबकि शासनादेश मे प्रावधान है की ग्राम पंचायत के सीमान्तर्गत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जायेंगे। उक्त अनियमित कार्य और भुकतान के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार(प्रभारी), तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 16-</u> वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित 159000.00 मानचित्र शुल्क शीर्ष में जमा कराया गया है। संबंधित पत्रावली पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार बाबूराम जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 17-</u> वर्ष 2021-22 में संपत्ति किराया मांग रु० 4280623 के सापेक्ष रु० 3299426.00 ही वसूल किया गया। अन्तर रु० 981197.00 की कम वसूली /लापरवाही हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 18-</u> जिला पंचायत में कार्यरत रहे कर्मचारियों को आवंटित आवास किराया का बकाया रु 48239.00 वसूल किया जाना शेष है। वसूली न कराने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 19-</u> प्रतिवर्ष सम्पत्ति एवं विभव कर का बकाया बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021-22 में मांग के सापेक्ष रु० 5721355.00 कम वसूली की गई। कम वसूली/लापरवाही हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 20-</u> ट्रॉनिका सिटी की संस्थाओं/दुकानों से कतिपय बड़े बकायेदारों से संपत्ति व विभव कर की 5 से लेकर 10 वर्षों से अधिक का बकाया रु० 1360000.00 की वसूली में लापरवाही के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 21-</u> विभिन्न फैक्ट्रीयों से वर्ष 2021-22 में कतिपय बड़े बकायेदारों से संपत्ति व विभव कर की 5 से लेकर 10 वर्षों से अधिक का बकाया रु० 801000.00 की वसूली में लापरवाही के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 22-</u> मांग वसूली रजिस्टर (संपत्ति किराया पंजिका) वर्ष 2021-22 की जांच मे ज्ञात हुआ कि कतिपय दुकानदारों से बकाया चला आ रहा है जिसकी वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे संस्था की आय कुप्रभावित हो रही है। रु० 893051.00 की वसूली में लापरवाही के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 23-</u> उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 682पी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.1997 पत्रांक 2967/11/32-02-2002/15बी/4-**02** दिनांक 07.10.2002 एवं पत्रांक 3/138/138/2004-03/85 दिनांक 13.02.2004 के परिपालन में मृत पशु शव निस्तारण से आय का 50 प्रतिशत जनपद की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना था। वर्ष दौरान प्रस्तुत की गई आय रु० 122769.00 का 50 प्रतिशत रु० 61385.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया गया। जिसके लिए तत्कालीन

अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 24-</u> वर्ष 2021-22 मे शासनादेश संख्या 8307/33-022004-93 सी 2004/ दिनांक 07.01.2005 का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत द्वारा रु० 26714531.00 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के सीमांतर्गत कराया गया। जबकि शासनादेश मे प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के सीमान्तर्गत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जायेंगे। उक्त अनियमित कार्य और भुगतान के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर सं० 25-</u> पंचायती राज अनुभाग-3, शासनदेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015, दिनांक 31 जुलाई 2015 के निर्देशों की अवहेलना/उल्लंघन करके अधिकांश कार्य रु० 10 लाख की लागत से कम के कार्य करके जिला पंचायत द्वारा रु० 24568476.00 की गंभीर अनियमितता की गई, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री योगेश कुमार एवं श्री अशरफ अली, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री अभिषेक कुमार जैन एवं श्रीमती अनन्दिता चतुर्वेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक पराशर जिम्मेदार हैं। कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-हापुड़ **मण्डल- मेरठ**

प्रारूप-02

जिला पंचायत 2021—2022
आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 1- आलोच्य वर्ष 2021 2022की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र संख्या 117716/ 18.1.22 द्वारा श्री देवेन्द्र / कमल सिंह (खेड़ा बिसौली) से 4500.00 टैक्स के रूप में वसूला गया है। जबकि खाते में पृष्ठ संख्या 24/85 पर 3950.00 ही बकाया था। अतः शेष धनराशि 550.00 की वसूली श्री अमरजीत सिंह जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 2- आलोच्य के प्रभाणको की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों को किये गये भुगतान से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती की गई है। लेकिन रॉयल्टी का विवरण अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह अज्ञात रहा कि रॉयल्टी कम या सही ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ भुगतानों में दिये गये बिटुमिन का विवरण भी अंकित नहीं है। केवल धनराशि ही अंकित है।

कम	प्रमाणक सं० / दिनांक	रॉयल्टी की धनराशी	नाम ठेकेदार	बिटुमिन की धनराशि	मात्रा एवं दर
1	8/13-04-21	21978	अभिनव इन्टरप्राइजेज	--	---
2	9/134.21	20070	अभिनव इन्टरप्राइजेज	--	--
3	10/13.4.21	129873	भवानी कं०	412286	अंकित नहीं
4	12/13.4.21	27040	विकास कं०	--	--
5	7/7-06.21	149663	वैष्णो सप्लायर्स	384074	अंकित नहीं
6	11/7.6.21	217212	आर0एस0कं०	419886	अंकित नहीं
7	12/7.6.21	28191	जाहनवी एसोसियेटस	--	---
8	13/7.6.21	31000.00	भवानी कं०		
9	32/226.21	6100.00	विकास कं०		
	योग-	631127.00		1216246.	

यह स्थिति आपत्तिजनक रही। तथा किया गया रॉयल्टी 631127.00 एवं बिटुमिन का भुगतान 1216246.00 कुल 1847373.00 का किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3-वर्ष आलोच्य के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 7/4.21 द्वारा टेण्डर फार्म की बिक्री पर प्राप्त जी०एस०टी० की धनराशि 46766 .00 जमा किया गया है। लेकिन प्रमाणक पर टेण्डर बिक्री की धनराशि का विवरण अंकित नहीं है। जिससे यह अज्ञात रहा कि उक्त जीएसटी की धनराशि सही ली गई है। पूर्व वर्षों की लेखा परीक्षा में आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी टेण्डर फॉर्म बिक्री की धनराशि का उल्लेख नहीं किया जाता है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। तथा जमा की गयी जी०एस०टी० की धनराशि 46766-00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा । जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 4- वर्ष आलोच्य 2021-22 के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया की प्रमाणक संख्या 9/07-06-21 द्वारा वी०एस0 क० को ग्राम मेवापुर में नाम के डेरा से शमशान तक खडंजा निर्माण कार्य के भुगतान में एक ही कार्य का दो दरों से भुगतान किया गया है। विवरण इस प्रकार है :--

क्रम		संख्या एवं दर	धनराशि	अन्तर
1	दी/एल ऑफ रिइन्फोर्सड सीमेंट कंकीट पाइप डायमेटर 600/350 एन0पी03	5×2213.40	11067.00	6376.00
2	दी/एल ऑफ रिइन्फोर्सड सीमेंट कंकीट पाइप डायमेटर 600/350 एन0पी03	10×1275.20	12752.00	

उपरोक्त विवरणानुसार किया गया 6376.00 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 5-आलोच्य वर्ष के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये विभिन्न ठेकेदारों को विभिन्न दरों से भुगतान किया गया है।

क्र०	कार्य का विवरण	नाम ठेकेदार वी०एस०कं०	नाम ठेकेदार शिवा इन्टरप्राइ०	किया गया भुगतान	भुगतान जो करना था।	अन्तर	प्रमाणक सं०/ दिनांक
1	कन्स्टुकशन ऑफ़ विथ अप्रुभद मटेरियल	86.10X3047.69	130.40X470.88	61402.75	40542.77	20859.98	9+15/6.21
2	क्लीनिंग एण्ड ग्रबिग रोड लैण्ड	5.10×3404	6.05×604	3654.20	3080.40	573.80	9+15/6.21
3	लेयिंग ऑफ ब्रिक सॉलिंग लेयर ऑन प्रिपेयर्ड सब ग्रेड वीथ ब्रिक ऑन एज	281.50X2877.90	346.50X457.25	158437.12	128715.87	29721.25	9+15/6.21
			योग-	223494.07	172339.04	51155.03	

उपरोक्त विवरणानुसार किया गया 51155.03 का अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 6-वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में विभिन्न प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि लेपन कार्य एवं काली सड़क निर्माण कार्य के किये गये भुगतान में ठेकेदारों से बिटुमिन तथा इमल्सन के प्रयोग के उपरान्त काटी गयी ड्रम की कटौती में जी०एस०टी नही ली गई है। विवरण इस प्रकार है।

क्र०	प्रमाणक स० / माह	बिटुमिन ड्रम	इमल्सन ड्रम	धनराशि	जी०एस०टी० जो लेनी थी	नाम ठेकेदार
1	10/4	49×300	11×600	21300	3834	भवानी कं०
2	46/6	69x300	15×600	29700	5346	सुदेश कं०
	योग-				9180	

उपरोक्त विवरणानुसार 9180.00 जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 7- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणक संख्या 13/6 की जाँच में पाया गया कि प्रपत्र संख्या नि0का0-08 में अंकित विवरण में क्रमांक 09 पर अंकित कार्य का पी0डब्ल्यू0डी0की दर से अधिक भवानी क० को भुगतान गया है। इस प्रकार किया गया 5461-50 का भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा।

क्र०	प्रमाणक स० / माह	कार्य का नाम	दिया गया नाप एवं दर	धनराशि	दर जो दिया जाना था	धनराशि जो दी जानी थी	अन्तर
	13/6	आती०सी०वर्क इन 1.24 वीथ सीमेंट कोर्स सैण्ड एण्ड 20 एम० एम०	3.23×8150	26324.50	3.23×7600	24548.00	1776.50
	13/6	आर०सी०सी०वर्क इन 11.53वीथ सीमेट कोर्स सैण्ड एण्ड 20 एम० एम०	14.74x 8400	123816.00	14.74×8150	120131.00	3685.00
		योग-					5461.50

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 8-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रमाणकों द्वारा मृत पशु शव निस्तारण सम्बन्धी जमानत की धनराशि एवं टेंडरों के बाबत जमा धनराशि की वापसी की गई है। लेकिन कोई पुष्टि पत्र / विवरण संलग्न नहीं है। अतः समस्त 58000.00 की वापसी अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही।

	प्रमाणक स० / माह	नाम प्राप्त कर्ता	धनराशि	अभ्युक्ति
1	26/6	श्री विजय कुमार / नगीनचन्द	10000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	26/6	श्री संजीव कुमार / धनवीर	10000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
2	11/9	विजय कुमार	6000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	11/9	संजीव कुमार	6000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	11/9	अनीस अहमद	12000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
3	49/12	ओमपाल सिंह	4000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	49/12	ओमकार सिंह	4000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	49/12	कमल सिंह	4000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
	49/12	साबिर	2000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं
		योग-	58000.00	प्राप्ति की पुष्टि नहीं

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 9 -</u>वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रमाणकों द्वारा निम्न ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। संलग्न प्रपत्र संख्या-नि०का0-8 की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये ठेकेदारों से दो दर लिये गये हैं।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	कार्य का नाम	नाप एवं दर	दी गई धनराशि	दिया जाना था	अन्तर	नाम ठेकेदार
1	18/9	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल लिफ्ट अप टु 150 मीटर	114.46× 86.70	9923.68	9923.68	----	राजेन्द्र सिंह
2	19/9	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल लिफ्ट अप टु 150 मीटर	195-02 ×130-40	25430-60	169 08-23	8522-37	विकास क०
3	16/6	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल लिफ्ट अप टु 150 मीटर	64-49 ×130-40	8409-49	5591-28	2908-21	शिवा इंटरप्रा ०
4	41/6	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल लिफ्ट अप टु 150 मीटर	57-34 ×130-40	7477-13	4971-38	2505-75	विकास क०
		योग-		51240-90	37394-57	13846-33	

उपरोक्त विवरणनुसार न्यूनतम दर से किया गया अधिक भुगतान 13846=33 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 10-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रमाणकों द्वारा निम्न ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। संलग्न प्रपत्र संख्या-नि0का0-8 की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये ठेकेदारों से कई दर लिये गये हैं।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	कार्य का नाम	नाप एवं दर	दी गई धनराशि	धनराशि दिया जाना था	अन्तर	नाम ठेकेदार
1	21 /9	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल ओब्टेन्ड फॉम बौरो पिटस वीथ ए लिफ्ट अप टू 1.50 मी0	26.90X86.70	2332.23	2332.23	----	ठेकेदार रविन्द्रा
2	24/9	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल ओब्टेन्ड फॉम बौरो पिटस वीथ ए लिफ्ट अप टू 1.50 मी०	28.16×157.60	4438.01	2441.47	1996.54	मुकेश कान्त
3	37/10	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल ओब्टेन्ड फ्रॉम बौरो पिटस वीथ ए लिफ्ट अप टू 1.50 मी0	211.52x264.20	55883.58	18338.78	37544.80	गंगा लहरी
4	61/12	कन्सट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेन्ट वीथ एप्रुम्ड मैटेरियल ओब्टेन्ड फ्रॉम बौरो	34.21x223.60	7649.36	2966.00	4683.36	प्रताप संन्स

		पिटस वीथ ए लिफ्ट अप टू 1.50 मी0					
		योग-		70303=18	26078=48	44224=70	

उपरोक्त विवरणानुसार न्यूनतम दर से किया गया अधिक भुगतान 44224.70 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 11</u> -वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में निम्न प्रमाणको द्वारा संकेतक एवं लोकेशन बोर्ड बनवाकर लगाने का शिवेंद्र पब्लिसिटी , हापुर को कुल 143100-00 का भुगतान किया गया है I विवरण निम्न प्रकार है :----

क्र०	प्रमाणक स०/माह	दूकान का नाम	कराया गया कार्य	बिल संख्या /दिनांक	धनराशि
1	22/10	मै०शिवेन्द्र पब्लिसिटी, हापुड़	संकेतक बनाना	14/4.9.21	47700.00
2	20/8	मै०शिवेन्द्र पब्लिसिटी, हापुड़	लोकेशन बोर्ड बनाना	11/30.7.21	95400.00
				योग-	143100.00

कमांक 1 पर की धनराशि के भुगतान में से 2 प्रतिशत की दर से 954.00 आय कर की कटौती नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कोटेशन लिये जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति अज्ञात रही। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। अतः उपरोक्त दूकान से किये गये अनुबन्ध एवं अन्य विशिष्टताओं के लिये पत्रावली अनुपलब्ध रही। अतः किया गया 143100.00, एवं 954.00 की आय कर कुल 144054.00 का किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 12-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न प्रमाणकों द्वारा आजाद ट्रेडिंग कं०, बुलन्द शहर को 9436.00 का भुगतान किया गया है। तथा आय कर की कटौती भी की गई है। लेकिन आय कर की किस दर से कटौती की गई है। यह अज्ञात रहा। लिये गये दर की पुष्टि भी नहीं कराई गई।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	दूकान का नाम	बिल संख्या /दिनांक	धनराशि	आयकर की कटौती	दर प्रतिशत	शुद्ध भुगतान
1	33/08	आजाद टेडिंग कं०बुलंदशहर	5365/5-02-21	3856.00	नहीं की गई		3856.00
2	34/08	आजाद टेडिंग कं० बुलंदशहर	5342/4.2.2021	4956.00	394.00	7.95	4562.00
3	35/08	नेशनल बुक डिपो, हापुड़	162/5.2.2021	4480.00	297.00	6.63	4183.00
4	36/08	नेशनल बुक डिपो, हापुड़	191/25.4.202	4480.00	नहीं की गई		4480.00
				योग-	691-00		

अत्त: लिया गया आय कर 691.00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। इसे जमा किये जाने की पुष्टि में चालान भी अनुपलब्ध रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 13-</u> आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रमानाकों द्वारा अतुल तेज कुलश्रेष्ट, एडवोकेटको विभिन्न वादों की पैरवी हेतु निम्न विवरणअनुसार भुगतान किया गया है। लेकिन कोई प्राप्ति रसीद या अन्य विवरण संलग्न नहीं किया गया है। जिससे किया गया समस्त भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा

क्र०	प्रमाणक स०/माह	नाम प्राप्त करता	धनराशि	आयकर	दर प्रतिशत	शुद्ध भुगतान
1	49 /08	अतुल तेज कुलश्रेष्ट	20000-00	960-00	4-8	19040-00
2	50 /08	अतुल तेज कुलश्रेष्ट	14000-00	नहीं		14000-00
			योग-	960-00		

उपरोक्त विवरणानुसार लिये गये आय कर की दर की पुष्टि नहीं कराई गई। अतः यह अज्ञात रहा कि लिया गया दर कम है या अधिक है। उक्त आय कर की धनराशि के जमा किये जाने की पुष्टि में चालान भी अनुपलब्ध रहा। जिससे 960.00 आय कर कटौती की धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही। तथा कमांक 2 पर अंकित धनराशि के भुगतान में आय कर नहीं लिया जाना भी आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 14 -</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 39/3 द्वारा गीता इन्टरप्राइजेज को 161923.00 की बिटुमिन कटौती की अतिरिक्त धन की वापसी की गई है। लेकिन आय कर की कटौती कम की गई है।

क्र०	विवरण	कुल भुगतान	काटी गई आय कर	काटी गई जी०एस०टी०	शुद्ध भुगतान	फर्म
1	भुगतान किया गया	161923.00	2892.00	2892.00	156139.00	गीता
2	भुगतान करना था।	161923.00	3238.00	3238.00	155447.00	इन्टरप्राइजेज
		योग-	346.00	346.00	692.00	

उपरोक्त विवरणानुसार 692.00 से आय कर एवं जी०एस०टी की कटौती कम की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 15-</u> आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि शासन स्तर पर लगाई गई गाड़ियों के किराये का भुगतान प्रमाणक संख्या 38/3 द्वारा 49622.00 का एम0एस0 एभेन्यूज के नाम से डाफ्ट बना कर किया जाना अंकित है। लेकिन अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति पर अंकित बिल संख्या 2621/12101 दिनांक 8.1.22 संलग्न नहीं की गई है। जिससे किया गया उपरोक्त भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 16 -</u> आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार विभिन्न ठेकेदारों को लेपन कार्य के अन्तर्गत कराये गये कार्य का भुगतान किया गया है। जिसकी दरें कई प्रकार की रखी गई है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः न्यूनतम दर से किया गया अधिक भुगतान 64296.36 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा ।

क्र०	कराया गया कार्य	प्लानिया टेडिंग 48/3	गॉड कं० 51/3	मु०च०गुप्ता 60/3	दी गई धनराशि धन	धनराशि जो देनी थी	अन्तर
1	इंप्लाईग प्राईमर कोट	1400.25x28.30	3180.29X33.80	858.75×33.80	107493-80	90002-21	17491-59
2	इंप्लाईग टैंक कोट	1400.25x12-40	3180.29X16-40	858.75×16-40	52156-75	39435-60	12721-15

3	लैइिग सील कोट	1400.25x52-20	3180.29X62-90	858.75×62-00	200040-24	166011-14	34029-15
4	आर०सी० सी०ऍम 15 लोकल स्टोन	1x2645 -16	1x2690 -83	1x2650-67	2690-83	2645-16	45-67
5	आर०सी० सी०ऍम 15 200 एम स्टोन	1x641-85	1x650-70	1x643-56	650-70	641-85	08-85
				योग	363032-32	298735-96	64296-36

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 17 -</u> वर्ष आलोच्य में कराए गए शमशान शेड के निर्माण कार्यों में एक कार्य का अधिक दर से विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :---

क्र०	कार्य का नाम	प्रमाणक सं०/माह	नाप एवं दिया गया दर	धनराशि	दर जो दिया	धनराशि जाना था	अन्तर	नाम ठेकेदार
1	पी०सी०सी०	21/7	0.46X7000.00	3220.00	0.46X6350.00	2921.00	299.00	शिवा इन्टरप्राइजेज
2	वर्क इन 1:2:4	44/7	0.50X7000.00	3500.00	0.50X6350.00	3175.00	325-00	शिवा इन्टरप्राइजेज
3	सीमेंट, कोर्स	6/8	0.58X7000.00	4060.00	0.58X6350.00	3683.00	377.00	शिवा इन्टरप्राइजेज
4	सैण्ड, एण्ड	7/9	0.46X7000.00	3220.00	0.46×6350.00	2921.00	299.00	शिवा इन्टरप्राइजेज
5	20 एम0एम0	25/9	0.18X7000.00	1260.00	0.18×6350.00	1143.00	117.00	गीता इन्टरप्राइजेज
6	स्टोन ग्रिट	26/9	0.12X7000.00	840.00	0.12X6350.00	762.00	78.00	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
7	इन्क्लूडिंग	27/9	0.15X7000.00	1050.00	0.15X6350.00	952-00	98-00	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
8	सप्लाई ऑफ	39/9	0.15X7000.00	1050.00	0.15X6350.00	952-00	98-00	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
9	ऑल	40/9	0.47×7000.00	3290.00	0.47X6350.00	2984.00	306-00	विकास क०
10	पी०सी०सी०	17/11	0.18x7000.00	1260.00	0.18×6350.00	1143.00	117-00	गीता इन्टरप्राइजेज
11	वर्क इन 1:2:4	35/2	0.58×7000.00	4060.00	0.58X6350.00	3683.00	377.00	गीता इन्टरप्राइजेज

12		36/2	0.48x7000.00	3360.00	0.48x6350.00	3048.00	312.00	गीता इन्टरप्राइजेज
			योग-	30170.00		27367.00	2803.00	

उपरोक्त विवरणानुसार न्यूनतम दर के सापेक्ष 2803.00 का अधिक भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18 - वर्ष आलोच्य 2021-22 में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 52/8 द्वारा जि0पं0 के 19 सदस्यों को दिनांक 12.7.21 की बैठक में भाग लेने हेतु 19000.00 के मानदेय का भुगतान किये जाने की सूची बनाई गई है। लेकिन किसके द्वारा प्राप्त किया गया, किसके द्वारा नहीं किया गया नकद प्राप्त किया गया या चेक से प्राप्त किया गया,कोई विवरण / रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा । अतः किया गया 19000.00 का भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19 - वर्ष आलोच्य 2021-22की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 16 / 10 द्वारा सुखवीर सिंह पाठक को तहबाजारी के ठेके (वर्ष-1997-98) के बावत 30000.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त धनराशि की प्राप्ति की पुष्टि में कोई विवरण सुलभ नहीं रहा। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। उक्त धनराशी की प्राप्ति की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 20- वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की प्रमाणक संख्या 8/1/22 द्वारा मसूरी गुलावटी रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई हेतु एन ० आर0 सर्विसेज़ को 80640-00 का भुगतान किया गया है। संलग्नक प्रपत्र नि० क० -8 पर अंकित विवरण के अनुसार 1-08-21 से 25-08-21 तक 60 मजदूर प्रयुक्त किये गए। जिसकी पुष्टि हेतु कोई विवरण या पत्रावली उपलभ्द नहीं रही । यह स्थिति आपत्ति जनक रही। पत्रावली प्रस्तुत कर कार्य की शर्तो एवं अन्य विवरण से उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं कराई गई। अत : किया गया 80640-00 का भुगतान अपुष्ट एवं अनियमित रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 21 - वर्ष आलोच्य में कराये गये लेपन एवं काली सड़क निर्माण के कार्यो में प्रयुक्त किये गये बिटुमिन की मात्रा एवं दर अंकित नहीं की गई है। केवल धनराशि ही अंकित है। इमल्सन की मात्रा,दर एवं धनराशि भी अंकित नहीं की गई है। केवल ड्रम कटौती ही अंकित की गई है।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	बिटुमिन की धनराशि	मात्रा एवं दर	ड्रम कटौती					नाम ठेकेदार	इमल्सन की मात्र दर एवं धनराशी
				बिटुमिन	इमल्सन	कुल धनराशि	जी०एस० टी०	शुद्ध भुगतान		
1	10/4	412286	अंकित नहीं	49 X300	11 X600	21300	--	21300	भवानी क०	अंकित नहीं
2	7/6	384074	अंकित नहीं	42 X300	9 X600	18000	3240	21240	वैश्णो सप्लायर्स	अंकित नहीं
3	11/6	419886	अंकित नहीं	46 X300	10 X600	19800	3564	23364	आर0एस0कं०	अंकित नहीं
4	46/6	663403	मात्र अंकित पर दर नहीं	69 X300	15 X600	29700	--	29700	सुदेश कॉन्टेक्टर	अंकित नहीं
5	18/7	571554	अंकित नहीं		---	--	--	---	रिद्धि इन्फ्रास्टक्चर	अंकित नहीं

6	28/9	194960	अंकित नहीं		6 X600	3600	648	4248	विकास क	अंकित नहीं
7	13/11	263835	अंकित नहीं		8 X600	2400	--	2400	रविन्द्र सिंह	अंकित नहीं
8	43/12	304556	अंकित नहीं		6 X600	3600	648	4248	शिवा इन्टरप्रा०	अंकित नहीं
9	11/1	147673	अंकित नहीं		4 X600	2400	432	2832	मुकेश कान्त	अंकित नहीं
10	15/1	743338	अंकित नहीं		16 X600	9600	1728	11328	यशपाल सिंह	अंकित नहीं
11	16/1	324632	अंकित नहीं		10 X600	6000	1080	7080	प्लानिया ट्रेडिंग	अंकित नहीं
12	32/1	320536	अंकित नहीं		9 X600	5400	972	6372	उमेश चन्द गुप्ता	अंकित नहीं
13	19/2	502930	अंकित नहीं		15 X600	9000	1620	10620	मुकेश चन्द गुप्ता	अंकित नहीं
14	24/3	375173	अंकित नहीं		8 X600	4800	864	5664	वैश्णो इन्फ्रास्टक्चर	अंकित नहीं
15	32/3	359148	अंकित नहीं		8 X600	4800	864	5654	राधा कृष्ण इन्टरप्रा०	अंकित नहीं
16	41/3	479596	अंकित नहीं		10 X600	6000	1080	7080	राधा कृष्ण इन्टरप्रा०	अंकित नहीं
17	46/3	288937	अंकित नहीं		8 X600	4800	864	5664	उमेश चन्द गुप्ता	अंकित नहीं
18	51/3	503586	अंकित नहीं		11 X600	6600	1188	7788	गोंड क०	अंकित नहीं
19	55/3	724386	अंकित नहीं		21 X600	12600	2268	14868	जहान्वी असोसिएट	अंकित नहीं
20	60/3	135741	अंकित नहीं		3 X600	1800	324	2124	उमेश चन्द गुप्ता	अंकित नहीं
						172200	21384	193584		

उपरोक्त विवरणानुसार 6671458.00 की बिटुमिन कटौती ठेकेदारों से की गई है। लेकिन मात्रा एवं दर अंकित नहीं किया गया है जिससे यह अज्ञात रहा कि उक्त कटौती किस आधार पर की गई है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही इसी प्रकार इमल्सन की मात्रा, दर एवं धनराशि की कटौती नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति अज्ञात रही। जबकि वर्ष में इमल्सन प्राप्त किया गया है। इमल्सन के ड्रमों की कटौती किये जाने का आधार भी अज्ञात रहा। अतः की गई कुल कटौती 6671458.00 अनियमित एवं आपत्तिजनक रही।

(अ)क्रमांक 5 से 20 तक बिटुमिन के ड्रमों की कटौती नहीं की गई है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही । जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 22 -</u> क्रमांक 7 पर इमल्सन के ड्रमों की कटौती 300.00 की दर से की गई है। जबकि 600.00 की दर से की जानी थी। इस प्रकार 2400.00 से कम कटौती की गई। तथा इस पर जी0एस0टी0 432.00 भी नहीं ली गई है। अतः कुल 2832.00 की कम कटौती कर संस्था को हानि पहुँचाई गई। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 23 -</u> शासनादेश संख्या 682-बी/33-3-14(2) 84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43 बी(8)/95 टी0पी0 दिनांक 03.05.1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का 1/2 भाग ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना चाहिए था। लेकिन वर्ष आलोच्य में प्राप्त आय 68840.00 का आधा भाग 34420.00 ग्राम पंचायतों को वितरित नहीं किया गया है। और न ही कोई विवरण तैयार किया गया है कि, किन ग्राम पंचायतों को किस वर्ष का कितना-कितना धन देना शेष है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। उपरोक्त कार्य से प्राप्त धन का निर्धारित दर से प्राविधान कर ग्राम

पंचायतों को वर्ष वार वितरित वितरित किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 24-</u> शासनादेश स्ख्या 4/866/23-2-14-93 जी / 2004 टी०सी० दिनांक 24.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक 12.01. 2005 द्वारा अनियमितता / भ् ष्टाचार एवं डुप्लीकेसी रोकने के उद्येश्य से क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य दर्शित किये जाने पर प्र तेबंध है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य अपने द्वारा कराया गय दर्शा कर भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए जिला पंचायत को दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित कराया जाना चाहिए। ऐसा किया गया है या नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र वर्ष आलोच्य 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क म	कराये गये कार्य का नाम एवं पूर्ण पता	नाम ठेकेदार	धनराशि
	माह- अप्रैल 2021		
1	ग्राम सौलाना में कुटी मन्दिर से पुल की ओर सी०सी० कार्य	मै० अभिनव कं०	818944.00
2	ग्राम समाना में पन्नाधाग जी के मन्दिर से भाम न घाट की ओर सी०सी०कार्य	मै० अभिनव कं०	762832.00
3	ग्राम कावी में शिशु मन्दिर से राजपाल के खेत तक काली सड़क कार्य	भवानी कं०	1451520.00
4	ग्राम निकन्दरपुर बागड़ गुर सम्पर्क मार्ग पर सोमी के खेत से कुटी की ओर लेपन कार्य	सुदेश क	408464.00
5	ग्राम मैना में भोजवीर शर्मा के मकान से गढ़ स्याना रोड की ओर सी०स०कार्य	विकास कं०	213696.00
	योग		3655456.00
	माह-- जून 2021		
1	ग्राम सचरा में अयूब के खेत से ईदगाह तक काली सड़क निर्माण कार्य	वैष्णो सप्लायर्स	1127380.00
2	ग्राम भभवापुर में राम के खेत से शमशान तक खड़ंजा कार्य	वी०एस० क०	1257076.00
3	ग्राम लोधीपुर चपका में रामजीलाल के खेत की ओर खडंजा कार्य	गंगा कं०	639744.00
4	ग्राम देहरा में गुलावटी मसूरी संपर्क मार्ग	आर०एस०कं०	1190336.00
5	ग्राम लालपुर में अमरजीत के जोड़े से रामकरन के खेत तक सी०सी०कार्य	जाहन्वी एसो0	997908.00
6	ग्राम दादायरा में राजू के खेत से काली सड़क तक मि० अ० कार्य	शिवा इन्टरप्राइज	259504.00
7	ग्राम भटियाना में पाल के मकान से अशोक के मकान तक खड़ंजा कार्य	शिवाइन्टरप्राइजेज	634704.00
8	ग्राम सलपुर में खेत से कब्रिस्तान की तरफ खड़ंजा का	वैष्णो सप्लायर्स	531633.00
9	ग्राम छिजारसी में छिजारसी परतापुर सम्पर्क मार्ग पर धर्मपाल के खेत से परतापुर भयामती सम्पर्क मार्ग तक ख०कार्य	वैष्णो इन्फा०	2224320.00
10	ग्राम कुराना में गजेन्द्र स्थान के खेत से नीम नदी की ओर अवशेष खड़ंजा कार्य	रविन्द्र सिंह	159600.00
11	ग्राम न् ली में विजयपाल के मकान से भूदेव शर्मा के मकान तक व अडंगपुर गाँव की ओर लेपन कार्य	गीताइन्टरप्राइजेज	3119648.00
12	ग्राम भ्तनौरा में आगापुर सम्पर्क मार्ग को ओर अवशेष सो०सी०व इन्टरलोर्किंग कार्य	विकास क०	265216.00
13	हापुर मेरठ रोड पर असोढ़ा की पुलिया से रेलवे अंडर पास तक लेपन कार्य	विकास क०	1065904.00
14	ग्राम ददयरा में मैं चौराहे सा कालू के माकन की तरफ पटना संपर्क मार्ग पर सी० सी०रोड के दोनों तरफ सेड पटरी पर इण्टर0	पंचशील क०	376588.00
15	ग्राम बच्लौता बाबूगढ़ संपर्क मार्ग से रसूलपुर गाव की ओर पुरानी सी० सी०लेपन कार्य	उ० च० गुप्ता	1697360.00
16	ग्राम नली बनखण्डा बाईपास सम्पर्क मार्ग से दयानतपुर की ओर लेपन कार्य	लानिया टेडिंग	1142400.00
17	ग्राम छिजारसी में छिजारसी परतापुर सम्पर्क मार्ग पर विजय पाल के खेत से जय प्रकाश के खेत तक लेपन कार्य	उ० च० गुप्ता	1942528.00

18	ग्राम अगर पुर सवाय में तालाब से गौहरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	जाहन्वी एसो0	924560.00
19	ग्राम भयागपुर में विरेन्द्र फौजी के ट्यूबवेल से काली नदी तक नाला निर्माण कार्य	पंचशील कं०	1377800.00
20	ग्राम करनपुर कन्दौला मार्ग में रमेशचन्द के यहाँ से रजवाहे से होते हुए धौलाना पिलखुआ सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	रिद्धि इन्फा	2512742.00
21	ग्राम नूरपुः मदैया में कृश्ण वीर के खेत से मेड़ा सम्पर्क मा पर लेपन कार	रविन्द्र सिंह	679616.00
22	ग्राम गोहन मुदाफरा मार्ग से मुक्ते वरा मर्ग की ओर लेपन कार्य	जाहन्वी एसो0	1505616.00
23	ग्राम बागलपुर में काली सड़क से मुन्नु प्रधान के खेत की ओर खड़ंजा कार्य	विकास कं०	470288.00
24	ग्राम कपूरपुर में रमेश के खेत से खेड़ा की ओर खड़ंजा कार्य	विकास कं०	319984.00
25	ग्राम भमेड़ा में बुन्दु प्रधान के के घर से अगादनगर सैदपुर सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	यशपाल सिंह	3488016.00
26	ग्राम फगौना में पदम सिंह के खेत से खड़ंजा कार्य	प्रताप कं०	997248.00
27	ग्राम तता पुर में सन्देश के भट्टे से सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा निर्माण कार्य	प्रताप कं०	577248.00
28	ग्राम बदनाली में दर्शन के मकान से छोईय तक नाला निर्माण कार्य	गंगा कं०	1122464.00
29	ग्राम सिलारपुर में लखीराम के माकन स गाव के बहार तलब तक नाला नर्माण कार्य	विकास कं०	246288.00
30	ग्राम दोयनी में दोयमी असोड़ा सम्पर्क मार्ग पर राजेश्वर के खेत की तरफ तपन कार्य	मुकेश कान्त	863296.00
	योग-		33717015.00
	जुलाई 21		
1	ग्राम सिलारपुर में जाहरवी! मन्दिर की ओर सी०सी०सड़क 'नर्माण कार्य	रविन्द्र सिंह	869120.00
2	ग्राम भवानपुर जड़ से कार सिलारपुर गर्म से झाल की ओर सी०सी०रोह पटरी पर इ० एवं नाली कार्य	शिवा इन्टरप्रा०	626640.00
3	भयामपुर मलुकपुर मार्ग से ग्राम भयामपुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड	पंचशील कं0	852544.00
4	ग्राम ददावरा में अनिल भाव के मकान से लेकर प्रमोद भार्गी के मकान की ओर सी०सी०रोड कार्य	शिवा इन्टरप्रा.	630784.00
5	ग्राम लालपुर में अमरजीत के जोड़े से काली सड़क तक सी0सी0रोड के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य	गु०च०गुप्ता	245728.00
6	ग्राम भयानपुर में मेन रोड से ग्राम विगास सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी०रोड के दोनों तरफ साईड पटरी पर इ०लॉ० कार्य	कृश्णा बिल्डर्स	781424.00
7	ग्राम बंगोली में रनपाल के खेत से कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी० निर्माण कार्य	प्लानिंग ट्रेडर्स	360640.00
8	ग्राम दादों में दादरी दस्ताई सम्पर्क मार्ग से होते हुए असौड़ा दस्तोई सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	देश कं०	1698256.00
9	ग्राम धनोअ में विनोद श्याम के घेर से श्योराज के कुंवे से होते हुवे धनौरा झीलपुर मार्ग की ओर लेपन कार्य	शिवा इन्टरप्रा०	1278368.00
10	ग्राम सूडान खडखड़ी तिराहे से राजपुरा संपर्क मार्ग पर शेष खडंजा कार्य	विनोद कुमार	478016.00
11	ग्राम उदैपुर में विजेंद्र के खेत से हाजीपुर उदैपुर मार्ग तक खडंजा कार्य	पंचशील	1843408.00
12	ग्राम उदैपुर में सचिन के खेत से हाजीपुर बंगोली संपर्क मार्ग तक लेपन कार्य	जाहन्वी एसो0	3655680.00
13	ग्राम सकटीला की ओर से पूर्व सम्पर्क मर्ग पर प्रा०स्कूल की ओर सी०सी० कार्य	नरेन्द्रकु शर्मा	994112.00
14	ग्राम दतिगाना में माधोपुर पीरनगर बाईपास से स्वास्थ्य केन्द्र तक सी०सी०कार्य	शिवा इन्टरप्रा०	894656.00
15	ग्राम नुरपु! मदैया में कार्ल सड़क से चौ0 रन सिंह की मूर्ति तक लेपन कार्य	रविन्द्र सिंह	541520.00
16	ग्राम लुहा हरोड़ा सम्पर्क मार्ग से राजकुमार के खेत तक खड़ंजा कार्य	उमेश गुप्ता	237664.00
17	मेरठ रोड से ग्राम दौताई की ओर चामड़ वाले सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	राधा कृष्ण इ०	686448.00
18	ग्राम दयानगर में शिव मन्दिर से कनिया मर्ग की ओर खड़ंजा कार्य	विकास कं०	1357328.00
19	ग्राम सोग में सोगढ़ जर्ग ना सम्पर्क मार्ग से अली मो०डासना वाले के घर की ओर खड़ंजा कार्य	पुर त्यागी	44464.00
20	ग्राम बंगोली में कुराना वाले रास्ते पर पूर्व की रोड से आगे की तरफ काली सड़क निर्माण कार्य	राजेन्द्र सिंह	892304.00
21	ग्राम पावती लोधीपुर चपका संपर्क मार्ग पर फार्म के कोने से चरम्पुरा सादुल्लापुर सम्पर्क्म मार्ग पर सी०सी० कार्य	पुर त्यागी	997584.00

			19966688.00
	माह - अगस्त 2021		
1	ग्राम श्यामपुर में काली सड़क से टावर की ओर नाली निर्माण कार्य	शिवा इन्टरप्रा०	425880.00
2	गन्दूनगल खगोई सम्पर्क मार्ग से ग्राम वैट की ओर लेपन कार्य	राधा कृष्ण इ०	1683808.00
3	ग्राम भगवानपुर में गोपाल की ट्यूबवेल से अख्तर के मकान तक सी०सी०कार्य	गंगा कं०	1965152.00
4	ग्राम सिखेड़ा में लेखपाल व कुलदीप के घर से होते हुए तालाब तक नाला निर्माण कार्य	गॉड कं०	1214304.00
5	ग्राम अनवरपुर के तालाब के कोने से कावी गाँव की तरफ लेपन कार्य	रागश्वर इन्फ्रा	1023456.00
	योग		6312600.00
	माह - सितम्बर 2021		
1	ग्राम मस्त राम की कुटी से अब्दुल्लापुर तक खड़ंजा कार्य	उ० च० गुप्ता	1249360.00
2	ग्राम मनाली में देवेन्द्र के खेत से खड़जा कार्य	राजेन्द्र सिंह	866198.00
3	ग्राम मुदाफ्रा सोल्व संपर्क मार्ग से बगादपुर मार्ग पर लेपन कार्य	रिद्धि इन्फा	1300544.00
4	ग्राम जखीरा में सलोनी मार्ग से रजापुर संपर्क मार्ग की ओर अवशेष सी०सी०कार्य	रविन्द्र सिंह	1170848.00
5	ग्राम दुटा में ग्राम मंदिर से मेरठ रोड तक नाला निर्माण कार्य	विकास कं०	1614368.00
6	ग्राम बझेडा खुर्द में बझेरा संपर्क मार्ग के गेट से माता मंदिर की ओर अवशेष सी०सी०कार्य	चाहत	1420048.00
7	ग्राम श्यामपुर में मलूक्पुर मने रोड से ग्राम विकदस संपर्क मार्ग की ओर सी०सी०कार्य	कृश्णा बिल्डर्स	79296.00
8	मेरठ हापुर रोड पर दादरी मोड से पंचर वाले की दुकान तक नाले का निर्माण कार्य	मंगलम	367920.00
	योग		8068582.00
	माह अक्तूबर 2021		
1	ग्राम भय नगर में गाव के बहार से हितेश त्यागी के खेत से जय किशोर शर्मेa के खेत तक लेपन कार्य	उ० च० गुप्ता	1247456.00
2	ग्राम मुरादपुर में साइफन की ओर अवशेष लेपन कार्य	उ० च० गुप्ता	674576.00
	योग		1922032.00
	माह दिसम्बर 2021		
1	ग्राम भोखपुर में भोखपुर चौराहे से सैनी बरती से होते हुए जैपाल सिंह के बाग की ओर लेपन कार्य	गॉड कं०	2519328.00
2	ग्राम पिपतहड़ा में मेन रोड से ईदगाह की ओर काली सड़क तक सी०सी० कार्य	गॉड कं०	1108240.00
3	ग्राम गिरधरपुर में राजू रात के खेत से रजवाहे तक खड़ंजा कार्य	विकास कं०	613020.00
4	ग्राम छज्जपुरा मदैया पिन्टू के खेत से लेकर धर्मपाल के खेत तक खड़ंजा कार्य	विकास कं०	378252.00
5	ग्राम सिवा या से करनपुर सम्पर्क मार्ग तक खड़ंजा कार्य	शिवा इन्टरप्रा०	961328.00
6	ग्राम माधापुर में मेन रोड से देव स्थान तक खड़ंजा कार्य	शुरू त्यागी	953666.00
7	ग्राम पीरनगर मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग से लल्लू के खेत से देवेन्द्र के खेत तक खड़ंजा कार्य	आर्यन इन्टर	960016.00
8	ग्राम लोर्घ पुर छपका में ले धीपुर हैदरपुर सम्पर्क मार्ग कुटी से लोधीपुर हैदरपुर खड़कपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी०	पवनश्री कं०	1092576.00
9	ग्राम मीरप र कला में सरकारी जोड़े से लेकर भोजाराम सैनी के मकान की ओर सी०सी०सड़क व साईड पटरी पर ख०कार्य	प्रताप कं०	866851.00
10	ग्राम जोगें पुरा में इंतजार के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	पंचशील कं०	680736.00
11	ग्राम सिकदरपुर में मुख्य गर्ग से तालाब की ओर से हरिजन बस्ती वाले रास्ते पर सी०सी०कार्य	देश कंठ	1455440.00
	योग-		11589453.00
	माह - जनवरी 2022		
1	ग्राम दादों में प्रा०स्कूल से भोर सिंह की ट्यूबवेल की ओर खड़ंजा कार्य	शर्मा इन्टरप्रा०	947408.00
2	ग्राम धुलना बड़ा मोहल्ला में पुलिया से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	शीला इन्टरप्रा०	962080.00
3	ग्राम नरायणपुर बक्सा में सिवाया सम्पर्क मार्ग से ईदगाह तक सी०सी०कार्य	नरेन्द्र कुमार शर्मा	369736.00

	योग-		2279224.00
	माह - फरवरी 2022		
1	ग्राम नरायणपुर बक्सा में सिवाया सम्पर्क मार्ग से ईदगाह तक सी०सी०कार्य	चाहत क०	548322.00
2	ग्राम ददावरा में मेन चौराहे से कालू के मकान की तरफ पहना सम्पर्क मार्ग पर सी०सी०रोड के दोनों तरफ साईड पटरी पर इन्टर लॉकिंग टाइल्स	पंचशील कं०	256009.00
3	ग्राम मुरारपुर निजामपुर में धर्मवीर के खेत से सुधीर की टयूबवेल तक खड़ंजा कार्य	शिवांश क०	851200.00
4	ग्राम गोह में ट्रांसफर्मर रा मुनेश त्यागी व खेत तक खड़ंजा कार्य	उ० च० गुप्ता	638400.00
5	ग्राम हिम्मतपुर में हकत साये के कब्रिस्तान से राजपुर सम्पर्क मार्ग तक खड़जा कार्य	श्री राम क०	156576.00
6	ग्राम लोधीपुर छपका में मन्दिर वाले रास्ते पर सी०सी०एवं साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग कार्य	पवन श्री क०	729792.00
7	ग्राम हसनपुर में नरेश के खेत से बुद्ध प्रज पति के खेत तवः सी०सी०कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	188496.00
	योग		3368795.00
	माह -मार्च 2022		
1	ग्राम चितौड़ा में विजय सिंह के खेत से प्रेमपाल के खेत तक खडंजा केय	रविन्द सिंह	548800.00
2	ग्राम भोवापुर मस्ताननगर से चामण्ड वाले रास्ते पर सी०सो०रोड कार्य	शिवा इन्टरप्रा	1723680.00
3	ग्राम ततारपुर में हरवीर पुत्र भगवान सह य के खेत तक खड़ंजा कार्य	पंचशील	642880.00
4	ग्राम दायरा में राजू के खेत से लेकर गन सडक तक सड़ंजा कार्य	पंचशील	378000.00
5	ग्राम गोहरा आलमगीरपुर में सुधीर राना के खेत से बुन्दी पहलवान के खेत तक खड़ंजा कार्य	गंगा क०	959840.00
6	ग्राम हरनाथपुर कोटा में लीलू के खेत से सुरेन्द्र के खेत की ओर खड़ंजा कार्य	विनोद कुमार	832160.00
7	ग्राम सनोनी में सलोनी सम्पर्क मार्ग पर सुन्दर पण्डित जी के खेत से राजेन्द्र के घेर तक सी०सी०कार्य	शिवा इन्टरप्रा	1193920.00
8	ग्राम महमूदपुर के धर्मेन्द्र के खेत से तेजवीर सिंह के खेत तक खड़ंजा कार्य	सिक्का क०	572320.00
9	ग्राम उधारपुर में उबारपुर मेन रोड से बिल्लू के खेत तक सी०सी० रोड कार्य	शिवा इन्टरप्रा	744800.00
10	ग्राम मुशार्रफ्पुर झण्डापुर में जिलेराम के ट्यूबवेल से योगेन्द्र सिंह के खेत की ओर काली सड़क सम्पर्क मार्ग पर ख०कार्य	वैष्णो सप्लैर	891520.00
11	ग्राम आरिफपुर में मेन रेड पर मुंशी अब तर के घर से सैपद इनाम अली के घर तक नाला निर्माण कार्य	मंगलम	1564640.00
12	ग्राम आजमपुर में फेमीद के खेत से हाजी कलवा के खेत तक खड़ंजा कार्य	गॉड़ कं०	477120.00
13	ग्राम सवली में नीटू त्यागी के यहाँ से त लाब तक नाला निर्माण कार्य	सिक्का क०	1078160.00
14	सिकन्दपुर सम्पर्क मार्ग की ओर खड़ंजा कार्य	पुर त्यागी	787360.00
	योग		12395200.00
	माह योग अप्रैल 21 से मार्च 22 तक		103275045.00

उपरोक्त विवरणानुसार कार्यक्षेत्र के भीतर होने का प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना ही 10,32,75,045.00 का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा । जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 25-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार जिला पंचायत कार्यालय में जेनरेटर में 22008.00 रुपए का कार्य कराया गया है। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	दुकान का नाम	बिल संख्या	धनराशी	अभुक्ति
1	28/7	राहुल रिपेयरिंग अंड सर्विस	293/28-06-31	5700	बिल संलग्न नहीं

2	29/7	असिहंत मशीनरी , गाज़ियाबाद	एस0 टी0/21-22/0229 /30.06.21	4661	बिल संलग्न नहीं
3	30/7	असिहंत मशीनरी , गाज़ियाबाद	एस0 टी0/21-22/0221 /30.06.21	3977	बिल संलग्न नहीं
4	31/7	असिहंत मशीनरी , गाज़ियाबाद	एस0 टी0/21-22/0228 /30.06.21	3009	बिल संलग्न नहीं
5	32/7	असिहंत मशीनरी , गाज़ियाबाद	एस0 टी0/21-22/0227 /30.06.21	4661	बिल संलग्न नहीं
		योग		22008	

लेकिन उपरोक्त कोई बिल संलग्न नहीं किया गया है। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा।यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 26-</u> वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में गया गया कि निम्न विवरणानुसार टेण्डर बिकी पर जी०एस०टी० प्राप्त की गई है। तथा जमा किये जाने का दिनांक भी अंकित है।

क्र०	माह	टेंडर बिक्री	जी०एस0टी0	दिनांक
1	अगस्त 21	4615	830	13-09-21
2	सितम्बर 21	1000	180	16-10-21
3	अक्तूबर 21	240148	43226	02-11-21
4	नवम्बर 21	316411	56954	02-12-21
5	दिसंबर 21	244705	44048	15-01-21
6	जनवरी 22	156914	28244	07-02-22
	योग	963793	173482	

उपरोक्त विवरणा नुसार कुल 173482.00 की जी०एस०टी०प्राप्त की गई है। लेकिन जी०एस०टी० विभाग में जमा किये जाने की पुष्टि में कोई चालान संलग्न नहीं रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 27-</u> जिला पंचायत द्वारा निर्गत कार्यादेश में मजदूरों को भुगतान ठेकेदार के माध्यम से किया जाना अंकित है। जिसके लिये मजदूरों का नाम लिख कर मस्टर रोल संलग्न किया गया है। लेकिन धनराशि मजदूरों द्वारा प्राप्त किया गया है या नहीं पुष्टि में कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं करवाया गया है। जिससे मजदूरी पर किया गया 193720.00 का भरना में तथा 245920.00 में शेखूपुर में का भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रह । चेक से दिये जाने पर चेक संख्या भी अंकित नहीं है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 28 -</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार जिला पंचायत की गाड़ियों में डीजल / पेट्रोल डलवाया गया है। लेकिन बिल संलग्न नहीं किया गया

क्र०	प्रमाणक स०/माह	बिल संख्या/ दिनांक	धनर शि	कम्पनी	गाड़ी संख्या
1	26/7/21	2064/31.03.21	14287.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
2		2111/20.4.21	16204.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
3		2166/1.5.21	4155.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
4		2230/20.6.21	20093.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
5	40/10/21	2286 /31.07.21	17981.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
6		2355/31-08-21	13477.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023

7	52/12/21	2417/30-09-21	12454.50	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
8		2450/31.10.21	18848.40	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
9		2501/30.11.21	19965.75	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
10	13/3/22	2557/31.12.21	12224.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
11		2611/31.01.22	11791.00	यूनाईटेड मोटर कं०	यू0 पी0 37 जी 0023
			161480.65		

उपरोक्त विवरणानुसार 161480.00 जिला पंचायत की गाड़ी में एवं 148050.00 का उपरोक्त अध्यक्ष महोदया की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पर कुल 309530.00 का व्यय किया गया है। लेकिन किये गये व्यय की पुष्टि हेतु प्रमाणक के साथ उत्त पेटोल पम्प की पर्ची संलग्न नही की गई है। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। बिल के साथ लॉग बुक की छाया प्रति भी संलग्न नही किये जाने से यह अज्ञात रहा कि समस्त व्यय जिला पंचायत के हित में कार्य किये जाने पर ही किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अज्ञात रहा कि उपरोक्त गाड़ियाँ जिला पंचायत के कार्यक्षेत्र में ही प्रयुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त डीजल एवं पेट्रोल पर पृथक से बजट नहीं बनाये जाने के कारण वह अज्ञात रहा कि उक्त समस्त धनराशि 309530.00 निर्धारित बजट के अधीन है या बजट से अधिक है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। पेट्रोल पम्प की पर्ची एवं लॉग बुक से किये गये व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 29</u>- वर्ष आलोच्य 2021-22की लेखा परीक्षा में प्रभाणकों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार स्टेशनरी क्रय की गई है। लेकिन क्रय किये जाने की पुष्टि में कोई बिल संलग्न नहीं किया गया है। केवल प्रमाणक के नाम पर अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति पत्र पर कम्पनी एवं बिल संख्या अंकित कर दी गई है।

क्र०	प्रमाणक स०/माह	बिल संख्या/ दिनांक	धनराशि	कम्पनी
1	30/8/2021	5339/4.2.2021	1628.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
2		01019/10.6.2021	1534.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
3	31/8/2021	01059/11.06.2021	4602.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
4	32/8/2021	0531/17.4.2021	1711.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
5		5313/17.4.2021	708.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
6		100/22.6.2021	690.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
7	33/8/2021	5365/5.2.2021	3856.00	आजाद ट्रेडिंग कं०
8	37/8/2021	166/24.3.2021	2480.00	नोबल बुक डिपो
9	38/8/2021	200/10.7.2021	1998.0	नोबल बुक डिपो
10	39/8/2021	181/22.4.2021	1400.00	|नोबल बुक डिपो
	योग-		20607.00	

उपरोक्त कम्पनियों के बिल प्रस्तुत कर किये गये क्रय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। तथा स्टेशनरी स्टॉक पंजिका में क्रय की गई सामग्री अंकित किये जाने की भी पुष्टि नहीं कराई गई। अतः किया गया 20607.00 का क्रय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 30-</u> वर्ष आलोच्य 2021-22 में विभिन्न संस्थाओं का लाइसेंस रिन्यू किया गया है। लेकिन उ०प्र०सरकार द्वारा प्रकाशित गजट, इलाहाबाद , 01 जून 2002 के अनुसार दिनांक 30 जून तक लाइसेंस रिन्यू न कराने की स्थिति में, बिलम्ब शुल्क, निर्धारित लाइसेंस का 50% सहित जमा कराने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जा सकता है। इस नियम का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	प्रपत्र 5 की सं०	वसूली की धनराशि	विलम्ब शुल्क	क्र०	प्रपत्र 5 की सं०	वसूली की धनराशि	विलम्ब शुल्क	क्र०	प्रपत्र 5 की सं०	वसूली की धनराशि	विलम्ब शुल्क
1	94873	15020	3755	22	97086	1220	305	43	94194	1220	305

2	94883	15020	3755	23	97088	1220	305	44	94196	460	115
3	95887	22530	3755	24	97097	4520	1130	45	94198	460	115
4	94890	31530	5255	25	109804	9040	1130	46	95366	3020	755
5	04898	45060	3755	26	109818	1830	305	47	125119	6040	755
6	93359	1270	318	27	109820	930	155	48	125121	930	155
7	93384	920	230	28	109825	18030	3005	49	125124	920	230
8	93395	520	130	29	109841	1520	380	50	125127	2280	380
9	97218	1270	318	30	109843	1520	380	51	125137	1220	305
10	97219	1500	375	31	109851	1520	380	52	125139	1220	305
11	97220	520	130	32	109853	1520	380	53	125168	1220	305
12	97222	1830	305	33	109859	1220	305	54	125171	1240	155
13	97227	3770	942	34	109861	1220	305	55	124102	22530	3755
14	97235	1220	305	35	109872	620	155	56	124130	21020	5255
15	97267	1700	425	36	109895	1220	305	57	124183	3770	942
16	97012	1020	255	37	94159	25100	6275	58	124186	21020	5255
17	97024	1170	195	38	94168	2440	305	59	124192	4520	1130
18	97040	1270	318	39	94180	460	115	60	125415	1220	305
19	97060	620	155	40	94183	460	115	61	125477	1520	380
20	97062	460	115	41	94184	1520	380		योग	323940	62268
21	97066	1840	230	42	94192	920	230				

उपरोक्त विवरणानुसार 62268.00 का विलम्ब शुल्ब न वसूल कर जिला पंचायत के आय में कमी की गई। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 31-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या-1 दिनांक 17.2.2022 द्वारा राजेश ट्रेडर को पुलिस की गाड़ियों में डीजल एवं पेट्रोल तथा मोबिल ऑयल डलवाने का 261055.00 का निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र०	प्रमाणक सं०	मद	मात्रा एवं दर	धनराशि
1	1/17-02-22	मोबिल ऑरल	22X320.0	7040 00
--	--	डीजल	120 X 86.80	10415.00
--	--	पेट्रोल	2550×95.53	243600.00
--	--		योग-	261055.00

लेकिन पेट्रोल पम्प की पर्चियाँ संलग्न नहीं की गई है। केवल सूची बना कर संल न कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूची में पेट्रोल पम्प का नाम भी अंकित नहीं है। सूची मेला प्रभारी /मेला स्टोर कीपर द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। पर्चिया संलग्न नहीं किये जाने से किया गया व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 32-</u> वर्ष आलोच्य में कराए गए निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को किये गए भुगतान में से निम्न विवरण अनुसार कटौती की गयी। लेकिन इनके जमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई विवरण / चालान आदि उपलब्ध नहीं रहा।

क्र	कराया गया कार्य	नाम ठेकेदार	कुल धनराशि	भुगतान	आई 0 टी0	जी०ए स0टी 0	सेस	रॉयल्टी	पेनोल्टी	अन्य	शुद्ध भुगतान	बिटुमिन कटौती	ड्रम कटौती	प्रमाणक संख्या

1	ग्राम सोलाना में कुटी मन्दिर से पुल के | ओर सी०सी० कार्य	अभिन व इन्टर0	818944	प्र०अ ०	1462 4	1462 4	7312	21978	--		760406			8/4
2	ग्राम समाना में पन्नाधाम जी के मन्दिर से भाम न घाट की ओर सी०सी०कार्य	अभिन व इन्टर0	762832	प्र०अ ०	1362 2	1362 2	6811	20070	--		708707			9/4
3	ग्राम कॉर्व में सरस्वती शिशु मन्दिर से राज पाल जाट के खेत तक कली सड़ककार्य	अभिन व इन्टर0	145152 0	द्वि०अ 0	1855 8	1855 8	3154 0	129873	500		818905	412286	2130 0	10/4
								बिटुमिन	एवं		इमल्सन	ड्रम कटौती	49+1 1	--
4	ग्राम सिकन्दरपुर बागडपुर सम्पर्क मार्ग पर सौमी के खेत से कुटी की ओर लेपन कार्य	सुदेश कॉन्टे० विका स	408464	द्वि०अ 0	7294	7294	---				393876			11/4
			184150 4	त्र अ0	2103 8	2103 8	4461 8	205920	100 0		85478 7	668403	2970 0	46/6
5	ग्राम मैना में भोजवीर भामों के मकान से गढ़ स्थान की ओर सी० सी० कार्य	विका स को	213696	द्वि० अ0	3816	3816	9143	27040	100 0		168881	--	--	12/4
6	ग्राम खिचरा में अयूब के खेत से ईदगाह	वैष्णो सप्ला यर	11273 80	द्वि० अ0	1327 4	1327 4	2710 4	14966 3	100 0		51775 1	381074	2124 0	7/6
			--	--	--	ड्रम कटौती	बिटुमि न	42+इम लसन	9+		जी०एस 0टी0	3240		
7	जि0पं0 के नवीन भवन निर्माण कार्य	श्रेयाक ०	143800 0	पाच	2567 8	2567 8	--	--	--		138664	--	--	8/6
		श्रेयाक ०	297592 0	छह र	5314 2	5314 2	--	--	--		286963 6	--	--	54/8
		श्रेयाक ०	422492 4	सात र	7544 6	7544 6	--	--	--		407403 2	--	--	18/10
		श्रेयाक ०	731107 6	आठ र	1305 54	1305 54	--	--	--		704996 8	--	--	71/10
		श्रेयाक ०	338822 4	नौ र	6050 4	6050 4	--	--	--		326721 6	--	--	61/12
	इसे नहीं जोड़ना है		650473 6	दस अ	1161 56	1161 56	3316 0	60122	150 0		587964 2	--	--	9/5.2 2
8	ग्राम भोवापुर में राम के खेत से शमशान तक खडंजा कार्य	वी 0 एस 0 क०	125707 6	प्र० अ0	2244 8	2244 8	1122 4	---	500		120045 8	--	----	9/6
			--------	---	---	----	----	-----	-----		-----	-----	-----	-----
9	ग्राम लोधपुर छपका में रामजीलाल के खेत से हंसराम के खेत की ओर ख०कार्य	गंगा क०	639744	प्र० र	1142 4	1142 4	5712	---	100 0		610184	1142 4	1142 4	10/6
			--------	---	---	----	----	-----	-----		-----	-----	-----	-----

10	ग्राम देहर में गुलावटी मसरी सम्पर्क मार्ग से जंगल की मजार तक काली सड़क नि०	आर 0 एस 0 को	1190336	द्वि० अ0	13758	13758	36410	217212	1000		464948	419886	23364	11/6
			--------	---	---	----	----	बी -46+इ०-10+ जी०एस0टी0-3564					-----	-----
11	ग्राम लालपुर में अमरजीत के जोड़े से रामकरण के खेत तक सी०सी० कार्य	जाह्नवी असो0	997908	प्र० अ0	17820	17820	8910	28191	500		924667	--	--	12/6
			--------	--	----	---	----	-----	-----		-----	----	----	----
12	ग्राम शेखपुर में कांजी हाऊस नि० कार्य	भवानी कं०	839297	द्वि० अ0	14988	14988	21912	31000	500	-	755909	---	---	13/6
			--------	--	----	---	----	-----	-----		-----	----	----	----
13	ग्राम ददागरा में राजू के रात से काली सरक तक मि०खार्य	शिवा इन्टर)	259504	प्र० र	4634	4634	2317	--	--	--	247919	--	--	15/6
			--------	--	----	---	----	-----	-----		-----	----	----	----
14	ग्राम भटियाना में पाल के मकान से अशोक के मकान तक मे०ख कार्य	शिवा इन्टर)	634704	प्र० र	11334	11334	5667	--------	--	----	606369	----	-----	17/6
			--------	--	----	---	----	-----	-----		-----	----	----	----
15	ग्राम सालेपुर में संतराम के खेत से वैष्णो कब्रिस्तान तक ख०कार्य	वैष्णो सप्ला	531633	प्र० अ0	9494	9494	4747	--------	1000	----	506898	----	-----	20/6
			--------	--	----	---	----	-----	-----		-----	----	----	----
16	ग्राम छिजारसी परतापुर सम्पर्क मार्ग पर धर्मपाल के खेत से परतापुर यामली सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	वैष्णो इन्फा	2224320	प्र० र	39720	39720	----	-----	-----		2144880	----	----	29/6
			871248	द्वि० र	15558	15558	----	-----	-----		840132	-----	----	56/6
			1278480	त्र० र	15310	15310	39055	55073	1000		771895	375173	----	24/3
17	ग्राम कुराना में गजेन्द्र प्रधान के खेत से नीम नदी की ओर ख कार्य	रविन्द्रा सिंह	159600	प्र० र	2850	2850	1425	--	---	---	152475	--	--	30/6
			--------	--	----	---	--------	--	----	---	--------	--	----	---
18	ग्राम नली में विजयपाल के मकान से भूदेव शर्मा के मकान तक व भड़ंगपुर की ओर लेपन कार्य	गीता इंटर०	3119648	प्र० अ०	55708	55708	------	----	-----	------	3008232	---	--	36/7
			1132208	द्वि०अ0	7456	7456					365303	711719		14/11
			673008	त्र० अ	12018	12018					478954	---		32/6
19	ग्राम मतनारा में आगापुर सम्पर्क मार्ग गोहना की ओर	विकास क०	265216	प्र० अ०	4736	4736	2368	6100	1000	--	246276	--	----	32/6
			--------	--	----	---	--------	--	----	---	--------	--	----	---

	अवशेष सी० सी० एवं आई०एल०कार्य													
20	हापुड़ मेरठ रोड असड़ा की पुलिया से रेलवे अन्डर पास तक लेपन कार्य	विकास क०	1065904	प्र० अ०	19034	19034	--	--------	--	----	1027836	--------	--	33/6
			612528	द्वि०अ0	7456	7456	14986	76400	500	37284	269238	194960	4248	28/9
			--	--	----	----	----	----	----	---	-----	----	----	---
21	ग्राम ददायरा में मेन चौराहे से कालू के मकान की तरफ पटना सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० रोड के दोनों तरफ साइड पटरी पर इ०ला.	पंचशील क०	376588	प्र० अ०	6724	6724	--	--	--	--	363140	--	--	34/6
			256009	द्वि०अ0	4572	4572	5648	3511	1000	22858	213848	--	--	15/2
22	बछलौता बाबूगढ़ सम्पर्क मार्ग से रसूलपुर गाँव की ओर पुरानी सी०सी० रोड तक लेपन कार्य	उ०च० गुप्ता	1697360	प्र० र०	30310	30310	--	--	----	----	1636740	--	--	35/8
			1173648	द्वि०अ0	15234	15234	25634	39336	1500	76170	673632	320536	6372	32/1
23	ग्राम नली बनखंडा सम्पर्क मार्ग से प्लानिया दयानतपुर की ओर लेपन कार्य	प्लानिग ट्रेडर्स	1142400	प्र० र०	20400	20400	--	--	--	---	1101600	---	---	36/6
			948976	द्वि० र०	12986	12986	---	---	----		636310	221764	---	14/9
			714808	त्र० अ	12764	12764	25055	27122	1000		572281			48/3
24	ग्राम छिजारसी में छिजारसी परतापुर सम्पर्क मार्ग पर विजयपाल के खेत से जयप्रकाश के खेत तक लेपन कार्य	उ०च० गुप्ता	1942528	प्र० र०	34688	34688	---	----	----	---	1873152	----	---	37/6
			860944	द्वि० र०	15374	15374	----	----	----	---	753326	-----	---	37/7
			1253000	त्र० अ	17216	17216	36218	52252	----	----	747921	288937	5664	46/3
25	ग्राम अगाह पुर सराय में तालाब से गोहरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	जाह्नवी असोसि	924560	प्र० र०	16510	16510					891540			38/6
			---		--	--					--			---
26	ग्राम भयामपुर में विजेन्द्र फौजी के ट्यूबवेल से काली नदी तक नाला निर्माण कार्य	पंचशील क०	1377800	प्र० र०	24604	24604					1328572			39/6
			1368416	द्वि० र०	24436	24436					1319544			22/7
			109140	अ	19490	19490	34611	63200	----	----	857199			54/7
27	ग्राम करनपुर कन्दौला मार्ग से रमेश- चन्द के यहाँ से रजवाहे से होते हुए धौलाना	रिद्धि इन्फ्रा	2512742	प्र० र०	44870	44870					2423002			40/6
			2878288	द्वि० र०	41192	41192	--	282900			1941450	571554		18/7

	पिलखुआ सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य		852992	त्र० अ	1523 2	1523 2	5575 0	-	7616 0		677582		1203 6	15/11
			---	--	---	---					--			---
28	ग्राम बागड़पुर में काली सड़क से मुन्नू प्रधान के खेत की ओर ख०नि०कार्य	विकास क०	470288	प्र० र०	8398	8398	4199				449293			41/6
			---	---	---	---					--			---
29	ग्राम कपूरपुर में रमेश के खेत से खेड़ा की ओर खड़ंजा कार्य	विकास क०	319984	प्र० र०	5714	5714					308556			42/6
			94292	द्वि० अ	1684	1684	3699	---	1000		77806	----	-----	23/9
30	ग्राम अक्खापुर में फत्तापुर सम्पर्क मार्ग सी०सी०पटरी पर आई०एल० कार्य	वी० एस० क०	67872	द्वि० अ	1212	1212	4240	5960	500		54748	----	-----	43/6
			---		----	----	---	----	----	-----	-----	-----	-----	--
31	ग्राम बंगोली में ओमप्रकाश के ट्यूबवेल शंकर से ब्रज किशोर शर्मा के खेत की ओर सी०सी० रोड कार्य	शंकर ईण्ट०	346416	द्वि० अ	6186	6186	1438 5	4650 0	1000		272159	---	---	44/6
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	ग्राम बंगोली में कुराना वाले रास्ते पर पूर्व की ओर से आगे की तरफ काली सड़क नि०कार्य	राजेंद्र सिंह	762272	द्वि० र०	1361 2	1361 2	---	---	---	---	735048	---	---	45/6
			892304	अ	1056 0	1056 0	2314 0	1042 40	1000		423834	3004 16	1805 4	52/7
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33	ग्राम नवादा से फरीदपुर नवादा बाई-पास परअवशेष सी०सी०एवं पटरी पर इ०लॉ० कार्य	शिवा इन्टर	156688	प्र० अ0	2798	2798	3780	---	500	-----	145413 2	---	---	47/6
			---		---	---					----			---
			----		---	---					----			--
क्र0	कराया गया कार्य	नाम ठेकेदार	कुल धनराशी	भुगतान	आइ० टी०	जी०एस0टी0	सेस	रॉय ल्टी	जी० एस0 टी0	बिटुमिन	ड्रम	पेनो ल्टी	शुद्ध भुगतान	प्रमाणक संख्या
33	ग्राम खुडलिया को जाने वाले मुख्य मार्ग पर सी०सी०पटरी पर इ०ली०कार्य	राधा कृष्णा इ०	130368	प्र० अ0	2328	2328	1164	1700--	--	--	--	500	122348	48/6
			---	--	--	--								
34	ग्राम खुडलिया में रविन्द के मकान से मुख्य मार्ग पर राजपाल के मकान की ओर सी०सी० रोड पटरी पर इ०लॉ०	राधा कृष्णा इ०	255472	प्र० अ0	4562	4562	2281	3500	--	--	--	1000	239567	49/6

35	ग्राम हसनपुर में नरेश के खेत से बुद्ध प्रजापति के खेत तक सी०सी०कार्य	वैष्णो इन्फ्रा	987056	प्र० र०	17626	17626	----	-----	-----	----	--	--	951804	50/6
			188496	द्वि० र०	3366	3366	10496	73254	16830	---	---	1000	146113	32/2
36	ग्राम नूरपुर मढैया में कृष्णवीर के खेत से भमेड़ा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	राजेंद्र सिंह	679616	---	12136	12136	---	----	----	-----	----	---	655344	51/6
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
37	ग्राम रघुनाथपुरा चन्दपुरा में शमशान शेड का निर्माण कार्य	शिव इंटरप्रा०	303072	प्र० अ0	5412	5412	2706	8500	--	---	---	---	--	52/6
			--	---	----	-----	----	----	-----	----	----	----	---	----
38	गोहरा मुदाफरा मार्ग से मुक्तेश्वरा मार्ग की ओर लेपन कार्य	जान्हवी असो०	1505616	प्र० र०	26886	26886	----	---	----	---	----	----	---	53/6
			750176	द्वि० र०	6196	6196	----	---	----	---	----	----	---	45/7
39	ग्राम भमेड़ा में बुन्डु प्रधान के घर से अयादनगर सैदपुर सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य	यशपाल सिंह	3488016	प्र० र०	62286	62286	----	---	----	---	----	----	---	54/6
			2153760	द्वि० अ	25186	25186	50373	61088	125932	743338	11328	1000	1110329	15/1
			----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	---	----
40	ग्राम ततारपुर में जि०प० द्वारा बनाई काली सड़क से घेरों की तरफ सी०सी	मुकेश कान्त	557424	प्र० र०	9954	9954								55/6
			87248	द्वि० अ	1558	1558	5756	22000	7790			1000	47586	24/9
41	ग्राम फगोता में पदम सिंह के खेत से यशपाल के खेत की ओर ख०का०	प्रताप सिंह	997248	प्र० अ0	17808	17808	8904	----	---	----	---	500	952228	57/6
			---	----	--	----	---	----	---	----	----	---	----	---
42	ग्राम ततारपुर मे सन्देश के भट्टे से सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग तक ख०का०	प्रताप सिंह	577248	प्र० अ0	10308	10308	5154	----	---	----	---	500	550978	58/6
			----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	---	----
43	ग्राम बदनौली में दर्शन के मकान से छौइया तक नाला निर्माण कार्य	गंगा क०	1122464	प्र० अ0	20044	20044	10022	16200	----	---	----	---	1056154	59/6
			----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	---	----
44	सिलारपुर मे लखीराम के मकानसे गाँव के बाहर तालाब तक नाली नि०	विकास क०	246288	प्र० अ0	4398	4398	2199	4400	----	---	----	1000	229893	60/6
			----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	---	----
45	ग्राम दोयमी में दोयमी असौड़ा सम्पर्क मार्ग पर रजेश्वर के खेत की तरफ लेपन कार्य	मुकेश कान्त	863296	प्र० र०	15416	15416	--	--	--	--	--	---	832464	61/6
			507584	द्वि० अ	6426	6426	12240	16675	32136	147673	2832	1000	282176	11/1
			----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	---	----

46	काली नदी पर पेड़ों की देखभाल	वेड प्रकाश	55900	प्र० र०	1118	----	---	---	--	---	-	----	54782	62/6
47	ग्राम सिलारपुर में जाहरवीर मन्दिर क और सी०सी०रोड निर्माण कार्य	रविंदर सिंह	869120	प्र० र०	15520	15520	15520						838080	7/7
			128688	द्वि० अ	2298	2298	8910	26700		--	--	1000	87482	35/9
48	ग्राम मयामपुर जट्ट में भयामपुर सिलारपुर सम्पर्क मार्ग से झाल की और सी०सी० पटरी पर इलॉ०	शिव इंटरप्रा०	626640		11190	11190	5595	9932	--	--	--	1000	587733	10/7
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
49	ग्राम मयामपुर मलकपुर मार्ग से ग्राम मयाम -पुर की ओर सम्पर्क मार्ग पर सी.सी. कार्य	पंचशील क०	852544	प्र० र०	15224	15224	---	`-----	-----	----	------	-----	822096	11/7
			315504	द्वि० अ	5634	5634	10430	10667	---	`-----	-----	500	282639	39/12
50	ग्राम ददायरा में अनिल शर्मा के मकान से लेकर प्रमोद भार्मा के मकान की ओर सी० सी०कार्य	शिव इंटरप्रा०	630784	प्र० र०	11264	11264	---	`-----	-----	----	------	-----	608256	12/7
			137312	द्वि० अ	2452	2452	6858	5843	---	`-----	-----	1000	118707	38/12
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
51	ग्राम पंचायत गोहरा में स्थित डी०पी०आर० सी० की बाउण्डीवाल एवं सी०सी० रोड नि०	वि ब्योर इंटरप्रा०	891408	प्र० र०	15918	15918	---	`-----	-----	----	------	-----	859572	13/7
			2460752		43942	43942	29930	13846	---	----	----	1000	2328092	62/3
52	ग्राम लालपुर में अमरजीत के जोड़ें से काली सड़क तक सी0सी0रोड के दोनों ओर नाली नि०कार्य	मु०च० गुप्ता	245728		4388	4388	2194	3400	---	`-----	-----	----	231358	14/7
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
53	ग्राम भयामपुर मेन रोड से ग्राम विगास सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी०रोड दोनों तरफ साईड पटरी पर इ०लॉ०कार्य	कृष्णा बिल्डर्स	781424	प्र० र०	13954	13954	---	`-----	-----	----	------	-----	753516	15/7
			426832	द्वि० अ	7622	7622	10789	18600	---	`-----	-----	----	382199	51/7
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
54	ग्राम बंगोली में रनपाल के खेत से कुराना सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी०कार्य	सुदेश कांट्रेक्टर	360640	द्वि० अ	6440	6440	11369	38560	---	`-----	-----	1000	296831	16/7
			---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
55			74032	द्वि० अ	1322	1322	4211	1000	--	---	-----	500	65677	17/7

	जिला पंचायत डाक बंगला गढ़ मुक्तेश्वर में मरम्मत कार्य	ग्लोबल इन्फ्रा	---	`-----	-----	----	------	-----	---	`-----	-----	----	------	-----
56	ग्राम दादरी-दस्तोई सम्पर्क मार्ग से होते हुए असौड़ा दस्तोई सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	प्लोनिंग ट्रेडिंग	1698256	प्र० र०	30326	30326	---	`-----	-----	----	------	-----	1637604	19/7
			1197280	द्वि० अ	15584	15584	25854	35379	77915	324632	7080	1000	694252	16/1
57	ग्राम धनौरा में विनोद शर्मा के घेर से भयोराज के कुँए से होते हुए धनौरा-वसीलपुर मार्ग की ओर लेपन कार्य	शिव इंटर प्रा ०	1278368	प्र० र०	22828	22828	---	`-----	-----	----	------	-----	1232712	20/7
			943488	द्वि० अ	11410	11410	19838	27936	57048	304556	4248	1000	506042	43/12
58	ग्राम रामपुर में शमशान शेड का निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	303184--	प्र०अ०	5414	5414	2707	8500	---	----	-----	1000	280149	21/7
			---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	----
59	ग्राम सुदना खड़खड़ी तिराहे से रजपुरा सम्पर्क मार्ग पर शेष खडंजा कार्य	विनोद क०	47801	प्र०अ०	8536	8536	4268	---	`-----	-----	----	---	456676	23/7
			---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	----
60	ग्राम उदयपुर में विजेन्द्र के खेत से हाजीपुर उदयपुर मार्ग तक खनि०कार्य	पंचशील क०	1843408	प्र०अ०	32918	32918	16459	---	`-----	-----	----	---	1761113	24/7
			---	---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	----	---	`-----	-----
61	ग्राम उदयपुर में सचिन के खेत से हाजीपुर बंगोली सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य+ 724388, इस०का 14868	जान्हवी असे०	3655680	प्र०र०	65280	65280	-----	------	326400	----	----	----	3198720	35/7
			2652305	द्वि० अ	34428	34428	56321	88965	172136			1000	1525773	55/3
62	ग्राम शंकरटीला की ओर से पूर्व सम्पर्क मार्ग पर प्रा०स्कूल कीओरसी०सी०कार्य	नरेन्द्र कुमार	994112	प्र०र०	17752	17752	---	----	88760	---	---	---	869848	38/7
			162612	द्वि० अ	2904	2904	10328	8929+	14519	---	----	1000	122028	67/10
63	ग्राम दतियाना में माधापुर पीरनगर बाई पास से स्वास्थ्य केन्द्र तक सी0 सी0 रोड कार्य	शिव इंटर प्रा ०	894656	प्र०र०	15976	15976	---	----	79880	----	-----	----	782824	39/7
			1954454	द्वि० अ	3490	3490	9733	25600	17450	--	--	1000	134677	29/9
64	ग्राम नूरपुर मढ़या में काली सड़क से चौधरी चरण सिंह के खेत तक लेपन कार्य	रविन्द्र कुमार	541520	प्र०र०	9670	9670	----	----	48350	---	---	---	473830	40/7
			247072	द्वि०र०	1504	1504	8274	39680	7522	---	----	-----	25759	43/7

	162829-बिटुमिन ड्रम-2400 इमल्शन 263835 –बिटुमिन		830592	त्र०र०	10120	10120	12252	18385	50604	----	----	1000	461876	13/11
65	ग्राम पटना स्थित काली नदी पर खड़ंजा व चारदीवारी निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	306208	प्र०र०	5468	5468	----	----	27340	----	----	----	267932	41/7
			---	----	---	---	---	`-----	-----	----	---	`-----	-----	---
66	ग्राम लुहारी हरोड़ा सम्पर्क मार्ग से राजकुमार के खेत तक मि० ख०कार्य	उ०च ० गुप्ता	237664	प्र०र०	4244	4244	---	---	21220	---	`-----	-----	207956	42/7
			502992	द्वि० अ	8982	8982	6614	---	44910	---	`-----	1000	432504	36/4
67	ग्राम धनावली उर्फ अट्टा में शमशान शेड का निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	304304	प्र०र०	5434	5434	271`7	3520	27170	---	`-----	500	259529	44/7
			----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----
68	ग्राम औरंगाबाद में शमशान शेड का निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	231952	प्र०र०	4142	4142	---	---	20710	---	---	---	202958	46/7
			63280	द्वि० अ	1130	1130	2636	2700	5850	---	---	1000	49034	41/9
69	ग्राम पावटी लोधीपुर छपका सम्पर्क मार्ग फार्म के कोने से अमरपुरा सादुल्लापुर सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० रो ड	पुरु त्यागी	997584	प्र०र०	17814	17814	---	---	89070	---	---	-----	872886	53/7
			205968	द्वि० अ	3678	3678	10746	29200	18390	---	----	1000	139276	38/9
70	मेरठ गढ़ रोड से ग्राम दौताई की ओर चामड़ वाले सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 479596 बिटुमिन +7080.00 ड्रम इमल्सन	राधा कृषण	686448	प्र०र०	12258	12258	---	---	---	---	---	---	661932	47/7
			759696	द्वि०र०	13566	13566	---	---	---	---	---	---	732564	17/10
			1239840	त्र०र०	13576	13576	23982	28552	---	----	-----	1000	672478	41/3
71	ग्राम दयानगर में शिव मंदिर से कनिया मार्ग विकास की ओर मि०ख०कार्य	विकास क०	1357328	प्र०र०	24238	24238	---	----	---	----	---	----	1308852	48/7
			23363	द्वि० अ	4172	4172	14205	---	----	---	----	---	211083	19/9
72	जिला पंचायत मार्केट की गंज रोड हापुड़ में मरम्मत कार्य	ग्लोबल इन्फ्रा	266672	अ0	4762	4762	7359	3000	---	----	---	500	246289	50/7
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
73	ग्राम सौगढ़ से सौगढ़ झडीना सम्पर्क मार्ग से डासना वाले के घर की ओर खड़ंजा कार्य	पुरु त्यागी	44464	द्वि० अ	794	794	3522	---	----	---	----	1000	38354	49/7
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
74	ग्राम भयामपुर में काली सड़क से टावर		425880	प्र० अ०	7606	7606	3803	6200	38026	--	--	----	362639	1/8

	की ओर नाली निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
75	ग्राम पटना स्थित काली नदी पर कमरा एवं शौचालय निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	367248	प्र०र०	6558	6558	---	----	32790	---	---	----	321342	2/8
			401520	द्वि० अ	7170	7170	6864	2195	28680	---	---	1000	348441	33/3
76	जिला पंचायत के कार्यालय की चारदीवारी एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	221312	प्र०र०	3952	3952	---	------	19760	---	-----	---	193648	3/8
			608944	द्वि० अ	10874	10874	7413	2271	54370	---	----	1000	522142	34/2
77	ग्राम गन्दूनगला खागोई सम्पर्क मार्ग से ग्राम वैट की ओर लेपन कार्य+359148 बिटुमिन +5664ड्रम (इमल्सन)	राधा कृष्णा	1683808	प्र०र०	30068	30068	---	----	150340	---	----	-----	1473332	4/8
			173936	द्वि० र	3106	3106	---	----	---	----	---	----	167724	64/10
			1118768	त्र०र०	13564	13564	26576	45356	---	---	----	1000	653896	32/3
78	ग्राम भगवानपुर में भोपाल की ट्यूबवेल से अख्तर के मकान तकसी०सी०रोडकार्य	गंगा क०	1965152	प्र०र०	35092	35092	---	----	175460				1719508	5/8
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
79	ग्राम सपनावत नगला लतीफपुर में शमशान शेड का निर्माण कार्य	शिव इंटर प्रा ०	301392		5382	5382	2691	8400	26910	---	---	-------	252627	6/8
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
80	ग्राम नगला छज्जूपुर मे शमशान शेड का नि.	शिव इंटर प्रा ०	302400	प्र० अ०	5400	5400	2700	8400	27000	---	---	----	253500	7/8
81	ग्राम सिखैड़ा में लेखपाल व कुलदीप के घर से होते हुए तालाब तक नाला निर्माण कार्य ग्राम	गौड़ क०	1214304	प्र०र०	21684	21684	---	----	108420	---	---	----	1062516	8/8
			458192	द्वि० अ	8182	8182	14933	8158	40910	---	----	1000	376827	42/12
82	अनवरपुर में तालाब के कोने से कॉवी गाँव की तरफ लेपन कार्य	रामेश्वरम इंटरप्रा	1023456	प्र०र०	18276	18276	---	----	91380	---	---	----	895524	9/8
			693280	द्वि० अ	12380	12380	---	----	61900	---	---	----	606620	12/1
83	ग्राम मस्तराम की कुटी से अबदुल्लापुर मार्ग पर ख०कार्य	उ०च ०गुप्त	1249360	प्र०र०	22310	22310	---	----	111550	---	---	----	1093190	13/9
			334656	द्वि० अ	5876	5876	14222	---	29880	---	----	500	278102	13/1
84	ग्राम मतनावली में देवेन्द्र के खेत से ख०का०	राजेंद्र	866198	प्र० अ०	15468	15468	7734	---	----	---	---	----	827528	18/9
85	ग्राम मुदाफरा मौल्दा सम्पर्क मार्ग से	रिद्धि इन्फ्रा	1300544	प्र०र०	23224	23224	---	----	116120	---	----	---	1137976	

	बागड़पुर रिद्धि सम्पर्क मार्ग की ओर लेपन कार्य		---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---
86	ग्राम जखेड़ामेंसलोनी मार्ग से रजापुर सम्पर्क मार्ग की ओर अवशेष सी०सी०रोड	रविन्द्र सिंह	1170848	प्र० अ०	20908	20908	10454	30500	104540	---	----	---	983538	
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
87	ग्राम दौताई गाँव मन्दिर से मेरठ रोड तक नाला नि०कार्य	विकास क०	1614368	प्र०र०	28828	28828	---	----	144140	---	---	----	141257	22/9
			379344	द्वि० अ	6774	6774	17802	6208	33870			1000	306916	66/10
88	ग्राम सिखेड़ा मुरादाबाद में शमशान शेड का निर्माण कार्य	गीता इंटरप्रा	303296	प्र० अ०	5416	5416	2708	9400	27080			1000	252276	25/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
89	ग्राम सरावनी में शमशान शेड का निर्माण कार्य	राधा कृष्णा	295344	प्र० अ०	5274	5274	2637	7800	26370			1000	246989	26/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
90	ग्राम आरिफपुर मढ़या में शमशान शेड का निर्माण कार्य	राधा कृष्णा	295232	प्र० अ०	5274	5274	2637	7800	26360			1000	246892	27/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
91	ग्राम बझेड़ाखुर्द में बझेड़ा सम्पर्क मार्ग के गेट से माता के मन्दिर की ओर अव देश सी०सी०	चाहत क०	1420048	प्र० अ०	25358	25358	12679	35400	126790	---	----	500	1193963	30/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
92	ग्राम भयामपुर में मेन रोड से ग्राम विगास सम्पर्क मार्ग की ओर सी०सी०कार्य	कृष्ण बिल्डर्स	79296	द्वि० अ	1416	1416	7078	21600	---	----	---	1000	46786	36/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
93	मेरठ-हापुड़ रोड पर दादरी मोड़ से पंचर वाले की दुकान की ओर नाला निर्माण कार्य	मंगू लाल	367920	अ0	6570	6570	7815	24950	---	----	---	1000	321015	37/9
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
94	उदयपुर हाजीपुर में शमशान शेड का नि०	राधा कृष्णा	303968	प्र० अ०	5428	5428	2714	8000	27140	---	----	1000	254258	39/9
95	बछलौता में शमशान शेड का निर्माण कार्य	विकास क०	300048	प्र० अ०	5358	5358	2679	8600	26790	---	----	---	251263	40/9
97	ग्राम भगवानपुर में भोपाल की टयूबवेल से अख्तर के मकान तक सी०सी०रोड कार्य ग्राम	गंगा लहरी	352128	अ0	6288	6288	20690	16695	31440	---	----	1000	269727	37/10
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

98	भयामनगर में गाँव के बाहर से हितेश त्यागी के खेत से जयकिशन शर्मा के खेत तक लेपन + 502930 +10620	मु०च ०गुप्त	1247456	प्र०र०	22276	22276	---	----	111380	---	----	---	1091524	63/10
			1394400	द्वि० अ	15920	15920	23588	13962	79594	---	----	1500	730366	19/2
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
99	ग्राम मुरारपुर में साइफन की ओर अवशेष लेपन कार्य बिटुमिन–135741+ 2124 ड्रम इमल्सन कार्य	मु०च ०गुप्त	674576	प्र०र०	12046	12046	---	----	60230	---	----	---	590254	65/10
			415296	द्वि० अ	4992	4992	9732	13984	24960	---	----	1000	217771	60/3
			---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----
100	ग्राम नूरपुर मढैया में कृश्णवीर के खेत से ममैड़ा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य।	रविन्द्र सिंह	153664	द्वि० अ	2744	2744	1372	--	13720	---	---	1000	132084	16/11
			---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
101	ग्राम बंगोली में शमशान शेड का निर्माण कार्य	गीता इंटरप्रा	283516	प्र० अ०	5062	5062	2531	2414	25314	---	---	500	242633	17/11
102	ग्राम नन्दपुर में स्थित गौशाला को जाने वाले रास्ते पर मिट्टी खड़ंजा कार्य	पंचशील क०	393904	प्र० अ०	7034	7034	3517	---	---	---	---	---	376319	40/12
			---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
103	ग्राम शेखपुर में शेखपुर चौराहे से सैनी बस्ती से होते हुए जयपाल सिंह के बाग की ओर लेपन कार्य बिटुमिन - 503586.00, डम-7788 इमल्सन का	गोंड क०	2519328	प्र०र०	44988	44988							2429352	41/12
			1331680	द्वि० अ	14788	14788	34392	39700	---	---	---	1000	715638	51/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
104	ग्राम पिपलेहड़ा में मेन रोड से ईदगाह की ओर काली गॉड सड़क तक सी०सी० कार्य	गोंड क०	1108240	प्र० अ०	19790	19790	9895	6763	98950	---	---	500	952552	44/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
105	ग्राम गिरधरपुर में राजू रावत के खेत से रजवाहे तक खड़ंजा कार्य	विकास ० क०	613020	प्र० अ०	10946	10946	5473	--	54734	---	---	---	530921	55/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
106	ग्राम छज्जूपुर मढ़या में पिन्टु के खेत से लेकर धर्म - पाल के खेत तक खड़ंजा कार्य	विकास ० क०	378252	- प्र० अ०	6754	6754	3377	---	33772	---	---	---	327595	56/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
107	ग्राम सिवाया में करनपुर सम्पर्क मार्ग तक ख०कार्य	शिव इंटरप्रा	961328	प्र० अ०	17166	17166	8583	-----	85832	---	---	---	832581	57/12

108	ग्राम माधापुर में मेन रोड से देवस्थान तक ख०कार्य85717	पुरु त्यागी	953666	- प्र० अ०	17030	17030	8515	-----	85148	---	---	---	825943	58/12
109	ग्राम पीरनगर मुबारक पुर सम्पर्क मार्ग से लल्लू के खेत से देवेन्द्र के खेत तक खड़ंजा कार्य	आर्यन इंटरप्रा	960016	प्र० अ०	17144	17144	8572	---	---	---	---	---	831440	59/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
110	ग्राम लोधीपुर छपका में लोधीपुर हैदरपुर सम्पर्क मार्ग कुटी से लोधीपुर हैदरपुर सम्पर्क मार्ग की ओर सी० सी० रोड कार्य	पवन श्री क०	1092576	द्वि० अ	19510	19510	26688	---	---	---	---	1000	1011403	60/12
			---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
111	ग्राम मीरपुर कला में सरकारी जोडे से लेकर भौजा राम सैनी के मकान की ओर सी०सी०सड़क व साइड पटरी पर मरम्मत कार्य	प्रताप क०	866851	प्र० अ०	15480	15480	7740	---	---	---	---	1000	8211057	61/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
112	ग्राम जोगीपुरा में इन्तजार के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	पंचशील क०	680736	प्र०र०	12156	12156	--	--	60780	---	---	---	595644	85/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
113	ग्राम सिकन्दरपुर में मुख्य मार्ग तालाब की ओर से हरिजन बस्ती वाले रास्ते पर सी०सी०कार्य	सुदेश क०	1455440	प्र०र०	25990	25990	---	---	129950	---	---	--	1273510	101/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
114	ग्राम मंसूरपुर से ए०डी०एम०स्कूल से चन्दा किरन की ट्यूबवेल तक व अशोक के स्कूल से बाईपास सम्पर्क मार्ग तक ख०कार्य	नरेन्द्र शर्मा	758256	प्र० अ०	13540	13540	6770	---	67707	---	---	---	656704	102/12
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
115	मसुरी गुलावटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई हेतु	एन0 आइ० सर्विसेस	80640	प्र० अ०	1428	1428	714	---	---	---	---	---	770700	8/122
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
116	ग्राम अक्खापुर में अक्खापुर फद्मापुर सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0रोड कार्य	वी० एस० क०	142688	द्वि० अ	2548	2548	5663	5900	---	---	---	1000	125029	10/1
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

117	ग्राम दादरी में प्राइमरी स्कूल से भोर सिंह की टयूबवेल की ओर खड़ंजा कार्य	शर्मा इंटरप्रा	947408	प्र० अ०	16918	16918	8459	---	84590	---	---	---	820523	14/1
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
118	ग्राम धौलाना बड़ा मोहल्ला में पुलिया से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	गीता इंटरप्रा	962080	प्र० अ०	17180	17180	8590	2323	85900	---	---	1000	829907	17/1
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
119	गढ़ मेले के मुख्य द्वाराकासौन्दर्यीकरण का कार्य	विजेंद्र	404432	प्र० अ०	7222	7222	3611	265	----	---	---	1000	385112	27/1
120	ग्राम भरना में सिंहनपुर सम्पर्क मार्ग से मुनिन्दर सिरोही की टयूबवेल तक खड़ंजा कार्य	नरेन्द्र शर्मा	369376	प्र० अ०	6596	6596	3298	----	32980	---	---	----	319906	31/1
121	ग्राम नरायणपुर बाक्सा में सिवाया सम्पर्क मार्ग से ईदगाह तक सी०सी०कार्य	चाहत क०	548322	प्र० अ०	9792	9792	4896	4955	48956	---	---	---	469931	14/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
122	ग्राम मुरादपुर विलासपुर में धर्मवीर के खेत से सुधीर की टयूबवेल तक खड़ंजा कार्य	शिवांश क०	851200	प्र० अ०	15200	15200	7600		76000	---	---	---	737200	16/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
123	ग्राम गोहरा में ट्रांसफर्मर से मुनेश त्यागी के खेत तक खड़ंजा कार्य	उ० च० गुप्ता	638400	प्र० अ०	11400	11400	5700		57000	---	---	---	552900	17/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
124	मुदाफरा से मुक्तेश्वरा सम्पर्क मार्ग, ग्राम मुक्तेश्वरा सै गोहरा सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम बागड़पुर से कोटा हसनपुर सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य	गंगा क०	404320	प्र० अ०	7220	7220	3610	3952	36100	---	---	---	346218	18/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
125	हिम्मतपुर में हक्त के साये के कब्रिस्तान से राजपुर सम्पर्क मार्ग तक ख०कार्य	श्री राम क०	156576	प्र० अ०	2796	2796	4158	---	---	---	---	1000	145826	20/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
126	ग्राम लोधीपुर छपका में मन्दिर वाले रास्ते पर सी०सी० रोड एवं पटरी पर इ०लॉ० कार्य	पवन श्री क०	7229792	प्र० अ०	13032	13032	6516	1854	---	---	---	1000	694358	21/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

127	ग्राम सिमरौली के निकट काली नदी पर पेड़ों की देख भाल का कार्य (1.8 से 30.10.21)	वेड प्रकाश	63000	प्र० र०	1260	---	---	---	---	---	---	---	61740	24/2
128	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन व्यवस्था में नामांकन हेतु बैरिकेटिंग व्यवस्था।	नरेन्द्र शर्मा	95807	प्र० अ०	1632	1632	816	---	---	---	---	---	91727	28/2
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
129	जि०प०मार्केट गढ़ में दुकानों की मरम्मत कार्य	विजेंद्र	172928	प्र० र०	3088	3088	---	---	15440	---	---	---	151312	31/2
130	भोगपुर चितौड़ा सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य	शिव इंटरप्रा	377440	प्र० अ०	6740	6740	3370	3965	33700	---	---	---	322925	33/2
131	ग्राम कुराना जहाँगीराबाद में शमशान शेड का नि.	गीता इंटरप्रा	302288	प्र० अ०	5398	5398	2699	3035	26990	---	---	1000	257768	35/2
132	ग्राम दरियापुर में शमशान शेड का नि०कार्य	गीता इंटरप्रा	293440	प्र० अ०	5240	5240	2620	2975	26200			1000	250165	36/3
133	जिला पं०कार्यालय भवन कोठी गेट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य	पंचशील क०	137872	प्र० अ०	2462	2462	1231	443	12310			1000	117964	37/2
			---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---
134	ग्राम चितौड़ा में विजय सिंह के खेत से प्रेमपाल के खेत तक ख०कार्य	रविन्द्र सिंह	548800	प्र० अ०	9800	9800	4900	---	49000	---	---	---	475300	25/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
135	उदयरामपुर मार्ग रमपुरा हाजीपुर में काली सड़क पर ग्राम खैरपुर में पिलखुआ फगोता सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम लालपुर सुल्तानपुर, ततारपुर मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य	ए0 वी० आर0 इन्टरप्र	558768	प्र० अ०	9978	9978	4989	5992	49890	---	---	---	477941	26/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
136	ग्राम खईया में खईया - डिवाई सम्पर्क मार्ग पर पर पैच मरम्मत कार्य	ए0 वी० आर0 इन्टरप्र	750288	प्र० अ०	13398	13398	6699	5992	66990	---	---	---	643811	27/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
137	ग्राम असौड़ा में पूर्व खड़ंजे से स्टेडियम तक ख० ग्राम	शिव इण्टर प्रा	---1351280	प्र० र०	24130	24130	---	---	120650	---	---	---	1182370	28/3

138	असौड़ा में स्टेडियम का निर्माण कार्य	ए०व ० आर०	3293920	प्र० र०	58820	58820	---	---	1038700	---	---	---	2137580	29/3
139	मसुरी गुलावटी रोड पर यू०पी०एस०आई०डी ०सी. औद्यो. क्षेत्र में कूड़ा करकट उठाने की व्यवस्था	उम्मेद अली	231840	प्र० र०	4140	4140	2070	---	---	---	---	---	221490	30/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140	ग्राम जोगीपुरा में इंतजार के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	पच्शील क०	1458240	द्वि० अ	26040	26040	19106	6815	---	---	---	500	1379739	31/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
141	ग्राम लालपुर में बाबा खिचड़ी वाले आश्रम से शमशान की ओर खड़ंजा कार्य	पुरु त्यागी	478240	प्र० अ०	8540	8540	4270	---	42700	---	---	414190	414190	34/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
142	भोवापुर मस्तान नगर से चामण्ड वाले रास्ते पर सी०सी रोड कार्य कराया गया कार्य	शिव इण्टर प्रा	1723680	प्र० अ०	30780	15390	14012		153900	---	---	---	1478818	35/3
			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
143	ग्राम ततारपुर में हरवीर पुत्र भगवान सहाय के खेत पंचशील तक खडंजा कार्य	पच्शील क०	642880	प्र० अ०	11480	5740	s---		45920	---	---	---	568260	36/3
144	ग्राम ददायरा में राजू के खेत से लेकर मेन रोड तक खड़ंजा कार्य	पच्शील क०	378000	प्र० अ०	6750	6750	3375		27000	---	---	---	334125	37/3
145	ग्राम हिम्मतपुर में प्राथमिक विद्यालय से नीम नदी की तरफ नाला निर्माण कार्य	शिव इण्टर प्रा	2037280	प्र०र०	36380	36380	---		181900	---	---	---	1782620	40/3
146	डाक बंगला गढ़ में डब्ल्यू0एच0	उ०च ० गुप्ता	140448	प्र० अ०	2508	2508	1254	500	12540	---	---	1000	120138	45/3
147	ग्राम गोहरा में सुधीर राना के खेत से बुंदी पहल- -वान के खेत तक ख०कार्य	गंगा क०	959840	प्र० अ०	17140	17140	8570	---	85700	---	---	---	831290	47/3
148	ग्राम हरनाथपुर कोटा में लीलू के खेत से सुरेन्द्र के विनोद खेत तक ख०कार्य	विनोद कुमार	832160	प्र० र०	14860	14860	---	---	73300	---	---	---	723140	49/3

149	ग्राम सलोनी में सलोनी संपर्क मार्ग पर सुन्दर पं०. जी के खेत से राजेन्द्र के घेर तक सी०सी०कार्य	शिव इण्टरप्रा	119392	प्र० अ०	21320	21320	10660	8100	106600	---	---	---	1025920	50/3
150	ग्राम सपनावत में उमेश वर्मा के खेत से नकुल के के चकों तक ख०कार्य	वैष्णो सपलायर	604800	प्र० अ०	10800	10800	5400		54000				523800	56/3
151	ग्राम महमुदपुर में धर्मेन्द्र के खेत से तेजवीर सिंह के खेत तक खड़ंजा कार्य	सिक्का क०	572320	प्र० अ०	10220	10220	5110		51100				495670	57/3
152	ग्राम उबारपुर मेन रोड से बिल्लू के खेत तक सी० सी० रोड कार्य काली सड़क सम्पर्क	शिव इण्टर प्रा	744800	प्र० अ०	13300	13300	6650	6633	66500			1000	638417	58/3
153	ग्राम मुशर्रफपुर झंडा में गिरेराज के ट्यूबवेल से योगेन्द्र के खेत की ओर मार्ग पर ख०कार्य	वैष्णो सपलायर	891520	प्र० अ०	15920	7960			79600				772120	59/3
154	ग्राम आरिफपुर मे मेन रोड पर मुंशी अबरार के घर मंगुमल सैयद अली के घर तक नाला नि०कार्य	मंगल म	1564640	प्र० अ०	27940	27940	13970		139700				135090	61/3
155	ग्राम आजमपुर में फेमीदा के खेत से हाजी कलवा के खेत तक ख०कार्य	गोंड क०	477120	प्र० अ०	8520	8520	4260		42600				413220	66/3
156	ग्राम सबली में नीटू त्यागी के यहाँ से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	सिक्का क०	1028160	प्र० अ०	18360	18360	9180	4856	91800				885604	67/3
157	ग्राम सिकंदरपुर में बिज्जी के खेत से सिकंदरपुर संपर्क मार्ग की ओर खडंजा कार्य	पुरु त्यागी	787360	प्र० र०	14060	14060			70300				688940	68/3
			188571942		3189496	3187118	1549285	2689440	8009469	9923654	223674	79000	159720806	

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष आलोच्य 2021-22 में कराये गये निर्माण एवं अन्य कार्यों से 3189496.00 (आय कर) +3187118.00. (एस0जी0एस0टी0 + सी०जी०एस०टी०). +1549285. 00 (सेस)+2689440.00 (रॉयल्टी)+79000.00 (पेनॉल्टी)+8009469.00 (जी०एस०टी०) कुल 1,87,03,808.00 की कटौती की गई है। लेकिन इन्हें निर्धारित खाते में जमा कराया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर 33-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या 48 / 3 द्वारा प्लानिया ट्रेडिंग को लेपन कार्य कराने का 714808.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक की जाँच में पाया गया कि उक्त भुगतान में से ठेकेदार से 5 इमल्सन डम की कटौती 3540.00 (जी०एस०टी० सहित) नहीं की गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 34</u>- वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों की उप खनिज की रोकी गई रॉयल्टी राजकोष में जमा किया जाना अंकित है। लेकिन जमा की पुष्टि में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है। और न ही कोई दर ही अंकित है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही।

क्र०	वित्तीय वर्ष	प्रमाणक सं०/ दिनांक	रॉयल्टी की धनराशी	ठेकेदार को भुगतान	कुल भगतान	नाम ठेकेदार	वर्तमान प्रमाणक सं०/ दिनांक
1	20-21	49/24-06-21	1083	2417	3500	राधा कृष्ण इंटरप्रा	24/10
2	19-20	8/13-04-21	6867	15111	21978	अभिनव इंटरप्रा	25/10
3	19-20	9/13-04-21	6270	13800	20070	अभिनव इंटरप्रा	26/10
4	19-20	54/26-12-20	12985	15615	28600	अभिनव इंटरप्रा	27/10
5	19-20	134/12-01-21	8350	10050	18400	पुरु त्यागी	28/10
6	19-20	41/08-01-21	10014	12086	22100	गीता इंटरप्रा	29/10
7	19-20	58/23-10-20	6609	7991	14600	गीता इंटरप्रा	30/10
8	19-20	61/26-12-20	6450	7740	14190	गीता इंटरप्रा	31/10
9	19-20	52/08-01-21	21049	27051	48100	गीता इंटरप्रा	32/10
10	19-20	57/26-12-20	4400	5280	9680	गीता इंटरप्रा	33/10
11	19-20	123/12-01-21	1597	2003	3600	राधा कृष्ण	34/10
12	20-21	48/24-06-21	512	1188	1700	राधा कृष्ण	35/10
13	19-20	30/24=-12-20	23350	28050	51400	गंगा क०	45/10
14	19-20	59/28-06-21	5932	10268	16200	गंगा क०	46/10
15	19-20	29/24-12-20	26600	32000	58600	गंगा क०	47/10
16	20-21	4724-06-21	1181	2599	3780	शिवा इंटरप्रा	48/10
17	20-21	10/02-07-21	3064	6868	9932	शिवा इंटरप्रा	49
18	20-21	44/13-11-20	1100	2420	3520	शिवा इंटरप्रा	50/10
19	19-20	40/24-12-20	5725	6870	12595	शिवा इंटरप्रा	51/10
20	19-20	142/12-01-21	438	562	1000	शिवा इंटरप्रा	52/10
21	19-20	39/13-11-20	10100	14900	25000	शिवा इंटरप्रा	53/10
22	19-20	41/24-12-20	11150	13380	24530	शिवा इंटरप्रा	54/10
23	19-20	55/23-10-20	16600	20000	36600	शिवा इंटरप्रा	55/10
24	19-20	75/11-01-21	4601	5599	10200	शिवा इंटरप्रा	56/10
25	19-20	127/12-01-2	1550	2050	3600	शिवा इंटरप्रा	57/10
26	20-21	21/06-04-21	3004	5496	8500	शिवा इंटरप्रा	58/10
27	20-21	6/9-08-21	2866	5534	8400	शिवा इंटरप्रा	59/10

28	19-20	137/12-01-21	1425	1775	3200	शिवा इंटरप्रा	60/10
29	19-20	07/9-08-21	3067	5333	8400	शिवा इंटरप्रा	61/10
30	20-21	52/24-06-21	2636	5864	8500	शिवा इंटरप्रा	62/10
31	19-20	34/11-21	8325	10075	18400	यादवेन्द्र सिंह	63/12
32	19-20	22/08-10-21	9862	11838	21700	यादवेन्द्र सिंह	64/12
33	19-20	47/24-12-21	5141	6259	11400	वैष्णो इनफ्रटेक	65/12
34	19-20	40/13-11-20	6163	7437	13600	वैष्णो इनफ्रटेक	66/12
35	19-20	87/11-01-21	2569	4831	7400	वैष्णो इनफ्रटेक	67/12
36	19-20	66/26-12-21	11970	14430	26400	वैष्णो इनफ्रटेक	68/12
37	20-21	38/25-09-21	9112	20088	29200	पुरु त्यागी	69/12
38	19-20	46/24-12-20	5216	6284	11500	ओम क०	70/12
39	19-20	25/24-12-20	7570	10830	18400	ओम क०	71/12
40	19-20	7/07-06-21	52303	97360	149663	वैष्णो सप्लायर	72/12
41	19-20	48/08-01-21	13950	16750	30700	वैष्णो सप्लायर	73/12
42	19-20	56/08-01-21	24680	34720	59400	वैष्णो सप्लायर	74/12
43	19-20	125/12-01-21	4918	5982	10900	वी०एस० क०	75/12
44	19-20	43/24-06-21	1862	4098	5960	वी०एस० क०	76/12
45	19-20	20/11-11-21	4950	6050	11000	नरेन्द्र कुमार शर्मा	77/12
46	19-20	84/11-01-21	7300	8800	16100	नरेन्द्र कुमार शर्मा	78/12
47	19-20	33/24-12-21	8400	100850	18480	नरेन्द्र कुमार शर्मा	79/12
48	19-20	28/24-12-20	22150	28850	51000	विकास क०	80/12
49	19-20	138/12-01-21	21200	28300	49500	विकास क०	81/12
50	19-20	16/03-10-20	6840	8260	15100	यशपाल सिंह	82/12
51	19-20	13/08-01-21	26300	37600	63900	उमेश चन्द्र गुप्ता	83/12
52	19-20	17/3-10-21	11238	13562	24800	यशपाल सिंह क०	92/12
53	19-20	14/3-10-20	8881	10719	19600	यशपाल सिंह क०	93/12
54	19-20	40/8-01-21	47958	63642	111600	यशपाल सिंह क०	94/12
55	19-20	15/3-10-21	6107	7393	13500	यशपाल सिंह क०	95/12
56	19-20	67/28-12-20	49116	63784	112900	यशपाल सिंह क०	96/12
57	19-20	149/12-01-21	28757	35443	64200	गॉड कं०	97/12
58	19-20	128/12-01-21	5755	8445	14200	गॉड कं०	98/12
59	19-20	153/12-01-21	9628	4272	13900	सचिन बिल्डर्स	99/12
60	20-21	32/22-06-21	1784	4316	6100	विकास कं०	100/12
61	19-20	69/28-12-20	99095	137705	236800	रिद्धि इन्फा	11/12
62	19-20	10/13-04-21	39272	90601	129873	भवानी कं०	12/12
63	19-20	47/12-01-21	1650	2050	3700	भवानी कं०	13/12
64	19-20	147/12-01-21	10556	12744	23300	भवानी कं०	14/12
65	19-20	86/11-01-21	17151	20649	37800	भवानी कं०	15/12
66	19-20	12/13-04-21	9233	17807	27040	विकास कं०	16/12
67	19-20	44/04-01-21	6400	7680	14080	विकास कं०	17/12
68	20-21	60/28-06-21	1398	3002	4400	विकास कं०	18/12
69	19-20	50/29-07-21	1794	1206	3000	ग्लोबल इन	19/12
70	19-20	122/12-01-21	9500	10900	20400	ग्लोबल इन	20/12
71	19-20	29/08-10-20	6740	8160	14900	ग्लोबल इन	21/12
72	19-20	158/13-01-21	1827	3173	5000	ग्लोबल इन	22/12

73	19-20	76/11-01-21	8965	10835	19800	ग्लोबल इन	23/12
74	19-20	35/24-12-20	8474	11926	20460	पंचशील कं०	24/12
75	19-20	56/26-12-20	6800	8160	14960	पंचशील कं०	25/12
76	19-20	89/11-01-21	6288	12212	20500	पंचशील कं०	26/12
77	19-20	45/08-01-21	9330	8970	18300	पंचशील कं०	27/12
78	19-20	54/23-10-20	16600	20000	36600	पंचशील कं०	28/12
79	19-20	21/15-09-21	9501	20999	30500	रविन्द्र सिंह क०	29/12
80	20-21	35/24-09-21	8036	18664	26700	रविन्द्र सिंह क०	30/12
81	19-20	53/23-10-21	10475	12625	23100	रविन्द्र सिंह क०	31/12
82	19-20	82/11-01-21	44250	115950	160200	गंगा क०	32/12
83	19-20	52/30-07-21	31700	72540	104240	राजेंद्र सिंह	33/12
84	19-20	144/12-01-21	---	19000	19000	एस० बी० क०	34/12
			1507615	1527954	2535571		

इस प्रकार कुल 1507615.00 की रॉयल्टी जमा किये जाने की धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 35</u>- वर्ष आलोच्य में कराये गये

कार्य का नाम:- पी / एल स्प्रेडिंग एण्ड कम्पेक्टिंग स्टोन एग्रीगेट-22.4-53							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो ली गई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	
1	8/4	37.77X3911.80	159695.33	37.77X3911.80	147748.65	11946.65	अभिनव इंटरप्रा
2	10/4	228.92 X4051.90	925760.94	228.92 X3911.80	895489.25	30271.69	भवानी क०
3	11/4	337.50 X3911.80	1320232.50	337.50 X3911.80	1320232.50	----	सुदेश को
4	12/4	42.71 X4073.90	173996.27	42.71 X3911.80	167072.98	6923.29	विकास क०
5	12/6	47.45 X4273.90	202753.85	45.45 X3911.80	185614.91	17138.94	जान्हवी असो०
6	31/6	338.63 X429.10	1454111.08	338.63 X3911.80	1324652 .83	129458.25	गीता इंटरप्रा
7	33/6	122.83 X4984.90	501748.36	122.83 X3911.80	480486.39	21261.97	विकास क०
8	35/6	172.37 X4184.00	721196.00	172.37 X3911.80	674276.96	46919.12	उ०च०गुप्त
9	45/6	167.25 X4195.00	701613.78	167.25 X3911.80	654248.55	47365.20	राजेंद्र
10	48/6	6.81×4106.90	27967.90	6.81 X3911.80	26639.36	1328.63	राधा कृष्ण इंटरप्रा
11	50/6	52.69×4140.00	218136.60	52.69 X3911.80	206112.74	12023.86	वैष्णो इनफ्रटेक
12	51/6	73.37×4261.10	312636.90	73.37 X3911.80	287008.76	25628.14	रविन्द्र सिंह क०
13	53/6	149.85×3985.80	597272.13	149.85 X3911.80	586183.23	11088.90	जाह्नवीअसो०
14	54/6	352.00×4515.50	1589456.00	352.00 X3911.80	1376953.60	212502.40	यशपाल
15	56/6	177.25×4637.70	822496.09	177,25 X3911.80	693366.55	129129.54	वैष्णो इनफ्रटेक
16	7/7	37.11×4593.20	170453.65	37.11 X3911.80	145166.90	25286.75	रविन्द्र सिंह

17	10/7	37.07×4393.20	162859.63	37.07 X3911.80	145010.43	17849.20	शिवा इंटरप्रा
18	11/7	43.08×4659.90	200748.49	43.08 X3911.80	168520.34	32228.15	पंचशील क०
19	12/7	30.57×4359.90	133282.14	30.57 X3911.80	119583.73	13698.41	शिवा इंटरप्रा
20	15/7	11.18×4471.00	49985.78	11.18 X3911.80	43733.92	6251.86	श्री कृष्णा बिल्डर्स
21	18/7	355.43×4327.20	1538016.69	355.43 X3911.80	1390371.07	147645.62	रिद्धि इन्फा
22	19/7	193.13×4095.90	791041.16	193.13 X3911.80	755485.93	35555,23	प्लोनिंग ट्रेडर्स
23	20/7	134.66×4382.20	590107.05	134.66X3911.80	526762.98	63344.07	शिवा इंटरप्रा
24	37/7	153.00×4593,20	668793.60	153.00 X3911.80	598505.40	70288.20	उ०च०गुप्त
25	38/7	49.02×4404.20	215893.88	49.02 X3911.80	191756.44	24137.44	नरेन्द्र कुमार शर्मा
26	39/7	42.99×4806.00	180815.94	42.99 X3911.80	168168.28	12647.66	शिवा इंटरप्रा
27	1/8	11.39×4254.50	48458.75	11.39 X3911.80	44555.40	3903.35	शिवा इंटरप्रा
28	30/9	61.99×4426.30	274386.33	61.99 X3911.80	242492.48	31893.85	राधा कृष्ण इंटरप्रा
29	17/10	145.30×4493.20	652861.96	145.30 X3911.80	568384.54	84477.42	राधा कृष्ण इंटरप्रा
30	65/10	62.64×4415.50	276586.92	62.64 X3911.80	245035.15	31551.77	मुकेश च० गुप्ता
31	41/12	238.61×4559.90	1088037.73	238.61 X3911.80	933394.60	154643.13	गौड़ क०
32	44/12	43.99×4486.50	197361.13	43.99 X3911.80	172080.08	25281.05	गौड़ क०
33	60/12	132.66×4206.00	557967.96	132.66 X3911.80	518939.39	39028.57	पवन श्री क०
34	61/12	38.494482.10	172516.03	38.49 X3911.80	150565.18	21950.85	प्रताप क०
35	101/12	72.61×4504.40	327064.48	72.61 X3911.80	284035.80	43028.68	सुदेश क०
36	32/2	52.41×4217.10	221018.21	52.41 X3911.80	205017.44	16000.77	वैष्णो इनफ्रटेक
37	35/3	77.2×4338.20	334909.04	77.2 X3911.80	301990.96	32918.08	शिवा इंटरप्रा
38	41/3	145.3×4493.80	652949.14	145.3 X3911.80	568384.54	84564.60	राधा कृष्ण इंटरप्रा
39	58/3	18.47×4571.00	84426.37	18.47 X3911.80	72250.95	12175.42	शिवा इंटरप्रा
			19319615.93		17586279.22	1733336.71	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये, एक ही वित्तीय वर्ष में 39 (उनतालीस) प्रकार के दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के सेडयूल में कोई नियम / विवरण हो तो प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गई। अतः न्यूनतम दर 3911.80 से किया गया अधिक भुगतान 1733336.71 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 36-</u> वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिये गये हैं।

कार्य का नाम:- कन्सट्रक्शन ऑफ अन रिइन्फास्ड डावल ज्वाइन्ट							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो लीगई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	

1	8/4	70.87×7151.00	506791.37	70.87 X7008.00	496656.96	10134.41	अभिनव इंटरप्रा
2	12/4	75.22×7008.00	527141.68	75.22 X7008.00	527141.76	----	विकास क०
3	12/6	96.42×7100.00	684582.00	96.42 X7008.00	675711.36	880.64	जान्हवी असो०
4	49/6	130.07×7090.00	922196.30	130.07 X7008.00	911530.56	10665.64	भानकर इंटरप्रा
5	50/6	90.00×7064.00	636210.00	90.00 X7008.00	630720.00	5490.00	वैष्णो इनफ्रटेक
6	66/6	64.35×7502.00	482753.70	64.35 X7008.00	450964.80	31788.90	रविन्द्र सिंह क०
7	11/7	74.70×7564.00	565030.80	74.70 X7008.00	523497.60	41533.20	पंचशील क०
8	12/7	55.93×7285.00	407595.75	55.93 X7008.00	391957.44	15638.31	शिवा इंटरप्रा
9	38/7	87.75×7315.00	641891.25	87.75 X7008.00	614952.00	26939.25	नरेन्द्र कुमार शर्मा
10	39/7	67.50×7131.00	481342.50	67.50 X7008.00	473040.00	8302.50	शिवा इंटरप्रा
11	5/8	157.50×7305.00	1150537.50	157.50 X7008.00	1103760.00	46777.50	गंगा क०
12	9/8	89.59×7213.00	646212.67	89.59 X7008.00	627846.72	18365.95	रामेश्वरम इन्फ्रा
13	21/9	90.98×7243.00	658823.28	90.98 X7008.00	637587.84	21235.44	रविन्द्र सिंह क०
14	24/9	40.41×7069.00	285658.29	40.41 X7008.00	283193.28	2465.01	मुकेश कान्त
15	30/9	106.12×7336.00	778496.32	106.12 X7008.00	743688.96	34807.36	चाहत क०
16	35/9	65.20×7502.00	489130.40	65.20 X7008.00	456921.60	32208.80	रविन्द्र सिंह क०
17	36/9	73.21×7100.00	519791.00	73.21 X7008.00	513055.68	6735.32	श्री कृष्णा बिल्डर्स
18	61/12	68.67×7398.00	508020.66	68.67 X7008.00	481239.36	26781.30	प्रताप क०
19	101/12	120.26×7419.00	892208.94	120.26 X7008.00	842782.08	49426.86	सुदेश क०
20	10/1	55.01×7110.00	391121.10	55.01 X7008.00	385510.08	5611.02	वी० एस० क०
21	14/2	31.50×7471.00	235336.50	31.50 X7008.00	220752.00	14584.50	चाहत क०
22	21/2	66.50×7316.00	486514.00	66.50 X7008.00	466032.00	20482.00	पवन श्री क०

23	32/2	90.60×7141.00	646974.60	90.60 X7008.00	624924.80	12049.80	वैष्णो इनफ्रटेक
		योग	13544360.69		13093466.88	450893.81	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये एक ही वित्तीय वर्ष में 23(तेईस) प्रकार की दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के सेडयूल में कोई नियम / विवरण हो तो प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गई। अतःन्यूनतम दर 7008.00 से किया गया अधिक भुगतान 450893.81 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 37</u> - वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिये गये हैं।

कार्य का नाम: - ब्रिक मेशनरी वर्क इन फाउन्डेशन कम्पलीट मोर्टार							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो लीगई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	
1	8/4	8.39×5651.20	47413.56	8.39×5620.60	47156.83	256.73	अभिनव इन्टरप्राइजेज
2	10/4	3.51x5620.60	19728.30	3.51x5620.60	19728.30	----	भवानी कं०
3	55/6	8.43 x5647.30	47606.73	8.43 x5620.60	47381.66	225.07	मुकेश कान्त
4	10/7	12.70×5684.00	72186.80	12.70×5620.60	71381.62	805.18	शिवा इन्टरप्राइजेज
5	12/7	12.56×5678.20	71318.19	12.56×5620.60	70594.74	723.45	शिवा इन्टरप्राइजेज
6	38/7	19.98×5681.80	113522.36	19.98×5620.60	112299.59	1222.77	नरेन्द्र कुमार शर्मा
7	47/7	39.48×5697.50	224937.30	39.48×5620.60	221901.29	3036.01	शिवा इन्टरप्राइजेज
8	1/8	45.83 5699.50	261208.08	45.83 5620.60	257592.10	3615.98	
9	5/8	68.06 5682.00	386716.92	68.06×5620.60	382538.04	4178.88	गंगा क०
10	21/9	21.86x5668.40	123911.22	21.86×5620.60	122866.32	1044.90	रविन्द्र सिंह
11	30/9	28.68x5685.60	163063.00	28.68x5620.60	161198.81	1864.19	चाहत क०
12	35/9	22.34×5718.80	127757.99	22.34×5620.60	125564.20	2193.79	रविन्द्र सिंह
13	101/12	32.88x5703.30	187524.50	32.88x5620.60	184805.33	2719.17	सुदेश क०
14	10/1	6.12×5643.50.	34538,22	6.12×5620.60	34398.07	140.15	वी० एस० क०
15	12/1	21.16×5632.00	119173.12	21.16×5620.60	118931.90	241.22	रामेश्वरम इन्फ्रा
16	14/2	966×5713.00	55187.58	9.66×5620.60	54295.00	892.58	चाहत क०
17	32/2	20.94x5649.30	118296.34	20.94×5620.60	117695.36	600.98	वैष्णो इनफ्रटेक
18	35/2	44.16×5670.30	250400.44	44.16×5620.60	248205.70	2194.74	गीता इन्टरप्राइजेज
19	58/3	12.41×5719.90	70983.96	12.41×5620.60	69751.65	1232.31	शिवा इन्टरप्राइजेज
		योग-	2372840.36		2401401.38	26626.56	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये, एक ही वित्तीय वर्ष में 19(उन्नीस) प्रकार की दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के शेड्यूल से कोई नियम / विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गई।अतः न्यूनतम दर 5620.60 से किया गया अधिक भुगतान 26626.56 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 38-</u> वर्ष आलोच्य के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 6800.00 की डी०एस०सी०बनवाने का भुगतान किया गया है। लेकिन कहाँ से बनवाया गया इसकी पुष्टि हेतु कोई बिल संलग्न नहीं है। अतः किया गया उपरोक्त भुगतान अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा।

क्र०	प्रमाणकसं०	पद जिसका बना	धनराशि	अभ्युक्ति
1	35/12	अध्यक्ष महोदया	1700.00	बिल संलग्न नहीं

2	35/12	अपर मुख्य अधिकारी अभियन्ता	1700.00	बिल संलग्न नहीं
3	35/12	अभियंता	1700.00	बिल संलग्न नहीं
4	35/12	प्रवेश कुमार	1700.00	बिल संलग्न नहीं
		योग-	6800.00	

अतः उपरोक्त किये गये व्यय का बिल प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 39 -</u> वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिए विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिए गए है।

कार्य का नाम: - पी० / एल० ऑफ रिइन्फोस्ड सीमेन्ट कंकीट इन ओपन फाउण्डेशन							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो लीगई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	
1	8/4	1.87 6975.80	13044.74	1.87x6408.00	11982.96	1061.78	अभिनव इन्टरप्राइजेज
2	12/4	1.62×6462.70	10469.57	1.62X6408.00	10380.96	88.61	विकास कं०
3	39/6	16.95X6431.00	109005.45	16.95x6408.00	108615.60	389,85	पंचशील कं०
4	55/6	056×6594.00	3692.64	0.56×6408.00	3588.48	104.16	मुकेश कान्त
5	10/7	1.88 6724.20	12641.49	1.88X6408.00	12047.04	594.45	शिवा इन्टरप्राइजेज
6	15/7	3.46×6970.80	24118.96	3.46×6408.00	22171.68	1947.28	कृष्णा बिल्डर्स
7	53/7	1.51X6689.40	10100.99	1.51X6408.00	9676.08	424.91	पुरू त्यागी
8	5/8	3.66×6744.90	24686.33	3.66×6408.00	23453.28	1233.05	गंगा कं०
9	21/9	2.30×6802.10	15644.83	2.30x6408.00	14738.40	906.43	रविन्द्रा सिंह
10	30/9	2.63×6812.70	17197.40	2.63x6408.00	16853.04	344.36	चाहत कं०
11	35/9	1.54×6941.40.	10689.75	1.54 6408.00	9868.32	821.43	रविन्द्रा सिंह
12	67/10	2.18X6873.90	14985.10	2.18X6408.00	13969.44	1015.66	नरेन्द्र कुमार शर्मा
13	61/12	1.15X6544.90	7526.64	1.15X6408.00	7369.20	157.44	प्रताप कं०
14	101/12	3.15X6858.60	21604.59	3.15X6408.00	20185.20	1419.39	सुदेश कं०
		योग-	295408.48		284899.68	10508.80	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये एक ही वित्तीय वर्ष में 14(चौदह) प्रकार की दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के सेडयूल से कोई नियम/विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गई। अतः न्यूनतम दर 6408.00 से किया गया अधिक भुगतान 10508.80 अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 40</u>- वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिये गये हैं।

कार्य का नाम: - कन्सट्रक्शन ऑफ ग्रेन्यूलर सब बेस प्रोभाइर्डिंग वेल ग्रेडेड मैटेरियल							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो लीगई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	
1	10/4	81.39×3320.80	270279.91	81.39 3231.00	262971.09	7308.82	भवानी कं०
2	37/6	319.86X3602.70	1152359.62	319.86×3231.00	1033467.66	118891.96	उ०च० गुप्ता

3	38/6	5.79×3534.70	20465.91	5.79×3231.00	18707.49	1758.42	जाहन्वी एसो0
4	40/6	227.00×3563.80	808982.60	227.00×3231.00	733437.00	75545.60	रिद्धि इन्फा
5	45/6	54.98×3447.20	189527.06	54.98×3231.00	177575.76	11951.30	राजेन्द्र सिंह
6	11/7	22.50×3784.70	85155.75	22.50×3231.00	72697.50	12458.25	पंचशील कं०
7	18/7	227.00×3563.00	808801.00	227.00×3231.00	733437.00	75364.00	रिद्धि इन्फा
8	46/7	3.38×3262.50	11027.25	3.38×3231.00	10920.78	106.47	जाहन्वी एसो०
9	47/7	44.60×3549.30	158298.70	44.60×3231.00	144102.60	14196.10	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
10	20/9	38.78×3765.10	146010.57	38.78×3231.00	125298.18	20712.39	रिद्धि इन्फा
11	24/9	37.76×3350.00	124496.00	37.76×3231.00	122002.56	2493.44	मुकेश कान्त
12	14/2	26.25×3696.50	97033.12	26.25×3231.00	84813.75	12219.37	चाहत कं०
13	15/2	32.60×3456.90	112694.94	32.60×3231.00	105330.60	7364.34	पंचशील कं०
14	19/2	142.39×3437.50	489465.62	142.39×3231.00	460062.09	29403.53	मुकेश च०गुप्ता
15	32/2	9.19×3466.60	31858.05	9.19×3231.00	29692.89	2165.16	वैष्णो इन्फा
16	58/3	34.50×3706.30	127867.45	34.50×3231.00	111469.50	16397.95	शिवा इन्टरप्राइजेज
		योग-	3191218.11		2910840.21	280377.90	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये, एक ही वित्तीय वर्ष में 16(सोलह) प्रकार की दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के सेडयूल से कोई नियम/विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि नही कराई गई।अतः न्यूनतम दर 3231.00 से किया गया अधिक भुगतान 280377.90 अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 41</u>- वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एक ही कार्य के लिये विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न दर लिये गये हैं। विवरण इस प्रकार है।

कार्य का नाम: - पी०/ एल० स्प्रेडिंग एण्ड कॉम्पैक्टिंग स्टोन एग्रीगेट 45-63 एम0एम0							नाम ठेकेदार
क्र०	प्रमाणकसं०	नाप एवं दर जो लीगई	धनराशी जो ली गई थी	दर जो ली जानी थी	धनराशी	अन्तर	
1	10/4	234.84×4049.20	950914.12	234.84×3907.30	917590.33	33323.79	भवानी कं०
2	11/4	337.50×3907.30	13187.75	337.50×3907.30	1318713.75	-----	सुदेश क०
3	29/6	176.59×4640.90	819536.53	176.59×3907.30	689990.11	129546.42	वैष्णो इन्फा
4	31/6	338.63×4295.90	1454720.62	338.63×3907.30	1323129.00	131591.62	गीता इन्टरप्राइजेज
5	33/6	122.73×4082.80	501082.04	122.73×3907.30	479542.93	21539.11	विकास क०
6	35/6	200.25×4183.80	837805.95	200.25×3907.30	782436.82	55369.13	उ०च० गुप्ता
7	36/6	105.20×4295.90	451928.68	105.20×3907.30	411047.96	40880.72	प्लानिंग ट्रेडिंग
8	37/6	154.01×4374.40	673701.34	154.01×3907.30	601763.27	71938.07	उ०च० गुप्ता
9	45/6	165.34×4195.00	693601.30	165.34×3907.30	646032.98	47568.32	राजेन्द्र सिंह
10	30/6	73.84×4262.30	314728.23	73.84×3907.30	288515.03	26213.20	राजेन्द्र सिंह
11	53/6	194.60×3981.90	774877.74	194.60×3907.30	760360.58	14517.16	जाहन्वी एसो0
12	54/6	355.38×4516.40	1605038.23	355.38×3907.30	1388576.27	216461.96	यशपाल
13	61/6	92.25×4106.90	378861.52	92.25×3907.30	360448.42	18413.10	मुकेश कान्त
14	17/7	366.75×4329.50	1587844.12	366.75×3907.30	1433002.27	154841.85	रिद्धि इन्फा
15	19/7	194.25×4094.10	795278.92	194.25×3907.30	758993.02	36285.90	प्लानिंग ट्रेडिंग
16	20/7	134.29×4380.70	588284.20	134.29×3907.30	524711.32	63572.88	शिवा इन्टरप्राइजेज
17	47/7	140.97×4493.80	633491.00	140.97×3907.30	550812.08	82678.92	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज

18	4/8	165.50×4663.50	771809.25	165.50×3907.30	646658.15	125151.10	राधा कृष्ण इन्टरप्राइजेज
19	65/10	63.62×4414.60	280856.92	63.62×3907.30	248582.42	32274.50	मुकेश च०गुप्ता
20	41/12	247.99×4561.70	1131255.96	247.99×3907.30	968971.33	162284.65	गौड़ क०
21	11/1	103.72×4105.30	425801.72	103.72×3907.30	405265.15	20536.57	मुकेश कान्त
		योग-	16990132.16		15505143.19	1484988.97	

उपरोक्त विवरणानुसार एक ही कार्य कराने के लिये, एक ही वित्तीय वर्ष में 21 (इक्कीस) प्रकार की दरों से भुगतान किया गया है। इस प्रति कोई पी0डब्ल्यू0डी के सेडयूल से कोई नियम/विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गई। अतः न्यूनतम दर 3907.30 से किया गया अधिक भुगतान 1484988.97अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 42-</u> वर्ष आलोच्य 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों के भुगतान में से निम्न विवरणानुसार रॉयल्टी एवं पेनाल्टी की कटौती की गई है। लेकिन कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। कतिपय प्रमाणकों पर विवरण अंकित है तो दर नहीं लिखा गया है। जिससे की गई रॉयल्टी की कटौती अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही।

क्र०	प्रमाणक सं० व दि0	रॉयल्टी की कटौती	अभ्युक्ति	क्र०	प्रमाणक सं० व दि0	रॉयल्टी की कटौती	अभ्युक्ति	क्र०	प्रमाक सं० व दिनांक	रॉयल्टी की कटौती	अभ्युक्ति
1	8/4	21978	विवरण अंकित नहीं	32	6/8	8400	विवरण अंकित नहीं	63	27/1	265	विवरण अंकित नहीं
2	9/4	20070	विवरण अंकित नहीं	33	7/8	8400	विवरण अंकित नहीं	64	32/1	39336	विवरण अंकित नहीं
3	10/4	129873	विवरण अंकित नहीं	34	21/9	30500	विवरण अंकित नहीं	65	14/2	4955	विवरण अंकित नहीं
4	12/4	27040	विवरण अंकित नहीं	35	25/9	9400	विवरण अंकित नहीं	66	15/2	3511	विवरण अंकित नहीं
5	7/6	149663	विवरण अंकित नहीं	36	26/9	7800	विवरण अंकित नहीं	67	18/2	3952	विवरण अंकित नहीं
6	11/6	217212	विवरण अंकित नहीं	37	27/9	7800	विवरण अंकित नहीं	68	19/2	13962	विवरण अंकित नहीं
7	12/6	28191	विवरण अंकित नहीं	38	28/9	76400	विवरण अंकित नहीं	69	21/2	1854	विवरण अंकित नहीं
8	13/6	31000	विवरण अंकित नहीं	39	29/9	25600	विवरण अंकित नहीं	70	32/2	7325	विवरण अंकित नहीं
9	32/6	6100	विवरण अंकित नहीं	40	30/9	35400	विवरण अंकित नहीं	71	33/2	3965	विवरण अंकित नहीं
10	43/6	5960	विवरण अंकित नहीं	41	35/9	26700	विवरण अंकित नहीं	72	34/2	2271	विवरण अंकित नहीं
11	44/6	46500	विवरण अंकित नहीं	42	36/9	21600	विवरण अंकित नहीं	73	35/*2	3035	विवरण अंकित नहीं
12	46/6	205920	विवरण अंकित नहीं	43	37/9	24950	विवरण अंकित नहीं	74	36/2	2975	विवरण अंकित नहीं
13	47/6	3780	विवरण अंकित नहीं	44	38/9	29200	विवरण अंकित नहीं	75	37/2	443	विवरण अंकित नहीं
14	48/6	1700	विवरण अंकित नहीं	45	39/9	8000	विवरण अंकित नहीं	76	24/3	55073	विवरण अंकित नहीं
15	49/6	3500	विवरण अंकित नहीं	46	40/9	8600	विवरण अंकित नहीं	77	26/3	5992	विवरण अंकित नहीं
16	52/6	2706	विवरण अंकित नहीं	47	41/9	2700	विवरण अंकित नहीं	78	27/3	5992	विवरण अंकित नहीं
17	59/6	16200	विवरण अंकित नहीं	48	37/9	16695	विवरण अंकित नहीं	79	31/3	6815	विवरण अंकित नहीं
18	60/6	4400	विवरण अंकित नहीं	49	66/10	6208	विवरण अंकित नहीं	80	32/3	45356	विवरण अंकित नहीं
19	10/7	9932	विवरण अंकित नहीं	50	67/10	8429	विवरण अंकित नहीं	81	33/3	2195	विवरण अंकित नहीं
20	14/7	3400	विवरण अंकित नहीं	51	14/11	64955	विवरण अंकित नहीं	82	35/3	14012	विवरण अंकित नहीं
21	16/7	3880	विवरण अंकित नहीं	52	17/11	2414	विवरण अंकित नहीं	83	41/3	28552	विवरण अंकित नहीं
22	17/7	1000	विवरण अंकित नहीं	53	38/12	5843	विवरण अंकित नहीं	84	45/3	500	विवरण अंकित नहीं
23	18/7	282900	विवरण अंकित नहीं	54	39/12	10667	विवरण अंकित नहीं	85	46/3	52252	विवरण अंकित नहीं
24	21/7	8500	विवरण अंकित नहीं	55	42/12	8158	विवरण अंकित नहीं	86	48/3	27122	विवरण अंकित नहीं

25	43/7	39680	विवरण अंकित नहीं	56	43/12	27936	विवरण अंकित नहीं	87	50/3	8100	विवरण अंकित नहीं
26	44/7	3500	विवरण अंकित नहीं	57	44/12	6763	विवरण अंकित नहीं	88	51/3	39700	विवरण अंकित नहीं
27	50/7	3000	विवरण अंकित नहीं	58	10/1	5900	विवरण अंकित नहीं	89	55/3	88965	विवरण अंकित नहीं
28	51/7	18600	विवरण अंकित नहीं	59	11/1	16675	विवरण अंकित नहीं	90	58/3	5633	विवरण अंकित नहीं
29	52/7	10240	विवरण अंकित नहीं	60	15/1	61088	विवरण अंकित नहीं	91	60/3	13984	विवरण अंकित नहीं
30	54/7	63200	विवरण अंकित नहीं	61	16/1	35379	विवरण अंकित नहीं	92	62/3	13846	विवरण अंकित नहीं
31	1/8	6200	विवरण अंकित नहीं	62	17/1	2323	विवरण अंकित नहीं	93	67/3	4856	विवरण अंकित नहीं
									कुल योग ---- 2587502		

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 2587502.00 की रोयल्टी की कटौती की गई है। लेकिन कटौती का विवरण एवं दर अंकित नहीं किया गया है(कतिपय प्रमाणकों को छोड़ करें) | जिससे यह अज्ञात रहा कि काटी गई कटौती सही है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 43-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अखबारों में निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु विज्ञापन दिये गये हैं। लेकिन किये गये इनके भुगतान में से कर की कटौती नहीं की गई है। केवल अखबार के बिलों पर ही अंकित कर दिया गया है। तथा अखबार वालों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लिया आय गया दर भी 2 प्रतिशत से कम 1.90 प्रतिशत ही है। उक्त लिये गये दर की भी पुष्टि नहीं कराई गई। अतः कम ली गई धनराशि अखबार वालों से जमा कराया जाना अपेक्षित है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०	प्रमाणक सं० व माह	अखबार का नाम	बिल संख्या	प्रस्ताव संख्या	धनराशि	आय कर जो अंकित है	आय कर जो लेना था
1	13/4	दैनिक जागरण	जे०डी०-2103000053 / 17.3.21	1721/15.3.21	70929	1351	1419
	13/4	बुलन्द संदेश	180/16.03.2021	1721/15.3.21	13226	265	265
	13/4	विधान केसरी	13322/8.3.2021	1651/2.3.21	35197	670	704
	13/4	अमर उजाला	यू०पी०आई02021/202056, 5.3.21	1651/2.3.21	29188	556	584
2	21/6	भाह टाइम्स	317691/20.2.21	अंकित नहीं	3722	72	74
3	21/8	हिन्दुस्तान	1803684141/17.6.21	168/16.6.21	7672	146	153
4	22/8	अमर भारती	ए०बी०जी०/ यू०पी०/0893/ 21-22	338/14.7.21	11944	228	239
5	23/8	अमर भारती	ए०बी०जी० / यू०पी०/0056/21-22	168/16.6.21	11945	228	239
6	29/8	हिन्दुस्तान	1802621080	323/17.8.15	6281	119	126
7	17/9	अमर उजाला	यू०पी०आई 2122080096 / 23.8.21	501/21.8.21	15097	288	302
8	17/9	अमर भारती	ए०बी०जी०/ यू०पी०/1430 / 21-22	501/21.8.21	15926	303	318
9	20/10	अमर उजाला	यू०पी०आई 2122 102609/14.9.21	अंकित नहीं	9058	173	181
10	21/10	अमर उजाला	यू०पी०आई2021-121658/ 23.11.20	1231/21.11.20	12439	236	249
11	43/10	दैनिक जागरण	1803647727/8.3.21	अंकित नहीं	4092	78	82
12	46/12	दैनिक जागरण	जे०डी०-2109000060/25.9.21	640/23.9.21	103665	1920	2073
13	47/12	विधान केसरी	1646/25.9.21	1231/21.11.20	72594	1379	1452
14	48/12	अमर उजाला	यू०पी०आई 2021-12 1658,	957/4.12.21	12439	237	249

15	89/12	पब्लिक एशिया	1038/5.12.21	338/14.7.21	8856	168	177
16	91/12	अमर उजाला	यू०पी०आई 2122053822 / 15.7.21	957/4.12.21	12077	229	242
17	20/1	हिन्दुस्तान	1803755963	753/18.10.21	11508	219	230
	20/1	हिन्दुस्तान	1803735695	1149/6.1.22	9973	190	199
18	21/1	अमर भारती	ए०बी०जी०/ यू०पी०/ 3156 / 21-22	977/8.12.21	15926	303	319
19	22/1	बुलन्द संदेश	229/10.12.21	1014/17.12.21	6802	130	136
		बुलन्द संदेश	229/18.12.21	1066/27.12.21	7369	140	147
		अमर भारती	ए०बी०जी०/यू०पी०/ 2990 / 21-22	923/29.11.21	27075	515	542
20	23/1	हिन्दुस्तान	1803754447/30.11	859/30.11.21	7672	146	153
21	24/1	हिन्दुस्तान	1803741820/4.11.21	977/8.12.21	20459	390	409
		दैनिक जागरण	जे०डी०-2112000010/ 9.12.21	1014/1`7.12.21	21824	415	436
22	25/1	दैनिक जागरण	जे०डी०-2112000030 / 18.12.21	1066/27.12.21	21824	415	436
23	23/2	अमर उजाला	यू०पी०-1-2122-183687 / 29.12.21	137/1.1.22	16120	307	322
		अमर उजाला	यू०पी०-1-2122-190228 / 4.1.22	1039/30.12.21	10075	192	202
		हिन्दुस्तान	1803770124/31.12.21		7676	146	154
					640650	12154	12813

उपरोक्त विवरणानुसार आय कर 12813.00 होता है। लेकिन केवल 12154.00 ही अंकित किया गया है। अखबार वालों से कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार 1.90 प्रतिशत की दर से आकलन करने की पुष्टि नहीं कराई गई। अतः 12813.00वसूली नही किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 44 -</u> वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न दिनांकों में ए0सी0 मरम्मत पर व्यय किया गया है। लेकिन बिल संलग्न नहीं किया गया है।

क्र०	प्रमाणक सं० व माह	बिल संख्या	दुकान का नाम	धनराशी	स्थान
1	65/28.6.21	189/14.5.21	ग्लेशियर एरोकोन एण्ड रेफ्रिजरेशन	4650	कार्यालय में
2	8/2.7.21	108/16.4.21	ग्लेशियर एरोकोन एण्ड रेफ्रिजरेशन	4000	कार्यालय में
3	9/2.7.21	110/14.5.21	ग्लेशियर एरोकोन एण्ड रेफ्रिजरेशन	2500	कार्यालय में
4	44/26.8.21	209 / 15.7.21	इण्डियन सर्विस सेन्टर	3900	अध्यक्ष कक्ष
5	45/26.8.21	211/22.7.21	इण्डियन सर्विस सेन्टर	5000	अध्यक्ष कक्ष
6	46/26.8.21	210/21.7.21	इण्डियन सर्विस सेन्टर	1500	अध्यक्ष आराम कक्ष
7	41/16.10.21	88/8.5.21	ग्लेशियर एरोकोन एण्ड रेफ्रिजरेशन	2550	कार्यालय में
		89/10.9.21	ग्लेशियर एरोकोन एण्ड रेफ्रिजरेशन	2450	कार्यालय में

			योग-	26550	

इस प्रकार कुल 26550.00 का ए0सी0 मरम्मत पर व्यय किया गया है। लेकिन किये गये व्यय की पुष्टि हेतु उपरोक्त दुकानों के बिल ही प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये है। अत: किया गया व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। उक्त सभी बिल प्रस्तुत कर किये गये व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हँ। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 45</u> - वर्ष आलोच्य 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रमाणकों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार जिला पंचायत कार्यालय के जेनरेटर में डीजल डलवाया गया है। लेकिन कोई बिल संलग्न नहीं किया गया है। और न ही लॉग बुक की छाया प्रति ही संलग्न की गई है।

क्र०	प्रमाणक सं० व माह	बिल संख्या	कंपनी का नाम	धनराशी	स्थान
1	27/7/21	2060 31.3.2021	यूनाईटेड मोटर कं०	4080.00	बिल संलग्न नहीं
2		2103/30.4.2021	यूनाईटेड मोटर कं०	4053.00	बिल संलग्न नहीं
3		2229/30.6.2021	यूनाईटेड मोटर कं०	4458.00	बिल संलग्न नहीं
4	39/10/21	2285/31.7.21	यूनाईटेड मोटर कं०	8994.00	बिल संलग्न नहीं
5	53/12/21	2116/30.9.21	यूनाईटेड मोटर कं०	4494,00	बिल संलग्न नहीं
6	12/3/21	बिल सं०अंकित नहीं	यूनाईटेड मोटर कं०	4335.00	बिल संलग्न नहीं
			योग-	30414.00	

उपरोक्त विवरण के आधार पर 30414.00 के डीजल डलवाये जाने की पुष्टि में कोई बिल प्रस्तुत नही किया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 46-</u> वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार गुंजन गर्ग कम्पनी को 75000.00 का टैन/ पैन/ जी०एस०टी० एवं अन्य कार्यों हेतु भुगतान किया गया है। लेकिन कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है। ना ही तीन कोटेशन लेने के उपरांत ही उक्त कंपनी कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। इस प्रकार बिना अनुबंध एवं बिल संलग्न किये बिना ही अप्रमाणित दर से भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा

क्र०	प्रमाणक सं० व माह	धनराशी	कंपनी
1	47/8/2021	10000	गुंजन गर्ग
2	48/8/2021	26000	गुंजन गर्ग
3	52/3/2021	15000	गुंजन गर्ग
4	53/3/2021	24000	गुंजन गर्ग
	योग-	75000	

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 47-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षाके दौरान विकास खंड धौलाना की मांग वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया की विभिन्न पेजों पर मांग कम लगाई गई है , कहीं वसूली कम अंकित की गयी हँ। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। इस प्रति स्थिति स्पष्ट करते हुवे सुधार किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	विकास खंड	पेज संख्या	मांग जो लगाई जानी थी	मांग जो लगाई गई है	अन्तर	वसूली जो अंकित करनी थी	वसूली जो अंकित की गयी है	अन्तर
1	धौलाना / 1	15	15750	15600	150 कम	----	----	----
2	धौलाना / 1	33	17700	17100	600 कम	----	------	-----
3	धौलाना / 1	67	------	-----	-----	288944	280944	8000 कम
4	धौलाना / 1	72	-------	-------	------	23900	20310	3590 कम

	योग-	--	33450	32700	750 कम	312844	301254	11590 कम

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 48-</u> वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं के लाइसेंस रिन्यू किये गये हैं। लेकिन इनके साथ निर्धारित दर से विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया है। जिससे जिला पंचायत की आय में कमी आई। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही।

क्र०	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्र०	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क	क्र०	रसीद सं०	वसूली	विलम्ब शुल्क
1	96520	3020	755	11	120653	15020	3755	21	95106	15020	3755
2	96566	2440	610	12	120659	30040	3755	22	95111	15020	3755
3	120615	22530	3755	13	120661	15020	3755	23	95113	22530	3755
4	120621	21020	5255	14	120663	22530	3755	24	95115	30040	3755
5	120623	21020	5255	15	120665	22530	3755	25	95123	15020	3755
6	120625	21020	5255	16	120685	22530	3755	26	95132	31530	5255
7	120627	15020	3755	17	120688	7520	1880	27	95134	21020	5255
8	120631	15020	3755	18	120693	22530	3755	28	95136	15020	3755
9	120639	15020	3755	19	95310	1830	458	29	95140	22530	3755
10	120643	15020	3755	20	95105	45020	11255	30	95141	60000	3755
			कुल योग ---	कुल वसूली ----608430-00 कुल विलम्ब शुल्क --- 116327-00							

जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 49 -</u> वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार बिटुमिन एवं इमल्सन की ढुलाई पर विभिन्न केरियर्स को भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रका है ----

क्र०	वस्तु	प्रमाणक सं०	कैरियर का नाम	धनराशी	कटा गया आयकर	जी०एस०टी०	जी०एस०टी० जो लेनी थी
1	बिटुमिन	64/6	सुपरफास्ट कैरियर सर्विस	28650.00	573.00	नहीं ली गई	5157.00
2	बिटुमिन	23/10	चूनावाला बल्क कॅरियर	106288.00	-----	नहीं ली गई	19132.00
3	इमल्सन	9/3	सुपरफास्ट कैरियर सर्विस	3750.00	-----	नहीं ली गई	675.00
4	बिटुमिन	10/3	चूनावाला बल्क कॅरियर	76680.00	------	नहीं ली गई	13802.00
			योग-	215368.00	573.00		38766.00

इस प्रति निम्न आपत्तियाँ हैं।

(1) क्रमांक एक पर अंकित केरियर सर्विस के बिल से 573.00 की आयकर कटौती करी गई है। लेकिन उक्त धनराशि जमा किये जाने की पुष्टि में कोई चालान संलग्न नहीं। है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इसके अतिरिक्त अन्य दुलाई के बिलों में से आयकर कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही।

(2) जिला पंचायत, हापुड़ द्वारा निर्गत कार्यादेश के विन्दु 1 के अनुसार बिटुमिन एवं इमल्सन की ढुलाई पर जी०एस०टी०लिया जाना था। जिसका पालन न करते हुए 38766.00 की जी०एस०टी० नहीं ली गई है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 50</u> - आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में मृत पशु शव निस्तारण, तहबाजारी एवं खनन की माँग एवं वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार बकाया शेष् है।

क्रं	मद	पिछला अवशेष	वर्ष में वसूली	वर्षांत का शेष
1	मृत पशु शव निस्तारण	1800031.00	55156.00	1744875.00
2	तहबाजारी	258550.00	---- -	25855 0.00
3	खनन शुल्क	10000.00	------ -	10000.00
	योग-	2068581.00	55156,00	2013425.00

इस प्रकार वर्षान्त पर 2013425.00 का बकाया रहा है। जिसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 51- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बैंक खातों एवं रोकड़ बही के शेष में अनक्लीयर्ड चेक की धनराशि 14314940.00 अधिक रखने के कारण बैंक खातो एवं रोकड़ बही के शेष में अन्तर रहा है। यह भी अज्ञात रहा कि उक्त धनराशे के चेकों को कब क्लीयर किया गया है। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक रही। जिसके लिए प्रणव पाण्डेय ए0एम0ए0 व मनोज कुमार लेखाकार उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-मेरठ मण्डल का नाम-मेरठ

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-01- जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न पत्रांको के माध्यम से निम्न प्रकार धनराशि का प्रेषण विभिन्न तिथियों में जारी चैक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को नियमावली 2009 के प्रावधानों के परिपालन में किया गया है।

उक्त धनराशि का कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषण ठेकेदारों को संदेश बिलों से 1 प्रतिशत उपकर की कटौती के उपरान्त किया जाना था ताकि उक्त उपकर का वास्तविक बोझ मात्र ठेकेदारों पर ही पड़े। परन्तु बडे ही ताज्जुब की बात है कि ठेकेदारों के संदेश बिलों में पहले पूर्णतया अविधिक ढंग से 1 प्रतिशत उपकर राशि जोडकर तदुपरांत छदम ढंग से 1 प्रतिशत की काल्पनिक कटौती दर्शाकर ठेकदारों को उनके बिलों का भुगतान संपूर्ण आलोच्य अवधि वर्ष 2016-17 के दौरान किया जाता रहा। जिसके सार तत्व के रूप में 1 प्रतिशत उपकर कटौती का बोझ अंततः निम्न प्रकार जिला पंचायत कोष पर ही पडा जो कि क्षेत्र पंचायत कोष मेरठ की गंभीर क्षति है। ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत उपकर की वास्तविक कटौती के स्थान पर यह दिखावटी कटौती ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई है, विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 माह उपश्रम आयुक्त मेरठ को प्रेषित पत्रांक एवं दिनांक जिसके द्वारा उपकर राशि भेजी गयी		**धनराशि रू0 में**
1 अप्रैल 2016	पंत्राक-2304 दिनांक 02.05.2016	172187.00
2 मई 2016	पंत्राक-2501 दिनांक 03.06.2016	58039.00
3 जून 2016	पंत्राक-2734 दिनांक 02.07.2016	45860.00
4 जुलाई 2016	पंत्राक-3000 दिनांक 03.08.2016	309027.00
5 अगस्त 2016	पंत्राक-4585 दिनांक 02.09.2016	266173.00
6 सितम्बर 2016	पंत्राक-4824 दिनांक 03.10.2016	98701.00
7 अक्टूबर 2016	पंत्राक-5088 दिनांक 04.11.2016	204843.00+13522.00 =218365.00
8 नवम्बर 2016	पंत्राक-5332 दिनांक 09.12.2016	241175.0
9 दिसम्बर 2016	पंत्राक-5544 दिनांक 06.01.2017	44839.00
10 जनवरी 2016	पंत्राक-5658 दिनांक 02.02.2017	296227.00

11फरवरी 2016 -

-

12 मार्च 2016 पंत्राक-55 दिनांक 06.04.2017 363273.00

योग 2113866.00

ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से उनके संदेश बिलों से छदम कटौती दर्शाकर जिला पंचायत कोष मेरठ को कारित उक्त क्षति राशि रू0 2113866 X 2 = 4227732.00 के संबंध में उत्तरदाई व्यक्तियों से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

उत्तरदाई व्यक्ति-

1-वी0 पी0 डी0 तत्कालीन

2-ए0 एम0 ए0 तत्कालीन

3-जे0ई0 तत्कालीन

4-लेखाकार तत्कालीन

(मूल आपत्ति सं0-02)

प्रस्तरः-2. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 में रोकडिया के कैश बुक में दिनांक 02.05.2016 को रू0 12713.00 का खर्च दर्शित है, जिसके समर्थन में वांछित खर्चे के प्रमाणक/बिल/वाउचर जांच दौरान अप्राप्त रहे। बिल/बाउचर को प्रस्तुत कर जांच कराई जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति सं0-10)**

प्रस्तरः-3. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 में रोकडिया की कैशबुक में दिनांक 25.04.2016 को रू0 21333.00 का खर्च दर्शित है, बाबत डाक बंगले का खर्चा। यह खर्चा किस उदेश्य से किया गया ? संबंधित प्रमाणक को जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-11)

प्रस्तरः-4. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी करोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किए, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लाक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरधना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, नंगला राठी अध्यक्षसुरेन्द्र-	238511	120000	118511	3159

(मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तरः-5. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लाक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरधना	सरधना पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, जुल्हेडाअध्यक्ष-बुद्धप्रकाश	144389	100000.00	44389.00	1183.00

(मूल आपत्ति सं0-13)

<u>प्रस्तरः-</u>6. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरधना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, अलीपुर अध्यक्ष-चत्रपाल	156671	150000	6671	177

(मूल आपत्ति सं0-14)

<u>प्रस्तरः-</u>7. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
खरखौदा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, अजराडा अध्यक्ष-निशार अहमद	265735	240735	25000	666

(मूल आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर:-8. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
खरखौदा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, फखरपुर कबटटा अध्यक्ष-जगदीश	179685	80000	99685	2657

(मूल आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर:-9. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई

जानी	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, सिवाल खास अध्यक्ष-शकील	360000	235000	125000	3332

(मूल आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर:-10. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
दौराला	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, लावड अध्यक्ष-नईम	289804	73000	216804	5759

(मूल आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर:-11. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
दौराला	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, दौराला अध्यक्ष-धर्मवीर	144902	90000	54902	1463

(मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर:-12. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का

आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
दौराला	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, दौराला अध्यक्ष-अखलाख	72452	36250	36202	965

(मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तरः-13. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
मेरठ	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, फंफूडा अध्यक्ष-गुलाब सिंह	146410	75000	71410	1903

(मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तरः-14. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
मवाना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, किशनपुर अध्यक्ष-यामीन	280563	100000	180563	4813

(मूल आपत्ति सं0-22)

<u>प्रस्तरः-</u>15. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
मवाना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, फलावदा अध्यक्ष-नौसाद	374068	190000	184068	4907

(मूल आपत्ति सं0-23)

<u>प्रस्तरः-</u>16. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई

मवाना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, बडागांव अध्यक्ष-शाहबाज	187034	85000	102034	2720

(मूल आपत्ति सं0-24)

प्रस्तरः-17. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
हस्तिनापुर	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, पलढा अध्यक्ष-गुडडू	343629	100000	243629	6495

(मूल आपत्ति सं0-25)

प्रस्तरः-18. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
परीक्षितगढ	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, ललियाना अध्यक्ष-यूसुफ	552196	300000	252196	6723

(मूल आपत्ति सं0-26)

<u>प्रस्तर:-</u>19. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरूरपुर	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, हर्रा अध्यक्ष-अलाउदीन	141967	50000	91967	2451

(मूल आपत्ति सं0-27)

<u>प्रस्तर:-</u>20. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरूरपुर	मेहरबान पुत्र हनीफ ग्राम पोस्ट हर्रा	153775	50000	103775	2766

(मूल आपत्ति सं0-28)

<u>प्रस्तर:-</u>21. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरूरपुर	यूनूस पुत्र यामीन ग्राम कायस्त बढढा	270000	100000	170000	4532

(मूल आपत्ति सं0-29)

<u>प्रस्तरः-</u>22. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
सरूरपुर	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, खिर्वा जलालपुर अध्यक्ष-सियानंद	139425	50000	89425	2384

(मूल आपत्ति सं0-30)

<u>प्रस्तरः-</u>23. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला

					पंचायत को क्षतिकारित हुई
माछरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, कायस्त बढढा अध्यक्षयूनुस-	210560	105280	105280	2806

(मूल आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर:-24. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
मवाना	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, कुआं खेडी अध्यक्ष-रोहताश	200000	100000	100000	2666

(मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर:-25. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
माछरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, भटीपुरा, अध्यक्ष-विनोद	271455	215000	56455	1505

(मूल आपत्ति सं0-33)

प्रस्तर:-26. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
माछरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, कुआं खेडी अध्यक्ष-हनीफ	92121	40000	52121	1389

(मूल आपत्ति सं0-34)

प्रस्तर:-27. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
रजपुरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, समयपुर अध्यक्ष-हरी सिंह	254736	125000	129736	3458

(मूल आपत्ति सं0-35)

प्रस्तर:-28.जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

ना म	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज

ब्लॉक					धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
रजपुरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, रसूलपुर औरंगाबाद अध्यक्ष-संजीव	199349	160000	39349	1049

(मूल आपत्ति सं0-36)

<u>प्रस्तरः-</u>29. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मुर्दा मवेशी कारोबार से जुडी निम्न संस्था ने निम्न प्रकार ठेका प्राप्त किया तथा कुछ धनराशि ठेका प्राप्त करते ही जमा कर दी और शेष धनराशि को माह जून 2016 तक जमा करने का आश्वासन देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु उक्त संस्था ने फरवरी 2017 तक भी अवशेष धनराशि जमा न करके जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक क्षतिकारित की है।

जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु आर0सी0 जारी करने जैसे कोई सार्थक प्रयास नही किए। यह ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई शिथिलता/ ढिलाई प्रतीत होती है, जिसके लिए जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम ब्लॉक	नाम संस्था	ठेके की कुल धनराशि	प्रारम्भ में जमा की गई धनराशि	बकाया रही शेष धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 8 माह की निम्न ब्याज धनराशि की जिला पंचायत को क्षतिकारित हुई
रजपुरा	पशु शवोच्छेदन, औधोगिक सहकारी समिति लि0, इंचैली अध्यक्ष-तुफैल	354706	200000	154706	4124

(मूल आपत्ति सं0-37)

<u>प्रस्तरः-</u>30. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान मवाना ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
225510	193139	32371	2444191	2411820	96472

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-38)

प्रस्तरः-31. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान सरधना ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
348670	268065	80605	2538359	2457754	98310

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-39)

प्रस्तरः-32. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान माछरा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
336230	221547	114683	1649773	1535090	61403

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-40)

प्रस्तरः-33. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान मेरठ ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
504670	286429	218241	2912515	2694274	107770

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-41)

प्रस्तर:-34. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान सरूरपुर ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
386880	308006	78874	1918035	1839161	73566

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-42)

प्रस्तर:-35. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान परीक्षितगढ ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति

250135	207576	42559	2462648	2420089	96803

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-43)

प्रस्तरः-36. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान खरखौदा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
666315	526265	140050	1760501	1620451	64818

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-44)

प्रस्तरः-37. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान दौराला ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
308215	233638	74577	2257293	2182716	83308

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-45)

प्रस्तरः-38. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जानी ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।

इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
434270	326839	107431	2330740	2223309	88932

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-46)

<u>प्रस्तरः-</u>39. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान रोहटा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
388465	288240	100225	1958936	1858711	74348

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-47)

<u>प्रस्तरः-</u>40. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान हस्तिनापुर ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के

धनराशि (रू0)			रही कुल धनराशि	जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
217650	169585	48065	1478140	1430075	57203

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-48)

प्रस्तरः-41. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान रजपुरा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
801295	498087	303208	3195116	2891908	115676

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-49)

प्रस्तरः-42. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान मवाना ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
225510	193139	32371	2444191	2411820	431

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-50)

<u>प्रस्तर:-</u>43. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान सरधना ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
348670	268065	80605	2538359	2457754	1074

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-51)

<u>प्रस्तर:-</u>44. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान माछरा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
336230	221547	114683	1649773	1535090	1525

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-52)

प्रस्तर:-45. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान मेरठ ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
504670	286429	218241	2912515	2694274	2902

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-53)

प्रस्तर:-46. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान सरूरपुर ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
386880	308006	78874	1918035	1839161	1049

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-54)

प्रस्तर:-47. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान परीक्षितगढ ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
250135	207576	42559	2462648	2420089	566

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-55)

प्रस्तरः-48. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान खरखौदा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
666315	526265	140050	1760501	1620451	1862

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-56)

प्रस्तरः-49. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान दौराला ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति

308215	233638	74577	2257293	2182716	991

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपेरक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-57)

प्रस्तरः-50. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जानी ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
434270	326839	107431	2330740	2223309	1428

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपेरक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-58)

प्रस्तरः-51. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जानी ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
388465	288240	100225	1958936	1858711	1332

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपेरक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-59)

प्रस्तर:-52. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान हस्तिनापुर ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा। इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
217650	169585	48065	1478140	1430075	639

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-60)

प्रस्तर:-53. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान रजपुरा ब्लॉक के सी0पी0 टैक्स रजिस्टर की ध्यानपूर्वक समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि वर्ष 2016-17 में अवधारित टैक्स की शत प्रतिशत वसूली ब्याज सहित में ढिलाई बरती गई और पिछले वर्षो का बकाया भी नही वसूला गया, वह ज्यों का त्यों पेंडिंग पडा रहा।
इस तरह यह बकाया राशि बढती चली गई, जिससे कि जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति हुई है। क्षति का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2016-17 में अवधारित कुल टैक्स धनराशि (रू0)	वर्ष में वसूली ब्याज सहित गयी टैक्स धनराशि	वर्ष 2016-17 की बकाया रही धनराशि	वर्ष 2016-17 सहित गत वर्षो की बकाया पडी रही कुल धनराशि	सम्पूर्ण वर्ष 2016-17 में बकाया पडी रही गत वर्षो की टैक्स धनराशि जो वर्तमान वर्ष में भी वसूल नही की गई	न्यूनतम 4 प्रतिशत पर केवल पिछले वर्षो के बकाया टैक्स राशि के वसूल न हो पाने के कारण जिला पंचायत कोष को पंहुची ब्याज धनराशि की क्षति
801295	498087	303208	3195116	2891908	4032

उक्त प्रकरण में जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कार्मिकों की ढिलाई के परिपे्रक्ष्य में जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान प्रभावी कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-61)

प्रस्तर:-54. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान साधारण मिट्टी या खनिजो से प्राप्त एवं राजकोष में जमा रायल्टी का वार्षिक विवरण पत्र एक साधारण रजिस्टर पर तैयार किया गया है।
जिसमें दर्ज जमा की पुष्टि में चालान/बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा दौरान बार बार मांग करने के बावजूद भी जांच हेतु अप्राप्त रहे। अप्रमाणित रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष दौरान जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कुल रू0 1511268.00 कटौती उपरांत मिट्टी कार्य पर रायल्टी के रूप में राजकोष में जमा दर्शाया है। यह कटौती रू0 30.00/प्रति क्यूबिक मीटर

की दर से की गयी है, परन्तु उक्त संबंध में किसी भी पत्रावली में खनन विभाग से/एम0डी0एम0 से कोई भी परमिशन नही ली गई है। इस तरह से ठेकेदारों ने एवं जिला पंचायत मेरठ ने खनन सम्बन्धी शासनादेश का उल्लघंन किया गया है।

शासनादेश दिनांक 15.10.2015 के अनुसार जिला पंचायत को ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी के साथ साथ 5 गुना दंड भी उनके बिलों से कटौती उपरान्त स्वंय उक्त धनराशि रू0 7556340.00 को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित था, जिसकी अवहेलना की गई। कार्यालय जिला अधिकारी मेरठ (खनन अनुभाग) पत्रंाक-2205 दिनांक 27.12.2016 जो कि जिला पंचायत मेरठ को पत्रांक 5469 दिनांक 30.12.2016 के रूप में प्राप्त हुआ तथा पत्रंाक 24/खनन लिपिक दिनांक 12.01.2017 जो जिला पंचायत मेरठ को पत्रांक 5594 दिनांक 17.01.2017 के रूप में प्राप्त हुआ, इन पत्रों में बिना परमिशन के खनन किये जाने की स्थिति में रायल्टी का 5 गुना दंड भी ठेकेदारों के बिलों से कटौती उपरान्त जिला पंचायत मेरठ द्वारा करके उस धनराशि को राजकोष में जमा कराए जाने की साफ साफ अपेक्षा की गयी थी, परन्तु शासन एवं जिला प्रशासन के इन समस्त आदेशों की घोर अवहेलना की गयी है।

जिला पंचायत द्वारा कारित राजकोष कि यह क्षति ठेकदारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से की गई है, जिसके लिए निम्नांकित कार्मिक/अधिकारी जिन्होने भुगतान पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान की वे उत्तरदाई है, जिनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि रायल्टी रू0 1511268.00 का 5 गुना = 7556340.00

उत्तरदायी कार्मिक-
1-तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।
2-तत्कालीन वी0पी0डी0।
3-तत्कालीन एकाउन्टेट।
4-तत्कालीन अवर अभियन्ता।
5-तत्कालीन बिल लिपिक/पटलधारी।

(मूल आपत्ति सं0-62)

प्रस्तरः-55. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 05.02.2014 को मेरठ-हापुड-बुलन्दशहर बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन मेरठ की ओर से 1. श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री दफेदार (अध्यक्ष) 2. हाजी इमरान पु श्री मजहर हसन उपाध्यक्ष, 3. अब्दुल खलिक पुत्र अब्दुल वहाब सदस्य के साथ जिला पंचायत मेरठ की ओर से एम0एम0ए0 द्वारा 26135.00 प्रतिमाह किराए पर वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु 3 वर्ष के लिए खसरा सं0 4227 एवं 4228.00 रकबा कुल 1300.00 वर्ग मीटर, निकट तिरंगा गेट, नौचन्दी को किराए पर देने का अनुबंध हुआ, परन्तु यह अनुबंध मात्र रू0 200.00 के स्टाम्प पेपर पर किया गया। इस तरह से राजकोष को स्टाम्प डयूटी की क्षति कारित की गई।

तीन वर्षो के लिए रू0 26135.00 प्रतिमाह की दर से यह अनुबंध हुआ तो उस पर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 अनुसूची 1 ख अनुच्छेद 35 के अनुसार 12.5 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी की दर से रू0 117607.00 स्टाम्प डयूटी देय थी परन्तु ऐसा न करके राजकीय कोष की क्षति की गई है। जिसकी वसूली ब्याज सहित के लिए दोषी जिला पंचायत के उच्चाधिकारी एवं अन्य पक्षों से वसूली ब्याज सहित के लिए जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत पदाधिकारियों तथा अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-64)

प्रस्तरः-56. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 05.02.2014 को मेरठ-हापुड-बुलन्दशहर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन मेरठ एवं जिला पंचायत मेरठ के बीच हुए अनुबंध/इस्टूमेंटस, 3 वर्षो के लिए किया गया था तथा रू0 26135.00 प्रतिमाह की दर से तीन वर्षो के लिए था, इंडियन रजिस्ट्री एक्त 1908 की धारा 17(1)डी के प्रावधानों के अनुसार इसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी परन्तु ऐसा न करके 2 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क की दर से कुल रू0 18817.00 की राजकीय कोष की क्षति की गई, जिसके लिए दोषी जिला पंचायत के उच्च अधिकारी एवं बस ऑपरेटर्स यूनियन दोषी है। दोषी गणों से वसूली ब्याज सहित हेतु जिला पंचायत सदस्य, पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। **(मूल आपत्ति सं0-65)**

प्रस्तर:-57. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान कुल कार्यरत रह। ईंट भटटों की संख्या 237 थी, जबकि जिला पंचायत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2016-17 में कुल 162 भटटों से दर प्रति भटटा रू0 6000 सी0पी0 टैक्स वसूला गया, जिनका विवरण ब्लॉक वाइज निम्न प्रकार है-

क्रमांक	नाम ब्लॉक	ईट भटटों की संख्या जिन पर टैक्स लगया और वसूला गया रू0 6000.00 की दर से
1	मवाना	11
2	सरधना	20
3	सरूरपुर	22
4	जानी	5
5	परीक्षितगढ	14
6	खरखौदा	9
7	रोहटा	23
8	दौराला	10
9	हस्तिनापुर	14
10	रजपुरा	29
11	माछरा	4
12	मेरठ	1

इस तरह मेरठ के कर निर्धारण एवं वसूली ब्याज सहित कार्मिकों एवं उच्चाधिकारियों ने जनपद में कुल 75 भटटों पर सीपी टैक्स अवधारित और वसूल न करके कुल रू0 450000.00 की जिला पंचायत मेरठ को आर्थिक क्षतिकारित की है। इस संबंध में दोषी कार्मिकों के प्रति वसूली ब्याज सहित कार्यवाही हेतु जिला पंचायत के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-66)

प्रस्तर:-58. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए 3 वर्ष हेतु होर्डिंग ठेके का आंवटन एक ही बार किया गया था। यह अवधि 3 वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु थी। कुल रू0 422000.00 में समस्त जनपद में होर्डिंग लगाने हेतु ठेका दिया गया था और अनुबंध पत्र पर रू0 33800.00 के स्टांप पेपर पर अनुबंध लिखा गया था, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 शेडयूल 1(इ) आर्टिकल 35 अनुसार / 12.5 रू0 52750.00 की स्टाम्प डयूटी चुकाई जानी चाहिए थी पंरतु ऐसा न कर दोनो पक्षों ने मिलीभगत कर रू0 18950.00 की राजकोष को क्षतिकारित की साथ ही उक्त करार की रजिस्ट्री न कराकर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधानों का उल्लघंन कर / 2 प्रतिशत रू0 8440.00 की राजकोष को क्षतिकारित की गयी।

इस प्रकार कुल क्षति राशि 18950.00 + 8440.00 = 27390.00 की वसूली ब्याज सहित दोषीगण से कराने हेतु, जिला पंचायत सदस्यों एवं पदाधिकारियों तथा शासकीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-66क)

प्रस्तर:-59. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान वर्ष 2016-17 के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान हाजी याकूब एवं उनके पुत्र इमरान याकूब की ओर से उनकी फर्म उल्फाहिम के बैंक खातें से क्रमश 56000.00 एवं 68000.00 के डी0डी0 जिला पंचायत मेरठ ने स्वम प्राप्त किये और इन धनराशियों को होर्डिंग ठेका प्राप्त करने वाली फर्म के पक्ष में एडजस्ट किया है और फर्म ठेकेदार की देनदारी को कम करके चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लघंन ही नही किया बल्कि होर्डिंग ठेकेदार को अनुचित लाभ पहंुचाया है।

चुनाव प्रचार की अनुमति के एवज में तो अनुबंध की शर्तो एवं चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार तो होर्डिंग ठेकेदार को भी किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार की अनुमति नही दी जानी चाहिए थी और जिला पंचायत मेरठ को तो किसी भी सूरत में प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के होर्डिंग की एवज में धनराशि वसूल करना पूरी तरह निषिद्ध था, परन्तु जिला पंचायत मेरठ के उच्चाधिकारियों ने यह सब करके ठेकदार को रू0 56000.00 + 68000.00 = 124000.00 का

अनुचित लाभ पहंुचाया गया है और चुनाव आचार सहिंता का सरासर उल्लघंन किया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित हेतु जिला पंचायत सदस्यों एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-66ख)

<u>प्रस्तर:-</u>60. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत में सितम्बर 2016 में की गई 6 कार्मिकों की भर्ती निम्न आधार पर पूर्णता स्वैच्छिक एवं जिला पंचायत को प्राप्त राज्य वित्त आयोग अनुदान की क्षति कारण एवं अनियमित है और जिला पंचायतों बावत शासन द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के विपरीत है।

क-यूपी0 जिला पंचायत सर्विस रूल्स 1970 के नियम सं0 5(1), 5(2) क, ख एवं ग का उल्लघंन करते हुए नियुक्तियां की गई है। नियम 5(1) के क्रम में जिला पंचायत में रक्षित अधिष्ठान पत्रावली बार-बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नही की गई।

ख-यूपी जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 22 एवं 25 का उल्लघंन करके, जिला सेवायोजन कार्यालय/उप संभागीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ से अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आंमत्रित/एकत्रित नही किए गये।

ग-नियमावली की अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट कम्प्यूटर पद हेतु वांछित योग्यता का भी ध्यान नही रखा गया।

घ-इस भर्ती द्वारा राज्य वित्त आयोग अनुदान की निम्न धनराशि की क्षतिकारित की गई

तिथि	कैशबुक पृष्ठ सं0/वाउचर सं0	खर्च का विवरण	धनराशि
01.09.2016	38/17	दीवान पब्लिक स्कूल को परीक्षा व्यय हेतु भुगतान	48420.00
06.09.2016	40/41	दीवान पब्लिक स्कूल को परीक्षा व्यय हेतु भुगतान	4600.00
14.09.2016	व0नं0 44	दीवान पब्लिक स्कूल को परीक्षा व्यय हेतु भुगतान	4620.00
14.09.2016	व0नं0 45	दीवान पब्लिक स्कूल को परीक्षा व्यय हेतु भुगतान	17760.00
योग			75400.00

सभी 6 कार्मिकों को निम्न प्रकार भुगतान करके राज्य वित्त आयोग अनुदान की गंभीर क्षति की गई है, क्योकि जिला पंचायत अपने कार्मिकों को अपनी जिला निधि से वेतन भुगतान की स्थिति में है ही नही, बल्कि इसके लिए वह राज्य वित्त आयोग के अनुदान का प्रयोग करती रही है। इन कार्मिकों की भर्ती से पूर्व भी वह अपने कार्मिकों के वेतन हेतु राज्य वित्त अनुदान पर निर्भर थी तथा इस भर्ती के बाद तो यह वेतन भुगतान की स्थिति और भी गंभीर हो गयी है।

वर्ष 2016-17 के दौरान नवनियुक्त कार्मिकों को भुगतान पर आया व्यय-

तिथि	कैशबुक पृष्ठ सं0 जिस पर व्यय दर्ज है।	धनराशि	
03.10.2016	46	66535.00	
28.10.2016	49	134642.00	
01.12.2016	56	133202.00	
02.01.2017	63	133178.00	
02.02.2017	71	137034.00	
01.03.2017	76	137034.00	
16.03.2017	79	13497.00	
	योग	755122.00	
	महायोग (75400+755122)		830522.00

उपर्युक्त भर्ती द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान की अनियमित और पूर्णत मनमाने ढंग से क्षति की गयी है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति/पदाधिकारी

1-तत्कालीन नियुक्ति प्राधिकारी।

2-तत्कालीन ए0एम0ए0।

3-तत्कालीन वी0पी0डी0 ।

4-तत्कालीन एकाउन्टेट।

(मूल आपत्ति सं0-67)

प्रस्तरः-61. जिला पंचायत में तैनात रहे कार्मिकों की पेंशन भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग से निम्न प्रकार फंड ट्रांसफर करना कैशबुक में दर्शित है-

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि
06.04.2016	12	2500000.00
21.07.2016	130	3000000.00
23.01.2017	49	2000000.00
01.03.2017	3	2000000.00
	योग	9500000.00

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1972 तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केंद्रीय संक्रामय संवर्ग सेवानिवर्त लाभ नियमावली 2001 के नियम संख्या 11 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करके यह धनराशि ट्रांसफर की गई है। नियम संख्या 11 के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी प्रत्येक महीने उस निधि से संबंध कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन देय हो, फाइनेंसियल हैडबुक के नियम संख्या 116 के अधीन उसे जिला पंचायत पेंशन निधि एवं परिक्रामी निधि के नाम जमा कराएगें। क्योंकि जिला पंचायत कार्मिकों को वेतन जिला निधि से देय होता है। अतः पेशंन अंशदान भी जिला पेशंन निधि से देय था। बजाय जिला निधि के, राज्य वित्त आयोग से पेंशन अंशदान जुटाना राज्य वित्त आयोग के अनुदान का गंभीरतम दुरूपयोग है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 102(3) बी का भी उल्लघंन है। अस्तु यह राज्य वित्त आयोग के अनुदान की क्षति का प्रकरण होने के कारण इसमें क्षतिपूर्ति कराई जानी अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 175, 176 तथा 177 में व्यवस्था अनुसार निहित प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति तथा समस्त सदस्यों का ध्यान विशिष्ट रूप से आकृष्ट किया जाता है कि वे अपने दायित्व निर्वहन के उपरान्त अपनी कार्यवाही से डी0एम0 महोदय को दो प्रतियों में अवगत कराये जो मामले को मंडलायुक्त के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आयुक्त ग्राम्य विकास एवं शासन को प्रेषित कर सके।

उत्तरदायी व्यक्तियों/पदाधिकारी/अधिकारी-

1-एम0डी0एम0।

2-वी0पी0डी0।

3-लेखाकार।

(मूल आपत्ति सं0-67ख)

प्रस्तरः-62. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान कैशबुक में पृष्ठ संख्या 46 पर दिनांक 19.10.2016 को राज्य वित्त आयोग से वाउचर नं0 27 द्वारा एसपी बंसल को वास्तु विद के रूप में रू0 173295.00 का भुगतान दर्शित है, यह सेवा/भुगतान अनुचित है,क्योकि जिला पंचायत मेरठ में अवर अभियन्ताओं एवं एक अभियन्ता (जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री धारी योग्यता होते है) उनकी तैनाती के बावजूद भी किसी एस्टीमेट जैसी तकनीकी सेवा कार्य हेतु किसी प्राइवेट तकनीशियन को भुगतान करना अभियन्ताओं की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, जो अभियन्ता जिला पंचायत को अपनी तकनीकी सेवा देने में अक्षम है, उनकी जिला पंचायत में तैनाती का कोई औचित्य नही है। यह भुगतान जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षति है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है, जिसकी ओर उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 175, 176 तथा 177 में व्यवस्था अनुसार निहित प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति तथा समस्त सदस्यों का ध्यान विशिष्ट रूप से आकृष्ट किया जाता है कि वे अपने दायित्व निर्वहन के उपरान्त अपनी कार्यवाही से डी0एम0 महोदय को दो प्रतियों में अवगत कराये जो मामले को मंडलायुक्त के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आयुक्त ग्राम्य विकास एवं शासन को प्रेषित कर सके।

उत्तरदायी व्यक्तियों/पदाधिकारी/अधिकारी-

1-अपर मुख्य अधिकारी।

2-वी0पी0डी0।

3-लेखाकार।

4-अभियंता।
5-अवर अभियन्ता।

(मूल आपत्ति सं0-68)

प्रस्तरः-63. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जानी ब्लॉक का मुर्दा मवेशी ठेका प्रदान करने हेतु दैनिक जागरण दिनांक 24.06.2016 के अंक में प्रकाशित टेंडर का उल्लेख था कि पशु शवोछेदन सहकारी समिति सिवास खास और पशु शवोछेदन सहकारी समिति टिमकिया के अध्यक्षों द्वारा पूर्व वर्षो का बकाया जमा न करने के कारण पैतृक व्यवसाय में लगे लोगों के मध्य नीलामी द्वारा ठेके दिए जाएगें परन्तु यदि नीलामी तिथि तक भी किसी सहकारी समिति द्वारा बकाया धनराशि जमा कर दी जाती है तो ठेका देने में समिति को ही वरीयता दी जायेगी।

उक्त विकास क्षेत्र जानी की ठेका पत्रावली की गहन समीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि एम0एम0ए0 के निर्देश पर वरिष्ठ लिपिक श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 02.06.2016 को नोट शीट तैयार की गई थी, कि उक्त ब्लॉक की जानी, नेक बहादुरपुर व धौलडी न्याय पंचायतों का ठेका श्री गुलाब सिंह की सरकारी समिति टिमकिया एवं ब्लाक की शेष न्याय पंचायतों का ठेका श्री इकरामुदीन की समिति सिवालखास को क्रमशः रू0 275142.00 एवं 275142.00 कुल रू0 550284.00 में छोडा गया था। दोनो ठेकेदारों पर अंकन रू0 75142.00 एवं रू0 75142.00 बकाया अवशेष है, यह भी उक्त तिथि दिनांक 02.06.2016 की नोटशीट में वरिष्ठ लिपिक श्री दिनेश कुमार ने दर्ज किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 पर दिनांक 02.06.2016 की ही नोटिंग के बाएं और श्री दिनेश ने यह भी दर्ज किया है।

''रसीद संख्या 773196 दिनांक 08.06.2016 रू0 75142.00 तथा रसीद सं0 773197 दिनांक 08.06.2016 रू0 75142.00 समस्त धन अवशेष जमा कर दिया गया है। दिनांक 08.06.2016

यह यह भी उल्लेखनीय है कि जब दिनांक 08.06.2016 तक श्री गुलाब सिंह और श्री करामुदीन की सहकारी समितियाॅ द्वारा गत वर्ष का समस्त अवशेष जमा कर दिया गया था, तब ठेके में इन्हे ही वरीयता दी जानी चाहिए थी, तथा गत वर्षो की ठेका राशि क्रमशः रू0 275142.00 एवं रू0 275142.00 कुल रू0 550284 पर तो इ्रन्हे ही इनके आवेदन पत्रों दिनांक 08.02.2016 (पंत्राक 1804 एवं 1805) के क्रम में ठेके दिए जाना जिला पंचायत के हित मे था, भले ही 10 प्रतिशत वृद्धि की शर्ते यह पूरी नही कर पा रहे थे, पंरतु गत वर्षो की धनराशि से पीछे हटने की भी बात उन्होने नही की थी, फिर भी इनके आवेदन पत्रों पर विचार न करके दिनांक 13.06.2016 की नीलामी में केवल रू0 360000.00 में संपूर्ण ब्लॉक की सभी न्यय पंचायतों का ठेका श्री शकील अहमद पुत्र न्याज अहमद निवासी सिवालखास, जिला मेरठ को दिया गया था, जिसके कारण गत वर्ष की ठेका धनराशि रू0 550284.00, 360000.00 रू0 190284.00 की क्षति जिला पंचायत को पहुंचाई गई है। संबंधित प्रकरण की ओर जिला पंचायत एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-68क)

प्रस्तरः-64. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत की लेखा परीक्षा जांच दौरान उपलब्ध कराए गये वर्गीकृत आंकडो के सार पत्र वर्ष 2016-17 के अनुसार मेला मखदूमपुर आयोजन पर कुल रू0 7579579.00 खर्च किए गए।

उक्त धनराशि व्यय के संबंध में निम्न गंभीर आपत्तियां है-

1-जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक स्थिति ठीक नही है, जिला पंचायत की अपने निजी स्ंरोतों से जो आमदनी होती है, वह उसके अपने भारी भरकम स्टाफ के मात्र वेतन हेतु ही अपर्याप्त रहती है, जिला पंचायत कार्मिकों को वर्ष में जितना केवल भुगतान किया जाता है वह जिला पंचायत की अपने निजी स्ंरोतों से आय के लगभग बराबर ही होती है।

इस पर तुर्रा यह है कि जिला पंचायत कार्मिकों को अपनी पेशंन तथा अन्य अनुतोष खर्चो के लिए राज्य वित्त आयोग के अनुदान का सहारा लेना पडता है, यह परजीवी ;च्तंेपजमद्ध जैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में भी जिला पंचायत मेरठ द्वारा मेलों के आयोजन जैसा अनुपयोगी कार्य करना उचित नही था, परन्तु परजीवीपन स्थिति में भी जिला पंचायत मेरठ द्वारा यह फिजूल खर्ची की गयी।

2-उक्त मेला आयोजन से वर्ष में कोई एक नया पैसा भी आय मद में अर्जित नही हुआ। जबकि वाहन पार्किंग तथा व्यापारिक गतिविधियों एवं विभिन्न संस्थाओं के स्टालों पर शुल्क का प्रावधान कर आय अर्जित की जा सकती थी। इसमें कुछ भी अनियमितता/अवैधानिकता नही थी परन्तु ऐसा नही किया गया।

3-उक्त मेले पर तमाम व्यय बिना एस्टीमेट के किए गए।

4-तमाम व्यय सामान्य मितव्ययिता की समझ (बेसिक इकोनामिक इंटीयूशन) की अवहेलना कर लापरवाही पूर्ण ढंग से किए गए।

5-गंगा तट पर किया गया किसी भी प्रकार का जनता का संगम गंगा में प्रदूषण को बढावा देने वाला होता है, इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहंुचती है।

अतः इस प्रकार के आयोजनों से पूर्व जिला पंचायत गंगा प्रदूषण के पक्ष पर गंभीरता से विचार करे तथा आलोच्य वर्ष में इस प्रकार के अनावश्यक आर्थिक और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले आयोजनों के लिए उत्तरदायी जिला पंचायत के अधिकारियों तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्त समिति, कार्य समिति एवं जिला पंचायत सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-69)

<u>प्रस्तरः-</u>65. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत संपत्ति एवं विभव कर नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति एवं विभव कर के रूप में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शराब की दुकाने एक महत्वपूर्ण आय का श्रोत होती है।

प्रत्येक जिला पंचायत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कार्य करने वाली शराब की दुकानों पर विभव कर का अवधारण किया गया है। जिला पंचायत की उप विधियों के अनुसार देशी मदिरा और विदेशी मदिरा की प्रत्येक दुकान पर पर रू0 6000.00 और बीयर की दुकार पर रू0 3000.00 तथा माॅडल शाॅप पर रू0 6000.00 की दर से यह कर अवधारित और वसूलने का प्रावधान किया गया है।

परन्तु यह चैकाने वाला तथ्य है कि जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 के दौरान मदिरा की जितनी दुकाने कार्यरत रही, उनके सापेक्ष जिला पंचायत ने बहुत कम दुकानों पर अपना कर अवधारित कर लापरवाही का परिचय दिया है, और लापरवाही के कारण जिला पंचायत कोष की अपूर्णनीय क्षति हुई है। जिला पंचायत के टैक्स अवधारणा रजिस्टर की समीक्षा से यह अंतर सामने आता है।

निम्न तालिका से जिला पंचायत द्वारा अपने टैक्स रजिस्टर में दर्ज टैक्स अवधारित मदिरा दुकानों एवं जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रही दुकानों की सूचना में चैकाने वाला अंतर का विवरण स्पष्ट होता है-

आइटम	उन दुकानो की सं0 जिन पर जिला पंचायत ने कर अवधारित किया	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्यरत रही बताई दुकानों की संख्या	दोनो में अंतर	जिला पंचायत द्वारा दुकानो की अंतर संख्या पर टेक्स्ट छोडकर जिला पंचायत को कारित क्षति धनराशि रू0
देशी मदिरा	44	172	128	768000
विदेशी मदिरा	44	104	60	360000
बीयर	47	97	50	150000
मॉडल शॉप	-	1	1	6000
			योग	1284000

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यरत रही सूचित की गई मदिरा दुकानों और जिला पंचायत द्वारा टैक्स अवधारित दुकानों की संख्या में अंतर के परिणाम स्वरूप जिला पंचायत कोष को बडी धनराशि से वंचित रखा गया है।

अतः जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्यसमिति और समस्त जिला पंचायत का ध्यान इस ओर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

दोषी अधिकारि गण-1 तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।

2-तत्कालीन कार्याधिकारी।

(मूल आपत्ति सं0-69क)

<u>प्रस्तरः-</u>66. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान कैशबुक में पृष्ठ संख्या 35 पर दिनांक 20.08.2016 को रू0 6130.00 का खर्चा, वाउचर नं0 89 द्वारा दर्शित है। खर्चा जिला पंचायत वास्ते अधिनियम खरीदने हेतु दर्शित किया गया है।

जिला पंचायत की आवश्यकताओं के अनुरूप केवल जिला पंचायत अधिनियम 1961 की आवश्यकता होती है। जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी एसोसिएशन के पूर्व विद्वान अध्यक्ष भावेश मिश्र द्वारा संपादित जिला पंचायत अधिनियम 1961 एक सम्पूर्ण गंरथ है, जो जिला पंचायत की आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त नियमावलियों तथा शासनादेशों को समेटे हुए है। इससे बेहतर कोई दूसरा अधिनियम है ही नही और इसके वर्ष 2011 के संस्करण का मूल्य केवल 1080 है, जो कि पर्याप्त है।

अतः रू0 1080 से अधिक के मूल्य का दर्शाया गया व्यय जिला पंचायत कोष की बर्बादी है, जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों से रू0 5050.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-69ख)

<u>प्रस्तरः-</u>67. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान कैशबुक में पृष्ठ संख्या 21 पर वाउचर सं0 77 द्वारा दिनांक 30.06.2016 को रू0 524000.00 का खर्च बाबत जनरेट सेट खरीदारी के दर्शित है। उक्त व्यय के संबंध में निम्न गंभीर आपत्तियां है-

1-वर्ष के बजट प्रस्तावों में उक्त जनरेटर सेट खरीदारी का कोई प्रावधान नही था।

2-इतनी उच्च क्षमता के जनरेटर सेट की जरूरत और तकनीकी अनुमोदन का कोई प्रस्ताव पत्रावली में संलग्न नही पाया गया।

3-उक्त जनरेटर सेट की खरीदारी के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि का प्रयोग किया गया है।

4-मैसर्स मुक्तेश इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड संस्था को धनराशि का भुगतान करते वक्त उसके बिलों से 4.5 प्रतिशत की दर से टीडीएस फार्ॅर वैट की कटौती नही की गई।

यह राज्य वित्त आयोग के फंड के दुरूपयोग का गंभीर प्रकरण है, जिसमें दोषी अधिकारियों से वसूली ब्याज सहित हेतु जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति और समस्त पंचायत का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरदायी व्यक्ति/पदाधिकारी-1-एम0एम0ए0 (तत्कालीन)

2-वी0पी0डी0 (तत्कालीन)

3-अकाउंटेट

(मूल आपत्ति सं0-70)

<u>प्रस्तरः-</u>68. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत स्तर पर जो वर्गीकृत आंकडों का सार पत्र तैयार कर रखा गया है वह बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 85 और प्रपत्र सं0 18 के प्रारूप पर तैयार नही किया गया है, यह एक गंभीर अनियमितता है।

1-वर्गीकरण सार पत्र कैश बुक के अनुसार तिथि और वाउचर संख्या के आधार पर प्राप्त धनराशि को स्पष्ट करते हुए और उनका आगामी योग करते हुए तैयार किया जाना चाहिए था परंन्तु ऐसा नही किया गया।

2-जिला पंचायत स्तर पर रक्षित सारपत्र में जिला पंचायत की अपने निजी स्त्रोतों से आय के प्रपत्र के क्रमांक 11 पर ब्याज से अर्जित धनराशि एवं जमानत से अर्जित धनराशि को भी शामिल किया गया है, जोकि उचित नही है, क्योकि ठेकेदारों से प्राप्त जमानत को लौटाना होता है और बैंक खातों से अर्जित ब्याज भी वास्तव में कोई आय नही होती है।

अतः इन दोनों मदो से प्राप्त राशि को आय दर्शाकर इस फर्जी एहसास के आधार पर अपने खर्चो का मापदंड बना लेखा एक बहुत भारी गलती है।

जिला पंचायत में वर्ष 2016-17 के दौरान निजी स्ा्रोतों से प्राप्त आय का गंभीरतापूर्ण विश्लेषण करने सार पत्र के अनुसार यह आय रू0 24691355.00 है, जबकि इसके सापेक्ष केवल जिला पंचायत कार्मिकों के वेतन पर दर्शित खर्च रू0 28373556.00 (कैशबुक के अनुसार) यह अन्तर चैकाने वाला है इससे जिला पंचायत की आर्थिक बदहाली का पता चलता है।

स्पष्ट है कि जिला पंचायत अपने निजी स्त्रोतों से प्राप्त आय इतनी भी नही है कि उससे भारी भरकम स्टाफ का मात्र वेतन भी दिया जा सके। स्टाफ की पेंशन और अन्य अनुतोष के लिए तो जिला पंचायत को पूर्णता राज्य वित्त आयोग के अनुदान पर निर्भर रहना पडा है, पेशंन की यह राशि 9500000.00 थी जिसे पंेशन एवं परिक्रामी खातों मे ट्रंासफर किया गया, जो कि राज्य वित्त आयोग के अनुदान का गंभीर दुरूपयोग है।

जिला पंचायत के पास अपनी आय अर्जित करने और बढाने के लिए विपुल संसाधन है और कानूनी प्रावधान है फिर भी जिला पंचायत कार्मिकों की अक्षमता और शिथिलता का आलम यह है कि वे विकास कार्यो के लिए धन का स्त्रोत जुटाना तो दूर की बात रही, जनपद की जिस विशाल जनसंख्या से टैक्स वसूलते है, उसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना तो दूर की बात रही, केवल अपने वेतन तक के लिए भी आमदनी नही जुटा पाते। यह एक गंम्भीर विचारणीय जांच का विषय है कि जिला पंचायत की टैक्स अवधारण और वसूली ब्याज सहित व्यवस्था में क्या गंभीर खामी है? सिद्धांत में आय की दृष्टि से इतनी अधिक समृद्धि होने के बावजूद भी व्यवहार में इतनी दरिद्रता क्यो है? कही ऐसा तो नही हो रहा कि टैक्स वसूले जाने के बावजूद स्ा्रोतों से धन चलने के बावजूद जिला पंचायत के कोष में न पहुंच कर कही और पहंुच जाता हो। जिला पंचायत के वित्त समिति कार्य समिति और समस्त जिला पंचायत सदस्यों तथा शासन का ध्यान इस विषय पर कार्यवाही के लिए आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-70क)

<u>प्रस्तर:-</u>69. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान कैशबुक में जिला पंचायत की नौचंदी केसरगंज विधालय स्थल की भूमि पर आवासीय व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण योजना पर व्यय के विज्ञापन बाबत निम्न प्रकार व्यय दर्ज किया गया है-

दिनांक	व्यय दर्ज धनराशि टिप्पणी
30.12.2016	475958.00
11.07.2016	375000.00
योग	850958.00

विज्ञापन पर व्यय पर निम्न गंभीर आपत्तियां है

1-योजना पर विज्ञापन व्यय को जिला पंचायत बजट में कोई प्रावधान नही किया गया था और न ही जिला पंचायत ने अपनी किसी बैठक में उक्त विज्ञापन व्यय की स्वीकृति प्रदान की।

2-संबंधित पार्टी को भुगतान करते समय बिलो से टीडीएस फाॅर वेट 4 प्रतिशत तथा टीडीएस फार इनकम टैक्स 2 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक की कटौती भी नही की गई।

3-उक्त योजना कभी भी कार्य रूप में नही लाई गयी।

अतः बिना बजट की अव्यवहारिक/काल्पनिक योजना पर मनमाने ढंग से जिला पंचायत कोष की क्षति की गई, जिसकी वसूली ब्याज सहित हेतु जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्यसमिति और समस्त पंचायत का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दोषी अधिकारी-

1-तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।

2-तत्कालीन वी0पी0डी0।

3-तत्कालीन अकाउटेंट।

(मूल आपत्ति सं0-70ख)

<u>प्रस्तर:-</u>70. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान नौकाघाट एवं बालू खनन अभिवहन शुल्क प्रदेश में विभिन्न जिला पंचायतों की आय अर्जन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वर्ष 2016-17 में कैश बुक के पृष्ठ संख्या 24

पर बालू ठेकेदार ओंकार सिंह से जमानत रू0 50000.00 तथा ठेका राशि रू0 4.00 लाख दर्शायी गई है, परन्तु 2016-17 के वर्गीकृत आंकडों के सार पत्र में उक्त मद से अर्जित आय का स्पष्ट रूप से (बालू खनन अभिवहन शुल्क) के रूप में उल्लेख नही किया गया है और इस मद में आय शून्य दर्शायी गई है, यह गम्भीर अनियमितता है तथा त्रुटि पूर्ण पत्र तैयार करने का मामला है। जिला पंचायत मेरठ की आय अर्जन के महत्वपूर्ण स्त्रोत को छुपाने का मामला है। इस गम्भीर अनियमितता की ओर जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्यसमिति एवं समस्त सदस्यों का ध्यान दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-71)

प्रस्तरः-71. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत में जिला पंचायत के विरूद्ध वादों की पैरवी करने हेतु तथा कार्मिकों के इनकम टैक्स रिटर्न जैसे मामूली मामले में वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न अधिवक्ताओं की सेवा प्राप्त करके उन्हे निम्न प्रकार भुगतान किए गए-

क्रमांक	दिनांक	वाउचर सं0	धनराशि विवरण
1	03.06.2016	30	7100.00
2	05.05.2016	17	5088.00
3	16.04.2016	72	9675.00
4	13.04.2016	42	4812.00
		43	7087.00
		44	4813.00
5	04.08.2016	38	9675.00
6	19.10.2016	23	11236.00
		योग	**59486.00**

उपर्युक्त विषय/भुगतान के संबंध में निम्नलिखित गंभीर आपत्तियां है-

1-उत्तर प्रदेश जिला पंचायत काउंसेल नियुक्ति नियमावली 1973 के नियम सं0 4 के अनुसार जिला पंचायत हेतु किसी भी अधिवक्ता की सेवाएं लेने के लिए यह जरूरी है कि उसका चयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए पैनल से ही किया जाये, परंतु जिला पंचायत मेरठ ने इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट महोदय से किसी प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त नही किया।

2-उपर्युक्त नियमावली के नियम सं0 7 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित पैनल में से जिन अधिवक्ताओं की सेवाएं प्राप्त की जाएगी, उनमें से ज्येष्ठ अधिवक्ता को प्रतिमाह रू0 750.00 का भत्ता और प्रति अभिवचन अधिकतम रू0 200.0 की दर से तथा कनिष्ठ अधिवक्ता को प्रतिमाह 500.00 का भत्ता तथा प्रत्येक अभिवचन के लिए अधिकतम 100.00 की दर से भुगतान किया जाएगा, परन्तु जिला पंचायत में उक्त दोनों नियमों सख्या 4 और 7 का अतिक्रमण करते हुए मनमानी दरों पर भुगतान कर जिला पंचायत कोष की क्षति कारित की गई है, जिसकी वसूली ब्याज सहित के लिए जिला पंचायत वित्त समिति, कार्य समिति और संपूर्ण जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरदायी अधिकारी-

1-तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।

2-तत्कालीन वी0पी0डी0।

3-अकाउंटेट।

(मूल आपत्ति सं0-72क)

प्रस्तरः-72. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला पंचायत मेरठ के कचहरी स्थित भवन निर्माण कार्य के संबंध में निम्न गंभीर आपत्तियां है-

1-यह भवन जिस भूमि पर बनाया गया है, उस पर जिला पंचायत के मालिकाना हक से संबंधित साक्ष्य बार-बार मांगने पर भी आॅडिट जांच दौरान प्रस्तुत नही किए गये। संज्ञान में आया है कि उक्त भूमि पर जिला पंचायत का कोई मालिकाना हक नही है, केवल इस पर कब्जा है, अतः जो भूमि जिला पंचायत की है ही नही उस पर अपनी विशाल धनराशि से ढाचा खडा करना अवैध है।

2-संपूर्ण भवन की इमारत का कभी एक साथ एस्टीमेट तैयार कर निर्माण हेतु निविदाये आंमत्रित नही की गई, बल्कि यह कार्य टुकडो में कराया गया, भूतल पर निर्माण कार्य, प्रथम तल पर निर्माण कार्य, साज-सज्जा, वाटर कूलर एवं जनरेटर सेट क्रय हेतु इस तरह कई बार टुकडों में विभाजित कर, अलग अलग नामों से संपूर्ण इमारत के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, जो कि गंभीर आपत्तिजनक है।
3-दूसरों की भूमि पर अपनी इमारत का नक्शा एम0डी0ए0 द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन करना और एम0डी0ए0 द्वारा बिना स्वामित्व के साक्ष्यों की पडताल किए ही इमारत का नक्शा स्वीकृत करना और कराना गैर कानूनी है।
4-इस भवन के टुकडों में कई बार तैयार कराये गये नक्शे, डिजाइन, तथा प्लान हेतु जो एस्टीमेट तैयार कराये गये वे जिस आर्किटेक्चर से तैयार कराई गई व अलग था और जिस अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता ने निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका/भुगतान हेतु बिल तैयार किये वह अलग थे, यह गंभीर अनियमितता रही।
5-कचहरी स्थित यह भवन निर्माण कब प्रारम्भ किया गया और 01.04.2016 से पहले इस पर कुल कितना खर्च आ चुका था, इस संबंध में बार-बार रिकार्ड मांगने पर भी प्रस्तुत नही किया गया।
6-वर्ष 2016-17 की कैशबुक में कचहरी स्थित इस भवन निर्माण पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	वाउचर नम्बर	धनराशि
1	01.09.2016	23	616800.00
2	03.09.2016	24	470800.00
3	03.10.2016	27	173295.00
4	26.10.2016	58	960000.00
5	26.10.2016	59	480700.00
6	20.01.2017	91	801000.00
7	16.03.2017	90	315550.00
8	16.03.2017	92	470000.00
		योग	**4288095.00**

इस प्रकार उपर्युक्त ढंग से जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षतिकारित किए जाने तथा पूर्णता मनमाने ढंग से दूसरों की भूमि पर ढाचा खडा करने के उपर्युक्त प्रकरण में जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति एवं समस्त जिला पंचायत का ध्यान आवश्यक वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-73ख)

प्रस्तरः-73. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान मुर्दा मवेशी के ठेकों से प्राप्त होने वाली रायल्टी के विषय में कई शासनादेशों में विशेषकर शासनादेश सं0 858/33-2-96-57डब्लू/91 दिनांक 30.03.1996 एवं शासनादेश सं0 11मु0म0 33/2-95-57डब्लू /91 दिनांक 30.04.1995 में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गये है, जिनमें व्यवस्था है कि पिछले 3 वर्षो की रायल्टी राशि के औसत राशि अथवा गत वर्ष की राशि, दोनों में से जो भी अधिक हो, उससे 10 प्रतिशत वृद्धि कर राशि ही किसी भी वर्ष में मुर्दा मवेशी ठेकों को राशि होनी चाहिए। इस आधार पर वर्ष 2016-17 में मुर्दा मवेशी ठेके से संपूर्ण जनपद में कुल रायल्टी राशि रू0 6734281.00 प्राप्त की गई थी, यह विवरण प्रकीर्ण मांगो के रजिस्टर (नियम संख्या 116 प्रपत्र 29 पर दर्ज लेखा बंदी विवरण) पर दर्ज है, परन्तु वर्ष 2017-18 में जैसा कि प्रकीण मांगो के रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 37 पर दर्ज लेखा बदी विवरण में दर्ज है, मुर्दा मवेशी ठेके से प्राप्त रायल्टी राशि केवल रू0 3233979.00 रही।
इस प्रकार वर्ष 2017-18 में मुर्दा मवेशी ठेके नीलामी में जिला पंचायत कोष को रू0 3500302.00 $ 673428.00 की गंभीर क्षतिकारित की गई, नीलामी करने वाले जिला पंचायत कार्मिकों/अधिकारियों से इस क्षति की वसूली ब्याज सहित हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों सहित समस्त जिला पंचायत सदस्यों/पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है। योग रू0 4173730.00

(मूल आपत्ति सं0-75)

प्रस्तर:-74. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 10.08.2017 को मेरठ-हापुड-बुलन्दशहर बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन मेरठ की ओर से 1. श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री दफेदार (अध्यक्ष) 2. हाजी इमरान पु श्री मजहर हसन उपाध्यक्ष, 3. अब्दुल खलिक पुत्र अब्दुल वहाब सदस्य के साथ जिला पंचायत मेरठ की ओर से एम0एम0ए0 द्वारा 28750.00 प्रतिमाह किराए पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु 3 वर्ष के लिए खसरा सं0 4227 एवं 4228 रकबा कुल 1300 वर्ग मीटर, निकट तिरंगा गेट, नौचन्दी को किराए पर देने का अनुबंध हुआ, परन्तु यह अनुबंध मात्र रू0 200.00 के स्टाम्प पेपर पर किया गया। इस तरह से राजकोष को स्टाम्प डयूटी की क्षति कारित की गई।

तीन वर्षो के लिए रू0 28750.00 प्रतिमाह की दर से यह अनुबंध हुआ तो उस पर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 अनुसूची 1 ख अनुच्छेद 35 के अनुसार 12.5 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी की दर से रू0 129375.00 स्टाम्प डयूटी देय थी परन्तु ऐसा न करके राजकीय कोष की क्षति की गई है। जिसकी वसूली ब्याज सहित के लिए दोषी जिला पंचायत के उच्चाधिकारी एवं अन्य पक्षों से वसूली ब्याज सहित के लिए जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत पदाधिकारियों तथा अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-75क)

प्रस्तर:-75. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 10.08.2017 को मेरठ-हापुड-बुलन्दशहर बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन मेरठ एवं जिला पंचायत मेरठ के बीच हुए अनुबंध/इस्ट्रूमेंटस, 3 वर्षो के लिए किया गया था तथा रू0 28750 प्रतिमाह की दर से तीन वर्षो के लिए था, इंडियन रजिस्ट्री एक्त 1908 की धारा 17(1)डी के प्रावधानों के अनुसार इसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी परन्तु ऐसा न करके 2 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क की दर से कुल रू0 20700.00 की राजकीय कोष की क्षति की गई, जिसके लिए दोषी जिला पंचायत के उच्च अधिकारी एवं बस आॅपरेटर्स यूनियन दोषी है। दोषी गणों से वसूली ब्याज सहित हेतु जिला पंचायत सदस्य, पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-75ख)

प्रस्तर:-76. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार जनपद में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल कार्यरत रह। ईंट भटटों की संख्या 237 थी, जबकि जिला पंचायत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल 143 भटटों से दर प्रति भटटा रू0 6000 सी0पी0 टैक्स वसूला गया, जिनका विवरण ब्लॉक वाइज निम्न प्रकार है-

क्रमांक	नाम ब्लॉक	ईट भटटों की संख्या जिन पर टैक्स लगया और वसूला गया रू0 6000.00 की दर से
1	मवाना	12
2	सरधना	17
3	सरूरपुर	15
4	जानी	5
5	परीक्षितगढ	15
6	खरखौदा	9
7	रोहटा	18
8	दौराला	9
9	हस्तिनापुर	13
10	रजपुरा	26
11	माछरा	4
12	मेरठ	0
	योग	143

इस तरह मेरठ के कर निर्धारण एवं वसूली ब्याज सहित कार्मिकों एवं उच्चाधिकारियों ने जनपद में कुल 94 भटटों पर सीपी टैक्स अवधारित और वसूल न करके कुल रू0 564000.00 की जिला पंचायत मेरठ को आर्थिक क्षतिकारित की है। इस

संबंध में दोषी कार्मिकों के प्रति वसूली ब्याज सहित कार्यवाही हेतु जिला पंचायत के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-76)

प्रस्तरः-77. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न पत्रांको के माध्यम से निम्न प्रकार धनराशि का प्रेषण विभिन्न तिथियों में जारी चैक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को नियमावली 2009 के प्रावधानों के परिपालन में किया गया है।

उक्त धनराशि का कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषण ठेकेदारों को संदेश बिलों से 1 प्रतिशत उपकर की कटौती के उपरान्त किया जाना था ताकि उक्त उपकर का वास्तविक बोझ मात्र ठेकेदारों पर ही पड़े। परन्तु बडे ही ताज्जुब की बात है कि ठेकेदारों के संदेश बिलों में पहले पूर्णतया अविधिक ढंग से 1 प्रतिशत उपकर राशि जोडकर तदुपरांत छदम ढंग से 1 प्रतिशत की काल्पनिक कटौती दर्शाकर ठेकदारों को उनके बिलों का भुगतान संपूर्ण आलोच्य अवधि वर्ष 2016-17 के दौरान किया जाता रहा। जिसके सार तत्व के रूप में 1 प्रतिशत उपकर कटौती का बोझ अंततः निम्न प्रकार जिला पंचायत कोष पर ही पडा जो कि क्षेत्र पंचायत कोष मेरठ की गंभीर क्षति है। ठेकेदारों के बिलों से 1 प्रतिशत उपकर की वास्तविक कटौती के स्थान पर यह दिखावटी कटौती ठेकेदारों को लाभ पहुचाने की मंशा से की गई है, विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0माह उपश्रम आयुक्त मेरठ को प्रेषित पत्रांक एवं दिनांक जिसके द्वारा उपकर राशि भेजी गयी	धनराशि रू0 में
1.अप्रैल 2017 पंत्राक-976 दिनांक 12.07.2017	36468.00
2.मई 2017 पंत्राक-976 दिनांक 12.07.2017	104348.00
3.जून 2017 पंत्राक-1207 दिनांक 09.08.2017	146813.00
4.जुलाई 2017 पंत्राक-1509 दिनांक 03.09.2017	122075.00
5.अगस्त 2017 पंत्राक-2059 दिनांक 06.11.2017	55564.00
6.सितम्बर 2017 पंत्राक-4824 दिनांक 03.10.2016	98701.00
7.अक्टूबर 2017 पंत्राक-4328 दिनांक 08.01.2018	140398.00
8.नवम्बर 2017 पंत्राक-4799 दिनांक 06.03.2018	4220.00
9.दिसम्बर 2017 पंत्राक-5095 दिनांक 03.04.2018	30522.00
10.जनवरी 2017 पंत्राक-5095 दिनांक 03.04.2018	64722.00
11.फरवरी 2017 -	-
12.मार्च 2017 पंत्राक-55 दिनांक 06.04.2017	363273.00
योग 705124.00	

ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से उनके संदेश बिलों से छदम कटौती दर्शाकर जिला पंचायत कोष मेरठ को कारित उक्त क्षति राशि रू0 705124 X 2 = 1410248.00 के संबंध में उत्तरदाई व्यक्तियों से स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

उत्तरदाई व्यक्ति-

1-तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।
2-वी0 पी0 डी0 तत्कालीन
3-तत्कालीन अवर अभियन्ता
4-जे0ई0 तत्कालीन
5-लेखाकार तत्कालीन
6-पटलधारी

(मूल आपत्ति सं0-77)

प्रस्तरः-78. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत में तैनात रहे कार्मिकों की पेंशन भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग से निम्न प्रकार फंड ट्रांसफर करना कैशबुक में दर्शित है-

दिनांक	बाउचर सं0	धनराशि
14.07.2017	56	3000000.00
20.12.2017	61	4000000.00

योग 7000000.00

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1972 तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केंद्रीय संक्रामय संवर्ग सेवानिवर्त लाभ नियमावली 2001 के नियम संख्या 11 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करके यह धनराशि ट्रांसफर की गई है। नियम संख्या 11 के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी प्रत्येक महीने उस निधि से संबंध कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन देय हो, फाइनेंसियल हैडबुक के नियम संख्या 116 के अधीन उसे जिला पंचायत पेंशन निधि एवं परिक्रामी निधि के नाम जमा कराएगें। क्योंकि जिला पंचायत कार्मिकों को वेतन जिला निधि से देय होता है। अतः पेशंन अंशदान भी जिला पेशंन निधि से देय था। बजाय जिला निधि के, राज्य वित्त आयोग से पेंशन अंशदान जुटाना राज्य वित्त आयोग के अनुदान का गंभीरतम दुरूपयोग है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 102(3) बी का भी उल्लघंन है। अस्तु यह राज्य वित्त आयोग के अनुदान की क्षति का प्रकरण होने के कारण इसमें क्षतिपूर्ति कराई जानी अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 175, 176 तथा 177 में व्यवस्था अनुसार निहित प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति तथा समस्त सदस्यों का ध्यान विशिष्ट रूप से आकृष्ट किया जाता है कि वे अपने दायित्व निर्वहन के उपरान्त अपनी कार्यवाही से डी0एम0 महोदय को दो प्रतियों में अवगत कराये जो मामले को मंडलायुक्त के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आयुक्त ग्राम्य विकास एवं शासन को प्रेषित कर सके।

उत्तरदायी व्यक्तियों/पदाधिकारी/अधिकारी-

1-ए0एम0ए0।

2-वी0पी0डी0।

3-लेखाकार।

(मूल आपत्ति सं0-77क)

<u>प्रस्तरः-</u>79. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत में सितम्बर 2016 में की गई 6 कार्मिकों की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में निम्न प्रकार कार्मिकों के भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग की क्षतिकारित की गई-

क-यूपी0 जिला पंचायत सर्विस रूल्स 1970 के नियम सं0 5(1), 5(2) क, ख एवं ग का उल्लघंन करते हुए नियुक्तियां की गई है। नियम 5(1) के क्रम में जिला पंचायत में रक्षित अधिष्ठान पत्रावली (एस्टेब्लिशमेंट्स फाइल) बार-बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नही की गई।

ख-यूपी जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 22 एवं 25 का उल्लघंन करके, जिला सेवायोजन कार्यालय/उप संभागीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ से अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आंमत्रित/एकत्रित नही किए गये। और न ही किसी स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत किया गया।

ग-नियमावली की अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट कम्प्यूटर पद हेतु वांछित योग्यता का भी ध्यान नही रखा गया।

घ-इस भर्ती द्वारा राज्य वित्त आयोग अनुदान की निम्न धनराशि की क्षतिकारित की गई

तिथि	कैशबुक पृष्ठ सं0 जिस पर व्यय दर्ज है।	धनराशि
06.04.2017	02	137034.00
06.05.2017	09	137034.00
03.06.2017	15	137034.00
03.07.2017	25	139819.00
04.08.2017	35	137034.00
01.09.2017	41	138671.00
04.10.2017	48	137472.00
01.11.2017	64	137472.00
01.12.2017	70	137472.00
01.01.2018	79	159250.00
12.02.2018	90	160710.00

28.03.2018	116		160710.00
		योग	1719712.00

इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति/पदाधिकारी
1-तत्कालीन ए0एम0ए0।
2-तत्कालीन वी0पी0डी0 ।
3-तत्कालीन एकाउन्टेट।

(मूल आपत्ति सं0-78)

<u>प्रस्तर:-</u>80. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा जांच दौरान उपलब्ध कराए गये वर्गीकृत आंकडो के सार पत्र वर्ष 2017-18 के अनुसार मेला मखदूमपुर आयोजन पर कुल रू0 3659652.00 खर्च किए गए।
उक्त धनराशि व्यय के संबंध में निम्न गंभीर आपत्तियां है-
1-जिला पंचायत मेरठ की आर्थिक स्थिति ठीक नही है, जिला पंचायत की अपने निजी स्ा्रोतों से जो आमदनी होती है, वह उसके अपने भारी भरकम स्टाफ के मात्र वेतन हेतु ही अपर्याप्त रहती है, जिला पंचायत कार्मिकों को वर्ष में जितना केवल भुगतान किया जाता है वह जिला पंचायत की अपने निजी स्ा्रोतों से आय के लगभग बराबर ही होती है।
इस पर तुर्रा यह है कि जिला पंचायत कार्मिकों को अपनी पेशंन तथा अन्य अनुतोष खर्चो के लिए राज्य वित्त आयोग के अनुदान का सहारा लेना पडता है, यह परजीवी जैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में भी जिला पंचायत मेरठ द्वारा मेलों के आयोजन जैसा अनुपयोगी कार्य करना उचित नही था, परन्तु परजीवीपन स्थिति में भी जिला पंचायत मेरठ द्वारा यह फिजूल खर्ची की गयी।
2-उक्त मेला आयोजन से वर्ष में कोई एक नया पैसा भी आय मद में अर्जित नही हुआ। जबकि वाहन पार्किंग तथा व्यापारिक गतिविधियों एवं विभिन्न संस्थाओं के स्टालों पर शुल्क का प्रावधान कर आय अर्जित की जा सकती थी। इसमें कुछ भी अनियमितता/अवैधानिकता नही थी परन्तु ऐसा नही किया गया।
3-उक्त मेले पर तमाम व्यय बिना एस्टीमेट के किए गए।
4-तमाम व्यय सामान्य मितव्ययिता की समझ (बेसिक इकोनामिक इंटीयूशन) की अवहेलना कर लापरवाही पूर्ण ढंग से किए गए।
5-गंगा तट पर किया गया किसी भी प्रकार का जनता का संगम गंगा में प्रदूषण को बढावा देने वाला होता है, इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहंुचती है।

अतः इस प्रकार के आयोजनों से पूर्व जिला पंचायत गंगा प्रदूषण के पक्ष पर गंभीरता से विचार करे तथा आलोच्य वर्ष में इस प्रकार के अनावश्यक आर्थिक और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले आयोजनों के लिए उत्तरदायी जिला पंचायत के अधिकारियों तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्त समिति, कार्य समिति एवं जिला पंचायत सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-79)

<u>प्रस्तर:-</u>81. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में संपत्ति एवं विभव कर नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति एवं विभव कर के रूप में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शराब की दुकाने एक महत्वपूर्ण आय का श्रोत होती है। प्रत्येक जिला पंचायत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कार्य करने वाली शराब की दुकानों पर विभव कर का अवधारण किया गया है। जिला पंचायत की उप विधियों के अनुसार देशी मदिरा और विदेशी मदिरा की प्रत्येक दुकान पर पर रू0 6000.00 और बीयर की दुकार पर रू0 3000.00 तथा मा ॅडल शा ॅप पर रू0 6000.00 की दर से यह कर अवधारित और वसूलने का प्रावधान किया गया है।

परन्तु यह चैकाने वाला तथ्य है कि जनपद में वर्ष 2017-18 के दौरान मदिरा की जितनी दुकाने कार्यरत रही, उनके सापेक्ष जिला पंचायत ने बहुत कम दुकानों पर अपना कर अवधारित कर लापरवाही का परिचय दिया है, और लापरवाही के कारण जिला पंचायत कोष की अपूर्णनीय क्षति हुई है। जिला पंचायत के टैक्स अवधारणा रजिस्टर की समीक्षा से यह अंतर सामने आता है।
निम्न तालिका से जिला पंचायत द्वारा अपने टैक्स रजिस्टर में दर्ज टैक्स अवधारित मदिरा दुकानों एवं जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रही दुकानों की सूचना में चैकाने वाला अंतर का विवरण स्पष्ट होता है-

आइटम	उन दुकानो की सं0 जिन पर जिला पंचायत ने कर अवधारित किया	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्यरत रही बताई दुकानों की संख्या	दोनो में अंतर	जिला पंचायत द्वारा दुकानो की अंतर संख्या पर टेक्स्ट छोडकर जिला पंचायत को कारित क्षति धनराशि रू0
देशी मदिरा	45	180	135	810000
विदेशी मदिरा	40	105	65	390000
बीयर	53	98	45	135000
मॉडल शॉप	-	1	1	6000
			योग	1341000

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यरत रही सूचित की गई मदिरा दुकानों और जिला पंचायत द्वारा टैक्स अवधारित दुकानों की संख्या में अंतर के परिणाम स्वरूप जिला पंचायत कोष को बडी धनराशि से वंचित रखा गया है।

अतः जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्यसमिति और समस्त जिला पंचायत का ध्यान इस ओर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

दोषी अधिकारि गण-1 तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी।

2-तत्कालीन कार्याधिकारी।

(मूल आपत्ति सं0-80)

प्रस्तर:-82. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में कतिपय निम्न तिथियों में चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आय पक्ष में आमद दर्ज की गई है-

दिनांक	धनराशि	चेक/डिमांड ड्राफ्ट माध्यम से धनराशि लाकर जमा करने वाले जिला पंचायत कार्मिक का नाम	टिप्पणी
29.04.2017	11004	अनिल रस्तौगी	किराया चेक के जरिये
29.04.2017	6000	अनिल रस्तौगी	टैक्स चेक के जरिये
04.09.2017	30000	अनुज पंवार	किराया चेक के जरिये
11.09.2017	10000	अनुज पंवार	किराया चेक के जरिये
13.03.2017	6000	अनिल रस्तौगी	टैक्स डिमांड ड्राफ्ट के जरिये
		योग	**633004**

चेक्स एवं डिमांड ड्राफ्ट के जरिये टैक्स और किराया वसूली ब्याज सहित की यह प्रक्रिया अत्यन्त जोखिम पूर्ण है, क्योकि चेक बाउंस होने की स्थिति में तथा किसी अन्य कारण से डिमांड ड्राफ्ट का भी भुगतान न होने की स्थिति में जिला पंचायत को आर्थिक क्षति होगी, जिसके लिए कर संग्रहकर्ता तथा अकाउटेंट और अन्य जिम्मेदार अधिकारी उत्तरदाई होगें।

अतः उक्त प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि टैक्स और किराए जो टैक्स और डिमांड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त किये गये उनका नकदीकरण हुआ अथवा नही। प्रकरण की ओर उच्चाधिकारियों, वित्त समिति कार्य समिति और जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-80ख)

प्रस्तर:-83. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत मेरठ के कचहरी स्थित भवन निर्माण कार्य के संबंध में निम्न गंभीर आपत्तियां है-

1-यह भवन जिस भूमि पर बनाया गया है, उस पर जिला पंचायत के मालिकाना हक से संबंधित साक्ष्य बार-बार मांगने पर भी आॅडिट जांच दौरान प्रस्तुत नही किए गये। संज्ञान में आया है कि उक्त भूमि पर जिला पंचायत का कोई मालिकाना हक नही है, केवल इस पर कब्जा है, अतः जो भूमि जिला पंचायत की है ही नही उस पर अपनी विशाल धनराशि से ढाचा खडा करना अवैध है।

2-संपूर्ण भवन की इमारत का कभी एक साथ एस्टीमेट तैयार कर निर्माण हेतु निविदाये आंमत्रित नही की गई, बल्कि यह कार्य टुकडो में कराया गया, भूतल पर निर्माण कार्य, प्रथम तल पर निर्माण कार्य, साज-सज्जा, वाटर कूलर एवं जनरेटर सेट क्रय हेतु इस तरह कई बार टुकडों में विभाजित कर, अलग अलग नामों से संपूर्ण इमारत के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, जो कि गंभीर आपत्तिजनक है।

3-दूसरों की भूमि पर अपनी इमारत का नक्शा एम0डी0ए0 द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन करना और एम0डी0ए0 द्वारा बिना स्वामित्व के साक्ष्यों की पडताल किए ही इमारत का नक्शा स्वीकृत करना और कराना गैर कानूनी है।

4-इस भवन के टुकडों में कई बार तैयार कराये गये नक्शे, डिजाइन, तथा प्लान हेतु जो एस्टीमेट तैयार कराये गये वे जिस आर्किटेक्चर से तैयार कराई गई व अलग था और जिस अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता ने निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका/भुगतान हेतु बिल तैयार किये वह अलग थे, यह गंभीर अनियमितता रही।

5-कचहरी स्थित यह भवन निर्माण कब प्रारम्भ किया गया और 01.04.2016 से पहले इस पर कुल कितना खर्च आ चुका था, इस संबंध में बार-बार रिकार्ड मांगने पर भी प्रस्तुत नही किया गया।

6-वर्ष 2017-18 की कैशबुक में कचहरी स्थित इस भवन निर्माण पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	वाउचर नम्बर	धनराशि
1	20.06.2017	25	50000.00
2	20.06.2017	26	50000.00
3	20.06.2017	27	35000.00
4	27.06.2017	109	533000.00
5	14.07.2017	53	1019115.00
6	01.11.2017	14	966300.00
7	08.12.2017	60	38214.00
		योग	**2691629.00**

इस प्रकार उपर्युक्त ढंग से जिला पंचायत कोष की गंभीर क्षतिकारित किए जाने तथा पूर्णता मनमाने ढंग से दूसरों की भूमि पर ढाचा खडा करने के उपर्युक्त प्रकरण में जिला पंचायत की वित्त समिति, कार्य समिति एवं समस्त जिला पंचायत का ध्यान आवश्यक वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-86)

प्रस्तर:-84. जिला पंचायत मेरठ वर्ष वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य निमयावली 1984 के नियम सं0 39 में यह प्रावधान है कि अंतिम भुगतान से पूर्व रू0 5.00 लाख से 10.00 लाख तक के व्यय पर परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं 10.00 लाख से अधिक के व्यय पर अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, जिसका अनुपालन जिला पंचायत, मेरठ द्वारा नही कराया गया है।

आलोच्य वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत मेरठ द्वारा 5.00 से 10.00 लाख तक के भुगतान (निर्माण कार्य से सम्बन्धित) योग रू0 64490242 एवं वर्ष 2017-18 में रू0 198545211 किया गया है, जिसका परीक्षण उक्त नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा नही कराया गया है, जो कराया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त भुगतान को गंभीर अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत मेरठ 10 लाख से ऊपर के भुगतान (निर्माण कार्य से सम्बन्धित) योग रू0 30275677.00 एवं वर्ष 2017-18 में रू0 55349319.00 किया गया है, जिसका परीक्षण उक्त

नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) द्वारा नही कराया गया है, जो कराया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त भुगतान को गंभीर अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-88)

प्रस्तर:-85.जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 द्वारा विभिन्न प्रकार के कर टैक्स राजस्व के रूप में प्राप्त किए जाते हैं जिससे जिला पंचायत कीआर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके। राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि की वसूली ब्याज सहित यथा समय कर ली जानी चाहिए, जिससे जनोउपयोगी कार्यों को कराया जा सके जिला पंचायत के संपत्ति व विभव कर रजिस्टर व कर निर्धारण सूची की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत विभव व संपत्ति का आरोपण (निर्धारण व वसूली ब्याज सहित) नियमावली (1994 के अध्याय 03 (तीन) के अनुसार संपत्ति व विभव कर की वसूली ब्याज सहित नहीं की जा रही है। आलोच्य वर्ष 2021-22 में संपत्ति व विभव कर को बकाया अंकन रुपए रू0 342.45 लाख अवशेष धनराशि रही। वर्षान्तमें वसूली ब्याज सहित हेतु रु.342.45 लाख धनराशि का विशेष रहना अधिकारियों की वसूली ब्याज सहित के प्रति शिथिलता का घोतक है बकाया धनराशि की वसूली ब्याज सहित हेतु ठोस कार्यवाही करने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। संस्था स्तर पर इतना अधिक बकाया अनियमित रहा, जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी, श्री सुनिल गुप्ता तथा कर निरीक्षक श्रीमती एकता पंडित का रहा।

(मूल आपत्ति सं0-24)

प्रस्तर:-86. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 में पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या -1066/33-3-2021-38/2021 दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में एल0इ0डी0 लाइट लगाने का कार्य कर सकती है। उपरोक्त तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा लगाई लाने वाली एल0इ0डी0 लाइट की जियो-टैगिंग की जाएगी ताकि डुप्लीकेसी को रोका जा सके। लगाई गई एल0इ0डी0 स्ट्रटी लाइट में विघुत बिल का भुगतान तथा इनका मेन्टीनेन्स (गारण्टी अवधि के पश्चात्) सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरणानुसार एल0ई0डी0 स्ट्रटी लाइट का कार्य कराया गया है –

क्रम सं	ऐक्टिविटी कोड	ऐक्टिविटी नेम	Total Expenditure (in Rs.)
1	55385847	विकास खंड सरधना के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	177000
2	55389000	विकास खंड दौराला के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	4696400
3	55383753	विकास खंड रोहटा के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	3131720
4	55374784	विकासखंड जानी के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल 0 ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	5011460
5	55385735	विकास खंड सरूरपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0 ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	2505140
6	55385672	विकास खंड परीक्षितगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	1168200
7	55377369	विकास खंड खरखौदा के विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	495600
8	55990060	विकास खण्ड मेरठ में विभिन्न ग्राम पंचायत में एल0ई0डी0 कार्य	1711000
9	55518606	विकास खंड हस्तिनापुर के विभिन्न ग्राम पंचयातों मे एल0ई0ड़ी लाइटस की स्थपना कार्य	1557600

10	55515824	विकास खंड माछरा के विभिन्न ग्राम पंचयातों मे एल0ई0ड़ी0 लाइटस की स्थापना कार्य	3755940
		योग-	**24210060**

शासनादेश के अनुसार उपरोक्त कार्यो में लेखा परीक्षा के अनुसार निम्न कमियां पायी गयी-

1- जिला पंचायतें एल0ई0डी0 लाइटों क्रय अनिवार्यत: जैम पोर्टल से करेगी। जिसका पालन नहीं किया गया है।

2. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है तथा ई.ई.एस.एल.,एल.इ.डी. लाइट की स्थापना में दक्षिता भी रखती है। अत: पंचायतें ई.ई.एस.एल.से लाइट के क्रय अथवा क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही की जायेगी जिससे न कर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया गया है।

3-कराये गये कार्यो के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जिससे पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश सं0 1570 /33-3-2021-38 /2020 दिनांक 24 अगस्त 2021 के अनुपालन में 45 वाट एल0ई0डी0 लाईट के दर की जांच नहीं की जा सकी।

इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का पालन न कर रू0 24210060.00 का अनियमित व्यय किया गया है व्यय प्रमाणक तकनीकी तथा वित्तीय स्वीक़ति सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन अपर मुख्य अधिकारी एंव लेखाकार का दायित्व निर्धारण किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं0-49)

प्रस्तर:-87.जिला पंचायत मेरठ की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार वर्ष की कुल आय रू0 2835.07 लाख दर्शित है, जबकि आलोच्य वर्ष में विभिन्न मदों के अर्न्तगत सरकार से प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0 2266.45 लाख एवं निजी स्रोत से प्राप्त धनराशि अंकन रू0 575.46 लाख रही। इस प्रकार संस्था की कुल आय रू0 2841.91 लाख रही। अंतर की धनराशि रू0 6.84 लाख को कम अंकित करा गया, जो कि गंभीर आपत्तिजनक रहा। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी आपेक्षित है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री सुनील गुप्ता व लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार से की जानी आपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-43)

प्रस्तर:-88. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 में पंचायती राज अनुभाग दो के शासनादेश संख्या 866 /33-2-14-93जी/2004 टीसी दिनांक 24 जून 2014 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या (03) के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदान उसे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएंगे। साथ ही तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतिक्रमण की संभावना व्यक्त करते हुए अतिक्रमण की दशा में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में अन्तरिम आपत्ति के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त कार्य बोर्ड द्वारा पारित है संस्था का उत्तर मान्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से सम्बन्धित विषयों को शामिल करते हुये प्रत्येक वर्ष एक जिला विकास योजना तैयार किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को जिला पंचायत से स्वीकृत कराने हेतु, जिला पंचायत को योजनाओं को समेकित करना था। राज्य सरकार ने जनवरी 2005 और जून 2014 में निर्देश जारी किये कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्यों का चयन संबंधित पंचायत की बैठकों में प्रस्तावों की स्वीकृति के द्वारा नियमानुसार किये जायेंगे और ऐसे प्रकरण अध्यक्ष या पंचायत के कुछ सदस्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायतों द्वारा संसाधनों के उपभोग हेतु वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक योजना तैयार करने के स्थान पर केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान के प्रत्येक किश्त (वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त दो किश्तों एवं राज्य सरकार से प्राप्त दो किश्तों) हेतु अलग से कार्ययोजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को भी शामिल करते हुए वार्षिक जिला विकास योजना समेकित किया जा रहा था।

क्रमांक	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	योजना	धनराशि

1	55316849	थिरेट में ट्रांसफार्मर से रमन के खेत तक नाला निर्माण	पन्द्रहवां वित्त	457856
2	55274705	फिटकरी मेन रोड से नाला तक नाला निर्माण	पन्द्रहवां वित्त	770489
3	55274326	अरनावाली में राजवीर पुत्र सोहन सिंह के खेत से तालाब तक नाला निर्माण	पन्द्रहवां वित्त	418779
4	55326451	कुसेड़ी मे तालाब से मांगे के खेत होता हुआ ज़ोहरा की सीमा तक नाला निर्माण	पन्द्रहवां वित्त	3434076
5	55362057	कुसेड़ी मे ओपेन जिम खेल उपकरण स्थापना कार्य	पन्द्रहवां वित्त	638159
6	55311475	कुसेडी में ओपेन जिम खेल के मैदान पर इण्टर लार्किंग टाइल्स ट्रैक निर्माण	पन्द्रहवां वित्त	840000
7	54517131	बिजोली ऋषि त्यागी के खेत से राजेश्वर के खेत की ओर मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	922043
8	55490763	नंदपुरा मे अरुण के खेत से सुभाष के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	859320
9	55251059	दादरी कपिल के खेत से रामवीर के खेत की ओर मिट्टी खडन्जा	पंचम वित्त	872641
10	55523683	खेड़ी कला उर्फ देवली जैनपुर मे मुराद अली के खेत से आबिद के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	311669
11	54809880	जयसिंहपुर के शमशान तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	620229
12	54436270	पीरपुर सुभाष के खेत से राकेश के खेत की ओर मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	635588
13	54436171	दादरी राकेश के खेत से रिंकू के खेत की ओर मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	809739
14	54482100	जानी कला मे लियाकत के बाग से कब्रिशतान तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	319715
15	54481394	कलीना मे महिपाल के खेत से माया मास्टर के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	590352
16	54519000	मसूरी कुलदीप के खेत से सोनू के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	175924
17	54482213	शेखपुरी मे बृजेश के खेत से विनोद के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	419027
18	54475128	रिठाली के देवेंद्र के खेत से नरेश नाले तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	739900
19	54516180	नेक के रविंद्र पुत्र हरपाल के खेत से शेंकी पुत्र प्रेमपाल के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	509316
20	54475300	ग्राम डाहर के कब्रिस्तान से सतीश के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	166395
21	55311932	कुसेडी में विनोद के मकान से तालाब तक सीसी0	पंचम वित्त	539840
22	55326325	अस्सा में मुकेश के घर से बलेन्दर के घर तक सीसी0	पंचम वित्त	263200
23	55326344	अस्सा में आनन्द के घर से अनिल के घर तक सीसी0 कार्य	पंचम वित्त	1002739
24	54475300	ग्राम डाहर के कब्रिस्तान से सतीश के खेत तक मिट्टी खड़ंजा	पंचम वित्त	166395
25	55311997	कुसेडी में शिव मंदिर के पास से वेदपाल के मकान तक सीसी0 कार्य	पंचम वित्त	85680
26	54516544	सोलाना रफीक के खेत से रकावत प्रधान के खेत की ओर सी सी	पंचम वित्त	649600
27	55366366	कुसेडी में कब्रिस्तान की चार दिवारी निर्माण कार्य	पंचम वित्त	137760
		योग-		**17356431.00**

लेकिन इस योजना में वित्त आयोग के अनुदान से कराये गये कार्यों के साथ अपने स्वयं के संसाधनों से कराये गये कार्यों को शामिल नहीं किया गया था । साथ ही योजनायें, योजना समितियों के माध्यम से नहीं बनायी गयी थी इस प्रकार किया गया कुल व्यय रू0 17356431.00 अनियमित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार मालवीय व लेखाकार श्री राजपति मौर्याका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तरः-89. जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 में दुकान किराए की स्थिति निम्नवत रही-

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	वर्ष की मांग	4472591.00
2	अवशेष / विगत मांग	3042349.00
3	कुल मांग	7514940.00
4	वसूली ब्याज सहित	3527744.00
5	शेष	3987196.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष के अंत में रू0 3987196.00 अवशेष रहा। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित न कर अनियमितता की गयी है, जिसका उत्त्रदायित्व कर निरिक्षक एंव अपर मुख्य अधिकारी का है।

(मूल आपत्ति सं0-27)

प्रस्तरः-90- जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश सं0 682 बी /3-3-314 (2) /84 दिनांक 20-03-1987 एंव 2203/3-2-797-43 बी)8) दिनांक 30-05-1982 के प्रावधानों के क्रम में जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत आय ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु देय है जिला पंचायत मेरठ में इस मद के अर्न्तगत रू0 1921946.00 प्राप्त हुये किन्तु उक्त आय का 50 प्रतिशत जिला पंचायत स्थित ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित नहीं किया गया हैा इस प्रकार नियमविरूद्व तरीके से धनराशि को रोक कर रू0 960973.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये जिला पंचायत मेरठ के अपर मुख्य अधिकारी श्री सुनील गुप्ता व कर अधिकारी श्रीमती एकता पण्डित उतरदायी है।

(मूल आपत्ति सं0-38)

प्रस्तरः-91- जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 के मृत पशु शव निस्तारण पंजिका (मुर्दा मवेशी) की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष मेंरू0 4762140.15 ज्ञात वर्षों तथा रू01615000.00 वर्ष की मांग सहित कुल मांग अंकन रू0 6377140.75 के सापेक्ष रू01921946.00 की वसूली ब्याज सहित की गई। वर्ष में रू0 83.40 लाख की धनराशि अवशेष रही। इस प्रकार समिति पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने से अनियमित रूप से रु 83.40 लाख की धनराशि बकाया हो गई। उक्त अमित अनियमितता के लिएअपर मुख्य अधिकारी व कर अधिकारी उत्तरदाई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा प्रदत्त वर्गीकृत सार पत्र मेंमृत पशु निस्तारण से प्राप्त धनराशि रू0 1921946.00 अंकित है, जबकि मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर अनुसार यह धनराशि रु 1836250.00 है । अंतर रू0 85696.00 की धनराशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी तथा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-16)

प्रस्तरः-92- जिला पंचायत मेरठ वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार रू0 5.00 लाख से अधिक की लागत से सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जसने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा रू0 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। किन्तु निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नही कराया गया। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	मद	धनराशि (लाख में)
1	किनौनी में फक्कर शमाशान घाट तक नाला निर्माण कार्य	टाईड	38.86
2	सालेनगर से तालाब से गंगनहर की साईफन तक नाला निर्माण	टाईड	29.21
3	कुसेडी में तिवारी रोड से ईलम सिंह के खेत तक नाला निर्माण	टाईड	36.93
4	झुनझुनी में अशोक के प्लाट से तालाब तक नाला निर्माण	टाईड	10.29
5	मजक्कीपुर में ज्ञानवीर के खेत से कतलू के खेत तक नाला निर्माण कार्य	टाईड	37.99

6	कसेडी से हरिन्द्र के खेत से बिरम सिंह के खेत के आखिरी कोने तक नाला निर्माण	टाईड	32.45
7	अलीपुर में तालाब से शमशान घाट की ओर नाला निर्माण	टाईड	26.59
8	अलीपुर में इकबाल के खेत से पुराने नाले की ओर नाला निर्माण	टाईड	75.16
9	आखेपुर में मंगते के घर से नई जोहडी की ओर नाला निर्माण	टाईड	16.17
10	राधिना में इन्द्र के घर से तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य	टाईड	10.55
11	सुल्तानपुर में जयफार के खेत से वकील के खेत तक नाला निर्माण	टाईड	11.09
	योग-		325.29

(मूल आपत्ति सं0-46)

जनपद -अमरोहा मण्डल -मुरादाबाद

प्रारूप - 4

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियां

जनपद -अमरोहा **अनुभाग**

. पंचायत

(1)जिला पंचायत -अमरोहा वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-01- वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत अमरोहा में मुर्दा-मवेशी से आय रू0 548162.00 की हुई है। उ.प्र. शासनादेश संख्या 2967/11/32-2002 दिनांक 07.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि रू0 274081.00 ग्राम पंचायतों को नहीं दी गयी है, जो दी जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 274081.00

प्रस्तर-02- आलोच्य वर्ष में तेरहवां वित्त अनुदान खाते पर ब्याज से आय रू. 83252.00 की हुई है। वर्षान्त में दि. 31.03.2020 को 13वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर ब्याज का अवशेष रू. 2334996.00 था जिसे राज्य कोष में जमा नहीं किया गया। शासनादेश सं. ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दि0 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। राज्य कोष में ब्याज राशि जमा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसका दुरूपयोग किये जाने की संभावना है। यह योजना बन्द हो चुकी है। शासनादेश का पालन न करने के लिए अपर मुख्य विकास अधिकारी व वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी हैं। उक्त ब्याज राज्यकोष में शीघ्र जमा किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि – 2334996.00

प्रस्तर-03- आलोच्य वर्ष 2019-20 में मृत पशु शव निस्तारण का गत वर्ष का बकाया रू. 1309813.00 था जिसमें चालू मांग रू. 210000/- जोड़ने पर कुल मांग रू. 1519813.00 के सापेक्ष वसूली रू. 568162.00 मात्र की ही हुई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2020 को कुल उक्त मद का बकाया रू. 951651.00 रहा। जिसकी अविलम्ब शत प्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित है। बकाया वसूली में लापरवाही करने के लिए सम्बन्धित कार्मिकों का दायित्व निर्धारण करके उनके विरूद्ध उचित कार्यवही की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 951651.00

प्रस्तर-04- सम्पत्ति एवं विभव कर की विकास खंडोवार कुल बकाया निम्नलिखित विवरणानुसार है-

विकासखण्ड	कर बकाया	उत्तरदायी व्यक्ति
1- जोया	3983274.00	श्रीहेतराम, अनुभाग, मु.लि.
2- गजरौला	2192420.00	श्री राहुल, प्रथम श्रेणी लिपिक
3- गंगेश्वरी	1394223.00	श्री राहुल व जबर सिंह कर निरीक्षक
4- धनौरा	2133443.00	श्री राहुल व जबर सिंह कर निरीक्षक
5- अमरोहा	1475048.00	श्री हनुमान मिश्रा, कर निरीक्षक
6- हसनपुर	1807326.00	श्री राजाराम, कर निरीक्षक
योग	**12985734.00**	

उक्त बकाया राशि में विगत कई वर्षो से बकाया चली आ रही बड़ी धनराशियां भी है। अविलम्ब कारगर कार्यवाही करते हुए उक्त बकाया रू0 12985734.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 12985734.00

प्रस्तर-05- मासिक लेखा प्रपत्र(ड़) में दिनांक 31.03.2020 को दर्शित अन्तिम शेष राशियों के विवरण में रू. 2269873.00 तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज दर्शाया है। किन्तु इस राशि को कुल अन्तिम राशियों के योग में नहीं जोड़ा गया। अपितु इसके स्थान पर रू. 2334996.00 अन्तिम शेष के विवरण में लिखकर जोड़ा गया है। अन्तर रू. 65123.00 का है। वास्तव में यह रू. 65123.00 बारहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की अपयुक्त अवशेष राशि है जिसे सरकार को वापिस न करके 13वां वित्त आयोग से प्राप्त ब्याज की अवशेष राशि रू. 2269873.00 में अनियमित रूप से जोड़कर रू. 2334996.00 दिखा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.03.2020 के लेखा प्रपत्र में यह प्रारम्भिक शेष राशियों के विवरण में रू. 65123.00 लिखा तो है किन्तु मद का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रपत्र में अन्तिम शेष की राशियों को अलग-अलग उपरोक्तानुसार दर्शाया जाना व रू. 65123.00 12वां वित्त आयोग से प्राप्त अवशे, राशि सरकार को वापिस किया जाना अपेक्षित है। वास्तविक स्थिति को छुपाने व 12वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को सरकार को वापिस न करके 13वां वित्त आयोग की जमा राशि के ब्याज में मनमाना जोड़ने के लियें संस्था के लेखाकार श्री राजीव कुमार, वित्त परामर्शदाता श्री शशिकांत राय व अ.मु.अ. श्री हरमीक सिंह उत्तरदायी हैं। उनके विरूद्ध इस प्रति समुचित कार्यवाही एवं अभिलेखों में सुधार करते हुए रू. 65123.00 सरकार को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि – 65123.00

प्रस्तर-06- जिला पंचायत द्वारा तिगरी मेले में नाव, मल्लाह, गोताखोर, जाल, ट्यूब हेतु रू. 289000.00 का भुगतान मै. शिव गंगा फर्म के श्री धर्मपाल को भुगतान किया गया है। यह फर्म दिनांक 30.09.2019 को निरस्त हो चुकी है, तब फिर बिना जी.एस.टी. पंजीकरम का नवीनीकरण कराये फर्म को उक्त राशि का भुगतान

करके वस्तु एवं सेवा कर की सरकार का हानि पहुंचायी गयी है। अविलम्ब रू. 289000.00 पर जी.एस.टी. रू. 34680.00 की हुई हानि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार अथवा अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 34680.00

प्रस्तर-07- वर्ष 2019-20 में लाईसेंस शराब ठेके की स्थिति निम्न प्रकार है-

1- विदेशी शराब दुकान 12 दिये गये लाईसेंस (1920)-8

2- बियर दुकान 24 दिये गये लाईंसेंस (2019-20)-15

उपरोक्तानुसार विदेशी शराब दुकान के 4 व बियर की दुकान के 9 लाईंसेंस जारी न करने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार जिला पंचायत को विदेशी शराब व बियर बिक्री के लाईसेंस सभी दुकानों को न देकर आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमन्त्री विवाह योजना के अन्तर्गत 9 विवाह कराये गये। जिसमें कुर्सी व टैंट इत्यादि के खर्च रू. 35934.00 के बिल का मै. यश टैंट हाउस को भुगतान किया गया है। विवरण निम्न अनुसार है-

दिनांक 02.03.2020 बिल रू. 13585.00

जी.एस.टी.रू. 815.00

कुल रू. 14400.00

दिनांक 01.01.2020 बिल रू. 27170.00

जी.एस.टी. रू. 1630.00

कुल रू.- 28800.00

कुल योग रू. (14400.00+28800.00) 43200.00

इस प्रकार मै. यश टैंट हाउस को रू. 2445.00 जी.एस.टी का भुगतान किया गया। जबकि यह फर्म कम्पोजिशन फर्म में है जो जी.एस.टी चार्ज नहीं कर सकती व फर्म बिल इनवाईस पर जी.एस.टी जोड़ नहीं सकती। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रति श्री हरमीक सिंह अ.मु.अ. उत्तरदायी हैं।

धनराशि – 2445.00

प्रस्तर-09- 31.03.2020 को रोकड़वही शेष 252325601.38 के विपरीत खातो का अवशेष 252325961.38 आ रहा है। इस प्रकार 360.00 के अंतर को खोजकर सुधार कराया जाना अपेक्षित है।

धनराशि – 360.00

प्रस्तर-10- मेला खाते पर ब्याज अवशेष साल के प्रारम्भ में शून्य था दौरान साल ऑडिट मेल खाते पर ब्याज रूपया 71319.00 प्राप्त हुआ जबकि व्यय मात्र 11रू. करा रहा। इस प्रकार 31.03.2020 को ब्याज अवशेष रूपया सेविंग 71308.00 कम रहा जबकि मासिक लिखा प्रपत्र ड़ में दिनांक 31.03.2020 को अवशेष मेला खाते पर ब्याज रू. 118383.00 दिखाया गया है इस प्रकार अंतर की राशि 47075.00 से ब्याज अवशेष अधिक दिखाया गया है। अंतर को खोजकर हिसाब में सुधार किया जाना अपेक्षित है|

धनराशि – 47075.00

प्रस्तर-11- मासिक लिखा प्रपत्र ड़ में दिनांक 31.03.2020 को दर्शित अंतिम शेष राशियों के विवरण में रु0 2269873.00 को 13वां वित्त आयोग के प्राप्त ब्याज की लिखी धनराशि के नीचे बिना किसी मद का नाम लिखे दर्शाया गया है| इस राशि को अंतिम शेष के कुल योग में नहीं जोड़ा गया है स्थिति स्पष्ट करते हुए इस रकम को अंतिम से हटाया जाना अपेक्षित है।

धनराशि – 2269873.00

प्रस्तर-12- राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अनुदान गत वर्ष का शेष 19999982.00 इस मद में अनुदान नहीं प्राप्त हुआ किंतु साल के आखिर में दो करोड़ अवशेष दिखाया है। इस प्रकार रू. अंतर 18.00 बढा हुआ दिखाया गया है। अंतर की राशि 18.00 रू. सुधार की जाए।

धनराशि – 18.00

प्रस्तर-13-(1) कृषि भूमि मांग रजिस्टर को देखने से ज्ञात हुआ की कुल कृषि फार्म 21 जिला स्तर पर हैं जिसमें से वर्ष 2019-20 में केवल 6 कृषि फार्म दिनांक 31.03.2021 तक के लिए ठेके पर दिए गए थे परन्तु ठेके से सम्बन्धित समाचार विज्ञापन प्रकाशन के प्रमाण पत्र सम्बन्धित समाचार पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(2) दिनांक 22.04.2019 को विज्ञापन पर व्यय रूपया 193030.00 का भुगतान साथ अलग-अलग समाचार पत्रा में किया गया है। समाचार पत्रों की प्रतियां ऑडिट के दौरान देखने को नहीं मिली।

(3) अप्रैल 2019 में विज्ञापन पर व्यय 26412.00 किया गया सम्बन्धित समाचार पत्रों की प्रतियां ऑडिट दौरान नहीं पायी गयी तथा विज्ञापन वास्तव में हुआ है अथवा नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

धनराशि – 219442.00

प्रस्तर-14- दिनांक 19.04.2019 को टेंडर्स बिक्री से प्राप्त आय पर जी.एस.टी का भुगतान रू0 23892.00 किया गया है पुष्टि हेतु कोषागार में जमा चालान आदि देखने को नहीं मिला था कोषागार में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

धनराशि – 23892.00

प्रस्तर-15- गंगा मेला तिगरी 2019-20 में एक ही प्रकार के निम्नलिखित तीन कार्य हेतु निवेदन आमन्त्रण व अन्य औपचारिकता एक साथ पूर्ण नही की गयी जो कि तीनों कार्यों की लागत रु0 2172600.00 है-

1- 30 फीट चौड़ी गंगा घाट रोड अस्थाई क्रॉस पुल- 667700.00
2- 40 फीट चौड़ी गंगा घाट रोड अस्थाई क्रॉस पुल- 821600.00
3- 30 फीट चौड़ी गंगा घाट रोड अस्थाई क्रॉस पुल- 683300.00

जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली के नियम-16 के अनुसार रू. 10 लाख से अधिक की आंकलन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है जिला पंचायत द्वारा तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ना लेनी पड़े जिला पंचायत के ही तकनीकी स्वीकृति कर्ता ने कार्य को तीन भाग मे तोड़कर कराकर शासनादेश उक्त का उल्लंघन किया है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध इस प्रति नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 2172600.00

प्रस्तर-16- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत के द्वारा अपंजीकृत विक्रेताओं से निम्न सामान खरीदा गया-

1- आकाश इलेक्ट्रानिक्स से क्रय दिनांक 18.12.2019 2170.00
2- आकाश इलेक्ट्रानिक्स से क्रय दिनांक 18.12.2019 1000.00
3- मै. सक्सेना जनरल ऑर्डर सप्लायर दिनांक 23.12.2019 5000.00
4- आकाश इलेक्ट्रानिक्स से क्रय दिनांक 18.12.2019 2950.00
5- मै. ऐ.एस. इंटरप्राइजेज दिनांक 03.05.2019 4200.00

जिला पंचायत द्वारा उक्त सामान जी.एस.टी में पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीद जाना चाहिए था। ऐसा ना करके 18 प्रतिशत की दर से रु0 2758.00 की राजस्व की हानि हुई है। 40 लाख से अधिक टर्न ओवर के विक्रेताओं का जी.एस.टी पंजीकरण अनिवार्य है अपंजीकृत से माल खरीदने के लिए संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह उत्तरदायी हैं। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 2758.00

प्रस्तर-17- वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लाक गजरौला की कुभराला ग्राम पंचायत में सम्पर्क मार्ग से अशोक के घर तक चिकन वाला मार्ग की ओर मिट्टी उठाने का कार्य कराया गया है मिट्टी उठाने की दर 02 किलोमीटर पर 117.70 पैसे थी इस पर 264 घन मीटर मिट्टी डालनी थी जिस पर 12.5 प्रतिशत डिडक्शन उपरान्त 232

घन मीटर मिट्टी डालनी थी| इस प्रकार 3954.00 अधिक का भुगतान किया गया है। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 3954.00

प्रस्तर-18- ब्लाक गंगेश्वरी के अलीपुर मिलक रोड में अवशेष खड़ंजा कार्य पर 02 किलोमीटर की दूरी पर 207.70 पैसे प्रति घन मीटर चार्ज किया गया है जबकि दर रु0 117.70 थी| इस प्रकार 10520.00 का अधिक भुगतान किया गया है इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

धनराशि – 10520.00

प्रस्तर-19- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या पंचायती राज अनुभाग दो लखनऊ दिनांक 24.04.2014 के द्वारा प्रस्ताव 3 में जिला पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह क्षेत्र पंचायत को जोड़ने वाले कार्य सम्पादित करेंगे यह पुनः निर्देश प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अनुभाग तीन दिनांक 31.07.2015 को जारी किया गया है परन्तु वर्ष दौरान निम्नलिखित -12 कार्यों को निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। निम्नवत् वर्णित कार्य पंचायत के अंदर ही कराए गए हैं-

1- ब्लाक जोया के मीरपुर में तोताराम के मकान से कब्रिस्तान की ओर खड़ंजा कार्य- 425488/-
2- ब्लाक जोया के ग्राम सिवारा में सिवारा जोगीपुरा मार्ग से असद अली के मकान तक सीसी रोड कार्य- 40000/-
3- ब्लाक जोया में ग्राम कटाई में चमुंडा की दीवार चार दीवारी मिट्टी कार्य- 383936/-
4- ब्लाक जोया के ग्राम हसनपुर में अवशेष खड़ंजा कार्य- 157582/-
5- ब्लाक हसनपुर के ग्राम भदौरा में रोड से संजीव के घर तक की ओर सीसी कार्य- 342000/-
6- ब्लाक हसनपुर के ग्राम हरियाणा में तालाब की ओर दीवार का निर्माण कार्य- 672000/-
7- ब्लाक धनौरा के ग्राम पर खालसा में जयपाल प्रजापति के मकान से अमीर हुसैन के कुएं तक बख्तियारपुर की ओर मिट्टी खड़ंजा कार्य- 629888/-
8- ब्लाक धनौरा के ग्राम कंजार बसेड़ा में मुकेश जाट के मकान से धारा सिंह के मकान की ओर मिट्टी खड़ंजा कार्य- 252336/-
9- ब्लाक अमरोहा में ग्राम दौलतपुर सम्पर्क मार्ग पर हरि सिंह जाटव के मकान से राकेश जाटव के मकान तक मिट्टी खरंजा - 154448/-
10- ब्लाक अमरोहा के ग्राम सोनपुर में सचिन के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड बरनाली निर्माण - 846000/-

11-ब्लाक गंगेश्वरी के ग्राम संतालपुर में वृद्धि गावं संरक्षम केंद्र की बांउड्री वालों का निर्माण- 763616/-

12-ब्लाक जोया में ग्राम फैय्याजनगर में प्रदीप के मकान से देवेन्द्र के मकान से होते हुए हरिओम के मकान तक सीसी नाली कार्य- 996800/-

धनराशि – 5664094.00

(2)जिला पंचायत -अमरोहा **वर्ष – 2020-21**

प्रस्तर-20- आलोच्य वर्ष 2020-21 में डी.पी.आर.सी मद में रू. 200.00 लाख वर्ष के प्रारम्भ में था। आलोच्य वर्ष के मासिक लेखा परीक्षा के अनुसार डी.पी.आर.सी अनुदान ब्याज रू. 1372502.00 भर दर्शित है मासिक लेखा प्रपत्र के अनुसार ब्याज पक्ष में निर्माण कार्य में डी.पी.आर.सी मद में कोई व्यय नहीं दिखाया गया है। आलोच्य वर्षान्त दिनांक 31.03.2021 को डी.पी.आर.सी मद में अवशेष रू. 200.00 दर्शित है। आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.03.2021 डी.पी.आर.सी मद में ब्याज अवशेष रू. 2095143.00 अवशेष दर्शित है। ब्याज की धनराशि संस्था द्वारा व्यय दर्शित नहीं है। शासनादेश संख्या- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। राज्य कोष में ब्याज राशि जमा न करके शासनादेश के लिए इस राशि का दुरूपयोग किये जाने के लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी होंगे। उक्त ब्याज राज्य कोष मं शीघ्र जमा किया जाना अपेक्षित है। अप्रयुक्त अवशेष अनुदान रू. 200.00 लाख दार्शितको नियमानुसार सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अ.मु.अ. श्री हरमीक सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री शक्तीकान्त राय जिम्मेदार हैं। (आ.सं.-75)

धनराशि – 2095143.00

प्रस्तर-21- वर्ष 2020-21 में संस्था द्वारा रू. 509550.00 विभिन्न ठेकेदारों को जमानत वापसी की गयी है। अभिलेख सूची आदि की अनुपलब्धता में यह राशि अपुष्ट रही। अपुष्ट होने गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए लेखाकार जिम्मेदार हैं। (आ.सं.-96)

धनराशि – 509550.00

प्रस्तर-22- मृत पशु शव निस्तारण में आलोच्य वर्ष 2020-21 में गत वर्षों का बकाया रू. 09.00 लाख में 9.51 लाख दर्शित है। यह अन्तर 51000/- किस प्रकार सम्भव हुआ। संस्था द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर/

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभिलेखों में वांछित सुधार अपेक्षित है। लेखा परीक्षण में अपेक्षित सुधार की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। जिसके लिए पटल कार्मिक जिम्मेदार है।(आ.सं.-94)
धनराशि – 51000.00

प्रस्तर-23- जिला पंचायत में वाहन किराये पर लिया हुआ है। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु स्वीकृति तथा चीप की लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की गयी है। वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत किराया बिल 455999.00 में वाहन नम्बर तथा वाहन का स्वरूप अंकित नहीं है। किराये पर लिये वाहन की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके लिए पटल कार्मिक जिम्मेदार है।(आ.सं.-4)
धनराशि – 455999.00

प्रस्तर-24- लेखा परीक्षा में बैंक पासबुकें अथवा स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक में जमा दिखायी धनराशि एवं संस्था के अभिलेखों में जमा धनराशि मध्य अन्तर की जांच हेतु बैंक के स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट अथवा पासबुक का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए लेखाकार जिम्मेदार है।(आ.सं.-10)

प्रस्तर-25- दिनांक 31.03.2021 को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रू. 114704470.00 खर्च होने से बाकी रह गया था। जबकि प्राप्त अनुदान की राशि दौरान साल ही समयान्तर्गत खर्च की जानी चाहिए थी। अनुदान दौरान साल खर्च न किये जाने से जिला पंचायत क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है। शर्तों के अनुसार अनुदान का उपयोग न हो पाने पर शेष अनुदान सरकार को वापस किया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए पटल कार्मिक जिम्मेदार है।(आ.सं.-19)
धनराशि – 114704470.00

प्रस्तर-26- जिला पंचायत में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से अनुदान खाते से जिला निधि खाते में वेतन/ पेंशन मद में रू. 15547113.00 ट्रांसफर किया गया। जबकि जिला निधि खाते में दिनांक 31.03.2021 को अवशेष पर्याप्त धनराशि थी। जिला निधि खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद राज्य वित्त अनुदान की राशि वेतन मद में ट्रांसफर किया जाना आपत्तिजनक है। इस प्रकार मनमाने ठंग से राज्य वित्त की धनराशि का दुरूपयोग किया गया। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है ताकि पुनरावृत्ति न हो सके। जिसके लिए अ.मु.अ. श्री हरमीक सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री शक्तीकान्त राय जिम्मेदार हैं। (आ.सं.-20)
धनराशि – 15547113.00

प्रस्तर-27- शासनादेश संख्या 1848/33320153/2015 दिनांक 31.07.2020 के प्रस्तर में निर्देश है कि जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में रू. 1000000.00से अधिक की परियोजनाएं ही आर्थिक रूप से सम्मिलित की जाये। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के पैरा-16 में दी गयी वयवस्था के अनुसार रू. 1000000.00 से अधिक खर्च वाले कार्यों (एस्टीमेट कार्य) की स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी अपरिहार्य है। जिला पंचयात द्वारा अधिकांश कार्य 10लाख की लागत से कम के 17693753.00 के कार्य ग्राम पंचायतों के भीतर/ अंदर ही कराये गये हैं। जिसके लिए अ.मु.अ. श्री हरमीक सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री शक्तीकान्त राय एवं कार्य योजना प्रस्तावक जिम्मेदार हैं।(आ.सं.-21)

धनराशि – 17693753.00

प्रस्तर-28- आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों की लागत पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दर 1% से 1454095.00 लेवर सैस काटा गया है। काटी गयी राशि को उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में यह राशि उक्त बोर्ड को भेजे जाने के प्रमाण में अधिकृत बैंक की रसीद देखने को नहीं मिली। बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। (आ.सं.-22)

धनराशि – 1454095.00

प्रस्तर-29- आलोच्य वर्ष में रायल्टी की कटौती 875268.00 की गयी थी। किन्तु इसे कोषागार में जमा की पुष्टि में चालान आदि कोई प्रमाणक ऑडिट में देखने को नहीं मिला। इसे कोषागार में जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। (आ.सं.-23)

धनराशि – 875268.00

प्रस्तर-30- वर्ष 2020-21 में उपलब्ध करायी गयी निर्माण कार्यों की पत्रावलीयों के अनुसार टी.डी.एस 2377153.00 काटा गया था। लेखा परीक्षा में टी.डी.एस कटौती की राशि कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/ इश्यू चैक नम्बर/ बैंक स्टेटमेंट/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। कोषागार में टी.डी.एस जमा की पुष्ट करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने पर सम्बन्धित ए0 एम0 ए0/आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व निर्धारित करके उनसे इस राशि की नियमानुसार वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.-24)

धनराशि – 2377153.00

प्रस्तर-31- वर्ष 2020-21 में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलीयों की जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा जी.एस.टी चार्ज किया गया था। यह जी.एस.टी. विक्रेता द्वारा नियमानुसार कोषागार में जमा किया गया

अथवा नहीं इसके प्रमाण में संस्था स्तर पर की साक्ष्य नहीं पाया गया। विक्रेता से साक्ष्य प्राप्त कर काटे गए जी.एस.टी. को कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न कराए जा सकने की दशा में उक्त राजस्व की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ.सं.-25)

प्रस्तर-32- आलोच्य वर्ष में 13वां वित्त अनुदान खाते पर ब्याज से आय रू. 81203.00 की हुई है। वर्षान्त में दि. 31.03.2021 को 13वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर ब्याज का अवशेष रू. 2416199.00 था जिसे राज्य कोष में जमा नहीं किया गया। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की याय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। राज्य कोष में ब्याज राशि जमा न करके शासनादेश के विपरीत इस राशि का दुरूपयोग किये जाने के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरमीक सिंह व वित्त परामर्शदाता श्री शक्तिकान्त राय उत्तरदायी होगें। उक्त ब्याज राज्य कोष में शीघ्र जमा किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.-28)
धनराशि – 81203.00

प्रस्तर-33- वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत अमरोहा में मुर्दा-मवेशी से आय रू. 618131.00 की हुई है। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या- 2967/11/32-2002 दिनांक 07.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि रू. 309065.50 ग्राम पंचायतों को नहीं दी गयी है, जो दी जानी अपेक्षित है। (आ.सं.-29)
धनराशि – 309065.50

प्रस्तर-34- आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत अमरोहा द्वारा मासिक लेखा प्रपत्र के अनुसार प्रकीर्ण व्यय रू0 2993533.00 किया गया है। इसमें मुकदमा व विज्ञापन आदि पर हुआ व्यय सम्मिलित है। प्रकीर्ण व्यय का विवरण नहीं दिया गया है। विधिक व्यय व विज्ञापन आदि के व्यय अलग- अलग दिखाया जाना अपेक्षित है।
धनराशि – 2993533.00

प्रस्तर-35- वर्ष 2020-21 में संस्था द्वारा निर्गत चैक जो रद्द हुए हैं उन पर बैंक द्वारा रू. 79438.00 की बड़ी रकम चार्ज की गयी है। संस्था का यह व्यय किन कारणों से हुआ तथा चैक रद्द होने के लिए कौन अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ.सं.-39)
धनराशि – 79438.00

प्रस्तर-36- आलोच्य वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित कतिपय निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित एस्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया है।

पत्रावली में संलग्न विचलन चार्टों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि एस्टीमेट में नाली निर्माण सीसी कार्य निर्माण, क्रासिंग तथा पटरी पर मिट्टी कार्य, लोपन कार्य की नाप जोख हमेशा अधिक दिखाया जाता है। परन्तु ये कार्य अनुमानित कार्य से काफी कम किये जाते हैं या किये ही नहीं जातें हैं। इस प्रकार न किये गये /कम किये गये कार्यों का समायोजन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मनमाने तरीके से सी.सी. वर्क, अपरलेखन इत्यादि के साथ दिया। सी.सी. वर्क 1-6-12 एवं सीसी वर्क 1-1-5-3 के साथ दिखा दिया जाता है। अधिकांश निर्माण कार्यों में विचलन 10 प्रतिशत से अधिक कई गुना अधिक है। जबकि मूल स्टीमेट के 10 प्रतिशत की ही स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। अतएव निम्न विवरणानुसार बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्टीमेट धनराशि से अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली ए.एम.ए., ए.इ. एवं. जे.इ. से किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.-40)

निम्नांकित निर्माण कार्यों में अनुमानित मात्रा से अधिक प्रयुक्त मात्रा दर्शाकर अतिरिक्त अधिक धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया है।

कार्य 1- निर्माण कार्य ब्लाक गजरौला के ग्राम द्वोया में पुरानी सी.डी में प्रा.वि. की ओर (विचलन)

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	एम-150	199949.63	21707390	17124.27	8.56
2	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	128306.64	143767.80	15461.16	12.05
3	आर सी सी इन एम-30	2811.40	5020.35	2208.95	78.57
4	स्परेंडिग सैंड	1272.20	2655.02	1382.82	108.69
	योग			36175.00	

कार्य 2- निर्माण कार्य ब्लाक धनौरा के ग्राम कुआंखेड़ा मे बाजार से धनौरा-अमरोहा मुख्य मार्ग की ओर

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	एम-150 ब्रिक वर्क	167748.00	243134.75	75386.75	44.94
2	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	184974.24	199106.16	14131.92	7.64
	योग			89518.00	

कार्य 3- निर्माण कार्य ब्लाक गजरौला के ग्राम आलमपुर में शिव मन्दिर से ग्राम सैमला की ओर

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	137751.24	172451.00	34700.16	25.19
2	सी सी इन एम- 30	510914.25	590065.41	79151.16	15.49

	योग			113851.32	

कार्य 4- निर्माण कार्य ब्लाक गजरौला के ग्राम सादरपुर सम्पर्क मार्ग प्रा.वि. से गांव की ओर

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	सी सी इन एम- 30	452524.05	528171.80	75647.75	16.72
2	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	122010.24	158074.62	36064.38	29.56
	योग			111712.00	

कार्य 5- निर्माण कार्य ब्लाक अमरोहा के ग्राम बादशाहपुर में नौंगावां मार्ग से बादशाहपुर की ओर

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	197392.14	208200.96	10807.86	5.4
2	कन्स्ट्रक्शन आफ इमप्रूव	7096.01	7922.88	826.87	11.65
3		157064.03	165351.60	8287.55	5.28
4	एम /ओ	44677.99	47005.50	2327.57	5.2
	योग			22248.00	

कार्य 6- निर्माण कार्य ब्लाक धनौरा के ग्राम कोगल में मुख्य मार्ग से राधा स्वामी सत्संग की ओर

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	210159.84	222577.74	12417.90	5.90
2	एम- 150	14038.13	147328.68	6290.55	4.46
	योग			18708.00	

कार्य- निर्माण कार्य ब्लाक गजरौला के ग्राम सादरपुर में डामर रोड से

क्रमांक	कृत कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	कृत कार्य	(अन्तर) अधिक भुगतान	प्रतिशत
1	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-3	102316.50	153037.50	50721.00	49.57
2	सी सी इन एम- 30	379536.30	556718.12	177181.82	46.48
3	कन्स्ट्रक्शन आफ इमबैंकमेंट	36784.80	46809.44	10024.00	27.25

धनराशि – 630138.00

प्रस्तर -37 सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रदत्त ठेकेदार द्वारा जमा की गयी अनुबन्ध की राशि में संस्था द्वारा एफडीआर जमा किया जाना ठेकेदार द्वारा दर्शित है परन्तु ठेकेदारो द्वारा जमा अनुबन्ध राशि एवं एफडीआर दर्शित की पुष्टि में एफडीआर नहीं पायी गयी तथा यह अनुबन्ध राशि को सरकारी ट्रेजरी में न जमा करवाकर राजस्व की क्षति करायी गयी। जो गम्भीर अनियमितता है। ब्लाक गजरौला के ग्राम आलमपुर में शिव मंदिर के ग्राम सैदाना की ओर सम्पर्क मार्ग पर सीसी नाली निर्माण कार्य/ ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध राशि रू. 126600/- एफडीआर से 4804886900 दिनांक 05.05.2000 द्वारा जमा दर्शित। परन्तु यह एफडीआर रू. 330000/- में से 126600/- किस बैंक द्वारा निर्गत, एफडीआर इत्यादि विवरण, पुष्टि में एफडीआर अनुपलब्ध अप्राप्य रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त एफडीआर भी संस्था के पास अनुबन्ध के तहत जमा करायी गयी है। जो कि अनियमित है। उक्त से संबंधित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।अन्यथा की दशा में उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | (आ.सं.-42)

धनराशि – 126600.00

प्रस्तर -38 आलोच्य वर्ष 2020-21 में संस्था द्वारा विभिन्न प्रमाणकों द्वारा क्रय किये गये डीजल, पेट्रोल एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री पर रू. 237375.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित (व्यय) स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक लेखा परीक्षा में पुष्टि कराये जाने हेतु अपेक्षित है। यात्रा के प्रयोजन के अभाव में दर्शित भुगतान वापिसी योग्य है। (आ.सं.-44)

धनराशि – 237375.00

प्रस्तर -39 जिला पंचायत अमरोहा द्वारा अपनी सम्पत्ति को किराये पर दिया हुआ है जिसका दिनांक 31.03.2021 को निम्नलिखित विवरण अनुसार दुकानों आदि का किराया बकाया है-

क्रमांक	सम्पत्ति का नाम व पता	किरायेदार का नाम	किराया बकाया
1	जूनियर हाई स्कूल	श्री रमेश चन्द्र पुत्र राम रक्षपाल निवासी गजरौला	2400.00
2	जूनियर हाई स्कूल	ज्येष्ठ हाट निरीक्षक गजरौला	37319.00
3	जूनियर हाई स्कूल	ज्येष्ठ हाट निरीक्षक गजरौला	16894.00
4	जूनियर हाई स्कूल	श्री नरेन्द्र प्रकाश पुत्र किशन लाल गजरौला	2400.00
5	पाउण्ड इन्द्रा चौक गजरौला	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह	25913.00
6	पाउण्ड इन्द्रा चौक गजरौला	श्री राम रक्षपाल पुत्र रामनाथ यादव तिगरी	19354.00
7	पाउण्ड इन्द्रा चौक गजरौला	श्री जफर मलिक पुक्ष श्री जुम्मा खाँ गजरौला	15000.00
8	कन्या प्रा.पा. गजरौला स्थित दुकान	मौ. यामीन पुत्र अब्दुल गनी, गजरौला	13990.00
9	कन्या प्रा.पा. गजरौला स्थित दुकान	श्री मनोज कुमार व मुकेश कुमार पुत्रगण तुलाराम	4800.00

10	पाउण्ड थाना रोड गजरौला स्थित दुकान	श्री केसरी सिंह पुत्र सुखराम सिंह	33000.00
11	पाउण्ड थाना रोड गजरौला स्थित दुकान	श्री साजिद हुसैन पुत्र शरीफ अहमद निवासी जोया हाल मौ. जलालपुर गजरौला	7500.00
12	पाउण्ड थाना रोड गजरौला स्थित दुकान	श्री कृष्ण कुमार वर्मा पुत्र प्यारे लाल गजरौला	41722.00
13	पाउण्ड थाना रोड गजरौला स्थित दुकान	श्री जनम सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम गढ़ीपुर अमरोहा	24600.00
14	पाउण्ड थाना रोड गजरौला स्थित दुकान	श्री भगतराम पुत्र लाल सिंह गजरौला	105925.00
15	प्रा.पा. रजबपुर स्थित दुकान, प्लाट	श्री जयपाल सिंह पुत्र उदयराम नि. रजबपुर	3000.00
16	जिला पंचायत के जू.हा.स्कूल का भवन मो. जट बाजार नियाजयान अमरोहा	मैनेजर शर्मा देवी इ.का. अमरोहा	112350.00
17	कन्या जू. हा. स्कूल धनौरा मौ. कंचन बाजार स्थित आवास का एक कमरा	श्रीमती रितिका पत्नी अमित राव, सुभाष नगर, मण्डी धनौरा	13500.00
18	जन चिकित्सालय बछरायूँ के भवन का एक कमरा	श्री सुरेश लाल गोरखा पुत्र श्री श्याम लाल मौ. शिवपुरी धनौरा	9420.00
		योग	492298.00

उपरोक्त बकायेदार, किरायेदारों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करके दुकानों का बकाया किराया रू0 492298.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.-35)

धनराशि – 492298.00

प्रस्तर-40 वर्ष ऑडिट में 15वां वित्त आयोग से रू. 142320372.00 अनुदान प्राप्त हुआ था। पूर्व की कोई धनराशि शेष नहीं थी। इस प्राप्त राशि में से मात्र रू. 10327863.00 ही व्यय किया गया था। वर्षान्त में रू. 131992509.00 की बड़ी धनराशि अप्रयुक्त अवशेष रही। इतनी बड़ी धनराशि का अप्रयुक्त रहना स्पष्ट करता है कि क्षेत्र के विकास में संस्था के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी की रूचि नहीं रही। शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त रही धनराशि को सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है |(आ.सं.-13)

धनराशि – 131992509.00

प्रस्तर-41 31.03.2021 को संस्था में जमानत मद में रू. 2319796.00 जमा दिखायी है। वर्षान्त में इस राशि की पुष्टि हेतु कोई विवरण पत्र अथवा सूची नहीं बनायी गयी। सूची के अभाव में दर्शित अवशेष ऑडिट में अपुष्ट रहा। इस जमा जमानत की राशि को सम्बन्धित जमा कर्ताओं द्वारा प्रमाणित भी नहीं कराया गया है। जो अद्यावधि खाता बनाकर प्रमाणित कराया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.-30)

धनराशि – 2319796.00

प्रस्तर-42 मेला अनुदान राज्य सरकार से संस्था को रू. 6207000.00 प्राप्त हुआ था। गतवर्ष का मेला अनुदान अवशेष रू. 415649.00 था। इस प्रकार कुल मेला अनुदान उपभोग किए जाने हेतु रू0 6622649.00 अनुदान था। जिसमें से रू. 5990485.00 वर्ष ऑडिट में व्यय दिखाये हैं। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को रू. 632164.00 अनुदान अप्रयुक्त शेष रहा। इस अवशेष अनुदान को नियमानुसार सरकार को वापस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। (आ.सं.-26)

धनराशि – 632164.00

प्रस्तर-43 विभव तथा सम्पत्ति कर से आय वर्ष 2020-21 में रू. 3705805.00 हुई है। जबकि बजट में अनुमान रू. 6800000.00 का था। इस प्रकार अनुमान से लगभग आधा रु0 3094195.00 ही विभव तथा सम्पत्तिकर वसूल होना संस्था के सम्बन्धित कार्मिको की अकमर्णयता दर्शाता है। कर वसूली में तेजी लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ.सं.-27)

धनराशि – 3094195.00

जनपदः- बिजनौर **मण्डलः-मुरादाबाद**

जिला पंचायतः- बिजनौर **वर्षः- 2020-21**

प्रस्तर संख्या-1. उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी-33-314(2)84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/03-02-797-48(पी) (87)/95टी.पी. दिनांक 30.05.1997 एवं शासनादेश संख्या 2957/1-33-2-20045 सा०/04/01/02 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2020-2021 में रूपये 7.21 लाख की आय में ग्राम पंचायतों को उनका अंश नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा पहुँचाई जा रही है। उपरोक्त के लिए जिला पंचायत प्रबन्ध समिति उत्तरदायी है। समुचित कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-2.रोकड़ बही वर्ष 2020-2021 की जांच करने पर पाया गया कि 31 मार्च 2021 को समाधान विवरण में रोकड़ बही एवं बैंक अवशेष में जनवरी 2003 से पूर्व का अन्तर रूपये 3577457.70 दर्शाया जा रहा है। यह अन्तर विगत वर्षों से यथावत दर्शाया जा रहा है। निरन्तर आपत्ति के उपरान्त भी अन्तर का समाधन नहीं किया गया है। अन्तर के समाधान हेतु जिला पंचायत की प्रबन्ध समिति एवं उच्चधिकारियों का ध्यान पुनः विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

जिला पंचायतः- बिजनौर **वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-3. दिनांक 31.03.2022 को संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची एवं विनियोग पंजिका के अनुसार रू 146500665.00 का विनियोजन, विनियोजन रजिस्टर में दर्शित है। इसकी सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही अतः पुष्टि अपेक्षित है। उक्त विनियोजन राशि रूपये 146500665.00 को संस्था की वार्षिक विवरणियों (नियम 22 प्रपत्र (ड) फार्म ई के अन्तर्गत शामिल नही किया गया हैं और इसका कारण भी अवगत नही कराया गया है। यह स्थिति अनियमित है। जो संस्था वित्तीय हितों के विपरीत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-4. उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 682पी-33-314(2)84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/03-02-797-48 (पी) (87)/195 टी0पी0 दिंनाक 30.05.1997 एवं शासनादेश सं0 2957/1-33-2-20045 सा0/04/01/02 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित दिया गया था कि मृत पशु निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रति वर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2021-22 में रूपये 7.91 लाख की आय मे ग्राम पंचायतों को रू0 3.61 लाख उनका अंश नही दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा हैं और दूसरी तरफ ग्राम पंचायातों के विकास कार्यो में बाधा पहुचाई जा रही है। उपरोक्त के लिए

अध्यक्ष जिला पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं

प्रस्तर संख्या-5. वर्ष 2021-2022 त्रैमास-चतुर्थ के साथ संलग्न प्रपत्र-5 के अनुसार अन्योदय/स्थानीय विकास/स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाकर्ता वितरित ऋणों में दिनांक 31.03.2022 को रू0 19.09 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। उक्त जॉच एवं पुष्टि हेतु कार्य विवरण पत्र, बैलेन्स बुकें, लेजर आदि अप्राप्त रहे। अतः उक्त राशि की पुष्टि एंव पूर्व वर्षो में उक्त वितरित ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी ठोस कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। गत वर्षो में अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी,लेखाकार व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6. निर्माण पत्रावली वर्ष 2021-22 संख्या 926/8.09.2021 विकास खण्ड नजीबाबाद में ग्राम संगूरपुर बेहडा में नाईवाला मार्ग पर सेरीकल्चर सेन्ट तक 600 मीटर खंडजा निर्माण/मिटटी कार्य में निम्न कमियॉ पायी गईः-

(अ) टेण्डर की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 24.12.2021 से 23.02.2022 तक थी। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की सीमा 23.02.2022 से 20.07.2022 किये जाने के सम्बन्ध मे तिथि रहित प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर पटल सहायक/अभियन्ता के हस्ताक्षर भी तिथि रहित है।

(ब) प्रार्थना पत्र जिला पंचायत कार्यालय की डाक पंजिका में पंजीकृत नही है।

(स) अभियन्ता जिला पंचायत के पत्र संख्या 12 दि0 02.04.2022 द्वारा ठेकेदार कार्य समय से पूर्ण न करने के सम्बन्ध में लिखा गया है।

(द) ठेकेदार द्वारा अन्तिम देयक भुगतान हेतु 22.08.2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(य) उक्त समय सीमा बढाये जाने की स्वीकृति भी कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा 22.08.2022 को प्रदान की गई है।

उक्त से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा समय सीमा के अन्दर कार्य सम्पन्न नही किया गया है। जिला पंचायत प्रशासन द्वारा उसे अनावश्यक रूप से कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरान्त समय सीमा बढाने को अनुमति प्रदान की गई जबकि ठेकेदार ने अपने प्रार्थना पत्र में तर्कसंगत कारण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का उल्लेख नही किया है।

अतः निविदा की शर्तो के अनुरूप ठेकेदार श्री जतिन की जमानत राशि 101000.00 जब्त न कर जिला पंचायत प्रवन्ध द्वारा ठेकेदार को अनावश्यक लाभ पहुचाया गया तथा जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुचाई गई है।

(र) ई-टेन्डर पर निविद मैसर्स जतिन कान्ट्रेक्टर के नाम है। जबकि भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल उदयवीर सिंह कान्ट्रेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किये गये है।

(ल) ई-टेन्डर पर ठेकेदार का जी0एस0टी0 नं0 जी0एस0टी0नम्बर 9एफएफजीपीएस – 9032क्यू1जेडएफ अंकित हैं जबकि उदयवीर सिंह के बिलों पर जी0एस0टी0 नं0 9एफएफजीपीएस -9032 क्यू 1जेएफ अंकित है। उक्त से प्रतीत होता हैं कि ठेका किसी के नाम हुआ तथा कार्य किसी अन्य से सम्पन्न कराया गया।

उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी,लेखाकार व वित्तीय परामर्शदाता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7. कतिपय निर्माण पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा स्टोन ब्लास्ट, स्टोन ग्रिट, स्टोन चिपिंग व कोर सैण्ड का प्रयोग सी0सी0 निर्माण कार्य में किया गया है। किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत विल्स मय रवन्ने के नही हैं तथा ठेकेदार द्वारा विल्स न प्रस्तुत कर स्टाम्प पर रायल्टी की देय राशि विल्स के कटे जाने की मांग की गई है तथा रायल्टी उनके विल्स से काटी गई है।

(अ) डब्लू पी एम 32 मौ0पुर देवमल के लावलपुर में सी0सी0 कार्य (20024 रू0 कटौती)

(ब) डब्लू आर 305 मौ0पुर देवमल में इस्लामपुर दास में तालाब की दीवार निर्माण (14638 रू0 कटौती)

उक्त स्थिति आपत्तिजनक रही। यह रायल्टी जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा करने की स्थिति अज्ञात रही। बिना विल्स के वैध खरीद व सामान की गुणवत्ता की पुष्टि की नही होती।अत: उक्त रायल्टी की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8. आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यो की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिमय निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर करवाये गये है। जबकि प्रमुख सचिव वित्त के शासनादेश संख्या 1838-33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य नही करवाये जायेगें अतः यह स्थिति शासनादेश का उल्लघंन है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी,लेखाकार तथा वी पी डी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्रमांक	निर्माण कार्य का स्थल कार्य का नाम	भुगतान तिथि	निर्माण कार्य पर व्यय हुई धनराशि
1	विकास खण्ड धामपुर के ग्राम ठाठ जट में मुनासिर के घर के पास नाला निर्माण	11.05.2021	384969.00
2	विकास खण्ड हल्दौर में पूरनपुर सलेमपुर तालाब पर नाला निर्माण	13.05.2021	279575.00
3	विकास खण्ड स्योहरा के ग्राम खानपुर में पुराने सी0सी0 रोड से पेला तालाब की ओर मिट्टी खंड़जा	13.05.2021	81088.00
4	विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम बुडगरा में सुरेन्द्र के घर स ब्रहमपुर मार्ग पर सी0सी0 कार्य	13.05.2021	745516
5	विकास खण्ड मौ0पुर देवमल के ग्राम फरीदपुर निजाम में महेन्द्र सिंह के घर से तालाब की ओर नाला निर्माण		590260
6	विकास खण्ड नहटौर के ग्राम वाजिदपुर में तालाब तक नाला निर्माण	25-05-2021	882076

7	विकास खण्ड नजीबाबाद में जनजाति वस्ती में चतरू वाला तालाब की ओर नाला निर्माण	25-05-2021	724057
8	विकास खण्ड जलीलपुर में ग्राम बसेडा में महावीर के मकान से तालाब तक नाला निर्माण	03-08-2021	1412509
9	विकास खण्ड जलीलपुर में ग्राम पीपलसाना में विजेन्द्र के मकान काजीकोरा के तालाब तक नाला निर्माण		779163
10	मौ0पुर0 देवमल के ग्राम नमा गॉव में तालाब की दीवार निर्माण	17-08-2021	155349
	योग		6034562.00

जनपद- मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ का विवरणः-

जिला पंचायत -मुरादाबाद वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-01

जिला पंचायत में वर्ष 2021-22 में दुकानों, भवनों एवं आवासों का किराया पुराना बकाया किराया सहित कुल रु० 7601074.00 रजिस्टर के अनुसार प्राप्त किया जाना था। किन्तु वर्ष ऑडिट में मात्र रु० 1957142.00 ही किराया प्राप्त किया गया है। इस प्रकार किराया रु० 5643932.00 कम प्राप्त हुआ हैं। उक्त किराये का विवरण निम्नानुसार है :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दुकानों के प्रकार	गतवर्ष का बकाया	वर्तमान माग	योग (2+3)	बकाया बसूली	माग के विरुदध बसूली	योग (5+6	बकाये में अवशेष (2-5)	वर्तमान माग अवशेष (3-6)	योग (8+19)
व्यवसायिक दुकान	1450404	1677860	3128264	546709	585673	1132382	903695	1092187	1995882
सरकारी भवन	1940692	1168548	3109240	165208	371616	536824	1775484	796932	2572416
कालोनी आवास	943462	420108	1363570	106832	181104	287936	836630	239004	1075634
कुल योग	4334558	3266516	7601074	818749	1138393	1957142	3515809	2128123	5643932

कुल बकाया किराये की राशि रु० 5643932.00 में रु० 3515809.00 पुराना किराया बकाया है। बताया गया कि रु० 1901483.00 की आर०सी० निर्गत हो चुकी है। किन्तु बकाया वसूली की प्रगति नगण्य हैं । अविलम्ब सभी बकायेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए बकाया किराये की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

विकास खंड मुरादाबाद के ग्राम मनोहरपुर डामर रोड से रतनपुर कला तक लेपन कार्य में संलग्न गिट्टी, बालू व खनिज के एम एम -11 छायाप्रति है, जो लेखापरीक्षा की दृष्टि से मान्य नहीं है। दिनांक 12.05.2022 को संस्था से मूल प्रति संलग्न कराने विषयक पत्राचार भी किया गया था। जिसका विवरण निम्न है :-

क्र.सं०	ई एमएम-11	दिनांक	मूल्य
1	0जे00310011377	14.10.2020	23184.00
2	0जे00820020890	15.12.2020	19688.00
3	0जे00820020891	15.12.2020	11078.00
4	0जे00310011378	14.10.2020	22995.00
5	0जे500883011620	01.01.2021	22181.00
6	0जे00310011383	15.10.2020	22995.00
7	0जे00883011626	01.01.2021	27300.00
8	0जे00310011384	15.10.2020	23310.00
9	0जे00884002593	01.06.2020	14175.00
10	0जे00884002658	11.06.2020	14700.00
11	0जे00883011602	31.12.2020	25253.00
12	0जे00883011608	01.01.2021	25253.00
13	0जे00883011610	01.01.2021	19110.00
14	0जे00883011606	01.01.2021	18428.00
15	0जे00883011607	01.01.2021	19793.00
16	0जे00883011612	01.01.2021	19110.00
17	0जे00883011613	01.01.2021	18769.00
18	0जे00883011603	01.01.2021	18974.00
19	0जे00883011623	01.01.2021	25594.00
20	0जे00883011624	01.01.2021	22181.00
21	0जे00883011607	01.01.2021	19793.00
22	0जे00883011614	01.01.2021	19110.00
23	0जे00883011618	01.01.2021	24911.00
24	0जे00883011616	01.01.2021	24911.00
25	0जे00883011615	01.01.2021	25253.00
26	0जे0088315639	03.02.2021	11655.00
27	0जे0088315636	03.02.2021	14616.00
28	0जे00820027412	15.12.2020	11038.00
		योग	565358.00

उक्त ई एमएम-11 की मूल प्रति लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही अंतरिम आपत्ति का अनुपालन किया गया । इससे सिद्ध हो रहा है कि उक्त कार्य में उक्त ई एमएम-11 के खनिज का प्रयोग ही

नहीं हुआ है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, अभियंता श्री कुंवर राजेस्वर सिंह अवर अभियंता तथा लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। अतः रु०565358.00 भुगतान की वसूली उक्त से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-03

कैश बुक की जाँच में पाया गया कि वर्ष 21-22 में 15वें वित्त से जनपद के विभिन्न स्थानों पर एल ई डी लाइट लगाने हेतु रु०1861385.00 का भुगतान मै० शर्मा इंटर पाइजेज को किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। सम्बंधित पटल कार्मिक श्री पवन त्यागी से मौखिक रूप से भी व्यय पत्रावली की मांग की गयी तथा अंतरिम आपत्ति भी की गयी किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शमी तथा पटल कार्मिक श्री पवन त्यागी उत्तरदायी है। इनसे उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-04

कैश बुक की जांच में पाया गया कि श्री निर्भय नाथ दीक्षित को जिला कार्यालय परिसर में टी. पंचायत हाउस एवं शौचालय के एस्टीमेट एवं मानचित्रण हेतु रु० 60322.00 का भुगतान दिनांक 10.03.22 को किया गया है किन्तु इसकी पुष्टि में व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने हेतु अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया। उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा तथा लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-05

जिला पंचायत कार्यालय भवन रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में कार्यालय भवन का रु० 2572416.00 किराया बकाया पड़ा है जिसकी वसूली के ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। कार्यालय उपश्रमायुक्त मुरादाबाद मंडल का बकाया किराया रु० 1741460.00 की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा बढ़ी हुई दरो से उक्त कार्यालय से किराये की मांग की जा रही है. किन्तु उक्त कार्यालय द्वारा कम दरो से किराया दिया जा रहा है। कार्यालय उपश्रमायुक्त से किराया वसूली में शिथिलता बरती जा रही हैं। शीघ्र ही कार्यालय उपश्रमायुक्त से बकाया किराया रु० 1741460.00 की वसूली कर लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा तथा पटल कार्मिक श्री विनोद कुमार से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-06

कृषि भूमि जू० हा स्कूल फतेहपुर विश्नोई की बोली 2018 में रु० 360000.00 में स्वीकृत हुई थी जिसे 15% अधिक बोली रु० 414000.00 के साथ वर्ष 2021-22 में स्वीकृत होनी चाहिए थी, किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 21-22 में उक्त भूमि की बोली रु० 225000.00 जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत कर ली गई। अतः रु० 189000.00 कम बोली स्वीकार कर जिलापंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। रु० 189000.00 कम बोली स्वीकार करने के कारण अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा तथा पटल कार्मिक उत्तरदायी है जिनसे उक्त धनराशि की वसूली से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-07

जिलापंचायत के वर्ष 2021-22 के मृत पशु शव निस्तारण (हड्डी खाल) के मांग वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि रु० 1499032.00 पुराना बकाया चला आ रहा है। जो एक बड़ी धनराशि है इससे जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। यह संज्ञान में आया है कि वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे है। अतः सम्बंधित ठेकेदार से वसूली न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि की वसूली अपर मुख्य अधिकारी तथा पटल कार्मिक श्री विनोद कुमार से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-08

रु० 10.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 06 जून 2020 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम ग्राम पंचायत के अंदर न हौ । किन्तु जिलापंचायत मुरादाबाद वर्ष 2021-22 की निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत के अंदर ही कराए गये है. जो इस प्रकार है ।

(कार्य का नाम) धनराशि

(1) ग्राम महमूदपुर माफी में कल्लू सिंह के मकान से शमशान घाट तक सी० सी०कार्य
1941684.00

(2) ग्राम अलीनगर की नई बस्ती से मिलक तक मिट्टी खड़जा कार्य
1687358.00

(3) ग्राम बेगमपुर में बाल्मीकि वाले रास्ते पर टाइल्स रोड से गाँव की और सी.सी कार्य
1367865.00

(4) ग्राम लदावाली से भंडपुरी की और मिट्टी खड़जा कार्य
1861503.00

(5) ग्राम इनायत नगर रोड से लौंगीकला जाटव बस्ती तक मिट्टी । खडंजा/पुलिया निर्माण
1353681.00

(6) मासूमपुर में ग्राम के बाहर मदरसा/मस्जिद चक्की के पास से कुरी संपर्क मार्ग व मासुमपुर संपर्क मार्ग से मजार की ओर मिट्टी खडंजा कार्य । 2481202.00

(7) ग्राम आदोनगली में टांडा रोड से कचनाल टाइल्स रोड तक मिट्टी खडंजा कार्य ।
1436362.00

(8) ग्राम तारावली मिलक से शमशान घाट की और मिट्टी खडंजा कार्य
1541868,00

(9) ग्राम महेशपुर खेम में नहर की पटरी से सुरेश के मकान से उमेश के मकान तक मिट्टी खड़जा कार्य। 1160980.00

(10) साम मोहनपुर में बाम से शमशान तक मिट्टी खांजा कार्य ।
1642724.00

(11) ग्राम कोटला नगला में जिला पंचायत के पूर्व निर्मित खडंजे से लालपुर बराही की ओर मिट्टी सहजा कार्य । 1669033.00

योग <u>18144260.00</u>

उक्त सभी कार्य सुसंगत शासनादेशों /(नियमों के विपरीत है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, वित्तीयपरामर्शदाता श्री मनीष कुमार, अभियंता श्री कुंवर राजेस्वर सिंह अवर अभियंता तथा लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। अतः रु०18144260.00 अनियमित भुगतान की वसूली उक्त से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-09

ग्राम अलीनगर की नई बस्ती से मिलक तक मिट्टी खडजा कार्य की पत्रावली में लगे फोटोग्राफ से जात हुआ किमिट्टी की पूर्ति जे.सी.बी मशीन के द्वारा अगल-बगल स्थानों से की जा रही है, जबकि मिट्टी कार्य हेतु ठेकेदार को रु० 336329.28 का भुगतान हुआ है। इस सम्बन्ध में दिनांक 07-05-22 को अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया। उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अभियंता कुँवर राजेस्वर सिंह, सम्बंधित अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनीष कुमार सिंह से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-10

ग्राम बहादुरगंज में इस्लाम के खेत से सुभालखेडा संपर्क मार्ग पत्रावली की फोटोग्राफ से ज्ञात हुआ कि खडंजा कार्य हेतु मिट्टी अगल बगल से ली गई है जबकि सम्बंधित ठेकेदार को मिट्टी पर हुए ब्यय रु० 95293.15 का भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 07-05-22 को अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया । उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अभियता कुँवर राजेस्वर सिंह, सम्बंधित अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनीष कुमार सिंह से से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11

ग्राम आदोनगली में टांडा रोड से कचनाल रोड तक मिट्टी खडंजा कार्य में मिट्टी अगल-बगल से ली गई है और मिट्टी कार्य हेतु रु० 246214.00 का भुगतान भी हुआ है । इस सम्बन्ध में दिनांक 07-05-22 को अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया । उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अभियंता कुँवर राजेस्वर सिंह, सम्बंधित अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनीष कुमार सिंह से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर 12

ग्राम मोहनपुर में ग्राम से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा कार्य में मिट्टी अगल-बगल से ली गई है और मिट्टी कार्य हेतु रु० 323611.00 का भुगतान भी हुआ है । इस सम्बन्ध में दिनांक 07-05-22 को अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया । उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहा है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अभियंता कुँवर राजेस्वर सिंह, सम्बंधित अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनीष कुमार सिंह से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-13

ग्राम तारावली मिलक से शमशान घाट की और मिट्टी खड़जा कार्य की इस्टीमेट में मार्ग की प्रस्तावित लम्बाइ 900 मीटरतथा चौड़ाई 3.30 मीटर दर्शित है। इसकी प्राक्कलित धनराशि रु० 1547283.00 के साथ तकनीकी स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गयी। तत्क्रम में शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त पत्रावली की लेखापरीक्षा में अनियमितता पायी गयी ।

(1) जब इस्टीमेट में कार्य की चौ0 3.30 मीटर थी तो सड़क की चौ0 02 मीटर पर कार्य आरम्भ क्यों कराया गया ।

(2) जब नक्शे में सड़क की चौड़ाई 02 मीटर थी तब प्राक्कलन में 3.30 मीटर कहा से ली गई।

(3) विवाद की स्थिति में संशोधित साइड प्लान के अनुसार कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया । तत्क्रम में शासन के द्वारा पुनः तकनीकी स्वीकृति क्यों नहीं ली गई ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 07-05-22 को अंतरिम आपति निर्गत की गयी थी किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया । संशोधित साइड प्लान के अनुसार कार्य कराये जाने तथा शासन के द्वारा पुनः तकनीकी स्वीकृति न लिए जाने के कारण उक्त भुगतान अनियमित है । रु० 1547283.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अभियंता कुँवर राजेस्वर सिंह, सम्बंधित अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री मनीष कुमार सिंह से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14

विशेष सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 3471/33-सेल/2020 दिनांक 13 नवम्बर 2020 द्वारा राज्य 25 परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी किन्तु जिला पंचायत द्वारा 2021-22 में उक्त 25 परियोजनाओं में से निम्न परियोजनाओं का भुगतान "15वें वित के अनटाइड अनुदान से कर दिया गया है। जिसका विवरण निम्न है ।

नाम परियोजना धनराशि

1- विकास खंड मुरादाबाद के ग्राम पल्लुपुरा मिलक में मदरसे के खहंजे से डामररोड तक लेपन
3033582.00

2- विश्व-मुरादाबाद के मदन रोड पर सी.एन. जी पम्प के सामने से ग्राम नगलानिडर डामररोड तक लेपन
5622121.00

3- विन्ख-मुरादाबाद के जामामस्जिद रामपुर दौराहा रोड से ग्राम ताजपुरमाफी में मंगल के घर से सी. सी रोड लेपन कार्य ।
1603536.00

4- वि०सं० छजलैट के ग्राम फतेहपुर विश्नोई के खड़जे से ग्राम दयानाध्पुर डामर रोड तक लेपन कार्य
8366809.00

5- विल्स मूवापाडे के ग्राम पंडित नगला मछरिया डामर रोड से ग्राम सिरसा इनायत में खड़जे

तक लेपन कार्य ।
3293696.00
6- वि० स० छजलैट के ग्राम मधी को जाने वाली रोड से ग्राम पदलपुर व सिहाली डामर रोड तक लेपन कार्य ।
5383836.00
7- विश्वभाजनैट के ग्राम नवादा पहाडमऊ डामर रोड से रायपुर खुर्द डामर रोड तक लेपन कार्य ।
5289288.00
8- वि०स० छजलैट के कौवड पथ पर ग्राम संदलीपुर में डामर रोड़ तक लैपन कार्य ।
5851871.00
9- विन्खन्छजलैट के ग्राम खुटखेड़ा में अमरशहीद स्थल के सामने से कांवड़ पश्थ हामररोड लेपन कार्य ।
3728920.00
10- विश्ख बिलारी के ग्राम ईशापुर मार्ग से मुहिया भीकनपुर प्रा० स्कूल की ओर लेपन कार्य ।
6319193.00
11- विश्य बिलारी के ग्राम चांदपुर गणेश में एम ए एस इमफोर्मेशन और लेपन कार्य ।
2298046.00
12- वि० स० कुन्दरकी के ग्राम चितेरी से संदलपुर की ओर खडजे तक लेपन कार्य ।
10389880.00
13- वि० स० कुन्दरकी के ग्राम ऊचाकानी प्रा० स्कूल से नानपुर के खहजे तक लेपन कार्य ।
9945028.00

योग **85555806.00**

उक्त भुगतान 15र्व वित्त आयोग से कर दिया गया इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा दौरान अंतरिम आपत्ति निर्गत की गई थी किन्तु उसका अनुपालन जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया गया अतः उक्त गंभीर अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, वितीयपरामर्शदाता श्री मनीष कुमार, अभियंता श्री कुंवर राजेस्वर सिंह, अवर अभियंता तथा लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तरदी हैं। अतः रु०85555806.00 अनियमित भुगतान की वसूली उक्त से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-15

वर्ष 21-22 में जिला निधि से रुपये 1284805.00 से तीन नुमाइश गेट का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 102 में (निधि का उपयोग) नुमाइशी गेट निर्माण कार्य का किये जाने का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद जिला पंचायत मुरादाबाद द्वारा निम्न नुमाइशी गेट का निर्माण किया गया है ।

क्र0स0	नुमाइशी गेट	धनराशि
1	वि.ख.मूडापाण्डे के ग्राम भदासना मे शहीद प्रकाश सिंह एवं राजे सिंह स्मृति द्वार	390000.00
2	वि.ख.छजलैट के ग्राम आविहफिजपुर मे श्री अरविंद सिह कारगिल शहीद स्मृति द्वार	310000.00
3	वि.ख.मुरादाबाद के ग्राम भोला सिंह की मिलक में पर्वतारोही श्री रवि स्मृति दयार	584805.00

योग **1284805.00**

लेखापरीक्षा दौरान उक्त के व्यय के सम्बन्ध में व्यय की पुष्टि हेतु शासनादेश की अपेक्षा की गयी थी किन्तु संस्था द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा, अभियंता श्री कुंवर राजेस्वर सिंह, लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर अभियंता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री मनीष कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः रु० 1284805.00 की वसूली उक्त से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-16 ई- ग्रामस्वराज पोर्टल पर चतुर्थ राज्य वित्त से सिदावाली मिलक से शराफत के घर शमशान घाट होते हुए नहर की पुलिया एवं शिव मंदिर तक मिट्टी खडंजा कार्य पर दिनांक 19.08.2021 को रु०20256301.00 भुगतान दर्शित हैं। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की निर्माण पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति पटल कार्मिक श्री पवन त्यागी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा उत्तरदायी है, जिनसे उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-17 ई- ग्रामस्वराज पोर्टल पर चतुर्थ राज्य वित्त से पशु शव निस्तारण प्रचार कार्य पर दिनांक 25.06.2021 को रु. 7914601.00 भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति पटल कार्मिक श्री पवन त्यागी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा उत्तरदायी हैं, जिनसे उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-18 जिलापंचायत के ठेकेदारों से जी० एस० टी० का भुगतान सीधे व्यापार कर कार्यालय में जमा कराया जाना जिला पंचायत लेखाकार द्वारा बताया गया, जिसका संस्था पर कोई भी विवरण प्रमाणक नहीं पाया गया और न ही इस हेतु कोई लेजर तैयार किया गया है. लेखाकार द्वारा बताया गया कि कितना जी० एस० टी० अमुक ठेकेदार दद्वारा जमा किया गया है व कितना शेष है वह नेट के माध्यम से दर्शित हो जाता है जो नई तकनीक की दृष्टि से औचित्य पूर्ण है, परन्तु इस हेतु संस्था में एक लेजर बनाया जाना अपेक्षित है। ठेकेदार द्वारा 10 प्रतिशत तथा जिसमे संस्था द्वारा 2 प्रतिशत जी० एस० टी० जमा किया जाता है। जी० एस० टी० का खाता न रखे जाने से वास्तविक जमा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। 2 प्रतिशत जी० एस० टी० जमा का चालान संस्था में होना आवश्यक है तथा ठेकेदार द्वारा 10 प्रतिशत जमा का प्रमाण भी संस्था स्तर पर होना आवश्यक है। संस्था द्वारा जिला पंचायत के निर्माण कार्य में लगे ठेकोदारों से 10 प्रतिशत जी. एस. टी. का चालान प्रति न जमा कराया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस प्रकार निर्माण कार्य में कुल प्रयुक्त धनराशि रु० 197026938.00 का 10 प्रतिशत जी.एस.टी. रु० 19702694.00 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल शर्मा लेखाकार सुरेंद्र कुमार तथा पटल कार्मिक पवन त्यागी, उत्तरदायी हैं जिनसे उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि- 164839563.00

जनपद - फतेहपुर मण्डल - प्रयागराज

प्रारूप-02

प्रस्तर-01-

जिला पंचायत - फतेहपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

संप्रेक्षित वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय उल्लिखत अपहरण, दुरूपयोग एवं गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आये है, जिसकी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

1- नौकाघाट नीलामी (ठेका) का बकाया धनराशि वर्ष 1951-52 से वर्ष 2006-07 तक का बकाया एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0स0	बकाया वर्ष	वर्षवार बकाया की धनराशि	बकाया के सापेक्ष वर्ष 2021-2022 में वसूली की धनराशि	31-03-2022 को बकाया अवशेष की धनराशि
01	1951–52 से 1961–62 तक	8411.00	00	8411.00
02	1962–63 से 1972–73 तक	43398.78	00	43398.78
03	1973–74 से 1983–84 तक	215608.00	00	215608.00
04	1984–85 से 1994–95 तक	123144.00	00	123144.00
05	1995–96 से 2005–06 तक	622920.00	10000.00	612920.00
06	2006–07	50000.00	00	50000.00
	योग	1063481.78	10000.00	1053481.78

नौकाघाट के पट्टेदारों से पट्टे में देय बकाया की वसूली वर्मा फैक्ट्री अधिनियम 1878(1873 का 2) के धारा 09 में यह उपबन्ध है कि उक्त बकाया की वसूली भू-राजस्व की वसूली के जैसे की जानी चाहिए, परन्तु इतने वर्षो से उक्त बकाया चला आ रहा है। वर्ष 2021-2022 के सापेक्ष मात्र रूपया 10000.00 की वसूली दर्शित पायी गयी। इस प्रकार दिनांक 31-03-2022 को बकाये का पावना रूपया 1053481.78 रहा। उक्त बकाये की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के साथ ही साथ उक्त धनराशि की वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-02- तहबजारी के पुराने बकाये दिनांक 01-04-2021 को उक्त शीर्ष के अन्तर्गत वसूली हेतु रूपया 1958607.00 अवशेष दर्शित रहा, जिसमें वर्ष 2021-2022 में मात्र रूपया 14000.00 वसूली दर्शित पायी

गयी। दिनांक 31-03-2022 को अवशेष रूपया 1944607.00 का पावना दर्शित रहा। उक्त पावना वर्ष 1974-75 से 2006-07 तक कुल 139 बकायेदारों का पावना चला आ रहा है, जिसकी वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-03- दुकानों का किराया के बकाये की वसूली न कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया, दिनांक 31-03-2022 को प्रप़त्र संख्या 29 के अनुसार दुकानों का किराया मद में बकाया चला आ रहा है। दिनांक 31-03-2022 को अवशेष किराया रूपया 997981.00 दर्शित रहा। दर्शित बकाया की धनराशि की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जनपद- फतेहपुर में जिला पंचायत की सभी दुकानों का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है, जो नहीं किया जा रहा है, जिससे दुकानों के किराये में होने वाली वृद्धि की आय से जिला पंचायत को हानि हो रही है, जबकि शासनादेश संख्या 6336/33-03-1997-185 जी/92 दिनांक 27 दिसम्बर 1997 के पैरा-6 के अनुसार निर्धारित किराये में प्रत्येक 03 वर्ष के बाद 25 प्रतिशत बढोत्तरी किया जाना चाहिए था, किन्तु शासनादेश का उल्लघंन कर दुकानों के किराये से होने वाली आय से हानी पहुचायी जा रही है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं |

जनपद – कौशांबी मण्डल - प्रयागराज

जिला पंचायत -कौशाम्बी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर (1) आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है किन्तु धनराशि का उपयोग शासन की मंशा के अनुरूप नहीं किया गया है जबकि धनराशि के उपयोग के संबंध मे शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 एवं इस संबंध मे पूर्व मे दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-866/33-2-14-93 जी /2014 टी0सी0,दिनांक 24 जून 2014 द्वारा निर्गत किया गया है |शासनादेश मे तीनों पंचायती राज संस्थाओ द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का निर्धारण किया गया है - "प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओ द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे है |प्रायःयह देखने मे आया है कि जिला पंचायतो द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अंदर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किए जाते है जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराए जाने हेतु दिया जाता है जिससे डुप्लिकेसी होने की संभावनाए बनी रहती है |इस संदर्भ मे निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायते सबसीडियरिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा वेहतर तरह से किया जा सकता वह उसी स्तर पर कराया जाए और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय | अतः शासनादेश 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा निर्माण कार्य के मार्गदर्शक सिद्धांत क्रमांक 3. पर अंकित है कि जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करायेंगी |

क्रमांक 7. पर अंकित है की जिला पंचायतो द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों मे रु010.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाए ही अधिकांश रूप मे आपनी कार्य योजना मे सम्मिलित करेगी एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के धारा 33 (2) के अनुसार ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजन के लिए सड़कों का क्रमश:ग्राम सड़को अंतरग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप मे वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि संस्था द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही निर्माण कार्य कर सके किन्तु सड़क वर्गीकरण रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे कि जिला सड़को की पुष्टि हो सके । विवरण निम्नवत है -

अत: उपरोक्त शासनादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत वर्णित नियमों /आदेशों का पालन नहीं किया गया है । उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 58 (ख) अध्यक्ष के

कर्तव्य का वर्णन है कि जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमे कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करे किन्तु इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं रहा । अत: उपरोक्त शासनादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत वर्णित नियमों /आदेशों का पालन नहीं किया गया है| जिससे तालिका के आलोच्य वर्ष मे दर्शित व्यय रु0 5780526.00 अनियमित रहा । जिसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर/श्रीमती अवधरानी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह का होगा ।

प्रस्तर (2) आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है किन्तु धनराशि का उपयोग शासन की मंशा के अनुरूप नहीं किया गया है । उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियामावली 1984,की नियम संख्या 16(1) के अनुसार रु010 लाख तक की लागत के आगणन की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार अध्यक्ष मे निहित है और रु010 लाख से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार मे निहित है किन्तु जिला पंचायतो द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अंदर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किया गया है ताकि राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति को न लेना पड़े । इस संदर्भ मे निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायते सबसीडियरिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा वेहतर तरह से किया जा सकता वह उसी स्तर पर कराया जाए और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय । उपरोक्त दर्शित कार्य करवाने मे उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 33(2) तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 16(1) का परिपालन नहीं किया गया है अर्थात उपरोक्त कार्यों पर कुल व्यय धनराशि रु0 1127877.00 अनियमित है जिसके लिए श्रीमती कल्पना सोनकर/श्रीमती अवधरानी व श्री रणमत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है ।

प्रस्तर (03) वर्ष 2021-22 से संबंधित कतिपय निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच मे पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित एस्टिमेट के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया है । पत्रावली मे संलग्न विचलन चार्टों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि एस्टिमेट मे कुछ कार्यों की मात्रा यथा -मिट्टी कार्य आदि की मात्रा जानबूझकर

अधिक दर्शायी गयी जिसके सापेक्ष उक्त कार्य मे नाम मात्र का मिट्टी कार्य ही कराया गया है या मिट्टी कार्य करवाया ही नहीं गया है। उक्त कार्यों के अवशेष एस्टिमेटेड धनराशि से अन्य कार्य जैसे सड़क की अधिक चौड़ाई आदि कार्य करवाना दर्शाया गया है किन्तु संशोधित एस्टिमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी है **अंतिम बिल व विचलन चार्ट पर न तो अध्यक्ष की स्वीकृति रही और न ही अ0मु0अ0के ही हस्ताक्षर ही पाया गया। चूंकि उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम -15 के अनुसार** स्वकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य मे तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो उसकी स्वीकृति न दे दे। प्रतिबंध यह है कि नक्शे मे किसी ऐसे छोटे परिवर्तन की स्वीकृति जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान मे केवल मूल्य अनुमान के 10 % से अनधिक या 500.00 रुपये को इसमे जो भी कम हो वृद्धि हो ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती जो इस नियमावली के अधीन ठेका स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो। अ**तः उक्त एस्टिमेट व अंतिम बिल की तुलना करने पर पाया गया कि रु0 429205.00 अधिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है।**

उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम-1961(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली1965 के अध्याय 16 मे वित्त अधिकारी द्वारा नियंत्रण के अंतर्गत धारा-170 मे वित्त अधिकारी द्वारा लेखा वहियों का निरीक्षण।

धारा-172(क) मे वित्त अधिकारी सामान्य रूप से जिला पंचायत को वित्तीय मामलों मे परामर्श देगा और विशेष रूप से प्राधिकारियों को ऐसे सभी वित्तीय और लेखों संबंधित मे परामर्श देगा जो उसे अभिदिष्ट किए जाए।

धारा-173 मे वित्त अधिकारी लेखे की आंतरिक लेखा-परीक्षण करने के दौरान मे पाई गयी ऐसी अनियमितताओ को जिन्हे वह आपसी चर्चा करके वही पर ठीक नहीं कराया जा सकता है उनके नियमितीकरण के बारे मे ठोस सुझावों के साथ लिखित रूप मे मुख्य अधिकारी के ध्यान मे लाएगा। यदि वे अधिकारी उचित समय के भीतर अनियमितताओ को ठीक कराने मे असमर्थ हो तो वह अनियमितताओ को न ठीक किए जाने के तथ्य को जिला पंचायत अध्यक्ष के ध्यान मे लाएगा किन्तु उपरोक्त दायित्वों की पुष्टि मे कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

(क) आलोच्य वर्ष 2021-22 मे (वित्तीय वर्ष 2020-21का) विकास खंड- सिराथू मे ग्राम- मोहिउद्दीनपुर बेला-अचाकापुर मे राम सजीवन पटेल के टयूबेल से महगूँ अग्रहरी के घर तक सी0सी0कार्य मे प्रयुक्त अंतिम बिल एवं इस्टिमेट मे विचलन पाया गया। विचलन विवरण निम्न प्रकार रहा

क्र कार्य का प्रकार अनुमानित मात्रा प्रयुक्त मात्रा अधिक प्रयुक्त मात्रा दर वसूली योग्य धनराशि

9 टीएमटीबार स्लेब 0.34कु0 0.98 कुंतल 0.64कु0 दर 5940.65/कु0 3778.00

10आरसीसी इन स्लेब 0.57 2.27 1.70 दर 6714.15/ 11414.00

योग- 15192.00

उक्त विचलन चार्ट मे 10 % से अधिक मूल्य का अंतर रहा |आपत्ति निम्न प्रकार है -

(1) एस्टिमेट बनाते समय क्या विना नाप व निरीक्षण के आगणन किया गया है।

(2) उक्त विचलन की स्थिति मे नियमानुसार सक्षम स्वीकृत कर्ता से अनुमति नहीं ली गयी है।

(3) विचलन का चार्ट के मद संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 मे विचलन आया है किन्तु क्रमांक 9 व 10 मे 10% से अधिक मूल्य का विचलन रहा| उक्त विचलन का चार्ट के बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट पहले से रु074198.50 बढ़ाकर बनाया गया अर्थात मात्रा जानबूझकर अधिक दर्शायी गयी,जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र के लिए किए गये है या किये ही नहीं गये अर्थात रुपया **15192.00** अवास्तविक व्यय रहा,जिसकी वसूली विचलन चार्ट के समय संबंधित उत्तरदायी- जे0ई0-सुश्री सनाअसद/श्री मनीष कुमार अभियंता-श्री शशि चंद्र यादव वित्तीय परामर्शदाता अपर मुख्य अधिकारी -डॉ वीरेंद्र बहादुर (अपर मुख्य अधिकारी/अभियंता) से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(ख) विकास खंड -सिराथू के हिसामपुर बहरेमऊ मे फुलचंद्र मौर्य के घर से पुरवा तालाब तक नाला निर्माण कार्य मे प्रयुक्त अंतिम बिल एवं इस्टिमेट मे विचलन पाया गया । विवरण बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से रु0 217300.79 बढ़ाकर बनाया गया जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र करके बचत किया गया है एवं रु0 214072.32 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है । अर्थात रु0 214072.32 अवास्तविक व्यय/भुगतान रहा जिसकी वसूली विचलन चार्ट के समय संबंधित अपर मुख्य अधिकारी एव अभियंता से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा । उत्तरदायी -जे0ई0-श्री मनीष कुमार/श्री दीना नाथ अभियंता श्री अखिलेश्वर मल्ल /श्री शशि चंद्र यादव वित्तीय परामर्शदाता अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह/डॉ वीरेंद्र बहादुर रहे । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

(ग) वि0ख0-कड़ा ग्राम बदलेपुर नन्दसैनी मे काली माता स्थान पर सराय का निर्माण राज्य वित्त वर्ष 2019-20 का स्वीकृत ठेका श्री प्रदीप कुमार |अनुमान लागत मूल्य रु0 357034.00 रहा । बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से बचत.रु0 28684 बढ़ाकर बनाया गया जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र करके बचत किया गया है एवं रु0 43019.00 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है । अर्थात **43019.00 अवास्तविक व्यय/भुगतान रहा** । प्रत्येक मद मे 10 % से अधिक का अंतर रहा । विचलन चार्ट के मद संख्या 3,8,9,10,11 मे विचलन आया है । जिसकी वसूली विचलन चार्ट के समय संबंधित अपर मुख्य अधिकारी/अभियंता से किया जाना अपेक्षित रहा । जे0ई0-श्री मनीष कुमार अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह /श्री इन्द्र सेन सिंह वित्तीय परामर्श दाता आदि उत्तरदायी है । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

(घ) विकास खंड-नेवादा के वित्तीय(वर्ष 2019.20 का) वर्ष -2021-22 के ग्राम -बन्थरी मे कृष्णानन्द पाण्डेय के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य मे प्रयुक्त अंतिम बिल एवं इस्टिमेट मे विचलन पाया गया । बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से 76504.00 बढ़ाकर बनाया गया जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र करके बचत किया गया है एवं रु0 31326.00 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है **अर्थात अवास्तविक रु0 31326.00 व्यय/भुगतान** रहा जिसकी वसूली ब्याज सहित विचलन चार्ट के समय संबंधित उत्तरदायी जे0ई0-श्री हिमांशु यादव /सुश्री सना असद अभियंता -श्री शशि चंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी प्र0 -श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता पटल सहायक उत्तरदायी है। **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

((ङ) विकास खंड- सिराथू के वित्तीय(वर्ष 2019.20 का) वर्ष -2021-22 के ग्राम -सभा सांखा मे वीरेंद्र के खेत से महुआ बाग तक ब्रिक सोलिंग का कार्य मे प्रयुक्त अंतिम बिल एवं इस्टिमेट मे विचलन पाया गया । बचत रु0 94539.16 एवं अतिरिक्त व्यय रु0 100725.00 को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से .रु0 94539.16 बढ़ाकर बनाया गया जिसके सापेक्ष उक्त कार्य

नाम मात्र करके बचत किया गया है एवं रु0 100725.00 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है **अर्थात अंतर रु0 100725.00 अवास्तविक व्यय/भुगतान रहा** । जिसके लिए जे0ई0-श्री मनीष कुमार /सुश्री सना असद अभियंता -श्री शशि चंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी प्र0 -श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता /पटल सहायक उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित विचलन चार्ट /भुगतान के समय उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित रहा । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

(च) विकास खंड- नेवादा के वित्तीय(वर्ष 2018.19 का) वर्ष 2021-22 के ग्राम -सभा रही से गाँव के तालाब तक नाला निर्माण कार्य मे प्रयुक्त अंतिम बिल एवं इस्टिमेट मे विचलन पाया गया । बचत रु0 86323.72 एवं अतिरिक्त व्यय रु024870.73 को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट पहले से बचत .रु0 86323.72 बढ़ाकर बनाया गया,जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र करके बचत किया गया है करके बचत किया गया है या किये ही नहीं गये है एवं रु024870.73 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है अ**र्थात 24871.00 अवास्तविक व्यय/भुगतान रहा** । जिसके लिए भुगतान कर्ता जे0ई0-श्री दीना नाथ अभियंता -श्री शशि चंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी प्र0 -श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता पटल सहायक उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित विचलन चार्ट /भुगतान के समय उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित रहा । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

प्रस्तर (04) वर्ष 2021-22 से संबंधित कतिपय निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच मे पाया गया किं संलग्न ई-एम0एम0-11 प्रपत्र या तो कार्य आदेश मिलने के पूर्व के लगे है या फिर कार्य समाप्ति/ नापी के बाद के लगे है या संदिग्ध रहा उसे भी सम्मिलित किया गया है । अत: उक्त प्रपत्र प्रयुक्त ही नहीं रहा । शासनदेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य मे प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के संबंध मे निर्देश दिए गए है आगे शासनदेश संख्या-2799/86-2016-292/2015 दिनांक12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3C प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामले जिनमे एमएम -11/ फार्म-3Cप्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मे अवश्य जमा करा ली जाए । 52वां संशोधन 13 अगस्त 2019 से लागू है जो कि ई-नीलामी से संबंधित है । रायल्टी भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता /ठेकेदार से रायल्टी जमा करने का प्रमाणपत्र (ट्रेजरी चालान)की प्रमाणित प्रति और रवन्ना एमएम-11 की मूल द्वितीय प्रति फ़ाइल मे संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की दशा मे आपूर्ति किए गए सामग्री पर रायल्टी की दर और उसका 5 गुना वसूली की आपत्ति निर्गत किया जाना आवश्यक है |

उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्यलेखा) नियमावली1965 के अध्याय 6 के धारा 66 के अनुसार जिला निधि लेखे से सम्बद्ध दावे के रूप मे प्रस्तुत किए गए बिल तथा अन्य प्रमाणक लेखाकार द्वारा प्राप्त किए जाएगे जो परीक्षण करेंगा उस पर जांच कर ली और सही पाया अनुलिखित करेंगा । अध्याय 16 के धारा-173 मे वित्त अधिकारी लेखे की **आंतरिक लेखा-परीक्षण करने के दौरान** मे पाई गयी ऐसी अनियमितताओ को जिन्हे वह आपसी चर्चा करके वही पर ठीक नहीं कराया जा सकता है उनके नियमितीकरण के बारे मे ठोस सुझावों के साथ लिखित रूप मे मुख्य अधिकारी के ध्यान मे लाएगा यदि वे अधिकारी उचित समय के भीतर अनियमितताओ को ठीक कराने मे असमर्थ हो तो वह अनियमितताओ को न ठीक किए जाने के तथ्य को जिला पंचायत अध्यक्ष के ध्यान मे लाएगा किन्तु उपरोक्त दायित्वों की पुष्टि मे कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा । **कुल वसूली रु0 692160.00 ।** विवरण निम्नवत है -----

(क) वि0ख0-सिराथू मे ग्रामसभा मानपुर गौरा मे उदयराज पासी के समरसेबुल से लेकर बाबूलाल सरोज के घर तक पी0सी0 कार्य 330 मीटर लंबाई हेतु स्वीकृत ठेका मे0 अभिराज इंटर प्राइजेज को लागत मूल्य रु0 1338354.02 रहा जिसमे प्रयुक्त ई-एमएम-11 कार्यदेश के पूर्व के लगे है या फिर कार्यपूर्णता तिथि के बाद के रहे है । उपरोक्तानुसार गिट्टी 82 घन मी × 160 × 6= रु0 78720.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए जे0ई0श्री मनीष कुमार अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है । संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा | **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है ।**

(ख) आलोच्य वर्ष 2021-22 मे (वित्तीय वर्ष 2020-21 मे)विकास खंड- मूरतगंज मे जी0टी0रोड काजीपुर बाजार के पास से कालीमाता मंदिर तक सी0सी0कार्य की समाप्ति तिथि कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मे एवं अंतिम बिल के प्रमाण पत्र मे दिनांक 04.06.2020 अंकित है जबकि संलग्न ई-एमएम-11 कार्य पूर्णता मापी तिथि के बाद (04-06-2020) का रहा जो इस कार्य मे प्रयुक्त ही नहीं रहा । उपरोक्तानुसार रु0 27180.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए जे0ई0 श्री हिमांशु यादव अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल व अपर मुख्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । अंतिम बिल की भुगतान तिथि 04.08.2022 है । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(ग) विकास खंड -मँझनपुर के करारी भरवारी मार्ग (कुवबालमपुर)से लहना संपर्क मार्ग तक सी0सी0कार्य मे प्रयुक्त गिट्टी कार्य आदेश निर्गत तिथि को ही आपूर्ति रही जबकि कार्य **आदेश की प्राप्ति की तिथि ठीकेदार द्वारा अंकित नहीं रहा |**उपरोक्तानुसार गिट्टी 14 घन मी × 160 × 6= रु0 13440.00 की रायल्टी की क्षति हुई है वस्तु स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है अन्यथा जे0ई0सुश्री सना असद अभियंता-श्री शशि चंद्र यादव व अपर मुख्य अधिकारी डॉ वीरेंद्र बहादुर व वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है । संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(घ) वि0ख0-चायल मे ग्राम-शेषपुर रसूलपुर के मजरा दशाराम का पुरवाँ मे पक्की सड़क तक सी.सी.कार्य 145 मीटर लंबाई हेतु स्वीकृत ठेका बी0 एस0 इंटर प्राइजेज प्रो0 भास्कर सिंह को लागत मूल्य रु0 741000.00 रहा जिसमे प्रयुक्त ई-एमएम-11 कार्यदेश के पूर्व के लगे है उक्त प्रपत्र प्रयुक्त ही नहीं रहा । उपरोक्तानुसार मोरम 18 घन मी × 150 × 6= रु016200.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए अवर अभियंता श्री दीना नाथ अभियंता श्री शशि चंद्र यादव एवं श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर व वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है । संबंधित से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा। **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(ङ)- विकास खंड -सिराथू के (वर्ष 2021-22) हिसामपुर बहरेमऊ मे फुलचंद्र मौर्य के घर से पुरवा तालाब तक नाला निर्माण कार्य पत्रावली मे संलग्न प्रपत्र ई-फार्म सी / ई-एमएम-11 या तिथि मे पुनर्रलेखन करके आदेश के बाद का (10.03.2021 के स्थान पर 10.11.2021 और 01.03.2021 के स्थान पर 01.12.2021) वनाया गया है या तो कार्यादेश तिथि का या कार्य मापी पूर्णता तिथि के बाद के लगे है । (कार्यादेश पत्रांक 5946 /जि0 पं0 कौ0/2020-21 दिनांक 25.02.2021 एवं अंतिम बिल के प्रमाण पत्र मे कार्य मापी पूर्णता तिथि 15.03.2021 एवं अंतिम भुगतान तिथि 24.01.2022 रही । मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि पत्रावली मे संलग्न उपरोक्त ई -फार्म सी / ई-एमएम-11 प्रपत्र के जिरोक्स (फ़ोटो कापी) संलग्न रही । क्रमांक 1 2 पर तिथि को अलग से (प्रिन्ट)/अपलेखन किया गया प्रतीत है । अत: उक्त प्रपत्र प्रयुक्त ही नहीं रहा उपरोक्तानुसार 56 घनमी × 160 × 6= रु0 53760.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए संबंधित जे0ई0 -श्री मनीष कुमार अभियंता -श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी-श्री रणमत सिंह /डॉ0 वीरेंद्र बहादुर एवं वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता भी उत्तरदायी है । संबंधित से ब्याज

सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । संलग्न प्रपत्र ई-फार्म सी/ई-एमएम-11 का **विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(च) - विकास खंड -चायल के वित्तीय(वर्ष 2020-21 का) वर्ष -2021-22 के चरवा मार्ग मे नटका गाँव तक सी.सी.कार्य मे प्रयुक्त ई-फार्म सी/ई-एमएम-11 प**त्रावली के साथ रवन्ना सत्यापन संलग्न नहीं रहा** और प्रपत्र की जिरोक्स (फ़ोटो कापी) कापी संलग्न रहा । शासनादेश पत्रांक संख्या -39/2020/990/86-2020-52 (सा0) 2019 टीसी लखनऊ दिनांक 23 जून 2020 के क्रमांक -2 मे स्पष्ट अगाह किया गया है कि कतिपय ठेकेदारो द्वारा कार्यदायी संस्था मे कूट रचित ई-एमएम -11 जैसे -ई-एमएम -11की छाया प्रति /फ़ोटोशाप /फर्जी पोर्टल से जनरेट -ई-एमएम -11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जो गंभीर प्रकरण है । रवन्ना सत्यापन प्रमाणक के अभाव मे व प्रपत्र की जिरोक्स (फ़ोटो कापी) कापी संलग्न होने के कारण उपरोक्त प्रपत्र संदिग्ध रहा जबकि पुष्टि हेतु रवन्ना सत्यापन व मूल प्रपत्र का होना आवश्यक है । क्रमांक 2 पर तिथि को अलग से प्रिन्ट किया गया प्रतीत है| अत: उपरोक्तानुसार गिट्टी 64 घन मी × 160 × 6= रु061440.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए जे0ई0 श्री सुशील कुमार सत्यापन कर्ता एवं अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल एव अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है |संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । **विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(छ) वि0ख0-कड़ा ग्राम बदलेपुर नन्द सैनी मे काली माता स्थान पर सराय का निर्माण राज्यवित्त वर्ष 2019-20 का स्वीकृत ठेका श्री प्रदीप कुमार लागत मूल्य रु0 399840.00 रहा । जिसमे प्रयुक्त ई-एमएम-11 कार्यादेश के पूर्व के लगे है । उपरोक्तानुसार 14 घन मी × 160 × 6= रु013440.00 की रायल्टी की क्षति हुई है । ई-एमएम -11 की छाया प्रति संलग्न रही जिसके लिए जे0ई0 श्री मनीष कुमार एवं अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल एव अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह व वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है । संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । **विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(ज) वि0ख0- मे राज्य वित्त - सचवारा पी0एम0जीएस0वाई0 मार्ग से पीर शहीद बाबा तक सी0सी0 निर्माण कार्य 171 मीटर लंबाई हेतु स्वीकृत ठेका श्री चंद्र शेखर सिंह को लागत मूल्य 848575.20 का रहा जिसमे प्रयुक्त ई-एमएम-11 कार्यदेश के पूर्व के लगे है (कार्यादेश पत्रांक 1735/जि0पं0कौ0/2019-20 दिनांक 27.02.2020 को निर्गत है) । अत: उक्त प्रपत्र प्रयुक्त ही नहीं रहा जबकि ई-एमएम-11 का सत्यापन आन लाइन किया गया है । उपरोक्तानुसार 3 घनमी × 150 × =रु0 2700.00 की रायल्टी की क्षति हुई है जिसके लिए जे0ई0 श्री हिमांशु यादव सत्यापन कर्ता अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल मुख्य विकास अधिकारी -श्री इन्द्र सेन सिंह व वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है । संबंधित से ब्याज सहित वसूली बराबर -2 भाग मे किया जाना अपेक्षित रहा । **विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है|**

(झ) विकास खंड- कड़ा के वित्तीय(वर्ष 2020-21 का) वर्ष -2021-22 के अठसराय-उचरावां मार्ग से अजीज संपर्क मार्ग का नवीनीकरण कार्य मे प्रयुक्त इ-फार्म-सी / ई-एम.एम-11 (रवन्ना) या तो पत्रावली के साथ रवन्ना संलग्न नहीं रहा या प्रपत्र की जिरोक्स (फ़ोटो कापी) कापी संलग्न रहा । शासनादेश पत्रांक संख्या -39/2020/990/86-2020-52 (सा0) 2019 टीसी लखनऊ दिनांक 23 जून 2020 के क्रमांक -2 मे स्पष्ट अगाह किया गया है कि कतिपय ठेकेदारो द्वारा कार्यदायी संस्था मे कूट रचित ई-एमएम -11 जैसे -ई-एमएम -11की छाया प्रति /फ़ोटो शाप /फर्जी पोर्टल से जनरेट -ई-एमएम -11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जो गंभीर प्रकरण है| अनुमानित लागत रु017.32लाख लंबाई-2000 मीटर ठीकेदार -मे0 चरन कं0 जे0ई0-श्री मनीष कुमार अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी -श्री रणमत सिंह,वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता पटल सहायक

उत्तरदायी है । भुगतान के समय तत्कालीन अधिकारी पत्रवाली मे कमी का संज्ञान न लेने के कारण उत्तरदायी है अत : मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न सूची क्रमांक 11 से 16 तक के इ-फार्म सी पत्रावली मे संलग्न ही नहीं रही (अंतरिम आपत्ति संख्या -31 रवन्ना प्रपत्र की जिरोक्स (फ़ोटो कापी) कापी संलग्न होने व 6 प्रपत्र अप्राप्त रहा । मूल प्रपत्र न होने और प्रपत्र का फ़ोटो /जीरोक्स कापी होने के कारण उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं रहा । अत प्रपत्र संदिग्ध रहा जिसकी पुष्टि आनलाइन अपेक्षित रहा अन्यथा उपरोक्तानुसार ब्लास्ट गिट्टी 272 घनमी × 160 × 6 = 261120.00 की रायल्टी कीक्षति हुई है जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित बराबर -2 भाग मे वसूली की विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा । इस हेतु उच्च अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है । **कार्यादेश तिथि -25.01.2021 एवं बिल पर मापी तिथि -15.03.2021 रहा । जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न है । -**

((ट) - विकास खंड- सरसवाँ के वित्तीय(वर्ष 2019-20 का) वर्ष -2021-22 के कौशाम्बी पश्चिम शरीरा संपर्क मार्ग (गोराजू नहर पटरी से) नंदा बाबा का डेरा भाग पर पी0सी0 कार्य मे प्रयुक्त इ-एमएम-11 नंबर 31791904042705947 मात्रा 18 घन मीटर की फ़ोटो कापी / जीरोक्स कापी संलग्न रहा ।

1 . ब्लास्ट गिट्टी 18 घनमी × 160 × 6 = 17280.00

शासनादेश पत्रांक संख्या -39/2020/990/86-2020-52 (सा0) 2019 टीसी लखनऊ दिनांक 23 जून 2020 के क्रमांक -2 मे स्पष्ट अगाह किया गया है कि कतिपय ठेकेदारो द्वारा कार्यदायी संस्था मे कूट रचित ई-एमएम -11 जैसे -ई-एमएम -11की छाया प्रति /फ़ोटो शाप /फर्जी पोर्टल से जनरेट -ई-एमएम -11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जो गंभीर प्रकरण है । अत: संबंधित जे0ई0-श्री सुशील कुमार अभियंता- श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह के साथ भुगतान के समय तत्कालीन अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता पटल सहायक उत्तरदायी है । जिसकी पुष्टि आनलाइन अपेक्षित रहा अन्यथा :उत्तरदायी व्यक्ति से रु0 17280.00 ब्याज सहित बराबर-2 भाग मे वसूली के साथ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा |**जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न है । -**

(ठ) विकास खंड- नेवादा के वित्तीय (वर्ष 2019-20का) वर्ष -2020-21 मे ग्राम सभा गोपालपुर सैंवथा मे तिलहापुर मुख्य मार्ग से प्रा0 वि0 गोपालपुर तक सीसी कार्य मे प्रयुक्त आई.एस.टी.पी./ ई-एमएम-11 की फ़ोटो कापी संलग्न रही जबकि शासनादेश पत्रांक संख्या -39/2020/990/86-2020-52 (सा0) 2019 टीसी लखनऊ दिनांक 23 जून 2020 के क्रमांक -2 मे स्पष्ट अगाह किया गया है कि कतिपय ठेकेदारो द्वारा कार्यदायी संस्था मे कूट रचित ई-एमएम -11 जैसे -ई-एमएम -11की छाया प्रति /फ़ोटो शाप /फर्जी पोर्टल से जनरेट -ई-एमएम -11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जो गंभीर प्रकरण है । अनुमानित लागत रु010.00 लाख लंबाई-192 मीटर मे प्रयुक्त ग्रेनाइट एंड डोलो स्टोन ब्लास्ट गिट्टी 80 × 160 × 6 = 76800.00 के उपरोक्त संलग्न आई.एस.टी.पी.नंबर का प्रपत्र कई बार फ़ोटो कापी किया हुआ दर्शित रहा । मूल प्रपत्र न होने और प्रपत्र का फ़ोटो /जीरोक्स कापी होने के कारण उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं रहा अत प्रपत्र संदिग्ध रहा जिसकी पुष्टि आनलाइन अपेक्षित रहा अन्यथा उत्तरदायी व्यक्ति जे0ई0-सुश्री सनाअसद अभियंता- श्री शशिचंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी प्र0-श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर वित्तीय परामर्शदाता सत्यापन कर्ता पटल सहायक से रु0 76800.00 ब्याज सहित बराबर -2 भाग मे वसूली के साथ-2 विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा|

जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न है । -

(ड़) विकास खंड- नेवादा के वित्तीय (वर्ष 2019-20का) वर्ष -2020-21 मे ग्राम अकबराबाद मे दुर्गा मंदिर से अर्जुन पंडित के घर तकसीसी कार्य मे प्रयुक्त आई.एस.टी.पी./ ई-एमएम-11 फ़ोटो कापी /जीरोक्स कापी संलग्न रहा । शासनादेश पत्रांक संख्या - 39/2020/990/86-2020-52 (सा0) 2019 टीसी लखनऊ दिनांक 23 जून 2020 के क्रमांक -2 मे स्पष्ट अगाह किया गया है कि कतिपय ठेकेदारो द्वारा कार्यदायी संस्था मे कूट रचित ई-एमएम -11 जैसे -ई-एमएम -11की छाया प्रति /फ़ोटो शाप /फर्जी पोर्टल से जनरेट -ई-एमएम -11 बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है जो गंभीर प्रकरण है । अनुमानित लागत रु008.00 लाख लंबाई-131 मीटर के ग्रेनाइट एंड डोलो स्टोन ब्लास्ट गिट्टी 73 × 160 × 6 = 70080.00 की संलग्न आई.एस.टी.पी.नंबर का प्रपत्र कई बार फ़ोटो कापी किया हुआ दर्शित रहा मूल प्रपत्र न होने और प्रपत्र का फ़ोटो /जीरोक्स कापी संलग्न होने के कारण उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं रहा । अत प्रपत्र संदिग्ध रहा जिसकी पुष्टि आनलाइन अपेक्षित रहा अन्यथा उत्तरदायी व्यक्ति जे0ई0-श्री हिमांशु सिंह यादव अभियंता-श्री अखिलेश्वर मल्ल अपर मुख्य अधिकारी-श्री रणमत सिंह वित्तीय परामर्शदाता । सत्यापन कर्ता पटल सहायक से रु0 70080.00 ब्याज सहित बराबर -2 भाग मे वसूली के साथ-2 विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित है । -**

प्रस्तर (05) - क्षेत्रपंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार ठेका की शर्ते -खंड 2-ग विलंब के लिए प्रतिकर -समय ठेके का सारतत्व है । ठेकेदार टेंडर मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण -कार्य पूरा करेगा । इस अवधि की गणना कार्य आदेश की प्राप्ति से होगी यदि ठेकेदार इस शर्त को पूरा न करे तो वह प्रतिकार के रूप मे ऐसी धनराशि का देनदार होगा । जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमे निर्माण कार्य परिमाण मे अधूरा रह जाए सम्पूर्ण निर्माण -कार्य के उक्त अनुमानित लागत के एक प्रतिशत के बराबर होगी या ऐसी अन्य धनराशि होगी जो मुख्य अधिकारी सुनिश्चित करे किन्तु प्रतिकार की सम्पूर्ण धनराशि टेंडर मे दिखाई गई निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक न होगी । किन्तु वार-वार अवधि बढ़ाने एवं शर्तों मे कार्य की पूर्णता न होने पर भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई अर्थात या तो अर्थ दंड आरोपित नहीं किया गया या आंशिक रूप से दंड लगाया गया है । इस प्रकार न तो शासन की मंशा के अनुसार अनुदान का समय से उपयोग रहा और न ही समय से आम जनता को सुविधा ही मिल पाई और अनुबंध मे निहित शर्ते व ठेका की शर्ते खंड 2-क(भुगतानो से कटौती) व 2ग (विलंब के लिए प्रतिकार) का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है जबकि अनुबंध मे उपरोक्त स्थिति मे 1%से 10% तक कटौती का प्राविधान है किन्तु अर्थदंड की धनराशि को कम करने के विवेकाधिकार को स्वैच्छिक तरीके से लागू किया गया जिसमे अर्थदण्ड लगाने के नियम मे एकरूपता नहीं है एवं मनमाने ढंग से अर्थ दण्ड को लगाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुचाया गया है जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के ठेका नियम अनुबंध के विरुद्ध है । संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाय । उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 58 (ख) अध्यक्ष के कर्तव्य का वर्णन है कि जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमे कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करे किन्तु इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं रहा । वर्ष 2021-22 की अवधि मे कराये गए कार्यो /भुगतान के उपलब्ध पत्रावली के अनुमानित लागत पर अर्थ दंड की राशि रु0 223637.00 का आगणन मूल अधिभार प्रतिवेदन में प्रसतुत सूची के अनुसार किया जाता है जिसकी वसूली संबंधीत जिम्मेदार व्यक्ति से मय ब्याज की जानी चाहिए । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित/ संलग्न है ।**

प्रस्तर (06) जिला पंचायत-कौशाम्बी के वित्तीय वर्ष 2021-22 मे मूल अधिभार प्रतिवेदन में दिये गए विवरण के अनुसार विभिन्न ग्राम सभा मे स्ट्रीट लाइट की स्थापना दर्शाया गया है किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के भौतिक प्रगति विवरण मे लोकेशन आफ

असेट -किसी एक ही ग्राम पंचायत की फ़ीड की गई है और जिओ-टैगिंग नहीं रही । शासनादेश संख्या -1066/33-3-2021-38/2021 दिनांक 2 जुलाई 2021 के क्रमांक 2. के अनुसार व पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है । उपरोक्त प्रतिबंध मुख्यत: डुप्लिकेसी को रोकने के लिए किया गया है । इस प्रकार शासनादेश मे सुझाये गए निर्देशों का पालन नहीं रहा । इस गंभीर अनियमितता रु0**1895670.00** के लिए संबंधित अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है । अत: नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित/ संलग्न है ।**

प्रस्तर (07) (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के निम्न लिखित दुकानदारों से किराया हेतु रसीद प्रपत्र 05 निर्गत किया गया है किन्तु निर्गत रसीद के अनुसार प्राप्त धनराशि को बैंक मे रु01000.00 से कम जमा किया गया है जिसके लिए पर कर समाहर्ता /राजस्व निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय जिम्मेदार है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के निम्न लिखित दुकानदारों से किराया हेतु रसीद प्रपत्र 05 निर्गत किया गया है किन्तु निर्गत रसीद के अनुसार प्राप्त धनराशि को बैंक मे रु01700.00 से कम जमा किया गया है |स्पश्ट है प्रस्तुत निर्गत रसीद के अनुसार प्राप्त धनराशि को बैंक मे रु0 2700.00 से कम जमा किया गया है जिसके लिए कर समाहर्ता /राजस्व निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय जिम्मेदार है । जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा । **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित/ संलग्न है ।**

प्रस्तर (08) जनपद-कौशाम्बी के कर दाताओ का नाम नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत मे सम्मिलित हो जाने के कारण निम्नांकित विवरणानुसार विभव तथा सम्पत्ति पर कर बकाया है जिसकी वसूली न होने से वर्ष की आय प्रभावित रही है जबकि इसके लिये समय पर मांग पत्र दिया जाना चाहिए और वसूली हेतु ठोस सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए । तत्पश्चात वसूली न होने पर धारा 120 (3) मे स्पष्ट किया गया है कि विभव तथा सम्पत्ति पर कर का कोई बकाया जिला पंचायत द्वारा स्वमति से अध्याय 8 के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप मे वसूल किया जा सकता है किन्तु वर्ष मे कुछ ही व्यक्तियों को ही मांग पत्र व आर0सी0 जारी का होना अंकित रहा । शेष हेतु ऐसा प्रयास /कार्यवाही लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा उपलब्ध विवरण निम्नवत है -

(क) विकास खंड -मंझनपुर रू0 521570.00 (कर दाता की सूचि -77)

(**ख)** विकास खंड -सरसवाँ रू0 665120.00 (कर दाता की सूचि -104)

(ग) विकास खंड -चायल रू0 213690.00 (कर दाता की सूचि -58)

(घ) विकास खंड -मूरत गंज रू0 194345.00 (कर दाता की सूचि -66)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कतिपय कर दाताओ को आर0सी0 भेजी गई है किन्तु लेखा परीक्षा तक उक्त की वसूली नहीं हो पाई है । लगभग 3 वर्ष पूर्व नाम नगर पंचायत मे सम्मिलित हुए व्यतीत हो चुका है किन्तु अवधि के दृष्टिकोण से अब तक सम्पूर्ण वसूली हो जानी चाहिए थी किन्तु अधिसूचना जारी होते ही सक्रिय प्रयास न होने से अभी भी बकाया चला आ रहा है जिससे वर्ष मे कर /राजस्व से आय प्रभावित रहा जिसके लिए संबंधित कर निरीक्षक कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है । अत: नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही। **जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित/ संलग्न है ।**

प्रस्तर(09) - विकास खंड कौशाम्बी -कायमपुर से मोहिद्दीनपुर मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य के विचलन चार्ट मे रु0

167764.59 का बचत एवं रु0 141723.44 का अतिरिक्त व्यय दर्शाया गया है इसका अंतर रु0 26041.15 का बचत दर्शाया गया । बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से 26041.00 बढ़ाकर बनाया गया जिसके सापेक्ष उक्त कार्य नाम मात्र करके बचत किया गया है एवं रु0 141723.44 का अधिक कार्य दर्शाकर मात्र समायोजन हेतु कार्य दर्शाया गया है अर्थात अवास्तविक रु0 141723.44 व्यय/भुगतान रहा ।

आपत्ति निम्न प्रकार है -

(क) विचलन का चार्ट के मद संख्या 4,5 7,8,9 10 मे विचलन आया है । उक्त बचत एवं अतिरिक्त व्यय को देखने से स्पष्ट है कि एस्टिमेट जानबूझकर पहले से .रु0167764.59 बढ़ाकर बनाया गया अर्थात एस्टिमेट रु02678400.00 -167764.59 = 2510635.41 + 26041.00 =2536676 का ही वास्तविक होना चाहिए |

(ख) उक्त विचलन की स्थिति मे नियमानुसार स्वीकृत कर्ता से अनुमति नहीं ली गयी है जबकि उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के -नियम -15 के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य मे तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो उसकी स्वीकृति न दे दे प्रतिबंध यह है कि नक्शे मे किसी ऐसे छोटे परिवर्तन की स्वीकृति जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान मे केवल मूल्य अनुमान के 10 % से अनधिक या 500.00 रुपये को इसमे जो भी कम हो वृद्धि हो ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती जो इस नियमावली के अधीन ठेका स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो । अत: रु0 141723.44 या 141723.00 अवास्तविक व्यय की वसूली ब्याज सहित अभियंता- श्री शशिचंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी प्र0-श्री डॉ वीरेंद्र बहादुर वित्तीय परामर्शदाता,संबंधीत से की जानी चाहिए ।

जिसका विस्तृत विवरण मूल अधिभार प्रतिवेदन में अंकित/ संलग्न है ।

जनपद-प्रतापगढ़ मण्डल - प्रयागराज

प्रारूप-2
जिला पंचायत-2019-20

प्रस्तर–1 वित्तीय वर्ष 2019–20 दौरान नौकाघाटो से जनपद की आय 3.58 लाख की आय बजट में प्रस्तावित की गयी जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान आय शून्य दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था प्रबन्धन द्वारा इस प्रति सक्रिय प्रयास नहीं किये गये। वसूली नहीं होने के वसूली कार्मिकों के साथ अपर मुख्य अधिकारी प्रमुख रूप से दोषी है इकाई द्वारा नौकाघाटो से आय की बृद्धि हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को उक्त कार्य हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिये साथ ही मछुआ समुदाय अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों की गोष्ठी आहुत कर प्रस्ताव मांगे जाने चाहिये थे जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अंचल के जरूतमंद लोगों को रोजगार प्राप्त होता एवं जिला पंचायत की भी निजी श्रोत की पूंजी में बृद्धि होती। नौकाघाटो से जनपद को आय की कमी हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा के साथ–साथ, लेखाकर श्री वृजेस सिंह तथा निरीक्षण श्री आशोक कुमार श्रीवास्तवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री रामचन्द्र, श्री अभय सिंह यादव एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।**(सा0अ0सं0–09)**

प्रस्तर–2 जिला पंचायत प्रतापगढ़ के स्वामित्व में 159 दुकाने है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा दुकानों के आवंटन के समय के ही दर से किरया वसूली की जा रही है। शा0सं0 6336/33–9–97–1057/97 दिनांक 27.12.1997 के विन्दु 06 में प्रावधानित किया गया हैं कि प्रति तीन वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत किराये में बृद्धि प्रस्तावित की जानी चाहिये। जिला पंचायत में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ के बाद भी अभिलेखों के रख रखाव में उदासीनता में जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। लेखा परीक्षा दौरान इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 31.03.2020 को रू0 5.93 लाख की धनराशि बकाया थी। मांग वसूली रजिस्टर शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुरूप अद्यावधिक कराकर गत वर्षो की बकाया तथा वर्ष 2019–20 तक की वसूली करायी जानी अपेक्षित हैं। जिला पंचायत द्वारा डिफाल्टरों पर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण संस्था की आय में कमी हो रही है। जिला पंचायत में लिपिक संवर्ग के 14 एवं सहायक/राजस्व निरीक्षक के 12 कर्मचारी होतु हुये भी सभी अभिलेख पूर्ण न होना घोर उदासीनता का द्योतक है । इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा , श्री वृजेस सिंह तथा निरीक्षण श्री आशोक कुमार श्रीवास्तवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री रामचन्द्र, श्री अभय सिंह यादव एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**(सा0अ0सं0–10)**

प्रस्तर–3 जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 दौरान मृत पशु शव निस्तारण के मद में मात्र रू0 3.00 लाख की मांग की गयी। प्रपत्र 03 में अंकित एवं लेजर के अनुसार उक्त मद में 17.38 लाख बकाया शेष था। वित्तीय वर्ष दौरान उक्त मद से कुल आय मात्र रू0 472.00 की ही आय दर्शित हैं । मृत पशु शव निस्तारण के मद में कर निरीक्षकों एवं पटल सहायक की उदासीनता के कारण मात्र कुल मांग के सापेक्ष 2.32 प्रतिशत मांग के सापेक्ष वसूली की जा सकी। जिला पंचायत में लिपिक संवर्ग के 14 एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के 12 कर्मचारी होते हुये भी सभी अभिलेख पूर्ण न होना घोर उदासीनता का द्योतक हैं। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा , श्री वृजेस सिंह तथा निरीक्षण श्री आशोक कुमार श्रीवास्तवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री रामचन्द्र, श्री अभय सिंह यादव एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**(सा0अ0सं0–16)**

प्रस्तर–4 वित्तीय वर्ष 2019–20 दौरान "हाट बाजार एवं तहबाजारी"" से जनपद की आय प्रपत्र 01 "निजी श्रोतो से आय का विवरण" एवं प्रपत्र 03 "वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग एवं गत वर्षो के बकाये के सापेक्ष वसूली का विवरण" में उक्त मद में मांग शून्य दर्शित है । यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा सम्भावित राजस्व की खोज एवं वर्तमान राजस्व में बृद्धि का किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। प्रपत्र संख्या 03 के अनुसार "हाट बाजार एवं तहबाजारी" के मद में गत वर्षो का रू0 20.69 लाख की धनराशि अवशेष है जिसके सापेक्ष मात्र रू0 0.02 लाख की वसूली (0.10 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी। जिला पंचायत के संसाधनों एवं उनके उपयोग का अनुश्रवण सम्यक ढंग से नहीं होने के कारण उक्त मद में अभी भी 20.67 लाख अवशेष है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से कठोर वित्तीय अनुशासन का पालन ही करने के कारण अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा , श्री वृजेस सिंह तथा निरीक्षण श्री आशोक कुमार श्रीवास्तवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अजीत प्रताप सिंह, श्री प्रेम शंकर पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री रामचन्द्र, श्री अभय सिंह यादव एवं श्री आशीष कुमार पाण्डेय भी सीधे उत्तरदायी है। उक्त अधिकारियों एवं कार्मिको से अवशेष धनराशि की वसूली विभागीय निर्देशानुसार हेतु प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**(सा0अ0सं0–20)**

जिला पंचायत-2020-21

प्रस्तर 5 :–

त्रिस्तरीय पंचायतीराज ईकाईयों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों) में कार्यों में दोहरीकरण रोकने हेतु शासनादेश सं0 4/866/33–2–14–93 जी–/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं पुनः उसक`लिए अतिरिक्त बल देने हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के द्वारा शासनादेश सं0 1838/33–3–2015–03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार निम्न प्रकार निर्माण कार्यों का वर्गीकरण किया गया है।

(क) ग्राम पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे ग्राम पंचायत के अंदर कार्य सम्पन्न कराये जाये।

(ख) क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।

(ग) जिला पंचायतों को प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी।

इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की अवक्रमण करते हुए ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	मार्ग का नाम	भुगतान की गई धनराशि
1.	ग्राम सभा समसपुर में बैरहना सरोज बस्ती से जगन्नाथ यादव के घर तक सी0सी0 रोड	367360.00
2.	ग्राम सभा हिरामनपुर में मोलनापुर पक्की सड़क से अरुण सिंह के घर तक	266784.00
3.	ग्राम सभा दहिलामऊ में साकेत डिग्री कालेज के बगल प0स0 से वर्मा बस्ती तक सी0सी0 रोड	346528.00
4.	गयासपुर मौली रोड से मो0 मोईन के घर से नन्हरवां के घर तक स0मा0	366688.00
5.	डीह रजबहा से मिस्त्री का पुरवा में पूर्व सदस्य जगन्नाथ के घर तक सी0सी0 रोड	369376.00

6.	त्रिलोचनपुर में सुनील कुमार के घर होते हुए मुल्ला जी के घर तक सी0सी0 रोड	579712.00
7.	खिदिरपुर में सरोज बस्ती में पक्की नाली निर्माण	335888.00
8.	शिवबक्स के पुरवा में काली माई के पास रामदुलाने के घर तक सी0सी0 रोड	654976.00
9.	भिटारा शकरदहा प0स0 कसे कोड़रा हरिजन बस्ती तक सी0सी0 कार्य	782768.00
10.	बल्ला प0स0 से बसंतलाल नाइ के घर तक सी0सी0 रोड	187936.00
11.	गौरा ग्राम सभा प0स0 से केदार यादव के घर तक सी0सी0 रोड	965440.00
12.	ग्रामसभा सैफाबाद में पट्टीनोही स0मा0	396480.00
13.	महराजपुर रोड से महराजपुर में लाल धोबी के घर तक सी0सी0 रोड	766080.00
14.	भड़कोहरी में झूरी के टयबवेल से कल्लू पटेल के घर तक	702016.00
15.	ग्राम सभा चघई में टयूबवेल से जामा मस्जिद तक	498400.00
16.	लौंदा में लखुनगंज अमृत सरोज के घर तक	618912.00
17.	जहानाबाद मार्ग से पसियाना तक	582400.00
18.	संजय सिंह के घर से लखन यादव के घर तक	985600.00
19.	नरसिंहपुर प0सं0 रामप्रसाद सरोज से रामआसरे पटेल के घर तक	912360.00
20.	दुर्गागंज मार्ग से माता प्रसाद की चक्की से राजकुमार के घर तक	819845.00
	योग	**11505549.00**

इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा एवं अभियंता श्रीमती प्रेमलता दोहरे उत्तरदायी रहे। **(मूल आपत्ति सं0–07)**

प्रस्तर 6 :–

अनुदान पंजिका में दिनांक 22.09.2021 को निम्न प्रकार यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत पर भुगतान किया गया है :–

क्र. सं.	**ग्राम पंचायत का नाम**	**धनराशि**
1.	पूरेबीरबल	81312.00
2.	साहबगंज	111664.00
3.	लालगंज	48608.00
	योग	**241584.00**

इसमें निम्न आपत्तियां है :–

1. परिसम्पत्ति रजिस्टर ईकाई द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे यात्री प्रतीक्षालय परिसम्पत्ति कब सृजित की गई अवगत नहीं हो सका।
2. इसके कार्य कराने से पूर्व विज्ञापन टेण्डर न्यूनतम दर चार्ट, एवं शर्तों की जानकारी हेतु क्या कार्यवाही की गई, अवगत नहीं कराया गया। इससे सम्बन्धित बजट आवंटन शासन

को सूचना एवं अनुमोदन कब प्राप्त किया गया की जांच हेतु निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

(मूल आपत्ति सं0–09)

प्रस्तर 7 :–

दण्ड शुल्क का कम अधिरोपण सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार समयबद्धता किसी भी अनुबंध का सार है अनुबंध के अन्तर्गत उ0प्र0 निर्माण नियमावली–1994 के अनुसार कार्य विलम्ब से पूर्ण होने की स्थिति में अपूर्ण कार्य पर प्रतिदिन सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत के बराबर का शुल्क ठेकेदारों के बिलों से वसूल किया जाना था यद्यपि दण्ड शुल्क की धनराशि निर्धारित करने का विवेकाधिकारी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी में निहित था अग्रेतर नियमों में यह प्राविधान है कि इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की पूरी राशि निविदा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की पूरी राशि निविदा में प्रदर्शित कार्यों के अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यों के चरण वार प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया था। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020–21 में किये गये विभिन्न कार्यों में जिला पंचायत ने अपने कार्य विलम्ब से पूर्ण किये थे, यह देखा गया कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत ने आंशिक रूप से दण्ड आरोपित किये जिससे जिला पंचायत को रु0 1,78,841.00 की क्षति हुए इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा एवं सहायक लेखाकार श्री बृजेश सिंह उत्तरदायी रहे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	प्राकलन की धनराशि	विलम्ब शुल्क जि0पं0 द्वारा वसूल	लेखा परीक्षा अनुसार 1 प्रतिशत	अन्तर की धनराशि कम वसूल
1.	बरहूपुर बाजार से वर्मा बस्ती मुस्लिम बस्ती स0मा0 पी0सी0 कार्य।	28.02.21	27.03.21	25.09.22	841355	3000	8413	8113
2.	पूरेमुस्तका स0मा0 से काजी का पुरवा स0मा0 मरम्मत कार्य।	17.06.21	16.02.21	02.02.22	860442	2000	8604	8404
3.	शेखरा गाँव सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य।	04.01.21	03.03.21	20.07.22	800846	4000	8008	7608
4.	उमरी कोटिला पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक लेपन कार्य।	02.01.21	01.04.21	30.06.22	2135659	1000	21356	21256
5.	रामगंज तियाई हाइवे से बरी भोज स0मा0 पी0सी0 कार्य।	20.09.21	19.12.21	25.09.22	2378862	3000	23788	23488
6.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरगंज।	18.05.21	17.07.21	23.12.21	314271	2000	3142	2942
7.	रेहुआ लालगंज मंगापुर हाइवे से पूरे माफीदार तक स0मा0 मरम्मत।	08.06.21	07.09.21	23.01.22	1790694	2000	17906	17706

8.	विलग्राम उन्नाव मार्ग से बरई का पुरवा होते हुए मण्डिलवा तक स0मा0 का अवशेष भाग पी0सी0।	15.01.21	14.03.21	18.04.22	880526	4000	8805	8405
9.	ग्राम सभा जमुआरी पगुलापुर नहर पक्की सड़क से जमुआरी स0मा0	02.01.21	01.04.21	16.04.22	1155819	4500	11558	11108
10.	सराय आनादेव मार्ग मंदिर पक्की सड़क से भागीरथी पट्टी तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य।	28.01.21	27.03.21	04.11.21	50021	3000	500	4705
11.	पूरे भइया में निर्मित सड़क का अवशेष भाग सी0सी0।	18.02.21	17.04.21	17.11.21	371698	2000	3716	3516
12.	खजुरनी औवार मुख्य मार्ग परमाकृष्ण यादव से शिवकुमार के घर तक सी0सी0।	28.01.21	21.03.21	28.09.21	855664	4000	8556	8156
13.	दहिलामऊ में स0मा0 सी0सी0।	06.01.21	05.03.21	22.11.21	626015	2000	6260	6060
14.	इलाहाबाद उन्नाव मार्ग से दन्तू का पुरवा बड़गो मार्ग पर स0म0 सी0सी0 कार्य।	15.01.21	14.03.21	02.07.21	879668	2000	8796	8596
15.	खडवा हरनाहर मार्ग से पूरे चन्द्रन कौड़ियाडीह मार्ग मरम्मत कार्य।	15.01.21	14.04.21	07.11.21	1048981	2000	10489	10289
16.	मंगापुर मार्ग से खानीपुर स0मा0 सी0सी0 कार्य।	02.01.21	01.03.21	10.07.21	813805	4000	8138	7738
17.	ढ़िगवस पक्की सड़क जलपा मंदिर से पुराना कोट तक।	15.01.21	14.03.21	25.11.21	840116	2000	8401	8201
18.	बैरमपुर पक्की सड़क से पूर्ण इंटरलाकिंग तक।	12.01.21	11.03.21	05.11.22	239000	2000	2390	2190
19.	बारहपुर बाजार से वर्मा बस्ती मुस्लिम बस्ती स0मा0 पी0सी0 कार्य।	09.11.21	08.02.22	12.08.22	1066039	3000	10660	10360
							Total	**178841**

(मूल आपत्ति सं0–22)

प्रस्तर–8 नजारत अनुभाग द्वारा प्रपत्रों की छपवाई में रू0 29817.00 का भुगतान किया जाना बिना कोटेशन के प्रपत्र छपवाये गये। स्टॉक की आमद प्रविष्टि और कन्ज्युमेबिल रजिस्टर बनाकर उसके पृष्ट का हवाला नही दिया गया।

(मूल आपत्ति सं0–17)

प्रस्तर–9 शासन द्वारा निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी को रोकने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायतध्क्षेत्र पंयायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1639/33–03–2015–03 दिनांक 19.06.2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33–03–2015–03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा

निर्देश दिये गये है। किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या 1838/33–03–2015–03/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु 03 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी बिन्दु 07 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु0 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाएं ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की जाएगी। जिसका संस्था द्वारा उल्लंघन किया गया है। साथ ही उ०प्र० शासन जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक संख्या–305 (1) 33–सेल/2019 दिनांक 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर 01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मार्ग निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाये तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में किये अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है। लेपन कार्यों का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया गया जायेगा। उक्त का भी अनुपालन नहीं किया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

अतः शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रूपया योग रु0 151.697 की स्वीकृत कार्य योजना के आधार पर कार्य का सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी भी पुनीत वर्मा वित्त परामर्शदाता श्री मनोज कुमार द्विवेदी एंव अभियंता श्रीमती हेमलता दोहरे उत्तरदायी रहे है।

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्रकृति	कुल धनराशि
1	बाबागंज	प्रतापगढ़ ब्रान्च से प्रीतमपुर पक्की सड़क तक मरम्मत कार्य	पी०सी०	9.810
2.	बाबागंज	कुम्हा जेठवारा मार्ग से धीरेन्द्र यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग	पी०सी०	2.971
3	बाबागंज	भुतेहापुर नहर पुलिया से नहर तक खडणजा मार्ग	खण्डजा	6.934
4	मंगरौरा	अतरसण्ड अस्थान नहर पक्की सड़क से मदाफरपुर पाल बस्ती सं० मा० का अवशेष भाग	सी०सी०	5.965
5.	पट्टी	ग्राम नारंगपुर में पक्की सड़क सेनारंगपुर तक सम्पर्क मार्ग	सी०सी०	9.967
6	आसपुरदेवसरा	हरि का पुरवा पक्का सड़क रोबस्ती तक सम्पर्क मार्ग	सी०सी०	9.966
7	आसपुरदेवसरा	सदहा पक्की सड़क से दुबान चौरसिया फकीर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	खण्डजा	9.932

8	गौरा	मेडुवा ग्रामसभा पक्की सड़क सेयादव के घर तक सम्पर्क मार्ग	सी०सी०	7.485
9	गौरा	सुल्तानपुर नहर पक्की से यादव बस्ती तक अवशेष भाग	सी०सी०	8.066
10	गौरा	ग्राम पटहटिया कला पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	सी०सी०	7.517
11	शिवगढ़	मिसिददीपुर पक्की सड़क से बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	पी०सी०	8.104
12	शिवगढ़	चकसारा पक्की सड़क से चकसारा पंचायत तक सम्पर्क मार्ग	पी०सी०	8.010
13	मानधाता	छितपालगढ़ बाजार से साधन सहकारी समिति खरवाई होते हुए नहर पुल तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।	पी०सी०	9.960
14	मानधाता	ग्राम नुरपुर में सम्पर्क मार्ग से नाई बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	खण्डजा	3.508
15	मानधाता	ग्रामसभा रामपुर से अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग से मो. आरिफ के घर तक सम्पर्क मार्ग	सी0सी0	9.442
16	मानधाता	मानधाता दारापुर सुमेरपुर सम्पर्क मार्ग से दूल्हेपुर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत कार्य	पी0सी0	5.096
17	मानधाता	जूड़ापुर सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य	सी0सी0	9.579
18	मानधाता	लक्ष्मीगंज सराय आनादेव मार्ग से शान्ती पब्लिक स्कूल तक खण्डजा कार्य	खण्डजा	9.504
19	मानधाता	खरवई ग्राम सभा में अवशेष भाग सम्पर्क मार्ग	सी0सी0	6.881
20	मानधाता	पलहान सं० मा० से फकीर सड़क से पूरे मनीराम सम्पर्क कार्य	पी0सी0	3.000
			कुल योग	**151.697**

(मूल आपत्ति सं0–13)

जिला पंचायत-2021-22

प्रस्तर-10 जनपद-प्रतापगढ़ सम्भाग-प्रयागराज

विभिन्न सिविल वर्क के देयकों की जांच की गई, ठेकेदार के देयकों में निम्न प्रकार पी0डब्लू0डी0 शेय्डूल रेट से अधिक निम्न अर्थ वर्क में अधिक दरों पर भुगतान करके शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया गया। जिसके लिए अवर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे।

क्र. सं0	नाम सिविल वर्क या वाउचर सं0	देयक में दर्शित दर मात्रा/दर	पी0डब्लू0डी0 शियूलरेट के अनुसार वास्तवकि दर मात्रा/दर	अन्तर	अधिक भुगतान की गई धनराशि
1.	पूरब देऊम मार्ग पर पूरे विजय सिंह से पसियान 53/07.03.2022	20.66 एम3 दर 132.50	20.66 एम3 दर 109	20.66 एम3 दर 23.50	485.00
2.	58/07.03.2022	28.70 एम3 दर 132.50	28.70 एम3 दर 109	28.70 एम3 दर 23.50	674.00
3.	62/07.03.2022	23.76 एम3 दर 132.50	23.76 एम3 दर 109	23.76 एम3 दर 23.50	558.00
4.	65/07.03.2022	25.50 एम3 दर 132.50	25.50 एम3 दर 109	25.50 एम3 दर 23.50	599.00
5.	117/टाइड	115.76 एम3 दर 141.20	115.76 एम3 दर 109	115.76 एम3 दर 32.20	3727.00
6.	118/ ,,	151.20 एम3 दर 141.20	151.20 एम3 दर 109	151.20 एम3 दर 32.20	4868.00
7.	128/ ,,	342 एम3 दर 87.20	342 एम3 दर 86.40	342 एम3 दर 0.80	274.00
				योग रू.	**11185.00**

पी0डब्ल्यू0डी0 शेड्यूल दर की मांग लेखा परीक्षा द्वारा की गई जो उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरिलिखित आपत्ति, ईकाई के विभिन्न तथ्य एवं इन्हीं के प्रमाणकों में अंकित अंकनों एवं अपने स्तर पर जुटाई गयी मौखिक जानकारी के आधार पर की गई है। जिसके लिए श्रीमती प्रेमलता दोहरे एवं पुनीत वर्मा उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर-11 जनपद-प्रतापगढ़ सम्भाग-प्रयागराज

शासन द्वारा निर्माण कार्यो में दुहराव को रोकने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1639/33–03–2015–03/दिनांक 19.06.2015 एवं शासनादेश सं0–1838/33–3–2015–03/दिनांक 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गये, के क्रम में ईकाई द्वारा नियमानुसार अनुदान की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है। अनुदान पंजिका के अनुसार जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी, उक्त शासनादेश के बिन्दु 7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु0 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनाएं ही अधिकांश रूप से अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित की जायेंगी, का उल्लंघन किया गया है, साथ ही उ0प्र0 शासन जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ सं0– 305(प)/33–सेल/2019 दिनाक 26 फरवरी 2019 के प्रस्तर

01 के क्रमांक 11 के अनुसार जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही मार्ग निर्माण हेतुं कार्यादेश जारी किए जाय तथा क्रमांक 19 में अनुरक्षण के कार्य में मूल निर्माण कार्य का वर्ष तथा पूर्व में किए अनुरक्षण कार्य का वर्ष अंकित करना अनिवार्य है, का उल्लंघन करके बिना किसी सूचना अंकित किए अनुरक्षण कार्य कराये गये।

लेपन कार्यों का सतह नवीनीकरण का कार्य 8 वर्ष के चक्रानुक्रम में किया जायेगा, का अनुपालन नहीं किया गयाा।

अतः शासनादेश का उल्लंघन करके निम्न विवरणानुसार निम्न कार्य कराये गये है :–

क्र. सं0	कार्य का नाम	कार्य प्रकृति	उपयोग में दिखायी गयी धनराशि
1.	ग्रामसभा समसपुर में सर्विस रोड से प्रा0वि0 तक	पी0सी0	907200.00
2.	रामापुर पक्की सड़क से यादव बस्ती तक	पी0सी0	664160.00
3.	पिपरी खालसा नहर की पटरी से हरिओम मिश्र के घट तक	मरम्मत	330624.00
4.	ग्रामसभा चिचिहटा में सरोजनी तिवारी के घर से धोबी तालाब तक	नाला निर्माण	535360.00
5.	ग्रामसभा गोगौर में गांधी चबूतरा से यादव बस्ती तक	सम्पर्क सी0सी0	868000.00
6.	ग्रामसभा छतरपुर में गणेशनारायण सिंह के पाही तक	सोलिंग	518560.00
7.	बबूरहा सरकारी ट्यूबवेल से मंदिर तक	सी0सी0	598304.00
8.	ग्रामसभा बझान में पिचरोड से प्रा0वि0 तक	सोलिंग	349608.00
9.	ग्रामसभा अरूआव में पक्की सड़क से लल्लन सिंह के घर तक	सोलिंग	144256.00
10.	ग्रामसभा किलहवापुर में सुशीला शुक्ला के घर	पी0सी0 / सोलिंग	122528.00
11.	ग्रामसभा बुलाकीपुर में जयराम सिंह के घर तक	,,	392560.00
12.	शेषरा गाँव में सम्पर्क मार्ग	सी0सी0	81760.00
		योग	**5512920.00**

जिसके लिए श्रीमती प्रेमलता दोहरे एवं पुनीत वर्मा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर-12 जनपद-प्रतापगढ़ सम्भाग-प्रयागराज

अनुदान रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि दिनांक 04.12.2021 को चौक घंटाघर से रजहा मार्ग पर रू0 80192.00 का भुगतान सिविल कार्य हेतु ठेकेदार को किया गया सिविल वर्क के नाम के अनुसार व्यय कार्य प्रतापगढ़ सिटी के अन्दर कराया गया है जो दूसरे कार्य क्षेत्र में आता है। इस प्रकार इस कार्य हेतु किया गया भुगतान अनियमित है, जिसके लिए श्रीमती प्रेमलता दोहरे एवं पुनीत वर्मा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

जनपद - प्रयागराज मण्डल - प्रयागराज

प्रारूप - 02

जिला पंचायत प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22

आपत्तियों का पूर्ण विवरण-

जिला पंचायत, प्रयागराज की वर्ष **2021-22** की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 1- जिला निधि कैशबुक में दिनांक **10.09.2021** को बाउचर संख्या **12** द्वारा श्री ओमप्रकाश, चपरासी का बकाया वेतन दिनांक **01.07.2019** से **31.07.2019** तक का कुल रु. **33918.00** भुगतान किया गया है। जबकि संलग्न बाउचर में भुगतान हेतु मात्र **33419.00** ही अंकित है। इस प्रकार रु. **499.00** का अधिक भुगतान श्री ओम प्रकाश चपरासी को किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गयी धनराशि रू **499.00** की वसूली तत्कालीन लेखाकार गिरिजेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- **02)**

प्रस्तर 2. जिला पंचायत, प्रयागराज के पब्लिक लेजर खाता (पी.एल.ए.) में रू. **17119867.74** की धनराशि अवरूद्ध कर रखी गयी है। शासनादेश संख्या **7/2018/**ए-**1-08**ए०जी०/दस-**2018-10(50)/2011** दिनांक **14** मार्च **2018** में स्पष्ट रूप से आदेशित है कि "एक वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी धनराशि यदि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व उपयोग मे नही लायी जाती है तो वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जानी चाहिये।" उक्त धनराशि का अनेकों वर्ष तक निष्प्रयोज्य पड़े रहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद- **202** व उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के नियम-**138-146** में दी गयी व्यवस्था के प्रतिकूल है। अतः पब्लिक लेजर खाते में रू **171.199** लाख की धनराशि अनियमित रूप से अवरूद्ध रखे रहना नियमों एवं संस्था के हितों के प्रतिकूल रहा है। अतः पब्लिक लेजर खाते में रू. **171.199** लाख की धनराशि का अनियमित रूप से अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है। इसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल, वित्तीय परामर्शदाता श्री अमित कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री गिरिजेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या** 03**)**

प्रस्तर 3. गत वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार अप्रयुक्त/अवशेष धनराशियां जिनका उल्लेख अनुदान रजिस्टर एवं त्रैमासिक सूचना पुस्तिका में नही किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता एवं आपत्ति है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रस.	मद का नाम	अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	भूराजस्व	**3.13**	वर्ष **2010-11** के पूर्व का
2	बारहवां वित्त आयोग	**81.30**	
3	दशम् वित्त आयोग	**8.23**	
4	ग्यारहवां वित्त आयोग	**24.81**	
5	डी.आर.डी.ए.	**4.53**	
	योग	**122.00**	

उक्त अवशेष धनराशि रु **122** लाख विगत् कई वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी हुयी है जिसे शासन की संदर्भित करते हुये समर्पण कर देना चाहिये। अनावश्यक रूप से धनराशि का अवरूद्ध रहना गम्भीर आपत्ति है साथ ही इसे त्रैमासिक सूचनाओं में न दर्शाया जाना भी आपत्तिजनक है, इससे गम्भीर अनियमितता / दुरूपयोग की सम्भावना रहती है। इस

प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल, वित्तीय परामर्शदाता श्री अमित कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री गिरिजेश कुमार उत्तरदायी है। (सामान्य आपत्ति संख्या - **04)**

प्रस्तर 4. तेरहवां वित्त आयोग का वर्ष **2021-22** में प्रारम्भिक अवशेष **237.676** लाख था जिसमें **176.65** लाख का व्यय किये जाने के पश्चात धनराशि रू **67.311** लाख अन्तिम अवशेष के रूप में दर्शाया गया है। जबकि यह योजना वर्ष **2016-17** में समाप्त हो गयी है। इस धनराशि रु **67.311** लाख को या तो समयान्तर्गत उपभोग कर लिया जाना चाहिये था अथवा शासन को समर्पण कर दिया जाना चाहिये। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्च पटेल, वित्तीय परामर्शदाता श्री अमित कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री गिरिजेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
(सामान्य आपत्ति संख्या - **05)**

प्रस्तर 5. टी.डी.एस. (आयकर) न काटकर शासकीय राजस्व की हानि एवं आयकर अधिनियम **1961** सेक्शन-**194 (**सी) का अनुपालन न करना आयकर अधिनियम **1961** सेक्शन **194 (**सी) के अनुसार रु **30000.00** या उससे अधिक के एकल भुगतान या वित्तीय वर्ष में कुल रु **75000.00** या उससे अधिक के भुगतान पर दो प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. (आयकर) की कटौती की जानी चाहिये।

जिला पंचायत, प्रयागराज के वित्तीय वर्ष **2021-22** की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में निम्नवत विवरण के अनुसार कुल रु **51309.00 (**रू इक्यावन हजार तीन सौ नौ मात्र) की आय कर कटौती संस्था द्वारा न कर शासकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है जिसका लाभ अधिक भुगतान कर ठेकेदारों को पहुंचाया गया है।

क्र. सं	विवरण	भुगतान की धनराशि एवं दिनांक	आयकर (टी.डी. एस.) दर **2%**	टिप्पणी
	सत्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी पुनीत एडवर्टाइजिंग एजेंसी	**275664.00** **179099.00**	**9095.00**	
	देवा रोड लाईन्स	**682657.00**	**13653.00**	
	पूर्वांचल फेट कैरियर	**522151.00**	**10443.00**	
	ए.एल. एसोसिएट्स	**497500.00**	**9050.00**	
	प्रधान ट्रेडर्स	**97679.00**	**1954.00**	
	परिवर्तन, इण्टरप्राइजेज	**153491.00**	**3070.00**	
	मिलन, इण्टरप्राइजेज	**157194.00**	**3144.00**	
	योग-	**2565435.00**	**51309.00**	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत, प्रयागराज द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में नियमानुसार टी.डी.एस. (आयकर) की कटौती न किये जाने के फलस्वरूप धनराशि रु **51309.00** के राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री गिरिजेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। कटौती/वसूल की गयी आयकर की धनराशि चालान द्वारा जमा कर वित्तीय वर्ष **2021-22** की आयकर विवरणी को भी संशोधित कराया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या - **06)**

जनपद- सहारनपुर **मण्डल – सहारनपुर**

प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जिला पंचायत सहारनपुर अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 की गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण -

प्रस्तर- **01**

मृतक पशु शव निस्तारण आय दिनांक 31.03.2020 को वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 के अन्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के अन्तर्गत रूपये 34.46 लाख बकाया दर्शाया गया है। इस मद की वास्तविक बकाया राशि की जाँच एवं पुष्टि अपेक्षित है। बकाया सूची के अनुसार अधिकांश बकाया विगत वर्षो से यथावत चली आ रही है। जिसकी यथासमय वसूली करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर- **2**

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी-33-314(2)84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/03-02-797-48(पी)(87)/95टी.पी. दिनांक 30.05.1997 एवं शासनादेश संख्या 2957/1-33-2-20045सा०/04/01/02 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2019-2020 में रूपये 1125000.00 की आय में ग्राम पंचायतों को रूपये 562500.00 उनका अंश नही दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा भी पहुँची है। उपरोक्त के लिए जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर- **3**

वर्ष 2019-2020 में सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया मद के रजिस्टरों की लेखा बन्दी करके अवशेष बकाया रूपये 3846942.00 अर्थात 38.47 लाख को प्रमाणित नही किया गया है किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे दिनांक 31.03.2020 को रूपये 52.81 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 14.34 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे अधिक दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। बकाया की नामवार सूची प्रस्तुत न करके संकलित बकाया राशि विवरण पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार, श्री योगेन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
(साधारण आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर- **4**

वर्ष 2019-2020 में विभव एवं सम्पत्ति कर की नामवार बकाया सूची जांच व पुष्टि में अनुपलब्ध रही। संकलित बकाया विवरणपत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को इस मद मे रूपये 36389544.32 अर्थात 363.90 लाख बकाया दर्शाया गया है। किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे दिनांक 31.03.2020 को रूपये 343.07 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 20.83 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे कम दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार, श्री योगेन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(साधारण आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर- **5**

दिनांक 31.03.2020 को चतुर्थ मास वित्तीय वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रपत्र संख्या-07 के अन्तर्गत अस्थायी समयोजित अग्रिमो के समयायोजनो का विवरण पत्र संलग्न है जिसके अनुसार परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, सहारनपुर से विगत वर्षो का यथावत रूपये 2.25 लाख अग्रिम प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर से रूपये 2.00 लाख इस प्रकार कुल रूपये 4.25 लाख पावना मद का शेष दर्शित है। इस मद के लेनदेन का एकाउंट एवं पुष्टि विषयक प्रमाण पत्र, इस अग्रिम की वसूली हेतु किये गये पत्राचार की पत्रावली आदि अनुपलब्ध रही। यथासमय इस अग्रिम की वसूली /समायोजन करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर- **6**

वर्ष आलोच्य 2019-2020 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर मद से आय रूपये 6148189.00.00 अंकित है जो कैशबुक के अनुसार है किन्तु सम्पत्ति एवं विभव कर मद के संकलित मांग-वसूली के उपलब्ध कराये गये विवरण पत्र मे रूपये 5708378.08 की वसूली अंकित है। इस प्रकार रूपये 439810.92 का अन्तर है जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया है तथा अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक/लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर- **7**

वर्ष आलोच्य 2019-2020 की लेखा परीक्षा के समय कतिपय निर्माण कार्यो की पत्रावलियां अनुपलब्ध रही जिसके कारण इन कार्यो के भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी :-

क्रमांक	**कार्य का संक्षिप्त विवरण**	**व्यय धनराशि**
1	ब्लाक पुवाँरका के ग्राम लखनौती कँला मे जनता रोड से रजवाहे वाले रास्ते पर ,शमशान घाट की ओर मिट्टी/खडंजा कार्य का भुगतान	162402.00
2	ब्लाक सरसावा के ग्राम मानकुमार मे खेडे से प्राइमरी स्कूल की ओर मिट्टी/खडंजा कार्य का भुगतान	278000.00
3	ब्लाक बलिया खेडी के ग्राम कोलकी कँला मे मैनरोड से तालाब की ओर मिट्टी/खडंजा कार्य का भुगतान	199000.00
	योग	**639402.00**

उक्त भुगतानो की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 639402.00 की वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा तथा जे0 ई0 से किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर- **8**

दिनांक 1.4.2019 को नौका घाट मद की आय प्रपत्र-3 मे रूपये 1.01 गतवर्षो की बकाया अंकित थी। वर्ष 2019-2020 की मांग शून्य रही और वसूली भी शून्य रही है। अतः दिनांक 31.03.2020 को गत बकाया रूपये 1.01 लाख शेष दर्शाया जाना था किन्तु प्रपत्र-3 मे यह बकाया शून्य दर्शित है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। नामवार बकाया सूची आदि भी लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रही। अवशेष बकाया सूची कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकारश्री योगेन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-28)

जिला पंचायत सहारनपुर अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 की गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण –

प्रस्तर- **9 —**

मृतक पशु शव निस्तारण आय दिनांक 31.03.2021 को वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 के अन्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के अन्तर्गत रूपये 35.13 लाख बकाया दर्शाया गया है। इस मद की वास्तविक बकाया राशि की जाँच एवं पुष्टि अपेक्षित है। बकाया सूची के अनुसार अधिकांश बकाया विगत वर्षो से यथावत चली आ रही है। जिसकी यथासमय वसूली करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का है। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर- **10 —**

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी-33-314(2)84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/03-02-797-48(पी)(87)/95टी.पी. दिनांक 30.05.1997 एवं शासनादेश संख्या 2957/1-33-2-20045सा०/04/01/02 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2020-2021 में रूपये 1058000.00 की आय में ग्राम पंचायतों को रूपये 529000.00 उनका अंश नही दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा भी पहुँची है। उपरोक्त के लिए जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर- **11—**

वर्ष 2020-2021 में सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया मद के रजिस्टरों की लेखा बन्दी करके अवशेष बकाया रूपये 4154759.00 अर्थात 41.55 लाख को प्रमाणित नही किया गया है किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे दिनांक 31.03.2021 को रूपये 57.04 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 15.49 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे अधिक दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। बकाया की नामवार सूची प्रस्तुत न करके संकलित बकाया राशि विवरण पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(साधारण आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर- **12—**

वर्ष 2020-2021 में विभव एवं सम्पत्ति कर की नामवार बकाया सूची जांच व पुष्टि में अनुपलब्ध रही। संकलित बकाया विवरणपत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को इस मद मे रूपये 39519162.29 अर्थात 395.19 लाख बकाया दर्शाया गया है। किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-

3 मे दिनांक 31.03.2021 को रूपये 368.49 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 26.70 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे कम दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर- **13—**

दिनांक 31.03.2021 को चतुर्थ मास वित्तीय वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रपत्र संख्या-07 के अन्तर्गत अस्थायी समयोजित अग्रिमो के समयायोजनो का विवरण पत्र संलग्न है जिसके अनुसार परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, सहारनपुर से विगत वर्षो का यथावत रूपये 1.125 लाख अग्रिम पावना शेष दर्शित है। इस मद के लेनदेन का एकाउंट एवं पुष्टि विषयक प्रमाण पत्र, इस अग्रिम की वसूली हेतु किये गये पत्राचार की पत्रावली आदि अनुपलब्ध रही। यथासमय इस अग्रिम की वसूली /समायोजन करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(साधारण आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर- **14—**

वर्ष आलोच्य 2020-2021 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर मद से आय रूपये 5954251.00 अंकित है जो कैशबुक के अनुसार है किन्तु सम्पत्ति एवं विभव कर मद के संकलित मांग-वसूली के उपलब्ध कराये गये विवरण पत्र मे रूपये 6060782.03 की वसूली अंकित है। अर्थात कैशबुक मे रूपये 5954251.00 वसूली अंकित है जबकि टैक्स रजिस्टरो मे रूपये 6060782.03 अंकित है। इस प्रकार रूपये 106531.03 का अन्तर है जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया है तथा अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक/लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर- **15—**

दिनांक 1.4.2020 को नौका घाट मद की आय प्रपत्र-3 मे रूपये 1.01 गतवर्षो की बकाया अंकित थी। वर्ष 2020-2021 की मांग शून्य रही और वसूली भी शून्य रही है। अतः दिनांक 31.03.2021 को गत बकाया रूपये 1.01 लाख शेष दर्शाया जाना था किन्तु प्रपत्र-3 मे यह बकाया शून्य दर्शित है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। नामवार बकाया सूची आदि भी लेखा परीक्षा मे

अप्रस्तुत रही। अवशेष बकाया सूची कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (साधारण आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर- **16 —**

वर्ष आलोच्य 2020-2021 की लेखा परीक्षा के समय कतिपय निर्माण कार्यो की पत्रावलियां अनुपलब्ध रही जिसके कारण इन कार्यो के भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी :-

क्रमांक	**कार्य का संक्षिप्त विवरण**	**व्यय धनराशि**
1	ब्लाक गंगोह के ग्राम गाँधीनगर से भूमिया खेडे ओर मिट्टी खडंजा कार्य का भुगतान	350446.00
2	ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम फरकपुर नवादा गोगाम्हाडी से अब्दुल मन्नान के खेत की ओर मिट्टी/खडंजा कार्य का भुगतान	445168.00
	योग	**795614.00**

क्रमशः

उक्त भुगतानो की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 795614.00 की वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता , वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ तथा जे0 ई0 से किया जाना अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर- **17—**

वर्ष आलोच्य 2020-2021 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार दुकान/भवन किराया से कुल आय रूपये 3825233.00 अंकित है किन्तु संकलित मांग-वसूली नक्से के अनुसार रूपये 3701388.00 वसूल हुआ है अन्तर रूपये 123845.00 का कारण अस्पष्ट रहा। अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री पारसनाथ का हैं। उक्त अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
(साधारण आपत्ति संख्या-29)

जिला पंचायत सहारनपुर अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 की गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण –

प्रस्तर- **18-**

वर्ष आलोच्य 2021-2022 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण मद से आय रूपये 278010.00 अंकित है जो कैशबुक के अनुसार है किन्तु मृत पशु शव निस्तारण मद के रजिस्टर एवं संकलित मांग-वसूली के उपलब्ध कराये गये विवरण पत्र मे रूपये 807510.00 की वसूली अंकित है। इस प्रकार रूपये 529500.00 का अन्तर है जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया है तथा अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। उक्त से आभास होता है कि उक्त मद मे रूपये 807510.00 की वसूली की गई है जबकि कैशबुक मे कैशबुक एवं वार्षिक लेखा मे रूपये 278010.00 ही अंकित किया गया है और अन्तर राशि रूपये 529500.00 कैशबुक मे न दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक/ लेखाकार/ अपर मुख्य अधिकारी/ वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 529500.00 की वसूली सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-29)

प्रस्तर- 19

मृतक पशु शव निस्तारण के रजिस्टर में दिनांक 31.03.2022 को रूपये 1506367.25 (15.06 लाख) अवशेष बकाया दर्शित है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही किया गया है किन्तु वार्षिक लेखा प्रपत्र संख्या 03 के अन्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के अन्तर्गत रूपये 20.34 लाख बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 5.28 लाख की बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे अधिक दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। अतः इस मद की वास्तविक बकाया राशि की जाँच एवं पुष्टि अपेक्षित है। बकाया सूची रूपये 15.06 लाख के अनुसार अधिकांश बकाया विगत वर्षो से यथावत चली आ रही है। जिसकी यथासमय वसूली करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर- 20

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 682 पी-33-314(2)84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/03-02-797-48(पी)(87)/95टी.पी. दिनांक 30.05.1997 एवं शासनादेश संख्या 2957/1-33-2-20045सा०/04/01/02 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि मृत पशु निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिया जाना है। आलोच्य वर्ष 2021-2022 में रूपये 278010.00 की आय में ग्राम पंचायतों को रूपये 139005.00 उनका अंश नही दिया गया है। ग्राम पंचायतों को धन न हस्तान्तरित करके एक तरफ शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा भी पहुँची है। उपरोक्त के लिए जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर , अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर- **21**

वर्ष 2021-2022 में सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया मद के रजिस्टरों की लेखा बन्दी करके अवशेष बकाया रूपये 4741757.00 अर्थात 47.42 लाख को प्रमाणित नही किया गया है किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे दिनांक 31.03.2022 को रूपये 44.22 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 3.20 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे कम दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। बकाया की नामवार सूची प्रस्तुत न करके संकलित बकाया राशि विवरण पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर, अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर- **22**

वर्ष 2021-2022 मेंविभव एवं सम्पत्ति कर की नामवार बकाया सूची जांच व पुष्टि में अनुपलब्ध रही। संकलित बकाया विवरणपत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को इस मद मे रूपये 39877066.35 अर्थात 398.77 लाख बकाया दर्शाया गया है। किन्तु शासन को प्रेषित प्रपत्र संख्या-3 मे दिनांक 31.03.2022 को रूपये 432.15 लाख अवशेष बकाया दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 33.38 लाख बकाया शासन को प्रेषित प्रपत्र-3 मे अधिक दर्शाये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। अवशेष बकाया राशि की वसूली कराये जाने का दायित्व जिला पंचायत के सम्बन्धित लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर , अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।
(साधारण आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर- **23**

दिनांक 31.03.2022 को चतुर्थ मास वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रपत्र संख्या-07 के अन्तर्गत अस्थायी समयोजित अग्रिमो के समयायोजनो का विवरण पत्र संलग्न है जिसके अनुसार प्रयोजन प्रबन्धक, जल निगम, सहारनपुर से विगत वर्षो का यथावत रूपये 1.125 लाख अग्रिम पावना मद का शेष दर्शित है। इस मद के लेनदेन का एकाउंट एवं पुष्टि विषयक प्रमाण पत्र, इस अग्रिम की वसूली हेतु किये गये पत्राचार की पत्रावली आदि अनुपलब्ध रही। यथासमय इस अग्रिम की वसूली /समायोजन करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत के लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर , अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।
(साधारण आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर- **24**

दिनांक 9.8.2021 को प्रमाणक संख्या 64 के द्वारा रूपये 146138.00 का भुगतान श्री मुनेश कुमार ठेकेदार को अपर मुख्य अधिकारी आवास की मरम्मत हेतु किया जाना दर्शित है

किन्तु लेखा परीक्षा कक्ष मे इस कार्य से सम्बन्धित पत्रावली अनुपलब्ध रही, जिसे प्रस्तुत करके उक्त किये गये भुगतान राशि की जाँच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 146138.00 की वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार तथा जे.ई. से किया जाना अपेक्षित है।
(साधारण आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर- **25**

वर्ष आलोच्य 2021-2022 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार दुकान/भवन सम्पत्ति के किराया मद से आय रूपये 3793897.00 अंकित है जो कैशबुक के अनुसार है किन्तु दुकान/भवन सम्पत्ति के किराया मद के संकलित मांग-वसूली के उपलब्ध कराये गये विवरण पत्र मे रूपये 3545864.00 वसूली अंकित की गई है। इस प्रकार रूपये 248033.00 का अन्तर है जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया है तथा अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक/ लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर , अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर- **26**

वर्ष आलोच्य 2021-2022 के वार्षिक लेखा प्रपत्र (ङ) फार्म-ई के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर मद से आय रूपये 6412639.00 अंकित है जो कैशबुक के अनुसार है किन्तु सम्पत्ति एवं विभव कर मद के संकलित मांग-वसूली के उपलब्ध कराये गये विवरण पत्र मे रूपये 5899390.00 की वसूली अंकित है। इस प्रकार रूपये 513249.00 का अन्तर है जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया है तथा अन्तर समाधान विवरण पत्र भी अनुपलब्ध है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक/ लेखाकार श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री अनिल कुमार पराशर , अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-28)

प्रस्तर- **27**

दिनांक 10.8.2021 को प्रमाणक संख्या 73 के द्वारा रूपये 170000.00 बाबत तांगा/रिक्शा, बोली ठेका निलाम की धनराशि की वापसी जिला निधि से दर्शित है किन्तु उक्त मद की आय वापसी भुगतान की जांच व पुष्टि हेतु सम्बन्धित पत्रावली आडिट कक्ष मे अनुपलब्ध रही। इस मद की आय वापसी का औचित्य भी अस्पष्ट रहा। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत करके उक्त किये गये भुगतान राशि की जाँच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 170000.00 की वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य

अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर- **28**

वर्ष आलोच्य 2021-2022 की लेखा परीक्षा के समय कतिपय निर्माण कार्यो की पत्रावलियां अनुपलब्ध रही जिसके कारण निम्नलिखित भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी :-

दिनांक	**प्रमाणक संख्या**	**धनराशि**	**कार्य का संक्षिप्त विवरण**
26.06.2021	23	436398.00	फिरोजपुर मे मिट्टी/खंडजा कार्य का श्री बलबीर सिंह ठेकेदार को भुगतान
26.06.2021	30	1099672.00	चौरादेव मे लेपन कार्य हेतु श्री सत्यप्रकाश ठेकेदार को भुगतान
02.07.2021	14	740029.00	गंगोह क्षेत्र के बुढनपुर मे मिट्टी खडोंजा कार्य हेतु श्री सुधीर कुमार ठेकेदार को भुगतान
योग		2276099.00	

उक्त भुगतानो की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे शासकीय हितो मे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 2276099.00 की वसूली सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी डा0 श्रीमती सुमनलता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रेश कुमार तथा जे0 ई0 से किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या-33)

जनपद – चंदौली मण्डल - वाराणसी

प्रारूप- 2

जिला पंचायत

जिला पंचायत – चंदौली

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-1 मनरेगा योजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा तैयार किये गये विवरण के अनुसार वर्ष 21-22 में कुल स्वीकृत लागत रु0 98445000 में से रु0 75209000 अवमुक्त रहा जिसके सापेक्ष रु0 48953786 का ही कार्य कराया शेष दि0 31.03.2022 को रु0 26255214 अवशेष रहा। समय से कार्य न कराकर शासकीय धन को रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे**,** जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 के सी0पी0 टैक्स निर्धारण पंजी की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण के उद्देश्य से जिन मदों/व्यवसायों की प्रविष्टि की गयी थी उनमें मदिरा व्यवसाय भी सम्मिलित था। लेखा परीक्षा में बताया गया कि मदिरा दूकानों की सूची आबकारी विभाग से प्राप्त कर ली गयी है। आबकारी विभाग चन्दौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में 227 दुकानें संचालित थीं, जिनसे वर्ष 2021-22 में लाइसेन्स शुल्क मद में रु0 206250.00 एवं टैक्स मद में रु0 193000.00 की वसूली की गयी। जिला पंचायत द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा में मदिरा दुकानों की न्यूनतम कर योग्य आय रु0 2.00 लाख वार्षिक आंकलित की गयी। अतः शासनादेश सं0- 1152/33-2-2017-62जी दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा पुनरीक्षित दर रु0 10000.00 प्रति दूकान की दर से वर्ष 2020-21 में इन दूकानों से सी0पी0 टैक्स मद में निम्न विवरण के अनुसार न्यूनतम रु0 2170000.00 निजी राजस्व की क्षति हुई-

1- जनपद में स्थित दूकानों की संख्या- 227

2- कर योग्य आय प्रति दूकान- रु0 200000.00

3- पुनरीक्षित सी0पी0 टैक्स प्रति दूकान - रु0 10000.00

4- सी0पी0 टैक्स आरोपण योग्य धनराशि (227×10000)- रु0 2270000.00

5- वर्ष में मदिरा की दूकानों से सी0पी0टैक्स की कुल वसूली - 193000.00

वर्ष में विभागीय दर पर टैक्स वसूल न किये जाने से संस्था को हुई क्षति- 2077000.00

इस प्रकार मदिरा दूकानों पर सी0पी0 टैक्स का विभागीय निर्धारण न होने के कारण संस्था को रु0 2077000.00 के राजस्व की क्षति हुई जिस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दिनांक 31.03.2022 को निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 110730.00 दुकान किराया मद में वसूली के अभाव में अवशेष दर्शित है-

क्र0सं0	**नाम आबंटी**	**31.03.22 को बकाया धनराशि**
जिला पंचायत चन्दौली काम्पलेक्स के ऊपरी तल पर स्थित दुकानें-		

1	श्री संजय कुमार सिंह	2416
2	श्रीमती सोना	3500
3	श्री जन्मेजय सिंह	3500
4	श्री बृजेश कुमार	8866
5	श्री शिव प्रकाश	6000
6	श्री जन्मेजय सिंह	3500
7	श्रीमती अनुभा सिंह	3500
8	श्रीमती अनुभा सिंह	3500
9	श्री पंकज सिंह	6883
10	श्री मृत्युन्जय सिंह	3416
11	श्री मृत्युन्जय सिंह	3416
12	श्री चन्द्र प्रकाश	6500
13	श्री पवन कुमार सिंह	1500
14	श्री भगवान सिंह	8633
अन्य जगह की दुकानें		
15	श्री उपेन्द्र कुमार जायसवाल	2400
16	श्री अभय कुमार सिंह	1200
17	श्रीमती पिंकी कौर	6000
18	श्रीमती हेमलता	11600
19	श्री प्रेम शंकर सिंह	7200
20	श्री जुनैद अहमद अंसारी	1800
21	श्री सोहराब अहमद अंसारी	1800
22	श्रीमती कुमकुम तिवारी	1800
23	श्री पंचम मौर्या	1200
24	श्री राजाराम	3100
25	श्री श्रीकान्त	3100
26	श्री सुरेन्द्र कुमार	2400
27	श्री मोइनुद्दीन खान	2000
		110730

इस प्रकार दुकान किराये की धनराशि ससमय वसूल न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-4</u> वर्ष 2021-22 में मोरंग/बालू के उठान से जिला पंचायत की आय शून्य दर्शित है। जबकि गत वर्ष इस मद में आय रु0 1000000.00 रही है। लेखा परीक्षा में मौखिक रुप से बताया गया कि टेण्डर में किसी के प्रतिभाग न किये जाने के कारण इस मद में वसूली नही हो सकी। इन परिस्थितियों में जिला पंचायत द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों से वसूली करायी जानी चाहिये थी, यदि ऐसा किया गया होता तो न्यूनतम गत वर्ष 2020-21 के लगभग बराबर रु0 1000000.00 की वसूली इस मद में करायी जा सकती थी। किन्तु ऐसा न कर जिला पंचायत को क्षति पंहुचायी गयी। इस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं कर अधिकारी श्री शुमामा हुसैन उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-5</u> वर्ष 2021-22 में हड्डी तथा चमड़ा लाइसेन्स मद में कुल रु0 18000.00 की आय रही है। शासनादेश के अनुसार इस धनराशि का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत को अन्तरित किया जाना था किन्तु ऐसा न कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। ग्राम पंचायत के अंश की धनराशि रु0 9000.00 अपने पास रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जाना चाहिये।

<u>प्रस्तर-6</u> संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 में लेबर सेस मद में कुल रु0 1869283 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा दर्शित है किन्तु सम्बन्धित विभाग से इसकी पुष्टि नही करायी गयी है। जमा की पुष्टि न कराकर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह जिम्मेदार रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-7</u> दिनांक 01.04.21 को ठेकेदारों की जमानत शेष (प्रा0) रू0 19104432.00 रहा। संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों से जमानत के रूप में रू0 2244000.00 प्राप्त हुआ है तथा वर्ष में रू0 1746428.00 वापस किया गया है, और वर्षान्त में रू0 19602004.00 शेष दर्शाया गया है। परन्तु जमानत पंजिका एवं विवरण सूची द्वारा अवशेष पुष्टि नहीं कराई गई। जमा की पुष्टि न कराये जाने के प्रति लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह जिम्मेदार रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष 2021.22 के कार्य रजिस्टर में प्रस्तुत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य की सूची के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुल स्वीकृत परियोजनाओ में कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह निर्धारित की गयी है। नियमानुसार कार्यादेश निर्गत होने के बाद एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसी वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए परन्तु संदर्भित प्रकरण में कार्य लंबित रखा गया एवं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ एवं कुछ अद्यतन अपूर्ण रहा । कतिपय कार्यों पर किया गया भुगतान रू० 18347392.00 अलाभकारी रहा। अतः 65 अलाभकारी कार्य पर किया गया भुगतान रू० 18347392. 00 उ० प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत ;बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अनियमित रहा जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है .

मद का नाम	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत लागत (लाख में)**	**व्ययित धनराशि**	**अभ्युक्ति**
पंचम राज्य वित्त	13	7900000	4546640	कार्यो का विवरण परिशिष्ट पर 1 संलग्न है।
अनटाइड ग्रांट	21	12100000	5589136	
टाइड ग्रांट	31	20350000	8211616	
योग	**65**	**40350000**	**18347392**	

जनपद - गाजीपुर **मण्डल - वाराणसी**

<u>प्रारूप - 2</u>

नाम संस्था - जिला पंचायत **वर्ष - 2020-21**

प्रस्तर - 1 दिनांक 31.03.2022 को निम्नाकित विवरण के अनुसार विभव एवं सम्पत्ति कर शीर्ष में रू० 54,83,100.00 वसूली हेतु बकाया है।

क्र०	वि०खं०	प्रा० अवशेष	वर्ष का अवधारण	योग	वर्ष की वसूली	वर्षान्त का बकाया
1	सदर	420600	1051650	1472250	596850	875400
2	मनिहारी	175000	291900	466900	209400	257500
3	मरदह	181750	210000	391750	123900	267850
4	बिरनो	155600	337200	492800	189600	303200
5	भांवरकोल	249650	180300	429950	115000	314950
6	मुहम्मदाबाद	103200	396950	500150	363650	136500
7	रेवतीपुर	359700	208600	568300	246000	322300
8	भदौरा	311850	319200	631050	229200	401850
9	सादात	89900	165500	255450	122350	133100
10	बाराचवर	349900	409100	759000	362150	396850
11	करण्डा	15410	210500	364600	121000	243600
12	सैदपुर	156950	136450	293400	101350	192050
13	देवकली	248800	367650	616450	207150	409300
14	जखनियां	409800	328800	738600	222000	516600
15	कासिमाबाद	182750	450500	633300	377950	255350
16	जमानियां	423000	319400	742400	285700	456700
योग		**3972550**	**5383800**	**9356350**	**3873250**	**5483100**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष वो अवधारण के सापेक्ष मात्र 72% व कुल अवधारण का मात्र 41% ही वसूल किया गया है। इससे प्रतिवर्ष बकाया बढ़ता जा रहा है। समय से वसूली न हो पाने से संस्था को 54,83,100.00 की आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। इसके लिए तत्कालीन कर अधिकारी, समस्त कर निरीक्षक व समस्त कर समाहर्तागण उत्तरदायी है। इस प्रति नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर - 2 दिनांक 31.03.2021 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम अवशेष 73,84,48,785.94 है। जबकि कैशबुक के अनुसार अन्तिम अवशेष 73,78,14,486.75 है। इसमें न भुने चेकों की धनराशि रू० 531497.00 जोड़ने व वह धन जो कैशबुक में आया पर बैंक खातों में नहीं आया रू० 42143.70 घटाने पर कैशबुक का कुल योग 73,83,03,840.05 होता है। इस प्रकार बैंक खातों व कैशबुक के मध्य 73,84,48,785.94 (-) 73,83,03840.05 = 1,44,945.89 का अन्तर है। यह अन्तर विगत वर्षों से यथावत चला आ रहा है। इसका समाधान न कर पाना संस्था कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है।

विवरण की तलाश कर समाधान तैयार कराने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-6)

प्रस्तर - 3 दुकान किराया से संबंधित बकाया एवं अवधारण से स्पष्ट है कि निम्नाकित किरायेदारों से विगत वर्षों के किराये बाकी रहने के बावजूद कोई वसूली नहीं की गई है।

क्र०	दुकान का विवरण	आवंटित का नाम	मांग		कुल मांग	वसूली	अवशेष
			चालू	बकाया			
1	1-जंगीपुर	श्रीमती नूरजहां	500.00	11000.00	11500.00	00.00	11500.00
2	2-जंगीपुर	श्रीमती लाची देवी	500.00	3000.00	3500.00	00.00	3500.00
3	4-जंगीपुर	श्री सूरज	500.00	14759.00	15259.00	00.00	15259.00
4	2- मरदह	श्री अवधेश कुमार	3756.00	3000.00	6756.00	00.00	6756.00
5	3-तहसीली स्कूल	श्री राम अवतार	3000.00	9600.00	12600.00	00.00	12600.00
6	4-तहसीली स्कूल	मो0 अली	3000.00	2400.00	5400.00	00.00	5400.00
7	6-तहसीली स्कूल	ताजदार खाँ	3000.00	8800.00	11800.00	00.00	11800.00
8	3-खजूरिया	जीवन लाल	7500.00	6000.00	13500.00	00.00	13500.00
9	4-खजूरिया	राधेश्याम गुप्ता	7500.00	6000.00	13500.00	00.000	13500.00
10	5-खजूरिया	पवन कुमार राय	7500.00	7000.00	14500.00	00.00	14500.00
11	9-खजूरिया	शशि सिंह	3756.00	3000.00	6756.00	00.00	6756.00
12	मवेशी खाना बहादुरगंज	पु0 अ0 गाजीपुर	1440.00	4920.00	6360.00	00.00	6360.00
13	- -	जि0वि0 नि0	960.00	20160.00	21120.00	00.00	21120.00
14	- -	मांटेसरी स्कूल	960.00	20160.00	21120.00	00.00	21120.00
15	- -	सुरेन्द्र नाथ सिंह	240.00	1200.00	1440.00	00.00	1440.00
16	- -	दशरथ सिंह	180.00	3780.00	3960.00	00.00	3960.00

17	- -	जिला जज गाजीपुर	100.00	700.00	800.00	00.00	800.00
18	- -	अर्थ संख्या अधि0	2160.00	4320.00	6480.00	00.00	6480.00
19	- -	संजय कुमार	5628.00	9000.00	14628.00	00.00	14628.00
20	- -	अलका जायसवाल	5628.00	4500.00	10128.00	00.00	10128.00
21	- -	नीलम जायसवाल	5628.00	13500.00	191 28.00	00.00	19128.00
22	- -	श्रीमती पूनम देवी	5628.00	13500.00	19128.00	00.00	19128.00
23	- -	रमेश सिंह	5628.00	4500.00	10128.00	00.00	10128.00
24	- -	स्वाती सिंह	5628.00	48575.00	54203.00	00.00	54203.00
25	- -	श्री विजय सिंह यादव	5628.00	4500.00	10128.00	00.00	10128.00
26	- -	श्रीमती सुशीला देवी	600.00	480.00	1080.00	00.00	1080.00
	- -		**86548.00**	**228354.00**	**314902.00**	**00.00**	**314902.00**

वसूली न होने से बकाया धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इस कारण संस्था को रू० 14902-00 की आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार एवं कर समाहर्तागण उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० – 7)

प्रस्तर - 4 प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश (पंचायत राज अनुभाग-03) के शासनादेश सं० 1838 /33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.15 के प्रस्तर 03 के अनुसार जिला पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पन्न कराया जायेगा। जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर कतिपय निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं। पत्रावलियों में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की एन०ओ०सी० संलग्न नहीं की गयी। जबकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को भी अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं। इससे डुप्लीकेसी की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेश कुमार व अभियन्ता श्री अमित कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**स्वीकृति तिथि**	**व्यय धन0**

1	ग्रा० पहाड़ीपुर में बिन्द वस्ती से अनुसूचित बस्ती तक सोलिंग मरम्मत कार्य।	11-02-2020	332567.00
2	ग्रा० सभा ससना में सरकारी ट्यूबेल तक विशेष मरम्मत कार्य।	05-02-2020	566936.00
3	ग्रा० सुभाखरपुर में जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्मित नाली पर ढक्कन कार्य	04-06-2020	253581.00
4	ग्रा० बीकापुर में राजेन्द्र यादव के घर से पोखरी तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	24-09-2020	466043.00
5	ग्रा० सभा बिन्दवलिया मोहम्मदपुर में नन्दलाल यादव के सामने से साइफन तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	14-10-2020	479387.00
6	ग्रा० सभा बिन्दवलिया गोदाम के बगल से पोखनी तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य	08-12-2020	601624.00
7	ग्रा० सभा रजदेपुर देहाती में बजाज एजेंसी के पीछे सुधरी के घर के आगे तक मिट्टी एवं ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य।	15-09-2020	558312.00
8	ग्रा० सभा फूलपुर में रेलवे लाइन से योगेन्द्र कुशवाहा के घर तक ढक्कन सहित नाली	10-06-2020	186668.00
9	ग्रा० सभा छावनी लाईन सरैया में अनिल तिवारी के घर से धर्मशीला सिंह के जमीन तक दोनों तरफ नाली एवं सी०सी० कार्य	02-07-2020	997865.00
10	ग्रा० सभा खिदियाबाद में प्रा० पा० सी० सी० रोड से डीह बाबा के स्थान तक सी०सी० कार्य	24-09-2020	540242.00
11	ग्रा० सभा फूलपुर से रामऔतार कुशवाहा के खेत से रामजीत यादव के डेरा तक लेपन कार्य	16-01-2021	454720.00
12	ग्रा० सभा धरम्मनपुर करकटपुर में काली जी के मन्दिर से हैदर अली के मशीन तक मिट्टी खड़ण्जा कार्य	27-08-2020	1398619.00
13	ग्रा० सभा कटरिया मलपुरा में हरिश्चन्द यादव के डेरा से रामा यादव के घर तक मिट्टी खड़ण्जा कार्य	17-10-2020	860186.00
14	ग्रा० सभा मैनपुर में राम सिंह के घर के सामने से ओमकार यादव के दरवाजे तक लेपन कार्य।	10-08-2020	1549135.00
15	ग्रा० सभा महरूनी में ईदगाह से पप्पू प्रधान के घर तक लेपन कार्य	23-10-2020	962490.00

16	ग्रा० सभा बूढनपरा में दुर्गा पाण्डाल से सामू के वगीचा तक लेपन कार्य।	09-07-2020	997780.00
17	ग्रा० सभा भदौरा में पीच मार्ग पर उदयनायण कुशवाहा के चेक से पोखरा तक मि० /ख० कार्य	09-07-2020	1661161.00
18	ग्राम सभा तेलियानी में मिट्टी एवं सोलिंग कार्य	16-06-2020	631456.00
19	ग्राम सभा सदर जहाँपुर में सोलिंग से गाँव तक मिट्टी खड़ण्जा कार्य ।	12-08-2020	631456.0
20	ग्राम सभा फरीदनपुर में नरसन यादव के घर से हरिजन बस्ती तक मिट्टी एवं खड़ण्जा कार्य	31-07-2020	924748.00
21	ग्राम सभा बहराज में बंधु कुशवाहा के ट्यूबेल से शिव मन्दिर तक मिट्टी एवं खड़ण्जा कार्य।	08-12-2020	1047034.00
22	ग्रा० सभा गंगौलो में धनपाल यादव के घर से मस्जिद तक विशेष लेपन मरम्मत कार्य।	24-07-2020	459988.00
23	ग्राम सभा नगवाँ में यशवन्त के घर से राजभर बस्ती तक मिट्टी एवं खड़ण्जा कार्य	15-07-2020	1570000.00
24	ग्रा० सभा अमवाँ सिंह में सुनील सिंह के खेत से अम्बेडकर मूर्ति तक मि०/ख० कार्य	06-10-2020	829162.00
25	ग्रा० सभा पलिया में वीरेन्द्र राम क घर से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य।	28-11-2020	373257.00
26	ग्रा० स० सिगेरा में विनोद यादव के स्कूल से सिगेरा चौहान बस्ती तक मि० / ख० कार्य।	12-08-2020	737174.00
27	ग्राम सभा रानीपुर (धनुकापुर) में सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	211220.00	1598356.00
	योग		**21422386.00**

(सा०आ०सं०-09)

प्रस्तर - 5 दिनांक 31.03.2021 के मासिक लेखा (प्रपत्र ड.) के अनुसार पशु शव निस्तारण मद में रू**0** 35200.00 की आय दर्शित हैं शासनादेश के अनुसार इसका 50% भाग ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा०आ०सं०-21)

जनपद- जौनपुर मण्डल - वाराणसी

प्रारूप-2

जिला पंचायत- जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1 1- वर्ष् 2021-22 में गैंगमैन वेतन के रूप में रू० 282464.00 का भुगतान . . मस्टररोल बनाकर किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी :

1. मस्टररोल पर प्रत्येक मजदूर/गैंगमैन को 26 दिन की ही हाजिरी ली गयी है तो क्यावर्ष में राजकीय अवकाश नही था गैंगमैन की स्वयं द्वारा ली गयी कोई छुट्टी नहीं है।
2. गैंगमैन द्वारा केवल एक कार्य सड़कों के किनारे मिट्टी कार्य दिखाया गया है। जिसकीकोई कार्ययोजना, फाइल वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है।
3. प्रत्येक मस्टर रोल भुगतान तिथि को ही एक साथ एक ही राइटिंग में बनाये गये है जोसंदिग्ध है।
4. गैंगमैनों के कार्यों की देख-रेख एवं उपस्थिति किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है ।
5. पटरी मरम्मत कार्य जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों का किया गया है या अन्यसड़कों का भी कोई प्रमाण नहीं है।
6. पटरी मरम्मत सम्बंधी कोई आदेश, स्टीमेट का न होना कार्य की पुष्टि नहीं करता है।
7. इतने गैंगमैन किस आधार पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में क्यों लगाये गये है। जबकिजिला पंचायत में गैंगमैन रखे जाने हेतु कोई स्वीकृत पद नही है अर्थात बिना स्वीकृतपद के गैंगमैन रखा जाना अनियमित रहा।

   उक्त से स्पष्ट है कि गैंगमैन के नाम पर फर्जी तरीके से बिना किसी कार्य को सम्पन्न कराये मजूदरी भुगतान किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या, श्री अखिलेश कुमार अभियन्ता एवं लेखाकार श्री राधेरमण की है।

   उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-2**

प्रस्तर-2 दिनांक 29-07-2022 को बिजली बिल रू० 239354.00 के सापेक्ष रू० 199777.00 का भुगतान हुआ है। जिसमें बिल के अनुसार रू0 39557.00 लेट पेमेंट शामिल है।बिजली बिलों के भुगतान में लापरवाही बरतने के कारण लेट पेमेंट देना पड़ा यदि समय से बिलों का भुगतान होता तो इस पेमेंट से बचा जा सकता था। अधिक अनावश्यक भुगतान से संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये सम्बंधित कर्मचारी श्री राधेरमण यादव लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-3

प्रस्तर-3 - मृत पशु शव निस्तारण तथा हड्डी चमडा मद में कुल 21 विकास खण्डों में ठेका होना चाहिए। परन्तु वर्ष 2021-22 में मात्र 4 ब्लाकों का ही ठेका हुआ है। वर्ष 2021-22 में रू० 200058.00 बकाया दर्शित है तथा वर्ष में मात्र रू० 1000.00 की ही वसूली हुई है। इस प्रकार 31-03-2022 में वसूली हेतु रू० 199058.00 शेष रही। वसूली एवं ठेकान होने से जिला पंचायत को हानि हो रही है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीजग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। **आ0सं0-5**

प्रस्तर-4 -नौका घाट रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 31-03-2022 में रू० 2552134.00 का बकाया दर्शित हैं। वर्ष दौरान आर0सी0 के माध्यम से मात्र रू०25676.00 की वसूली हुई है। इस प्रकार दिनांक 31-03-2022 को रू० 2526458.00 वसूली हेतु शेष है। बकाया की वसूली न होने से जिला पंचायत को हानि हो रही है।जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधनप्रसाद वर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-7

प्रस्तर-5 आबकारी विभाग जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में 384 मदिरा की दुकाने थी। जिसमें देशी मदिरा की दुकानों की सं० 277 एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की सं०107 दुकाने संचालित है। जिनसे जिला पंचायत जौनपुर द्वारा मदिरा की दुकानों से लाइसेंस फीस एवं सी०पी०टैक्स की वसूली का आवधारण नहीं किया गया है। अतः शासनादेश सं0 - 1152 / 33-2-2017-62जी0 दिनांक 04अप्रैल 2018 द्वारा पुनरीक्षित दर रू० 10000.00 प्रति दुकान की दर से वर्ष 2021-22 में इन दुकानों से टैक्स मद में रू० 3840000.00 एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस 277 दुकान रू0 750.00 की दर से कुल रू० 207750.00 तथा 107 विदेशी मदिरा की दुकान रू० 1000.00 की दर से कुल रू० 107000.00 है। इस प्रकार रू० 314750.00 वर्ष में मदिरा की दुकानों से लाइसेंस फीस एवं सी०पी० टैक्स कानिर्धारण न किये जाने के कारण संस्था को रू० 4154750.00 के राजस्व की क्षति हुई है। जिस अनियमितता के प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-9**

प्रस्तर-6 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि मद का प्रा० अवशेष रू० 5165483.00 एवं वर्ष में रु० 1020000.00 का आय एवं ब्याज के रुप में रु० 202048.00 कुल रु० 6387531.00 उपलब्ध होने के वावजूद भी सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग नहीं हुआ है। उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा । जिससे आम जनता को विकास का लाभ नहीं मिल पाया। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-14**

प्रस्तर-7 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० मद का प्रा० अवशेष रू० 36685352.94 था वर्ष में अनुदान से आय शून्य रहा तथा ब्याज के रुप में रु० 1088295.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपभोग हेतु रु० 37773647.00 उपलब्ध होने के बावजूद मात्र एस०एम०एस० चार्ज के रुप में रु० 17.00 का ही उपभोग हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि हेतु कार्ययोजना ही नहीं बनायी गयी है। जिसके कारण रु० 37773630.00 व्यय हेतु धनराशि अवशेष रह गया। कार्ययोजना न बनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का द्योतक है। उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा। जिससे आम जनता को विकास का लाभ नहीं मिल पाया। उपभोग न होने के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-15**

प्रस्तर-8 भवन/दुकान किराया रजिस्टर वर्ष 2021 - 22 के अनुसार चालू वर्ष की मॉग रु० 286271.00 एवं गत वर्ष का बकाया 811862.00 जिसका कुल योग रु० 1098133.00 है। जिसके सापेक्ष वर्ष में मात्र 160039.00 की ही वसूली जिला पंचायत द्वारा की गयी है तथा वर्षान्त में शेष रु० 938094.00 वसूल न होने के कारण जिला पंचायत को हानि हुई है। साथ ही नियमानुसार प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 25 प्रतिशत किराया की वृद्धि न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। चालू वर्ष के मॉग के सापेक्ष किराया रु० 286271.00 का 25 प्रतिशत बराबर रु० 71568.00 होता है। वर्षान्त किराया रु० 938094.00 एवं वृद्धि की धनराशि रु० 71568.00 कुल रु० 1009662.00 की क्षति हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

क्र० सं०	सम्पति का विवरण	चालू मॉग	पिछला बकाया	वर्ष की वसूली	वर्षान्त शेष	किरायेदार का नाम
1	भवन के निकट दुकान नं०-1	4613.00	-	-	4613.00	श्रीराम नरायन
2	सभा भवन के निकट दुकान नं०-2	4613.00	7863.00	-	12476.00	श्रीमती उर्मिला
3	सभा भवन के निकट दुकान नं०-3	4613.00	1339.00	4589.00	1363.00	श्री सभाजीत
4	सभा भवन के निकट दुकान नं०-4	4613.00	7863.00	-	12476.00	श्री शिवशंकर
5	सभा भवन के निकट दुकान नं०-5	4613.00	-	5850.00	-	श्री रामाकान्त शुक्ला
6	सभा भवन के निकट दुकान नं०-6	4613.00	3863.00	-	8476.00	श्री छविराज
7	सभा भवन के निकट दुकान नं०-7	4613.00	4613.00	5913.00	3313.00	मंत्री सह०उप०भण्डार

8	सभा भवन के निकट दुकान नं०-8	4613.00	98605.00	-	103218.00	मंत्री सह०उप०भण्डार
9	दुकान नं०-8 व 7 के बीच	973.00	1560.00	-	2533.00	श्री शिवशंकर
10	दुकान नं०-2 व 3 के बीच	973.00	1560.00	-	2533.00	श्री रमेश चन्द्र
11	सभा भवन के निकट दुकानों के उपर स्थित नं०-1	3703.00	12724.00	-	16427.00	ठाकुर प्रसाद सिंह
12	सभा भवन के निकट दुकानों के उपर स्थित नं०-2	3703.00	-	-	3703.00	श्रीमती रीता सिंह
13	सभा भवन के निकट फ्लैट नं०-3	3703.00	39045.00	-	42748.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद
14	सभा भवन के निकट फ्लैट नं०-4	3703.00	34618.00	-	38321.00	श्री सुबाष यादव
15	सभा भवन के निकट फ्लैट नं० 2 व 3 के बीच कोठरी	1183.00	5240.00	-	6423.00	श्री कृष्णानन्द
16	डाक बंगला जौनपुर नं०- 1	-	2968.00	-	2968.00	श्री काशीनाथ सिंह
17	डाक बंगला जौनपुर नं०- 1 का बकाया	-	1176.00	-	1176.00	श्री विजय कुमार
18	परिषदीय भवन केराकत जौनपुर	-	99450.00	-	99450.00	खाली है ।
19	चन्दवक बाजार में स्थित भवन	-	-	-	-	-
20	मुख्यालय के उपर आवास का बकाया	-	375.00	-	375.00	श्री दिनेश सिंह
21	मुख्यालय के उपर आवास	32130.00	खाली है।	32130.00	-	सीए० बदलापुर पडाव
22	लाइन बाजार स्थित गृह जौनपुर	-	1588.00	-	1588.00	श्री निदेश सिंह भू०अ०
23	डाक बंगला आवास गृह नं० 2	-	1156.00	-	1156.00	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह लिपिक
24	बदलापुर बाजार में पौण्ड की जमीन पर	9360.00	4720.00	4000.00	1080.00	श्री जितेन्द्र नाथ उपाध्याय

	निर्मित दुकान नं० ए/5					
25	दुकान नं० ए/2 बदलापुर	9360.00	18702.00	21042.00	7020.00	श्री ईश्वर चन्द्र निगम
26	दुकान नं० ए/3 बदलापुर	9360.00	9360.00	-	18720.00	श्री शहजाद/चौथी
27	दुकान नं० ए/4 बदलापुर	9360.00	-	5850.00	3510.00	श्री चन्द्रपाल सिंह
28	दुकान नं० ए/6 बदलापुर	12480.00	78820.00	5000.00	86300.00	श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा
29	दुकान नं० ए/1 बदलापुर	9360.00	6724.00	4000.00	12084.00	श्री राजेश कुमार
30	दुकान नं० ए/1 बदलापुर	7020.00	9400.00	-	16420.00	श्री रामजीत मौर्या
31	दुकान नं० ए/2 बदलापुर	7020.00	8020.00	1000.00	14040.00	श्री इन्द्रजीत यादव
32	दुकान नं० ए/3 बदलापुर	7020.00	26370.00	14000.00	19390.00	श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
33	दुकान नं० ए/4 बदलापुर	7020.00	67950.00	-	74970.00	श्री आशीष कुमार शुक्ल
34	दुकान नं० ए/5 बदलापुर	12480.00	55360.00	4000.00	63840.00	श्री आनन्द कुमार शुक्ल
35	दुकान नं० बी०/6 बदलापुर	12480.00	4160.00	14560.00	2080.00	श्री गौरी सिंह
36	दुकान नं० बी०/7 बदलापुर	-	-	-	-	रिक्त है।
37	दुकान नं० बी०/8 बदलापुर	7020.00	41660.00	-	48680.00	श्रीमती सावित्री देवी
38	दुकान नं० बी०/9 बदलापुर	7020.00	25660.00	-	32680.00	श्री बसंत कुमार दूबे
39	दुकान नं० बी०/10 बदलापुर	12480.00	5460.00	9360.00	8580.00	कैप्टन सूर्य नरायन शर्मा
40	दुकान नं० सी०/1 बदलापुर	7020.00	7020.00	-	14040.00	श्रीमती ममता शुक्ला

41	दुकान नं० सी०/2 बदलापुर	7020.00	19830.00	3000.00	23850.00	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
42	दुकान नं० सी०/3 बदलापुर	7020.00	28075.00	35000.00	31595.00	श्री सोहन लाल गुप्ता
43	दुकान नं० सी०/4 बदलापुर	7020.00	23720.00	-	30740.00	श्री रामआसरे सरोज
44	दुकान नं० सी०/5 बदलापुर	7020.00	-	7020.00	-	श्री ओम प्रकाश जायसवाल
45	दुकान नं० सी०/6 बदलापुर	12480.00	34560.00	12000.00	35040.00	श्री सूर्य नाथ शुक्ला
46	जलालपुर बाजार में स्थित जिला पंचायत का भवन	12876.00	10685.00	3225.00	20336.00	मो० आसिफ जलालपुर
	योग -	**286271.00**	**811862.00**	**160039.00**	**938094.00**	

आ०सं०-17

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत द्वारा उपयोग किये जा रहे जनरेटर की लागबुक की जॉच में पाया गया कि विभिन्न माहों में बिजली कटौती की दशा में चलाये जा रहे जनरेटर की अवधि में लागबुक के अनुसार दर्शित समय व लेखा परीक्षा के अनुसार पाये गये जोड में अन्तर पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

जिसका विवरण निम्न प्रकार है : -

क्र० सं०	**माह**	**लागबुक के अनुसार अवधि**	**लागबुक की लेखा परीक्षा के अनुसार अवधि**	**अन्तर**
1	4/21	17:15	15:15	2:00
2	5/21	16:15	14:15	1:20
3	6/21	37:15	35:55	1:20
4	7/21	27:15	25:15	2:00
5	8/21	35:15	33:45	1:30
6	9/21	35:00	33:00	2:00
7	10/21	33:00	33:00	-
8	11/21	12:00 घण्टा	12:00	-
9	12/22	42:00	42:00	-
10	01/21	38:00	34:05	3:55
11	02/22	29:00	27:05	1:55
12	03/22	34:00	33:05	0:55
	योग -	**356:25 मिनट**	**339:25**	**17:00**

उपरोक्तानुसार वर्ष में 17:00 घण्टा की अधिक डीजल प्रयोग में लाया गया दर्शित है। जिस पर 51 ली० डीजल अधिक खर्च दिखाया गया है। जिसका कुल मूल्य 51 ली0 रू० 91.09 की दर से कुल रू० 4646.00 होता है। जिसके लिए लिपिक श्री शमशेर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है । **आ0सं0-18**

प्रस्तर-10 दिनांक 01-09-2021 में 50 कुर्सी रू० 40000.00 का खरीद किया गया है। क्रयकुर्सी हेतु माँग पत्र अप्राप्त रहा तथा स्टॉक रजिस्टर में लेखा की पुष्टि नही करायी गयी जिससे व्यय की पुष्टि नही हो सकी। उपभोगित धनराशि रू० 40000.00 दुरुपयोगित रही । जिसके लिए प्र०अ०श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-20**

प्रस्तर-11 कैशबुक वर्ष 2021-22 के अनुसार जनपद जौनपुर के मृत शव निस्तारण हड्डी चा सींग आदि का विज्ञापन हेतु दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण की दिनांक 04-08-2021 में रू० 984.00 का भुगतान किया गया है परन्तु बिल के साथ- साथ समाचार पत्र का कटिंग संलग्न नही है तथा विज्ञापन हेतु अध्यक्ष महोदया के स्वीकृती के पत्रअप्राप्त रहने के कारण व्यय की पुष्टि नही हो सकी। जो अनियमित रहा। जिसके लिए प्र0अ0 श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-21**

प्रस्तर-12 दिनांक 01-11-2021 (जेड एन 9) अध्यक्ष महोदया की स्वीकृती से क्षेत्रीय पर्यावरण आयुक्त अध्ययन केन्द्र को रू० 23705.00 (चेक नं०-053768) का भुगतान किया गया है । परन्तु भुगतान किस उद्देश्य से किया गया है विवरण / प्रमाणक अप्राप्त रहा एवं अध्यक्ष महोदया के स्वीकृत पत्र अप्राप्त है। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नही हो सकी। इस अनिमगित भुगतान हेतु लेखाकार राधेरमण यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-22**

प्रस्तर-13 दिनांक 01-11-2021 (जेड एन/10) रू० 5000.00 का पोस्टेज क्रय किया गया है। पोस्टेज रजिस्टर (स्टॉक रजि०) उपलब्ध नही कराया गय है। जिससे पोस्टेज क्रय की पुष्टि नही की गयी। इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 5000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए लेखाकार राधेरमण यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।**आ०सं०-23**

प्रस्तर-14 दिनांक 01-11-2021 (जेड एन/12) को 11 ए०सी०, स्टेपलाइजर कार्यालय हेतु मय फिटिंग के रू० 502360.00 का खरीद किया गया है तथा क्रय प्रमाण उपलब्ध हैं। क्रय हेतु माँग एवं खरीद से संबंधित विवरण / पत्रावली आमंत्रित किये टेण्डर सहित पुष्टि नही करायी गयी तथा स्टॉक रजिस्टर में लेखा की पुष्टि भी नही करायी गयी जिससे व्यय की पुष्टि नही हो सकी इस प्रकार रू० 502360.00

दुरुपयोगित रही। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-24**

प्रस्तर-15 दिनांक 01-11-2021 (जेड एन/13) को माननीय कांशीराम अतिथि गृह सूट नं० 2 के बाथरूम में टोंटी एवं अन्य कार्य पर (क्रय) रू० 28850.00 का भुगतान दर्शित है। क्रय से संबंधित मॉग एव क्रय संबंधित विवरण एवं स्टॉक रजिस्टर में लेखा की पुष्टिनहीं करायी गयी। इस प्रकार रू० 28850.00 अनियमित रहा। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-25**

प्रस्तर-16 दिनांक 08-12-2021 (जेड एन 11) को माननीय कांशीराम अतिथि गृह जिला पंचायत जौनपुर में विद्युत मरम्मत एवं समरसेबुल क्रय पर रू० 21595.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। क्रय से संबंधित माँग एवं क्रय संबंधी विवरण तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। जिससे व्यय की पुष्टि नही हो सकी। इस प्रकार रू० 21595.00 दुरुपयोगित रही। जिसके लिए प्र0अ0 श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **अ0सं0-27**

प्रस्तर-17 वर्ष 2021-22 में ईट भट्ठा रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत जौनपुर के अन्तर्गत कुल 547 ईट भट्ठे संचालित है। जिसमें से मात्र 264 ईट भट्ठो का हीनवीनीकरण हुआ है। जिसमें कुल रू० 2799720.00 की वसूली होना रजिस्टर में दर्शित है तथा शेष 283 ईट भट्ठों से वसूली न कर प्रति ईट भट्ठा रू० 10605.00 की दर से रू० 3001215.00 तथा 547 ईट भट्ठों से रू० 6000.00 प्रति ईट भट्ठा की दर सेकुल सी०पी०टैक्स रू० 3282000.00 से कुल रू० 6283215.00 की क्षति संस्था को पहुचाई गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा एवं उत्तदरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है।

जनपद में ईट भट्ठों की सूची व नवीनीकरण से प्राप्त धनराशि का विवरण:-

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	कार्यरत ईट भट्ठों की सं०	नवीनीकरण से प्राप्त धनराशि	कर वसूली अधिकारी व सहायक कर वसूली अधिकारी का नाम
1	सिकरारा	34	10605 × 18	श्री राना रवि कुमार सिंह
2	मडियाहूँ	26	10605 × 6	
3	मछलीशहर	21	10605 × 6	
4	बक्शा	35	10605 × 8	श्री पवन कुमार यादव
5	सिकरोनी	28	10605 × 28	श्री रामसेवक
6	मुँ० बादशाहपुर	23	10605 × 12	श्री महेन्द्र प्रताप यादव
7	बरसठी	29	10605 × 13	
8	धर्मापुर	18	10605 × 9	

9	रामनगर	27	10605 × 9	श्री सुनील कुमार
10	डोभी	20	10605 × 15	श्री प्रमोद कुमार
11	केराकत	41	10605 × 29	
12	खुटहन	37	10605 × 29	श्री शिवशंकर यादव
13	मुफतीगंज	21	10605 × 8	
14	रामपुर	30	10605 × 14	श्री बहुगुणा पाल
15	करंजाकला	26	10605 × 16	श्री हरेन्द्र कुमार
16	शाहगंज	12	10605 × 7	श्री संजय यादव
17	सुइथाकला	08	10605 × 6	
18	सुजानगंज	32	10605 × 15	श्री अमित सिंह
19	बदलापुर	34	10605 × 31	श्री जीतू सिंह
20	महराजगंज	18	10605 × 17	
21	जलालपुर	27	10605 × 9	श्री राम आशीष यादव
	योग	547		

जिला पंचायत जौनपुर के अन्तर्गत संचालित ईट भट्ठों की कर वसूली का विवरण:-

क्र० सं०	**ब्लाक का नाम**	**कार्यरत ईट भट्ठों की सं०**	**नवीनीकरण किये गये ईट भट्ठों की सं०**	**नवीनीकरण से प्राप्त धनराशि**	**नवीनीकरण न किये गये ईट भट्ठों की सं०**	**नवीनीकरण न होने से होने वाली क्षति की धनराशि**
1	सिकरारा	34	18	190980.00	16	
2	मडियाहूँ	26	06	63630.00	20	
3	मछलीशहर	21	06	63630.00	15	
4	बक्शा	35	08	84840.00	27	
5	सिकरोनी	28	07	74235.00	21	
6	मुँ० बादशाहपुर	23	12	127260.00	11	
7	बरसठी	29	13	137865.00	16	
8	धर्मापुर	18	09	95445.00	09	
9	रामनगर	27	09	95445.00	18	
10	डोभी	20	09	95445.00	11	
11	केराकत	41	15	159075.00	26	
12	खुटहन	37	29	307545.00	08	
13	मुफतीगंज	21	08	84840.00	13	
14	रामपुर	30	14	148470.00	16	
15	करंजाकला	26	16	169680.00	10	
16	शाहगंज	12	07	74235.00	05	
17	सुइथाकला	08	06	63630.00	02	

18	सुजानगंज	32	15	159075.00	17	
19	बदलापुर	34	31	328755.00	03	
20	महराजगंज	18	17	180285.00	01	
21	जलालपुर	27	09	95445.00	18	
	योग-	**547**	**264**	**2799720.00**	**283**	**3001215.00**

आ०सं०-33

प्रस्तर-18 जेडएन013701-01-2022 को 8326 पन्ने का छायाप्रति कराया गया है। जिसका भुगतान रू०12489.00 श्री राधेरमण यादव लेखाकार को किया गया है। किन्तु पत्रावली में बिल के साथ प्रमाणक न होने के कारण भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए श्री राधेरमण यादव लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-37**

प्रस्तर-19 दिनांक 18-12-2021 जेडएन/ 21 को विविध बिल के अनुसार पुआल रू० 64722.00 टी.ओ.ओ.-3 एवं पशुआहार व नमक का मूल्य रू० (12600.00+400.00) 13000.00 कुल रू०77722.00 का भुगतान श्री सत्य प्रकाश मिश्रा को किया गया है परन्तु क्रय से संबंधित प्रमाणक बिल के साथ न होने के कारण भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए प्र0अ0 श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 जेडएन /15/08-12-21 गोआश्रय में श्रमिकों को पारिश्रमिक माह अक्टूबर - 21 व नवम्बर-21 में श्री वशिष्ठ कुमार एवं श्री शैलेन्द्र कुमार को रू० (10000.00 व 10000.00) रू० 20000.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस आधार परकिया गया है जबकि भुगतान हेतु मस्टररोल / उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति अप्राप्त रहा। इस प्रकार भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-41**

प्रस्तर-21 जेडएन /1608-12-21 के अनुसार जिला पंचायत जौनपुर द्वारा संचालित अस्थाई गौशाला पर माह अक्टूबर-21 के विभिन्न तिथियों में 750 रुपये कुन्टल की दर से 71.10 कुन्टल भूसा क्रय कर रू० 53325.00 श्री सतीश कुमार मौर्या को भुगतान किया गया है। जिसके प्रमाणक उपलब्ध है। रू० 13000.00 का भुगतान श्री प्रकाश ट्रेडर्स को किया गया है परन्तु रू० 13000.00 के क्रय प्रमाणक अप्राप्त रहा। जो अनियमित हैं। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है।उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-42**

प्रस्तर-22 दिनांक 01-01-22 जेडएन/14 को ग्राम टिसौली के आर्यनगर में संचालित अस्थायी गौशाला में समरसेबुल क्रय पर रू० 5250.00 का भुगतान मौर्या हार्डवेयर एण्ड पेन्टस्टोर जौनपुर को किया गया हैं। क्रय से संबंधित मॉग एवं क्रय संबंधित विवरण एवं स्टॉक रजिस्टर में लेखा की पुष्टि नही करायी गयी जो अनियमित रहा। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-44**

प्रस्तर-23 जिला पंचायत जौनपुर के वर्ष 2021-22 के माह जनवरी 2022 के प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में 72 विभिन्न ठेकेदारों व फर्मों के पूर्व में जमा जमानत की धनराशि रू० 2033500.00 भुगतान किया गया है। परन्तु जमानत के पुष्टि में किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्रमाणकों के साथ संलग्न नही है। निर्माण अनुभाग व लेखा अनुभाग का कोई रिपोर्ट भी संलग्न नही हैं। साथ ही संबंधित ठेकेदारों व फमों के जमानत वापसी से संबंधित अनुरोध पत्र / मॉगपत्र भी प्रमाणकों के साथ संलग्न नही है। ऐसी स्थिति में जमा जमानत की धनराशि भुगतान किया जाना अनियमित रहा। जिसके लिए श्री राधेरमण यादव लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	**दिनांक**	**विविध बिल नं०**	**जमानत वापसी की धनराशि**
1	01-01-2022	जेडएन/64	37400.00
2	01-01-2022	जेडएन/65	44000.00
3	01-01-2022	जेडएन/66	37800.00
4	01-01-2022	जेडएन/67	38300.00
5	01-01-2022	जेडएन/68	30400.00
6	01-01-2022	जेडएन/69	24300.00
7	01-01-2022	जेडएन/70	34500.00
8	01-01-2022	जेडएन/71	21400.00
9	01-01-2022	जेडएन/72	13600.00
10	01-01-2022	जेडएन/73	33000.00
11	01-01-2022	जेडएन/74	47600.00
12	01-01-2022	जेडएन/75	47200.00
13	01-01-2022	जेडएन/76	12100.00
14	01-01-2022	जेडएन/77	9600.00
15	01-01-2022	जेडएन/78	39800.00
16	01-01-2022	जेडएन/79	48600.00
17	01-01-2022	जेडएन/80	27650.00
18	01-01-2022	जेडएन/81	21200.00
19	01-01-2022	जेडएन/82	19300.00
20	01-01-2022	जेडएन/83	25500.00
21	01-01-2022	जेडएन/84	10500.00
22	01-01-2022	जेडएन/85	25000.00

23	01-01-2022	जेडएन/86	75000.00
24	01-01-2022	जेडएन/87	22800.00
25	01-01-2022	जेडएन/88	33300.00
26	01-01-2022	जेडएन/89	18000.00
27	01-01-2022	जेडएन/90	43700.00
28	01-01-2022	जेडएन/91	33800.00
29	01-01-2022	जेडएन/92	39200.00
30	01-01-2022	जेडएन/93	34000.00
31	01-01-2022	जेडएन/94	16900.00
32	01-01-2022	जेडएन/95	8600.00
33	01-01-2022	जेडएन/96	21800.00
34	01-01-2022	जेडएन/97	1900.00
35	01-01-2022	जेडएन/98	38800.00
36	01-01-2022	जेडएन/99	29300.00
37	01-01-2022	जेडएन/100	4200.00
38	01-01-2022	जेडएन/101	45100.00
39	01-01-2022	जेडएन/102	25200.00
40	01-01-2022	जेडएन/103	38800.00
41	01-01-2022	जेडएन/104	1000.00
42	01-01-2022	जेडएन/105	35000.00
43	01-01-2022	जेडएन/106	7200.00
44	01-01-2022	जेडएन/107	10100.00
45	01-01-2022	जेडएन/108	11600.00
46	01-01-2022	जेडएन/109	8200.00
47	01-01-2022	जेडएन/110	8600.00
48	01-01-2022	जेडएन/111	1700.00
49	01-01-2022	जेडएन/112	87000.00
50	01-01-2022	जेडएन/113	9400.00
51	01-01-2022	जेडएन/114	7200.00
52	01-01-2022	जेडएन/115	6500.00
53	01-01-2022	जेडएन/116	17300.00
54	01-01-2022	जेडएन/117	34900.00
55	01-01-2022	जेडएन/118	33500.00

56	01-01-2022	जेडएन/119	9600.00
57	01-01-2022	जेडएन/120	39700.00
58	01-01-2022	जेडएन/121	48600.00
59	01-01-2022	जेडएन/122	31900.00
60	01-01-2022	जेडएन/123	34900.00
61	01-01-2022	जेडएन/124	36000.00
62	01-01-2022	जेडएन/125	38700.00
63	01-01-2022	जेडएन/126	38800.00
64	01-01-2022	जेडएन/127	31700.00
65	01-01-2022	जेडएन/128	18400.00
66	01-01-2022	जेडएन/129	30000.00
67	01-01-2022	जेडएन/130	56500.00
68	01-01-2022	जेडएन/131	30000.00
69	01-01-2022	जेडएन/132	25650.00
70	01-01-2022	जेडएन/133	39600.00
71	01-01-2022	जेडएन/134	38000.00
72	01-01-2022	जेडएन/135	27100.00
		योग-	**2033500.00**

आ०सं०-45

प्रस्तर-24 जेडएन /139/18-02-22 विविध बिल एवं कैशबुक के अनुसार गौआश्रय स्थल टिसौली में कार्यरत श्रमिकों का पारिश्रमिक दिसम्बर 2021 एवं जनवरी 2022 का भुगतान श्री वशिष्ठ कुमार एवं शैलेश को क्रमशः रू० 10000.00, 10000.00 कुल रू० 20000.00 का भुगतान किया गया है। विविध बिल के साथ माह दिसम्बर 2021 के ही उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न है। जबकि माह जनवरी 2022 के उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नही होने के कारण रू० 10000.00 व्यय की पुष्टि नही होती है। इस प्रकार माह जनवरी 2022 में भुगतानित धनराशि रू० 10000.00 अनियमित रही। जिसके लिए प्र0अ0 श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 जेडएन/160 दिनांक 28-02-22 को 20 अदद फाइबर कुर्सी क्रय कर विशाल फर्नीचर को रू० 16200.00 का भुगतान किया गया है। मॉग पत्र एवं क्रय संबंधित विवरण सहित पुष्टि नही करायी गयी तथा स्टॉक रजिस्टर में लेखा भी नही है। इस प्रकार रू० 16200.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०नं०-47**

प्रस्तर-26 जेडएन/162/28-02-22 को 1 अदद कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय किया गया है जिसका कुल मूल्य 85500.00 है। माँग एवं क्रय संबंधित विवरण/पत्रावलीलेखापरीक्षा में मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे क्रय की पुष्टि नहीं की गई। तथा स्टॉक रजिस्टर भी नहीं उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार उक्त क्रय की लेखांकनकी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार एक कंप्यूटर एवं प्रिंटर रू० 85500.00 अपहरित रहा। जिसके लिए प्र०अ० श्री धनन्नंजय सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीजग प्रसाद मौर्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। **आ०सं०-48**

प्रस्तर-27 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तेरहवाँ वित आयोग मद में प्रा०अवशेष रू० 4572044.00 था वर्ष में अनुदान से आय शून्य रहा। इस प्रकार उपभोग हेतु पर्याप्त धनराशि होते हुए भी संस्था द्वारा कार्ययोजना ही नही बनायी गयी है। कार्ययोजना नबनाया जाना जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही का घोतक है। उपभोग न होने से विकास कार्य बाधित रहा। जिससे आम जनता को विकास का लाभ नही मिल पाया।व्यय न किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय। यदि कार्ययोजना समाप्त हो चुकी तो संबंधित अनुदानदाता को धनराशि वापस किया जाना चाहिए था अतः उपभोग नहोने अथवा संबंधित अनुदानदाता को वापस न करना अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-51

प्रस्तर-28 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त मद में प्रा० अवशेष रू० 5487.77 लाख था वर्ष में अनुदान से आय शून्य रहा तथा ब्याज के रूप में रू० 143.34 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष में उपभोग हेतु रु० 5631.11 लाख रहा। वर्ष में रू० 3021.13 लाख व्यय किया गया है। चतुर्थ राज्य वित् का कार्यकाल समाप्त हो चुका है पंचम राज्य वित्त प्रचलन में है रू० 2609.98 लाख उपभोग न होने की दशा में अनुदानदाता को वापस न करना अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारीश्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ०सं०-52**

प्रस्तर-29 दिनांक 31-03-2022 को निजी स्रोतों से आय का विवरण प्रपत्र 3 के क्रम सं० 4 पर सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया मद में रू० 5.00 लाख मॉग के सापेक्ष रू० 2.21 लाख की ही वसूली हो पायी है। इस प्रकार रू० 279000.00 की कम वसूली हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-53

प्रस्तर-30 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कतिपय ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये परन्तु लगभग 8 वर्षों से ये निर्माण कार्य अधूरे पड़े है। अधूरे पड़े कार्यों पर कुल रू० 137.69 लाख व्यय किया गया है तथा रू० 173.95 लाख संबंधितखाता में शेष पड़ी है। जबकि उपभोग न होने की दशा में शेष धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उक्त कार्यों पर व्यय धनराशि दुरुपयोगित रही जोकि घोर लापरवाही का घोतक है तथा शासन के मंशा के विपरीत है। जिसके लिए अपर मुख्य

अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता श्री अखिलेश कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-54**

विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	**विकास खण्ड**	**परियोजना का नाम**	**लागत (लाख रुपये में)**	**व्यय (लाख रुपये में)**	**वर्तमान में भौतिक स्थिति**
1	मुफ्तीगंज	ग्राम सभा मेडौर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	4.92	लिंटल लेबल
2	सिरकोनी	ग्राम सभा मनहन में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	6.40	छत स्तर
3	रामनगर	ग्राम सभा खेतापुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	4.67	लिंटल लेबल
4	रामनगर	ग्राम सभा नेविढ़या में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	1.67	प्लिंथ लेबल
5	मिड़याहूं	ग्राम सभा सुगुलपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	2.93	लिंटल लेबल
6	करंजाकला	ग्राम सभा कुकुहाँ में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	7.51	छत स्तर
7	बदलापुर	ग्राम सभा मुरादपुर कोटिला में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	2.52	प्लिंथ लेबल
8	खुटहन	ग्राम सभा बढ़नपुर कोटिला में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	4.29	स्लैब लेबल
9	रामपुर	ग्राम सभा भानपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	10.77	पूर्ण
10	मुंगरा बादशाहपुर	ग्राम सभा पुरामधु में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	2.50	लिंटल लेबल

11	धर्मापुर	ग्राम सभा महमदपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	6.86	स्लैब लेबल
12	जलालपुर	ग्राम सभा रोहारी में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	9.51	पूर्ण
13	डोभी	ग्राम सभा चंदवक में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	8.86	पूर्ण
14	डोभी	ग्राम सभा हरिहरपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	7.39	पूर्ण
15	सिरकोनी	ग्राम सभा सैदाबाद में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	7.78	पूर्ण
16	सुजानगंज	ग्राम सभा शेषनगर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	3.64	छत स्तर
17	मुफ्तीगंज	ग्राम सभा उमरी में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	11.48	पूर्ण
18	मुफ्तीगंज	ग्राम सभा जमुआरी में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	8.95	पूर्ण
19	जलालापुर	ग्राम सभा रेहटी में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	8.98	पूर्ण
20	मुंगरा बादशाहपुर	ग्राम सभा बड़ागांव में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	8.86	पूर्ण
21	धर्मापुर	ग्राम सभा लखनपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण	14.84	7.20	पूर्ण
		योग-	**311.64**	**137.69**	**लाख**

अनुमानित लागत = 311.64 लाख

कुल व्यय = (-)137.69लाख

अवशेष धन = 173.95 लाख

प्रस्तर-31 वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत जौनपुर के मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर की आडिट में पाया गया कि विभिन्न क्षेत्र पंचायतों की निलामी से रू० 70500.00 की आमद हुई है। शासनादेशानुसार हड्डी चमडा मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को धनराशि अन्तरित किया जाता है परन्तु जिला पंचायत द्वारा अन्तरित न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं कर अधिकारी श्री शत्रुधन प्रसाद वर्मा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है **आ0सं0-55**

प्रस्तर-32 जिला पंचायत जौनपुर के वर्ष 2021-22 के सड़क मरम्मत कार्य से संबंधित पत्रावलियोंकी जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयी । विवरण निम्नवत प्रकार है।

1-पत्रावली में अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य नही कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है |

2-प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं०-3583 / एम०टी०/60/2007 दिनांक 13-06-2007 के प्रस्तर 5 में वर्णित प्रिमिक्स कारपेटिंग के कार्य हेतु निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण मार्गो पर यदि बियरिंग कोट हेतु पी०सी० का प्रावधान किया जाताहै तो पी०एम०जी०एस०वाई० में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सीधे टापकोट कर केपी०सी० व सीलकोट कराया जायेगा। लेकिन उक्त कार्य के प्राक्कलन में डब्लू बी०एम० के उपर प्राइम कोट करके उसके उपर टैककोट डालकर प्रिमिक्स कारपेटिंग एवं सीलकोट का कार्य कराये जाने का प्रावधान शामिल था। जबकि उक्त वर्णित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टैककोट का कार्य अनुमन्य नही था। टैककोट का कार्य सम्मिलित करना अनियमित रहा।

विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	**कार्य का नाम**	**धनराशि / विवरण**
1	विकास क्षेत्र सिरकोनी मेंग्राम नेवादा हाईवे से कुद्दूपुरतक सड़क मरम्मत कार्य ।	उक्त कार्य पर 1750 वर्ग मी० टैककोट कारू० 34291.00 का अतिरिक्त भुगतानप्राक्कलन में सम्मिलित था जो अनुमन्यनहीं है ।
2	विकास क्षेत्र जलालपुर मेंग्राम कुसॉव पुलिया से रेलवेलाइन क्रॉसिंग तक सड़कमरम्मत कार्य ।	उक्त कार्य पर 60000 वर्ग मी0 टैककोटका रू0 19.60 से रू0 117600.00 काअतिरिक्त भुगतान प्राक्कलन में सम्मिलित था। जो अनुमन्य नहीं है।
	योग-	**151891.00**

इस प्रकार रू० 151891.00 अतिरिक्त भुगतान प्राक्कलन में सम्मिलित कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री जग प्रसाद मौर्या एवं अभियन्ता अखिलेश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। **आ0सं0-57**

जनपद- वाराणसी मण्डल - वाराणसी

जिला पंचायत - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

<u>प्रस्तर 1</u>

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किराये की गाड़ी के लाँग बुक के जाँच में पाया गया कि लाँग बुक के सभी कालम में पूर्ण प्रविष्टि नही की गयी है। लाँग बुक में यात्रा का उद्देश्य अंकित नही रहा। डीजल व्यय पर प्रयुक्त पेट्रोल पम्प की रसीद (आर. पी. पेट्रोल) की जाँच में पाया गया, निम्न विवरण के अनुसार-

दिनांक	धनराशि	डीजल लीटर में
14-07-20	4047.00	55
26-07-20	4302.44	58
योग	8349.44	

रू0 8349.44 की बिल रसीद का नम्बर फटा हुआ था, जिससे रसीद संख्या अज्ञात है। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए लेखाकार वेद प्रकाश ओझा और अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 2</u>

आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रकीर्ण व्यय शीर्ष के अन्तर्गत रू0 17,73,295.00 दर्शित है। जिसमें से रू0 12500.00 (विविध व्यय) अधिवक्ता का शुल्क (कानूनी व्यय), रू0 11800.00 आई. टी. सेंन्टर वरूणा बृज को कम्प्यूटर मरम्मत की धनराशि और रू0 16621.00 ब्राडबैंड कनेक्शन का खर्च दर्शित है। जिसकी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। शेष रू0 1773,295.00 – 40921.00= रू0 17,32,374.00 से सम्बन्धित अभिलेख / पुष्टि पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। विवरण व पुष्टि पत्र के अभाव में उक्त धनराशि रू0 1732,374.00 की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए लेखाकार वेद प्रकाश ओझा और अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश उत्तरदायी रहे। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 3</u>

जिला पंचायत वाराणसी परिसर में निर्मित 10 दुकानों में से 09 दुकानों का किराये पर आवंटन किया गया था। जिसके से एक दुकान का आंवटन वर्ष 2019-20 में निरस्त था। शेष 08 दुकानों का किराया मांग एवं वसूली दुकानों का किराया योग एवं वसूली और 31.03.2021 को बकाये का विवरण (किराये रजिस्टर के अनुसार) निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	अप्रैल 2020 में किराया दर	दिनांक 31.03.20 को बकाया	वर्ष में वाजिव (विलम्ब शुल्क सहित)	वर्ष मे जमा	31.03.21 को बकाया
1.	489	27329	7332	2000.00	32661.00
2.	1952	99542.00	29280.00	20000.00	102822.00
3.	1189	65121.50	17832.00	20000.00	62953.50
4.	1189	79252.50	17832.00	22000.00	75084.50
5.	1189	75172.50	17832.00	30000.00	63004.50
6.	1754	151429.50	29304.00	49000.00	131733.50
7.	1189	15921.50	17833.00	24778.00	8975.50
8.	---	23218	---	---	23218.00
9.	1189	90896.50	17832	10000.00	98728.00
	योग	627883.00	155077.00	177778.00	5991805.00

उक्त बकाये की वसूली शीघ्र की जाने अपेक्षित है किराये की नियमित वसूली न करने के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, लेखाकार वेद प्रकाश ओझा और वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश उत्तरदायी रहे। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 4

आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न विवरणानुसार मेला पर व्यय कैश बुक में दर्शित है।

क्रं0 सं0	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि रू0	मद
1.	31.07.20	21	2,78,825.00	कैथी मारकंडेय मंदिर में बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था हेतु रामेश्वर मंदिर में बैरिकेटिंग आदि व्यवस्था हेतु
2.	31.07.20	22	64400.00	रामेश्वर मंदिर में बैरिकेटिंग आदि व्यवस्था हेतु
3.	31.07.20	23	61650.00	शूल टंकेश्वर मंदिर में बैरिकेटिंग व्यवस्था हेतु
4.	28.10.20	91	253120.00	छठ पूजा पर्व हेतु
5.	28.10.20	92	395136.00	शिवरात्रि मेला हेतु
6.	28.10.20	93	86800.00	शिवरात्रि मेला हेतु
7.	28.10.20	94	71160.00	शिवरात्रि मेला हेतु
8.	12.11.20	38	26297.00	श्रावण मेला हेतु
9.	12.11.20	39	24416.00	श्रावण मेला हेतु
10.	12.11.20	40	629328.00	श्रावण मेला हेतु
11.	17.03.21	27	94800.00	पंचकोशी मेला हेतु
12.	17.03.21	28	95400.00	पंचकोशी मेला हेतु

13.	17.03.21	29	70800.00	पंचकोशी मेला हेतु
14.	17.03.21	30	66800.00	शूल टंकेश्वर मंदिर में बैरिकेटिंग व्यवस्था हेतु
15.	17.03.21	31	24600.00	श्रावण मेला रामेश्वर मंदिर हेतु
16.	17.03.21	32	96790.00	पंचकोशी मेला हेतु
17.	17.03.21	33	5,58,300.00	श्रावण मेला वर्ष 2018-19 का भुगतान
18.	17.03.21	34	3,83000.00	श्रावण मेला मारकंडेय मंदिर हेतु
19.	17.03.21	35	93000.00	पंचकोशी मेला का भुगतान
		योग	3374622.00	

उक्त पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी .

(क) कैथी मारकंडेय मंदिर की पत्रावली देखने पर निम्न न्यूनताएं पायी गयी। इस कार्य के लिए कोई निविदा आंमत्रित नही की गयी। पत्रावली में गौतम टेंट हाउस, शिवपुर का दिनांक 24.03.20 का रू0 71000.00 का बिल संलग्न है जिस पर जी. एस. टी. नं. अंकित नही था। इसी प्रकार भुल्लन चौरसिया टेंट हाउस, चौबेपुर वाराणसी का दिनांक 24.02.20 का टेबल, कुर्सी, टेंट आदि का बिना जी. एस. टी. नं. का रू0 19800.00 का बिल पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार क्रमांक 1,2,3 पर अंकित मेले व्यय रू0 404875.00 से सम्बन्धित पत्रावली में जो 10 बिल संलग्न पाये गये, उसकी कुल धनराशि का योग रू0 385,680.00 आ रहा है। रू0 19195.00 कैश बुक में ज्यादा दर्शित है।

(ख) क्रमांक 04 से 19 तक की पत्रावली मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। रू0 2974747.00 +रू019195.00 रू0 2993942.00 का व्यय अपुष्टि रहा, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार वेदप्रकाश ओझा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ग) दूसरी तरफ जी0एस0टी नम्बर का बिल न प्रस्तुत करके रू0 71000.00 +रू0 19800.00 = 90800.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश ओझा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 5

ग्राम सभा मटुका में मेन रोड़ से पटेल एवं राजभर बस्ती तक लेपन कार्य निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न न्यूनताएं पाई गई – (क) कार्य प्रारम्भ के पूर्व के फोटोग्राफ नही लगे है।

(ख) 10 लाख से ऊपर की धनराशि का कार्य होने के बावजूद शासन द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र पत्रावली में संलग्न नही पाया गया। बिटुमिन आपूर्ति का चालान पत्रावली के साथ संलग्न नही पाया गया। जबकि लेखा परीक्षा अनुसार 4.959 एम0टी बिटुमिन (बी0जी0 -10) कार्य में उपयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा—

विवरण	एम. वी. में नाप	मात्रा (एम0टी)	कुल मात्रा	दर	कुल धनराशि रू0
टाक कोट	2016 एम0टी	0.35	0.706	---	
प्रेमिस	2016 एम0टी	1.46	2.943	---	
सील कोट	2016 एम0टी	3.65	1.310		
		योग	4.959 एम0टी	53238.00	264007.00

इस प्रकार 4.959 एम0टी0 बिटुमिन (वि0जी0 -10) आपूर्ति का लेखा परीक्षा में चालान के अभाव में बिटुमिन क्रय एवं उसके उपयोग की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश, अभियन्ता श्री अनिल श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा जिला निधि से रू0 एक करोड़ कोविड – 19 कोष में अनुदान, रू0 3379622.00 मेले प्रबन्ध हेतु व्यय एवं रू0 1773295.00 प्रकीर्णव्यय दिखाया गया है। जबकि जिला निधि का सर्वप्रथम प्रयोग अपने वेतन भत्ते व पेंशन मद आदि में किया जाता है, तत्पश्चात बचे हुए धनराशि से स्थाई सम्पत्ति सृजित करना चाहिए।

आलोच्य वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या 896/33-3-20-114/2012 टी. सी. दिनांक 06.04.20 के प्रमुख सचिव के पत्र द्वारा कोविड फंड में योगदान करने का आदेश ऐच्छिक था। जिला निधि का पैसा मेला व्यय़, कोविड 19 अनुदान, आदि में करके आलोच्य वर्ष में राज्य अनुदान का रू0 50,00,000.00 वेतन व पेंशन मद में अंतरण कर विकास कार्य में खर्च न करके इस धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश एवं लेखाकार वेदप्रकाश ओझा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 7

ग्राम सभा बेनीपुर के मौजा नेवाज के पुरा प्रेम पटेल के घर से महाजन पटेल के घर की ओर इन्टरलांकिग की निर्माण कार्य पत्रावली देखने पर निम्न न्यूनताऐं प्रकाश में आयी – जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में ही निर्माण स्थल का चयन किया जाता है और परिवर्तन का अधिकार भी बोर्ड को ही होता है। उक्त कार्य में निर्माण स्थल का परिवर्तन किया गया है, जिसके लिए अभियन्ता श्री अनिल श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह जिम्मेदार है। (कार्य अन्यंत्र कराये जाने प्रमाण – नोटिस पत्रांक 848, दिनांक 26 सितम्बर 2020 पत्रावली में संलग्न है)। अनुमोदित कार्य योजना व निविदा में स्वीकृत परियोजना से इतर कार्य कराये जाने के कारण भुगतान रू0 6,14,880.00 अनियमित रहा। जिसके लिए अभियन्ता श्री अनिल श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह जिम्मेदार है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8

वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत वाराणसी द्वारा भुगतान निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में निम्न न्यूनताएं प्रकाश में पायी गयी—

(क) प्राँक्कलन पर अपर मुख्य अधिकारी का हस्ताक्षर नही पाया गया।

(ख) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक के प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नही पाया गया।

(ग) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नही पाया गया। ये कार्य विलम्ब से कराया गया है और संबधित ठेकेदार से निर्धारित अर्थदण्ड (भुगतान की गयी धनराशि के एक प्रतिशत की दर से भी नही काटा गया है।)

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि रू0	अर्थ दण्ड शुल्क रू0
1.	करघना मे टावर से मुसलमान बस्ती तक सी. सी. कार्य	12.04.20	31.07.20	729538.00	7295.00
2.	ग्रा. स. बनकट कडीपुर रोड़ से शारदा यादव के घर तक इण्टरलाँकिंग	15.06.20	31.10.20	856800.00	8568.00
3.	ग्राम सभा विशुनपुर में शारदा नहर से मेवालाल पटेल के घर तक सी. सी. कार्य	29.03.19	17.03.21	777500.00	7775.00
				योग	23638.00

इस प्रकार रू0 23638.00 का अर्थदण्ड ठेकेदारों के बिल से काटा जाना चाहिए था जो कि नही काटा गया है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश अभियंता श्री अनिल श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9

वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा करते समय पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2020-21 में भुगतानित अधिकांश निर्माण कार्य परियोजनाओं की लागत रू0 10 लाख से कम रही। उक्त के अतिरिक्त अधिकांश निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ही कराये गये है, जो शासनादेश संख्या 8307/ 33-2-2-2004-93 जी /2004, दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश संख्या 04 /866/33-2-14-93 जी /2004 टी0 सी0 दिनाँक 24 जून 2014 तथा शासनादेश संख्या 1838/ 33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का स्पष्ट उल्लघंन है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं0 सं0	नाम परियोजना	वर्ष 2020-21 में व्यनित धनराशि
1.	ग्राम स0 मटुका में मेन रोड़ से पटेल एवं राजभर कार्य बस्ती तक लेपन मरम्मत का कार्य	5,84,438.00
2.	ग्राम स0 बनकट कड़ीपुर रोड़ से शारदा यादव की ओर इण्टरलॉकिग का कार्य	85,68,00.00
3.	ग्राम सभा कोहासी में प्राथमिक विद्यालय से भूमिहार बस्ती के बाहर तक लेपन कार्य	735420.00
4.	ग्राम सभा बंतरी मार्ग से कब्रिस्तान की तरफ सी. सी. कार्य	38,95,08.00
5.	ग्रा0 कन्दवा मे पंचकोशी रोड़ से आशा माडर्न स्कूल के पीछे गेट तक लेपन कार्य	49,61.39.00
6.	ग्राम सभा पहटी में मेन रोड़ से आश्रम तक इ0 ला0 का कार्य	601,000.00
7.	ग्राम पंचायत दिलावलपुर में सुरेन्द्र पाल के घर से हरिजन बस्ती तक सी0 सी0 कार्य	57,89,28.00
8.	ग्राम सभा भन्दवां दुर्गवा मार्ग पर सी0 सी0 कार्य	80,12,48.00
9.	ग्राम सभा आयर में दुर्गा माता मन्दिर से श्याम बिहारी के घर तक सी0 सी0 कार्य	36.13,60.00
10.	ग्राम सभा पूरे में पन्ना पटेल के घर से बबलू यादव के घर की ओर सी0 सी0	84,22,41.00
11.	ग्राम सभा भीमपुर दिलावरपुर मार्ग से ओमप्रकाश के घर तक सी0 सी0	66,49,17.00
12.	ग्राम सभा सतनपुर में मेन बाजार से ब्राहम्ण बस्ती की ओर सी0 सी0 कार्य	64,20,96.00
13.	करधना में टावर से मुसलमान बस्ती तक सी0 सी0	730,800.00
14.	ग्राम सभा तिलमापुर गाजीपुर बलूआ रोड़ से सन्तोष प्रधान के घर तक मार्ग	73,36,00.00
15.	ग्राम सभा अमउत में कोहार बस्ती में जल निकासी	44,65,44.00
16.	ग्राम सभा विशुनपुर मे शारदा नहर से मेवालाल पटेल के खेत की ओर सी0 सी0 मार्ग	53,71,52.00
17.	ग्राम सभा महमुदपुर में कन्नौजिया के घर से नखडू कन्नौजिया के घर की ओर इण्टरलॉकिग	67,53,60.00
18.	शिवदासपुर में हिन्दुस्थान लीवर से बाबूलाल सोनकर के घर तक सी0 सी0 कार्य	777,392.00
	योग	10606711.00

उक्त सभी कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाला नही रहा। अतः उक्त व्यय रू0 11,45,49,43.00 शासनादेशो के प्रतिकूल एवं अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण

कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश अभियंता श्री अनिल श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 10

जिला पंचायत वाराणसी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा करते समय देखा गया कि कर निर्धारण सूची के अनुसार कुल ईट भट्टो की संख्या एवं ईट भट्टो के लाइसेंस रजिस्टर की वसूली में भारी अन्तर पाया गया, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कर निर्धारण सूची के अनुसार कुल ईट भट्टो की संख्या	लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार वसूल किये गये लाइसेंस भट्टो की संख्या	बकाया ईट भट्टो की संख्या	बकाया लाइसेंस धनराशि रू0
1.	चिरईगाँव	47	18	29	290290.00
2.	पिण्डरा	17	16	01	10010.00
3.	आराजीलाईन	46	12	01	340340.00
4.	बड़ागाँव	30	08	22	220,220.00
5.	सेवापुरी	32	नील	32	320,320.00
6.	हरहुआ	63	नील	63	630,630.00
7.	चोलापुर	35	नील	35	350,350.00
8.	काशी विद्यापीठ	08	नील	08	800,80.00
	योग	278	54	224	2242240.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत वाराणसी द्वारा ईट भट्टो के लाइसेंस नवीनीकरण करने हेतु ठोस प्रयास नही किया गया है। विकास खण्डो की कर निर्धारण सूची के अनुसार कुल 278 ईट भट्टे थे, जिसमें से मात्र 54 भट्टो के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। जिसकी पुष्टी लाइसेंस रजिस्टर से की गयी। शेष 224 भट्टो का लाइसेंस नवीनीकरण नही किया गया है। अतः लाइसेंस निर्गत न किये जाने के कारण रू0 10010.00 प्रति ईट भट्टो की रू0 2242240.00 की क्षति संस्था को पहुँचाई गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह एवं कर अधिकारी श्री कैलाश यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 11

वर्ष 2020-21 में संस्था द्वारा प्रस्तुत ईट भट्टो की सूची में कुल ईट भट्टो की संख्या 329 रही, जिसमे से 222 फर्मो से सी0 पी0 टेक्स वसूली की गयी है। शेष 107 ईट भट्टो से वर्ष 2020-21 में विभव कर की वसूली न करके दर रू0 6000.00 × 107 से रू0 642000.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए कर अधिकारी श्री कैलाश यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 12

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यो के भुगतान से 1प्रतिशत की दर से लेबर शेष की कटौती रू0139,45,77.00 की गयी है। जिसकी जमा की पुष्टि में कोई चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया

है, जिससे उक्त जमा की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके प्रति वित्तीय परामर्शदाता श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण सिंह एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश ओझा उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 13

वर्ष 2020-21 के कर निर्धारण सूची रजिस्टर एवं लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार दुकानों के लाइसेंस शुल्क वसूली में भारी अंतर रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं0 सं0	विकास खण्ड	कर निर्धारण सूची रजि0 के अनुसार व्यवसायियों की संख्या	लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार ला. वसूल की गयी व्यवसायियों की संख्या	वसूली हेतु अवशेष कुल व्यवसायियों की संख्या
1.	चिरईगाँव	1274	89	1185
2.	पिण्डरा	1597	496	1101
3.	आराजीलाइन	1752	75	1677
4.	बड़ागाँव	1119	157	962
5.	सेवापुरी	1491	136	1355
6.	हरहुआ	1711	अप्राप्त	1711
7.	चोलापुर	1308	अप्राप्त	1308
8.	काशी विद्यापीठ	1533	148	1385
योग		11785	1101	8973

इस प्रकार सूची से स्पष्ट है कि विकास खण्डवार व्यवसायियों के लाइसेंस नवीनीकरण प्रतिवर्ष नहीं किया जा रहा है, जबकि लाइसेंस की वसूली प्रतिवर्ष की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल 11785 दुकानों में से केवल 1101 दुकानो से ही लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी है। इस प्रकार शेष 10684 व्यवसायियों में से संस्था द्वारा बताया गया कि कोविड के कारण कई दुकानें बंद कर दी गयी थी। शेष 5102 दुकानों की वसूली नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्न है-

क्रं0 सं0	दुकानें (मद का नाम)	बकाया दुकान व्यवसायियों की संख्या	लाइसेंस शुल्क दर	बकाया धनराशि
1.	पेट्रोल पम्प	36	5500	198000.00
2.	गल्ला परचून	540	500	270000.00
3.	जनरल	295	500	147500.00
4.	कपड़ा	168	500	83500.00
5.	मिठाई	181	500	90500.00
6.	सोनारी	106	500	53000.00
7.	दवा	130	500	65000.00
8.	वि. मै.	110	500	55000.00
9.	हार्डवेयर	116	500	58000.00
10.	गोदाम	03	2000	6000.00
11.	टेंट	23	1000	23000.00
12.	फर्नीचर	09	500	4500.00

13.	अन्य व्यवसाय (चक्की बिसाती आदि)	3386	500	1693000.00
योग		5103.00	13500.00	2747000.00

इस प्रकार रू0 27,47000.00 की व्यवसायियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न करके संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है, जिसके लिए कर श्री कैलाश यादव अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। **अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

<u>प्रस्तर 14</u>

जिला पंचायत, वाराणसी के वर्ष 2020-21 के विभव कर की मांग व उगाही रजिस्टर की जाँच में देखा गया कि पिछली बकाया को वर्ष की मांग के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही बकाया कि सूची बनायी गयी है। विभव कर की वसूली भी नगण्य रही। वर्ष 2020-21 मे कुल मांग व वसूली का विवरण निम्नांकित है।

क्रं0 सं0	विकास खण्ड	डिमांड रजिस्टर के अनुसार कुल मांग	मांग तथा उगाही रजिस्टर के अनुसार कुल वसूली	दिनांक 31.03.2021 को बकाया
1.	पिण्डरा	3061310.00	718300.00	2343016.00
2.	बड़ागाँव	1971600.00	00.00	1971600.00
3.	चिरईगाँव	2013060.00	341400.00	1671660.00
4.	काशी विद्यापीठ	2745302.00	00.00	2745902.00
5.	हरहुआ	3191730.00	1125780.00	2065950.00
6.	सेवापुरी	2522026.00	317160.00	2204860.00
7.	चोलापुर	2382420.00	00.00	2382420.00
8.	आराजीलाइन	3673680.00	190420.00	3483260.00
योग		21561728.00	2693060.00	18868668.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में मात्र 12.49 प्रतिशत कर की ही वसूली की गयी है। इस प्रकार धनराशि रू0 18868668.00 की वसूली न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके प्रति श्री कैलाश यादव कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जिला पंचायत **जनपद -वाराणसी**

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर -15

वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यो की जाँच में पाया गया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से अर्थदण्ड की निर्धारित न्यूनतम 1 प्रतिशत की वसूली नही की गयी है। ठेकेदारों से वसूली की गयी अर्थदण्ड की धनराशि में एकरूपता नही है एवं मनमाने ढंग से अर्थदण्ड की वसूली करके संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है जो निर्माण कार्य नियमावली 1984 के विरूद्ध है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह एवं अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। विवरण निम्न है।

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	परियोजना का लागत मूल्य रू0 में	न्यूनतम अर्थदण्ड 1 प्रतिशत	वसूली अर्थदण्ड रू0 में	कम वसूल
1	वाराडीह में पिचरोड़ से सागर सिंह के घर होते हुए सी0 सी0 कार्य	547302.00	5473.00	4200.00	1273.00
2	वाराणसी आजमगढ रोड आयर लिंक मार्ग से काकलपुर हैण्डपम्प रमेश पटेल के घर की ओर सी0 सी0 मार्ग	918720.00	9187.00	3000.00	6187.00
3	मुर्दहा में भोजूबीर सिंधोरा मार्ग से मुर्दहा गाँव तक मार्ग का मरम्मत कार्य	760825.00	7608.00	3000.00	4608.00
4	नवलपुर चौराहे से परमानंन्दपुर मार्ग तक मार्ग का मरम्मत कार्य	760825.00	7608.00	2100.00	5508.00
5	भोजूबीर सिंधोरा मार्ग से ग्राम सभा अहिरौली मेन रोड़ से ब्राह्मण बस्ती की ओर सी0 सी0 कार्य	817604.00	8176.00	1000.00	7176.00
6	भानपुर में ट्रान्सफार्मर से रविशंकर पटेल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	679536.00	6795.00	-	6795.00

7	सिंधोरा फूलपुर मार्ग से करेमुआ प्रा0 पा0 से करेमुआ तक विशेष मरम्मत कार्य	1496582.00	14965.00	-	14965.00
8	ग्राम सभा सेरवानीपुर में संतोष मौर्य के घर से कमला विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	968549.00	9685.00	3500.00	6185.00
9	ग्राम सभा अहिरौली में आंगनबाड़ी के सामने से भोजूबीर सिन्धोरा मार्ग से शंकर जी के मन्दिर तक इंटरलाकिंग कार्य	364672.00	3647.00	3200.00	447.00
10	ग्राम सभा उदरहां में अम्बेडकर प्रतिमा से सेवापुरी ब्लाक रोड़ तक लेपन मरम्मत कार्य	665000.00	6650.00	6000.00	650.00
11	ग्राम सभा विशुनपुर में शारदा नहर से मेवालाल पटेल के खेत की ओर सी0 सी0 कार्य	977000.00	9770.00	-	9770.00
					63564.00

इस प्रकार रू0 63564.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से न कर संस्था को आर्थिक छति पहुंचाई गयी है। प्रकरण अत्यन्त गम्भीर है। अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह , श्री अनिल कुमार सिंह और अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है जिनसे रू0 63,564.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर- 16</u>

वर्ष 2021-22 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना की धनराशि से कराये गये कार्यो से लेबर सेस की कटौती मनमाने ढंग से की गयी है। जबकि लेखा परीक्षानुसार लागत मूल्य का 1% से कटौती की जानी चाहिए। विवरण निम्न है।

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	परियोजना का लागत मूल्य रू0 में	न्यूनतम अर्थदण्ड 1 प्रतिशत	वसूली अर्थदण्ड रू0 में	कम वसूल

1	ग्राम सभा सेरवानीपुर में सन्तोष मार्य के घर से कमला विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	968549.00	9685.00	1058.00	8627.00
2	ग्राम सभा अहिरौली में आंगनबाड़ी के सामने से भोजूबीर सिंधोरा रोड़ मार्ग से शंकर जी के मन्दिर तक इंटरलाकिंग कार्य	364672.00	3647.00	715.00	2932.00
3	बाराडीह में पिच रोड़ से सागर सिंह के घर होते हुए सी0 सी0 कार्य	547302.00	5473.00	558.00	4915.00
4	वाराणसी आजमगढ रोड़ आयर लिंक मार्ग से काकलपुर हैण्डपम्प रमेश पटेल के घर की ओर सी0 सी0 कार्य	918720.00	9187.00	776.00	8411.00
5	मुर्दहा में भोजूबीर सिंधोरा मार्ग से मुर्दहा ग्राम तक मार्ग की मरम्मत कार्य	760825.00	7608.00	733.00	6875.00
6	नवलपुर चौराहे से परमानन्दपुर तक मार्ग का मरम्मत कार्य	760825.00	7608.00	1159.00	6449.00
7	भोजूबीर सिंधोरा मार्ग से ग्राम सभा अहिरौली मेन रोड़ से ब्राह्मण बस्ती की ओर सी0 सी0 कार्य	817604.00	8176.00	1273.00	6903.00
8	भानपुर में ट्रासफार्मर से रविशंकर पटेल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	679536.00	6795.00	2679.00	4116.00
9	सिंधोरा फूलपुर मार्ग से करेमुआ प्रा0 पा0 से	1496582.00	14965.00	7320.00	7645.00

	करेमुआ तक विशेष कार्य मरम्मत कार्य				
10	ग्राम सभा चितावनपुर में बस्ती की ओर मार्ग मरम्मत कार्य	350974.00	3510.00	638.00	2872.00
					59745.00

इस प्रकार रू0 59745.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से न कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुचाई है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह और लेखाकार श्री वेद प्रकाश ओझा उत्तरदायी है। जिनसे रू0 59745.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 17

वर्ष 2021-22 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना की धनराशि से कराये गये कार्यो में माप में विचलन कर जिला पंचायत को क्षति पहुचाई गयी है।

क्रं0 सं0 1 कार्य का नाम – सेरवानीपुर में सन्तोष मौर्य के घर से कमला विश्वकर्मा के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य

क्रं0 सं0	प्राक्कलन में नाम	भुगतान बिल में माप	अंतर	दर	धनराशि
1	पी/एल 1.4 33.66 मी3	37.26मी3	3.6मी3	43.00	1548.00
2	पी/एल जी.एस.बी. 51.63मी3	63.15मी3	11.52मी3	2240.00	25805.00
3	पी.एस.एस.12.20मी3	13.50मी3	1.3मी3	3200.00	4160.00

2) ग्राम सभा उदरहां में अम्बेडकर प्रतिमा से सेवापुरी ब्लाक रोड़ तक लेपन मरम्मत कार्य

क्रं0 सं0	प्राक्कलन में नाम	भुगतान बिल में माप	अंतर	दर	धनराशि
1	पी /एल जी-2 16.54मी3	77.17मी3	60.63मी3	3131.40	189857.00

3) सीहोरवां हनुमान मन्दिर से सरैनी रेलवे लाईन तक मिट्टी व खड़जा कार्य कन्ट्रक्शन आफ इम्बकिमेन्ट क्लाज 301.50 फार पटरी

क्रं0 सं0	प्राक्कलन में नाम	भुगतान बिल में माप	अंतर	दर	धनराशि
1	मी3 132.60	मी3 188.76	मी3 56.16	87.30	4902.76

4) ग्राम सभा गौरा में अदलपुरा मार्ग से गुड्डू सिंह के घर तक मिट्टी व खड़जा कार्य ब्रिक्स सोलिंग

क्रं0 सं0	प्राक्कलन में नाम	भुगतान बिल में माप	अंतर	दर	धनराशि

1	2 1650.00	2 1695.00	2 45.00	440.00	19800.00
					246072.76
					246073.00

इस प्रकार रू0 246073.00 से जिला पंचायत की क्षति की गयी । इसके लिए अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिनसे रू0 246073.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर- 18</u>

वर्ष 2021-22 के चेक प्राप्ति रजिस्टर एवं सामान्य रोकड़ बही के मिलान मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार चेक प्राप्ति की धनराशि रू0 150770.00 की प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में न करके संस्था की क्षति की गयी।

क्रं0 सं0	चेक सं0	दिनांक	किससे प्राप्त हुआ	धनराशि रू0 में
1	137402	11/06/21	अग्रवाल ट्रेक्टर गोदाम बाबतपुर	9010.00
2	002393	30/04/21	महेश कार्पेट जगतपुर	10010.00
3	002394	30/04/21	महेश कार्पेट जगतपुर	6000.00
4	068636	16/06/21	पूर्णिमा गुप्ता जगतपुर	6000.00
5	037564	07/07/21	देव फूड प्रोडक्ट चांदपुर	4200.00
6	002914	29/07/21	चन्दन ईट भट्टा अवधेश बबुसापुर	12000.00
7	684281	30/06/21	भोलानाथ कार्पेट ठठरा	15010.00
8	585455	30/06/21	भोलानाथ कार्पेट ठठरा	6000.00
9	040115	17/08/21	नारायण कृषि उद्योग प्रा0 लि0 अटेसुआ	12000.00
10	000747	03/09/21	माइक्रो पार्क इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 पांडेयपुर	5010.00
11	112197	18/09/21	दीनदयाल जालान्स प्रा0 लि0 शहाबाबाद	18510.00
12	09863	25/01/22	प्रथम इण्टर प्राइजेज आयर	6000.00
13	889088	28/02/22	राधा मार्ट प्रो0 पवन पाण्डे	6000.00
14	042525	30/03/22	शिवम ईट उघोग नरायणपुर चिरईगाँव	6000.00
15	056931	29/03/22	नरायण कृषि उघोग प्रा0 लि0 हरहुआ	6000.00
16	003012	24/03/22	अमित एक्सपर्ट चांदपुर इंडस्ट्रीयल स्टेट	10010.00
17	000342	04/03/22	कुमार कृषि केन्द्र कोल स्टोरेज चांदपुर	10010.00
18	031821	26/02/22	सेन्ट जोसेफ इंग्लिस नर्सरी स्कूल	3000.00
			योग	150770.00

संस्था द्वारा बताया गया कि सभी चेक बाउन्स हो गये है। लेकिन उक्त चेको को संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया और न ही ऐसे चेक देने वालो पर कोई कार्यवाही की गयी । जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह व लेखाकार श्री वेद प्रकाश ओझ उत्तरदायी है। जिनके विरूद् विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 19

शासनादेश संख्या -04/866/33-2-14-93 जी0/2004 टी0 सी0 पंचायती राज अनुभाग -2 दिनांक 24-06-2014 तथा शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 जिसके अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से अधिकांश कार्य या तो एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत या एक ही ग्राम पंचायत के भीतर स्थित कराया गया है। जो अनियमियता है। विवरण निम्न रहा। इसके लिए अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रं0 सं0	परियोजना का नाम	धनराशि रू0 में
1	ग्राम पंचायत सेरवानीपुर में सन्तोष मौर्य के घर से कमला विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	968549.00
2	ग्राम सभा बटुका में मेनरोड़ से पटेल बस्ती, राजभर बस्ती तक लेपन मरम्मत	626045.00
3	ग्राम सभा कुत्तुपुर में मेनरोड़ से बबलू सिंह के मकान तक लेपन मरम्मत	524048.00
4	ओमनगर कालोनी चितईपुर में शेखर श्रीवास्तव के घर से आर. आर. प्रसाद एवं बंगाली दादा के घर तक जल निकासी व सी0 सी0 कार्य	1265600.00
5	ग्राम सभा बलिरामपुर गंगापुर रोहनिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा खुलासपुर तक सी0 सी0 कार्य	762048.00
6	ग्राम सभा दाउदपुर में रोहनिया. गंगापुर संपर्क मार्ग से शंकर जी के मन्दिर तक सी0 सी0 कार्य	803376.00
7	ग्राम सभा कुत्तुपुर में पिच रोड़ से पिंटू सिंह के घर की ओर इण्टरलाकिंग	280784.00
8	ग्राम मवईया में सिंधोरा रोड़ से मवईया पटेल बस्ती की ओर सी0 सी0 कार्य	510160.00
9	ग्राम सभा ओदरहा अम्बेडकर प्रतिमा से सेवापुरी ब्लाक रोड़ तक लेपन कार्य	591360.00
10	ग्राम गोपालपुर में ग्राम मझियार तक मि0 / खडंजा कार्य	1515000.00
11	ग्राम सभा बूची में मुख्य मार्ग से राजेश मिश्र के घर की ओर जल निकासी एवं नाली	838960.00
12	ग्राम सभा भरथरा में पिच रोड़ से चौरा माता मन्दिर तक सी0 सी0 कार्य	722740.00

13	ग्राम सभा मुड़ादेव में रामचंदर के घर से शम्मो माई मन्दिर तक मि0 / खड़ंजा	707404.00
14	ग्राम सभा भोजपुर में संजय पटेल के मकान से रमेश तिवारी के मकान तक सी0 सी0	821520.00
15	ग्राम सभा पीसौर में मेनरोड़ से राजनाथ व भुल्लन भारती के घर की ओर सी0 सी0	1625904.00
16	ग्राम सभा तेन्दुई (गछोपुर) में पिच रोड़ से सन्तोष सिंह के घर तक मि0/ खड़ंजा	697415.00
17	ग्राम सभा बेलवरियां में मेनरोड़ से बनवारी के घर होते हुए बब्लू पटेल के घर होते हुए सी0 सी0 कार्य	1292599.00
18	ग्राम सभा मोहनदासपुर में पिच रोड़ से मौर्या बस्ती से लल्लू नाविक के घर तक सी0 सी0 कार्य	885920.00
19	ग्राम सभा बहरामपुर में मुख्य मार्ग से रवि मिश्र के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य	590181.00
20	ग्राम सभा घमहापुर में सी0 सी0 का अवशेष कार्य	621600.00
21	ग्राम पंचायत प्रतापपट्टी में पटेल बस्ती से ब्राम्हण बस्ती तक लेपन मरम्मत	752640.00
	योग	17403853.00

प्रस्तर -20

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों को चतुर्थ राज्य वित्त से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है जबकि यह भुगतान जिला निधि से किया जाना चाहिए। विवरण

क्रं0 सं0	बा0 सं0	दिनांक	समाचार पत्र	भुगतान धनराशि
1	59	22/02/22	काशी वार्ता	12648.00
2	60	22/02/22	हिन्दुस्तान	27151.00
3	61	22/02/22	अमर उजाला	78162.00
4	62	22/02/22	दैनिक जागरण	155553.00
5	63	22/02/22	सहारा इण्डिया	16323.00
			योग	289837.00

इस प्रकार प्रचार प्रसार पर अनुदान की धनराशि से रू0 289837.00 भुगतान कर अनियमितता किया गया है. जिसके लिए लेखाकार श्री वेदप्रकाश ओझा व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 21

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194J के अनुसार यदि कोई संस्थान किसी व्यक्ति को उच्च प्रोफेशनल या तकनीकि सेवा के बदले सलाना रू0 30000.00 या इससे ऊपर का भुगतान करता है तो 10% की दर से टी0 डी0 एस0 की कटौती की जायेगी। प्रोफेशनल सेवा का तात्पर्य विधिक, एडवरटाइजिंग, एकाउंटेंसी, टेनर्स आदि सेवाओं से है। इस प्रकार अमर उजाला को वर्ष के दौरान रू0 78162.00 का 10% 7816.00 तथा दैनिक जागरण को वर्ष दौरान भुगतान रू0 155553.00 का 10% 15555.00 कुल टी0 डी0 एस की धनराशि 23371.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री वेद प्रकाश ओझा व अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिनसे रू0 23371.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -22

जिला पंचायत वाराणसी द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 142 (1) एवं 239 (2) के अन्तर्गत वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी ईट भट्टा टाइल्स आदि को नियमित एव नियत्रिंत करने के उद्देश्य से बनायी गयी उपविधि के अनुसार चिमनी भट्टा हेतु रू0 10000-00 वार्षिक की दर से लाइसेंस देय होगा।

वर्ष 2021-22 के ईट भट्टा लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार विकास खण्डवार लाइसेंस निर्गत किये जाने का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं0 सं0	नाम विकास खण्ड	विकास खण्डवार ईट भट्टो की सं0	2021-22 में निर्गत लाइसेंस
1	पिंडरा	17	06
2	सेवापुरी	29	22
3	चिरईगाँव	36	17
4	बड़ागाँव	27	06
5	हरहुआ	63	32
	योग	172	83

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा ईट भट्टो के लाइसेंस नवीनीकरण करने हेतु कोई प्रयास नही किये जा रहे है जिससे संस्था को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 10-01.23 को अन्तरिम आपत्ति निर्गत की गयी थी, परन्तु संस्था द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार संस्था को कुल रू0 89×10500.00 = 934500.00 की क्षति पहुचाई गयी है, जिसके लिए सम्बन्धित पिण्डरा के श्री बसन्त कुमार , सेवापुरी के श्री सत्यनारायण , चिरईगाँव के श्री काली प्रसाद मिश्र, बड़ागाँव के श्री प्रत्युष कुमार सिंह एवं हरहुआ के श्री सुधीर कुमार कर समाहर्ता, कर प्रभारी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिनसे रू0 934500.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 23

किराया रजिस्टर वर्ष 2021-22 की जाँच में पाया गया कि अधिकांश से किराये की वसूली विगत कई वर्षो से नही की जा रही है, जिससे जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 10-01-23 को अन्तरिम आपत्ति निर्गत की गयी थी, परन्तु संस्था द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। विवरण निम्न है।

क्र.0 सं0	दुकान नं0	नाम व पता	वर्ष की डिमाण्ड	वसूली	31/03/22 को कुल बकाया
1	एक	श्री अंकित सिंह/ श्री प्रमोद कुमार सिंह मकान न0 8/2A-2 उचवालाज शिवपुर, वाराणसी	498 × 12= 5868.00	शून्य	28319.00
2	दो	श्री अवधेश कुमार सिंह/ श्री गौरीशंकर सिंह ग्राम अजुनपुर पो0 भीखमपुर वाराणसी	1952× 12= 23424.00	शून्य	75392.00
3	चार	श्री चन्दन सिंह,/ अवधेश सिंह ग्राम नेवादा पो0 सकलपुर, वाराणसी	1189× 12=14268.00	शून्य	71704.00
4	पांच	श्री विवेक कुमार सिंह/ श्री परमानन्द सिंह ग्रा0 व पो0 - कटारी, वाराणसी	1189× 12=14268.00	शून्य	23836.00
5	छः	श्री संजय कुमार राय / श्री अवध पाल राय मकान नं0 5-24/6A -3 इन्दिरा नगर टकटकपुर, वाराणसी	1189× 12=14268.00	शून्य	32756.00
6	सात	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह/ स्व0 रामराज सिंह ग्रा0 पो0 - धौरहरा, वाराणसी	1954× 12=23448.00	शून्य	79334.00
7	दस	श्री अरूण कुमार शुक्ला / श्री श्रीकांत शुक्ला मकान नं0 32/29 A -33 साकेत नगर नरिया	1189×12 =14268.00	शून्य	102520.00
			कुल योग		413861.00

इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार संस्था को कुल रू0 413861.00 की क्षति हुई। जिसके लिए कर समाहर्ता श्री सुनील कुमार सिंह व कार्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 24

मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्रांक सं0 2799/86- 2016-292/2015 दिनांक 12-09-2016 के प्रस्तर -3 के अनुसार निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उप खनिजो के रायल्टी के सम्बन्ध में यदि ठेकेदार द्वारा प्रपत्र एम.एम. -11 प्रस्तुत किया जाता है तब उसे रायल्टी भुगतान के प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज के रायल्टी के साथ – 2 खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी मूल्य का पाँच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान से जमा करते हुए एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दिया जाय। जिला पंचायत वाराणसी के चतुर्थ राज्य वित्त निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया है कि ग्राम सभा ओदरहा में अम्बेडकर प्रतिमा से सेवापुरी ब्लाक रोड़ तक लेपन कार्य में भूतत्व व खनिज निदेशालय उ0 प्र0 सवडिवीजन लेबल रिर्पोट के समरी में 60मी3 गिट्टी वैध दर्शाया गया है। जबकि बिल बनाते समय 77.17मी3 गिट्टी प्रयुक्त दर्शित है। इस प्रकार अन्तर 17.17मी3

का रहा। इस प्रकार 77.17मी3 की गिट्टी का एम.एम. -11 संलग्र नहीं रहा। जिस पर 3131.41 की दर से रू0 53766.00 खनिज मूल्य अधिक दर्शाकर जिला पंचायत की क्षति की गयी है। साथ ही रायल्टी 160×17.17= 2747 की रायल्टी की क्षति की गयी है। अतः नियमानुसार 2747×5 =13735.00 की पेनाल्टी निर्धारित करते हुए कुल रू0 67501.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह व अभियन्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव से अपेक्षित है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -25

आलोच्य वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से रू0 3866040.00 का अन्तरण वेतन शीर्ष में किया गया है। जबकि वेतन व पेंशन जिला निधि से देने का प्रावधान है। इस प्रकार रू0 3866040.00 का वेतन मद में अन्तरण कर दुर्विनियोग किया गया है। जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा मासिक लेखा विवरणी में इसका उल्लेख नही किया गया है। उक्त दुर्विनियोग को छिपाने के लिए पंचम वित्त आयोग से किये गये निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है। उक्त दुर्विनियोग एवं फर्जी लेखाकन करने के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता श्रीमती पूजा श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश ओझा उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर 26

आलोच्य वर्ष 21-22 में प्रकीर्ण व्यय रू0 2727030 =74 दिखाया गया है। बार बार मांग करने के बाद भी सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। इस प्रकार रू0 2727030 =74 का अपहरण अपर मुख्य अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्रीमती पूजा श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री वेदप्रकाश ओझा द्वारा कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 27

शासनादेश संख्या 1/2017 – सी0 ए0/ 400/10/2017 – मित0/ 1/2014 दिनांक 24-02-17 के अनुसार राजकीय वाहन के उपयोग हेतु प्रतिमाह कार के लिए 1000 तथा जीप के जिला 800 की धनराशि राजकीय कोष में जमा की जायेगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतः दिसम्बर 21, जनवरी 22, फरवरी 22 तीन माह ×800 =2400.00 से जिला पंचायत को क्षति पंहुचाई गयी है। अतः दिसम्बर 21 से फरवरी 22 तक अपर मुख्य अधिकारी रहे श्री अनिल कुमार सिंह से रू0 2400.00 की वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 28

जिला आबकारी कार्यालय वाराणसी के पत्र संख्या 1244 दिनांक 24 मई 22 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे 64 बीयर की दुकान, 44 भांग की दुकान ,245 देशी शराब की दुकान , 90 विदेशी (अग्रेजी शराब) की दुकान व 6 माडल शाप की दुकान संचालित है। जिनपर लाइसेंस शुल्क क्रमशः 2000, 1000,1000,2000,2000 तथा सम्पत्ति व विभवकर क्रमशः 3000, 2100, 3000, 4500, 6000 की वसूली नही किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं0 सं0	दुकान का विवरण	संख्या	लाइसेंस फीस	सम्पत्ति व विभवकर	योग
1	बीयर	64	64 ×2000=128000	64×3000 =192000	320000
2	भांग	44	44×1000 =44000	44×2100 = 92400	136400

3	देशी शराब	245	245×1000 =245000	245× 3000 =735000	980000
4	अग्रेजी शराब	90	90× 2000 =180000	90× 4500 =405000	585000
5	माडल शाप	6	6× 2000 = 12000	6× 6000 = 36000	48000
		449	609000.00	1460400.00	2069400

इस प्रकार रू0 2069400.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य़ अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह तथा सम्बन्धित विकास खण्डों के कर समाहर्ता उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- भदोही मण्डल - विन्ध्याचल मीरजापुर

प्रारूप -2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तिया

प्रस्तर -1 जिला पंचायत भदोही के विकास खण्ड - ज्ञानपुर के राईस मिल आटा चक्की स्पेलर हालर लाइसेंस चिमनी भट्टा एवं जनरल दुकान कारपेट बुनाई केन्द्र पेट्रोल पम्प व अन्य मेडिकल स्टोर व क्लीनिक का वर्ष 2020-21 व 2021-22 का लाइसेंस न वसूल कर रू 16810.00 की संस्था को अर्थिक क्षति पहुचाई गयी है । अतः लाइसेंस धारक से अर्थ दण्ड सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्रं0सं0	नाम व पता	लाइसेंस	धनराशि
1	सत्यनाराण पुत्र परामनाथ कंसापुर श्री फुलचन्द गुप्ता		
2	प्रमोद कुमार लोधी ग्रा0 कंसापुर	आट्टा चक्की स्पेलर वर्ष 2021-22	600.00
3	होरी लाल खुदवुड मौर्या ग्रा0 देवनाथपुर वि0ख0 ज्ञानपुर	आट्टा चक्की स्पेलर वर्ष 2021-22	600.00
4	अशोक कुमार पाण्डये पुत्र राज नारायण पाण्डेय नथईपुर कसिदहा	राइस मिल वर्ष 2020-21	500.00
5	अनिल कुमार शेष मणि ज्ञानपुर	स्पेलर वर्ष 2020-21	300.00
6	सुभाष चन्द यादव पुत्र अमर नाथ यादव पिपरीस भावापुर ज्ञानपुर	चिमनी भठ्ठा वर्ष 2020-21	7810.00
7	सहज सेवा केन्द्र प्रो0 सरद कुमार पुत्र शोभनाथ देवनाथ ज्ञानपुर	फोटो स्टेट वर्ष 2021-22	200.00
8	श्रीमती प्रीति मौर्या पत्नी तपन मौर्या देवनाथपुर ज्ञानपुर	ब्यूटी पार्लर वर्ष 2021-22	200.00
9	पवन खाद भण्डार प्रो0 पवन कुमार पुत्र छोटे लाल देवनाथपुर ज्ञानपुर	उर्वरक दुकान वर्ष 2021-22	200.00
10	दिव्यासी मेडिकल स्टोर प्रो0 अशोक शर्मा पुत्र जीत नारायण शर्मा देवनाथपुर ज्ञानपुर	मेडिकल स्टोर	300.00
11	सत्यम फिलिंग स्टेशन प्रो0 मुकेश कुमार पुत्र सत्य नारायण थानीपुर ज्ञानपुर	पेट्रोल पम्प 2020-21	2000.00

12	बघेल इण्डियन ग्रामीण वितरण केन्द्र प्रो0 जगदीश नारायण सिंह पुत्र कैलाश ग्राम नथईपुर ज्ञानपुर	पेट्रोल पम्प 2020-21	2000.00
		योग	16810.0

(मूल आपत्ति संख्य18)

प्रस्तर -2 कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन मद में राज्य वित्त आयोग से रू 4426822.00 का भुगतान किया गया है। जबकि नियमानुसार जिला निधि में कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन एवं पेंशन देने हेतु पर्याप्त धनराशि न होने पर ही राज्य वित्त आयोग से अधिकतम 25 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकता है। किन्तु जिला निधि में वर्ष में रू 47793951.25 के आय तथा रू 43758269.00 व्यय के पश्चात् वर्षान्त में रू 13048004.25 होते हुए भी राज्य वित्त आयोग से कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन एवं पेंशन देकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिस हेतु श्री जय प्रकाश मिश्रा लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र भारतीया एवं श्री सुरेश कुमार वर्मा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्य 27)

जनपद - मीरजापुर मण्डल - विन्ध्याचल मीरजापुर

प्रारूप–2 जिला पंचायत

प्रस्तर–1 भवन / दुकान किराया रजिस्टर वर्ष 2021-22 के अनुसार चालू वर्ष की माँग रु0 12.00 लाख एवं गत वर्ष का बकाया 3.00 लाख जिसका कुल योग रु0 15.00 लाख है। जिसके सापेक्ष वर्ष में मात्र 5.09 लाख की ही वसूली जिला पंचायत द्वारा की गयी है तथा वर्षान्त में शेष रु0 9.91 लाख वसूल न होने के कारण जिला पंचायत को हानि हुई है। जिला पंचायतों की आय वृद्धि करने संबंधी शासनादेश संख्या 2004-1/33-12001-26बी/2001 दिनांक 26.09.2001 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये है। किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य पूर्ण कर लिये जायें। किसी भी दशा मेंअग्रेणित न किया जाये किन्तु शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए समुचित प्रबंधन के अभाव में रु 9.91 लाख की वसूली बाधित कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह सिसौदिया एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–06)

प्रस्तर–2 दिनांक 31-03-2022 को निजी स्रोतो से आय का विवरण प्रपत्र- 3 के क्रम सं0 4 पर सम्पत्ति से आय लाइसेन्स शुल्क मद में रु0 97.00 लाख मॉग के सापेक्ष रु0 42.13 लाख की ही वसूली हो पायी है। इस प्रकार रु0 54.87 लाख की कम वसूली कर जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह सिसौदिया एवं लेखाकार श्रीजवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–07)

प्रस्तर–3 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 141 के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर से होने वाली शुद्ध आय से जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसी राशियां देगी जो वह ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें। जिला पंचायत मीरजापुर के वर्ष 2021-22 में सम्पत्ति एवं विभव कर की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मिरु 40.57 लाख थी जिसमें से कोई धनराशि ग्राम पंचायत निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह सिसौदिया एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–15)

प्रस्तर–4 जिला पंचायत मीरजापुर कुल 43 दुकानों एवं भवनों को किराये हेतु किराया आवंटित किया गया था और उनका अनुबंध वर्ष 1994-95 में किया गया था किन्तु उसके पश्चात् अनुबंध नवीनीकरण नहीं किया गया है। जिससे जिला पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही दुकान एवं भवन के किराये से संबंधित मांग वसूली पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि कुल 43 दुकानों / भवनों में से 23 से विगत कई वर्षों से वसूली नहीं हुई है। मांग एवं वसूली पंजिका वर्ष 2021-22 की लेखा बंदी में बकाये की स्थिति निम्नवत् रही -

वर्ष के प्रारंभ में बकाया	वर्ष की माँग	कुल माँग	वर्ष की वसूली	31-03-2022 को बकाया
1702363.00	665069.00	2367432.00	628443.00	1738989.00

इस प्रकार बकाया रु0 1738989.00 की वसूली न करके संस्था को भारी क्षति पहुंचायी गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह सिसौदिया एवं लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं।(मूल आपत्ति संख्या–18)

प्रस्तर–5

क्र0सं0	नाम / पदनाम	मकान किराया भत्ता (रु0 में)	धनराशि (योग) रु0 में
	श्री जवाहर लाल, लेखाकार	2760 x 12	33120.00
	श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता	2020 x 12	24240.00
	श्री मुरलीधर शर्मा, अनु0मु0 लिपिक	2020 x 12	24240.00
	श्री सुखेनद्र पाल, प्र0लि0	1470 x 12	17640.00
	श्री गुलाब प्रसाद, माली	1470 x 12	17640.00
	श्री जीवेश कुमार मौर्य	1660 x 12	19920.00
	श्री माता प्रसाद, चपरासी	1660 x 12	19920.00
	श्री जय सिंह गौतम	1160 x 12	13920.00
	श्रीमती लक्ष्मी देवी, चपरासी	1470 x 12	17640.00

	श्री गोपाल जी शर्मा, चपरासी	1160 x 12	13920.00
	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, चौकीदार	1660 x 12	19920.00
कर अनुभाग			
	श्री प्रणव कुमार, प्र0 लिपिक	1660 x 12	19920.00
	श्री विश्वनाथ, प्र0 लि0	1470 x 12	17640.00
	श्री सज्जन कुमार सरोज, आशु लिपिक	1660 x 12	19920.00
	श्री विष्णु कुमार दूबे	1470 x 12	17640.00
	श्री छोटेलाल, माली	1470 x 12	17640.00
	श्री अशोक द्वितीय,	1160 x 12	13920.00
	श्री शुभम कुमार, रा0नि0	980 x 12	11760.00
	श्री अजीत कुमार सिंह, रा0नि0	980 x 12	11760.00
	श्री कमलेश कुमार यादव	980 x 12	11760.00
	श्री रतिनेश कुमार दूबे, स0रा0नि0	2020 x 12	24240.00
	श्री कृष्णकान्त दूबे	1340 x 12	16080.00
	श्री ज्ञानश्री, स0रा0नि0	980 x 12	11760.00
	श्री मुन्ना राम, स0रा0नि0	980 x 12	11760.00
	श्री रामधनी वर्मा	980 x 12	11760.00
	योग		439680.00

उ0प्र0 जिला पंचायत सेवा नियमवाली 1970 नियम 57 निःशुल्क निवास या मकान किराया भत्ता (जिला पंचायत) की कार्य समिति निःशुल्क निवास या इसके बदले मकान के किराये को उतना भत्ता जो अदा किये गये वास्तविक किराये के बराबर हो या प्रारम्भ में मकान किराये का भत्ता निश्चित करते समय समस्त भत्तों को निकाल कर मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर हो, उनमें से जो भी कम हो जिला पंचायत के किसी भी सेवक को जो नीचे दी गयी किसी शर्त को पूरा कर दे सकती है। अन्यथा–

उससे अपने शासकीय कार्य के निर्दिष्ट स्थान पर मकान में रहने की अपेक्षा की जाती है।

उसके कर्तव्यों के प्रकार के कारण कभी भी किसी भी समय दिन या रात में बुलाया जाता हो, या बुलाया जा सकता है।

प्रतिबंध यह भी है कि उस सेवक को जो ऐसे मकान में रहता हो जिसका वह स्वयं स्वामी हो, मकान के किराए का कोई भी भत्ता नहीं दिया जायेगा ।

नियम-58- मकान किराया भत्ता देने के लिए प्रमाण पत्र प्रत्येक बिल के साथ नीचे दिए गए प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र चाहिए जो सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के सम्यक् रूप से हस्ताक्षर होना चाहिए। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यथा स्थिति वह व्यक्ति जिन्होंने मकान किराये का भत्ता लिया है वास्तव में किराये के मकान में रहता है जिसके सम्बन्ध में भत्ता है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि वे समस्त व्यक्ति जिन्होंने इस बिल में मकान किराये का भत्ता लिया है वास्तव में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने किराया दिया है।

जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अधिकारी / कर्मचारी हेतु आवास निर्मित है कितने आवास किसअधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित है अथवा रिक्त है से संबंधित कोई भी अभिलेख / प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का शासकीय कार्य के हित में निर्दिष्ट स्थान या मकान में रहने की अपेक्षा की जाती है, से संबंधित किसी भी सक्षम / अधिकृत अधिकारी का आदेश लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत स्पष्ट है कि उपर्युक्त नियमावली का पालन नहीं किया गया। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

संस्था रु0 439680.00 अधिकारियों / कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देकर आर्थिक हानि पहुंचायी गयी। उपर्युक्त अधिकारियों / कर्मचारियों से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिएलेखाकार वित्तीय परामर्शदाता श्री इंदभान सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह सिसौदिया प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। (मूल आपत्ति संख्या–22)

प्रस्तर–6 आलोच्य वर्ष में पंचम वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि से संस्था ने अपने अतिथि गृह-अष्टभुजी डाक बंगला नीबी कैम्प कार्यालय / अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय के मरम्मत व रख-रखाव पर रु0 1472635.00 की धनराशि व्यय कर अनुदान की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। विवरण निम्नवत् है -

	कार्य का विवरण	दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय धनराशि (रु0 में)
	मरम्मत व रख-रखाव आदि कार्य	05-04-21	04	393120.00
	समस्त बाथरूम मरम्मत, बेड गद्दा मरम्मत कार्य	07-05-21	02	497000.00
	अष्टभुजा डाक बंगला/कार्यालय अनुरक्षण / साज सज्जा के लिए माली, स्वीपर/इलेक्टीशियन की व्यवस्था हेतु कार्य दिवस 2 माह के लिए 01.05.21 से 30.06.21 तक प्रतिमाह रु0 51600.00 की दर से रु0 103200.00 का भुगतान	03-07-21	--	103200.00
	अष्टभुजा डाक बंगला / नीवी कैम्प कार्यालय/कार्यालय जिला पंचायत के साफ सफाई / अनुरक्षण कार्य पर व्यय	12-10-21	92	115584.00
	अष्टभुजा डाक बंगला / नीवी कैम्प कार्यालय के साफ सफाई अनुरक्षण के लिए माली/स्वीपर/ इलेक्टीशियन की व्यवस्था पर व्यय	22-12-21	27	155904.00
	अपर मुख्य अधिकारी कक्ष के मरम्मत कार्य पर व्यय	08-07-21	--	207827.00
	योग			1472635.00

पंचम वित्त आयोग के अनुदान की उपर्युक्त धनराशि रु 1472635.00 के दुरूपयोग के लिए लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रभान सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नीतू सिसौदिया मुख्य रूप से दोषी है । नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–23)

प्रारूप -2

जनपद-सोनभद्र मण्डल-विन्ध्याचलधाम मीरजापुर

जिला पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या - 1

पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 2/2017/3200/33-3-2016-10 जी०आई०/2015 दिनांक 03-01-2017 द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण द्वारा अभियान के अंतर्गत जनपद रिसोर्स सेन्टर के निर्माण मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाना था, परन्तु उक्त अभिलेखीय साक्ष्य में उक्त समिति के होने का अभाव रहा। नामित कार्यदायी संस्था सोनभद्र जिला पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रुपया 5836424.90 व्यय करके माह नवम्बर 2021 में पूर्ण कर दिया गया, परन्तु कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन हस्तांतरण प्रपत्र उपनिदेशक पंचायती राज मिर्जापुर को हस्तगत नहीं कराया गया है। भवन पूर्ण होने के उपरांत भवन की छत की वाटर प्रूफिंग पर रुपया 15.55 लाख एवं प्रतिध्वनि को रोकने हेतु रु० 7.18 लाख का अनुचित व्यय रहा। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 2**

प्रस्तर संख्या - 2

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों से बालू मोरंम, गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सूखी चुना व कोयला एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर भेजने व संग्रह करने पर बैलगाडी, नाव, ट्रेक्टर, ट्रक पर शुल्क लगाने हेतु नियंत्रित व नियमित करने हेतु 06 सितम्बर 2014 को उपविधि बनायीं गई जिसे 08 फरवरी 2019 को संधोधित किया गया। उपविधि में यह प्रावधान किया गया था की कोई भी व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से निकलने बाले खनिजों को एकत्रित करेगा या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्यों से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा निर्धारित स्थल पर नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों को देना होगा।

उपविधि की धारा 10 में यह भी प्रावधान है की ठेके की धनराशि रुपया एक करोड़ होने दी दशा में पूरी धनराशि एक मुश्त में जमा करना होगा फिर रुपया एक करोड़ से अधिक होने की दशा में रुपया एक करोड़ तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि दो समान क़िस्त में जमा की जा सकती है। जिसमे शर्त यह रहेगी की प्रथम किश्त सम्बंधित वित्त वर्ष के 30 जून तक तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी. किश्त न जमा करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त की जाएगी पुनः ठेका छोड़ने पर यदि जिला पंचायत को कोई हानि होती है तो जिला पंचायत द्वारा उसकी वसूली ठेकेदार से करेगी। जिला

पंचायत द्वारा उक्त उपविधि के अंतर्गत खनिज परिवहन शुल्क वसूली सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया की विगत कई वर्षों में खनिज शुल्क की वसूली हेतु दिए गए ठेके के ठेकेदार से निम्न विवरण अनुसार धनराशि बकाया रही।

क्रम सं०	**बकायेदार का नाम**	**बकाया वर्ष**	**धनराशि**
1	श्री सुभाष तिवारी श्री सुभाष तिवारी, ग्राम दलापट्टी पो.-चिल्ह, मिर्जापुर	2009-10	18850000
2	श्री कान्त सिंह, ग्राम पथरहा, रोबर्ट्सगंज, सोनभद्र	2010-11	24358353
3	श्री सुभाष तिवारी, ग्राम दलापट्टी .-चिल्ह, मिर्जापुर	2012-13	16219000
4	श्री पारसनाथ सिंह, याम फुलवारी, मिर्जापुर	2015-16	29655560
5	श्री पारसनाथ सिंह, याम फुलवारी, मिर्जापुर	2019-20	40573125
		बकाया योग	**129656538**

उक्त विवरण अनुसार विगत वर्षों के बकाये से स्पष्ट था की प्रति वर्ष उक्त शुल्क की वसूली हेतु ठेका प्राप्त ठेकेदार से उपविधि की धारा 10 का अनुपालन नहीं कराया गया अर्थात ठेके की धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करायी गई एवं धनराशि न जमा करने पर तत्समय न ही ठेका निरस्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेके की धनराशि कुल रुपया 129656538.00 बकाया रही।

वर्ष 2009-10 में बकाया करने वाले ठेकेदार पुनः 2012-13 में तथा वर्ष 2015-16 में बकाया करने वाले ठेकेदार को पुनः 2019-20 में अनियमितरूप से ठेका दे दिया गया जो ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना दर्शाता है।

वर्ष 2021-22 की खनिज परिवहन शुल्क वसूली अभिलेख की जाँच में पाया गया की ठेकेदारों से गठित अनुबंध होने के बावजूद जिला पंचायत द्वारा उक्त उपविधि की धारा 10 का पालन न करके ठेकेदार को सुभिधानुसार वर्ष में कई किस्तों में धनराशि जमा करने की अनुचित छुट दी गई। इस प्रकार उक्त वर्षों के खनिज परिवहन शुल्क बकाया वसूली हेतु कोई विधि सम्मत अनवरत प्रयास न होने के परिणामतः उक्त मद के रु० 129656538.00 बकाया रहने के कारण ब्याज की हानि एवं इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 3**

<u>प्रस्तर संख्या - 3</u>

जिला पंचायत सोनभद्र के निजी आय के स्रोत के रूप में जिला पंचायत सोनभद्र की परिसंपत्ति में कुल 177 दुकानें हैं जो कि किराये पर दी गई है। दुकान किराये के अभिलेखों के अवलोकन में में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की अवधि में किराये की मांग बकाया सहित रु० 2213088.00 के विरुद्ध लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की धनराशि रुपया 1226373.00 रही। इसप्रकार दुकान किराया मद में रुपया 986715.00 बकाया हो गई, जिसकी आलोच्य वर्ष में वसूली की जानी चाहिए थी। विगत वर्षों में जबकि रु० 720348.00 बकाया थी। बकाया की धनराशि में वृद्धि हुई है। जिला पंचायत द्वारा गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।

जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 4**

<u>प्रस्तर संख्या - 4</u>

15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) की संस्तुति के अंतर्गत जिला पंचायत सोनभद्र को निम्न विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 के वर्षात में बकाया सहित आलोच्य वर्ष तक कुल रुपया 320599932.00 की धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई ।

अवशेष (2020-21)	**आलोच्य वर्ष (2021-22)**	**व्यय**
136656223.00	183943709.00	60389069.00

उक्त अनुदान के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों (1717 दिनांक 07-10-2021) के अनुसार स्थानीय निकाय को बेसिक ग्रांट का 30% टाइड अनुदान के रूप में सेनिटेशन के कार्य पर और रूप में 30% पेय जल योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों पर व्यय करना था. इसप्रकार जिला पंचायत में रुपया 961.00 लाख सेनिटेशन के कार्य पर और रुपया 961.00 लाख पेय जल योजना कार्यों पर व्यय करना था। परन्तु पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण तथा दिशा निर्देश में निहित अन्य कार्य नही कराते हुए वर्ष 2020-21 में सेनिटेशन मद से नाला निर्माण के 39 कार्य स्वीकृत कर वर्ष 2021-22 में कुल रुपया 523.88 लाख व्यय किया गया। इससे इतर पुनः टाइड अनुदान के अंतर्गत ही प्राप्त बेसिक ग्रांट के 30% की धनराशि का उपयोग पेय जल योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों पर व्यय करना था। किन्तु जाँच में पाया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि रुपया 183943709 के 30% की धनराशि पेय जल योजना अंतर्गत प्राप्त टाइड अनुदान की धनराशि रुपया 551.83 लाख के सापेक्ष मात्र ब्लास्टिंग कूप निर्माण कार्य अनुबंधित लागत रुपया 64.69 लाख के सापेक्ष रुपया 59.38 लाख का निर्माण करते हुए शेष [1923.60- (523.88+ 64.69) = 1335.03] शेष सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1335.03 लाख अवरोधित रखी गई। जो कि 15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) की दिशा निर्देश के विपरीत रही। अतः केन्द्रीय वित्त आयोग की दिशा निर्देश के विपरीत आलोच्य वर्ष 2021-22 में रुपया 603.89 लाख का व्यय कर रुपया 1335.03 लाख अवरोधित रखी गई जो अनियमित रहा । जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 6**

<u>प्रस्तर संख्या - 5</u>

जिला पंचायत सोनभद्र के निजी आय के स्रोत के रूप में अपने क्षेत्राधिकार में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने वाले लोगों से निर्मित उपविधि के अनुसार संपत्ति व विभव कर की वसूली की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा में संपत्ति व विभव कर पंजिका की जाँच में पाया गया कि पंजिका में प्रविष्टीयों व रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। पंजिका में बहुत सी प्रविष्टीयाँ पेंसिल से भरी गई है। जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने वाले लोगों की वास्तविक संख्या जानने के लिए कोई अद्यतन सर्वे नही कराया गया है। जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख से ज्ञात होता है कि आलोच्य वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में इस मद में कुल रुपया 23256897.00 बकाया थी। वर्ष 2021-22 के अंत में भी पूर्व के वर्षों का बकाया, वर्ष 2021-22 की मांग को जोड़ कर कुल मांग के सापेक्ष की

गई है। वसूली के बाद रुपया 23274071.00 बकाया रही। वर्ष 2021-22 के अंत में रु० 232.74 लाख बकाया रहने से स्पस्ट होता है कि बकाया वसूली में जिला पंचायत द्वारा लगातार शिथिलता बरती जा रही। इसप्रकार संपत्ति व विभव कर की रु० 232.74 लाख की वसूली प्राथमिकता के आधार पर न करके अनियमितता की जा रही है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 7

<u>प्रस्तर संख्या - 6</u>आलोच्य वर्ष 2021-22 के वर्षात में जिलानिधि मद की धनराशि रूपया 101021558.22 को शासनादेशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर रखा जाना चाहिए जबकि ऐसा न करके प्राइवेट/निजी बैंकों यथा कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट (53427) में रुपया 66882503.92 तथा एच डी एफ सी बैंक अकाउंट (17559) में रुपया 34139054.30 में रखी गई है जो अनियमित है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी और श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 8**

<u>प्रस्तर संख्या - 7</u> उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा के क्रम में संख्या 72 के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देशी एवं विदेशी शराब, बियर की दुकानों से प्रति वर्ष प्रति इकाई रुपया 1500.00 के लाइसेंस शुल्क का प्रावधान किया गया है। संस्था की लाइसेंस अभिलेख की जाँच में पाया गया कि विगत वर्षों में कुल दुकान की संख्या 491 से दर 1500 की दर कुल मांग रुपया 736500.00 के विरुद्ध वसूली रुपया 339725.00 की गई। इस प्रकार समस्त इकाइयों पर 2021-22 के प्रारंभ में इस मद में रुपया 396775.00 का बकाया रहा है।आलोच्य वर्ष में जनपद में कुल दुकान की संख्या 140 दर 1500 की डॉ से कुल मांग रुपया 210000.00 रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में पूर्वका बकाया रु० 396775.00 तथा वर्ष की मांग रुपया 210000.00, कुल रुपया 606775.00 के सापेक्ष रु० 250275.00 की वसूली की गई। इसप्रकार इस मद में रुपया 356500.00 के लाइसेंस शुल्क की वसूली संस्था द्वारा नहीं की गई। विगत वर्षों से लाइसेंस शुल्क की वसूली बकाया रहने से स्पष्ट है कि वसूली के लिए जिला पंचायत द्वारा गंभीर प्रयास नही किये गए जिस कारण वर्ष 2021-22 तक रु० 356500.00 के लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व की हानि रही । उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार त्रिपाठी एवं श्री प्रदीप कुमार सिंह (10/07/21 से 31/03/22) तथा लेखाकार श्री अजय कुमार शर्मा उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही/क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 9**